बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

अध्याय–I

प्रारंभिक

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 133 और 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं निम्नलिखित नियमावली का अधिक्रमण करते हुए –

1. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2005;
2. बिहार कारखाना नियमावली, 1950;
3. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) नियमावली, 1972;
4. बिहार अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) नियमावली, 1980
5. बिहार मोटर परिवहन कामगार नियमावली, 1962
6. बिहार बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की स्थिति) नियमावली, 1968,

बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा;

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) यह नियमावली "उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. परिभाषा–

(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"कृत्रिम नमीकरण"** से तात्पर्य किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा किसी कक्ष की वायु में नमी का प्रवेश कराना है, सिवाय उस भाप या जलवाष्प के अनिवार्य उत्सर्जन के जो सीधे किसी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण वातावरण में निकलता हो;

परंतु यह कि जब कक्ष का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो, तब बाहर की वायु को नम चटाइयों या जालियों के माध्यम से, जो खुली जगहों पर लगाई गई हों, सीधे भीतर प्रवेश कराना कृत्रिम आर्द्रीकरण नहीं माना जाएगा;

(ख) **"बेल्ट"** में कोई भी ड्राइविंग स्ट्रैप या रस्सी शामिल है;

(ग) **"बोर्ड"** से तात्पर्य कोड के सेक्शन 17 के तहत बना बोर्ड है;

(घ) **"पंचांग वर्ष"** से तात्पर्य किसी भी साल की पहली जनवरी से शुरू होने वाला बारह महीने का समय है;

(ड.) **"आकस्मिक अवकाश"** से तात्पर्य है कर्मचारियों की व्यक्तिगत कारणों से कार्य से आकस्मिक अनुपस्थिति को आच्छादित करने वाला अवकाश;

(च) **'संहिता'** से तात्पर्य है " उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020"

(छ) **"डिग्री"** (टेम्परेचर का) का मतलब है सेंटीग्रेड स्केल पर डिग्री;

(ज) **"इलेक्ट्रॉनिक रूप से"** से अभिप्राय ऐसी किसी भी सूचना या संप्रेषण से है, जो संहिता के प्रयोजन हेतु ई–मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो या किसी भी माध्यम से डिजिटल भुगतान के रूप में किया गया हो;

(झ) **"धुआँ"** में गैस या वाष्प सम्मिलित है;

(ञ) **"प्रपत्र"** से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ट) **"स्वास्थ्य अधिकारी"** से अभिप्राय नगर स्वास्थ्य अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किया गया हो;

(ठ) **"हाइग्रोमीटर"** से अभिप्राय एक सटीक आर्द्र–शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर से है, जो निर्माण और अनुरक्षण के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप हो;

(ङ) **"योग्य चिकित्सक"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 (1916 का 7) की अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अर्हता धारण करता हो या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई अर्हता धारण करता हो;

(ढ़) **'पंजीयन अधिकारी'** से अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन हेतु नियुक्त पंजीयन अधिकारी से है;

(ण) **"अनुसूची"** से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

(त) **'धारा'** से अभिप्राय संहिता की धारा से है;

(थ) **"दुकान"** से तात्पर्य है कोई भी जगह जहाँ खुदरा या थोक में सामान बेचा जाता है या जहाँ ग्राहकों को सेवा दी जाती है, और इसमें कार्यालय, भण्डारगृह, गोदाम, वेयरहाउस या वर्क हाउस, कार्यस्थल पर वितरण या संवेष्टन (पैकेजिंग) या पुनः संवेष्टन या तैयार माल बेचा जाता है; लेकिन इसमें कारखाना से जुड़ी कोई दुकान शामिल नहीं है, जहाँ ऐसी दुकान में काम करने वाले लोगों को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अध्याय–IX, भाग–VII के तहत दिए गए लाभ से आच्छादित हैं। इस संहिता के प्रयोजन हेतु, जहाँ अपेक्षित हो, दुकान को भी एक प्रतिष्ठान माना जाएगा।

(द) **"मानक सुरक्षित संचालन प्रक्रिया"** से तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं है, जो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा मशीनरी, प्रक्रिया और उपकरणों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनाई जाती हैं और ऐसी प्रथाएँ निम्नलिखित में से सभी या किसी एक के अनुरूप हों, अर्थात;

(i) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक मानक या अंतरराष्ट्रीय मानक;

(ii) राष्ट्रीय भवन संहिता;

(iii) उपकरण और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के संबंध में निर्माता के निर्देश;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित और समय–समय पर संशोधित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आचार संहिता।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इनमें परिभाषित नहीं हैं, परंतु संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें संहिता या नियमों में प्रदान किया गया है।

(3) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (l) के अंतर्गत सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(1) चीफ इंस्पेक्टर–कम–फैसिलिटेटर किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र में और उतने समय के लिए 'सक्षम व्यक्ति' के तौर पर मान्यता प्रदान कर सकता है, जितना तय किया गया हो। यह काम किसी कारखाना में मौजूद बिल्डिंग, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट, कंफाइंड स्पेस, वेंटिलेशन सिस्टम और कोड और उसके तहत बनाए गए नियमों में बताए गए दूसरे प्रक्रिया या प्लांट और इक्विपमेंट के टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए किया जा सकता है, अगर ऐसे व्यक्ति के पास इस नियम के साथ दिए गए **अनुसूची –I** में बताई गई क्वालिफिकेशन, अनुभव और दूसरी ज़रूरतें हैं।

बशर्ते कि चीफ इंस्पेक्टर–कम–फैसिलिटेटर किसी 'सक्षम व्यक्ति' के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरतों में ढील दे सकता है, अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुभवी और जानकार है, लेकिन उसके कमांड में मौजूद सुविधाओं के लिए ज़रूरतों में ढील नहीं दे सकता।

आगे यह भी प्रावधान है कि इस प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त 'सक्षम व्यक्ति' की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह परीक्षण, जांच तथा निरीक्षण करने के उद्देश्य से शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(2) मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता –सह–सुविधाकर्ता, उप–नियम (1) में संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों वाले किसी प्रतिष्ठित संस्थान को इमारतों, खतरनाक मशीनरी, उत्तोलक और लिफ्ट, भारोत्तोलन मशीनों और भारोत्तोलन टैकल, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थान, वेंटिलेशन प्रणाली और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरणों के लिए परीक्षण, जांच, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि संहिता और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है, ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है, जैसा

कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता–सह–सुविधाकर्ता, उप–नियम (1) में संलग्न **अनुसूची I** में निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों वाले किसी प्रतिष्ठित संस्थान को इमारतों, खतरनाक मशीनरी, उत्तोलक और लिफ्ट, भारोत्तोलन मशीनों और भारोत्तोलन टैकल, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थान, वेंटिलेशन प्रणाली और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरणों के लिए परीक्षण, जांच, निरीक्षण और प्रमाणन करने के उद्देश्य से, जैसा कि संहिता और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है, ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिए एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) मुख्य निरीक्षक सह सुविधाकर्ता, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के आशय वाले किसी व्यक्ति या संस्था से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदन को पंजीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आवेदक की सक्षमता तथा उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात, आवेदक को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा तथा निर्धारित प्रपत्र में सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करेगा या इसके कारण निर्दिष्ट करते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देगा।

(4) चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अगर उसे यह मानने का कारण है कि 'काबिल व्यक्ति'; –

a. सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी में दी गई किसी शर्त को तोड़ा है;

b. टेस्ट, जांच और इंस्पेक्शन किया है या इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों के इरादे या मकसद के खिलाफ काम किया है, या एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जरूरी काम नहीं किया है;

c. लिखित में दर्ज किसी भी दूसरे कारण से; 'काबिल व्यक्ति' को सुनवाई का मौका देने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉम्पिटेंसी रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण: – इस रूल के मकसद के लिए, एक इंस्टीट्यूशन में एक ऑर्गनाइज़ेशन भी शामिल है।

(5) चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट या वेंटिलेशन सिस्टम, जैसा भी मामला हो,

के रीसर्टिफिकेशन की मांग कर सकता है, जिसे राज्य के बाहर के किसी काबिल व्यक्ति से सर्टिफाइड किया गया हो।

(6) **धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (X) के स्पष्टीकरण के अधीन आय के स्त्रोत** – यदि किसी तत्समय आश्रित की आय ₹9000/– प्रतिमाह से अधिक हो को ऐसे आश्रित को संहिता की धारा (2) की उप धारा (1) के खंड (X) के उप खंड (ii) एवं (iii) के प्रयोजनार्थ आश्रित के रूप में शामिल नहीं किये जाएंगे।

(7) **धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (जेडबी) के अधीन पदार्थ या पदार्थ की मात्रा**– संहिता की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (जेडबी) के प्रयोजनार्थ खतरनाक पदार्थ और इसकी मात्रा अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट है।

अध्याय II

पंजीकरण

3. धारा 3 के अन्तर्गत आवेदन जमा करने की रीति और ऐसे आवेदन का प्रपत्र एवं उसमें दिये जाने वाले ब्यौरे एवं धारा 3 की उप–धारा (1) परन्तुक के अन्तर्गत साथ जमा किये जाने वाले शुल्क एवं विलम्ब शुल्क –

(1) (i) ऐसा नियोक्ता जो किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण करना चाहता है जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वह ऑनलाइन पोर्टल पर **प्रपत्र –I** में, प्रतिष्ठान का विवरण देते हुए तथा प्रपत्र में मांगी गयी सूचना के अनुसार प्रतिष्ठान के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, नियोक्ता/नियोक्ताओं की पहचान एवं पते का प्रमाण पोर्टल पर भरते हुए, नियम 3 के उप–नियम (10) में विनिर्दिष्ट शुल्क सहित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा। प्रपत्र को डिजिटल हस्ताक्षर या पोर्टल पर अपेक्षित किसी अन्य विधि से हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदन में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक उत्तरदायी होगा।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आवंटित आवेदक या प्रतिष्ठान का स्थायी खाता संख्या (PAN कार्ड) या किसी अन्य प्रचलित अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठान को आवंटित कोई अन्य विशिष्ट संख्या या प्रपत्र में प्रस्तुत कोई अन्य विवरण ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

(iii) यदि आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र **प्रपत्र–II** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तत्काल जारी किया जाएगा, परंतु पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से सात दिनों के भीतर अनिवार्यतः जारी किया जाएगा; अन्यथा ऐसा प्रतिष्ठान पंजीकृत माना जाएगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वतः उत्पन्न होगा। पंजीयन अधिकारी पंजीकरण में सहूलियत प्रदान करेगा और केवल सतही कारणों के आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा।

परंतु यह कि असाधारण परिस्थितियों में राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, बिहार के किसी भाग या संपूर्ण बिहार में, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के संबंध में, ऐसे काल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दे सकती है और निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तातंरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर कागज़ी प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) संहिता के अधीन पंजीयन अधिकारी, उप–नियम (1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले नियोक्ता को, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा नियोक्ता तत्पश्चात अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।

(3) ऐसा नियोक्ता जिसका प्रतिष्ठान किसी अन्य प्रवलित केंद्रीय श्रम कानूनों के अधीन पूर्व से पंजीकृत है, वह संहिता के लागू होने की तिथि से छह माह के भीतर, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण विवरण अद्यतन करेगा।

(4) गलत जानकारी प्रदान कर प्राप्त किया गया कोई भी पंजीकरण निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि प्रतिष्ठान को यह कारण बताने का अवसर दिया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा, कि पंजीकरण प्रमाणपत्र क्यों निरस्त न किया जाए।

(5) नियोक्ता संहिता या नियमों या विनियमों या योजना के संबंध में, जैसा भी मामला हो, अपने द्वारा तैयार या पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों में तथा संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या अंकित करेगा।

(6) पंजीकरण प्रपत्र में प्रस्तुत स्वामित्व, प्रबंधन या किसी अन्य विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर, नियोक्ता ऐसे परिवर्तन की तिथि से तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर उसे अद्यतन करेगा और पंजीयन अधिकारी सात दिनों के भीतर उक्त परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र II में संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त माना जाएगा।

(7) ऐसे प्रतिष्ठान का नियोक्ता जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसका व्यवसाय बंद होने की प्रक्रिया में है, वह श्रम संहिताओं के अधीन देय समस्त बकाया का पूर्ण विवरण देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण निरस्तीकरण हेतु आवेदन कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसा कोई आवेदन विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दिए हों, केंद्रीय श्रम संहिताओं तथा अन्य प्रचलित श्रम कानूनों के अधीन देय सभी वैधानिक देयों का भुगतान न कर दिया हो और इस संबंध में स्व–प्रमाणन आवेदन के साथ प्रस्तुत न किया हो।

(8) पंजीयन अधिकारी, **प्रपत्र –III** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठानों का पंजी संधारित करेगा, जिसमें उन प्रतिष्ठानों का विवरण होगा जिनके संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

(9) नियोक्ता, किसी भी कार्य के प्रारंभ और पूर्णता की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उस क्षेत्राधिकार के निरीक्षक–सह–सुकारक को, जहाँ प्रस्तावित प्रतिष्ठान स्थित है या जहाँ कार्य निष्पादित किया जाना है, जैसा भी मामला हो, वास्तविक प्रारंभ तिथि, कार्य की पूर्णता तथा प्रतिष्ठान के समापन की सूचना, इन नियमों से संलग्न **प्रपत्र –IV** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा, और यह सूचना स्वतः EPFO तथा ESIC को साझा की जाएगी।

(10) (1) संहिता के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान प्रतिष्ठानों के मामले में, यदि आवेदक संहिता की लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो कोई शुल्क देय नहीं होगा; तथापि, नए प्रतिष्ठान के लिए पंजीकरण शुल्क नीचे दी गई सारणी के अनुसार देय होगा। दोनों ही स्थितियों में, धारा 3 की उप–धारा (1) और (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान किए जाने के प्रयोजन हेतु देय विलंब शुल्क, नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा, अर्थात— :

क्र० सं०	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या	नए प्रतिष्ठानों के निबंधन लिए शुल्क 60 दिनों तक	नए और मौजूदा दोनों प्रतिष्ठानों के लिए विलम्ब शुल्क		
			61 से 90 दिनों तक	90 से 180 दिनों तक	181 या अधिक दिन तक
क	10 लेकिन 49 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 500	रू० 1000	रू० 5000	रू० 10000
ख	50 लेकिन 100 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 1000	रू० 2000	रू० 10000	रू० 20000
ग	101 लेकिन 300 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 2000	रू० 4000	रू० 20000	रू० 40000
घ	301 लेकिन 500 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 3000	रू० 6000	रू० 30000	रू० 50000
ङ	501 लेकिन 1000 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 4000	रू० 8000	रू० 40000	रू० 60000
च	1001 लेकिन 5000 कामगार से अधिक नहीं है	रू० 5000	रू० 10000	रू० 50000	रू० 70000
छ	5001 एवं उससे अधिक	रू० 6000	रू० 12000	रू० 60000	रू० 80000

(2) विलंब शुल्क निर्धारित करते समय, पंजीयन पदाधिकारी प्रतिष्ठान के स्वामी / नियोक्ता / दखलकार के नाम पर उपयोगिता (यूटिलिटी) कनेक्शन की तिथि को ध्यान में रख सकता है।

(3) इन नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई प्रतिष्ठान जिस पर संहिता लागू होती है और जो पहले से—

(क) किसी केंद्रीय श्रम कानून के अधीन; या

(ख) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य ऐसे कानून के अधीन, जो ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू हो और संहिता के प्रारंभ के समय प्रवृत्त हो, पंजीकृत है, उसे संहिता के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत माना जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे पंजीकरण धारक को, विद्यमान प्रतिष्ठान के मामले में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर तथा नए प्रतिष्ठान के मामले में

पंजीकरण की तिथि से छह माह के भीतर, प्रपत्र I में संबंधित पंजीयन अधिकारी को पंजीकरण का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

4. धारा 4 के अंतर्गत अपील– (i) पंजीयन अधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(ii) जहाँ अपील ज्ञापन विधिवत हो, वहाँ अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, उसकी प्राप्ति की स्वीकृति देगा तथा ऐसी अपील के स्वीकार किए जाने की सूचना देगा, और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले अपील रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(iii) जब अपील स्वीकार कर ली गई हो, तब अपीलीय अधिकारी उस पंजीयन अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की सूचना भेजेगा और पंजीयन अधिकारी तत्पश्चात प्रकरण के अभिलेखों को अपीलीय अधिकारी को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट रूप से प्रेषित करेगा।

(iv) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई के लिए, सूचना में निर्दिष्ट तिथि और समय पर, अपीलकर्ता को अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना भेजेगा।

(v) यदि निर्धारित सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण अपील को निरस्त कर सकता है और आदेश की प्रति आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट भेजेगा।

(vi) जहाँ अपील निरस्त कर दी गई हो, वहाँ अपीलकर्ता आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, अपील की पुनर्स्थापना हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से वंचित था, तो अपीलीय अधिकारी अपील को पुनर्स्थापित करेगा।

(vii) अपीलीय अधिकारी का आदेश अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा संप्रेषित किया जाएगा और उसकी एक प्रति उस पंजीयन अधिकारी को भेजी जाएगी

जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, तथा अपील का निस्तारण अपील प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

5. धारा 5 के अन्तर्गत कार्य शुरू करने और समाप्ति की सूचना– प्रत्येक प्रतिष्ठान चाहे वह कारखाना या ठेका श्रम या भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिष्ठान, जिन पर संहिता के प्रावधान लागू होते हों, का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पंजीकरण पदाधिकारी को **प्रपत्र–IV** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण–पत्र संलग्न होगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों के सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर रखा गया है।

अध्याय III

नियोक्ता और कर्मचारी के कर्तव्य

6. धारा 6 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण– प्रत्येक कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, भवन या अन्य निर्माण कार्य अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रतिष्ठान का नियोक्ता, प्रत्येक ऐसे श्रमिक का, जिसने 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से 120 दिनों के भीतर, प्रति वर्ष निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण कराएगा। चिकित्सीय परीक्षण **प्रपत्र–V** में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार किसी योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। चिकित्सीय प्रमाणपत्र योग्य चिकित्सक द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. धारा 6 की उप–धारा (1) के खंड (च) के अन्तर्गत कर्मचारी को नियुक्ति पत्र– (i) किसी प्रतिष्ठान में कोई भी कर्मचारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस नियम के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाय :

परन्तु जिस कर्मचारी को वांछित विवरणों के साथ नियुक्ति–पत्र जारी नहीं किया गया है, उसे इस नियम के लागू होने के तीन महीनें के भीतर नियुक्ति–पत्र जारी कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

(i) कर्मचारी का नाम:

(ii) जन्म तिथि:

(iii) पिता का नाम:

(iv) आधार संख्या:

(v) श्रम पहचान संख्या (एल आई एन)/प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या:

(vi) यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन)/

(vii) बीमा संख्या (ईएसआईसी) (यदि लागू हों):

(viii) पदनाम:

(ix) कौशल की श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, अधिकुशल) :

(x) योगदान की तिथि:

(xi) मजदूरी, (रू० में):

(xii) आवास, सहित अन्य भत्ते जो लागू हो/हों ::

(xiii) किए जाने वाले कर्तव्यों की व्यापक प्रकृति:

(xiv) कोई अन्य जानकारी:

(xv) रोजगार की प्रकृति (स्थायी, अस्थायी, मौसमी, दैनिक मजदूरी कामगार, सावधि रोजगार, संविदा कर्मी, यदि कोई अन्य हों तो कृपया विनिर्दिष्ट करें):

हस्ताक्षर

अधिभोगी/नियोक्ता/स्वामी/अभिकर्त्ता/प्रबंधक)

(ii) दैनिक मजदूरी कामगार को छोड़कर सभी श्रमिकों को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण संख्या, प्रतिष्ठान का नाम, कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और पता, रोजगार की प्रकृति और वैधता दर्ज रहेगी।

पहचान–पत्र दखलकार/नियोक्ता/स्वामी/अभिकर्त्ता/प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रहेगा।

8. धारा 10 की उप–धारा (1) और धारा 11 के अन्तर्गत दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना–

(1) जहाँ किसी ऐसे प्रतिष्ठान में, जो कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचार–पत्र प्रतिष्ठान तथा बीड़ी और सिगार से संबंधित प्रतिष्ठान हो और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिन पर ये नियम लागू होते हैं, किसी स्थान पर ऐसा दुर्घटना घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या दखलकार या प्रबंधक तत्काल दूरभाष या मोबाइल फोन द्वारा निरीक्षक–सह–सुकारक, मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक तथा जिला दंडाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना देगा; तथा घायल या मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों को सूचित करेगा और ऐसी दुर्घटना की सूचना **प्रपत्र–VI** में 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक–सह–सुकारक और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को भेजेगा।

(2) जहाँ किसी ऐसे प्रतिष्ठान में, जो कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचार–पत्र प्रतिष्ठान तथा बीड़ी और सिगार से संबंधित प्रतिष्ठान हो और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिन पर ये नियम लागू होते हैं, किसी स्थान पर ऐसी दुर्घटना घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक चोट होती है और जिसके कारण घायल व्यक्ति दुर्घटना के तुरंत बाद के 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि तक कार्य करने से वंचित रहता है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या दखलकार या प्रबंधक, 48 घंटे की अवधि पूर्ण होने के पश्चात 24 घंटे के भीतर, **प्रपत्र–VI** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक–सह–सुकारक और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को सूचना भेजेगा।

(3) जहाँ किसी कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचार–पत्र प्रतिष्ठान तथा बीड़ी और सिगार से संबंधित प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिन पर ये नियम लागू होते हैं, में अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी खतरनाक घटना घटित होती है, चाहे उससे कोई शारीरिक चोट या अक्षमता हुई हो या नहीं, तो **प्रपत्र–VI** में 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित को सूचना भेजी जाएगी;

(क) निरीक्षक–सह–सुकारक और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक;

(ख) जिला दंडाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी;

परंतु यह कि यदि किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के मामले में, उपर्युक्त उप–नियमों में उल्लिखित सूचनाएँ और प्रतिवेदन भेजे जाने के पश्चात, ऐसे दुर्घटना या खतरनाक घटना से घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या दखलकार या प्रबंधक, उप–नियम (1) और (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को दूरभाष तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसकी सूचना देगा और मृत्यु के 24 घंटे के भीतर इस सूचना की लिखित पुष्टि भी करेगा।

यह भी उपबंधित है कि यदि उप–नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे या उससे अधिक की कार्य–अक्षमता की अवधि दुर्घटना या खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं होती, बल्कि बाद में होती है या एक से अधिक चरणों में होती है, तो उक्त प्रतिवेदन, निर्धारित प्रपत्र में, उस समय से 24 घंटे के भीतर निरीक्षक–सह–सुकारक को भेजा जाएगा जब दुर्घटना या खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप वास्तविक कुल कार्य–अक्षमता की अवधि 48 घंटे हो जाती है।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं के वर्ग, चाहे उनसे व्यक्तिगत रूप से चोट लगी हो या अक्षमता आई हो अथवा नहीं, अर्थात: –

(i) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव के कारण किसी भी संयंत्र में या पाइपलाइन में या पेट्रोलियम, भाप, संपीडित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों में विस्फोट;

(ii) व्यक्तियों या सामानों या उनके किसी हिस्से को ऊपर उठाने या नीचे ले आने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले किसी क्रेन, डेरिक, विंच हॉइस्ट या अन्य उपकरणों का धराशायी या विफल हो जाना या बंद होना या क्रेन का पलट जाना;

(iii) विस्फोट, विस्फोटकों, आग या हानिकारक जहरीली गैस के रिसने या निकलने के कारण हुआ विस्फोट किसी पिघले हुए धातु या गर्म द्रव अथवा गैस का फूटकर निकल पड़ना, रिसना या निकलना जिनके कारण कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से जख्मी होता है या उस कक्ष या स्थान, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, को नुकसान पहुंचता है।

(iv) गैस की संपीडन के कारण किसी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी तरल या ठोस के वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी संग्राहक या पात्र में विस्फोट।

(v) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन से संबंधित ऊपर उठाने वाले उपकरणों या हॉइस्टर या कन्वेयर्स इस तरह के अन्य उपकरण का विफल हो जाना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूट जाना या विफल हो जाना; भवन या अन्य विनिर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलट जाना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिर जाना;

(vi) किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत सेतु, सुरंग, चिमनी, दीवार भवन का धराशायी हो जाना मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म, स्टेजिंग, मचान या ढांचे सहित पहुँच के किसी साधन का धँस जाना, संपर्क कार्य, उत्खनन और ट्रांसमिशन का धराशायी हो जाना;

(vii) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;

(viii) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का धराशायी हो जाना, उलट जाना, अस्थिर हो जाना या टकरा जाना;

(ix) किसी उत्खनन, लदाई या परिवहन मशीनरी का ऊंचाई से गिर जाना;

(x) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर, पिलर या कई पिलरों के किसी भाग (जैसे 'बम्प') का तत्काल विफल हो जाना;

(xi) जमीन के नीचे कार्य करते समय शैलस्फोट; खदान के किसी भाग का समय से पहले धराशायी हो जाना;

(xii) किसी मशीन या उपकरण के आवश्यक पुर्जे का टूट जाना, भंजित हो जाना या विफल हो जाना, जिससे लोगो की सुरक्षा खतरे पड़ने का अंदेशा हो;

(xiii) खिसकाव जिससे किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;

(xiv) खुले खनन खदान में धमाके या पार्श्व का विफल हो जाना; कोई विस्फोट;

(xv) किसी संरचना या अधिष्ठापन का विफल हो जाना, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ने का अंदेशा हो; या बिजली के फ्लैश से उत्पन्न स्पार्क जिससे कोई व्यक्ति जल सकता है;

(xvi) भारी मात्रा में पेट्रोलियम का अनियंत्रित स्त्राव या रासायनिक रिसाव;

परंतु यह कि उपर्युक्त अनुसूची में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, बॉयलर या उसके उपस्करों और समन्वायोजन के विस्फोट के कारण, जैसा कि वाष्पित्र अधिनियम, 2025 में परिभाषित है, मशीनरी और उपकरणों की किसी भी विफलता या क्षति तथा संरचना की क्षति या ढहने से श्रमिकों की मृत्यु या चोट होने की स्थिति इस अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी।

9. धारा 12 की उप–धारा (1) और (2) के अन्तर्गत बीमारी की सूचना– (1) जिसमें संहिता की तीसरी अनुसूची में यथा अधिसूचित किसी बीमारी की घटना किसी प्रतिष्ठान में होती है, प्रतिष्ठान के नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक द्वारा तत्काल निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता अथवा मुख्यनिरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

बीमारी की सूचना

(1) प्रतिष्ठान का नाम:

(2) प्रतिष्ठान की प्रकृति:

(3.) नियोक्ता अथवा दखलकार अथवा प्रबंधक का नाम एवं पता

(4.) प्रतिष्ठान का पता

(5) मरीज का विवरण:

(क) मरीज का नाम:

(ख) मरीज की श्रम संख्या:

(ग) मरीज का पता:

(घ) मरीज का सही व्यवसाय:

(6) पीड़ित मरीज की बीमारी की प्रकृति:

(7) बीमारी का पता लगने की तिथि:

(8) चिकित्सक का विवरण:

(9) क्या मामले की सूचना चिकित्सा पदाधिकारी को दी गई है?

तारीख

नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक का हस्ताक्षर

(2) यदि कोई योग्यता प्राप्त चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो किसी प्रतिष्ठान में नियोजित है या रहा है और योग्यता प्राप्त चिकित्सक का यह विश्वास है कि वह व्यक्ति तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है तो योग्यता प्राप्त चिकित्सक बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक–सह– सुकारक के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा–

(क) मरीज का नाम और डाक का पूरा पता,

(ख) वह बीमारी जिससे उसके विश्वास के अनुसार, मरीज पीड़ित है, और

(ग) उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें मरीज नियोजित है या पिछली बार नियोजित था।

10. धारा 13 के खंड (घ) और (छ) के अंतर्गत कर्मचारी के कर्तव्य – प्रतिष्ठान के मामले में यदि किसी कर्मचारी को प्रतिष्ठान में किसी भी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि या सुरक्षा पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता अथवा प्रबंधक को जितनी जल्दी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट लिखित रूप से अथवा दूरभाष से सूचित करेगा या ऐसा प्रतिनिधि या पदाधिकारी या अभिकर्ता या प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, नियोजक को इलेक्ट्रॉनिकली अथवा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित करेगा।

11. धारा 14. की उप–धारा (3) के अन्तर्गत कर्मचारी के अधिकार– कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किसी आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस संबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता, चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो, तत्काल इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक–सह–सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

अध्याय IV

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

12. धारा 17 की उपधारा (1), (2) और (3) के अन्तर्गत राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड – (1) राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार– **अध्यक्ष;**

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार या निदेशक, उद्योग के पद से अन्यून उनके प्रतिनिधि पदाधिकारी– **पदेन सदस्य**

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार या संयुक्त सचिव के पद से अन्यून उनके प्रतिनिधि पदाधिकारी – **पदेन सदस्य**

(घ) अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार– **पदेन सदस्य**

(ङ) श्रम आयुक्त, बिहार – **पदेन सदस्य**

(च) निदेशक, चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा, बिहार सरकार – **पदेन सदस्य**

(छ) मुख्य कारखाना निरीक्षक – **पदेन सदस्य**

(ज) मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक – **पदेन सदस्य**

(झ) नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि– **सदस्य**

(ञ) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि– **सदस्य**

(ट) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति, या प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों या इसी तरह के अन्य अनुशंसाओं से जुड़े प्रतिनिधि, जिनमें से एक सदस्य राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से हो सकता है– **सदस्य**

(ठ) ओ०एस०एच० कोड से संबंधित मामलों को देखने वाले संयुक्त श्रमायुक्त – **पदेन सदस्य सचिव**

(2) संहिता की धारा 17 (1) के अन्तर्गत विविनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड जितनी बार आवश्यक हो, बैठकें कर सकता है, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।

13. त्यागपत्र – (1) पदेन सदस्य को छोड़कर राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में एक पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(2) जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा इस्तीफे के पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, ऐसे सदस्य की सीट उस तिथि से रिक्त हो जाएगी।

14. **सदस्यता समाप्त करना**–यदि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य न हो, राज्य सलाहकार बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है जिसके लिए ऐसे राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत न किया गया हो तो वह राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा:

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में पर्याप्त कारणवश भाग नहीं ले सका था, तो निदेश दे सकती है कि इस तरह सदस्यता समाप्त नहीं होगी और ऐसा निर्देश दिया जा रहा है, कि ऐसे सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे।

15. **सदस्यता के लिए अयोग्यता**– राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा–

(i) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और उसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ii) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; या

(iii) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें तीन महीने या अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो।

16. **सदस्यता से हटाना**– यदि राज्य सरकार ऐसा राय रखती है कि राज्य सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उन हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिनका प्रतिनिधित्व ऐसा सलाहकार बोर्ड में उसे करना अभिप्रेत था, तो वह उसे राज्य सलाहकार बोर्ड की सदस्यता से हटा सकती है;

परन्तु ऐसा सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिनिधित्व करने का तर्कसंगत अवसर नहीं दिया जाता है।

17. जब बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होती है, तो बोर्ड का सदस्य–सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है और इस प्रकार नामित व्यक्ति उस सदस्य के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।

18. सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता – (1) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता, उनके लिए आधिकारिक कर्तव्यों पर की गई यात्रा के लिए लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा और उनका वेतन देने वाला प्राधिकारी ही उसका भुगतान करेगा।

(2) बोर्ड के किसी गैर सरकारी सदस्यों को, बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए, बिहार यात्रा नियमावली, 1949 के नियम 144(1) के प्रावधान के तहत लागू दरों एवं शर्तों के अध्यधीन यात्रा एवं विश्राम भत्ता प्राप्त होगा, जिसके लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचना निर्गत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सरकारी सदस्य" से अभिप्राय ऐसे नियमित सरकारी अधिकारियों से है, जो उस हैसियत में बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हों, तथा "गैर–सरकारी सदस्य" से अभिप्राय ऐसे सदस्य से है, जो "सरकारी सदस्य" नहीं है।

19. धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत अंतर–राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए आंकड़ो का संग्रहण और पोर्टल – नियोक्ता संहिता की धारा 21 की उपधारा 1 के प्रयोजनार्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेब पोर्टल पर जमा करेगा।

20. धारा 22 के अन्तर्गत सुरक्षा समिति और सुरक्षा पदाधिकारी – (1) प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान में, जो कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचार–पत्र प्रतिष्ठान तथा बीड़ी और सिगार से संबंधित प्रतिष्ठान हो और ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिन पर ये नियम लागू होते हैं;

(क) जहाँ सामान्यतः 100 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हों; या

(ख) जहाँ संहिता की धारा 82 के अधीन किसी प्रक्रिया या संचालन को खतरनाक घोषित किया गया हो; या

(ग) जहाँ संहिता की धारा 2(1)(za) के अधीन परिभाषित 'खतरनाक प्रक्रिया' संचालित की जाती हो;

वहाँ एक सुरक्षा समिति होगी।

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। सुरक्षा समिति प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार बैठक करेगी।

(3) श्रमिकों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत श्रमसंघ द्वारा किया जाएगा। जहाँ कोई पंजीकृत श्रमसंघ नहीं है, वहाँ सदस्यों का चयन प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है।

परंतु यह कि समिति में महिला श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त एवं उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा—

(क) कार्यस्थल पर श्रमिकों को संभावित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आँकड़ों तथा कार्य परिवेश और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी से प्राप्त आँकड़ों के बारे में, जो ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित की गई हो।

(5) मालिक, नियोक्ता, दखलकार, अभिकर्ता या प्रबंधक, सुरक्षा समिति की अनुशंसाएँ प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, उन अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

21 **सुरक्षा समिति की संरचना**— (1) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधि निम्नलिखित होंगे—

(क) एक वरिष्ठ अधिकारी, जो संगठन में अपनी स्थिति के कारण समिति के कार्यों में प्रभावी योगदान दे सके, अध्यक्ष होगा;

(ख) एक सुरक्षा अधिकारी अथवा, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष द्वारा नामित कोई सदस्य, समिति का सचिव होगा;

(ग) जहाँ उपलब्ध हो, एक चिकित्सक;

(घ) उत्पादन, अनुरक्षण तथा अन्य विभागों से एक–एक प्रतिनिधि;

(ङ) सुरक्षा समिति में नियोक्ता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी और कुल संख्या तीस से अधिक नहीं होगी।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित सुरक्षा समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन श्रमिकों द्वारा किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) में उल्लिखित सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही अभिलेखित की जाएगी और निरीक्षक–सह–सुकारक को प्रेषित की जाएगी।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित किए जाने का अधिकार होगा—

(क) कार्यस्थल पर श्रमिकों को संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आँकड़ों तथा खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य की निगरानी से प्राप्त आँकड़ों के बारे में।

(5) उप–नियम (1) में उल्लिखित सुरक्षा समिति के कार्य और कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग करना;

(ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों से निपटना तथा उत्पन्न समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तक पहुँचना;

(ग) सभी श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करना;

(घ) शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा प्रचारात्मक गतिविधियाँ संचालित करना;

(ङ) सुरक्षा, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों, सुरक्षा ऑडिट, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजनाओं पर प्रतिवेदनों तथा उन प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर विचार–विमर्श करना;

(च) उन मामलों की जाँच करना जो श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तथा सुधारात्मक उपाय सुझाना; तथा

(छ) अपने द्वारा की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

22. खानों को छोड़कर धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सुरक्षा पदाधिकारियों की योग्यता, कर्तव्य और संख्या–

(1) कोई व्यक्ति कारखाने (वैसे कारखाने सहित जहाँ खतरनाक प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हों) और भवन या अन्य विनिर्माण कार्य से संबंधित एक सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके पास नहीं होगी –

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री और कम से कम 2 साल की अवधि का पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव या

(ii) भौतिकी या रसायन विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिग्री और 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव; या

(iii) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और 5 साल की अवधि अन्यून पर्यवेक्षी क्षमता में व्यावहारिक अनुभव है; या

(iv) औद्योगिक सुरक्षा में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखता हो; अथवा मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा आयोजित लिखित एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

परंतु यह कि ऐसी परीक्षा केवल तब तक आयोजित की जाएगी जब तक राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारक व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो।

(2) उप–नियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके पास –

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो और उसे केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, जो कारखानों, भवन या अन्य विनिर्माण कार्यों के प्रशासन से संबंधित हो, में 5 से अन्यून वर्षों का अनुभव नहीं हो और या

(ii) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो और प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, या अनुसंधान या उद्योग में या किसी संस्थान में दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में 5 से अन्यून वर्षों का पूर्णकालिक अनुभव नहीं हो, भी सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के पात्र होगा;

(3) उस कारखाने में जिसमें साधारणतः 500 या अधिक व्यक्ति नियोजित हो, में कम से कम 500 की कुल मानव शक्ति के पैमाने के आधार पर एक सुरक्षा पदाधिकारी एवं प्रति 500 से ज्यादा के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त होगा।

(4) खतरनाक प्रक्रिया जारी रखने वाले कारखाने या भवन या अन्य विनिर्माण कार्य जिसमें 250 या अधिक व्यक्ति सामान्य रूप से नियोजित हों, में 250 की कुल श्रमशक्ति तक कम से कम एक के पैमाने पर सुरक्षा पदाधिकारी (पदाधिकारी को) नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त 250 श्रमशक्ति के लिए एक अतिरिक्त।

(5) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य – (1) किसी सुरक्षा पदाधिकारी का कर्तव्य सलाह देना तथा अपनी दायित्वों, सांविधिक, व्यक्तिगत नुकसानों की रोकथाम से संबंधित को पूरा

करने में मदद करना और एक सुरक्षित कार्य वातावरण को बनाए रखना होगा और ऐसे कर्तव्यों में निम्नांकित शामिल होंगे, अर्थात–

(i) व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए योजना बनाने एवं आवश्यक उपाय करने में संबंधित विभागों को सलाह देना;

(ii) सभी नौकरी अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना, और चुनी हुई नौकरियों की विस्तृत नौकरी सुरक्षा अध्ययनों को कार्यान्वित करना;

(iii) व्यक्तिगत चोटों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई अथवा की जाने हुत प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावकारिता की जांच और मूल्यांकन करना;

(iv) संयंत्र सुरक्षा जाँच को कार्यान्वित करने से संबंधित मामलों पर सलाह देना;

(v) कार्य की भौतिक स्थितियों और कामगारों द्वारा अपनायी गई कार्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं का अवलोकन करने के लिए सयंत्र या स्थल सुरक्षा जाँच करना और कामगारों द्वारा असुरक्षित भौतिक स्थितियों को दूर करने और असुरक्षित कार्यों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;

(vi) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना

(vii) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना;

(viii) संहिता की तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों के मामलों की जांच करना;

(ix) संबंधित विभागों, अभियानों, प्रतियोगिताओं, प्रतिवादों और अन्य गतिविधियों को संघ में संगठित करना जिससे कार्य और प्रक्रियाओं की सुरक्षित स्थितियों को स्थापित करने और सांधारित करने में कामगारों के हित को विकसित और सांधारित किया जा सकेगा;

(x) व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम डिजाइन या संचालित करना;

(xi) सुरक्षा पदाधिकारी इन विनियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षा समुचित आपातकालीन योजना बनाना और उसके आवश्यकताओं को लागू करना सुनिश्चित करेगा।

(xii) सुरक्षा पदाधिकारी एक पृष्ठबद्ध पुस्तिका में उसके द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण सांधारित करेगा।

(xiii) सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य मामले में प्रबंधक की सहायता करना।

(2) किसी आपात स्थिति को छोड़कर, ऊपर विनिर्दिष्ट के अलावा कोई और कर्तव्य सुरक्षा पदाधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा।

अध्याय V

कार्य के घंटे, साप्ताहिक अवकाश एवं क्षतिपूरक अवकाश

23. धारा 25 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे–

(1) किसी भी कर्मचारी को किसी प्रतिष्ठान में एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करने के लिए न तो अपेक्षित किया जाएगा और न ही अनुमति दी जाएगी।

(2) जहाँ कोई श्रमिक दैनिक आधार पर कार्य करता है, वहाँ किसी दिन आठ घंटे (विश्राम अंतराल को छोड़कर) से अधिक किया गया कार्य अतिकाल कार्य माना जाएगा।

(3) जहाँ कोई कर्मचारी या श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में सप्ताह में छह दिन कार्य करता है, वहाँ किसी दिन आठ घंटे (विश्राम अंतराल को छोड़कर) से अधिक अथवा सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कार्य अतिकाल कार्य माना जाएगा।

(4) जहाँ कोई कर्मचारी या श्रमिक सप्ताह में पाँच दिन कार्य करता है, वहाँ किसी दिन नौ घंटे तीस मिनट (विश्राम अंतराल को छोड़कर) से अधिक अथवा सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कार्य अतिकाल कार्य माना जाएगा।

(5) जहाँ कोई कर्मचारी या श्रमिक सप्ताह में चार दिन कार्य करता है, वहाँ किसी दिन ग्यारह घंटे तीस मिनट (विश्राम अंतराल को छोड़कर) से अधिक अथवा सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कार्य अतिकाल कार्य माना जाएगा।

(6) कर्मचारी की कार्य–अवधि इस प्रकार विन्यस्त की जाएगी कि विश्राम अंतराल सहित वह किसी एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तारित न हो।

(7) कार्य–घंटों में लचीलापन, वार्ताकारी संघ/वार्ताकारी परिषद की सहमति से या उनके अनुपलब्धता में कर्मचारी/श्रमिक की सहमति से अनुमान्य होगा।

(8) छह–दिवसीय कार्य–सप्ताह में पाँच घंटे से अधिक तथा छह दिन से कम कार्य–सप्ताह में छह घंटे से अधिक लगातार कार्य करने की अनुमति किसी कर्मचारी या

श्रमिक को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे कम–से–कम आधे घंटे का विश्राम अंतराल प्राप्त न हो जाए।

(9) जहाँ किसी नियोजित व्यक्ति ने सामान्य कार्य–दिवस से कम कार्य किया हो, उसे उसके द्वारा किए गए कार्य–घंटों के अनुपात में मजदूरी दी जाएगी:

परंतु यदि उसने सामान्य कार्य–दिवस के तीन–चौथाई से अधिक कार्य किया है, तो उसे पूर्ण दिवस कार्य किया हुआ माना जाएगा।

परंतु यह भी कि जहाँ कोई श्रमिक मासिक आधार पर नियोजित है और प्रतिष्ठान राष्ट्रीय अवकाश, त्यौहार–अवकाश, श्रम दिवस या नियोक्ता के व्यक्तिगत कारणों से बंद रहता है, तो उस श्रमिक को उस माह में छब्बीस दिनों की मजदूरी दी जाएगी, सिवाय उस दिन के जिस दिन वह कार्य करने के लिए इच्छुक न हो।

24. धारा 26 के अधीन साप्ताहिक विश्राम दिवस–

(1) धारा 26 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर किसी प्रमुख स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस का उल्लेख करते हुए सूचना प्रदर्शित की जाएगी। जहाँ सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक विश्राम दिवस समान नहीं है, वहाँ सूचना में प्रत्येक पाली, समूह या व्यक्ति को अनुमत विश्राम दिवस दर्शाया जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, किसी कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक से अधिक दिन, जैसा भी मामला हो, विश्राम की अनुमति दी जाएगी (जिसे आगे "विश्राम दिवस" कहा जाएगा), जो छह–दिवसीय सप्ताह के मामले में सामान्यतः रविवार होगा तथा छह दिनों से कम के सप्ताह के मामले में शनिवार और रविवार शामिल होंगे, परंतु नियोक्ता किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए सप्ताह के अन्य किसी दिन को विश्राम दिवस के रूप में निर्धारित कर सकता है।

परंतु यह कि छह–दिवसीय कार्य सप्ताह या छह दिनों से कम कार्य सप्ताह, जैसा भी मामला हो, में सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मचारियों के लिए सवेतन विश्राम दिवस होंगे।

परंतु यह कि इस उप–नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिवस का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन छह–दिवसीय सप्ताह के मामले में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि तक कार्य किया हो और छह दिनों से कम कार्य सप्ताह के मामले में, जैसा भी लागू हो, निर्धारित कार्य–दिवसों की निरंतर अवधि तक कार्य किया हो।

परंतु यह कि कर्मचारी को विश्राम दिवस के रूप में निर्धारित दिनों तथा विश्राम दिवस में किसी भी आगामी परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व, रोजगार स्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करके अवगत कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के दूसरे उपबंध में निर्दिष्ट कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि या सप्ताह में निर्धारित कार्य–दिवसों की संख्या की गणना के उद्देश्य से–

(क) कोई भी दिन जिस दिन कर्मचारी को कार्य के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, परंतु उसे केवल उपस्थिति भत्ता दिया जाता है और कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता,

(ख) कोई भी दिन जिस दिन कर्मचारी को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान पर कामबंदी किया गया हो, तथा

(ग) कोई भी अवकाश या छुट्टी, वेतन सहित या बिना वेतन, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को छह दिनों की अवधि के दौरान या सप्ताह के निर्धारित कार्य–दिवसों की संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, विश्राम दिवस से ठीक पहले प्रदान की गई हो,

ऐसे दिन माने जाएंगे जिन पर कर्मचारी ने कार्य किया है।

(3) ऐसे किसी भी कर्मचारी से विश्राम दिवस पर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसे सप्ताह के किसी कार्य–दिवस पर, जो विश्राम दिवस से ठीक पहले या बाद में हो, पूरे दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस प्राप्त न हुआ हो या प्राप्त होने वाला न हो;

परंतु कोई भी प्रतिस्थापन ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे कर्मचारी बिना पूरे दिन के विश्राम दिवस के लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करे।

(4) जहाँ इन नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कोई कर्मचारी विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे विश्राम दिवस से पहले या बाद के पाँच दिनों में से किसी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, वहाँ साप्ताहिक कार्य घंटों की गणना के उद्देश्य से, विश्राम दिवस को उस सप्ताह में शामिल किया जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आता है।

(5) कर्मचारी को

(क) विश्राम दिवस के लिए उस दर पर मजदूरी प्रदान की जाएगी जो उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन पर लागू थी; तथा

(ख) जहाँ वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, वहाँ उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस दिन उसने कार्य किया, ओवरटाइम दर पर मजदूरी दी जाएगी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए उस दर पर मजदूरी दी जाएगी जो उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन पर लागू थी;

(6) निम्नलिखित परिस्थितियों में कारखानों तथा भवन या अन्य निर्माण कार्यों में कार्य–अवधि का विस्तार एक दिन में बारह घंटे से अधिक हो सकेगा—

(क) अत्यावश्यक मरम्मत;

(ख) प्रारंभिक या पूरक कार्य;

(ग) ऐसा कार्य जो स्वभावतः अविरत है;

(घ) तकनीकी कारणों से सतत चलने वाला कार्य;

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के निर्माण/आपूर्ति का कार्य;

(च) मौसमी कार्य;

(छ) प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर कार्य;

(ज) इंजन कक्ष या बॉयलर गृह आदि में कार्य;

(झ) मशीन खराबी के कारण कार्य;

(ञ) रेल डिब्बों या ट्रकों की लोडिंग/अनलोडिंग;

(ट) असाधारण कार्य–दबाव;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित राज्य महत्व का कार्य।

परंतु किसी कर्मचारी या श्रमिक को सात दिनों से अधिक लगातार अतिकाल कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा किसी तिमाही में कुल अतिकाल कार्य 144 घंटे से अधिक नहीं होगा। अतिकाल कार्य लिखित सहमति के अधीन होगा।

(7) **क्षतिपूरक अवकाश**—

(1) ऐसे श्रमिक के मामले को छोड़कर, जो ऐसे किसी कार्य में नियोजित हो जिसे तकनीकी कारणों से पूरे दिन निरंतर चलाया जाना आवश्यक हो, धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन दिए जाने वाले क्षतिपूरक अवकाश इस प्रकार अंतराल पर दिए जाएंगे कि एक सप्ताह में दो से अधिक क्षतिपूरक अवकाश न दिए जाएँ।

(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक उस माह की समाप्ति से पूर्व, जिसमें अवकाश नष्ट हुए हों, आगामी माह में श्रमिकों को दिए जाने वाले क्षतिपूरक अवकाशों तथा उनकी तिथियों के संबंध में एक सूचना उस स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ धारा 26 के अधीन निर्दिष्ट कार्य–अवधियों की सूचना प्रदर्शित की जाती है। क्षतिपूरक अवकाश के संबंध में उक्त सूचना में कोई भी पश्चातवर्ती परिवर्तन उस अवकाश की तिथि से कम–से–कम तीन दिन पूर्व किया जाएगा।

(3) जिस किसी क्षतिपूरक अवकाश या अवकाशों का कोई श्रमिक अधिकारी हो, वह उसे सेवा से मुक्त किए जाने या पदच्युत किए जाने से पूर्व दिया जाएगा तथा उसे सेवा से मुक्त किए जाने या पदच्युत किए जाने से पूर्व दिए जाने वाले किसी नोटिस की अवधि का भाग नहीं माना जाएगा।

(8) **धारा 27 के अधीन अतिकाल मजदूरी**—

(1) जहाँ किसी प्रतिष्ठान में कोई श्रमिक, नियम 23 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य कार्य घंटों से किसी दिन दैनिक वेतनभोगी के रूप में अधिक कार्य करता है, अथवा किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करता है, जैसी स्थिति हो, वह ऐसे ओवरटाइम कार्य के संबंध में अपनी मजदूरी की दर के दुगुने दर से मजदूरी पाने का अधिकारी होगा तथा उसे प्रत्येक वेतन अवधि के अंत में भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी दिन के ओवरटाइम की गणना करते समय, 15 मिनट से 30 मिनट के बीच के एक घंटे के अंश को 30 मिनट माना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक होने की स्थिति में उसे पूर्णांकित कर वास्तविक आधार पर एक घंटा माना जाएगा।

(3) मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक के मामले में मजदूरी या आय की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसकी मासिक मजदूरी का 1/26वाँ भाग होगी; तथा किसी अन्य श्रमिक के मामले में, जैसी स्थिति हो, वह उसकी दैनिक मजदूरी या दैनिक आय होगी।

25. **धारा 30 के अधीन कारखाने में दोहरे नियोजन पर प्रतिबंध से अपवाद की परिस्थितियाँ**—कोई भी वयस्क श्रमिक किसी भी दिन किसी कारखाने में कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुमन्य नहीं होगा जिस दिन वह पहले से किसी अन्य कारखाने में कार्य कर चुका हो, सिवाय उन मामलों के जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे।

अध्याय–VI

पंजियों, अभिलेखों तथा विवरणियों का संधारण

26. धारा 31 की उप–धारा (2) के अधीन कार्य–अवधि की सूचना—

धारा 31 की उप–धारा (2) में उल्लिखित सूचना, सूचना–पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी तथा **प्रपत्र– VII** में संधारित की जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षक–सह–सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी।

27. धारा 33 के अधीन प्रतिवेदनों, अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों का संधारण एवं प्रस्तुतिकरण–

1. प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता निम्नलिखित अभिलेख संधारित करेगा—

- कर्मचारियों का रजिस्टर **प्रपत्र– VIII** में;
- उपस्थिति–सह–मस्टर रोल का रजिस्टर **प्रपत्र– VIII (A)** में;
- वेतन, अतिकाल तथा कटौतियों का रजिस्टर **प्रपत्र– VIII (B)** में;
- वेतन पर्ची का रजिस्टर **प्रपत्र– VIII (C)** में।

इस अध्याय के अधीन रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संधारित किए जाएंगे। रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ अंग्रेज़ी या हिंदी में की जाएँगी।

प्रत्येक नियोक्ता, निरीक्षक–सह–सुकारक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष, मांग किए जाने पर अभिलेख एवं रजिस्टर प्रस्तुत करेगा।

सभी रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख, अंतिम प्रविष्टि की तिथि से पाँच कैलेंडर वर्षों की अवधि तक मूल रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।

2. प्रत्येक नियोक्ता, वेतन भुगतान की तिथि से एक दिन पूर्व, कर्मचारियों को वेतन पर्ची, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा हस्तलिखित रूप से, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 50 की उप–धारा (3) के अधीन निर्दिष्ट प्रपत्र में जारी करेगा।

ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिन्हें मजदूरी संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत रजिस्टर संधारित करना अपेक्षित है, उन संहिताओं एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नियोक्ता द्वारा संधारित

निम्नलिखित रजिस्टर एवं वेतन पर्चियाँ इन नियमों के अधीन भी संधारित मानी जाएँगी, अर्थात—

(क) कर्मचारियों का रजिस्टर;

(ख) उपस्थिति–सह–मस्टर रोल का रजिस्टर;

(ग) वेतन, अतिकाल एवं कटौतियों का रजिस्टर;

(घ) वेतन पर्ची।

3. संहिता एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संधारित किए जाने वाले सभी रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख पूर्ण एवं अद्यतन रखे जाएंगे और अन्यथा प्रावधानित न होने पर कार्यस्थल परिसर के भीतर स्थित कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में अथवा उससे तीन किलोमीटर की परिधि के भीतर रखे जाएंगे।

4. **वार्षिक प्रतिवेदन**– (क) जिस नियोक्ता पर इस संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, वह प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी तक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (संख्या 37, 2020) के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट प्रपत्र –IX एवं IXA में एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य सरकार के वेब–पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे;

परंतु निरीक्षण के दौरान निरीक्षक–सह–सुकारक, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में संधारित लेखे, पुस्तिकाएँ, रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण— इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संख्या 21, 2000) की धारा 2 के खंड (r) में निर्दिष्ट है।

(ख) यदि वह नियोजक, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिष्ठान को बेच देता है, परित्याग कर देता है अथवा उसके संचालन को बंद कर देता है, तो वह, जैसी स्थिति हो, ऐसी बिक्री या परित्याग की तिथि से एक माह के भीतर अथवा ऐसे बंद किए जाने की तिथि से चार माह के भीतर, राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन, खंड (क) में निर्दिष्ट प्रपत्र–IX एवं IXA में एक अतिरिक्त एकीकृत प्रतिवेदन, पूर्ववर्ती वर्ष

की समाप्ति से लेकर बिक्री, परित्याग या बंद किए जाने की तिथि तक की अवधि के संबंध में अपलोड करेगा।

(ग) हस्तलिखित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के मामले में, प्रविष्टियाँ स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेज़ी एवं हिंदी या बहुसंख्यक कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएँगी।

(घ) अंतिम प्रतिवेदन या प्रविष्टि की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक मूल रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे;

परंतु यदि मूल अभिलेख पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नष्ट या खो जाता है, तो उपलब्ध सत्य प्रतिलिपियाँ निर्दिष्ट अवधि तक सुरक्षित रखी जाएँगी।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक या निरीक्षक–सह–सुकारक अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष मांग किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

28. **सूचना–पट्ट का प्रदर्शन**— प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान के कार्यस्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर ऐसा सूचना–पट्ट प्रदर्शित करेगा जिसमें प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, कार्य–घंटे, वेतन–अवधि, वेतन भुगतान की तिथि, पिछले पाँच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं का विवरण, उस प्रतिष्ठान के अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक–सह–सुकारक का नाम एवं पता तथा अवैतनिक वेतन के भुगतान की तिथि, अंग्रेजी एवं हिंदी में उल्लिखित होंगे।

29. **प्रतिवेदन**— प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता, कर्मचारियों की श्रेणी, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएँ, छंटनी/ले–ऑफ, बोनस, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित **प्रपत्र– IX** में वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 1 फरवरी तक, संबंधित अधिकार क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुकारक को प्रेषित करेगा तथा उसकी प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम ब्यूरो के महानिदेशक को भेजेगा।

30. **दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर** संहिता की धारा 33 के खंड (v) के उप–खंड (अ) के अधीन अपेक्षित दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर **प्रपत्र–X** में संधारित किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा रजिस्टर प्रत्येक तीन माह में एक बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक–सह–सुकारक को संप्रेषित किया जाएगा।

31. धारा 33 के खंड (अ) के अधीन वेतन सहित अवकाश का रजिस्टर—

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में वेतन सहित अवकाश का अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मैनुअल रूप से **प्रपत्र–XI** में संधारित करेगा।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर अंतिम प्रविष्टि की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा और उस अवधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विधिवत नए रजिस्टर में स्थानांतरित न कर दिया गया हो।

अध्याय–VII

निरीक्षक–सह– सुकारक एवं अन्य प्राधिकारी

32. धारा 34 की उप धारा 5 के अर्न्तगत मुख्य निरीक्षक–सह– सुकारक की योग्यता एवं अनुभव– (1) धारा 34 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक की योग्यता एवं अनुभव राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(2) **निरीक्षण योजना–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस नियम के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रतिष्ठानों के निरीक्षण को अनिवार्य करेगी तथा प्रतिष्ठान के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर वेब–आधारित निरीक्षण योजना निर्धारित करेगी, जिसमें उनके संबंधित अधिकार–क्षेत्र के अनुसार निरीक्षण प्राधिकारियों का निर्धारण किया जाएगा।

33. धारा 35 की उप–धारा (1) के खंड (X) के अंतर्गत किन्हीं वस्तुओं अथवा पदार्थों के नमूने लेने की शक्ति–

(1) निरीक्षक–राह–सुकारक, ऑनलाइन पोर्टल के अधीन अधिदेशित निरीक्षण योजना के अनुसार अथवा किसी जाँच के मामले में, प्रतिष्ठान के नियोक्ता को सूचित करने के पश्चात, इस प्रकार से जैसा कि आगे उपबंधित है, प्रतिष्ठान में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी पदार्थ का पर्याप्त नमूना लेगा, यदि ऐसा उपयोग–

(क) निरीक्षक–सह–सुकारक के विश्वास में, संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन में हो; या

(ख) निरीक्षक–सह–सुकारक की राय में, प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी को शारीरिक क्षति या स्वास्थ्य हानि पहुँचाने की संभावना रखता हो।

(2) जहाँ निरीक्षक–सह–सुकारक उप–नियम (1) के अधीन नमूना लेता है, वहाँ वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसे उक्त उप–नियम के अधीन सूचित किया गया है, जब तक कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से अनुपस्थित न हो जाए, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा तथा उन्हें प्रभावी रूप से सीलबंद और यथोचित चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को अपना स्वयं का सील एवं चिह्न लगाने की अनुमति देगा।

(3) उक्त प्रकार से सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा अपेक्षित किया जाए, तो इस धारा के अधीन लिए गए नमूने को विभाजित, सीलबंद और चिह्नित करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुकारक—

(क) नमूने का एक भाग तत्काल उप–नियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को देगा;

(ख) नमूने का दूसरा भाग तत्काल सरकारी विश्लेषक अथवा परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) को विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु प्रेषित करेगा;

(ग) तीसरा भाग न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखेगा, जिसके समक्ष उस पदार्थ के संबंध में यदि कोई कार्यवाही संस्थित की जाए।

(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत किसी भी पदार्थ के संबंध में किसी सरकारी विश्लेषक या एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी प्रतिवेदन, उस पदार्थ के संबंध में संस्थित किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

34. धारा 35 की उप–धारा (1) के खंड (xiv) के अधीन निरीक्षक–सह–सुकारक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य–

(1) निरीक्षक–सह–सुकारक, प्रत्येक निरीक्षण या आवश्यक समझी गई जाँच के पश्चात, संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य–परिस्थितियों के प्रावधानों के अनुपालन में कमी दर्शाते हुए **प्रपत्र– XII** में निषेध या सुधार सूचना, नियोक्ता, अधिभोगी, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को जारी करेगा।

(2) प्रत्येक निरीक्षण पर निरीक्षक–सह–सुकारक यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व निरीक्षण में इंगित कमियों का किस सीमा तक निवारण किया गया है और पूर्व में जारी की गई सूचनाओं का अनुपालन किया गया है। उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई कमियाँ, और संहिता या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश अभिलेखित एवं संधारित किए जाएंगे।

(3) उपर्युक्त प्रकार से सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक–सह–सुकारक अपेक्षा करे, तो नमूने के विभाजन, सील एवं चिह्नांकन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा।

(4) निरीक्षक–सह–सुकारक–

(क) नमूने का एक भाग तत्काल उप–नियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को देगा;

(ख) नमूने का दूसरा भाग तत्काल किसी सरकारी विश्लेषक अथवा परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को विश्लेषण एवं उस पर प्रतिवेदन हेतु प्रेषित करेगा;

(ग) नमूने का तीसरा भाग उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखेगा, जिसके समक्ष, यदि कोई कार्यवाही संस्थित की जाती है, तो उस पदार्थ के संबंध में।

(5) इस धारा के अधीन विश्लेषण एवं प्रतिवेदन के लिए प्रस्तुत किसी भी पदार्थ के संबंध में किसी सरकारी विश्लेषक या एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के हस्ताक्षरित किसी भी प्रतिवेदन के रूप में अभिप्रेत दस्तावेज, उस पदार्थ के संबंध में संस्थित किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

35. धारा 37 के अधीन सूचीबद्ध किए जाने वाले विशेषज्ञों की विशेष अर्हता एवं अनुभव, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व—

धारा 37 के अधीन ऐसे स्टार्ट–अप प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए सूचीबद्ध किए जाने वाले विशेषज्ञों की विशेष अर्हता एवं अनुभव, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएंगे।

36. धारा 38 की उप–धारा (1) के खंड (ʌ) के उप–खंड (क) के अधीन वैकल्पिक नियोजन प्रदान करने की रीति—

यदि किसी व्यक्ति का नियोजन, धारा 38 की उप–धारा (1) के खंड (ʌ) के उप–खंड (क) के अधीन जारी आदेश से प्रभावित होता है, तो निरीक्षक–सह–सुकारक दखलकार को

निर्देश दे सकता है कि वह प्रभावित व्यक्ति को उसी पद एवं समान सेवा शर्तों पर अपने कारखाने या उसके नियंत्रणाधीन अन्य कारखाने में वैकल्पिक नियोजन प्रदान करे।

परंतु यह कि वैकल्पिक नियोजन के कारण प्रभावित व्यक्ति की मजदूरी में कमी नहीं की जाएगी।

37. धारा 42 की उप–धारा (1) के अधीन चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति—

(1) चिकित्सा अधिकारी ऐसा चिकित्सक होगा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (संख्या 30, 2019) में परिभाषित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता का धारक हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 35 के खंड (ग) के अधीन परिभाषित भारतीय चिकित्सा रजिस्टर तथा धारा 36, धारा 37 एवं धारा 40 के अधीन परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित हो।

(2) चिकित्सा अधिकारी व्यावसायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त छाती के रेडियोग्राफ का वर्गीकरण सम्मिलित होगा तथा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हो।

38. धारा 42 की उप–धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के तहत खतरनाक व्यवसाय या खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे अन्य प्रतिष्ठान उद्देश्य के लिए धारा 42 की उप–धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार समय–समय पर खतरनाक व्यवसायों और खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे प्रतिष्ठान को अधिसूचित कर सकती है।

39. धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के कर्त्तव्य–

(1) संहिता की धारा 42 की उप–धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर, चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा जांच हेतु तारीख, समय एवं स्थान से संबंधित पूर्व में सूचना देकर तथा ऐसी जाँच हेतु भेजे गए व्यक्ति की जांच करने पर, आयु एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रख कर उसे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक को भेजेगा।

(2) चिकित्सा पदाधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ यथा मामला, विकिरण–चिकित्सक, दंत चिकित्सक, हड्डी रोग शल्य चिकित्सक जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है।

(3) चिकित्सा पदाधिकारी राज्य सरकार के निदेशानुसार जांच करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट देगा:

(क) संहिता की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिष्ठान के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख) ऐसे किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान वर्ग के चिकित्सकीय पर्यवेक्षण के लिए जहाँ दुष्कर प्रकृति की कोई प्रक्रिया अपनायी गयी हो या कार्य की स्थिति खतरनाक हो, वहाँ पुरानी व्यावसायिक बिमारी के मामले हुए हों ;

(ग) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान वर्ग अथवा प्रतिष्ठान के विवरण के संबंध में जिसके कार्य–व्यापार में उसमें नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के स्वास्थ्य के नुकसान होने का जोखिम शामिल हो;

(घ) किसी ऐसे प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान वर्ग के व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का बीड़ा उठाना, जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके हों अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथाविहित बीमारियां प्रचलित हों।

(ङ) किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान वर्ग में नियोजन के लिए किशोर की आयु का मूल्यांकन करना तथा उपयुक्तता–प्रमाण–पत्र जारी करना।

40. धारा 43 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में महिलाओं का नियोजन– (1) महिलाओं के नियोजन हेतु किसी दिन रात्री के दौरान अथवा पूर्वाह्न 6 बजे के पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, यथा–

(क) महिला कर्मचारी की लिखित सहमति ली जाएगी;

(ख) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अंतर्गत निर्धारित प्रसूति लाभ उपबंधों के विरूद्ध किसी भी महिला को नियोजित नहीं किया जाएगा;

(ग) ऐसे कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए महिला कर्मचारी को सी०सी०टी०वी० युक्त पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(घ) महिला कर्मचारियों के शौचालय, प्रसाधन कक्ष, पेयजल अन्दर आने और बाहर जाने के शुगीते या सुविधाओं की ओर जाने के रास्तों सहित कार्यस्थल पूरी तरह प्रकाशमान होना चाहिए;

(ङ) शौचालय, प्रसाधन कक्ष तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहाँ महिला कर्मचारी नियोजित हैं; और

(च) सुरक्षित निरापद एवं स्वास्थ्य कार्य स्थिति उपलब्ध करायी जाए ताकि किसी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन से संबंधित कोई हानि न हो;

(छ) किसी कार्यस्थल पर साथ ही साथ दो से कम महिला कर्मचारी कर्त्तव्य पर तैनात नहीं होगी।

(ज) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(झ) कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के साथ–साथ कारखानें के अन्दर एवं बाहर, जहाँ महिला कामगार आवश्यकता पड़ने पर आ जा सकती है, सीसीटीवी कमरेज का प्रावधान किया जायेगा। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

(ञ) यदि राज्य सरकार उचित समझे तो रात्री पाली में कार्य करने वाली महिलाओं के नियोजन से संबंधित अन्य सुरक्षात्मक प्रावधान करने हेतु अधिसूचना निर्गत कर सकेगी।

41. **धारा 44 के अंतर्गत खतरनाक कार्य व्यापार संचालनों में महिलाओं के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा** – राज्य सरकार जोखिमभरे एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठानों के वर्ग एवं योजना तथा मानकों को अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।

अध्याय VIII

संविदा श्रम

42. **धारा 47 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति की शर्तें** –(1) संविदाकार सुनिश्चित करेगा कि:

(क) कार्य के घंटे, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 25 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप होंगे।

(ख) मजदूरी का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के अनुसार किया जाएगा।

(ग) यदि संविदाकार का संविदा कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है तो यह प्रधान नियोक्ता की जिम्मेवारी होगी कि वह शौचालय, प्रसाधन कक्ष, पेयजल, नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो, कपडे बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं या उपलब्ध करवाए और अन्य सुविधाएँ एवं हकदारियाँ संविदाकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाएँगी

(घ) यदि संविदाकार प्रधान नियोक्ता के परिसर से इतर परिसर मे कार्य कर रहा है और उस परिसर में खंड (ग) में उल्लिखित प्रयोजन मूलक साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं तो संविदा कामगार शौचालय, प्रसाधन कक्ष, पेयजल, नहाने की सुविधा (यदि अपेक्षित हो), कपड़े बदलने के कक्ष एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। सभी अन्य मामलों में अधिनियम के अधीन सभी सुविधाएं एवं उपयोगी वस्तुएं संविदाकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी।

43. धारा 48 की उपधारा (1) के अंतर्गत संविदाकार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन फारम एवं आवेदन की रीति –

(1) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु किसी संविदाकार द्वारा प्रत्येक आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को **प्रपत्र–XIII** में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑन लाईन किया जाएगा।

(2) **संविदाकार हेतु अनुज्ञप्ति–**

(1) यदि कोई संविदाकार :–

(i) संविदा श्रमिकों की आपूर्ति करने या काम पर लगाने के लिए

(ii) धारा 47 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन संविदा कार्य को हाथ में लेने या निष्पादित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो तब उसे राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास **प्रपत्र–XIII** में ऑन लाईन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करना चाहिए।

(2) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन इस संहिता की धारा 119 की उप–धारा (1) के अंतर्गत इसकी ओर से अधिसूचित प्राधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति के प्रपत्र निबंधन एवं शर्तें–

(1) जारी की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति **प्रपत्र–XIV** में होगी।

(2) जारी की गयी अथवा नवीकरण की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, यथा;

(i) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी;

(ii) संविदाकार द्वारा, संविदा श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से किसी दिन अधिक नहीं होगी;

(iii) इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, अनुज्ञप्ति के जारी करने नवीकृत करने हेतु भुगतान की गई फीस, यथा मामला, अप्रत्यर्पणीय होगी;

(iv) संविदाकार, द्वारा कामगारों को भुगतेय मजदूरी की मजदूरी वेतन संहिता, 2019 के अधीन विहित दरों से कम नहीं होगीं तथा जहाँ सहमति, परिनिर्धारण अथवा पंचाट द्वारा मजदूरी की उच्च दरें निर्धारित की गई हों, वहाँ ये दरें इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी।

44. धारा 48 की उप–धारा (2) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया–

(1) इन नियमों में से किसी नियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले, संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए 1000/– रूपये की दर से गणना की गई राशि की सिक्युरीटी डिपोजिट (बैंक गारंटी के रूप में), जिनके संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा जमा की जाएगी तथा संहिता के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क नीचे तालिका में यथा विनिर्दिष्ट होगा, अर्थात:–

क्र०सं०	संविदा श्रमिकों की संख्या	शुल्क
क)	49 संविदा श्रमिकों तक अनुज्ञप्ति आवश्कता नहीं है	शून्य
ख)	50 से 100 संविदा श्रमिकों तक के लिए	1000 रूपये
ग)	101 से 300 संविदा श्रमिकों तक के लिए	2000 रूपये
घ)	301 से 500 संविदा श्रमिकों तक के लिए	3000 रूपये
ङ)	501 से 1000 संविदा श्रमिकों तक के लिए	5000 रूपये
च)	1001 से 5000 संविदा श्रमिकों तक के लिए	10000 रूपये
छ)	5001 से 10000 संविदा श्रमिकों तक के लिए	20000 रूपये
ज)	10001 से 20000 संविदा श्रमिकों तक के लिए	30000 रूपये
झ)	20001 से अधिक संविदा श्रमिकों के लिए	40000 रूपये

45. **धारा 48 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति का नवीकरण**–(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक संविदाकार अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास ऑन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन उक्त पोर्टल पर अनुज्ञप्ति अवधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले जमा किया जाएगा परन्तु यह आवेदन अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आदेय शुल्क एवं प्रतिभूति जमा वही होंगे जो नियम 47 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए हैं।

परन्तु यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नवीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा। परंतु लाईसेंस की वैधता समाप्त होने के एक वर्ष के बाद लाईसेंस का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा।

(4) 30 दिन के अंदर अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

46. **प्रतिभूति जमा की वापसी–** (1) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर, यदि संविदाकार अपने अनुज्ञप्ति को आगे नवीकृत करने का इरादा नहीं रखता है, तो उसके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति (बैंक गारंटी के रूप में) की वापसी के लिए वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन अनुज्ञप्ति की प्रति एवं कार्य पूरा करने की सूचना तथा बैंक विवरण, जिसमें राशि का जमा किया जाना अपेक्षित है, के साथ दे।

(2) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या प्रतिभूति जमा या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को सुरक्षा जमा की वापसी का निदेश देगा।

(3) यदि प्रतिभूति जमा के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को प्रतिभूति जमा से काट लिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो संविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

(4) वापसी के लिए किसी आवेदन का निष्पादन, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

47. **धारा 48 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत ठेकेदार की जवाबदेही–** (1) संविदाकार द्वारा कामगारों को देय मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता 2019 (2019 का 29) के अन्तर्गत निर्धारित दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें करार, निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई है, वहां इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

(2) उस स्थिति में जहाँ संविदाकार द्वारा नियोजित कामगार प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगार अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं, वहां संविदाकार के कामगारों के लिए मजदूरी दर, छुट्टियां, काम के घंटें और कामगारों की अन्य सेवा शर्तें प्रतिष्ठान के प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए सीधे काम पर रखे गए कामगारों के समान होगी। किसी भी विवाद के मामले में कि क्या कार्य समान प्रकार का है, मामले का निर्णय के लिए निरीक्षक–सह–सुकारक के पास भेजा जाएगा, जिसका फैसला आखरी होगा।

(3) अन्य मामले में, संविदाकार के श्रमिकों की मजदूरी की दरे, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें संहिता और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

(4) सभी संविदा श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत अनुप्रयोज्यता के अध्यधीन ईपीएफओ और ईएसआईसी के सदस्य बनाया जाएगा।

(5) संविदाकार श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक रूप से देगा ।

48. धारा 50 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना के लिए कार्यादेश की सूचना एवं समय सीमा और उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति को स्थगित अथवा रद्द करने की रीति :–

(1) प्रत्येक प्रधान नियोक्ता एवं संविदाकार संविदा कार्यादेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर संविदा कार्यादेश के बारे में सूचित करेगा जिसमें प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहाँ काम प्रारंभ किया जा रहा है, संविदा कार्य के शुरू होने की तिथि, उस कार्यादेश के अन्तर्गत नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या, कार्यादेशों की अवधि जैसे विवरण शामिल होंगे।

(2) कार्यादेश का विवरण संविदाकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा।

(3) सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(4) ऐसी स्थिति में जब संविदाकार प्राधिकार को धारा 50 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना देने में असफल रहता है तो अभिहित प्राधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को कारण बताने का अवसर देने के बाद उसके अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द कर सकेगा और इसकी सूचना इलेक्ट्रानिक रूप से या दूसरे रूप में दे सकेगा।

49. धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपील: संहिता की धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी को धारा 119 की उपधारा (6) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

50. धारा 55 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अन्तर्गत वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी–

(1) संविदाकार मजदूरी की अवधि तय करेगा जिसके संदर्भ में मजदूरी देय होगा और कोई मजदूरी अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी प्रतिष्ठान में या किसी संविदाकार द्वारा एक संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा, जिसके संदर्भ में वेतन देय है।

(3) मजदूरी का भुगतान केवल बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा।

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ उप–नियम (3) में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भुगतान करना संभव न हो, ठेकेदार संबंधित अधिकार–क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त से उस विधि के संबंध में अनुमति प्राप्त करेगा जिसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

51. **धारा 55 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रतिभूति जमा राशि से मजदूरी का भुगतान–**

यदि संविदाकार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित संविदा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो श्रमायुक्त, बिहार या उसके प्रतिनिधि या यथा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा संविदाकार को सुनने के पश्चात् ऐसी राशि का, यदि कोई हो, संविदाकार द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में जमा की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। संविदाकार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षा राशि को फिर से जमा करेगा अन्यथा अनुज्ञप्ति निलंबित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

52. **धारा 56 के अन्तर्गत अनुभव प्रमाण पत्र–** प्रत्येक संबंधित संविदाकार मांगे जाने पर संविदा श्रमिकों को **प्रपत्र–XV** में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे संविदा श्रमिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल किये गये अनुभव, निष्पादित कार्य, अवधि के विवरण दिये जाएंगे।

53. **धारा 57 की उप–धारा (2) के खंड (ख) एवं खंड (ग) के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों के नियोजन का निषेध–**यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्रतिष्ठान की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि है या अन्यथा, तो पीड़ित पक्ष श्रमायुक्त, बिहार को सहायक दस्तावेजों के साथ कारण बताकर एक आवेदन कर सकता है एवं राज्य सरकार तदनुसार ऐसे प्रश्न का समाधान करेगी।

अध्याय IX

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार

54. धारा 61 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार को यात्रा भत्ता– नियोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं) या बस से या किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आने एवं जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, यथाः यदि उसने पूर्ववर्ती बारह माह में संबंधित प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) में कम से कम 180 दिन की अवधि तक काम किया है;

परन्तु अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को यात्रा भत्ता बारह महीनों में एक बार दिया जाएगा। यदि रोजगार की अवधि के बीच में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर, नियोक्ता जहाँ अंतर्राज्यीय कामगार अब काम कर रहा है और इस तरह के कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी अवधि सहित पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ अस्सी दिन पूरे कर लिये हैं, तो नियोक्ता यात्रा भत्ता देगा।

55. धारा 63 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करना– बिहार सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की पृच्छाओं शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल–फ्री हेल्प–लाइन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियम के उद्देश्य के लिए कोई भी मौजूदा टोल–फ्री हेल्प–लाइन नंबर या नया टोल–फ्री हेल्प–लाइन नंबर राज्य सरकार अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

56. धारा 64 के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों का अध्ययन– राज्य सरकार अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में शामिल केन्द्र सरकार या विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान या राज्य के किसी ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का सहयोग ले सकती है, जो श्रम के क्षेत्र में कार्यरत है।

अध्याय X

श्रव्य–दृश्य कामगार

57. धारा 66 की उप–धारा (2) के खंड (क) के अन्तर्गत श्रव्य–दृश्य कामगारों के लिए करार– (1) निर्माता के साथ श्रव्य–दृश्य कामगारों के लिए करार का प्रारूप **प्रपत्र–XVI** में दिया गया है।

(2) करार राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जाएगा।

58. प्राधिकार जिसके पास धारा 66 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निर्माता द्वारा करार की प्रति भेजी जाएगी– धारा 66 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निर्माता द्वारा करार की प्रति राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।

59. धारा 66 की उप–धारा (4) के खंड (VII) के प्रयोजनार्थ विवादों को किसी सुलह पदाधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को भेजने की प्रक्रिया–विवाद को सुलह पदाधिकारी या किसी न्यायाधिकरण के पास भेजने की प्रक्रिया औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अनुरूप होगी।

अध्याय XI

बीड़ी और सिगार कामगार

60. धारा 74 के अन्तर्गत आवेदन का प्रारूप, शुल्कों का भुगतान, योजना तैयार करने की रीति– (1) किसी भी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में बीड़ी अथवा सिगार अथवा दोनों के निर्माण उपयोग करने या अनुमति देने के लिए प्रत्येक आवेदन **प्रपत्र– XVII** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा। ।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दिये जायेंगे–यथा:

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड की गयी योजनाएँ, जो प्रदर्शित करती हैं:–

(i) ऐसी जगह या परिसर स्थल, जिसके भीतर का क्षेत्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला है और ऐसी जगह या परिसर के आसन्न सन्निकट इमारतों, संरचनाओं, सड़कों, नालियों एवं ऐसी ही चीजों सहित पास–पड़ोस; तथा

(ii) योजना, उन्नयन और आवश्यक अनुप्रस्थ–परिच्छेद, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था के विवरण, संवातन, आग लगने की स्थिति में पलायन के साधन, उपयोग में लाये गये संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, निर्माण प्रक्रियाओं के लिए जिनके उपयोग में लाने का इरादा हो उससे संबंधित विभिन्न इमारतों के गलियारे और रास्ते;

(3) **प्रपत्र– XVIII** में अनुज्ञप्ति देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह भी ध्यान रखेगा कि क्या किसी औद्योगिक परिसर स्थल को बदल दिया जाना प्रस्तावित है, या आवेदक द्वारा श्रम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी औद्योगिक परिसर को बारह महीने की अवधि में आवेदन के तुरंत पूर्व बंद कर दिया गया है।

(4) धारा 74 की उप–धारा (2) के प्रयोजनार्थ आवेदन प्रतिष्ठान के खुलने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीस दिन पहले किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट किया जाएगा यथा;

क्र० सं०	**अनुज्ञप्ति दिए जाने या नवीकृत किए जाने की अवधि के लिए किसी भी दिन नियोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या**	शुल्क
क	10 कर्मचारी तक के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यक नहीं है	शून्य
ख	10 लेकिन 50 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 100
ग	51 लेकिन 100 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 250
घ	101 लेकिन 250 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 500
ङ	251 लेकिन 500 कर्मचारियों से अधिक नहीं	रू० 750
च	501 और अधिक कर्मचारी	रू० 1000

(6) अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकार अनुज्ञप्ति देने से पहले धारा 74 की उप–धारा (4) के खंड (ख) से (ङ.) के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखेगा।

61. धारा 75 के अन्तर्गत अपील करने का समय और शुल्क – (i) धारा 119 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश के खिलाफ इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) अपीलीय पदाधिकारी अपील स्वीकार करेगा, इसे मानेगा और इस तरह के अपील की स्वीकृति की सूचना देगा और जिसे अपील पंजी कहा जाता है, उसके प्रयोजनार्थ रखे जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपील को पंजीकृत करेगा।

(iii) जब अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो अपीलीय पदाधिकारी अपील की सूचना उस प्राधिकार को भेजेगा, जिसके आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई है और प्राधिकारी उस पर उस मामले के अभिलेखों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलीय पदाधिकारी के पास भेजेगा।

(iv) अपीलीय पदाधिकारी अपील प्राप्त होने पर, अपील की सुनवाई के लिए (भेजी जानेवाली) सूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी तिथि एवं समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप के या पंजीकृत डाक में एक सूचना भेजेगा।

(v) अपीलीय पदाधिकारी अपील के दाखिल होने की तिथि से 60 से अनधिक दिनों के भीतर अपील पर एक सुविवेचित आदेश द्वारा निर्णय करेगा।

(vi) अपीलीय पदाधिकारी के आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या अपीलकर्ता को प्रेषित किया जाएगा और इसकी प्रतिलिपि उस पंजीकरण पदाधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील को प्राथमिकता दी गयी है और अपील प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

(vii) अपील के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

62. कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन प्रपत्र एवं धारा 76 की उप–धारा (1) के अधीन शर्तें :– नियोक्ता ऐसे कर्मचारी की ओर से, जो औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी अथवा सिगार अथवा दोनों के निर्माण हेतु काम करना चाहता है, **प्रपत्र– XIX** में

संबंधित प्राधिकारी के पास अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्रपत्र-XIX** में आवेदन करेगा तथा अभिलेख का रख रखाव **प्रपत्र– XX** में करेगा।

63. धारा 76 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत कार्याभिलेख संधारित रखने का प्रपत्र– प्रत्येक नियोक्ता **प्रपत्र– XXI** में प्रत्येक गृह–मजदूर को दो किताबें मुफ्त प्रदान करेगा (इसमें इसके बाद इसे गृह–मजदूर लॉग बुक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) और गृह मजदूर उसके द्वारा किए गए दैनिक कार्य, उसके द्वारा निर्मित बीड़ी और सिगार की संख्या और उसके द्वारा प्राप्त मजदूरी का एक अभिलेख उस कथित पुस्तक में रखेगा और पुस्तक की आपूर्ति की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि नियोक्ता द्वारा कच्चे माल की दो लगातार आपूर्तियों के बीच की अवधि के दरम्यान गृह–मजदूर के पास एक पुस्तक हमेशा रहे।

अध्याय XII

कारखाना

64. धारा 79 की उप–धारा (1) के अधीन कारखाना या कारखानों के वर्ग एवं विवरण से संबंधित नियमावली :–

(1) योजनाओं का प्रस्तुतीकरण– राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को संहिता के प्रयोजनार्थ, किसी भी कारखाने की योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जो या तो संहिता के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में थी या जिसका निर्माण या विस्तार तब से नहीं हुआ है। ऐसी योजनाएँ निम्न पैमाने दर्शाने के लिए तैयार की जाएँगी —

(क) कारखाने का स्थल, साथ ही सभी कोनों और आसपास के अक्षांश और देशांतर, जिसमें आस–पास की इमारतें और अन्य संरचनाएं, सड़कें, नालियां आदि शामिल हैं;

(ख) कारखाने के भवनों की योजना, उन्नयन और आवश्यक अनुप्रस्थ–परिच्छेद, जो प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवाहन और आग के मामले में बचने के साधन, और संयंत्र और मशीनरी की स्थिति गलियारों और मार्गों से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरणों को इंगित करता है और

(ग) राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथा अपेक्षित इस तरह के अन्य विवरण।

(2) योजनाओं का अनुमोदन–

(i) जब तक राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक कारखाने के स्थान के लिए किसी भी स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा या कारखाने में किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार या उपयोग किसी कारखाने या कारखाने के हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा, या संयंत्र या मशीनरी का कोई अन्य विस्तार नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसी अनुमति के लिए आवेदन **प्रपत्र– XXII** में किया जाएगा और उसके साथ प्रपत्र में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से रहेंगे।

(iii) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारकइस बात से संतुष्ट है कि योजनाएँ संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, तो वह उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें अनुमोदित कर सकता है; या वह ऐसे अन्य विवरणों की मांग कर सकता है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाने वाली ऐसी स्वीकृति को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(iv) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक की राय है कि उप–नियम (ii) के अन्तर्गत संलग्न की गयी योजना संहिता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, या यदि वह पाता है कि अनुमोदन के किसी शर्त को विनिर्दिष्ट करना ठीक या व्यावहारिक रहेगा, जिसमें पूर्व के अनुमोदनों को रद्द करने या परिवर्तित करने से संबंधित शर्तें शामिल होगी, तो वह, आवेदक को सुनने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन, योजनाओं को या तो अनुमोदित करते हुए या जिस अनुमति के लिए आवेदन किया गया है उससे इनकार करते हुए आवेदक को ऑन लाइन के माध्यम से एक सवाक आदेश भेजेगा।

(v) यदि आवेदक ने जिस दिन आवेदन ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किया गया है, उस तिथि से तीस दिनों के भीतर यदि कोई आदेश भेजा नहीं जाता है, तो अनुमति के लिए किया गया आवेदन स्वीकृत माना जाएगा और स्वीकृत माने गये अनुमोदन का प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया जाएगा।

(3) स्थिरता का प्रमाण पत्र :–किसी कारखाने के ऐसे भवन में, जो निर्मित, पुनर्निर्मित या विस्तारित किया गया हो, अथवा ऐसे किसी भवन में जिसे कारखाने या कारखाने के भाग के रूप में उपयोग में लिया गया हो, कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया तब तक संचालित

नहीं की जाएगी, जब तक कि संहिता की धारा 2(l) में परिभाषित सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त न हो जाए तथा उसे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधादाता द्वारा स्वीकार न कर लिया गया हो।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन – प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को कारखाने के पंजीकरण और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए **प्रपत्र– XXIII** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु इस नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि को कारखाने के रूप में प्रयुक्त परिसर का अधिभोगी इस नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से छः माह के भीतर ऐसा आवेदन जमा करेगा।

(5) अनुज्ञप्ति प्रदान करना–

(i) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी किसी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विहित **प्रपत्र– XXIII** में **अनुसूची III** के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के साथ अपलोड करेगा।

(ii) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, किसी कारखाने में किसी विनिर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भ किए जाने से कम–से–कम पंद्रह दिन पूर्व, अनुसूची–III के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क के ऑनलाइन भुगतान सहित, कारखाना चलाने हेतु **प्रपत्र– XXIII** में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन उस क्षेत्र के कारखानों के निरीक्षक–सह–सुविधादाता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है। उक्त निरीक्षक–सह–सुविधादाता, विवरणों की सत्यता के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जाँच करने के उपरांत तथा विनिर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधादाता, कारखानों की स्वीकृति से, प्रपत्र संख्या स्पष्ट में ऐसे नियमों एवं शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाएँ।

(iii) निरीक्षक–सह–सुकारक अनुज्ञप्ति के आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी या किसी प्रावधान के उल्लंघन होने पर आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, सबाक आदेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इनकार कर सकता है:

परन्तु अधिष्ठाता ने उप नियम (ii)(क) के अधीन जिस तिथि को सूचना भेजी है उसके 30 दिनों के भीतर यदि अधिष्ठाता को कोई आदेश नहीं भेजा जाता तो यह मान लिया जाएगा कि अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है और तब तत्काल अनुज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।

(iv) यदि उप–नियम (iii) के अनुसार अनुज्ञप्ति देने से इनकार नहीं किया गया है, तो निरीक्षक **प्रपत्र– XXIV** में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुज्ञप्ति भेजेगा।

(v) प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति स्थायी है और विधिवत् रद्द होने तक 10 वर्ष तक वैध रहेगी।

(6) अनुज्ञप्ति का स्वतः नवीनीकरण–

(i) प्रारंभ में अनुज्ञप्ति 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी और इसके बाद एक बार में अधिकतम दस वर्षों के लिए और अनुसूची–II के अनुसार विहित शुल्क भुगतान करने के अध्यधीन आवेदित वर्षों की संख्या के लिए स्वतः नवीकृत होगी। बशर्ते कि कारखाना सुरक्षा मार्गदर्शकों को पूरा करता हो।

(ii) यदि लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन 30 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है, तो रिन्यूअल के लिए तय लेट फीस, तय फीस का 50% होगी और लाइसेंस खत्म होने के 90 दिनों के बाद, रिन्यूअल के लिए तय लेट फीस, तय फीस का 100% होगी।

(iii) अगर लाइसेंस खत्म होने के 02 साल के अंदर लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा।

(7) अनुज्ञप्ति का संशोधन–

(i) किसी कारखाने का अधिभोगी, नाम में किसी परिवर्तन, स्थापित अधिकतम शक्ति के विवरण में परिवर्तन, नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या में परिवर्तन, अथवा विद्यमान अनुज्ञप्ति में किसी अन्य परिवर्तन की घटना होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, किए जाने वाले संशोधन की प्रकृति तथा उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, विहित शुल्क के ऑनलाइन भुगतान सहित, संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक–सह–सुकारक को **प्रपत्र–XXV** में अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(ii) जब नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो अथवा स्थापित मशीनरी एवं संयंत्रों की निर्धारित क्षमता में, स्थापित एच.पी. या के.डब्ल्यू. के आधार पर, ऐसी वृद्धि हो जिससे अनुज्ञप्ति के लिए देय शुल्क की राशि, पूर्व में भुगतान किए गए शुल्क की तुलना में बढ जाती हो, अथवा पहले से प्रदत्त या नवीनीकृत अनुज्ञप्ति में संशोधन आवश्यक करने वाला कोई अन्य परिवर्तन हो, तो कारखाने का अधिभोगी, जैसी स्थिति हो, ऐसी वृद्धि या परिवर्तन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, कारखानों के निरीक्षक–सह–सुकारक को **प्रपत्र–XXV** में अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपेक्षित संशोधन की प्रकृति तथा उसके कारणों का उल्लेख होगा।

(iii) अनुज्ञप्ति के संशोधन हेतु शुल्क पाँच सौ रुपये होगा।

परंतु यह कि जब नियोजित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो अथवा स्थापित मशीनरी एवं संयंत्रों की निर्धारित क्षमता में, स्थापित H.P या K.W. के आधार पर, ऐसी वृद्धि हो जिससे अनुज्ञप्ति के लिए देय शुल्क की राशि, पूर्व में भुगतान किए गए शुल्क की तुलना में बढ जाती हो, तब अनुज्ञप्ति संशोधन का शुल्क पाँच सौ रुपये तथा उस अतिरिक्त राशि के बराबर होगा, जितनी राशि वह शुल्क होता जो अनुज्ञप्ति यदि मूलतः संशोधित रूप में जारी की गई होती तो देय होता, और जो मूलतः भुगतान किए गए अनुज्ञप्ति शुल्क से अधिक है।

(iv) पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्ति, श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन या वृद्धि, स्थापित क्षमता में वृद्धि, अथवा उपर्युक्त किसी अन्य परिवर्तन के पश्चात वैध नहीं रहेगी, जब तक कि अधिभोगी ने उक्त परिवर्तन या वृद्धि की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर, इन नियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपेक्षित शुल्क का भुगतान न कर दिया हो।

(v) यह भी उपबंधित है कि ऐसी किसी अनुज्ञप्ति का संशोधन मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा नहीं किया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति का अंतरण– (i) किसी अनुज्ञप्ति को एक स्वामी या अधिभोगी से कारखाने के किसी अनुवर्ती के लिए अंतरित किया जा सकता है और अंतरित करने वाले व्यक्ति **प्रपत्र– XXVI** में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को अपलोड करेंगे, जिसमें अंतरण शुल्क एवं उसमें उल्लेखित दस्तावेज शामिल होंगे। जब तक कि आवेदन को अपलोड करने की

तिथि से तीस कार्य दिवसों के भीतर लिखित सवाक आदेश द्वारा आदेश को अस्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह के आवेदन को अंतरित माना जाएगा।

(ii) विहित शुल्क समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या विकलांगता पर प्रक्रिया**–यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के व्यवसाय को आगे ले जाने वाला व्यक्ति अनुज्ञप्ति द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए, ऐसे किसी समय में संहिता के अन्तर्गत दंड के लिए भागी नहीं होगा जो उसे मूल अनुज्ञप्ति के अनवरानित भाग हेतु नियम 67 (6) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए अपने नाम से आवेदन करने की उचित अनुमति देता है।

(9) शुल्कों का भुगतान :– (i) इस नियमावली के अधीन प्रत्येक आवेदन ऑनलाइन माध्यम में उचित फीस के साथ होगा।

(ii) यदि कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो भुगतान किया गया शुल्क आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा।

(10) बिना वैध अनुज्ञप्ति के बिना परिसर के कारखाने के रूप में उपयोग पर मनाही–कोई अधिष्ठाता किसी परिसर का उपयोग कारखाने के रूप में तब तक नहीं करेगा या किसी कारखाने में किसी निर्माण प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि इस तरह के परिसर के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी नहीं दिया जाता।

65. धारा 79 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आवेदन जमा करने की विधि– अनुमति के लिए आवेदन योजनाओं और नियमावली द्वारा अपेक्षित नियमानुसार आवश्यक विनिर्देशों के साथ होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा और यदि कोई आदेश आवेदक को ऐसी अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, जो तीस दिनों से अधिक नहीं है, तो अनुमति के लिए किये गये ऐसे आवेदन को स्वीकृत माना जायेगा।

66. धारा 80 के अन्तर्गत परिसर के स्वामी एवं कारखानों के अधिभोगियों के संयुक्त दायितव हेतु सामान्य सुविधाएँ तथा सेवाएँ – (i) परिसर के स्वामियों और कारखानों के अधिभोगियों संयुक्त दायित्व में सामान्य सुविधाओं में सुरक्षा, आग की रोकथाम

एवं बचाव, पहुंच, स्वच्छता, व्यावसायिक स्वास्थ्य, संवातन, तापमान, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, कैंटीन, आश्रय, विश्राम कक्ष और शिशुसदन शामिल होंगे।

(ii) संयुक्त दायित्व में कारखानों के परिसर के स्वामी और कारखानों के अधिभोगियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जा सकती हैं।

67. खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं या संचालन के लिए धारा 82 के अन्तर्गत नियम – (i) निम्निलिखित विनिर्माण प्रक्रिया या कार्रवाईयाँ जब किसी कारखाने में चलायी जाती है तो उन्हें धारा 82 के अन्तर्गत खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन घोषित किया जाता है:

(I) वातित जल का विनिर्माण तथा उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(II) अन्य क्रोमियम यौगिकों के क्रोमिक अम्ल रखने वाले किसी विद्युत–अपघट्य के उपयोग द्वारा धातु के वस्तुओं पर विद्युत–अपघटनी परत चढ़ाना या ऑक्सीकरण,

(III) विद्युत संचय यंत्र का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मत;

(IV) काँच विनिर्माण,

(V) धातुओं की पिसाई या पालिश;

(VI) सीसे तथा सीसे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन;

(VII) पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन;

(VIII) अति–ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैसें;

(IX) कच्ची खालों या चमड़ों का लाइमिंग तथा उनको कमाना और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ

(X) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउण्ड्री में की जाने वाली शीशे की प्रक्रियाएँ ;

(XI) रासायनिक कार्य;

(XII) मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण;

(XIII) जल के विद्युद्विच्छेदन द्वारा आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न;

(XIV) दाबयुक्त वायु या वाष्प के झकोरे से प्रणोदित रेत धातु के छर्रों या बजरी या अन्य अपघर्षक की तेज बौछार से वस्तुओं को साफ या चिकना या रूखड़ा करना आदि;

(XV) एस्बेस्टस को संचालित तथा प्रसंस्कृत करना, एस्बेस्टस की किसी वस्तु का निर्माण और निर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा जिनमें किसी रूप में एस्बेस्टस का प्रयोग होता है;

(XVI) संक्षारक पदार्थों का संचालन या छलसाधन;

(XVII) उच्च ताप सहने वाले पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण;

(XVIII) विलायक निष्कर्षण संयंत्र;

(XIX) कार्बन डाय सल्फाईड संयंत्र;

(XX) मैगनीज और उसके यौगिकों का निर्माण या अभिचालन;

(XXI) बैन्जीन या बैन्जीनयुत पदार्थों का निर्माण संचालन या उपयोग करने वाले कारखानों में लागू होगा;

(XXII) स्लेट पेन्सिलों का निर्माण;

(XXIII) खतरनाक कीटनाशकों का निर्माण या अभिचालन;

(XXIV) कारसिनोजिन युक्त रंग मध्यवर्तियों का निर्माण या अभिचालन;

(XXV) उच्च शोर स्तर की संक्रियाएँ;

(XXVI) विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का निर्माण;

(XXVII) ढलाई घर की संक्रियाएँ।

(XXVIII) पत्थर या फ्री सिलिका वाले किसी दूसरे मटीरियल का ट्रांसफॉर्मेशन।

(ii) **अनुसूची–IV** में विनिर्दिष्ट प्रावधान किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों पर लागू होंगे जिनमें खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाएं या प्रत्येक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संक्रियाएँ संचालित की जाती है।

(iii) (क) इस नियम की **अनुसूची–IV** में यथा अपेक्षित श्रमिकों की **चिकित्सा जाँच योग्य** चिकित्सक द्वारा किया जायेगा और चिकित्सा जाँच के लिए शुल्क का भुगतान अधिष्ठाता द्वारा किया जाएगा।

(ख) खतरनाक संक्रिया में किसी व्यक्ति के नियोजित करने से पहले उस व्यक्ति की चिकित्सा जाँच की जाएगी और उसके बाद समय–समय पर योग्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी जांच की जाएगी लेकिन इसमें छह महीने से अधिक की देरी नहीं की जाएगी।

(iv) इस नियम में संबद्ध **अनुसूची–IV** में विनिर्दिष्ट प्रावधान के बावजूद निरीक्षक, प्रबंधक या अधिष्ठाता या दोनों को लिखित में आदेश द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियों को हटाने या किसी भी प्रक्रिया को निलंबित करने की दृष्टि से, ऐसे समय के भीतर, ऐसे उपाय करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जहाँ निरीक्षक की राय में ऐसी प्रक्रिया से जहर या विषाक्तता का महत्त्वपूर्ण खतरा हो।

(v) **अनुसूची–IV** के अन्तर्गत किसी श्रमिक के लिए वांछित चिकित्सीय जाँच से संबंधित कोई पंजी अथवा रिकार्ड को निरीक्षक–सह–सुकारक के लिए तैयार रखा जाएगा एवं उस श्रमिक के उस कारखाने में नियोजित नहीं रहने के एक वर्ष बाद तक संरक्षित रखा जाएगा।

68. धारा 83 की उप–धारा (1) के तहत स्थल मूल्यांकन समिति

(i) गठन:

(क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक स्थल मूल्यांकन समिति का गठन कर सकती है और आवश्यकतानुसार समय–समय पर समिति का पुनर्गठन कर सकती है, जो इस प्रकार होगी:

मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक – अध्यक्ष

राज्य सरकार के अग्निशमन सेवा का एक प्रतिनिधि

राज्य के उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि

महानिदेशक कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान, बॉम्बे या क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक प्रतिनिधि

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का एक प्रतिनिधि

संबंधित क्षेत्र का निरीक्षक–सह–सुकारक – सदस्य

केमिकल इंजीनियरिंग की योग्यता रखने वाला निरीक्षक–सह–सुकराक – समिति का सचिव

(ख) समिति स्थल निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि को भी साथ में रख सकती है।

(ii) कोई भी सदस्य, जब तक कि किसी नियम द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता न हो, अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में अन्यथा किसी भी समय विनिर्माण या वाणिज्यिक व्यवसाय या किसी भी कार्य प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करेगा, जो इस समिति के सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान उसके संज्ञान में आई हो।

(iii) स्थलों के मूल्यांकन के लिए आवेदन:

(क) संहिता की धारा 2(za) के तहत आने वाले कारखानों के संबंध में स्थलों के मूल्यांकन के लिए **प्रपत्र– XXVII** में आवेदन श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे, जो इसे तुरंत स्थल मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करेगा।

(iv) समिति के कार्य:

(क) सदस्य सचिव, स्थल मूल्यांकन के लिए प्राप्त आवेदनों को एक अलग रजिस्टर में पंजीकृत करने की व्यवस्था करेगा और 7 दिनों की अवधि के भीतर उसकी पावती देगा।

(ख) सदस्य सचिव बैठक इस प्रकार तय करेगा कि प्राप्त और पंजीकृत सभी आवेदनों को उनकी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर समिति के पास भेज दिया जाए।

(ग) समिति आवेदनों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य के लिए एक प्रक्रिया अपना सकती है।

(घ) समिति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थिति और प्रक्रियाओं एवं संचालन को जारी रखने के निषेध और प्रतिबंधों के संदर्भ में स्थल के मूल्यांकन हेतु आवेदन की जांच करेगी।

(ङ) समिति आवश्यकता होने पर दस्तावेजों को मंगवा सकती है, विशेषज्ञों की जांच कर सकती है, यदि आवश्यक हो तो स्थल का निरीक्षण कर सकती है और स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अपना विचार तैयार करने के लिए अन्य कदम उठा सकती है।

(ध) जहाँ भी प्रस्तावित स्थल के लिए उद्योग मंत्रालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी की आवश्यकता होती है, वहां स्थल मूल्यांकन के आवेदन पर स्थल मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

69. धारा 84 की उप–धारा (1) के तहत किसी कारखाना के मालिक द्वारा जानकारी देने का तरीका;

(क) कर्मचारियों को जानकारी देना (1) 'खतरनाक प्रक्रिया' चलाने वाली कारखाना का मालिक सभी कर्मचारियों को निर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रियाओं में खतरनाक सामग्री या पदार्थों को संभालने के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देगा;

(क) कोड की धारा 84(1) की आवश्यकताएं;

(ख) कारखाना में की जाने वाली 'खतरनाक प्रक्रियाओं' की सूची

(ग) अनुसूची V के अनुसार सभी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का स्थान और उपलब्धता;

(घ) पदार्थों के संपर्क में आने या उन्हें संभालने से होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे;

(ङ) शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मालिक द्वारा उठाए गए उपाय;

(च) खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने, भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा उठाए गए उपाय;

(छ) 'खतरनाक प्रक्रिया' या 'खतरनाक संचालन' में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;

(ज) अनुसूची V के तहत प्रदान किए गए खतरनाक पदार्थों के कंटेनरों पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न लेबल और चिह्नों का अर्थ;

(झ) खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने पर दिखाई देने वाले संकेत और लक्षण और किसे रिपोर्ट करना है;

(ञ) किसी खतरनाक पदार्थ के फैलने या रिसाव की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा उठाए जाने वाले उपाय

(ट) कारखाना की आपातकालीन योजना के संबंध में कर्मचारियों की भूमिका, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाएं;

(ठ) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मालिक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

(2) उप–नियम (1) द्वारा आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी और पुस्तिकाओं या पर्चों की आपूर्ति और कार्यस्थलों पर चेतावनी नोटिस प्रदर्शित करके कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से बताई जाएगी।

(3) कारखाना में प्रदर्शित पुस्तिकाएं, पर्चे और चेतावनी नोटिस अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाए भी जाएंगे।

(4) मुख्य निरीक्षक मालिक को आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को और जानकारी देने का निर्देश दे सकता है।

(ख) आम जनता को जानकारी का खुलासा

(1) 'खतरनाक प्रक्रिया' चलाने वाली हर कारखाना का मालिक, राज्य सरकार द्वारा तय डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सलाह करके, आम जनता को जानकारी देने के लिए सही कदम उठाएगा, जो उस इलाके में हो सकते हैं जो किसी दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है। ऐसी जानकारी में शामिल होगा;

(क) कारखाना का नाम और पता जहां वह स्थित है;

(ख) जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पद;

(ग) इस बात की पुष्टि कि कारखाना को कारखाना इंस्पेक्टरेट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिली हुई है;

(घ) परिसर में होने वाले खतरनाक प्रक्रिया की आसान शब्दों में व्याख्या;

(ङ) इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों के आम नाम जिनसे दुर्घटना हो सकती है और जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही उनकी मुख्य हानिकारक विशेषताओं का संकेत;

(च) संबंधित सुरक्षा कानूनों के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;

(छ) कारखाना में अपनाए गए मंजूर आपदा नियंत्रण उपायों की मुख्य विशेषताएं;

(ज) आम जनता के लिए कारखाना के इमरजेंसी चेतावनी सिस्टम का विवरण;

(झ) चेतावनी सुनने पर जनता के सदस्यों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर सामान्य सलाह;

(ञ) कारखाना में की गई व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ऐसी प्रकृति की संभावित दुर्घटनाओं से निपटने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के साथ तालमेल शामिल है; और

(ट) आगे की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है, इसका विवरण।

(2) कब्जेदार को कोई भी और जानकारी भी देनी होगी – (क) आम जनता को, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय–समय पर निर्देश दे; (ख) अनुरोध करने पर आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को।

(3) कब्जेदार उस इलाके की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है, ताकि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार कारखाना के बाहर आम जनता को सूचित करने के लिए उचित कदम उठा सके, जो सब–रूल (1) के अनुसार किसी दुर्घटना से प्रभावित हो सकते हैं।

(4) सब–रूल (1) में बताई गई जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में होगी और इसे कारखाना की बाहरी सीमा के आसपास और साथ ही उससे प्रभावित होने वाली आबादी वाली जगहों पर बड़े होर्डिंग पर प्रमुख स्थानों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) स्थानीय प्राधिकरण को जानकारी का खुलासा

हर उस फैक्ट्री का मालिक जो 'खतरनाक प्रक्रिया' चला रही है, उसे उस इलाके के लोकल अथॉरिटी को, जहाँ फैक्ट्री है, लिखित में ये जानकारी देनी होगी –

(क) आम जनता को दी गई जानकारी, जैसा कि नियम 7(3) में बताया गया है;

(ख) उन खतरनाक पदार्थों के नाम और मात्रा का स्टेटमेंट जो आम तौर पर स्टोर किए जाते हैं या प्रक्रिया में होते हैं, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप–धारा (2) के क्लॉज़ (vi) और (vii) के तहत बताई गई केमिकल्स की लिस्ट में शामिल हैं।

(घ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को जानकारी देना (1) 'खतरनाक प्रक्रिया' चलाने वाली हर कारखाना का दखलकार, मुख्य निरीक्षक को कामगार, स्थानीय प्राधिकार और आम जनता को दी गई सभी जानकारी की एक कॉपी लिखित में देगा।

(2) कारखाना में इस्तेमाल होने वाले, बनाए जाने वाले या संधारित किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों के संबंध में **अनुसूची V** के अनुसार सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र के संकलन की एक प्रति मुख्य निरीक्षक एवं स्थानीय निरीक्षक को दी जाएगी।

(3) दखलकार समय–समय पर मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी भी देगा।

(ड) जिला आपातकालीन प्राधिकरण को सूचना का प्रकटीकरण :–

कारखाने का अधिभोगी जो एक खतरनाक प्रक्रिया चला रहा है, राज्य सरकार द्वारा नामित जिला आपातकालीन प्राधिकरण को, कारखाने के संबंध में एक ऑफ–साइट आपातकालीन योजना और आपदा नियंत्रण एवं प्रबंधन योजना की तैयारी पर प्रभाव डालने वाली सभी सूचनाएँ सूचित करेगा।

इस उपबंध की सामान्यता को प्रभावित किए बिना, अधिभोगी जिला आपातकालीन प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:

(क) जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित स्थिति पर एक रिपोर्ट और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए उपाय;

(ख) कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या संग्रहीत खतरनाक पदार्थों के संबंध में सामग्री डेटा शीट्स का पूर्णकरण;

(ग) आग, विस्फोट, विषैले पदार्थों के उत्सर्जन या रिसाव से संबंधित सभी संभावित दुर्घटनाओं के स्रोतों पर एक विवरण और परिसर की योजना जहाँ ऐसी दुर्घटना हो सकती है;

(घ) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं पर एक विवरण जिसमें किसी पड़ोसी कारखाने के साथ सहायता और मदद के लिए किया गया कोई समझौता भी शामिल हो;

(ङ) क्षेत्र का एक मानचित्र जिसमें कारखाने तक पहुँच, अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन सेवा जैसी आपातकालीन सुविधाओं का स्थान दिखाया गया हो;

(च) प्रबंधन का संगठन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिसमें ऑन–साइट आपातकालीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दर्शाया गया हो;

(छ) चेतावनी प्रणाली से संबंधित विवरण;

(ज) दुर्घटना से उत्पन्न विषाक्तता के लिए उपलब्ध प्रतिविषों पर जानकारी;

(झ) कोई अन्य सूचना जिसे अधिभोगी प्रासंगिक समझे या जिला आपातकालीन प्राधिकरण द्वारा माँगी जाए।

(च) आपातकालीन योजना

(1) कारखाने का अधिभोगी जो एक खतरनाक प्रक्रिया चला रहा है, एक प्रारूप ऑन–साइट आपातकालीन योजना तैयार करेगा और उसे कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुकारक को प्रस्तुत करेगा। मुख्य निरीक्षक सह सुकारक अधिभोगी से परामर्श करके योजना में आवश्यक संशोधन कर सकता है और उसे अनुमोदित करेगा।

(2) अधिभोगी अनुमोदित योजना की एक प्रति जिला आपातकालीन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(3) अधिभोगी श्रमिकों को आपातकालीन योजना के प्रावधानों की सूचना देगा और समय–समय पर योजना का अभ्यास कराएगा। वह समय–समय पर योजना की समीक्षा करेगा और उसमें आवश्यक परिवर्तन करेगा तथा इसकी सूचना कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता और जिला आपातकालीन प्राधिकरण को देगा।

(4) कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता आपातकालीन योजनाओं के निर्माण से संबंधित दिशा–निर्देश जारी कर सकता है। वह समय–समय पर किसी भी कारखाने की आपातकालीन योजना में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दे सकता है।

(छ) आपदा नियंत्रण और प्रबंधन योजना

(1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी जो एक खतरनाक प्रक्रिया चला रहा है, अपने कारखाने के संबंध में एक प्रारूप आपदा नियंत्रण और प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता तथा जिला आपातकालीन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला आपातकालीन प्राधिकरण योजना प्राप्त होने पर अधिभोगी, मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के प्रतिनिधियों, स्थानीय प्राधिकरण तथा पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन दल और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करेगा और योजना को अंतिम रूप देगा।

(3) जिला आपातकालीन प्राधिकरण अंतिम योजना की एक प्रति अधिभोगी और सभी संबंधित प्राधिकरणों को अग्रेषित करेगा। अधिभोगी श्रमिकों को योजना की सामग्री की सूचना देगा।

(4) अधिभोगी जिला आपातकालीन प्राधिकरण के परामर्श से कम से कम वर्ष में एक बार योजना का अभ्यास आयोजित करेगा।

(5) कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता आपदा नियंत्रण और प्रबंधन योजनाओं के निर्माण के लिए दिशा–निर्देश जारी कर सकता है। मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता तथा जिला आपातकालीन प्राधिकरण, मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के परामर्श से, समय–समय पर किसी कारखाने की आपदा नियंत्रण और प्रबंधन योजना में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दे सकते हैं।

(ज) सूचना की गोपनीयता

कारखाने का अधिभोगी जो खतरनाक प्रक्रिया चला रहा है, अपने श्रमिकों और पड़ोस में रहने वाले आम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ निम्नलिखित को प्रकट करेगा:

(क) अपने श्रमिकों को;

(ख) कारखानों के मुख्य निरीक्षक सह सुकारक को; और

(ग) जिला आपातकालीन प्राधिकरण को।

इस नियम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, यदि अधिभोगी का मत है कि प्रक्रिया और संरचना से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण उसके व्यापारिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो वह मुख्य निरीक्षक सह सुकारक को ऐसा विवरण रोकने के कारण बताते हुए एक प्रस्तुति दे सकता है। मुख्य निरीक्षक सह सुकारक अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देगा और प्रस्तुति पर आदेश पारित करेगा।

मुख्य निरीक्षक सह सुकारक के आदेश से पीड़ित अधिभोगी राज्य सरकार के समक्ष 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है। राज्य सरकार अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देगी और आदेश पारित करेगी। राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

70. धारा 84 की उप धारा 2 के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करने का अंतराल–(1) उप–नियम (2) में दिए गए को छोड़कर प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, कार्य पर लगे कामगारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उनकी नीति का लिखित विवरण तैयार करेगा।

(2) सभी कारखाने – (क) धारा 2 (डब्ल्यू) (i) के अन्तर्गत शामिल हैं, लेकिन 50 से कम कामगारों को नियोजित करता हो; (ख) धारा 2 (डब्ल्यू) (ii) के अन्तर्गत शामिल है लेकिन 100 से कम कामगारों को नियोजित करता हो; को उप–नियम (1) की आवश्यकताओं से छूट दी गई है: बशर्ते कि वे धारा 2 (जेडए) के अन्तर्गत पहली अनुसूची के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं या संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित की गई संचालन की प्रक्रियाओं निष्पादन कर रहे हों।

(3) उप–नियम (2) में निहित कुछ भी के बावजूद मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को यदि उसकी राय में, ऐसा करना सामीचीन है कारखानों या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के अधिभोगी को उपनियम (1) का अनुपालन करवा सकता है। ,

(4) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में सम्मिलित या व्यवहृत होना चाहिए: (क) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए शीर्ष प्रबंधन की घोषणा और प्रतिबद्धता और सभी संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना; (ख) विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बताने वाली घोषित नीति को पूरा करने के लिए संगठनात्मक स्थापना; और (ग) नीति को प्रभावी बनाने की व्यवस्था।

(5) विशेष रूप से नीति में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करना चाहिए:

(क) कामगारों को शामिल करने की व्यवस्था; (ख) अपने कैरियर की प्रगति पर विचार करते समय विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रदर्शन को ध्यान में रखने का इरादा; (ग) परिसर में प्रवेश करने वाले संविदाकारों, उप–संविदाकारों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य अभिकरणों की जिम्मेदारी तय करना; (घ) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कारखाने के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण देना; (ङ.) प्रासंगिक तकनीक और विधियों, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर स्थिति के आवधिक मूल्यांकन के लिए सुरक्षा अंकेक्षण और जोखिम मूल्यांकन; (च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद के साथ–साथ कर्मियों के चयन और नियुक्ति सहित सभी निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने के अपने इरादे को बताते हुए; (छ) अपने कर्मचारियों को सूचित करने, शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, विभिन्न स्तरों पर और सार्वजनिक रूप से उन्हें वापस लेने की व्यवस्था।

(6) अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति की एक प्रति कारखाने के अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक–सह–सुकारक को और मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक एवं स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी;

(7) नीति को व्यापक रूप से बनाया जाएगा –

(क) संविदाकर्मियों, प्रशिक्षुओं, परिवहन कामगारों के आपूर्तिकर्त्ताओं, आदि सहित सभी कामगारों को प्रतियाँ उपलब्ध कराना;

(ख) नीति की प्रतियाँ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित करना; और

(ग) अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

(8) अधिभोगी सुरक्षा नीति को यथासंभव संशोधित करेगा, लेकिन यह आवश्यक रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधित किया जाएगा: –

(क) जब भी कोई विस्तार या परिवर्तन से कार्य पर लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है; या

(ख) जब भी नए पदार्थ (ओं) या वस्तुओं निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिसके कारण ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो।

71. धारा 84 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक को परिसंकटमय प्रक्रिया शुरू करने वाले कारखाने के लिए सूचना का अनिवार्य प्रकटीकरण। (i) इस नियम के अन्तर्गत वांछित सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी प्रक्रिया, संचालन या कार्य पद्धति में परिवर्तन किया जाता है, या जब किसी नई सामग्री को प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, या यदि कोई गंभीर दुर्घटना घटित होती है, तो दी गई जानकारी की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जाएगा।

72. धारा 84 की उप–धारा (7) के अन्तर्गत कारखाने के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले कामगारों और आम जनता के बीच उपायों और निपटान के **प्रचार–प्रसार का तरीका**– धारा 84 की उपधारा (7) के उद्देश्य के लिए कारखाना के अधिभोगी को कारखाना परिसर के अंदर खतरनाक पदार्थों के रख–रखाव, उपयोग, परिवहन और भंडारण के लिए उपाय और कारखाना परिसर के बाहर इस तरह के पदार्थों के निपटान के लिए कामगारों और आम जनता को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आसपास के क्षेत्रों में होर्डिंग या संचार का कोई अन्य तरीका जो इस उद्देश्य और उसके अभिलेख के लिए उपयुक्त है, प्रचार करना होगा।

73. धारा 85 के खंड (क) के अन्तर्गत कामागारों द्वारा अभिलेख तक पहुंच की शर्तें;

(1) 'परिसंकटमय प्रक्रिया' को संचालन करने वाले प्रत्येक कारखाना का अधिभोगी को कामगारो के अभिलेख सहित का स्वास्थ्य अभिलेख को सुगम करेगा या यथास्थिति, निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत किसी भी कामगार के चिकित्सीय अभिलेख को उसके लिए दर्ज किया जा सकता है। : –

(क) प्रत्येक छह महीने में या चिकित्सा परीक्षण के तुरंत बाद, जो भी पहले हो।

(ख) यदि कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन की राय है कि कामगार संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी सूचनीय बीमारी के संकेत और लक्षण प्रकट करता है;

(ग) यदि कामगार रोजगार छोड़ देता है;

(घ) यदि निम्नलिखित पदाधिकारियों में से कोई भी निदेश देता है;

- मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक;
- केंद्र या राज्य सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकारी;
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अन्तर्गत कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम;
- निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा लाभ); तथा
- महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थाएँ।

(2) अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख की एक प्रति, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया के लिए कामगार के जोखिम का अभिलेख शामिल है या जैसा भी मामला हो, उसके पास एक आवेदन प्राप्त होने पर कामगार को स्वास्थ्य अभिलेख दी जाएगी। एक्स–रे प्लेटें और अन्य चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट भी उनके चिकित्सक के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

74. धारा 85 के खंड (ख) के अन्तर्गत कामगारों की सुरक्षा के लिए परिसंकटमय पदार्थ के रखरखाव और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के तरीके व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव;

(1) परिसंकटमय पदार्थों की पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक सभी व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखेंगे:

(क) (i) पाँच वर्ष के अनुभव के साथ रसायन अभियंत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या रसायन शास्त्र में डिग्री; या

(ii) रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री या रसायन अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव।

ऊपर दिया गया अनुभव रासायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन और रखरखाव में होगा।

(ख) मुख्य निरीक्षक को आवश्यक लगे तो पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

(2) उपर्युक्त पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की अवधि तथा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संस्थानों को महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान या महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

75. धारा 85 के खंड (सी) के उप–खंड (ii) के अन्तर्गत एक कार्यकर्ता की चिकित्सा परीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का तरीका;

(1) एक 'परिसंकटमय प्रक्रिया' में नियोजित कामगारों की चिकित्सीय जांच किसी योग्य चिकित्साकर्मी द्वारा निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: –

(क) रोजगार से पहले एक बार, विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक दक्षता को अभिनिश्चित करने के लिए;

(ख) 6 महीनें की अवधि में एक बार व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों के संबंध में रागी कामगारों की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए, जिनसे वे अभिदर्शित होते हैं; और ऐसे मामलों में जहाँ कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कम अंतराल पर ऐसा करना आवश्यक है;

(ग) रोजगार पूर्व और आवधिक चिकित्सा परीक्षण का विवरण स्वास्थ्य पंजी में **प्रपत्र– XXVIII** में दर्ज किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को पहली बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिए गए **प्रपत्र– XXIX** में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि चिकित्सा पदाधिकारी किसी व्यक्ति को उप–नियम (1) के अन्तर्गत आने वाली किसी भी प्रक्रिया में नियोजित नहीं किए जाने की घोषणा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक–सह–सुकारक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जो उस मामले को उस क्षेत्र के सिविल सर्जन को भेजेगा, जिसकी राय इस संबंध में अंतिम होगी।

(3) किसी प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी को किसी भी असामान्यता या अनुपयुक्तता का पता चलता है, तो उस क्षेत्र के सिविल सर्जन को सूचित किया जाएगा जो संबंधित कामगार की जांच करेंगे और 30 दिनों के अन्दर अधिभोगी को अपने निष्कर्षों को बताएंगे। यदि सिविल सर्जन की राय है कि जांच किए गए कामगार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से दूर ले जाना आवश्यक है, तो वह तदनुसार अधिभोगी को निर्देशित करेगा, जो उसी प्रक्रिया में उक्त कामगार को नियुक्त नहीं करेगा। हालांकि, निकाले गए श्रमिक को तब तक वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाती है जब तक कि वह सिविल सर्जन की राय में, पूरी तरह से अक्षम न हो, उस स्थिति में प्रभावित कामगार का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाएगा:

(4) उप–नियम (2) के अन्तर्गत किसी भी प्रक्रिया में रोजगार से हटाया गया कामगार उस क्षेत्र के सिविल सर्जन से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद और स्वास्थ्य रजिस्टर में उस प्रभाव तक प्रविष्टि करने के बाद ही उसी प्रक्रिया में फिर से नियोजित हो सकता है।

(5) एक निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, यदि वह उप–नियम (1) अनुसार आवश्यक समझता है तो वह कामगार को उस क्षेत्र के सिविल सर्जन के पास चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज

सकता है और ऐसे मामले में सिविल सर्जन का परामर्श अंतिम होगा। इस चिकित्सा परीक्षण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान अधिभोगी द्वारा किया जाएगा।

(6) इन नियमों के अन्तर्गत कामगार को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से किए गए किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए कामगार को ऐसी चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नहीं होगा।

(7) सब–नियम (2) के तहत किसी भी तरीके से हटाए गए मजदूर को सर्टिफाइंग सर्जन से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद और हेल्थ रजिस्टर में इस बारे में एंट्री करने के बाद ही उसी प्रक्रिया में दोबारा काम पर लगाया जा सकता है।

76. धारा 88 के अन्तर्गत किसी भी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के संपर्क की अधिकतम अनुमेय सीमा :– धारा 88 के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने का स्वीकार्य स्तर अनुसूची I के अनुरूप होगा।

77. कारखाने के निरीक्षक–सह–सुकारक के आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार और धारा 90 के अन्तर्गत अपील के तरीके – (1) धारा 90 के अन्तर्गत प्रस्तुत एक अपील मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक के पास होगी या उन मामलों में, जहाँ उस पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील किया गया है, राज्य सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को जिसे राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है, इस संबंध में, एक ज्ञापन के रूप में होगा, जो संक्षेपतः आदेश की आपत्ति का आधार और कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 के अनुसूची III के अनुच्छेद 11 के अनुसार कोर्ट फीस तथा आदेश जिसके विरूद्ध अपील किया जा रहा है कि एक प्रतिलिपि के साथ होगा।

(2) मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति – अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर, अपीलीय प्राधिकारी यदि वह उचित समझे या यदि अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से अपील पर सुनवाई की जानी चाहिए, तो संबंधित उद्योग के प्रतिनिधियों को 14 दिनों की अवधि के भीतर एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने के लिए उप नियम (3) के अन्तर्गत घोषित निकाय को बुलाएगा। यदि एक मूल्यांकनकर्ता ऐसे निकाय द्वारा नामित किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी स्वयं एक दूसरा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेगा। इसके बाद अपील की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा और अपीलकर्ता और ऐसे

निरीक्षकों को, जिनके आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, को ऐसी तारीख की सूचना देगा और अपील का सुनवाई के दौरान सहायता करने के लिए दो मूल्यांकनकर्ताओं को ऐसी तारीख पर हाजिर होने हेतु कहा जायेगा।

(3) अपीलकर्ता उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत ज्ञापन में बताएगा कि क्या वह निम्नलिखित निकायों में से एक या अधिक का सदस्य है–

(1) बिहार चैंबर वाणिज्य मंडल।

(2) बिहार चीनी मिल संघ।

(3) बिहार उद्योग संघ।

(4) भारतीय अभियांत्रिकी संघ।

निकाय को मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने की शक्ति होगी–

(क) यदि अपीलकर्ता ऐसे निकायों में से एक का सदस्य है, तो वह निकाय हो;

(ख) यदि वह ऐसे दो निकायों का सदस्य है, तो वह निकाय, जिसमें अपीलकर्ता ऐसे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करने की इच्छा रखता हो; तथा

(ग) यदि अपीलकर्ता उपर्युक्त निकायों का सदस्य नहीं है, या यदि वह ज्ञापन में यह नहीं बताता है कि ऐसे निकायों में से किसमें वह मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करना चाहता है, तो मूल्यांकनकर्त्ता वह निकाय हो, जिसे अपीलीय निकाय संबंधित उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छा मानता है।

(4) मूल्यांकनकर्ताओं का पारिश्रमिक; उप–नियमों (2) और (3) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ता अपील की सुनवाई के लिए प्राप्त करेगा, राज्य सरकार द्वारा भी तय किया जाएगा। वह वास्तविक यात्रा व्यय भी प्राप्त करेगा। सरकार द्वारा मूल्यांकनकर्ता को फीस और यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा; लेकिन जहाँ अपीलकर्ता के अनुरोध पर मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की गई है और अपील पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसके खिलाफ तय की गई है, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि मूल्यांकनकर्ता के शुल्क और यात्रा व्यय को अपीलकर्ता द्वारा पूरे या आंशिक रूप से भुगतान किया जाएगा।

78. धारा 91 के अन्तर्गत नियम; (1) पर्यवेक्षण या प्रबंधन और गोपनीय पदों को धारित करने के लिए परिभाषित व्यक्ति– राज्य सरकार धारा 91 (1) (क) या (ख) के अन्तर्गत किसी भी या सभी वयस्क कार्यकर्ता या किसी प्रतिष्ठान या किसी भी प्रतिष्ठान को

लिखित में आदेश देकर संस्था के वर्ग की ऐसी शर्त के लिए जिसे वह समीचीन समझे, छूट दे सकती है। ऐसा आदेश राजपत्र में प्रकाशन के बाद होगा।

अध्याय XIII

बागान

79. धारा 92 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत बागान में कामगारों के लिए सुविधाएं: (कामगारों के लिए सुविधाएं–

(क) कामगारों के लिए आवास –

(1) प्रत्येक नियोक्ता बागान में रहने वाले कामगारों और उनके परिवार को यथासंभव कार्यस्थल के समीप आवास प्रदान करेगा।

(2) एक बागान में कामगारों के आवास में महिला कर्मचारियों के लिए अलग कमरा होंगे। प्रत्येक कमरें में ताजी हवा के संचालन द्वारा पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी और पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। कमरें या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास का आकार इस प्रकार होगा कि रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर कम से कम 10 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जा जायेगा। आवास का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें गर्मी, हवा, तथा बारिश से पर्याप्त सुरक्षा मिलती हो तथा इसकी सतह चिकनी, कठोर और अभेद्य हो।

(3) गृह आवास के लिए स्थलें –

(i) गृह आवास अच्छी तरह से सूखी हुई भूमि पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो।

(ii) जिस क्षेत्र में आवास की व्यवस्था की गयी है, उसके आसपास पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) नियोक्ता उस क्षेत्र में अच्छी सड़कों और रास्तों को बनाए रखेगा, जहाँ आवास अवस्थित है और उस स्थान पर सीवर और नालियाँ भी हो।

(iv) नियोक्ता घरों को स्वच्छ रखेगा और जल निकासी और सीवेज की भी व्यवस्था करेगा।

(4) घरों का रखरखाव:–घरों को अच्छी हालत में रखा जाएगा।

(ख) शिशु गृह सुविधा – बागान के सभी नियोक्ता, जिसमें पचास या अधिक कामगार (किसी संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों सहित) कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे, शिशु गृह सुविधा प्रदान करेंगे।

(ग) कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं:– प्रत्येक नियोक्ता को यदि उसके बागान में छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के कामगारों के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों को बनाए रखेगा या सरकारी स्कूल में प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा।

(घ) स्वास्थ्य सुविधाएं– (i) नियोक्ता अपने कामगार को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देगा और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल करेगा।

(ii) राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अतिरिक्त सुविधाओं को अधिसूचित कर सकती है।

80. **धारा 93 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत महिलाओं या किशोरों के रोजगार को प्रतिषेधित करना या, प्रतिबंधित करना** – किसी भी किशोर कामगार को कीटनाशक, खरपतवार नाशक, खतरनाक रसायनों और अन्य विषाक्त पदार्थों को संभालने या भंडारण या परिवहन में लगे रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

81. **धारा 93 की उपधारा (3) के अन्तर्गत योग्यता**– कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और विषाक्त पदार्थों के उपयोग, संभालने, भंडारण और परिवहन की देखरेख एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके पास निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए। –

(1) वह कृषि या रसायन विज्ञान में स्नातक होगा या उसने मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटाव पर सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा।

(2) कामगारों को प्राथमिक उपचार देने के लिए उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

82. **धारा 93 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कामगारों का प्रशिक्षण** – (1) कीटनाशक, रसायन, जहरीले पदार्थों को संभालने वाले कामगारों को धारा 93 (3) में उल्लिखित पर्यवेक्षक या इसी तरह की अर्हता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

83. धारा 93 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत कामगार की आवधिक चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया – (1) प्रत्येक कामगार जो कीटनाशक, रासायनिक और विषैले पदार्थों को संभालने, निपटने, या छिड़काव या मिश्रण करने के काम में लगा हुआ है, का नियोजन की शुरुआत में और उसके बाद छह महीने में एक बार चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा।

(2) चिकित्सीय परीक्षण और परीक्षण प्रपत्र XXVIII अनुसार दर्ज किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक कामगार के स्वास्थ्य अभिलेख को बनाए रखेगा जैसे कि वार्षिक चिकित्सा परीक्षा या किसी अन्य परीक्षा को जब आवश्यक हो तो रोपण में रखा जाएगा और ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसे अभिलेख तक पहुँच प्राप्त होगी।

84. धारा 93 की उप–धारा (7) के अन्तर्गत सुविधाएं, कपड़े और उपकरण प्रदान करने का प्रक्रिया –

(1) प्रत्येक नियोक्ता कामगारों को धुलाई, स्नान और अगासती सामान घर की सुविधा प्रदान करेगा, जो कीटाणु नाशक, कीटनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थों से निपटने में कार्यरत हैं।

(2) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण –

(क) कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटने वाले व्यक्तियों को इसके संचालन, वितरण, मिश्रण, छिड़काव के दौरान उपयुक्त कपड़ों के साथ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा।

(ख) सुरक्षात्मक कपड़े उन सामग्रियों से बने होंगे जो किसी भी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक और जहरीले योगों के प्रवेश को रोकते या प्रतिरोध करते हैं। सामग्री भी धोने योग्य होगी ताकि प्रत्येक उपयोग के बाद विषाक्त तत्वों को हटाया जा सके।

(ग) सुरक्षात्मक कपड़ों का एक पूरा सूट निम्नलिखित वस्त्रादि से मिलकर बनता है, नामतः

– टोपी के साथ सुरक्षात्मक बाहरी वस्त्र।

– रबर के दास्ताने या इस तरह के अन्य सुरक्षात्मक दास्ताने तरल पदार्थ के लिए अभेद्य सामग्री से बने होंगे एवं बाँह की कलाई तक का विस्तार करते हैं।

– धूलकण रोधी काले चश्मे।

– जूते।

– पुनः प्रयोज्य कपड़ा माहक।

85. धारा 93 की उपधारा (9) के अन्तर्गत निवारक नोटिस– बागानों में प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित निवारक सूचनाओं को उस स्थान पर या उसके आस–पास प्रदर्शित करेगा, जहाँ कीटनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थ होते हैं।

(i) सुरक्षात्मक कपड़े जैसे चोगा, दास्ताने, रबर गम–बूट और चौड़ी कटी हुई टोपी का उपयोग करें।

(ii) कीटनाशक और कीटनाशकों से दूषित कपड़े न पहनें।

(iii) सुरक्षात्मक कपड़ों को साबुन और पानी से धो कर साफ करें।

(iv) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को कीटनाशकों और कीटनाशकों को संभालने की अनुमति न दें।

(v) कीटनाशक और कीटनाशक से निपटने के दौरान खाना, पीना, धुआँपान या चबाना नहीं चाहिए।

(vi) अपने मुँह से कभी भी भरी हुई टोटी को न खोलें।

(vii) लीक करने वाले स्प्रेयर का उपयोग न करें। त्वचा, मुंह और आंखों के प्रदूषण से बचें।

(viii) खेतों में अनुपयोगी पड़े कीटनाशक पट्टे से साँस न लें।

(ix) हवा के खिलाफ कीटनाशक और कीटाणुनाशकों का छिड़काव कभी न करें।

(x) खेतों में बिना अप्राप्य कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को छोड़ें नहीं।

(xi) मनुष्यों और पशुओं को निर्माताओं द्वारा सुझाए गए समय की अवधि के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के छिड़काव वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति न दें।

(xii) कीटनाशक और कीटनाशक के कंटेनर को कुएँ या बहती धारा के पास न धोएं।

(xiii) उपयोग के लिए साफ पानी, साबुन और तौलिया तैयार रखें।

(xiv) खाने, पीने, धुम्रपान या चबाने और काम करने से पहले हाथों और त्वचा को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं।

(xv) कीटनाशक और कीटनाशक भंडार कक्ष में बंद रखें और बच्चों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बाहर रखें।

(xvi) छिड़काव क्षेत्र में प्रवेश न करें। निर्माताओं द्वारा सुझाए गए खरपतवार नाशक सहित सभी कीटाणुनाशकों और कीटाणुनाशकों के लिए पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें।

(xvii) कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों को उनके मूल, लेबल वाले कंटेनरों में रखें।

(xviii) कीटनाशी और कीटाणुनाशकों को तत्काल उपयोग के अलावा बिना लेबल के कंटेनरों में न डालें।

(xix) अच्छी तरह से खाली करने और धोने के बाद कंटेनरों को सुरक्षित रूप से निपटाना करें। उन्हें पानी के स्रोत से दूर किसी स्थान पर गाड़ा जा सकता है।

(xx) कंटेनर को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कभी भी उपयोग न करें यदि कंटेनरों से कीटनाशक और कीटनाशकों के निशान को हटाना असंभव है।

अध्याय XIV

अपराध और दंड

86. धारा 114 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रशमन का तरीका – धारा 114 के उप–खंड (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपराधों के प्रशमन का तरीका–

(1) धारा 114 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी उन अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रशमन नोटिस जारी करेगा जिनके लिए धारा 114 के उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रशमनीय है।

(2) जिस व्यक्ति को सूचना दी गयी है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से पदाधिकारी को सूचना मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या अन्यथा पूरी प्रशमन राशि जमा कर सकता है।

(3) प्रशमन पदाधिकारी, समझौता राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसी राशि समझौता सूचना की संतुष्टि में प्राप्त हुई हो एक समझौता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) यदि इस प्रकार नोटिस प्राप्त व्यक्ति, संयोजन राशि के लिए नोटिस की तामील किए जाने की तिथि से एक माह के पश्चात भी संयोजन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही तत्पश्चात सक्षम न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ाई जाएगी।

(5) धारा 110 की उप–धारा (1) और धारा 114 के अन्तर्गत अधीन ऐसे प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।

अध्याय XV

विविध

87. धारा 115 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निधि के अन्य स्रोत– धारा 115 की उप–धारा (2) के खंड (i) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अलावा, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त राशि को निधि में जमा किया जाएगा:–

(i) निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि।

(ii) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों और वैधानिक निकायों द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि।

(iii) लाभार्थियों के पंजीकरण/नवीनीकरण और उनके योगदान से प्राप्त राशि।

(iv) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि।

(v) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त राशि।

(vi) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता या उनके संगठन द्वारा दिया गया दान या कोई अन्य वित्तीय सहायता या निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधि से योगदान।

(vii) कोई अन्य स्रोत जो अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाता है।

88. धारा 115 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत निधि को प्रशासित करने और खर्च करने का तरीका– निधि को प्रशासित करने और खर्च करने का तरीका राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

89. धारा 119 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र, आवेदन भरने का तरीका और इसके साथ अंतर–राज्य प्रवासी कामगार के रोजगार से संबंधित जानकारी–

(i) धारा 119 की उप–धारा (2) के प्रयोजनों के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति या एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने इच्छुक कोई भी व्यक्ति प्रपत्र XIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर स्थापना(ओं) की विवरणी, उस अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रासंगिक कागजात, पहचान पत्र एवं प्रपत्र में विनिर्दिष्ट के अनुरूप नियोक्ता के पता के साथ ठेका श्रमिकों के लिए नियम–44 के उप–नियम–2, बीड़ी एवं सिगार स्थापनाओं के लिए नियम–60 के उप–नियम–5 तथा कारखानों के लिए नियम–64 के उप–नियम–5 के तहत् विहित शुल्क के साथ आवेदन करेगा। जैसा कि आवश्यक हो पोर्टल पर फॉर्म को डिजिटल या किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।

(ii) जहाँ प्राधिकार इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य अनुज्ञप्ति में किसी कारखाने, बीड़ी और सिगार के काम के लिए औद्योगिक परिसर और संविदा कामगारों को संलग्न करने के

लिए या उनके किसी भी संयोजन के लिए संहिता के अन्तर्गत एकल अनुज्ञप्ति जारी किया जा सकता है, ऐसे प्राधिकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रपत्र XIV में एक अनुज्ञप्ति जारी करेगा, किसी तरह की विफलता की स्थिति में ऐसी अनुज्ञप्ति जारी किया जाना माना जाएगा एवं स्वतः उत्पन्न होगा और इसकी जिम्मेदारी ऐसे प्राधिकार पर होगी।

(iii) अनुज्ञप्ति गैर–हस्तांतरणीय होगा।

(iv) संविदा कामगारों के लिए अनुज्ञप्ति में, नियोजित में अंतर–राज्य प्रवासी कामगारों की संख्या शामिल है।

(2) गलत जानकारी देकर प्राप्त की गयी कोई भी अनुज्ञप्ति रद्द होने के लिए उत्तरदायी होगी बशर्ते कि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक से कारण पृच्छा दिये जाने का अवसर दिया गया हो, कि अनुज्ञप्ति को क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए।

90. धारा 119 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई, कार्रवाई करने का तरीका और पूछ–ताछ– धारा 119 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्रवाई, कार्रवाई करने का तरीका और पूछ–ताछ वैसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

91. धारा 119 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत अपील का प्रारूप, उसके साथ शुल्क एवं अपीलीय प्राधिकार– (i) प्राधिकार के आदेश से व्यथित व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति की धारा 119 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत तिथि से तीस दिनों के भीतर ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष इस तरह के आदेश के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकता है।

(ii) जहाँ अपील का ज्ञापन क्रम में है, अपीलीय पदाधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, उसकी पावती देगा और इस तरह की अपील के अंगीकरण की सूचना देगा और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने के लिए विहित रजिस्टर में सूचीकरण करेगा। अपील बोर्ड पंजीकरण के उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में पंजीकरण करेगा।

(iii) जब अपील स्वीकार कर ली गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील की सूचना पंजीकरण पदाधिकारी को भेजेगा, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है और

पंजीकरण पदाधिकारी मामले के अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलीय प्राधिकारी को ऑनलाइन भेजेगा।

(iv) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय पदाधिकारी अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई हेतु उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक से सूचना में ऐसी तिथि और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजेगा।

(v) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय प्राधिकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदेश की प्रति भेजकर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।

(vi) जहाँ अपील खारिज कर दी गई है, अपीलकर्ता आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपील प्रत्यायन के लिए अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण द्वारा प्रकट होने से रोका गया था, अपीलीय प्राधिकारी अपील को प्रत्यायित कर सकेगा।

(vii) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अपीलकर्ता को प्रेषित किया जाएगा और इसकी प्रतिलिपि उस निबंधन पदाधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के खिलाफ अपील की गई है और अपील प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

92. धारा 121 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत सर्वेक्षण की रीति– धारा 121 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत सर्वेक्षण का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता पदाधिकारी या समिति, जो राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 121 (2) के प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण कराने के लिए गठित की गयी, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कार्य अवधि के दौरान किसी भी समय या किसी अन्य समय, जैसा कि उसके या समिति द्वारा जरूरी समझा जाता है, प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देने के बाद, जो तत्समय प्रतिष्ठान के प्रभारी होने के लिए, स्थापना और बाहर में सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सर्वेक्षण करेगा।

(1) नियोक्ता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति इस तरह के सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाओं का वहन करेगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी के परीक्षण और जाँच एवं नमूनों के संग्रह तथा सर्वेक्षण से संबंधित अन्य आँकड़े शामिल होंगे।

(2) निकट आसपास में प्रत्येक कामगार और व्यक्ति को सर्वेक्षण की सुविधा देने के उद्देश्य से, यदि सर्वेक्षण का संचालन करने वाले व्यक्ति को ऐसा करना आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना आवश्यक है, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है और उसके अधिकार में सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक सभी जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उप नियम (2) के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कामगार द्वारा किसी भी समय का उपयोग मजदूरी की गणना तथा अतिकालिक कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी के प्रयोजन हेतु उस समय के रूप में माना जाएगा, जिसके दौरान ऐसे कामगार ने प्रतिष्ठान में काम किया था।

93. **शुल्क में संशोधन–** इन नियमों के अधीन निर्धारित किसी भी शुल्क में, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया जा सकेगा।

अनुसूची–I

नियम– 2 के उपनियम (3) की कंडिका–1 अंतर्गत किसी व्यक्ति को सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम

2. जन्म की तारीख

3. प्रतिष्ठान का नाम (अगर स्वयं–नियोजित नहीं है)

4. पद

5. शैक्षणिक योग्यता (टेस्टीमोनियल की कॉपी संलग्न करें)

6. प्रोफेशनल अनुभव की ब्यौरा (क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में)

संगठन का नाम	सेवा अवधि	पदनाम	जिम्मेदारी का क्षेत्र

7. प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप, अगर कोई हो।

8. (i) उसके पास मौजूद फैसिलिटी (एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, वगैरह) की डिटेल्स।

(ii) इन फैसिलिटी को कैलिब्रेट करने और उनकी एक्यूरेसी बनाए रखने का इंतजाम।

9. वह मकसद जिसके लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है (एक्ट का रोक्शन या रोक्शन बताए जाने चाहिए)।

10. क्या एप्लीकेंट को किसी कानून के तहत कॉम्पिटेंट पर्सन घोषित किया गया है (अगर हां, तो डिटेल्स)

11. अथॉरिटी द्वारा मांगी गई कोई दूसरी ज़रूरी जानकारी।

एप्लीकेंट का डिक्लेरेशन:–

मैं, एतद्द्वारा डिक्लेयर करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है।

मैं वादा करता/करती हूं

(क) कि मेरे पास मौजूद फैसिलिटी में कोई भी बदलाव (चाहे जोड़ना हो या हटाना) या मेरे ऊपर बताए गए ऑर्गनाइजेशन को छोड़ने पर, मैं तुरंत चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इन्फॉर्म करूंगा;

(ख) फैसिलिटी को अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखूंगा, मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन या नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार समय–समय पर कैलिब्रेट करूंगा; और

(ग) चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और निर्देशों में बताई गई सभी शर्तों को पूरा करना और उनका पालन करना।

स्थान एवं तारीख आवेदक का हस्ताक्षर

इंस्टीट्यूशन की तरफ से घोषणा (अगर नौकरी करते हैं)

मैं, ... सर्टिफाई करता/करती हूँ कि श्री, जिनकी डिटेल्स ऊपर दी गई हैं, हमारी नौकरी में हैं और उन्हें एक्ट के तहत एक काबिल व्यक्ति घोषित करने के मकसद से ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ़ से नॉमिनेट करता/करती हूँ। मैं यह भी वादा करता/करती हूँ कि मैं;

(क) अगर काबिल व्यक्ति हमारी नौकरी छोड़ देता है, तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताऊँगा/दूँगी;

(ख) ऊपर बताई गई सभी सुविधाएँ दूँगा/दूँगी और उन्हें ठीक से बनाए रखूँगा/रखूँगी;

(ग) सुविधाओं में किसी भी बदलाव (जोड़ना या हटाना) के बारे में चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताऊँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

पदनाम

टेलिफोन नं०

तारीख

कार्यालय मुहर

नियम 2 के उपनियम–3 के अंतर्गत किसी संस्थान को सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

1. प्रतिष्ठान का नाम और पूरा पता
2. प्रतिष्ठान का स्टेटस (बताएं कि सरकारी, ऑटोनॉमस, को–ऑपरेटिव, कॉर्पोरेट या प्राइवेट)
3. जिस मकसद के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है (एक्ट के सेक्शन बताएं)
4. क्या ऑर्गनाइज़ेशन को इस या किसी दूसरे कानून के तहत कॉम्पिटेंट व्यक्ति घोषित किया गया है। अगर हां, तो डिटेल्स दें।
5. नियम–2 के उपनियम– (3) के साथ संलग्न अनुसूची में बताई गई अर्हता और अनुभव रखने वाले और नौकरी पर रखे गए लोगों की विवरणी।

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	योग्यता	अनुभव	धारा(धाराएं) और नियम जिनके तहत योग्यता मांगी जाती है
1				
2				

6. सुविधाओं की जानकारी (ऊपर आइटम 3 से जुड़ी) और उनके मेंटेनेंस के लिए किए गए इंतज़ाम और उनके मेंटेनेंस और समय–समय पर कैलिब्रेशन के लिए किए गए इंतज़ाम।
7. कोई और ज़रूरी जानकारी।

मैं, ... इसके द्वारा, ... की ओर से सर्टिफाई करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी के हिसाब से सही है। मैं यह वादा करता/करती हूँ कि ———

(i) सुविधाओं को अच्छी वर्किंग कंडीशन में रखूँगा/रखूँगी, मैन्युफैक्चरर के निर्देशों या नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार समय–समय पर कैलिब्रेट करूँगा/करूँगी; और

(ii) चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर द्वारा समय–समय पर जारी किए गए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट और निर्देशों में बताई गई सभी शर्तों को पूरा करूँगा/करूँगी और उनका पालन करूँगा/करूँगी।

इंस्टीट्यूशन के हेड या
उनकी ओर से साइन करने के लिए ऑथराइज़्ड लोगों के हस्ताक्षर।

पदनाम

जगह और तारीख

नियम–2 के उपनियम–3 तहत किसी व्यक्ति या संस्था को जारी किया गया योग्यता प्रमाणपत्र का फ़ॉर्म

मैं, ..., व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 की धारा 2(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (संस्था का नाम) या श्री ..... (व्यक्ति का नाम) को ..... (संस्था का नाम) में नियोजित ऐसे भवनों, खतरनाक मशीनरी, लिफ्टों और उत्तोलक, भारोत्तोलन मशीनों और भारोत्तोलन उपकरणों, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थान, वेंटिलेशन प्रणाली और प्रक्रिया या संयंत्र और उपकरणों, जैसा भी मामला हो, के परीक्षण, जांच, निरीक्षण और प्रमाणन करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता देता हूँ, जो धारा और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ..... में स्थित एक कारखाने में इस्तेमाल किए जाते हैं।

जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

यह सर्टिफिकेट .....से ..... तक वैलिड है।

यह सर्टिफिकेट नीचे दी गई शर्तों के तहत जारी किया जाता है; –

(i) टेस्ट, जांच और इंस्पेक्शन एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाएंगे;

(ii) टेस्ट, जांच और इंस्पेक्शन काबिल व्यक्ति की सीधी देखरेख में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे जिसे काबिल व्यक्ति के तौर पर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ऑथराइज़ किया गया हो।

(iii) किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया काबिलियत का सर्टिफिकेट कैंसल हो जाएगा अगर वह व्यक्ति अपने एप्लीकेशन में बताए गए ऑर्गनाइज़ेशन को छोड़ देता है;

(iv) काबिल व्यक्ति के तौर पर मान्यता प्राप्त संस्था, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को टेस्ट, जांच और इंस्पेक्शन करने के लिए उसके द्वारा ऑथराइज़ किए गए लोगों के नाम, डेज़िग्नेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्म करती रहेगी।

(v) .....

(vi) .....

रटेशन अधिकारी की मुहर प्रमुख के हस्ताक्षर निरीक्षक सह सूत्रधार तिथि

अनुसूची

क्र. सं.	धारा या नियम जिनके तहत	आवश्यक योग्यता	इस उद्देश्य के लिए अनुभव	उनकी कमान में सुविधाएं
1	भवनों के लिए स्थायित्व प्रमाणपत्र धारा 133(2)(जेडक्यू) के अंतर्गत बनाए गए नियम 62 (3)	सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री, या इसके बराबर	i) कंस्ट्रक्शन के डिजाइन या टेस्टिंग या स्ट्रक्चर की मरम्मत में कम से कम 10 साल का अनुभव; ii) नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मौजूदा अलग अलग कोड ऑफ प्रैक्टिस और बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पर वाइब्रेशन और नेचुरल फोर्स के असर की जानकारी; और iii) स्ट्रक्चर या बिल्डिंग की सेफ्टी के बारे में भरोसेमंद नतीजे पर पहुँचने की काबिलियत।	एनडीटी (नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट) करने की सुविधाएं
2	खतरनाक मशीनें धारा 133(2) (जेडक्यू) के अंतर्गत	इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या इसके बराबर डिग्री।	i) कम से कम 7 साल का अनुभव a) डिजाइन या ऑपरेशन या मेंटेनेंस; या b) संबंधित मशीनरी, उनके गार्ड, सेफ्टी डिवाइस और अप्लायंसेज की टेस्टिंग, जांच और इंस्पेक्शन। (ii) उसे a) सेफ्टी डिवाइस और उनके ठीक से काम करने की जानकारी होनी चाहिए; b) खराबी और किसी भी दूसरे कारण को पहचानने में सक्षम होना चाहिए जो लोडिंग को फेलियर की ओर ले जा रहे हों; और c) सेफ्टी डिवाइस और अप्लायंस और मशीन गार्ड के ठीक से काम करने के बारे में भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए।	नापने के लिए गेज; स्पीड नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट और खतरनाक मशीनों के इस्तेमाल में सेफ्टी तय करने के लिए कोई दूसरा इक्विपमेंट या डिवाइस।
3	धारा 133(2) (जेडक्यू) के तहत लिफ्ट और होइस्ट	इलेक्ट्रिकल और/या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके बराबर	(i) इन चीजों में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिएरू (a) डिजाइन या इरेक्शन या मेंटेनेंस; या (b) लिफ्ट और होइस्ट के इंस्पेक्शन और टेस्ट प्रक्रिया; (ii) उसे दृ (a) मौजूदा प्रैक्टिस कोड और टेस्ट प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए; (b) होइस्ट और लिफ्ट की सेफ्टी से जुड़ी दूसरी कानूनी जरूरतों की जानकारी होनी चाहिए; (c) होइस्ट और लिफ्ट की सेफ्टी के बारे में कमियों को पहचानने और भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।	लोड टेस्टिंग, टेन्साइल टेस्टिंग, मेजरमेंट के लिए गेज इक्विपमेंट/गैजेट और होइस्ट और लिफ्ट के काम करने की सुरक्षित कंडीशन तय करने के लिए जरूरी कोई भी दूसरा इक्विपमेंट।

4	लिफ्टिंग मशीनरी और लिफ्टिंग टैकल धारा 133 (2) (जेडक्यू) के तहत	मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष	कम से कम 7 साल का अनुभव (a) डिजाइन या इरेक्शन या मेंटेनेंस, या (b) लिफ्टिंग मशीनरी, चेन, रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल की टेस्टिंग, जांच और इंस्पेक्शन में। उसे – (a) मौजूदा प्रैक्टिस कोड और टेस्ट प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए; (b) कंस्ट्रक्शन के मटीरियल के फ्रैक्चर मैकेनिक्स और मेटलर्जी की जानकारी होनी चाहिए; (c) लिफ्टिंग मशीनरी और लिफ्टिंग टैकल के स्ट्रेस झेलने वाले कंपोनेंट और पार्ट्स पर लागू होने वाली हीट ट्रीटमेंट/स्ट्रेस कम करने की तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए; (d) लिफ्टिंग मशीनरी, चेन, रस्सियों और लिफ्टिंग टैकल की सेफ्टी के बारे में कमियों को पहचानने और भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।	लोड टेस्टिंग, टेन्साइल टेस्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट/गैजेट, गेज और लिफ्टिंग मशीनरी टैकल के सेफ वर्किंग कंडीशन तय करने के लिए ऐसे दूसरे इक्विपमेंट की सुविधाएँ।
5	प्रेशर प्लांट – धारा 133(2) (जेडक्यू) के अन्तर्गत बनाया गया नियम 68 (अनुसूची III) (उप अनुसूची 33)	केमिकल या इलेक्ट्रिकल या मेटलर्जिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके	कम से कम 10 साल का अनुभव (a) डिजाइन या इरेक्शन या मेंटेनेंस, या (b) प्रेशर प्लांट की टेस्टिंग, जांच और इंस्पेक्शन। उसे : (a) प्रेशर वेसल से जुड़े संबंधित कोड ऑफ प्रैक्टिस और टेस्ट प्रोसीजर की जानकारी होनी चाहिए; (b) बिना फायर किए प्रेशर वेसल और प्रेशर में काम करने वाले इक्विपमेंट की सुरक्षा से जुड़ी कानूनी जरूरतों की जानकारी होनी चाहिए; (c) प्रेशर वेसल पर लागू होने वाली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए; (d) प्रेशर प्लांट की सुरक्षा के बारे में कमियों की पहचान करने और भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।	हाइड्रोलिक टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने की सुविधाएं, मेजरमेंट के लिए गेज इक्विपमेंट/गैजेट और प्रेशर वेसल के इस्तेमाल में सेफ्टी तय करने के लिए कोई भी दूसरा इक्विपमेंट या गेज।
6	खतरनाक धुएं के विरुद्ध सावधानियां, धारा 82 और धारा 133(2) (जेडक्यू) के अंतर्गत बनाया गया नियम	केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री, या केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री।	(i) एनवायरनमेंटल सैंपल इकट्ठा करने और उनका एनालिसिस करने और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन में कम से कम 7 साल का अनुभव; उसे : (a) केमिकल्स के खतरनाक गुणों और उनकी	मीटर, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जो ठीक से कैलिब्रेट और सर्टिफाइड हों, ताकि छोटी जगहों पर काम करने में सेफ्टी के टेस्ट और

	18		तय लिमिट वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए. (b) एनवायरनमेंटल कंटैमिनेंट्स की सैंपलिंग और एनालिसिस की मौजूदा तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए, और (c) हॉटवर्क में घुसने और उसे करने की सुरक्षा के बारे में भरोसेमंद नतीजे पर पहुँच सके।	सर्टिफिकेशन किए जा सके।
7	वेंटिलेशन सिस्टम और धारा 82 और धारा 133 (2) (जेडक्यू) के तहत बनाया गया नियम 18	मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके बराबर।	(i) वेंटिलेशन सिस्टम और धूल, धुएं और भाप निकालने और इकट्ठा करने वाले सिस्टम और दूसरे सहायक उपकरणों के डिजाइन, बनाने, लगाने, टेस्टिंग में कम से कम 7 साल का अनुभव। (ii) उसे वेंटिलेशन और धुएं के लिए ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में मौजूदा प्रैक्टिस के कोड और टेस्ट के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए, और वह सिस्टम के असर के बारे में भरोसेमंद नतीजे पर पहुंच सके।	वेंटिलेशन सिस्टम को टेस्ट करने की सुविधाएँ, धूल, भाप और धुएं के लिए एक्सट्रैक्शन। सिस्टम का असर टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और गेज, और इन सिस्टम की एफिशिएंसी और काफी है या नहीं, यह तय करने के लिए जरूरी कोई भी दूसरा इक्विपमेंट। उसे एक रही क्वालिफाइड टेक्निकल व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो सिस्टम के काफी होने के बारे में सही नतीजे पर पहुँच सके।

अनुसूची–II

नियम (2) (7) देखे

उप अनुसूची 1

परिसकंटमय रसायनों की सूची

क्र०सं०	रसायन का नाम
1	एसीटोन
2	एसीटोन सायनोहाइड्रिन
3	एसिटिलीन क्लोराइड
4	एसीटोन (इथाईन)
5	आर्कोलिन (2–प्रोपेनल)
6	एक्रिलोटिरल
7	एल्डिकार्ब
8	राल्ड्रिन
9	अलकिल फिथेट
10	एनाइल अल्कोहल एरिड और साल्ट
11	एलियमिन
12	एइफा नैपथील थायो यूरिया (अंतु)
13	4–अमीनोडिफिनाइल एरबेस्टस
14	2–अमीनोफेनॉल
15	अमिटोन
16	अमोनिया
17	अमोनियम नाइट्रेट
18	उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट
19	अमोनियम राल्फामेट
20	एनाबेसिन
21	रंगों का रासायनिक आधार

22	पी–अनिसिडाइन
23	सुरमा और यौगिक
24	एंटीमनी हाइड्राइड (स्टिबाइन)
25	आर्सेनिक हाइड्रिस (एरिसाइन)
26	आर्सेनिक पेंटोक्साइड, आर्सेनिक (v)
27	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनियस (III)
28	अम्ल और लवण
29	अजीनफोस–इथाइल
30	अजीनफोस–मिथाइल
31	बेरियम एजाइड
32	बेंजीन
33	बैन्जीडाइन
34	बेंजीडाइन लवण
35	बेंजोक्यूनोन
36	बेंजॉयल क्लोराइड
37	बेंजोईल परिच्छेदेक्साइड
38	बेंजाइल क्लोराइड
39	बेंजाइल केनाईड
40	बेरिलियम (पाउडर, यौगिक)
41	बाईफिनाइल
42	बी आई एस (2–क्लोरोमेथिल) मिथाइल किटोन
43	बी आई एस (2, 4, 6–ट्रिनिट्रोफिनाइल) अमाइन
44	बी आई एस (2–क्लोरोइथाइल) सल्फाइड
45	बी आई एस (क्लोरो मिथाइल) ईथर
46	2, 2– बी आई एस (टर्ट–ब्युटाईपेरॉक्सी) ब्यूटेन
47	1, 1 – बी आई एस (टर्ट–ब्यूटाईपीआही) साइक्लोनेक्सेन

48	बी आई एस – 1,2 (ट्राइब्रोमोफेनोक्सी) ईथेन
49	बिरफेनॉल
50	बोरॉन और यौगिक
51	ब्रोमिन
52	ब्रोमिन पेंटाफ्लोराइड
53	ब्रोमोफॉर्म
54	1, 3–ब्यूटाडाइन
55	ब्यूटेन
56	एन–ब्युटेनिथॉल
57	2–ब्यूटानॉन
58	ब्युटॉक्सी इथेनॉल
59	ब्यूटाइल ग्लाईसीडल ईथर
60	टर्ट–ब्युटाई प्रौक्सैटेट
61	टर्ट–ब्युटाइल पेट्रोक्सीसोब्यूटिरेट
62	टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीसोप्रोपाईल कार्बोनेट
63	टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीसोमाल्टे
64	टर्ट–ब्युटाइल पेरोक्सीपिवेलेट
65	ब्युटाइल विनाइल ईथर एसिड और साल्ट
66	ब्युटामाइन
67	सी 9–एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन अंश
68	कैडमियम और यौगिक
69	कैडमियम ऑक्साइड (धुएँ)
70	कैल्शियम साइनाइड
71	कैप्टन
72	कैप्टोफॉल
73	कार्बेरिल (सेविन)
74	कैबोफुरान

75	कार्बन डाइसल्फाइड
76	कार्बन मोनोऑक्साइड
77	कार्बन टेट्राक्लोराइड
78	कार्बोफेनोथियोन
79	सेल्युलोज (विस्फोटकों में उपयोग)
80	क्लोरेट्स (विस्फोटकों में उपयोग)
81	क्लोरडेन
82	क्लोरफेनविनफोस
83	क्लोरीनयुक्त बेंजीन
84	क्लोरीन
85	क्लोरिन डाइऑक्साइड
86	क्लोरीन ऑक्साइड
87	क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड
88	क्लोरमिक्वेट क्लोराइड
89	क्लोरोएसेटल क्लोराइड
90	क्लोरोएसेटालडिहाइड
91	2–क्लोरोनाइलीन
92	4–क्लोरोनाइलीन
93	क्लोरोबेंजीन
94	क्लोरोडिफिनाइल
95	क्लोरोपॉक्सीप्रोपेन
96	क्लोरोएथेनॉल
97	क्लोरोइथाइलक्लोरोफॉर्मेट
98	क्लोरो फ्लोरोकार्बन
99	क्लोरोफार्म
100	4– (क्लोरोफॉर्मी) मॉर्फोलिन
101	क्लोरोमीथेन

102	क्लोरोमिथाइल ईथर
103	क्लोरोनाइटोबेंजीन
104	क्लोरोप्रीन
105	क्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल
106	क्लोरोप्रिनाइट्रोबेंजीन
107	क्लोरोक्सुरोन
108	क्रोमियम और यौगिक
109	कोबोइट और कम्पाउंड्स
110	तांबा और यौगिक
111	कॉमाफ्युराइल
112	कॉम्फोस
113	कौमाटेट्राइल
114	क्रीगिडाइन
115	क्रीगिडाइन
116	क्युमिन
117	सायनोफॉस
118	सायनोथियेट
119	सायन्यूरिक फ्लोराइड
120	साइक्लेहेक्सोन
121	साइक्लोहेक्सानॉल
122	साइक्लोहेक्सानॉन
123	साइक्लोहेक्सामाईड
124	साइक्लोपेंटाडाइन
125	साइक्लोपेंटेन
126	साइक्लोटेट्रैमेथिलेंट एर्सानिट्रामाइन
127	साइक्लोटोटीमिथाइलइनीट्रीनिट्रा
128	डीडीटी

129	डिकैब्रोमोडाइफिनाइल ऑक्साइड
130	डेमेटन
131	डि–आयसोब्युटराइल पेरोक्साइड
132	डि–एन–प्रोपाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट
133	डाई सेक ब्यूटाईल पेरोक्सीडाइकार्बनेट
134	डायलिफॉस
135	डाईजडायनाईट्रोफेनोल
136	डियाजोमिथेन
137	डाइबेंजाईल पेरॉक्सीडाइकार्बोनेट
138	डाइक्लोरोएसिटिलीन
139	ओ–डाइक्लोरोबेंजीन
140	पी–डाइक्लोरोबेंजीन
141	डाइक्लोरोइथेन
142	डिस्क्लोरोइथाइल ईथर
143	2, 4–डायक्लोरोफेनॉल
144	डायप्रोफाइलिन ग्लाईकॉलमिथाईलइथर
145	2, 4 डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक अम्ल (2,4–डी)
146	1, 2–डाइक्लोरोसैलिसिलिक अम्ल
147	3, 5–डाइक्लोरोसैलिसिलिक अम्ल
148	डिक्लोरोवोस (डी डी वी पी)
149	डायक्रोटोफॉस
150	डायलड्रिन
151	डाईपॉक्सीब्यूटेन
152	डायइथाइल पेरॉक्सीडाइकार्बोनेट
153	डायइथिलीन ग्लाइकोल डिनिट्रेट
154	डाईइथलिन ट्राइएमाइन

155	डायइथाइलीनग्लाइकोल ब्यूटाइल 1 ईथर /डाइइथाइलीनग्लाइकॉल ब्यूटाइल एसीटेट
156	डायथाइलीनट्रैमलाइन (डेटा)
157	डाइग्लाईसाडिल ईथर
158	2, 2–डायहाइड्रोपेरॉक्सीप्रोपोन
159	डायसोब्युटराइल पेरॉक्साइड
160	डाइमफॉक्स
161	डाईमेथोएट
162	डाइमिथाइल फॉस्फोरामीडोसाइनाइडिक एसिड
163	डाइमिथाइल पेथीऐट
164	डाइमिथाइलकार्बोमोइल क्लोराइड
165	डाइमिथाइलइनिट्रोसोमाइन
166	डाइनाइट्रोफिनॉल लवण
167	डिनिट्रोटोलुइन
168	डाईट्रो–ओ–क्रेसोल
169	डाइऑक्सेन
170	डाइऑक्साथियन
171	डायोक्सोलेन
172	डायफेरिनोन
173	मिथाइल डायफोस्फोरमीऑक्टामिथाईल
174	फॉर्मलडिहाइड
175	डायसल्फोटोन
176	एंडोसल्फान
177	एंड्रिन
178	एपिक्लोरोफाइड्रिन
179	ईपीएन
180	1, 2–एपोक्सिप्रोपेन

181	ईथियॉन
182	इथाइल कार्बामेट
183	इथाइल ईथर
184	इथाइल हैक्सानॉल
185	इथाईल मर्कप्टान
186	इथाइल मिथाक्राईलेट
187	इथाइल नाइट्रेट
188	ईथीलीन
189	एथिलीन क्लोरोफाइड्रिन
190	एथिलीन डाइमिन
191	एथिलीन डाइब्रोमाइड
192	एथिलीन साइक्लोराइड
193	एथिलीन ग्लाइकोल डायनाइट्रेट
194	इथिलीन ऑक्साइड
195	इथाइलीन लाईमिन
196	फ्लुएटिल
197	पेंसुल्फोथियन
198	फ्लेनेटिल
199	4–फ्लोरो, 2–हॉड्रॉक्साइब्यूट्रिक एसिड और साल्ट, इस्टर्स, एमाइड्स
200	फ्लोरोएसेटिक एसिड और साल्ट, इस्टर्स, एमाइड्स
201	फ्लोरोबूट्रिक एसिड और साल्ट, इस्टर्स, एमाइड्स
202	4 फ्लोरोक्रोटोनिक एसिड और साल्ट, इस्टर्स, एमाइड्स
203	ग्लाइकोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीसिटोनाइट्राइल)
204	1, गुआनिल –4 नाइट्रोसैमियाओगुएनिल 1–टेट्राजीन
205	हेप्टाक्लोर
206	हेक्साक्लोरो साईक्लोपेंटाडाइन

207	हेक्साक्लोरेसी क्लोहेक्सेन
208	हेक्साक्लोरेसी क्लोमिथेन
209	1, 2, 3, 7, 8, 9–हेक्साक्लोरोडा–बेंजियो डायोक्सिन
210	हेक्साफ्लोप्रोपीन
211	हेक्सामिथाइलफॉस्फोरमाइड
212	3, 3, 6, 6, 7, 8, हेक्सामिथाइल 1, 2, 4, 5, टेट्रोहेक्सी क्लोनोनेन
213	हेक्सामिथाइलिनडायामीन
214	हेक्सेन
215	2, 2, 4, 4, 6, 6–हेक्सानाट्रोस्टिलबीन
216	हैग्जावलेंट क्रोमियम
217	हाइड्राजीन
218	हाइड्रेजिन नाइट्रेट
219	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
220	हाइड्रोजन
221	हाइड्रोजन ब्रोमाइड (हाइड्रोब्रोमिक एसिड)
222	हाइड्रोजन क्लोराइड (तरलीकृत गैस)
223	हाइड्रोजन साइनाइड
224	हाइड्रोजिन फ्लोराइड
225	हाइड्रोजन साइनाइड
226	हाइड्रोजन सल्फाइड
227	हाइड्रोक्यूनोन
228	आयोडीन
229	आईसो बेंजेन
230	आइसोड्रिन
231	आइसोफोरोन डाइसोसायनेट
232	आइसोप्रोपाइल ईथर

233	जुगलोन (5–हाइड्रॉक्सिनैफथलीन 1,4–डायोन)
234	लीड (अकार्बनिक धुएं और धूल)
235	लीड 2, 4, 6–ट्रिनाट्रोरिसो–क्राइनॉक्साइड (लीड स्टाइफनेट)
236	लीड एजाइड
237	लेप्टोफोस
238	लिंडैन
239	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)
240	मेलेइक एनहाइड्राइड
241	मैंगनीज और यौगिक
242	मर्कैप्टो बैंजोथायाजोल
243	मरकरी एलकाईल
244	मरकरी फुलमिनेट
245	मरकरी मिथाइल
246	मिथाक्रिलिक एनहाइड्राइड
247	मिथाक्राइलोनाइट्राइल
248	मिथाक्राइलोइल क्लोराइड
249	मिथाक्राइलोइल क्लोराइड
250	मिथेनसुफोनाइलफ्लोराइड
251	मिथेनथिओल
252	मिथॉक्सी इथेनॉल (2–मिथाइल सेलोसॉल्व)
253	मिथोक्सी इथाइलमरक्युरिक एसीटेट
254	मिथाइल एक्रिलेट
255	मिथाइल अल्कोहल
256	मिथाइल अल्कोहल
257	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)
258	मिथाइल क्लोराइड

259	मिथाइल क्लोरोफॉर्म
260	नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड
261	मिथाइल साईक्लोहेक्सेन
262	मिथाइल इथाइल किटोन पेरॉक्साइड
263	मिथाइल हाइड्राजीन
264	मिथाइल आइसोब्युटाइल किटोन
265	मिथाइल आइसोब्युटाइल किटोन पेरॉक्साइड
266	मिथाइल साइनेट
267	मिथाइल आइसोथियोसायनेट
268	मिथाइल मार्कैप्टान
269	मिथाइल मिथाक्राइएट
270	मिथाइल पेरॉथियोन
271	मिथाइल फॉस्फोरिक डाइक्लोराइड
272	एन–मिथाइल, 2, 4, 6–टेट्रानाइट्रोएनिलिन
273	मीथिलीन क्लोराइड
274	4,4–मिथिलिनबिस (2 क्लोरोएनिलिन)
275	मिथाइलट्राइलोरोसिलेन
276	मेविनफोस
277	मीइबडिनम और यौगिक
278	एन–मिथाइल–एन, 2, 4, 6–एन–टेट्रानाइट्रो–एनिलिन
279	नेपथा (कोल तार)
280	2–नेपथाइलामाइन
281	निकल और यौगिक
282	निकल टेट्राकारबोनील
283	ओ–नाइट्रोएनिलीन
284	पी–नाइट्राएनिलिन
285	नाइट्रोबेजीन

286	पी–नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
287	नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन
288	नाइट्रोइथेन
289	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
290	पेन्टाक्लोरो इथेन
291	नाइट्रोग्लिसरीन
292	पी–नाईट्रॉफेनौल
293	1–नाइट्रोप्रोपेट
294	2–नाइट्रोप्रोपेट
295	नाइट्रोसोडी, एथाइलायमिन
296	नाइट्रोलोल्यून
297	ऑक्टाब्रोमोफिनायल ऑक्साइड
298	ओलियम
299	आलिलेमाइन
300	ओओ–डायइथाइल एस–इथाइलसल्फीनिल मिथाइल फॉस्फोरोथियोएट
301	ओओ– डायइथाइल एस–इथाइलसल्फोनिल मिथाइल फॉस्फोरोथिओएट
302	ओओ– डायइथाइल एस–इथाइलथियो मिथाइल फॉस्फोरोथियोएट
303	ओओ– डायइथाइल एस–आयसोप्रोपाइल थियोमिथाइल फॉस्फोरडिथिओएट
304	ओओ– डायइथाइल–प्रोपाइल थायो मिथाईल फॉस्फोरोडायथायोऐट
305	ऑक्सीमाइल
306	ऑक्सी–लिसल्फोटोन
307	ऑक्सीजन (तरल)

308	आक्सीजन डायफ्लोराइड
309	ओजोन
310	पैराक्सोन (डायइथाइल 4–नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट)
311	पैराकाट
312	पैराथियोन मिथाइल
313	पेरिस ग्रीन (बीआइएस एसीटो हेक्सा मेट्राआरसेनिटोटेट्रा कॉपर)
314	पेंटाबोरेन
315	पेंटाब्रोमोडायफेनाइल ऑक्साइड
316	पेंटाब्रोमोफेनॉल
317	पेंटाक्लोरोफिनॉल
318	पेंटाक्राइथ्रीफॉल टेट्रानाईट्रेट
319	पेंटेन
320	पैरासोटिक एसिड
321	परक्लोरोइथिलीन
322	परक्लोरोमिथाइल मर्कैप्टन
323	2–पेन्टानोन, 4–मिथाइल
324	पिनॉल
325	फिनाइल ग्लिसाइडल ईथर
326	फिनिलीन P–डायमिन
327	फिनाइलमरक्यूरी एसीटेट
328	फोरेट
329	फॉरौटिम
330	फॉसैसेटिम
331	फोसफोलन
332	फोसगेन (कार्बोनिल क्लोराइड)
333	फासमेट

334	फॉस्फैमाइडन
335	फॉरफाइन (हाइड्रोजन फॉरफाइड)
336	फॉस्फोरिक एसिड एवं इस्टर्स
337	फॉस्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2–डायमिथाइल प्रोपाइल) ब्रोमोइथाइल एस्टर
338	फॉस्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2–डायमिथाइलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
339	फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरोइथेब्रोमो (2, 2–डाय मिथाइल ऑक्सी प्रोपाइल) क्लोरो इथाइल इस्टर
340	फॉस्फोरस और यौगिक
341	फॉरटैलन
342	पिक्रिक एसिड (2, 4, 6–ट्राई नाईट्रो–फिनॉल)
343	पेंटा क्लोरो नेफथलीन
344	पोटेशियम आर्सेनाइट
345	पोटेशियम क्लोरेट
346	प्रोम्यूरिट (3, 4–डाइक्लोरोफिनाइल 3–ट्रायएजेनीथियोकार्बोसामाइड)
347	1, 3–प्रोपेनसॉल्टोन
348	1 प्रोपेन –2–ओगोरो 1, 3–डायोल–डायसोटेट
349	प्रोपिलीन डाइक्लोराइड
350	प्रोपिलीन ऑक्साइड
351	प्रोपीलीनलिमाइन
352	पायराजोक्सोन
353	सेलेनियम नेक्साम्युराइड
354	सैमिकार्बजाइडहाइड्रोक्लोराइड
355	सोडियम आरसियन

356	सोडियम अजाइस
357	सोडियम क्लोरेट
358	सोडियम साइनाइड
359	सोडियम पिक्रामेट
360	सोडियम सेलेनाइट
361	स्टाइरीन, 11, 2, 2–टेराक्लोरोइथेन
362	सल्फोटेप
363	सल्फर डाइक्लोराइड
364	सल्फर डाइऑक्साइड
365	सल्फर ट्राइऑक्साइड
366	सल्फ्यूरिक एसिड
367	सल्फोक्साइड, 3–क्लोरोप्रोपिआक्टाइल
368	टेल्यूरियम
369	टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड
370	टीईपीपी
371	टरब्यूफोस
372	अल्फा–टेराब्रोमोबाइसफेनोल
373	2, 2, 5, 6–टेट्राक्लोरो–2, 5–साइक्लोहेक्साडीन–1, 4–डायन
374	2, 3, 7, 8–टेट्राक्लोरोडायबेजो–पी डायोसिन (सीडीडी)
375	टेट्राफ्लुओरोएथेन
376	टेट्रामेथिलीन डायुल्फोट्रेट्रामाइन
377	टेट्रामेथाइल लेड
378	टेट्रानाइट्रोमिथेन
379	थैलियम और यौगिक
380	थायोनेजिन
381	थियोनिल क्लोराइड

382	थियोनिल क्लोराइड
383	टरपेट
384	टॉल्युन
385	टोल्युन–2–4–डायोसोसायनेट
386	0–टोल्यूडाइन
387	टोल्युन 2, 6–डाय आइसोसायनेट
388	ट्रांस –1, 4 क्लोरोब्यूटिन
389	1–ट्राई, (साइक्लो हेक्साइल) स्टैनी एम एच 1, 2, 4 ट्रायजोल
390	1, 2, 4 ट्राईजोल
391	2, 5 ट्रायमिनो 2, 4, 5, ट्रायनाट्रोबेंजीन।
392	2, 4, 6–ट्राइ ब्रोमोफेनॉल
393	ट्राइ क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड
394	ट्राइ क्लोरो ईथेन
395	ट्राइ क्लोरो नेप्थलीन
396	ट्राइ क्लोरोक्लोरो मिथाइल आईसलेन
397	ट्राइक्लोरो डाय क्लोरो फिनाईल आईसीलेन
398	1, 1–ट्राइक्लोरोएथेन
399	ट्राइ क्लोरो इथाईल सिलेन
400	ट्राई क्लोरो इथीलीन
401	ट्राइ क्लोरो मिथेने सल्फाइनिल
402	2, 4, 5–ट्राइक्लोरोफेनोल
403	ट्राइएथिलमाइन
404	ट्राइथिलीनग्लेलमाइन
405	ट्राइमेथाइलक्लोरोसिलन
406	ट्राइमेथाइलोप्रोपेन फॉस्फाईट
407	ट्राई नाईट्रो एनिलीन

408	2, 4, 6 ट्राई नाईट्रो एनिसोल
409	ट्राई नाईट्रो बेंजीन
410	ट्राईनाइट्रो बेंजोइक एसिड
411	2, 4, 6–ट्रायनाइट्रोरसोरिसिनॉल (स्टाइफनिक एसिड)
412	ट्राईनिट्रोटोलुइन
413	ट्राईक्रोक्रेसील फॉस्फेट
414	ट्राइफिनाइलिन क्लोराइड
415	तारपीन
416	यूरेनियम और यौगिक
417	वेनडियम एंड कॉम्पंड्स
418	विनाइल क्लोराइड
419	विनाइल फ्लोराइड क्लोराइड
420	वारफरिन
421	जाइलीन
422	जाइलिडिन
423	जस्ता और यौगिक
424	जिरोनियम और यौगिक

उप–अनुसूची –2

प्रतिष्ठापन का पृथक भंडारण

(क) अधिभोगी से संबंधित नीचे दी गई मात्राएँ प्रत्येक प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापनों के समूह जहाँ प्रतिष्ठापनों के बीच की दूरी प्रतिकूल परिस्थतियों से बचने के लिए बडी दुर्घटना, जोखिमों की किसी अपवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मात्रा किसी भी मामले में उस अधिभोगी से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठापन पर लागू होती है जहाँ प्रतिष्ठापन के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) पृथक भंडारण में परिसंकटमय रसायन की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से, किसी भी परिसंकटमय रसायन का भी ध्यान रखा जाएगा जो है: –

(i) किसी भी पाइपलाइन के उस हिस्से में अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन, जिसका स्थल पर नियंत्रण हो, जो उस स्थल के 500 मीटर के अंदर में हो और उससे जुड़ा है;

(ii) अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य स्थल पर सीमा के किसी भी हिस्से को उक्त स्थल के 500 मीटर के अन्दर में हो; तथा

(iii) उसी अधिभोगी के नियंत्रण में, किसी भी वाहन, पोत, विमान या हवरक्राफ्ट में जिसका उपयोग भंडारण उद्देश्य के लिए या तो स्थल पर या उसके 500 मीटर के अन्दर किया जाता है।

लेकिन किसी भी खतरनाक रसायन का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा जो परिवहन के लिए वाहन, पोत, विमान या होवरक्राफ्ट में होता है।

क्र०सं०	रसायन या रसायनों का समूह	मात्रा (टन)
1	2	3
1.	एक्राईलोनाइट्राइल	5,000
2.	अमोनिया	601
3.	अमोनियम नाइट्रा (ए)	2,500*
4.	अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक (बी)	10,000
5.	क्लोरीन	25
6.	ज्वलनशील गैसें जैसा अनुसूची 1, परिच्छेद (ख) (i) में परिभाषित है।	300
7.	अति ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसा अनुसूची 1, परिच्छेद (ख) (ii) में परिभाषित है।	1,00,000
8.	तरल ऑक्सीजन	2,000
9.	सोडियम क्लोरेट	250

10.	सल्फर डाइऑक्साइड	50
11.	सल्फर ट्राईऑक्साइड	100

* जहाँ यह रसायन एक ऐसी स्थिति में है, जो इसे बड़ी दुर्घटना के खतरे को पैदा करने में सक्षम बनाता है।

(क) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण पर लागू होता है जहाँ अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन सामग्री वजन से 2 प्रतिशत से अधिक है और अमोनियम नाइट्रेट के पर्याप्त घोल के लिए जहाँ अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता वजन से 90 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) यह सीधे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और यौगिक उर्वरकों पर लागू होता है जहाँ अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन सामग्री वजन से 28 प्रतिशत से अधिक होती है (एक यौगिक उर्वरक में फॉस्फेट और या पोटाश के साथ अमोनियम नाइट्रेट शामिल होता है)।

उप–अनुसूची –3

(क) नीचे उल्लेख की गई मात्राएँ एक ही अधिभोगी से संबंधित प्रत्येक प्रतिष्ठापन या प्रतिष्ठापन के समूह से संबंधित हैं, जहाँ प्रतिष्ठापन के बीच की दूरी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए वहाँ दुर्घटनाओं जोखिमों की किसी अपवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मात्रा किसी भी मामले में उसी अधिभोगी से संबंधित प्रतिष्ठापनों के प्रत्येक समूह पर लागू होती हैं जहाँ प्रतिष्ठापनों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठापन में परिसंकटमय रसायन की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से, किसी खतरनाक रसायन का भी ध्यान रखा जाएगा, जो है: –

(i) किसी भी पाइपलाइन के उस हिस्से में, जो अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन जिसका स्थल नियंत्रण हो, के 500 मीटर के अंदर में है, और उसको जुड़ा हो;

(ii) अधिभोगी के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य स्थल पर सीमा में किसी भी हिस्से का उक्त स्थल के 500 मीटर के अंदर हो।

(iii) उसी अधिभोगी के नियंत्रण में किसी भी वाहन, पोत, विमान या हवरक्राफ्ट पर, जिसका उपयोग भंडारण उद्देश्य के लिए या तो स्थल पर या उसके 500 मीटर के अंदर किया जाता है।

लेकिन किसी भी खतरनाक रसायन का कोई भी हिसाब नहीं लिया जाएगा जो कि वाहन, जहाज, विमान या हवरक्राफ्ट में होता है जिसे परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

भाग–1

नमित रसायन

क्र०सं०	रसायन	मात्रा		सी.ए.एस. संख्या
1	2	3		4
समूह 1 विषाक्त रसायन		कि०ग्रा०		
1	एल्डिकार्ब	100	...	116-06-3
2	4–एमीनोडायफेनी	1	...	92-67-1
3	एमिटोन	1	...	78-53-5
4	एनाबेसिन	100	...	494-52-0
5	आर्सेनिक पेंटोक्साइड, आर्सेनिक (V) अम्ल और लवण	500	...	...
6	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक (III) अम्ल और लवण	100	...	...
7	आर्साइन (आर्सेनिक हाइड्राइड)	10	...	778442-1
8	एजिनफॉस–इथाइल	100	...	2642-71-9
9	एजिनफॉस–मिथाइल	100	...	86-50-0
10	बैन्जीडाइन	1	...	92-87-5
11	बेंजिडिनो लवण	1	...	...

12	बेरिलियम (पाउडर, यौगिक)	10	...	...
13	बी आई एस (2–क्लोरोइथाइल) सल्फाइड	1	...	505-60-2
14	बी आई एस (क्लोरोमिथाइल) ईथर	1	...	542-88-1
15	कार्बोफुरान	160	...	1563-66-2
16	कार्बोफिनोथियॉन	160	...	786-19-6
17	क्लोरो फेनविनफॉस	100	...	470-90-6
18	4–(क्लोरोफॉर्मी) मॉर्फोलायर	1	...	15159-10-7
19	क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर	1	...	107-30-2
20	कोबिट धातु, ऑक्साइड, कार्बोनेट सल्फाइड, पाउडर के रूप में	1t	...	...
21	क्रिमिडमी	100	...	535-89-7
22	सायनथोएट	100	...	3734-95-0
23	साईक्लोहेक्सीमाइड	100	...	66-81-9
24	डेमेटान	100	...	8065-48-3
25	डायलिफॉस	100	...	10311-84-9
26	को–डाइ इथाइल एस–एन्थल सल्फीनाईल विनाइल मिथाइल फॉस्फोरोथिएट	100	...	2588-06-08
27	ऑक–डाइ इथाइल एस–इथाइल सल्फोनाइल, मिथाइल	100	...	2588-06-09
28	फॉस्फोरोथियोएट डाय इथाइल	100	...	2600-69-3
29	एस–ओथाइल थायो मिथाइल, फॉस्फोरोथियोएटऑक–डाइ इथाइल एस–आइसोप्रोफिथियो–मिथाइल	100	...	78-52-4

30	फॉरफोरोथियोएट ऑक–डाइ इथाइल	100	...	3309-68-0
31	एस–प्रोफलिथियोमिथाइल फॉरफोरोथियोएट डाइम फॉक्स	100	...	115-26-4
32	डायमिथाइलकार्बामॉइल क्लोराइड	1	...	70-44-7
33	डाइमिथाइलकार्बामॉइल	1	...	62-75-9
34	डाई मेथाइल फॉरफोरेमाइडोसाइनिडिक एरिड	1	...	63917-41-9
35	डायफारीनोन	100	...	82-66-6
36	डायसल्फोटॉन	100	...	298-04-4
37	ईपीएन	100	...	2104-64-5
38	इथियन	100	...	563-12-2
39	फेंसल्फोथियन	100	...	115-90-2
40	फ्लुएरेटिल	100	...	4301-50-2
41	फ्लोरोएसेटिक अम्ल	100	...	144-94-0
42	फ्लोरोएसेटिक अम्ल इस्टर्स	1	...	...
43	डिट्टो	1	...	...
44	फ्लोरोएसेटिक एसिड एमाइड्स	1	...	...
45	4–फ्लोर्स ब्यूटेरिक एसिड	1	...	462.23-7
46	4–फ्लोरो ब्यूटेरिक एसिड साल्ट	1	...	...
47	4–फ्लोरो ब्यूटेरिक इस्टर्स	1	...	...
48	4–फ्लोरो ब्यूटेरिक एसिड एमाइड्स	1	...	...
49	फ्लोरोक्रोटोनिक एसिड	1	...	37759.72-1
50	डिट्टो	1	...	...
51	डिट्टो	1	...	...
52	4.4 फ्लोरोक्रोटनिक अम्ल, एमाइड्स	1	...	...

53	फ्लोरो–2–बायड्रॉक्सी ब्यूटेरिक अम्ल	1	...	...
54	4–फ्लोरो–2–हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल, लवण	1	...	...
55	4–फ्लोरो–2–हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक अम्ल इस्टरर्स	1	...	...
56	4–फ्लोरो–2–हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रिक अम्ल, एमाइड	1	...	...
57	ग्लाइकोलोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सी एसिटोनाईट्राइल)	100	...	107-16-4
58	1, 2, 3, 7, 8, 9–हेक्साक्लोरोडायबोनजो पी–डाइऑक्सिन	100	...	19408-74-3
59	हेक्सा मिथाईलफॉ स्फोरेमाइड	11	...	680-31-9
60	हाइड्रोगेसलेक्साइड	10	...	7783-07-5
61	आइसोड्रिन	100	...	297-78-9
62	आइसोड्रिन	100	...	465-73-6
63	जग्लोन (5–हाइड्रॉक्सिनैफथलीन –1, 4–डायन)	100	...	481-39-0
64	4,4–मेथिलिनबिस (2–क्लोरोएनिलाइन)	1	...	101.14.0
65	मिथाइल आइसोसाइनेट	150	150 kg.	624-83-9
66	मेविन्फॉस	100	...	7786-34-3
67	2–नेप्थाइल लेमिन	1	...	91-59-3
68	निकल धातु, ऑक्साइड, कार्बोनेट सल्फाइड, पाउडर के रूप में।	1t	...	...
69	निकल टेट्राकार्बोनाइल	10	...	13463-39-3

70	ऑक्सीडायलफॉलटॉन	100	...	13463-39-3
71	ऑक्सीजन डायफ्युराइड	10	...	7783-41-7
72	पेरेक्सॉन (डाइ इथाइल 4–नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट)	100	...	311-45.5
73	पेराथियॉन	100	...	56-38-2
74	पेराथियॉन–मिथाइल	100	...	298.000.0
75	पेटाबोरेन	100	...	19624.22-7
76	फोराटेल	100	...	298.02-2
77	पेराथियॉन	100	...	56-38-2
78	फॉरिजन (कार्बोनिल क्लोराइड)	750	75 ½ kg	75-44.5
79	फॉस्फैमिडॉन	100	...	13171-21.6
80	फॉस्फीन (हाइड्रोजन फॉस्फाइड)	100	...	7803-51.2
81	प्रोम्यूरिट (1 – (3, 4–डाइक्लोरोफिनाइल) –3–ट्रायएजेनेथियो कार्बोक्सामाइड)	100	...	5836-73-7
82	1, 3 प्रोपेन सल्टॉन	1	...	1120-71-4
83	1 –प्रोपेन –2–क्लोरो –1, 3–डायोल डिसिटेट)	10	...	10118-72-6
84	पायराजॉक्सॉन	100	...	108-34.9
85	सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड	10	...	7783-79-1
86	सोडियम सेलेनाइट	100	...	10102-18.8
87	स्टीबाइन (एंटीमनी हाइड्राइड)	100	...	7803-52-3
88	सल्फोटॉप	100	...	3689-24.5
89	सल्फर डाइक्लोराइड	1t	...	10545-99.0

90	टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड	100	...	7783-80-4
91	टीईपीपी	100	...	107-49.3
92	2, 3, 7, 8 टेट्राक्लोरोडायबेंजी–पी–डाइऑक्सिन (टीसीडीडी)	1	...	1746-01.6
93	टेट्रा मिथाइल इंडिस्कल–फिटेट्रामाइन	1	...	80-12.6
94	थियोनाजिन	100	...	297-97-2
95	त्रायपेट (2, 4–डायमिथाइल–1, 3–डायथियो–लेन–2–कार्बोक्सालडिहाइड – मिथाइल–कार्बेमेलेक्सिम)	100	...	26419-73-8
96	ट्राइक्लेरेमिथेनसल्फिनाइल क्लोराइड	100	....	194-42-3
97	1–ट्राई (सायहेक्साइल) स्टैनाइल 1–1 –एच 1, 2, 4–ट्राएजिल	100	...	41083-11-8
98	ट्राइ इथाइलइमेलमाइन	10	...	51-18.3
99	वारफरिन	100	...	81-81-2
	समूह–2 विषाक्त रसायन (मात्रा–टन)			
100	एसीटोन साइनेहाइड्रिन	200t	...	75-86-5
101	एक्रेलिन (8–प्रोपेनल)	20t	...	107-02-8
102	एक्रीलोनाइट्राइल	20 टी	200t	107-13-1
103	एल्याल्कोहल (2–प्रोपेन–1–1)	200t	...	107-13-1
104	एलिलमाइन	200t	...	107-11-9
105	अमोनिया	50 टी	500t	7664-41-7
106	ब्रोमिन	40t	...	7726-95-6
107	कार्बन डाइसल्फाइड	20 टी	200t	75-15-0

108	क्लोरीन	10 टी	25t	7782-50-5
109	डाय फिनाइल मिथेन डि–आइसोसाय–नेट (एमडीआई)	20t	...	101-68-8
110	एथिलीन डाइब्रेमाइड (1, 2–डायब्रोमो–मीथेन)	5t	...	106-93 4
111	इथाइल इमाइन	50t	...	151-56-4
112	फॉर्मलडिहाइड (सांद्रता 9%)	5t	...	50.00.0
113	हाइड्रोजन साइनाइड (तरलीकृत गैस)	25t	250t	7647-01.0
114	हाइड्रोजन साइनाइड	5t	20t	74-91.8
115	हाइड्रोजन फ्लोराइड	5t	50t	7664-39.3
116	हाइड्रोजन फ्लोराइड	5t	50t	7783-06.4
117	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन)	20t		74-83.9
118	नाइट्रोजन ऑक्साइड	50t	...	11104-93-1
119	प्रोपिलीनिमाइन	50t	...	75-55-8
120	सल्फर डाइऑक्साइड	20t	250t	05-09-7446
121	सल्फर ट्राईऑक्साइड	15t	75t	746-11-9
122	टेट्रामिथाइल लेड	5t	...	75-74-1
123	टेट्राइथाइल लेड	5t	...	75-74-1
124	टोल्यूनो डाय–आइसोसाइनेट (टीडीआई)	10t	...	584-84-9
	अति प्रति क्रियाशील रसायन			
125	एसिटिलीन (इथाइन)	5t	...	74-86-2
126	अमोनियम नाइट्रेट (1)	350t	250t	6484-52-2
127	1,2 बिआईएस (टर्ट–ब्यूटाइल–परॉक्सीसाइक्लो हेक्सेल) साइक्लोहेक्सेन (सांद्रता–80%)	5t	...	3006-86-8

128	1, 1–बि आई एस (टर्ट–ब्यूटाइल–पेरॉक्सी) साइक्लोहेक्सेन (सांद्रता–60%)	5t	...	3006-86-8
129	टर्ट–ब्यूटाइल पेरॉकसी एसीटेट (सांद्रता–70%)	5t	...	107-71-1
130	टर्ट–ब्यूटाइल पेरॉकसीसोबाइरेट (सांद्रता–80%)	5t	...	109-13-7
131	टर्ट–ब्यूटाइल पेरॉकसी–इसोप्रोफाइल कार्बोनेट (सांद्रता–80%)	5t	...	2372.21-6
132	टर्ट–ब्यूटाइल पेरॉकसी–मिलेट (सांद्रता–80%)	5t	...	1931-62.0
133	टर्ट–ब्यूटाइल पेरॉकसी पाईवैलेट (सांद्रता–77%)	50t	...	927-07.1
134	डाइबेंजाइल पेरॉकसी डाइकार्बोनेट (सांद्रता–90%)	5t	...	2144-45.8
135	डाइ–सेक–ब्यूटाइल पेरॉकसीडाइकार्बोनेट (सांद्रता –80%)	5t	...	19910-65.7
136	डाय इथाइल पेरॉकसीडाइकार्बोनेट (सांद्रता –30%)	50t	...	14666-78-5
137	2, 2–डायहाइड्रैपरॉक्सिप्रिपेन (सांद्रता –30%)	5t	...	2614-76.8
138	डाइ–आइसो ब्यूटराइल पेरॉकसीसाइड (सांद्रता –50%)	50 टी	...	3437-84-1
139	डाइ–एन–प्रोपाइल पेरपॉक्सी डाइकार्बोनेट (सांद्रता –80%)	5 टी	...	16066-38-9

140	इथिलीन ऑक्साइड	5 टी	50t	75-21-8
141	इथाइल नाइट्रेट	50 टी	...	625-58-1
142	3, 3, 6, 6, 9, 9–हेक्सा मिथाइल –1, 2, 4, 5–टेट्रॉक्सैसी क्लौनैसं (सांद्रता–75%)	50 टी	...	22397-33-7
143	हाइड्रोजन	2 टी	50t	1333-74-0
144	तरल ऑक्सीजन	200 टी	...	7782-44-7
145	मिथाइल इथाइल कीटोन पेरॉक्करीक्साइड (सांद्रता–60%)	5 टी	...	1338-23.4
146	मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन पेरॉक्करीसाइड (सांद्रता–60%)	50 टी	...	37206-20.5
147	पेरॉक्करीटिक एसिड (सांद्रता–60%)	50	...	79-213
148	प्रोपीलीन ऑक्साइड	5 टी	...	75-56-9
149	सोडियम क्लोरेट	251	...	09-09-7775
	समूह–4 विस्फोटक रसायन			
150	बेरियम एजाइड	50 टी	...	18810-58-7
151	बिस (2, 4, 6–ट्राइनिटो फिनाइल) अमाइन	50	...	131-73-7
152	क्लोएटेट्री नाइट्रोबेंजीन	50 टी	...	28260-61-9
153	सेल्युलोज नाइट्रेट (12.9% नाइट्रोजन युक्त)	50 टी	...	9004-70-0
154	साइक्लेटेट्रोमिथाईलइन्टेरा नाईट्रेएमाइन	50 टी	...	2691-41-0
155	साइक्लो ट्राई मिथाइलइन्ट्राइ नाईट्रेएमाइन	50 टी	...	121-82-4
156	आइ नाइट्रोफिनेल	10 टी	...	7008-81-3

157	डाइ इथाइलीन ग्लाइसोलडाय नाईट्रेट	10 टी	...	693-21-0
158	डाईनाइट्रो फिनेल, साल्ट	50 टी	...	
159	एथिलीन ग्लाइसेल डिनाइट्रेट	10 टी	...	628-96-6
160	1 –गुआनाइल–4– नाइट्रोसेमाइनओगुआनाइल 1 –टेट्राजिन	10 टी	...	109-27-3
161	2, 2, 14, 4, 6, 6–हेक्सानाइट्रोस्टिल विनियों	50	...	20062-22-0
162	हाइड्रैजाइन नाइट्रेट	50 टी	...	13464-97-6
163	लीड एजाईड	50 टी	...	13424-46-9
164	लीड स्टाइलफनेट (लीड 2, 4, 6–ट्राइ नाईट्रो–रेसोरेसिनक्साइड)	50 टी	...	15245-44-0
165	मरकरी फलमिनेट	10 टी	...	628-86-4
166	एन- मिथाइल–एन, 2, 6–टेट्रा नाईट्रोएनिलिन	50t	...	479.45-8
167	नाइट्रोग्लिसरिन	10t	10 टी	55-63-0
168	पेंटाक्राइल रिटोलटेट्रानाइट्रेट	50t	...	78-11-5
169	पिक्रिक एसिड (2, 4, 6–ट्राइनाइट्रो फेनोल)	50t	...	81-89-1
170	सोडियम पिक्रेमेट	50t	...	831-52-7
171	स्टाइफनिक एसिड (2, 4, 6–ट्राइ नाइट्रोरजर–सिनोल)	50t	...	82-71-3
172	1, 3, 5–ट्राइ अमिनो –2, 4, 6–ट्राइ नाइट्रो बेंजीन	50t	...	3058-38-6
173	ट्राई नाइट्रोएनिलिन	50t	...	26952-42-1
174	2, 4, 6–ट्राइ नाइट्रो एनिसोल	50t	...	606-35-9

175	ट्राइ नाइट्रोबेंजीन	50t	...	25377-32-6
176	ट्राइ नाइट्रोबेंजोइक एसिड	50t	...	35860-50-5
177	ट्राइ नाइट्रो क्रेसोल	50t	...	28905-71-7
178	2, 4, 6, ट्राइ नाइट्रोफिनेशेल	50t	...	4732-14-3
179	2, 4, 6 ट्राइ नाइट्रोटॉलेन	50t	50 टी	118-96-7

अनुसूची III
अनुसूची–क
शुल्क
(नियम 64(5) देखें)

(क) कोड के तहत परिभाषित कारखानों के लिए मूल लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु देय शुल्क।
बिजली पैदा करने, बदलने या ट्रांसमिट करने वाले सेक्शन/फैक्ट्री के अलावा।

क्र० सं०			अनुज्ञप्ति वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या											
मशीनरी एवं प्लांट की कुल निर्धारित क्षमता (पावर) अश्वशक्ति में			19	50	100	250	500	750	1000	2000	5000	10000	25000	25000 से अधिक
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	शून्य		600	2340	2700	3300	4500	6000	9000	10500	12000	13500	14700	18000
2	अधिक नहीं	10	1350	2400	3300	4500	6900	12000	15000	18000	27000	57000	60000	150000
3	"	50	2700	3900	4500	6300	99000	12900	18600	21000	30000	60000	72000	180000
4	"	100	3900	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	75000	90000	186000
5	"	250	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	48000	94500	151500	225000
6	"	500	21600	27000	28500	30000	33000	42180	49740	56250	101250	126630	197340	292500
7	"	1000	27000	28500	30000	36900	42750	50040	56250	70290	110040	135000	216540	304200
8	"	2000	28500	30000	36900	50100	56250	71250	75300	81300	118140	143790	226800	315000
9	"	5000	36900	50100	54000	57300	60000	75300	81300	84450	135000	154650	246000	332100
10	"	10000	54000	57000	60000	75300	81300	84450	135000	154650	183000	246000	273900	363000
11	"	25000	81360	84460	135000	154650	183000	246000	273900	303300	330000	363000	480000	51000
12	अधिक	25000	84450	154650	183000	246000	273900	303300	330000	393000	480000	507000	510000	540000

अनुसूची–ख

विद्युत जेनरेटिग एवं ट्रासंफार्मिग केन्द्र (कारखाना):–

	कुल स्थापित जेनरेटर क्षमता (किलो वाट में) किलो वाट	जेनरेटिंग केन्द्र ₹	ट्रासंफार्मिंग (रूपांतरण केन्द्र के साथ) ₹
अधिक नहीं	50	1500	900
वही	100	2700	1500
वही	150	3900	2700
वही	300	4500	4200
वही	500	6000	4500
वही	750	9000	6750
वही	1000	12000	9000
वही	2500	21000	12900
वही	5000	27000	15000
वही	10000	33000	18000
वही	25000	45000	27000
वही	50000	72000	36000
वही	75000	91200	45000
वही	100000	117000	54000
वही	150000	144000	72000
वही	200000	180000	108000
वही	300000	234000	144000
वही	300000	288000	180000

(ख) सभी संचारण केन्द्र (कारखाना)–32,500/–

स्पष्टीकरण. –

1. प्लांट की मशीनरी की टोटल रेटेड कैपेसिटी (पावर) का मतलब है:–

(क) प्लांट की मशीनरी के मामले में जो पावर बनाती या देती है, रेटेड जेनरेटिंग या प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी (पावर) जो हॉर्स पावर में बताई जाती है।

(ख) किसी प्राइम–मूवर के मामले में बढ़ी हुई कैपेसिटी जो हॉर्स पावर में बताई जाती है।

(ग) किसी दूसरे प्लांट या मशीनरी के मामले में हॉर्स पावर में बताई गई पावर, मशीन को उसकी नॉर्मल रेटेड कैपेसिटी पर चलाने के लिए ज़रूरी के०डबल्यू०।

(घ) इलेक्ट्रिक फर्नेस, ओवन या ऐसे ही प्लांट के मामले में, उनके रेटेड या नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उनकी खपत को हॉर्स पावर में बदला जाता है।

(ङ) कोयले, तेल, गैस या किसी दूसरे फ्यूल से चलने वाली फर्नेस, ओवन और ऐसे ही प्लांट के मामले में, हॉर्स पावर में बदली गई बराबर इलेक्ट्रिक पावर।

(च) स्टीम बॉयलर और स्टीम जनरेटर के मामले में, बॉयलर की रेटेड कैपेसिटी जो हॉर्स पावर में बताई जाती है।

प्रक्रिया स्टीम की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बॉयलर के लिए, हर घंटे 34.5 एल०बी०एस० पानी इवैपोरेशन कैपेसिटी को हॉर्स पावर के बराबर माना जाएगा।

2. जहाँ किसी कारखाना के अपने बिजली बनाने वाले प्लांट हैं, वहाँ पूरी कारखाना के लिए फीस की रकम, शेड्यूल क के हिसाब से कैलकुलेट किए गए पावर बनाने वाले प्लांट को छोड़कर कारखाना के लिए देने वाली रकम और शेड्यूल ख के हिसाब से पावर बनाने वाली यूनिट के लिए देने वाली रकम को जोड़कर मिलेगी।

जहाँ किसी कारखाना का अपना ट्रांसफॉर्मिंग स्टेशन है, वहाँ फीस की रकम भी इसी तरह कैलकुलेट की जाएगी।

जहाँ किसी कारखाना के पास बाहरी सोर्स से एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए अपना जनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसफॉर्मिंग स्टेशन दोनों हैं, वहाँ फीस की रकम, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसफॉर्मिंग स्टेशन और बाकी कारखाना के लिए देने वाली फीस को जोड़कर मिलेगी, जैसे कि वे अलग–अलग कारखाना हों।

3. स्टीम पावर स्टेशन में, सिर्फ़ जेनरेटिंग यूनिट्स की कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाएगा, बॉयलर्स की नहीं।

लेकिन अगर ऐसे किसी पावर स्टेशन में प्रक्रिया स्टीम की सप्लाई के लिए कोई बॉयलर है, तो ऐसे बॉयलर या बॉयलर के हिस्से को इंस्टॉल्ड हॉर्स पावर कैलकुलेट करने के लिए अलग से गिना जाएगा।

4. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के कैलकुलेशन में सभी स्पेयर स्टैंड बाय और इमरजेंसी मशीनों और प्लांट्स को ध्यान में रखा जाएगा, और उन्हें वर्किंग यूनिट्स माना जाएगा और उन्हे सिर्फ़ इस आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा कि वे सिर्फ़ स्टैंड बाय, स्पेयर या इमरजेंसी यूनिट्स थीं, जिन्हें सिर्फ़ खास मौकों और इमरजेंसी में ही ऑपरेट किया जाना है।

5. जहाँ कोई मशीन इलेक्ट्रिक मोटर या किसी दूसरे प्राइम–मूवर से चलती है, तो उस मोटर की हॉर्स पावर में रेटेड कैपेसिटी को मशीन की रेटेड कैपेसिटी माना जाएगा, और मोटर या प्राइम–मूवर की कैपेसिटी और चलाई जा रही मशीन की कैपेसिटी को अलग से नहीं गिना जाएगा।

6. जहां बिजली बनाने वाली कारखाना में एक ट्रांसमिटिंग या कन्वर्टिंग स्टेशन या प्लांट शामिल है, जो जनरेटिंग स्टेशन के बाहर के सोर्स से सप्लाई की गई बिजली को रिकवर करने, बदलने या ट्रांसमिट करने के लिए है और जो जनरेटिंग स्टेशन में ही बनी बिजली को बदलने, बदलने या ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, तो देने वाली फीस, जनरेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग (कन्वर्टिंग सहित) स्टेशन द्वारा दी जाने वाली फीस का कुल जोड़ होगी, जिसे सब–हेड () के तहत और ट्रांसमिटिंग स्टेशन द्वारा सब–हेड (इ) के तहत तय फीस की दर के अनुसार अलग–अलग कैलकुलेट किया जाएगा।

अनुसूची–IV

उप–अनुसूची –1

वातित जल का निर्माण तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाएँ

1. **मशीनों की घेराबंदी**– बोतलों या सायफनों को भरने के काम में लाए जाने वाले समस्त मशीन इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे, रखे जाएंगे या घेराबंदी किए जाएँगे, जो यथासाध्य, कारखानें में नियोजित किसी व्यक्ति के, फटने वाली बोतल या सायफन के टुकड़े के प्रहार से रोक सके।

2. **मुख कवच तथा लोहे के दस्ताने**– (1) बोतलों को भरने के कार्य में लगे हुए सारे व्यक्तियों के उपयोग या सावधानी के लिए अधिभोगी –

(क) चेहरा, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त मुख कवच: और

(ख) सम्पूर्ण बाहों की रक्षा हेतु दोनों बाहों के लिए लोहे के उपयुक्त दास्ताने प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा:

परन्तु

(i) कण्डिका 2 (1) उस दशा में लागू नहीं होगी, जहाँ स्वचालित मशीन बोतलो से भरी जाती हों, जो इस प्रकार निर्मित हो कि फटने वाली बोतल का कोई भी टुकड़ा न निकल सकता हो, और

(ii) जहाँ मशीन इस प्रकार निर्मित हो कि कार्य कर रहे बोतल भरने वाले की केवल एक बाँह ही खतरे में हो तो उस हाथ के लिए जो खतरे में न हो, लोहे का दस्ताना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) कार्क लगाने, ढक्कन लगाने, पेंच लगाने, तार लगाने, पन्नी लगाने, कैप्सूल बनाने, अवलोकन करने या बोतल या साइफन का लेबल लगाने के काम में लगे सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिभोगी –

(क) चेहरे, गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त मुख कवच, और (ख) बाँह का और कम से कम आधी हथेली और अंगूठे और तर्जनी के मध्य स्थल की रक्षा करने के लिए दोनों बाहों के लिए लोहे के उपयुक्त दस्ताने प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा।

3. मुख कवच तथा लोहे के दास्तानें का पहना जाना– कंडिका–2 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में लगे हुए समस्त व्यक्ति, ऐसी प्रक्रियाओं में कार्य करते समय उक्त कंडिका के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए मुख कवच तथा लोहे के दास्ताने पहनेंगे।

4. चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण – (1) इस अनुसूची में लागू प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार वर्णित जल प्रक्रियाओं में इस आधार पर नियोजन के लिए अब योग्य नहीं है कि उसमें कामगार के स्वास्थ्य का खतरा शामिल होगा, वह अपने निष्कर्षों को उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य पंजी में रिकार्ड रखेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है। ऐसी परिस्थितियों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थानन की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तरह से अक्षम न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वासित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न देता हो।

(4) उपयुक्तता और स्वास्थय पंजी अनुरक्षित की जाएगी तथा निरीक्षक सह सुकारक एवं चिकित्सा निरीक्षक सह सुकारक द्वारा जाँच के लिए सुलभ रखा जाएगा।

उप–अनुसूची 2

विद्युत अपघट्य युक्त अम्लों, क्षारों या धातुओं के लवण जैसे कि क्रोमियम, निकेल, कैडमियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि के प्रयोग द्वारा विद्युत अपघट्य लेपन या धात्विक वस्तुओं का ऑक्सीकरण

(1) परिभाषा– इस अनुसूची के प्रयोजन हेतु–

(क) "विद्युत अपघट्य" से अभिप्रेत है विद्युत अपघट्य युक्त अम्लों, क्षारों या धातुओं के लवण जैसे कि क्रोमियम, निकेल, कैडेमियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि के प्रयोग द्वारा विद्युत अपघट्य लेपन या धात्विक वस्तुओं का ऑक्सीकरण;

(ख) "बाथ' से अभिप्रेत विद्युत अपघट्य प्रक्रिया या किसी अनुवर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र;

(ग) "नियोजित" से अभिप्रेत "बाथ" के द्रव से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रिया में नियोजित से है।

(2) वायु निष्कासन– प्रत्येक बर्तन में, जिसमें विद्युत अपघट्य प्रक्रिया की जाती है, प्रभावी वायु निष्कासक प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसे वायु निष्कासक की व्यवस्था यांत्रिक साधन द्वारा की जाएगी और वह प्रक्रिया में निकली हुई वाष्प या फुहार पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगी। वायु निष्कासन उपकरण इस प्रकार निर्मित व्यवस्थित तथा अनुरक्षित किए जाएँगे कि जिससे किसी कमरे या स्थल में जिसमें कार्य चल रहा हो, वाष्प फुहार के प्रवेश को रोका जा सके।

(3) गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोर से संबंधित निषेध – कोई भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोर को बाथ पर नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) कार्यकक्षों की फर्श– प्रत्येक कार्यकक्ष का फर्श जिसमें बाथ हो, जल के प्रति अभेद्य होगा। फर्श अच्छे तथा सतही दशा में रखा जाएगा और कम से कम एक दिन में एक बार धोया जाएगा।

(5) रक्षात्मक युक्तियाँ– (1) अधिभोगी किसी भी प्रक्रिया में नियोजित किए गए हों, ऐसे समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए जिसमें किसी बाथ से उनका द्रव से संपर्क होना प्रत्याशित हो, निम्नलिखित वस्तुओं का प्रदाय करेगा और अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और ऐसी युक्तियाँ संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहनी जाएँगी।

(क) वाटर प्रूफ एप्रैन तथा बिब; और

(ख) बाथ पर वास्तविक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए रबर के ढीले दस्ताने तथा रबर के जूते या अन्य वाटर प्रूफ जूते तथा रासायनिक चश्मे।

(2) अधिभोगी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक युक्तियों के संग्रहण तथा सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की प्रदान करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा।

(6) पानी की सुविधाएँ–(1) विद्युत अपघट्य प्रक्रियाओं और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए प्रदान और अच्छे ढंग से रखा जाएगा।

(क) आवरणयुक्त प्रक्षालन स्थान होगा, जो किसी एक प्रकार होगा (i) अभेद्य सतह वाली ट्रे होगी, जिसमें निकास पाइप लगी हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई भी हो कि एक समय हर 5 नियोजित व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. स्थान उपलब्ध हो और ट्रे पर 60 से. मी. से अनधिक अंतराल पर लगी टोटियां या जेट (तीव्रधार) से पानी निरन्तर मिलता हो या (ii) किसी एक समय में नियोजित ऐसे हर पाँच व्यक्तियों के लिए एक वाश बेसिन होगा, जिसमे निकास पाइप तथा निरन्तर पानी मिलने की व्यवस्था होगी।

(ख) साफ तौलियों के पर्याप्त प्रदाय प्रतिदिन बदले जाएंगे और साबुन या सफाई के अन्य उपयुक्त पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) उप–परिच्छेद (1) में सुविधाओं के अतिरिक्त एक अनुमोदित प्रकार का आपदा झरना, जिसमें आँख झरना होगा, की व्यवस्था होगी तथा उसे अच्छी कार्य दशा में अनुरक्षित किया जाएगा, जहाँ कहीं आवश्यक हो आपातकालीन उपयोग हेतु स्वच्छ जल प्रदाय के स्त्रोत के रूप में पानी का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 लीटर क्षमता के भंडारण टैंक की व्यवस्था होगी।

(7) चेतावनी का पोस्टर – निम्न प्रारूप में विनिर्दिष्ट तथा नियोजित कामगारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपी हुई चेतावनी का एक पोस्टर कारखाने में प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाएगा, जहाँ से वह कामगारों द्वारा आसानी तथा सुगमता से पढ़ा जा सके।

चेतावनी सूचना

विद्युत अपघट्य लेपन

(1) इस संयंत्र में संधारित रसायन संक्षारक तथा विषाक्त है।

(2) इस क्षेत्र में धुम्रपान, तम्बाकू खाना, भोजन पानी करना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाद्य या पेय सामग्री नहीं लाई जाएगी।

(3) इन रसायनों में से कुछ त्वचा के माध्यम से शरीर में सोख लिए जा सकते हैं तथा जहरीला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

(4) खाना खाने के पूर्व भली प्रकार धुलाई किया जाएगा।

(5) इस क्षेत्र में कार्य करते समय प्रदाय की गई सुरक्षा युक्तियों का उपयोग किया जाएगा।

(6) शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर रसायन गिरने या फैल जाने पर तत्काल पानी से उसे धोया जाएगा।

(7) सभी कामगार स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निर्धारित चिकित्सीय जाँच के लिए नियमित रूप से उपस्थित होंगे।

(8) चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण–(1) प्रत्येक कारखाना, जिसमें विद्युत अपघट्य प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, का अधिभोगी

(क) उसमें नियोजित कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा; और

(ग) विभिन्न बक्सों में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त बैरियर क्रीम, ऑइंटमेंट और इंपेरिमियेबल वाटर प्रूफ प्लास्टर अनुरक्षित करेगा, जो कामगारों को आसानी से पहुँच में हो और वहीं सामान रखने के उपयोग में लिया जाएगा। यदि बाथ में सायनाइड का उपयोग होता हो तो बक्से में आपातकालीन सायनाइड किट भी सम्मिलित होगी।

(2) चिकित्सा पदाधिकारी, विद्युत अपघट्य प्रक्रियाओं में नियोजित किए गए सभी कामगारों की जाँच करेगा। वह प्रपत्र–28 में स्वस्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर स्वस्थ्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी,

जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणित न कर दे।

(5) स्वास्थ्य जाँचों के अभिलेख अनुरक्षित किए जाएँगे और निरीक्षक–सह–सुकारक और मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध कराए जाएँगे।

उप–अनुसूची–3

विद्युत संचायकों का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मत

1. व्यावृतियाँ– यह अनुसूची ऐसे विद्युत संचालक या उनके भाग के विनिर्माण या उनकी मरम्मत को, जिनमें सीसा या सीसे का कोई यौगिक अन्तर्विष्ट न हो या किसी संचालक की जो किसी स्थावर बैटरी का भाग है, परिसर पर मरम्मत को लागू नहीं होगी।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) "सीसा प्रक्रिया" से अभिप्रेत सीसे या सीसे युक्त किसी पदार्थ गलाने, ढालने, सीसा जलाने या कोई अन्य कार्य, जिसमें लेपनयुक्त चादरों को छांटना या कोई अन्य आकर्षण या काटना सम्मिलित है, जिसमें सीसे के किसी आक्साइड का उपयोग वहन या अभिसाधन या उससे संस्पर्श सन्निहित हो,

(ख) "सीसे के कच्चे आक्साइड के अधिसाधन" से अभिप्रेत सीसे की प्रक्रिया से है, जिसमें सीसे का किसी पात्र में या एक संक्रिया से दूरी संक्रिया में किसी उपकरण के द्वारा संवहन को छोड़कर सीसे के कच्चे आक्साइड का कोई अभिसाधक या वहन सन्निहित हो;

3. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोरों के संबंध में प्रतिषेध–किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा अल्पवयस्क को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी कक्ष में जिसमें सीसे के कच्चे आक्साइड का

अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण–निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके

(क) सीसे के कच्चे आक्साइड का अभिसाधन;

(ख) लेपन;

(ग) लेपित चद्दरों को सुखाना;

(घ) सीसे के जलाने के निर्माण (टैकिंग) जो उसके संबंध में आवश्यक रूप से किया जाता हो,

(ङ) लेपित चद्दरों को गलाना ।

5. वायु क्षेत्र– प्रत्येक कक्ष में जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, वहाँ उसमें नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 14 क्युबिक मीटर वायु क्षेत्र होगा और इस वायु स्थान की संगणना करने में 3 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की गणना नहीं की जाएगी।

6. संवातायन– प्रत्येक कार्य कक्ष में कमरे के सभी भाग में कुशल संवातायन के रूप में सुरक्षित एवं पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार की व्यवस्था होगी, बनाए रखने के लिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार उपलब्ध कराया जाएगा।

7. लेपन कार्य कक्ष में कामगारों के बीच दूरी–प्रत्येक लेपन कार्यकक्ष में किसी लेपक के कार्य स्थिति के केन्द्र और उसके निकटतम कार्य करने वाले लेपक के बीच दूरी 5 फीट से कम नहीं होगी।

8. कार्य कक्ष का फर्श–(1) प्रत्येक कमरे का, फर्श जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो,

(क) सीमेंट या समान सामग्री का होगा, जो चिकना हो और जल से अभेद्य रहे:

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जएगा;

(ग) ऐसी सामग्री, संयंत्र या अन्य बाधा से, जो कक्ष में की जा रही प्रक्रिया के लिए अपेक्षित न हो या उसमें निर्मित न की गई हो मुक्त रखा जाएगा:

(2) ग्रिड ढालने वाली दुकानों को छोड़कर ऐसे समस्त कमरों के फर्श

(क) जब कक्ष में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किया जाएगा ।

(3) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।

(4) उप–कंडिका (1), (2) तथा (3) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ सीसे के कच्चे आक्साइड का अभिसाधन या लेपन का कार्य किया जाता हो, वहाँ के फर्श को–

(क) जब कार्य किया जा रहा हो लगातार गीला भी रखा जाएगा;

(ख) जल निकास के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

(ग) होज पाइप द्वारा प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाएगा ।

9. कार्य करने की बेवें– कार्य करने की बेवें जिन पर सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो–

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी;

(ख) समस्त सामग्री या संयंत्र से जो वहाँ की जा रही प्रक्रिया अपेक्षित न हो या उससे निर्मित न किए गए हों, मुक्त की जाएगी। ग्रिड को ढालने वाली दुकानों को छोड़कर कार्य करने की ऐसी समस्त बेवें–

(ग) जब उन पर कोई अन्य कार्य किया जा रहा हो तो पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात या सफाई करने के चूषण (सक्शन) साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएगी; और ग्रिड ढालने वाली दुकानों में कार्य करने की ऐसी समस्त बेवें–

(घ) प्रतिदिन साफ की जाएँगी तथा लेपन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कार्य की प्रत्येक बेवे–

(ङ) सीसे की चद्दर से या किसी अन्य अभेद्य सामग्री से पूरी ढँकी जाएंगी;

(च) उसके किनारे उठे हुए होंगे;

(छ) लेपन क्रिया की जाते समय लगातार गीली रखी जाएगी।

10. वायु निष्कासन–कुशल वायु निष्कासक के उपयोग में लाए बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएँगी

(क) सीसे को या सीसे युक्त पदार्थों को गलाने की;

(ख) जब तक कि वह बंद साधित्र में न की जाए, जिससे कार्य कमरे में धूल के फैलने की रोक हो सके: सीसे के कच्चे–आक्साइड के अभिसाधन की

(ग) लेपन कार्य

(घ) लेपित चद्दरों को छांटने, रेतने या कोई अन्य अवघर्षण या लेपित प्लेट के काटने का कार्य जिससे धूल उत्पन्न हो:

(ङ) निम्नलिखित को छोड़कर सीसे को जलाने की क्रिया

(1) निर्माण के कक्ष में टैकिंग (अनुकूलक).

(2) सेल के आवरणों के लिए सीसे का अस्तर बनाने के हेतु रासायनिक जलन की क्रिया जो आवश्यक रूप से ऐसी रीति में की जाती है कि कार्यसाधक निष्कासन की प्रयुक्ति अव्यवहार्य होती है। ऐसी वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावित होगा और निकली हुई धूल और धुएँ पर उसकी उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगा, जिससे किसी कक्ष की जिसमें व्यक्ति कार्य क वायु में उसके प्रवेश को रोका जा सके।

11. मेल्टिंग पॉट (मूषा) से निकलने वाला धुआँ तथा गैस – किसी मेल्टिंग पॉट के गर्म किए जाने से उत्पन्न होने वाले ज्वलन उत्पादों को किसी कक्ष, जिसमें व्यक्ति कार्य करता हो, जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. गैल के लिए कंटेनर – मजबूती से लगे ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त कंटेनर की व्यवस्था की जाएगी, और गैल के लिए उपयोग वूँकि इसे प्रत्येक मेल्टिंग पॉट से हटा दिया जाता है, उपयोग में लाया जाएगा। ऐसा कंटेनर जब कार्य कक्ष में हो तो उसके अतिरिक्त जबकि उसमें गैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढँका रखा जाएगा।

13. सीसे के अपशिष्ट के लिए कंटेनर – प्रत्येक कार्य कक्ष में एक उपयुक्त कंटेनर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पुरानी चद्दरें तथा अपशिष्ट पदार्थ जिनसे धूल उत्पन्न हो सकती हो, जमा किए जाएँगे।

14. सुखाने के कक्ष में रैंको तथा अलमारियाँ – सुखाने के किसी कक्ष में दिए गए रैंकों या अलमारियाँ फर्श से 8 फीट से ऊपर नहीं होंगे, ना ही चौड़ाई में 2 फीट से ज्यादा किन्तु दोनों ओर से बन्द होने वाले या निकलने वाले रैंको या शेल्फों के संबंध में कुल चौड़ाई 4 फीट से अधिक नही होगी।

ऐसे रैंक या अलमारियाँ केवल अच्छी तरह से नम किए जाने पर ही साफ किए जाएंगे, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए सफाई का कार्यसाधक चूषण–यंत्र ही उपयोग में न लाया जाए।

15. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण–(1) प्रत्येक कारखाने जिसमें विद्युत संचालक का विनिर्माण और मरम्मत कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सा पदाधिकारी की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में पेशाब तथा खून में सीसे की मात्रा की, यूरिन–हीमोग्लोबिन में ए.एल.ए. की मात्रा की कोशिकाओं (सेल्स) में छिद्रता तथा स्थिरता की जाँच निहित होगी। किसी भी कामगार को प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के पश्चात् कारखाने में तब तक काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक उसे ऐसे निष्पादन हेतु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त–प्रमाणित न कर दिया गया हो। उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का प्रत्येक तीन कैलेण्डर माह में कम से कम एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनः परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा पदाधिकारी उपयुक्त समझे। उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट जाँच भी निहित होगी।

(3) चिकित्सा पदाधिकारी कामगार का परीक्षण करने के पश्चात् प्रपत्र–28 में स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) किसी भी समय यदि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनुपयुक्त मानता है। उस ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अनुपयुक्त होते हुए ऐसे निलंबित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाए, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(5) उपरोक्त उप–परिच्छेद (5) में कथित अनुसार कार्य करने के लिए अनुपयुक्त पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए उपयुक्त प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(6) स्वास्थ का प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे रखा जाएगा ।

16. सुरक्षात्मक वस्त्र– निम्नलिखित में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

(क) सीसे के कच्चे आक्साइड के कार्य साधन:

(ख) लेपन:

(ग) विरचन कक्ष:

और ऐसे वस्त्र सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पहने जायेंगे। सुरक्षात्मक वस्त्रों में एक जलरोधक पेशबंद तथा जलरोधक जूते और सीसे के कच्चे आक्साइड के अभिसाधन या लेपन में नियोजित व्यक्तियों के लिए शीर्ष आवरण भी होंगे। शीर्ष आवरण प्रतिदिन धोए जाएँगे।

17. भोजन कक्ष – सीसे की प्रक्रिया में नियोजित तथा भोजन के अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो (क) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से और (ख) भोजन गरम करने के लिए पर्याप्त साधन से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

भोजन कक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

18. अमानती सामान कक्ष – सीसे की प्रक्रिया में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क) कार्य अवधि के दौरान में वस्त्रों को रखने, साथ ही वस्त्रों को, यदि गीले हों तो सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था से युक्त एक अमानती सामान कक्ष होगा, ऐसा आवास किसी भी भोजन कक्ष से पृथक् होगा:

(ख) कंडिका 16 के अधीन प्रदत्त किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त व्यवस्था होगी ।

19. धुलाई सविधाएँ– सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

(क) आच्छादित धुलाई स्थान, जिसमें या तो (i) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप लगा होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई नलों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(ii) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से लगा होगा और जिसमें जल का समतल प्रदाय होता हो;

(iii) उपयुक्त सामग्री से बने स्वच्छ तौलियों का जो प्रतिदिन नवीकृत की जाएँगी, जो प्रदाय होगी कच्चे ऑक्साइड के अभिसाधन में नियोजित लेपकों और व्यक्तियों के मामले में, ऐसे प्रत्येक कामगार के लिए एक अलग विछिन्त तौलिया शामिल होंगी, और

(iv) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा साबुन साफ करने के ब्रशों का पर्याप्त प्रदाय।

(ख) इसके अतिरिक्त उन कमरों के निकट, जिनमें सीसे के कच्चा–आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो प्रचालन की व्यवस्था की जाएगी।

20. धुलाई के लिए समय का दिया जाना– प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो सीसे के कच्चा–आक्साइड के अभिसाधन में या लेपन कार्य में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिये जाने वाले भोजन के समय अतिरिक्त कम से कम दस मिनट धुलाई के हेतु दिए जाएंगे :

परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेसिन या 2 फीट टब हो तो यह नियम लागू नहीं होगा।

21. नहाने के हेतु सुविधाएँ– सीसे के कच्चे–आक्साइड के अभिसाधन या लेपन कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य

पर्याप्त नहाने के स्थान और साबुन तथा स्वच्छ तौलियों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी।

22. कार्य कक्षों में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना– कार्य के किसी भी कक्ष में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो किसी भी कामगार द्वारा न तो किसी भी खाद्य, पेय, पान तथा सुपारी तथा तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा या ना ही उसे लाया जाएगा ।

उप–अनुसूची–4

कांच विनिर्माण

1. छूट– यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का किसी कारखाने या प्रक्रिया के किसी भी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाए कि कार्य की विशेष पद्धतियों या किसी कारखाने की विशेष स्थितियों के कारण या अन्यथा उसमें नियोजित व्यक्तियों को खतरा पहुँचाए बिना इस अनुसूची की किन्हीं भी अपेक्षाओं को निलंबित या शिथिल किया जा सकता या इस अनुसूची या उसके किसी भी भाग की प्रयुक्ति किसी भी कारण से अव्यवहार्य है तो वह लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा ऐसे निलंबन या शिथिल किए जाने को ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह उचित समझे, प्रमाण पत्र में निदेशित किए गए अनुसार प्राधिकृत कर सकेगा।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) "कार्य साधक वायु निष्कासक" से अभिप्रेत गैस, वाष्प, धूल या धुएं को निकालने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो (प्रायरू रहने वाली वायुमण्डलीय स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके । किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधन नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले धुएँ को, जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सकता हो।

(ख) "सीसे से यौगिक" से अभिप्रेत कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक की कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक

होता है। शोधन की पद्धति निम्नानुसार होगी पदार्थ की तौली हुई मात्रा, जो 100 सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा, पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी, लगातार एक घंटे तक हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा। छाने गए स्वच्छ घोल के लेट साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निस्सादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उनका भार ले लिया जाएगा।

3. वायु निष्कासन– कार्यसाधक वायु निष्कासक के अधीन या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जैसी कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित की जाए, ही निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाएंगी अन्यथा नहीं

(क) कच्चे माल का 'समूह' बनाने हेतु मिश्रण;

(ख) काँच या काँच की किन्हीं भी वस्तुओं का सूखा पीसा जाना, घसकाया जाना और उन पर पालिश किया जाना;

(ग) वे समस्त प्रक्रियाएँ, जिनमें हायड्रोक्लोरिक एसिड का धुआँ या अमोनिकल वाष्प निकलती हो;

(घ) मट्टी के साँचों या पात्रों के बनाने में समस्त प्रक्रियाएँ, जिनके उपयोग में लाए गए पात्रों का प्रेषण या दलन सम्मिलित है।

4. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोरों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को कण्डिका 3 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी स्थान पर जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा।

5. फर्श और कार्य करने की बेचें– ऐसे प्रत्येक कक्ष के, जिसमें सीसे के शुष्क यौगिक का शोधन किया जाता हो या जिसमें सिलिका धूल निकलने वाली कोई प्रक्रिया की जाती हो, फर्श तथा कार्य करने की बेचों को गीला रखा जाएगा और वह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा ।

फर्श

(क) सीमेंट के समान पदार्थ के होंगे, जिसरो चिकने हों तथा जल से अभेद्य रहें,

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे, और एक

(ग) जब कक्ष में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किए जाएंगे ।

कार्य करने की बेंचें

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी, और

(ख) जब उन पर कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो तो या पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएंगी।

6. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग– उन कमरों को, जिनमें कांच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शोधन किया जाता हो, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे

(क) पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार होंगे, जिससे कक्षों के समस्त भागों में कार्यसाधक संवातन किए जा सकें तथा बनाए रखा जा सकेरू

(ख) फर्श गटापारचा से ढका हुआ तथा दृढ़ होगा और ढकी हुई नाली की ओर क्रमश ढालू होगा:

(ग) कार्यस्थलों को बहिर्वर्ती हुडों से इस प्रकार परिवेष्ठित किया जाएगा, जिससे शोधित की जाने वाली वस्तुओं को भीतर जाने के लिए अपेक्षित मार्ग या व्यवहार्य छोटे होंगे:

(घ) कार्यसाधक वायु निष्कासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे गैसे नीचे की ओर निष्कासित हों।

7. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परिसंग्रहण तथा परिवहन–हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीसे या रबर के बने हुए सिलेण्डरों या पात्रों में ही संग्रहित की जाएगी या भेजी जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. फुकनी– प्रत्येक शीशागार को एक पृथक् फूंकनी दी जाएगी, जिस पर उस व्यक्ति का, जिसे वह दी गई हो, विशिष्ट चिन्ह होगा और प्रत्येक शीशागार को अपनी फूकनी जीवाणु शून्य करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ तुरन्त उपलब्ध होंगी।

9. कार्य कक्ष में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना–किसी भी कक्ष में या कार्यस्थल हो, जिसमें कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई कोई भी प्रक्रिया की जा रही हो, किसी भी कामगार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पान तथा सुपारी और तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपभोग किया जाएगा।

10. सुरक्षात्मक वस्त्र– अधिभोगी कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के प्रकार के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों, जूतों और चश्मों की व्यवस्था करेगा, उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा और ऐसे वस्त्र, जूते आदि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे ।

11. धुलाई की सुविधाएँ– कण्डिका–3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाये रखा जाएगा

(क) धुलाई स्थान जिसमें या तो

(1) चिकनी अवेध सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो 60 सेंटीमीटर से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(2) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्ति के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध होगा और साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जाएगी, पर्याप्त प्रदाय होगा, और

(ख) टोंटियों सहित खड़े नल पर्याप्त संख्या में होंगे। ऐसे खड़े नलों की संख्या और स्थिति आ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समाधान योग्य होगी ।

12. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण तथा जाँच के अभिलेख–(1) प्रत्येक कारखाने में जिसमें ग्लास विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, उसका अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप–28 में स्वस्थता का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) किसी भी समय यदि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य मानता है। उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अयोग्य होते हुए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप–परिच्छेद (3) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अयोग्य पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए योग्य प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(5) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध अनुरक्षित किया जाएगा।

उप–अनुसूची–5

धातुओं की पिसाई या पालिश तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए (क) 'सान' से अभिप्रेत प्राकृतिक या विनिर्मित बालुओं, पत्थर से बनी हुई सान से है, किन्तु उसमें धातु–चक्र या बेलन, जिसमें प्राकृतिक या विनिर्मित सान के टुकडे अन्तर्योजित किए गए हों, सम्मिलित नहीं है;

(ख) 'आघर्षी चक्र' से अभिप्रेत ऐसे चक्र से है, को बोण्डिड कुरून्द से या समान आघर्षी से विनिर्मित हो;

(ग) 'पिसाई' से अभिप्रेत यांत्रिक शक्ति की सहायता से सान या आघर्षी चक्र के द्वारा धातु के अवघर्षण से है।

(घ) 'पालिश' से अभिप्रेत यांत्रिक शक्ति की सहायता से किसी चक्र बर्फ, झाड़ने या सदृश्य उपकरण के द्वारा, जिसमें कोई अपघर्षक या चमकाने वाला पदार्थ संलग्न या प्रयुक्त हो, धातु के अपघर्षण, पालिश करने या परिष्कृत करने से है।

(ङ) 'रेसिंग' से अभिप्रेत प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व परिभ्रामी सान की घुमाई, कटाई या उसका परिष्कार करने से है;

(च) 'हेकिंग' से अभिप्रेत रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान के तल के परिष्कृत करने से है।

(छ) 'रॉडिंग' से अभिप्रेत रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान के तल के परिष्कृत करने से है ।

2. अपवाद–(1) इस अनुसूची की कोई भी बात कारखाने के किसी ऐसे भाग को छोड़कर, जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति धातुओं की पिसाई या पालिश करने में पूर्णतः या मुख्यतः नियोजित किए गए हों, किसी भी कारखाने को, जिसमें केवल मरम्मत की जाती हो, लागू नहीं होगी।

(2) कण्डिका 4 को छोड़कर इस अनुसूची की कोई भी बात धातुओं की किसी पिसाई या पालिश करने को लागू नहीं होगी, जो रुक–रुककर की जाती हों और जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सप्ताह में 12 घण्टे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है।

(3) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, किसी भी कारखाने के संबंध में इस अनुसूची के किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा या उन्हें निलंबित कर सकेगा, यदि कार्य की विशेष पद्धतियों के कारण या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे के बिना ऐसी छूट या ऐसी निलंबन व्यवहार्य हो।

3. धूल को हटाने के लिए सजा– कोई भी रेसिंग, शुष्क पिसाई या पालिश का कार्य निम्नलिखित के बिना नहीं किया जाएगा

(क) कोई हुड या अन्य उपकरण इस प्रकार निर्मित, विन्यस्त, रखा तथा संघत होगा, जिसमें फेंकी गई धूल को सारतरू रोका जा सके, और

(ख) समुचित आकार की एक नालिका, जो वायुरोधी होगी और इस प्रकार विन्यस्त होगी, जिससे धूल को दूर ले जाने में समर्थ हो, उस नालिका को बाधा से मुक्त रखा जाएगा और निरीक्षण तथा सफाई के लिए उसे पहुँच के उचित साधनों से युक्त रखा जाएगा और जहाँ व्यवहार्य हो, पंखे से दूरस्थ छोर पर ऐसे संयोजन से युक्त रखा जाएगा, जिससे निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता उक्त नलिका में वायु के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए

आवश्यक किसी उपकरण को उससे संलग्न कर सके, और (ग) एक पंखा या धूल खींचने के लिए पर्याप्त वायु उत्पन्न करने के अन्य कार्यसाधक साधनय परन्तु मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य उपकरण को स्वीकार कर सकेगा, जो उसकी राय में फेंकी हुई धूल को रोकने, हटानने तथा उसके निराकरण के लिए उतना ही प्रभावी हो, जितना हुड, नलिका और पंखा होता।

4. पिसाई की संक्रिया में नियोजन पर निर्बन्धन– सान, अपवर्षी चक्र या पालिश के उपकरण पर किसी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पिसाई या पालिश की वास्तविक प्रक्रिया को नहीं करेंगे :

परन्तु यह कंडिका किसी ऐसे सान, अपवर्षी चक्र या पिसाई के उपकरण पर भारी अथवा स्थूल वस्तुओं के अभिसाधन में सहायता करने के लिए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करेगी।

5. पालिश– किसी भी कक्ष में, जिसमें सान पर आई पिसाई की जाती हो, सान पर आर्द्र पिसाई से प्रासंगिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, पालिश या अन्य प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

6. हैंकिंग और रॉडिंग– हैकिंग और रॉडिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रक्रिया के दौरान में या तो;

(क) सान की ऊपरी तल पर जल का पर्याप्त प्रदान न रखा गया हो, या;

(ख) कण्डिका तीन की अपेक्षाओं के अनुसार धूल को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था न कर दी गई हो।

7. धूल रोकने की सज्जा परीक्षण– (क) धूल के निकालने या दबाने की समस्त सज्जा का कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी और ऐसे परीक्षण तथा ऐसी जाँच के द्वारा पाई गई कोई त्रुटि यथा व्यवहार्ट शीघ्र शोधित कर दी जाएगी।

(ख) प्रारूप 30 में एक ऐसा रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें ऐसे परीक्षण और जाँच के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

8. चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण– (1) प्रत्येक कारखाने, जिसमें धातुओं की ग्राइंडिंग (पिसाई, घिसाई) या ग्लेजिंग (पालिश, चमकाना) का कार्य

चलाया जाता हो, का अधिभोगी (क) वहाँ नियोजित कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप–28 में स्वस्थता का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) किसी भी समय यदि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार उक्त प्रक्रिया मे नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा । उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अयोग्य होते हुए ऐसे नियोजित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त उप–परिच्छेद (3) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अयोग्य पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए योग्य प्रमाणीकृत नहीं कर देता।

(5) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

उप–अनुसूची–6

शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन

1. छूट–जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है तो वह लिखित मे प्रमाण पत्र द्वारा किसी कारखाने का, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेगा।

2. परिभाषाएँ–

इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) "सीसे के यौगिक" से अभिप्रेत कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है, जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक के कुछ मात्रा देता है, जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है। रंग लेपों तथा समान उत्पादों और अन्य मिश्रण की दशा में, जिनमें तेल वार्निश या अन्य साधन को हटाने के लिए पदार्थ को उपयुक्त घोलकों से पूर्णतया मिलाने तथा शोधित करने के पश्चात् शेष बचे पदार्थ के शुष्क भार से है। शोधन पद्धति निम्नानुसार होंगेपदार्थ की तोली हुई मात्रा जो 100 डिग्री सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गनी हाइडोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा। पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी। लगातार एक घण्टे तक हिलाई जाएगी। इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा । छाने गए स्वच्छ घोल के लेड साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निषादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उसका भार ले लिया जाएगा।

(ख) "कार्यसाधक वायु निष्कासन" से अभिप्रेत गैस, वाष्प धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे इन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो । (प्रायः रहने वाली वायु मंडलिक स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके, किसी भी वायु निष्कासन को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धुएँ को जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प धुआँ या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सकता हो। और

3. प्रयुक्ति—यह अनुसूची उन समस्त कारखानों या कारखों के वर्गों को लागू होगी, जिनमे निम्नलिखित में से कोई भी संक्रियाएँ की जाती हों

(क) भट्टी का कार्य जहाँ जस्ते या सीसे की कच्ची धातु का परिवर्तन या शोधन किया जाता हो:

(ख) राख का, जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, अभिसाधन, शोधन या परिवर्तन सीसे का चाँदी से अलग करना या सीसे के टुकड़े या जस्ते का गलाना:

(ग) सांगे या मिश्र धातुओं का विनिर्माण, जिसमें दस प्रतिशत से अधिक सीसा हो:

(घ) सीसे के किसी आक्साइड, कारबोनेट, सल्फेट, कोमेट, एसीटेट नाइट्रेड या सिलीकेट का विनिर्माण:

(ङ) लेट टेट्राइथिल का हरतन या मिश्रण:

(च) कोई अन्य संक्रिया जिसमें सीसे के यौगिक का उपयोग अन्तर्ग्रस्त हो:

(छ) कार्य कक्षों की सफाई जहाँ पूर्वोक्त संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया की जाती हो।

4. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं और किशोरों के संबंध में प्रतिषेध – किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को कण्डिका 3 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. पालन की जाने वाली अपेक्षाएँ – किसी भी व्यक्ति को सीसे के यौगिकों के उपयोग को अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी प्रक्रिया में, यदि प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें सीसे के यौगिक से धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो या उसमें नियोजित व्यक्तियों पर उनके नियोजन के काल में सीसे के यौगिक के छींटे पड़ जाना प्रत्याशित हो तो जब तक कि कण्डिका 6 से 14 तक के उपबंधों का पालन न किया जाए, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. वायु निष्कासन–जहाँ प्रक्रिया धूल, धुआँ, गैस या वाष्प उत्पादक होती हो तो उन्हें हटाने के लिए कार्यसाधक वायु निष्कासक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जो इस प्रकार से बनाया गया होगा कि धूल, धुआँ, गैस या वाष्प के उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

7. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जाँच–(1) प्रत्येक कारखाने जिन पर यह अनुसूची लागू हो, के अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का, उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की जाँच, मूत्र में ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन कटेन्ट, रिटपिलिंग ऑफ सेल्स और स्टडीनेस टेस्ट निहित होंगे। कारखाने के किसी भी कामगार को, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो, उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के.पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का प्रत्येक तीन कलेण्डर माह में कम से कम एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे पुनः परीक्षण में, जहाँ कहीं चिकित्सा पदाधिकारी उपयुक्त समझे, उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट उपयुक्त जाँच निहित होगी।

(4) शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वह प्रारूप–28 में स्वस्थता का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) किसी भी समय यदि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहीं निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अयोग्य मानता है। उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अयोग्य होते हुए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा, जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) उपरोक्त उप–परिच्छेद (5) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अयोग्य पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए योग्य प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(7) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध हो और अनुरक्षित किया जाएगा।

(8) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित पृथक् रजिस्टर में रखे जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के लिए तत्काल उपलब्ध हो ऐसे रखे जाएंगे।

8. कार्य कक्ष में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना – कार्य के किसी भी कक्ष में जिसमें प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कामगार द्वारा न तो कोई भी खाद्य पेय, पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन तथा विश्राम के अन्तरालों के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कक्ष में नहीं रहेगा।

9. सुरक्षात्मक वस्त्र–कारखाने के अधिभोगी द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक संपूर्ण (ओवर आल्स) तथा शीर्ष छदकों की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें बनवाए रखा जाएगा तथा स्वच्छ रखा जाएगा और ऐसे संपूर्ण तथा शीर्ष छादक नियोजित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।

10. कार्य कक्ष, औजारों आदि की स्वच्छता– वे कक्ष जिनमें व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो तथा उनके उपयोग में लाये जाने वाले समस्त औजारों और साधित्रों को स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।

11. धुलाई की सुविधाएँ–अधिभोगी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त धुलाई की सुविधाओं की, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, व्यवस्था करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा–

(क) चिकनी अभेद्य सतह का टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिसमें किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(ख) किसी एक समय में नियोजित प्रति दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता है, साथ ही दोनों में से किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा।

(2) इस प्रकार प्रदाय की गई सुविधाएँ किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखी जाएगी और स्वच्छ रखी जाएंगी।

12. भोजन कक्ष या कैंटीन–अधिभोगी नियोजित किए व्यक्तियों के उपयोग के लिए भोजन करने की उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था करें और उसे बनाए रखेगा। इस व्यवस्था में कार्य के किसी कक्ष में पृथक् कक्ष का उपयोग सम्मिलित होगा, जिसे पर्याप्त मेजों और बेंचों से सज्जित किया जाएगा तथा जब तक कि गरम भोजन देने वाले स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था न हो, भोजन गरम करने के हेतु पर्याप्त साधन की व्यवस्था की जाएगी। कक्ष को स्वच्छ वायु के परिवालन द्वारा पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा, किसी उत्तरवर्ती व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, स्वच्छ रखा जाएगा।

13. अमानती सामान कक्ष – अधिभोगी नियोजित किए गए व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घण्टों में न पहने जाने वाले वस्त्रों के रखने तथा गीले वस्त्रों के सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा।

उप–अनुसूची–7

पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन

1. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं और किशोरों के संबंध में प्रतिषेध– किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को किसी भी भवन में, जिसमें पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति या प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

2. फ्लेम ट्रेप्स–पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र और उससे जुड़े हुए तल तथा अन्वायुकियों को कम से कम दो कार्यसाधक फ्लेम ट्रेप्स से अन्वायोजित किया जाएगा, जो इस प्रकार बनाए जाएंगे तथा बनाए रखे जाएंगे, जिससे किसी बर्नर से निकली हुई लौ को संयंत्र तक पहुँचने से पीछे रोक सके, इन ट्रेप्स में से एक संयंत्र के यथासंभव निकट अन्वायोजित किया जाएगा, संयंत्र तथा समस्त नलों और बल्वों की छिद्र रहित दशा में अधिष्ठापित किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

3. यह भवन या कक्ष जिसमें उत्पादन किया जाता है–इस अनुसूची में उल्लिखित किए गए उपबंधों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पेट्रोल गैसों का उत्पादन करने के लिए निर्मित समस्त संयंत्र कारखानेद के मुख्य भवन के बाहर अच्छी प्रकार से संवातित पृथक भवन में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पादन भवन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) निर्मित किए जाएंगे,

ऐसे संयंत्र की दशा में, जिसका इस अनुसूची से उल्लिखित किए गए उपबंधों से प्रवृत्त होने के पूर्व निर्माण किया गया हो, उस कक्ष के जिसमें ऐसे सम्बन्धों का निर्माण किया गया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उत्पादन का कक्ष' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) तथा कारखाने के भवन के शेष भाग के मध्य कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा, जहाँ तक व्यवहार्य हो, ऐसे समस्त उत्पादन के कक्ष अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित होंगे।

4. अग्निशामक–पेट्रोल से लगी आगों को बुझाने के लिए कार्यसाधक साधन पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र के निकट सहजगम्य स्थिति में बनाए रखे जाएंगे।

5. संयंत्र का मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया जाना–पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले ऐसे संयंत्र में, जिसका नमूना तथा निर्मित मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो, ही विनिर्मित की जाएगी अन्यथा नहीं।

6. पेट्रोल का बाहर निकालना–पेट्रोल को किसी नाली या मोरी में निकल जाने से रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे ।

7. धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध–कोई भी व्यक्ति उत्पादन के कक्ष या भवन या उसके समीपवर्ती स्थान में धुआँपान नहीं करेगा या दियासलाई अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न के अन्य साधन नहीं ले आएगा और अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कक्ष या भवन में धुआँपान करने और दियासलाइयां, अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिषेध करते हुए एक चेतावनी देने वाली सूचना कारखाने में लगाई जाएगी।

8. पेट्रोल या पेट्रोल के पात्र तक पहुँच– किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को किसी पेट्रोल तक या ऐसे पात्र तक, जिसमें पेट्रोल हो या जिसमें वास्तव में पेट्रोल रहा हो, पहुँच नहीं होगी।

9. विद्युत अन्वायुक्तियाँ– समस्त विद्युत अन्वायुक्तियाँ ज्वालारोधी निर्मित की होंगी तथा समस्त विद्युत संवाहक या तो धातु के कंडयूट से आवृत्त में होंगे या सीसे से ढके होंगे।

10. दरवाजों का निर्माण– उत्पादन के कक्ष या भवन के समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले या सरकाने वाले बनाये जाएंगे तथा किसी भी दरवाजे में ऐसी रीति से ताला नहीं लगाया जाएगा या उसे अवरोधित या बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें जब गैस का

उत्पादन हो रहा हो और कोई व्यक्ति उत्पादन के कक्ष या भवन में कार्य कर रहा हो तो उसे अंदर से सरलता से तथा तुरन्त न खोला जा सके।

11. पात्रों की मरम्मत– किसी भी पात्र की, जिसमें पेट्रोल रहा हो उत्पादन के कक्ष या भवन में मरम्मत नहीं की जाएगी और ऐसे किसी भी पात्र की तब तक मरम्मत नहीं की जाएगी, जब तक कि पात्र में गरम वाष्प न छोड़ी गई हो और उसका आंतरिक भाग पूर्णतः वाष्प से साफ न कर लिया गया हो या सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पेट्रोल या ज्वलनशील वाष्प से रहित कर दिया गया है, अन्य समान प्रभावी उपाय ग्रहण न कर लिए गए हों।

12. चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण तथा जाँच–(1) पेट्रोल प्रक्रियाओं से पेट्रोल गैस उत्पन्न करने में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक नौकरी पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुकारक और चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुकारक द्वारा जाँच के लिए सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

13. इस नियमावली में पेट्रोल से अभिप्रेत है पेट्रोलियम अधिनियम, 1937 में परिभाषित खतरनाक पेट्रोलियम से है।

उप–अनुसूची–8

अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस

1. प्रयुक्ति होना– यह अनुसूची उन सभी कारखानों पर लागू होगी, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण कार्य या उपयोग होता हो ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) "अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव" से अभिप्रेत ऐसे द्रव से है तथा जिसमें उसके घोल, इमलशन या सस्पेन्शन भी शामिल हैं, जो पेट्रोलियम एक्ट, 1934 की धारा 14 और 15 में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार जाँच करने पर 32 डिग्री सेन्टिग्रेड से कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प निकालते हैं

(ख) "ज्वलनशील दाबयुक्त गैस" से अभिप्रेत ज्वलनशील दाबयुक्त गैस से है, जो विस्फोटक अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 4) के अधीन बनाए गए स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) रूल्स, 1981 के नियम 2 में परिभाषित है ।

3. भण्डारण– (1) प्रत्येक कारखानों में उपयोग की जाने वाली ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस उपयुक्त स्थिर भण्डारण टैंक या उपयुक्त रूप से बन्द बर्तन में सुरक्षित स्थान पर जमीन के अन्दर, खुले में या पर्याप्त अग्नि प्रतिरोधक संरचना के बने भण्डार गृह में भण्डारित की जाएगी।

(2) प्रत्येक बर्तन या टैंक, जिसमें अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस भरी हो या भरी रहती हो, केवल उपयोग, चालन या अनुरक्षण के समय जैसा भी आवश्यक हो, को छोड़कर हमेशा बंद रखे जाएंगे और उसके कभी फैल या रिसन हो जाने पर उसे बटोरने या किसी उपयुक्त कन्टेनर में तत्काल खाली करने के लिए उपयुक्त व्यवहार्य कदम उठाए जाएँगे।

(3) अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव के ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के भण्डारण एवं उपयोग में आने वाले प्रत्येक कंटेनर, बर्तन, टैंक, सिलेण्डर या भण्डारण गृह पर स्पष्ट तथा बड़े अक्षरों में शब्द "खतरा अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव" या "खतरा ज्वलनशील दाबयुक्त गैस' अंकित होंगे।

4. अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों के परिवहन हेतु आवेष्ठित प्रणाली– कारखाने में जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों को, भण्डारण टैंक या बर्तन से

उपयोग के स्थान पर परिवहन के लिए पूरी तौर पर आवेष्ठित प्रणाली, जिसमें पाइप लाइनें, पम्प और समरूप उपकरण सम्मिलित हैं, से किया जाएगा । ऐसी आवेष्ठित प्रणाली इस प्रकार रूपांकित स्थापित, चालित और अनुरक्षित होगी कि रिसन या छलक जाने का खतरा नहीं रहे।

5. हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण बनने से रोक–जहाँ कहीं किसी उपकरण पाइप लाइन, वाल्व, जोड़ या प्रणाली के अन्य भाग से अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के रिसन या छलक या फैल जाने की सम्भावना हो, वहाँ उस फैले हुए या रिसे पदार्थ को बटोरने या बर्तन में भरने या उसे तनु (पतला) करने के सभी व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे, ताकि हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण का बनना रोक दिया जाए।

6. ज्वलन की रोक–(1) प्रत्येक काम के लिए या अन्य स्थानों पर, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन, कार्य या उपयोग किया जाता हो या वहाँ हवा में अतिज्वलनशील या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के इकट्ठी होने से आग या विस्फोट का खतरा हो, वहाँ ज्वलन के स्त्रोतों को वर्जित करने के सभी व्यवहारिक उपाए किए जाएंगे, ऐसी पूर्वाधानियाँ निम्नलिखित होंगी –

(क) खतरे के क्षेत्र में या तो सभी प्रकार के विद्युत उपकरण वर्जित होंगे या उनकी संरचना, स्थापना तथा अनुरक्षण इस प्रकार होगा कि उसने ज्वलन स्त्रोत का खतरा पैदा न हो

(ख) स्थिर विद्युत आवेश को खतरनाक सीमा तक एकत्र होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय द्अपनाए जाएंगे या

(ग) कोई व्यक्ति लोहे या स्टील के कीलों युक्त जूते या चप्पल या अन्य खुले हुए लोह पदार्थ की चीज, जिसके घर्षण से चिंगारी निकलने की संभावना हो, को न तो पहनेगा और न ही उन्हें पहनने की उसे अनुमति देगा

(घ) धुआँपान, आग लाना या माचिस, लाइटर या अन्य धुआँपान की सामग्री ले लाना प्रतिषिद्ध हो गया

(ड) लोहे के जोड़ युक्तत संचालन बेल्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा और

(च) सभी अन्य पूर्वाधानियाँ, जो भी व्यवहार्य हों अपनायी जाएंगी, ताकि अन्य सभी संभावित स्त्रोतों से जैसे खुली ज्वालाएँ, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी, मशीनरी या संयंत्र की

अति तप्त सतह, रासायनिक अथवा भौतिकी रासायनिक प्रतिक्रिया और विकर्णी उष्मा,ज्वलन प्रारम्भ होने से रोका जा सके।

7. धुम्रपान का प्रतिषेध– किसी स्थान में जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस की उपस्थिति होने पर उन परिस्थितियों में धुम्रपान नहीं करेगा, जिसमें धुम्रपान पे आग का खतरा हो । अधिभोगी इस अपेक्षा के पालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवहार्य उपाय करेगा, जिसमें धुम्रपान प्रतिषिद्ध है, यह प्रदर्शित करने वाले बड़े सूचना–पट्ट उस प्रत्येक स्थान पर जहाँ–जहाँ यह अपेक्षा लागू होती हो लगाने होंगे।

8. अग्निशमन– किसी स्थान में, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण, भण्डारण, कार्य का उपयोग होता हो, वहाँ अग्निशमन के उपयुक्त तथा पर्याप्त साधनों की व्यवस्था होगी । ऐसे साधनों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता, जिसे अभिव्यक्ति में, स्थाई तथा पोर्टेबल अग्निशमन प्रणाली, अग्निशमन पदार्थ, अग्निशमन की विधि और प्रक्रियाएँ उस मानक के अनुसार होना सम्मिलित हैं, जो नियम 7 के अधीन विहित किए गए है।

9. चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण तथा जाँच –(1) चिकित्सा पदाधिकारी अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस निमार्ण भंडारण सम्वहन एवं उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 पर होगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा

पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता चिकित्सा को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

10. छूट– किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता यह संतुष्ट हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में प्रक्रिया के निरन्तर न चलने रो या किसी अन्य कारण रो इस अनुसूची के सभी या कई उपबंध कारखाने में कामगारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एक लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे किसी कारखाने को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से उन शर्तों, यदि कोई हैं, के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगा।

उप–अनुसूची–9

कच्ची खालों और चमड़ों का लाइनिंग तथा उनको कमाना और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ

1. चेतावनी का सूचना – (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग (एन्थ्रेक्स) के संबंध में चेतावनी के सूचना कारखाने के ऐसे प्रमुख स्थानों पर, जहाँ वे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सकें, चिपकाये जाएंगे ।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग विषयक चेतावनी के सूचना की एक प्रति प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को, जबकि वह काम पर लगाया जाए और तत्पश्चात् यदि नियोजित रहता हो तो प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन दी जाएगी ।

(3) चमड़ी का क्रोम के प्रभाव के संबंध में चेतावनी के सूचना प्रत्येक कारखाने के, जिसमें क्रोम का घोल उपयोग में लाया जाता हो, प्रमुख स्थानों पर चिपकाए जाएंगे और ऐसे सूचना ऐसी जगह लगाए जाएंगे, जिससे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सके ।

(4) "प्राथमिक उपचार" पेटी या अलमारी की स्थिति और ऐसी पेटी तथा अलमारी के भारसाधक व्यक्ति का नाम बदलती हुई सूचनाएँ कारखाने के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई जाएंगी।

(5) यदि कारखाने में नियोजित कोई व्यक्ति अशिक्षित हो तो कंडिका 1, 2 तथा 4 में निर्दिष्ट किए गए सूचनाओं की विषय–वस्तु को और यदि कारखाने में क्रोम के घोल उपयोग में लाए जाते हों तो कंडिका 3 में निर्दिष्ट सूचनाओं की विषय वस्तु को ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को सावधानीपूर्वक समझाने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

2. सुरक्षात्मक परिधान–अधिभोगी सुरक्षात्मक परिधान की निम्नलिखित वस्तुओं को उपलब्ध करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाये रखेगा–

(क) वर्ण धातु घोलों से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रियाओं जिसमें ऐसे घोलों का निर्माण भी सम्मिलित है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए बरसाती जूते, पायंचे, एप्रन तथा दस्ताने (ख) क्रोमाइड में नियोजित व्यक्तियों के लिए दस्ताने तथा जूतेय और (ग) खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त खाल या चमड़े के काम में सन्निहित होने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक जूते, एप्रन तथा दास्ताने।

(i) दस्ताने, एप्रन, पायंचे या जूते, रबर या चमड़े के हो सकते हैं, किन्तु उपखण्ड (क) तथा (ख) के अधीन उपबंधित दस्ताने तथा जूते रबर के होंगे य

(ii) हाथ से फैलाकर तख्ता बनाने वाले या ऐसी प्रक्रियाओं में, जिसमें चूना, सोडियम सल्फाइड या अन्य कास्टिक मदिरा से सम्पर्क होने का जोखिम न हो, नियोजित व्यक्तियों को दस्ताने का उपबंध नहीं भी किया जा सकेगा।

3. धुलाई की सुविधायें भोजन कक्ष तथा अमानती सामान कक्ष – समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वच्छ दशा में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा।

(क) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और यह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो दो फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, जल का सत प्रदाय होता हो या

(ख) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा, जिसमें जल का सतत् प्रदाय होता हो साथ ही दोनों में किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रुशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा, या

(ग) भोजन के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो (1) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों और (2) भोजन गरम करने तथा पानी उबालने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा।

भोजन कक्ष (1) किसी ऐसे कक्ष या शेड से, जिसमें खालों या चमड़ों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता हो या अभिसाधन किया जाता हो, पृथक होगाय (2) अमानती सामान घर पृथक होगा और (3) किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभाव में रखा जाएगा।

(घ) अधिभोगी समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए परिधानों के लिए यथोचित स्थान का तथा सुरक्षात्मक परिधान के लिए एक अन्य स्थान का उपबंध करेगा तथा बनाए रखेगा और दोनों मामलों में परिधानों की यदि गीले होतो सुखाने के लिए पर्याप्त प्रबंध भी करेगा । इस प्रकार उपबंधित स्थान सभी समय स्वच्छ रखा जाएगा और किसी जिम्मेदार वक्ति के प्रभार में रखा जाएगा।

4. कार्यकक्ष में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना– कार्य के किसी भी कार्यकक्ष में या किसी भी शेड में, जिसमें खालों या चमडों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता है या अभिसाधन किया जाता हो, किसी भी कामगार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा।

5. चिकित्सकीय परीक्षण – (1) प्रत्येक कारखाने जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी:

(क) वहाँ नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी रखने के लिए योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदत्त करेगा;

(ग) क्रोमियम पदार्थों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के हाथों की सप्ताह में दो बार जाँच कराए जाने की व्यवस्था करेगा; और

(घ) कामगारों के आसानी से पहुँच गम्य बाक्स में उपयुक्त मलहम तथा प्लास्टर का प्रदाय करेगा तथा बक्सों को केवल मलहम तथा प्लास्टर के ही उपयोग में लाया जाएगा ।

(2) कच्ची खालों और त्वचा की लाइनिंग तथा हैमिंग उनको कमाना और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 पर होगा। उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

उप–अनुसूची–10

प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाएँ

1 छूट– जहाँ मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का संतुष्ट हो जाए कि अनुसूची के समस्त या कोई उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा किसी कारखाने को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा । ऐसा

प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "सीसायुक्त पदार्थ" से अभिप्रेत ऐसे पदार्थ से है, जिसमें कम से कम पाँच प्रतिशत सीसा हो।

"सीसे की प्रक्रिया" से अभिप्रेत–

(क) ढालने तथा यांत्रिक मुद्रयोजन (ढलाई और यांत्रिक रचना के लिए सीसे या सीसे के किसी पदार्थ के गलाने से है।

(ख) उपयोग में लाए गए सीसेयुक्त पदार्थ से मशीनों के रिचार्जिंग (पुनः चार्ज करने) से है;

(ग) किसी अन्य कार्य से है, जिसमें मेल्टिंग पाट्स से मैल हटाना प्लंजर्स का साफ करना सम्मिलित है, और

(घ) सीसेयुक्त पदार्थ का अभिसाधन करने, उसे वहन करने या उसके अन्य उपचार से है ।

"कार्यसाधक वायु निष्कारक' से अभिप्रेत गैस, वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु के मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कारक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो गैस, वाष्प, धुआँ या धूल को उस स्थान से हटा सके, जहाँ वे उत्पन्न होती हों ।

3. वायु निष्कासन– निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया कार्यसाधक वायु निष्कासन करके ही की जाएगी अन्यथा नहीं

(क) सीसेयुक्त पदार्थ या स्लग्ज (कोष्ठक) के गलाने की

(ख) सीसेयुक्त पदार्थ को गरम करने की, जिसमें वह वाष्प जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो, निकाली जा सके या जब तक कि वह ऐसी रीति में न किया जाए कि किसी स्थान की, जिसमें कि कार्य किया जाता हो, गैस, वाष्प, धुआँ और धूल में आसानी से मिल जाने से उसे रोका जा सके या जब तक कि विद्युत द्वारा गरम किए गए तथा थर्मोस्टेटिकली कन्ट्रोल्ड मेल्टिंग पाट्स (ताप स्थापकीय नियंत्रित द्रवण पात्र) में न की जाए। ऐसा वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे निकली हुई धूल, धुआँ, गैस या वाष्प पर उसकी उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके।

4. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा युवा किशोरों संबंध में प्रतिषेध– किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या युवा किशोरों को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण– निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके

(क) सीसे का या सीसेयुक्त पदार्थ को गलाने की,

(ख) सीसे की सीलें (लैड इन्गाट्स) ढालने की,

(ग) मेकेनिकल कम्पोजिंग (यांत्रिक मुद्रयोजन) की ।

6. मैल रखने के लिए पात्र– कसकर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए, जैसे ही कि वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए,उपयोग में लाया जाएगा ऐसा पात्र, जब कार्य कक्ष में मशीन के निकट हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढंका हुआ रखा जाएगा।

7. कार्य कक्ष का फर्श– प्रत्येक कक्ष का, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, फर्श

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जिससे कि वह चिकना हो और जल से अभेद्य रहेय

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा;

(ग) जब उस स्थान में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन पूर्ण तथा साफ किया जाएगा।

8. भोजन करने का कक्ष (मैस रूम)– सीसे की प्रक्रिया नियोजित तथा भोजन के लिए अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त सह भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से सज्जित होगा, व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

9. धुलाई की सुविधाएं– सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा (क) धुलाई स्थान, जिसमें या तो– (i) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट

का स्थान मिल सके तथा जिसमें टेबल के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो दो फीट (600 मीमी०) से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो, या

(ii) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगा और (ख) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा ।

10. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण तथा जाँच के अभिलेख– (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य पर निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की मात्रा, मूत्र में ए.एल.ए. हीमोग्लोबीन, रिटपल आफ रोल्स और स्थिरता जाँच निहित होगी। कोई भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन बाद जब तक चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कामगार का एक छह कलेण्डर माह में कम से कम एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में जहाँ कहीं चिकित्सा पदाधिकारी ठीक समझे, उप–परिच्छेद (1) में विविनिर्दिष्ट जाँच निहित होगी ।

(4) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार की चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्रारूप 28 में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की यह राय हो कि उक्त प्रक्रियाओं में कामगार नियोजित करने के लिए इस आधार पर योग्य नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों का उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर में प्रपत्र 29 पर अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में नियोजन से निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त तौर पर पुनर्वास किया जाएगा ।

(6) उल्लिखित काम के लिए अयोग्य पाए गए व्यक्ति को पुनः नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनः योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(7) परीक्षणों के अभिलेख प्रपत्र 28 और प्रपत्र 29 निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

11. कार्य कक्ष में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना– कार्य के किसी भी कक्ष में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कामगार द्वारा न तो किसी खाद्य, पेय, पान, सुपारी या तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा और न ही उसे लाया जाएगा ।

अनुसूची 11

रासायनिक कार्य

भाग–एक

1. प्रयुक्ति होना– यह अनुसूची रासायनिक कार्यों में किए जाने वाले समस्त विनिर्माण और उससे अनुषंगित प्रक्रियाओं पर लागू होंगी ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए

(क) "रासायनिक कार्य" से अभिप्रेत किसी कारखाने या कारखाने के भाग में किए जाने वाले कार्यों से है, जो इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में सूचीबद्ध किए गए है।

(ख) "सक्षम वायु निष्कासक" से अभिप्रेत गैस, वाष्प, धुआँ या धूल को बाहर निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा प्रभावी किए गए स्थानीय संवातन से है, जिससे ऐसे

किसी स्थान, जिसमें काम किया जा रहा हो, की वायु में उसे मिल जाने से रोका जा सके।

(ग) "ब्लीचिंग पाउडर" से अभिप्रेत ब्लीचिंग पाउडर से है, जिसे सामान्यत चूने का क्लोराइड कहा जाता है।

(घ) "क्लोरेट" से अभिप्रेत क्लोरेट या पर–क्लोरेट से है।

(ड) "कास्टिक" से अभिप्रेत पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार से है।

(च) "क्रोमोप्रक्रिया" से अभिप्रेत पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार से है।

(छ) "नाइट्रो या एमीनों" से अभिप्रेत फीनोल तथा बेन्जीन या इनके समरूप पदार्थों के नाइट्रो या एमीनो यौगिको का विनिर्माण और इन पदार्थों में से किसी के भी उपयोग से विस्फोटक पदार्थ बनाने से है।

(ज) पद "कार्य की अनुमति" प्रणाली से अभिप्रेत भाग–दो के परिच्छेद 20 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन से है "यज्ञाद्ध विषैले पदार्थ" से अभिप्रेत उन सभी पदार्थों से है, जो जब वे मानव शरीर में श्वाँस लेने या खा लेने या त्वचा द्वारा सोखने के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रविष्ट हो जाने से इसके स्वाभाविक रासायनिक या जीव वैज्ञानी प्रभावों से आरक्षित होने के कारण मनुष्य की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ा या उसके स्वास्थ्य में दीर्घ स्थायी हानिकारक प्रभाव कर दें । उन पदार्थों के संबंध में, जिनकी नियम 124–ख में टी.एल.वी. (स्वीकार योग्य स्तर) विनिर्दिष्ट है, उसमें विविनिर्दिष्ट उसकी सान्द्रता से अधिक सान्द्रता होने पर वह विषैला होगा।

(झ) "आपात स्थिति" से अभिप्रेत उस स्थिति या दशा से है, जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य या जीवन को खतरा हो या जिससे बड़ी मात्रा में आग या विस्फोट या कार्यस्थल तथा बाहरी वातावरण प्रदूषित हो जाए और जो कामगारों या आसपास के स्थान को गंभीर रूप से प्रभावित कर दे और जिस परिस्थिति या जिन परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो।

(ट) "खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रया" से अभिप्रेत तेज गति प्रक्रिया जैसे रनअवे प्रतिक्रिया, विलंबित प्रतिक्रियसा आदि से और जिनके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का निक्षेप,

ज्वलनशील या विषैली गैस या वाष्प का तीव्र निष्कासन, अचानक दाब का बनना आदि होता है।

(ट) "मैनीपुलेशन (अभिसाधन)" से अभिप्रेत कुशलतापूर्वक मिश्रित करना, मिलाना, भरना, खाली करना, पिसाई करना, छानना, सुखाना, पैक करना, झाड़ू या सफाई करना, काम करना, उपयोग करना आदि से है।

(ड) "अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण" से अभिप्रेत उन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से है, जो संबंधित भारतीय मानक संस्थान के मानदण्डों के अनुरूप हो या उसके अभाव में मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किए गए होंय "उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण" से अभिप्रेत वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो कामगार द्वारा उपयोग किए जाने पर उसके जीवन या स्वास्थ्य या शरीर को कोई जोखिम न हो।

(ण) "सीमित साधन (कन्फाइन्ड स्पेस)" से अभिप्रेत कोई स्थान जो अपनी संरचना के कारण, साथ ही साथ उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संबंध में उसमें प्रविष्ट होने या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम विद्यमान हो काम या काम के दौरान जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो।

भाग–दो

सामान्य अपेक्षाएँ परिशिष्ट "क" में वर्णित सभी संकर्मों को लागू होगा

1. गृह व्यवस्था– (1) कोई पदार्थ फैल जाने पर और आगे प्रक्रिया से पहले उसे साफ किया जाएगा।

(2) फर्श, चूबतरे, सीढ़ियाँ, मार्ग, गलियारे किसी प्रकार की बाधाओं से रहित रखे जाएंगे ।

(3) संयंत्र के सभी भागों की सफाई तथा कार्य की सुलभता हेतु उसके सभी भागों तक पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

2. रसायनों का अनुचित उपयोग– कामगारों द्वारा किन्हीं भी रसायनों या विलायकों का या किन्हीं खाली कंटेनरों का, जिनमें से रसायन या विलायक रहा हो, उन प्रक्रियाओं को छोड़कर, जिनके लिए उनको प्रदाय किया गया है, किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3. खाद्य सामग्री के उपयोग का प्रतिषिद्ध आदि– किसी भी खाद्य, पेय, तंबाकू, पान या खाने योग्य वस्तु का संयंत्र या उपकरण के किसी भी भाग पर या उसके समीप में न तो संग्रह किया जाएगा न उसे गर्म किया जाएगा और न ही उसका उपयोग किया जाएगा ।

4. सावधानी सूचनाएँ या अनुदेश– (1) बहुसंख्यक कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सावधानी की सूचनाएँ सभी खतरनाक क्षेत्रों में कामगारों का ध्यान स्वास्थ्य के खतरों, अग्नि और वि के खतरे के अन्तर्वलित करते हुए और अन्य किसी खतरे जैसे कि प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे पदार्थ या सामग्री के जाँच करने के परिणामस्वरूप या किसी दूषित बर्तन को खाने या पीने के उपयोग में लेने के बारे में आकर्षित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी,

जिससे कि उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित किए जाने के लिए कामगार का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सके ।

(2) उपरोक्त सावधानी सूचनाओं के अलावा कामगारों को, जिनमें बिना पढ़े–लिखे लोग भी शामिल हैं, प्रक्रिया के खतरों के बारे में विशेष तौर पर जिनसे कि वे काम के समय सामान्यतः आरक्षित हैं, शिक्षित तथा अनुदेशित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी शिक्षा तथा अनुदेशों में अनाधिकृत और असुरक्षित कार्यों सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में प्रयुक्त पदार्थों के गुणों और हर एक खतरे के बारे में बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ भी सम्मिलित होंगी। कामगारों के नियोजन के एक माह के भीतर और पुराने कामगारों से इस नियम के क्रियान्वयन में आने के एक माह के भीतर एक वचन पत्र लिया जाएगा कि उन्होंने सावधानी सूचनाएँ और अनुदेशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और वे उसका पालन करेंगे। सभी कामगारों के तथा सभी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अनुदेशों से विभिन्न प्रकार के साधनों (बर्तनों) और पाइप लाइनों पर लगाए गए लेबलों या किए गए रंगों और चिन्हों का आशय या विशिष्टता जानना भी सम्मिलित होगा ।

5. प्रक्रिया प्रारम्भ करने में पहले अभिरक्षा का मूल्यांकन और उसकी व्यवस्था– (1) किसी प्रक्रिया या प्रायोगिक कार्य या परिशिष्ट–क के अधीन वर्णित किसी नए विनिर्माण को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिभोगी वास्तविक चालान में निहित खतरे और रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में निहित खतरों, दोनों को पूरी तरह जानने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा, उपयोग किए जा रहे कच्चे माल अंतिम उत्पादन जो बनाया जाना है और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पादन के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप–उत्पादन के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण

के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्हीं खतरों तथा उसके कामगारों पर प्रभावों का सामना करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(2) रूपांकन स्थिति से निराकरण स्थिति तक प्रक्रिया के विवरण उसके खतरे तथा उपरोक्त उपपरिच्छेद (1) में वर्णित अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों की लिखित में विस्तृत जानकारी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को और राज्य सरकार के औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला को जल्दी से जल्दी परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित किसी वस्तु के विनिर्माण उसको काम में लाने या उसक भण्डारण करने में किसी भी दशा में 15 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाएगी । चाहे वह प्रयोगात्मक आधार पर या पायलट प्लांट या ट्रायल उत्पादन या बड़े पैमाने पर विनिर्माण हो।

(3) इस प्रकार मूल्यांकन किए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सभी खतरे, सभी स्तरों यथा भवनों, संयंत्र तथा सुविधाओं के रूपांकन , संरचना, चालन, अनुरक्षण और निवर्तन के समय उनकी अभिरक्षा हेतु ध्यान में रखे जाएंगे ।

(4) उप–परिच्छेद (1) से (3) के अधीन की गई अपेक्षाएँ कार्य को शासित करने वाले अन्य किसी अधिनियम के अधीन उपबंधों के स्थान पर या उनके अल्पीकारक नहीं होंगे ।

6 अधिकृत प्रवेश– कारखाने या संयंत्र के किसी भाग में जहाँ किसी प्रकार की खतरनाक सक्रिया या प्रक्रिया चलाई जा रही हो या जहाँ खतरनाक रसायनिक प्रतिक्रियाएँ हो रही हो, जहाँ खतरनाक रसायनों का भण्डारण हो, वहाँ केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी ।

7. उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों का परीक्षण– (1) प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे उपकरण तथा सुरक्षा युक्तियों की उनके उपयोग में लेने के पहले तथा उसमें की गई किसी मरम्मत के बाद माह में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच की जाएगी । ऐसी जाँच तथा परीक्षणों के अभिलेख एक रजिस्टर में रखे जाएंगे ।

(2) प्रक्रिया में उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों को प्रतिदिन या बहुधा, जैसा भी जरूरी हो, उपयोग किया जाएगा, ताकि हर सक्षम तथा प्रभावी रूप से उनका पालन सुनिश्चित हो ।

8. विद्युत स्थापनाएँ– परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग में लाई गई सभी विद्युत स्थापनाएँ उस क्षेत्र में मौजूद खतरों जैसे धूल, नमी, क्षरण, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता आदि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रकार की होगी और जो उस क्षेत्र में उपयोग तथा संरचना को शासित करने वाले भारतीय मानदण्डों के विनिर्देशों के अनुरूप होंगे ।

9. रसायनों का कार्य और उनका भंडारण– (1) रसायनों के कार्य और भंडारण के कन्टेनर, उसमें निहित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे, कन्टेनरों तथा उसमें भरे पदार्थों की पहचान हेतु उन पर उपयुक्त लेबल तथा रंगों के चिन्ह भी लगाए जाएंगे, जिनमें उनके निहित खतरों और उनके सुरक्षित कार्य की विधि अंकित होगी और जो संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगे। लेबल पर दिए गए निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा । टूटे कन्टेनरों का कार्य केवल जिम्मेदार तथा जानकार व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और फैले हुए पदार्थों को उपयुक्त साधनों को प्रयुक्त कर सुरक्षित तरीके से हानि रहित किया जाएगा ।

(2) प्रतिक्रिया और पात्र में रसायनों को चार्ज करने की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए रसायनों के भण्डारण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि आग या विस्फोट या पदार्थों की जहरीली सान्द्रता नियम 124–ख में विविनिर्दिष्ट सीमाओं से ऊपर एकत्र होना निवारित किया जा सके ।

(3) उपरोक्त उप–परिच्छेद (2) की सामान्य अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त संवातन सुविधाएँ होंगी और पात्र तथा कन्टेनरों में सुरक्षित स्तर अनुरक्षण की व्यवस्था होगी । ऐसी व्यवस्था में फर्श के प्रकार, उसकी क्षमता तथा पास में भंडारित अन्य रसायनों के मध्य अपेक्षित अनुकूलताओं का भी ध्यान रखा जाएगा ।

(4) (क) रसायनों और अन्तस्थ उत्पादों, जो अत्यन्त अस्थिर या प्रतिक्रियाशील या विस्फोटक हो, उनका भण्डारण केवल दो माह के उपयोग हेतु अपेक्षित सीमित मात्रा में ही किया जाएगा।

(ख) जब कभी खण्ड (क) द्वारा निर्धारित सीमा से वृद्धि की जानी हो तो उसके लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से अनुमति लेनी होगी।

(ग) उपरोक्त खंड (क) और (ख) में किसी बात के होते हुए भी मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं को करने वाले

कारखानों की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक पदार्थों की दो माह के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा से कम भण्डारण का निर्देश दे सकेगा ।

(5) बड़े से बड़े कंटेनर की क्षमता के बराबर एक अतिरिक्त कंटेनर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होगी, ताकि यदि किसी कन्टेनर में कोई दोष आ जाने के परिणामस्वरूप विषैले पदार्थ की रिसन हो जाए तो अतिरिक्त कंटेनर में शीघ्रता से स्थानान्तरित किया जा सके।

(6) अघात पदार्थों जैसे कि फायबर, ग्लास, प्रवलित (एफ आर पी) रिइन्फोर्ल्ड प्लास्टिक कांच के बर्तन आदि का उपयोग करके सनिर्मित भण्डारण सुविधाएँ अन्तर्वस्तुओं से उत्पन्न प्रत्यावल, यदि कोई हो तो सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगी और वह भली प्रकार के जुड़ी या थिर की हुई होंगी । ऐसे भण्डारण सुविधा के लिए उपयोग में लाए जा रहे काम के चबूतरे, पहँच सीढ़ियाँ, पाइप लाइनें, आदि भण्डारण सुविधा की संरचना के सहारे न टिकी न जुड़ी होकर स्वतंत्र सहारे से लगाई जाएंगी ।

10. पृथकीकरण की सुविधाएँ– संयंत्र और उपकरण इस प्रकार सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे कि जिसे संयंत्र या संयंत्र का भाग या उपकरण उपयुक्त आदेश के साथ शीघ्रता से पृथक् किए जा सकें। सुरक्षा कार्मिक, रख–रखाव तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्मिकों के पास हर समय पृथकीकरण सुविधा दर्शाने वाले खाका प्लान की एक–एक प्रति उपलब्ध रहेगी और माह में एक बार उन सुविधाओं के प्रभावी होने की जाँच की जाएगी।

11. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण– (1) इन अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में निहित खतरों से आरक्षित सभी कामगारों को उपयुक्त तथा अनुमोदित किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय किया जाएगा । ऐसे उपकरण जारी करने से पहले पूरी तरह साफ, कीटाणु रहित तथा स्वास्थ्यकारी दशा में होंगे।

(2) अधिभोगी सभी कामगारों को काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में अवगत, शिक्षित करेंगे तथा उसके बारे में निगरानी की व्यवस्था करेंगे ।

(3) किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण समुचित होने के बारे में किसी संदेह के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा ।

12. चेतावनी प्रणाली– (1) ध्वनि और दृश्य संकेत उपयुक्त तथा प्रभावी चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण कक्ष साथ ही साथ नाजुक स्थलों पर जहाँ पर नियन्त्रण व्यवस्था उपलब्ध है, स्थापित होगी, जिससे कि चालन–मानक (परिच्छेदमीटर) निर्धारित सुरक्षित स्तर के आगे बढ़ने या आग या विस्फोट स्थिति की ओर अग्रसर होने के पहले ही सुधार या सही करने

की कार्यवाही की जा सके । ऐसी चेतावनी प्रणाली की हर रोज जाँच होगी और प्रत्येक माह में उसकी निरन्तर कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसकी कम से कम एक बार जाँच की जाएगी ।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसे संयंत्रों या प्रक्रियाओं में, जहाँ विषैले पदार्थ का उपयोग किया जाता हो और उनके फैलने या रिसने से वहाँ या संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर विषैलापन फैल सकता हो। उस दशा में ऐसी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दे सकेगा ।

13. कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासन पर नियंत्रण– (1) उन सभी संयंत्रों, कन्टेनरों, बर्तनों, सीवर लाइनों, नालियों, धुआँमार्ग, वाहिनी, पुलियों और दबी हुई पाइप लाइनों और उपकरणों से सामान्य कार्यदशा और दुर्घटना या आपात अवसरों पर अ पदार्थों के लिए, जिनसे आग या विस्फोट या विषैलापन का खतरा होने की सम्भावना हो, प्रभावी व्यवस्था, जैसे कि आवरण या उपमार्ग (बायपास) या सक्षम वायु निष्कासक, ऋणात्मक दाब या संधारण आदि की जाएगी ।

(2) नियंत्रण व्यवस्था के असफल होने के परिणामस्वरूप कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासित होने के अवसर पर प्रक्रिया का नियंत्रण ऐसी रीति से करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि और आगे निष्कासन को सुरक्षित स्तर पर ले जाया जाएगा ।

(3) उप– परिच्छेद (2) में अपेक्षित कदम उठाने से पहले कार्य के वातावरण में निष्कासित हो गए पदार्थ को हवा या पानी के या किसी अन्य उपयुक्त क्रियाकारक से तनु करके या पदार्थ के उपयुक्त उपचार द्वारा हानि रहित किया जाएगा ।

14. खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण– खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रभावों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । जैसे स्वचालित तथा दूर संवेदी नियंत्रण व्यवस्था । सामान्य नियन्त्रण व्यवस्था असफल होने पर यह प्रचालित हो जाएगी ।

15. संयंत्र और उपकरणों की जाँच, परीक्षण और मरम्मत– (1) प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संयंत्रों के भाग, उपकरण और मशीनों की जिनके असफल होने पर किसी आपात अवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले, जाँच और दो वर्ष के अन्तराल से या उसके मरम्मत किए जाने के बाद पुनः जाँच की जाएगी । सक्षम व्यक्ति द्वारा संयंत्र के भागों, उपकरणों और मशीनों की, जिनकी उपरोक्तानुसार जाँच की जाती है, पहचान की जाएगी और उपयुक्त जाँच विधि विकसित की जाएगी। दाब पात्र या

प्रतिक्रिया गारक पात्रों के संबंध में ऊपर वर्णित जांच करने में निम्नांकित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी, अर्थात

(क) जाँच प्रारम्भ करन के पहले प्रत्येक पात्र को बाहर से और जहाँ तक व्यवहार्य हो, वहाँ भीतर से भी सतह पर दिखाई देने वाले दोष, जंग और चिपके हुए अन्य पदार्थों को पूरी तरह साफ रिया जाएगा तथा जाँच की जाएगी । सफाई प्रक्रिया के और मैले, यदि कोई हो, की सफाई के दौरान यदि ऐसा मैल पायरोफेरिक (अग्निजनक) प्रकृति का हो या जिसमें स्वतः ज्वलनशील रसायन हो, वहाँ अग्नि या विस्फोट के विरुद्ध सभी आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(ख) जैसे ही जाँच पूरी हो, पात्र को भीतर से पूरी तौर पर सूखा किया जाएगा और जाँचकर्ता जिसके द्वारा जांच की गई है तथा जाँच का दिनांक उपदर्शित करने वाले चिन्ह एवं अंक की स्पष्ट मुद्रा लगाई जाएगी, और (ग) कोई पात्र, जो जाँच में असफल हो गया हो या अन्य किसी कारण से उपयोग हेतू असुरक्षित पाया गया हो, उसे या तो नष्ट कर दिया जाएगा या मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को सूचना देकर उसे अनुपयोगी कर दिया जाएगा ।

(2) संयंत्र उपकरण मशीनों के सभी भागों, जिनके असफल हो जाने पर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने की संभावना होती हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा माह में एक बार परीक्षण किया जाएगा ।

(3) उप–परिच्छेद (1) और (2) में विनिर्दिष्ट जाँच तथा परीक्षण के अभिलेख तब तक रखे जाएंगे, जब तक उक्त संयंत्र, उपकरण और मशीन का भाग उपयोग में है ।

(4) किसी संयंत्र, उपकरण और मशीन में किए गए सभी मरम्मत कार्य, जिसमें परिवर्तन उपान्तरण संयोजन आता है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे और जो कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की विधि उपयोग में लाएगा । जब पाइप लाइनों और जोड़ों की मरम्मत या उपान्तरण किया जाना हो और जोड़ो का वेल्डिंग अपेक्षित हो, तब जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कार्य का नियमन "कार्य अनुमति" प्रणाली से किया जाएगा ।

16. मचान – (1) अनुरक्षण कार्य य मरम्मत कार्य या सीमित स्थान में प्रवेश से संबंधित कार्य के लिए और परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए खड़े सभी

मंच, स्थिर, कठोर और पर्याप्त मजबूती के सशक्त पदार्थों से सन्निर्मित होंगे। ऐसे मंच संबंधित भारतीय मानक के मानदण्डों के अनुरूप होंगे ।

(2) किसी बन्द या खुले पात्र के ऊपर, जब तक कि पात्र की बनावट ऐसी न हो और मंच पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के आरक्षित होने के विरुद्ध संचालित न हो, तब तक वहाँ मंच नहीं बनाया जाएगा।

(3) इस परिच्छेद के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित सभी मंचों पर उपयुक्त पहुँच होगी, जो कि सुरक्षित होगी और उसमें एक मीटर ऊंचाई की उपयुक्त हेन्डोरेल और टी–बोर्ड लगे होंगे ।

17. बैठने की व्यवस्था– परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में काम करने वाले "यालकों' के लिए बैठने की व्यवस्था सुरक्षित प्रकार से स्थित होगी, जिससे कि विनिर्माण या मरम्मत या अनुरक्षण के दौरान कार्य के वातावरण में या तो संयंत्र और उपकरण से असफल होने या उन पदार्थों के, जो दाबयुक्त हैं, वातावरण में निष्कासित होने से उत्सर्जित जहरीले, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ से आरक्षित होने से खतरे को रोका जा सके ।

18 सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य– (1) प्रत्येक कारखाने के, जिस पर इस अनुसूची के प्रावधान में उल्लिखित अधिभोगी किसी व्यक्ति को सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य की अनुमति देने के पूर्व निम्नांकित पूर्वावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा–

(क) सभी सीमित स्थानों और ऐसे स्थानों में सामान्यतः या असामान्यतः सामने आने वाले खतरों की प्रकृति की पहचान और उस सीमित स्थानों में प्रवेश करने या काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिरक्षकों को विकसित करना य

(ख) "कार्य अनुमति प्रणाली' द्वारा सीमित स्थानों में प्रवेश या वहाँ कार्य का विनियमन करना, जिसमें ऊपर उपखण्ड (क) के अधीन विकसित अभिरक्षक भी आते हैं;

(ग) प्रवेश या काम करने के लिए उन सीमित स्थानों की जाँच से पहले उस स्थान की धुलाई या निष्क्रिय करने वाले अभिकर्ता से सफाई या वाष्प या अक्रिय गैस से शुद्धिकरण द्वारा और दाब युक्त संवाहन व्यवस्था या ऐसे अन्य उपायों से सीमित स्थान को सुरक्षित बनाएगा ;

(घ) सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए जाने वाली ऐसी जाँच, जो आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सीमित स्थान प्रवेश या काम करने के लिए

सुरक्षित है। ऐसे जाँच कार्य के दौरान सुरक्षा की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए, जैसी भी आवश्यक हो, की जाएगी ।

(ङ) सीमित स्थान में कार्य करने के लिए अपेक्षित कार्मिकों को उक्त कार्य में अन्तर्निहित खतरों के बारे में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था करेगा । उक्त कार्य के सारे समय एक जिम्मेदार और योग्य व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा और उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें बचाव, पुनरुज्जीवन प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अन्तर्निहित हो, तैयार रखेगा ।

(2) प्रबंधक सीमित स्थान में प्रवेश और काम करने की सभी जानकारियों को एक कार्य रजिस्टर (लॉग) में प्रविष्ट करेगा और ऐसे अभिलेख में उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें काम सुपुर्द किया हो, कार्य का स्थान और ऐसे अन्य विवरण होंगे, जो काम जिन व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया हो, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, ऐसे कार्य रजिस्टर इस प्रकार रखे जाएंगे और उतने समय तक रखे जाएंगे, जब तक कि संबंधित व्यक्ति सेवा में रहे और उन्हें निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा माँग की जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

19. अनुरक्षण कार्य आदि–(1) संयंत्र तथा उपकरण के अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्य, जिसमें इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में उपयोग में लाए खतरनाक पदार्थों के रिक्त कन्टेनरों का साफ किया जाना आता है, कार्य अनुमति प्रणाली के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक नियोजित करके और ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के, जिसे खतरों तथा उनसे निपटने में अपेक्षित पूर्वावधानियों का ज्ञान हो, पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(2) अनुरक्षण का कार्य ऐसी रीति में किया जाएगा कि जिससे समीप काम करने वाले व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को जो वहाँ से गुजरते हों, कोई खतरा न हो, यदि आवश्यक हो ऐसे कार्य के स्थल को घेराबन्द कर दिया जाएगा या असंबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति को भावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

20. कार्य अनुमति प्रणाली– कार्य परमिट प्रणाली और उसकी जैसी ही व्यवस्था में कार्य अनुमति प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को करते समय निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी

(क) कार्य परमिट प्रणाली के तहत किए जाने वाले सभी कार्य ज्ञाता और जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे

(ख) संयंत्र या मशीनों या उपकरणों के सभी भाग, जिन पर "कार्य परमिट प्रणाली" लागू होती हो, कार्य परमिट की सारी कालावधि के दौरान अन्य भागों से पृथक् रहेंगे और कार्य करने के स्थान, जिसमें संयंत्र व मशीनों के भाग सम्मिलित हैं, की सफाई, शुद्धिकरण, धुलाई आदि से सुरक्षित बनाया जाएगा;

(ग) "कार्य परमिट प्रणाली' के तहत सभी कार्यों की पूर्व निर्धारित कार्य प्रक्रिया होगी, जिसमें कार्य पर सुरक्षा भी संबद्ध होगी, ऐसी प्रक्रियाओं का, जब कभी पदार्थों या उपकरणों में – बदलाव हो, जब पुनरावलोकन किया जाएगा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेय

(घ) व्यक्ति जिन्हें "कार्य परमिट प्रणाली' क्रियान्वयन कार्य सौंपा गया है, सीमित स्थान में प्रवेश करने से पूर्व सभी प्रकार से कार्य की प्रति और मानकों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक रूप से योग्य होंगे। ऐसे व्यक्तियों को सही कार्य विधि तथा साथ में कार्य परमिट प्रणाली क्रियान्वयन करते हुए बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में उपयुक्त तौर पर अवगत करा दिया जाएगा;

(ङ)"कार्य परमिट प्रणाली' का कार्य करते हुए कार्य स्थल के समीप आपातकाल में उपयोग के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाए, पर्याप्त बचाव और पुनरुज्जीवन तथा प्राथमिक उपचार व्यवस्थाएँ अच्छी चालू हालत में प्रदत्त होगी;

(च) "कार्य परमिट प्रणाली" का कार्य करते हुए उपयुक्त और अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा;

(छ)"कार्य परमिट प्रणाली" के अधीन कार्य पूरा होने पर जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सभी उपकरण औजार वहाँ से हटा दिए जाएंगे और पूर्ववत् दशा लाई जाएगी, जिससे कि नियमित प्रक्रिया चलाने में किसी खतरे को रोका जा सकें।

21 सुरक्षा नमूना कार्मिक– नमूना एकत्र करने का कार्य, जिन्हें सौंपा गया है, उन व्यक्तियों को अधिभोगी द्वारा सुरक्षित विधि के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे । ऐसे कार्मिकों को यदि अपेक्षित हो, उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदत्त होंगे।

22. संवातन–प्रक्रिया स्थल में जहाँ विषैले या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अन्तर्वलित हो सकते हैं, हर समय पर्याप्त संवातन व्यवस्था होगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा । ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कार्य के वातावरण में या तो हानिकर या विस्फोट में परिणित हो, ऐसी सान्द्रता न बनने पाए।

23. आपात स्थिति का सामना करने की प्रक्रिया–(1)परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कार्य करने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी उक्त कार्य की प्रक्रिया के दौरान या मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करते समय उत्पन्न हो सकने वाली सभी आपात स्थितियों की पहचान करेगा। इस प्रकार पहचानी गई आपात स्थितियों का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन किया जाएगा।

(2) ऐसी पहचानी गई सभी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए अधिभोगी विस्तृत कार्य योजना बनाएगा, जिससे बचाव तथा अग्निशमन और चिकित्सीय सुविधा की तत्काल उपलब्धि हेतु बाहरी सहायता सम्मिलित होगी।

(3) अधिभोगी आपात से निपटने के लिए आपातों की सूची और प्रक्रिया योजना को मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को देगा।

(4) अधिभोगी संयंत्र में सभी व्यक्तियों, साथ ही यदि आवश्यक हो तो बाहरी पड़ोसी आवासियों को सावधान करने के लिए विशिष्ट और पहचानी जा सकने वाली चेतावनी देने की व्यवस्था स्थापित करेगा, ताकि व्यक्तियों द्वारा उस स्थान को खाली करने और आपातकालीन विधि का पालन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही की जा सके। सभी संबंधितों को चेतावनी व्यवस्था और उस आशय की पूरी जानकारी होनी चाहिए । उस व्यवस्था की दक्षता की प्रत्येक माह में जाँच की जाएगी।

(5) वैकल्पिक विद्युत प्रदाय व्यवस्था रखी जाएगी और जो सामान्य विद्युत प्रदाय प्रणाली से इन्टरलॉक होगी, जिससे इस अनुसूची के इस भाग के परिच्छेद 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22 तथा भाग ii, भाग iii, भाग iv, और भाग v की अपेक्षाओं के अनुपालनार्थ उपकरणों तथा सुविधाओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय बना रहे।

(6) जहाँ आपातकालीन स्थिति स्थापित हो, वहाँ अधिभोगी आगे प्रक्रिया काम को निलंबित करने की व्यवस्था करेगा और केवल उन लोगों को, जिन्हें आपातकालीन कार्य सौंपे हों, छोड़कर शेष सभी व्यक्ति से वह स्थान खाली कराएगा।

(7) कारखाने के सभी नियोजितों को आपातकाल के दौरान वह स्थान खाली करने की विधि को सम्मिलित करते हुए उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(8) सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रत्येक तिमाही में पर्वाभ्यास किया जाएगा और उसके उद्देश्य प्राप्ति में, यदि कोई त्रुटियाँ पाई जाएं तो उन्हें उपयुक्त तौर पर सुधारा जाएगा ।

(9) अधिभोगी 10 प्रतिशत कामगारों को प्राथमिक उपचार तथा अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और विशिष्ट प्रक्रिया के विशेष खतरों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिक उपचारों के करने के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करेगा।

(10) अधिभोगी आरक्षित व्यक्तियों के प्राथमिक या आपातकालीन अवस्था में उपयुक्त उपचार हेतु चिकित्सा कर रहे चिकित्सक को जब आवश्यक हो और उसके द्वारा मांग की जाने पर खतरनाक पदार्थ की विशिष्ट रासायनिक पहचान तत्काल देगा।

24. बहिःस्त्राव द्वारा उत्पन्न खतरा– (1) विभिन्न प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के बहिरूस्त्रावों को, जो खतरनाक या विषैली गैस उत्सर्जित कर सकते हों, मिश्रित न होने देने के लिए पर्याप्त पूर्वाव्धानियाँ बरती जाएंगी।

(2) बहिरूस्त्राव, जिसमें विषैली गैस मिली हुई हो या जो दूसरे बहिःस्त्राव की उपस्थिति में विषैली गैसों को निक्षेप करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे अलग से एकत्र कर उसे सुरक्षित बनाया जा सकेगा, एक स्वतन्त्र नाली प्रणाली की व्यवस्था होगी।

भाग–3

आग और विस्फोट की जोखिमें

1. तड़ित प्रतिष्ठापन सहित ज्वलन के स्त्रोत, विद्युत अधिष्ठापनों को सम्मिलित करते हुए–(1) कोई भी आंतरिक दहन इंजन तथा कोई भी विद्युत मोटर या अन्य विद्युत उपकरण और फिटिंग तथा फिक्सर, जिनसे चिंगारियाँ पैदा होती हैं या दाह उत्पन्न होता हो या कोई अन्य ज्वलन स्त्रोत को या कोई अनावृत प्रकाश को उस प्रक्रिया क्षेत्र में जहाँ वे आग और विस्फोट का खतरा पैदा कर सके, अधिष्ठापित नहीं किया जाएगा और न उसे उपयोग करने की अनुमति होगी।

(2) समस्त ऊष्ण निष्कासक पाइप भवन के बाहर अधिष्ठापित किए जाएंगे और अन्य ऊष्ण पाइपों या ऊष्ण सतह या सतहों, जिनके ऊष्ण होने की सम्भावना हो, उन्हें उपयुक्त रूप से रक्षित किया जाएगा ।

(3) खतरे के सामर्थ्य और विद्युत उपकरणों के या अन्य उपकरण के जो ज्वलन पैदा कर सके, उनके चयन की दृष्टि से कार्य के क्षेत्र का वर्गीकरण संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होगा।

(4) जहाँ ज्वलनशील वातावरण उपस्थित हो या पैदा हो सकता हो, वहाँ कामगारों के जूतों के सोल में कोई धात नहीं होगी और ट्रक या वाहक के पहिए संवाहक किस्म के होंगे ।

(5) इस क्षेत्र में कार्य के उपयोग में लिए जाने वाले औजार, चिंगारी पैदा न हो सके, इस प्रकार से होंगे।

(6) जहाँ आग और विस्फोट का जोखिम हो, उन प्रक्रिया क्षेत्रों में धुआँपान प्रतिषिद्ध होगा और कामगारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में चेतावनी सूचनाएँ कारखाने में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो में 'धुआँपान प्रतिषिद्ध" करते हुए चिपकाई जाएंगी।

2. स्थिर विद्युत– (1) समस्त मशीनरी तथा संयंत्र, विशेष तौर पर पाइप लाइनें और बेल्ट ड्राइव्स (पट्टा चालन) जिन पर कि स्थिर विद्युत के संचित हो जाने की सम्भावना हो, उन्हें प्रभावी रूप से भूयोजित किया जाएगा । स्थिर विद्युत से चिंगारी रोकने के लिए ज्वलनशील द्रवों के लिए पात्रों में भूयोजित प्रदाय टंकियों से धात्विक संयोजन होगा, ताकि जहाँ आवश्यक हो, आर्द्रता नियंत्रित की जाएगी।

(2) भरे जाने और खाली किए जाने के दौरान चल टंकी वैगन भूयोजित किए जाएंगे तथा ऐसे भरे जाने या खाली किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए भूयोजन प्रभावी है, पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

3. तड़ित से रक्षा– जहाँ आवश्यक हो, वहाँ तड़ित सुरक्षा उपकरण अवस्थित किए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

4. प्रक्रिया तापन– किसी प्रक्रिया में, जिसमें आग या विस्फोट होने की सम्भावना हो, ताप–तापन की विधि जितना संभव हो सुरक्षित होगी और जहाँ खुली ज्वाला का उपयोग आवश्यक हो, वहाँ संयंत्र का सन्निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि निकलकर बाहर आने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस, वाष्प या धूल को ज्वाला या निष्कासित गैसों या अन्य स्त्रोतों, जिनसे ज्वलन होने की सम्भावना हो, को सम्पर्क में आने से रोके। जहाँ संभव हो वहाँ तापन व्यवस्था खतरे के तापमान से नीचे एक पूर्वानुमति तापक्रम पर अपने आप नियंत्रित रहे।

5. ज्वलनशील द्रवों की रिसन–(1) ज्वलनशील द्रवों युक्त भण्डारण पात्रों से सम्भावित रिसाव को सीमित करने के लिए बन्डवाल, डाइक, सम्प आदि साधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में रहे बेकार पदार्थों का भली प्रकार निवर्तन ज्ञाता तथा जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(3) ऐसे पात्रों के सामीप्य में समुचित और उपयुक्त आग बुझाने वाले साधन अधिष्ठापित किए जाएंगे।

6. सेफ्टी वाल्व– प्रत्येक आसवन पात्र और प्रत्येक बंद पात्र, जिसमें गैस उत्सर्जित हो या जिसमें से गैस गुजारी जाती हो और जिसमें वायुमण्डलीय दाब से ऊपर दबाव बढ़ने की संभावना है, वहाँ उसके साथ एक दाबमापी और एक उपयुक्त सेफ्टी वाल्व या अन्य प्रभावशाली समरूप दाबमुक्त करने की व्यवस्था होगी। ऐसे उपकरण अच्छी दशा में अनुरक्षित रखे जाएंगे।

7. पाइप लाइनों का अधिष्ठापन आदि–ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों को ले जाने वाली सभी पाइप लाइनें यांत्रिक हानि (टूट–फूट) से रक्षित होंगी और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सप्ताह में एक बार उनमें किसी खराबी या दोष अथवा ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ के जमाव के बारे में उनका परीक्षण किया जाएगा और पाए गए किसी दोष और की गई किसी मरम्मत का अभिलेख रखा जाएगा।

8. अग्निशमन प्रणाली–(1) परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध क्रियाओं को और 500 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक कारखाने में (क) प्रशिक्षित तथा जिम्मेदार अग्निसमन दस्ता होगा, जो आग या अन्य आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक तथा जीवन रक्षक उपकरणों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इस दल में व्यक्तियों की संख्या आवश्यक तौर पर अन्तर्निहित जोखिम के आकार पर निर्भर करेगी, लेकिन किसी भी दशा में किसी भी समय में उपलब्ध ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8 से कम नहीं होगी। इस दस्ते में रखवाली व चौकीदारी के कार्मिक, अग्नि पम्प चालक और विभागीय पर्यवेक्षक तथा अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं में प्रशिक्षित चालक सम्मिलित होंगे ;

(ख) दस्ते का नेता प्रमुख तौर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होगा और उसे कारखाने में ही निवास स्थान प्रदत्त कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाएगी;

(ग) दस्ते के कार्मिक को आवश्यक कपड़े, उपकरण जिसमें हेलमेट, बूट और बेल्ट भी आते हैं, प्रदत्त किए जाएंगे।

(2) इस दस्ते के हर सदस्य को क्या ड्यूटी सौंपी गई है, यह प्रदर्शित करने वाला मस्टर रोल बनाया जाएगा और उसकी प्रति प्रत्येक नेता को दी जाएगी और साथ ही वह विशिष्ट

स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि वह आपात व्यवस्था में संदर्भ हेतु आसानी से उपलब्ध रहे।

(3) पम्प चालक सभी उपकरणों की उपस्थिति के बारे में पूरी तौर पर परिचित होगा । वह सभी अग्निशामक उपकरणों के सही चालू दशा में अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी त्रुटि के बारे में वह उस दस्ते के नेता को तत्काल अवगत कराएगा।

(4) जहाँ तक व्यवहार्य हो कारखाने के फायर पम्प रूम और मुख्य द्वार सभी विनिर्माण और भण्डारण क्षेत्रों से टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे और उन्हें ऐसे स्थानों पर सुविधाजनक स्थलों पर रखा जाएगा।

भाग–चार

विषैले पदार्थों का जोखिम

1. रिसन– (1) सभी संयंत्र इस प्रकार रूपांकित और सन्निर्मित होंगे कि विषैले पदार्थों का निकलना रोका जा सके । जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रक्रिया खतरनाक प्रक्रमों (स्टेज) के लिए पृथक म कक्ष या रक्षित संरचना का उपयोग होगा और भवन इस प्रकार रूपांकित होंगे कि विषैले पदार्थों के किसी निकास को सीमिति किया जा सके।

(2) ऐसे रिसाव के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए कैचपिट बंड वाल आइक या उपयुक्त अन्य अभिरक्षक बनाए जाएंगे। पाइप लाइनों के जोड़ों के नीचे कैचपिट रखे जाएंगे, जहाँ कि अनुरक्षक और अन्य कामगारों को ऐसे रिसाव से खतरा हो सकता हो।

2. नालियों की व्यवस्था–उपयुक्त नालियों की व्यवस्था, जो विशेष तौर पर इस प्रयोजन के संग्राहक टैंक तक जाएगी, जिनके संक्षारक पदार्थों को उदासीन, उपचार या अन्यथा किसी तरह से सुरक्षित बनाया जाकर पब्लिक सीवर या नालों में विसर्जित किया जा सके।

3. पात्रों को ढँकना–(1) प्रत्येक स्थिर पात्र या संरचना, जिसमें कोई विषैला पदार्थ भरा हो और जो इस प्रकार न ढंका गया हो कि कामगार के शरीर का कोई भाग दुर्घटनावश सम्पर्क में आ जाने से संभावित जोखिम दूर कर सके और वे इस प्रकार सन्निर्मित होंगे कि जिससे भौतिक संपर्क को टाला जा सके।

(2) ऐसे पात्र को, जब तक कि उसकी किनार सामीपस्थ चबूतरे या भूतल से 90 से.मी. ऊपर न हो, सुरक्षित रूप से ऐसे चबूतरे या भूतल से कम से कम 90 से.मी. ऊपर की ऊंचाई तक घेरा जाएगा।

(3) जहाँ ऐसे पात्र जुड़े हों और किसी ईंट या अन्य किसी संरचना से उनके बीच का स्थान या तो चौड़ाई में 45 से.मी. से कम हो या 45 से.मी.से चौडाई में अधिक हो, लेकिन दोनों ओर पर कम से कम 90 से.मी. ऊंचाई तक सुरक्षापूर्वक न घिरा हो, वहाँ सुरक्षा बैरियर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि उनके बीच मार्ग न रहे।

परन्तु यह कि इस परिच्छेद का उप–परिच्छेद (2) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा(क) अमोनिया सल्फेट के विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए गए संतृप्त और (ख) ब्राइन वाष्पीकरण कढ़ाव का वह भाग, जिसमें रैकिंग, ड्राइंग या भरना अपेक्षित हो ।

4. निरन्तर निष्कासन व्यवस्था–(1) कोई प्रक्रिया जिससे विषैली वाष्प, गैस, धुआँ और पदार्थ पैदा हो, उनमें प्रभावी निरन्तर वायु निष्कासक लगे होंगे । ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया नियंत्रण से, जहाँ संभव हो, इन्टरलाक्ड होगी।

(2) निरन्तर वायु निष्कासक व्यवस्था असफल होने पर ऐसे साधनों की व्यवस्था होगी कि जिससे प्रक्रिया स्वतरू ही रोकी जा सके।

5. वर्क बैन्च– विषैले पदार्थों का कार्य साधन शामिल करते हुए प्रक्रिया में उपयोग की जा रही सभी बैंच उपयुक्त रूप से वर्गीकृत होंगी और चिकनी अभेद्य सतह से बनी होगी और कार्य समाप्त होने पर प्रतिदिन धोई जाएंगी।

6. अवशिष्ट का निवर्तन– (1) न सोखने वाले पदार्थ के बने उपयुक्त पात्र, जिसमें लाइट योग्य ढक्कन हो, वह विषैले पदार्थ के साथ से मिल गए अविशिष्ट जमा करने के लिए प्रयुक्त होंगे और ऐसे पात्र की सामग्री जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन जलाई जाकर या उपयुक्त पद्धति का उपयोग कर नष्ट कर दी जाएगी।

(2) विनिर्माण अवधि के दौरान, जब कभी गुणवत्ता की दृष्टि से किसी विषैली अन्तवर्ती उत्पाद या किसी बैन्च के निरस्त किए जाने पर उसका निवर्तन करने से पहले उसे हानि रहित बनाए या अक्रियाशील करने या अन्यथा उसका उपचार करने की पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(3) विषैले पदार्थों के रिक्त पात्रों को उनका निवर्तन करने से पूर्व किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन पूरी तौर पर साफ किया जाएगा ।

भाग–5

विशेष उपबन्ध

1. नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाओं हेतु विशेष पूर्वाधानियाँ– (1) जब तक कि खेदार नाइट्रो या अमीनों पदार्थ या उनका कोई द्रव पूर्ण रूप से बंद प्रक्रिया में या आन्दोलित न किया जाता हो, ताकि उसकी धूल या धुआँ न उठे, वहाँ ऐसी प्रक्रियाएँ प्रभावशाली वायु निष्कासक या कोई अन्य उपयुक्त साधन के अधीन इस प्रकार की जाएंगी कि जिससे कार्य के वातावरण में धूल अथवा धुएँ का निकास न हो।

(2) संयंत्र या उपकरण या औजार का कोई भाग जो नाइट्रो या अमीनों यौगिकों के सम्पर्क में हो, उसे जब तक खाली और पूरी तरह साफ और दोषनिवारित न कर दिया गया हो, तब तक उनकी मरम्मत या उसका कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(3) शारीरिक सम्पर्क टालते हुए नाइट्रो या अमीनों यौगिकों को पात्रों में भरने के लिए करछुल (चमचे) का उपयोग किया जाएगा। सिगड़ी पर पात्र इस तरह सुखाए जाएंगे कि उसमें निकली गर्म तथा संदूषित हवा कार्य कक्ष में न आए ।

(4) नाइट्रो या अमीनो यौगिकों या इसके कच्चे माल से भरे पात्र में या उसके चारों ओर भाप देने को सम्मिलित कर चलाई जाने वाली प्रक्रिया इस रीति से चलाई जाएगी कि भाप या वाष्प कार्य कक्ष के वातावरण में उड़कर वापस न आ सके ।

(5) उपर्युक्त प्रतिकारक जैसे मिथिलीन–ब्लू के इन्जेक्शन नाइट्रो या अमीनों यौगिकों के विष को मामलों के सम्मिलित करते हुए आपातकालीन अवस्था के दौरान अभिहित स्थलों पर उपयोग हेतु हर समय उपलब्ध रहेंगे ।

2. क्रोम प्रक्रियाओं के लिए हेतु विशेष पूर्वाधानियाँ– (1) क्रोम प्रक्रिया में कच्चे माल की पिसाई और उसका छानना इस रीति से और ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा कि जिससे अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावशील रूप से उसे पृथक् रखा जा सके और वह सक्षम वायु निष्कासक के अधीन रहे।

(2) जहाँ गीली अवस्था में क्रोम प्रक्रिया हो, जैसे कि लीचिंग, अमलीकरण, सल्फेट, सेटीलिंग, वाष्पीकरण, खे बनाना, घोल को अलग करने या पैकिंग की जाती हो, उसके समीप ही धुलाई सुविधाएँ बनी होंगी, ताकि शरीर के प्रभावित भाग को बहते हुए पानी से शीघ्रता से धोया जा सके।

(3) प्रशिक्षित नर्स द्वारा क्रोम प्रक्रिया में नियोजित सभी कामगार के हाथ और पांव का साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के अभिलेख कारखाना के मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रखे जाएंगे।

(4) कार्य स्थल के अभिहित स्थानों पर उपयुक्त मल्हम जैसे ग्लिसरीन, वैसलीन आदि और पृथक् बक्से में जल अभेद्य प्लास्टर हमेशा कामगारों को आसानी से पहुँचगम्य होते हुए उपलब्ध होगा, ताकि नासिका के आसपास छिद्र होना रोका जा सके ।

3 सभी कॉंच के पात्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए विशेष पूर्वावधानियाँ –

(1) प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ जैसे विनाइल क्लोराइड, वैजाइल, क्लोराइड आदि का विनिर्माण आदि, जिन्हें कांच के पात्रों में किया जाना अपेक्षित है, में कांच पात्र टूटने के पास में काम कर रहे व्यक्तियों के बचाव हेतु मजबूत तार की जाली के आवरण की व्यवस्था होगी ।

(2) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे संपूर्ण आदि जो क्लोरेट कामगारों को प्रदत्त हो, उसे कार्यस्थल से दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जाएगा और वे पूरी तौर पर रोजाना साफ की जाएंगी।

(3) अग्नि आपात स्थिति के दौरान क्लोरेट प्रक्रिया स्थल के पास पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होगी ।

(4) क्लोरेट के रवे बनाने या पिसे हुए क्लोरेट के रवे भरने के लिए लकड़ी के पात्र का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

4. प्रवलित प्लास्टिक से बने संयंत्र और उपकरणों के उपयोग में विशेष पूर्वावधानियाँ –

(1) सभी संयंत्र और उपकरण उपयुक्त भारतीय मानक या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगे।

(2) दुर्घटनावश टूट–फूट रोकने के लिए संयंत्र और उपकरण के भण्डारण, परिवहन, कार्य औरअधिष्ठापन के दौरान सावधानियाँ बरती जाएंगी;

(3) सभी संयंत्र और उपकरण इस तरीके से अधिष्ठापित किए जाएंगे कि जिससे रूपांकन में आशयित किए गए अनुसार या विनिर्माता द्वारा अनुशंसित किए गए अनुसार ही भार का वितरण सुनिश्चित रूप से हो;

(4) सभी पाइप कार्य सहारा दिए हुए होंगे जिससे कि पात्र या टैंक पर शाखाओं का स्थानीय कुल भार रूपांकित मान से अधिक न हो;

(5) सभी संयंत्र और उपकरण का अधिष्ठापन के बाद उनके दाब की जाँच की जाएगी और सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। जाँच तथा परीक्षण संबंधित मानक के अनुसार होगा । जाँच तथा परीक्षण का प्रमाण–पत्र सक्षम व्यक्ति से प्राप्त किया जाएगा और स्थल पर उपलब्ध रखा जाएगा;

(6) सभी संयंत्र और उपकरणों के नियतकालिक जाँच तथा परीक्षण होगा और इस अनुसूची के भाग–2 के परिच्छेद 15 के अनुसार उसके अभिलेख रखे जाएंगे;

(7) संयंत्र उपकरणों को उनके उपयोग के दौरान निर्धारित क्षमता से न तो अधिक भरा जाएगा और न उससे अधिक भारित किया जाएगा।

भाग–6

चिकित्सीय अपेक्षाएँ

1. अदूषित करने की सुविधाएँ– उन स्थानों पर जहाँ पर परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में विषैले पदार्थों का उपयोग किया जा रहा हो, वहाँ किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपबंध होंगे –

(क) पूरी तरह से सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

(ख) ऐसे विषैले और संक्षारक पदार्थों से संदूषित व्यक्तियों, व्यक्तियों के शरीर के भागों और व्यक्तियों के कपड़ों को पानी से भिगोने के लिए आसानी से पहुँचगम्य साधन होंगे और ऐसे साधन नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार होंगे –

किसी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	जल से भिगोने के साधनों की संख्या
50 व्यक्तियों तक	2
51 से 100 व्यक्तियों के बीच	2
101 से 200 के बीच	3+1 प्रति 50 व्यक्तियों अथवा 100 से उपर
प्रत्येक 50 व्यक्ति के बाद 201 से 400 के बीच	5 + 1 प्रति 100 व्यक्तियों अथवा 200 से उपर
401 के बीच और उससे ऊपर	7 + 1 प्रति 200 व्यक्तियों अथवा 400 से उपर

(ग) पर्याप्त संख्या में आसवित जल या अन्य उपयुक्त पदार्थ से भरी (आई–वाश) आंख धोने की बोतलें जो पेटियों या आलमारियों में सुगम स्थान पर रखी होंगी, जिन पर स्पष्ट रूप से पहचान चिह्न, जो हर समय दिखाई दें, अंकित होगा ।

(1) 50 कामगारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए –

(क) एक प्रशिक्षित चिकित्सक की सेवाएँ, जो इसमें इसके पश्चात कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी के नाम से जाना जाएगा, कारखाने के कामगारों के लिए उसके अधिसूचित चिकित्सालय में आपात स्थिति के दौरान चिकित्सीय सहायता के लिए रिटेनरशिप के आधार पर उपलब्ध होंगी । वह इस भाग के परिच्छेद 4 में उल्लिखित रोजगार पूर्व तथा नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण भी करेगा;

(ख) कार्यावधि के दौरान प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित न्यूनतम 5 व्यक्तियों में कम से कम एक व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहेगा;

(ग) एक पूर्ण सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

(2) 51 से 200 कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए –

(क) व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य केन्द्र में एक कक्ष होगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर हो, जिसकी फर्श तथा दीवालें चिकनी ठोस तथा अभेद्य सतह की होंगी और जो पर्याप्त तौर पर प्रकाशित, संवातन युक्त और सज्जित हो ;

(ख) एक पार्ट टाइम चिकित्सा पदाधिकारी उस केन्द्र का पूरी तौर पर प्रभारी होगा और जो सप्ताह में दो बार कारखाने का दौरा करेगा और आपात स्थिति के दौरान उसकी सेवाएँ तत्काल उपलब्ध होंगी ;

(ग) सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान कार्यरत एक योग्य और प्रशिक्षित ड्रेसर–सह–कम्पाउण्डर होगा ;

(घ) एक पूर्ण सज्जित प्राथमिक उपचार पेटी ;

(3) 200 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए–

(क) 500 कामगारों तक नियोजित करने वाले कारखानों में एक पूर्णकालिक चिकित्सा पदाधिकारी होगा और प्रत्येक 1000 कामगार संख्या तक या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी होगा ;

(ख) इस मामले में व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम दो कक्ष होंगे और प्रत्येक का क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर तथा फर्श व दीवालें, चिकनी ठोस और अभेद्य सतह की होंगी और जो पर्याप्त तौर पर प्रकाशित, संवातन युक्त और सज्जित हों ;

(ग) पूरी कार्य अवधि के दौरान एक प्रशिक्षित नर्स, एक ड्रेसर–सह–कम्पाउण्डर और एक वार्ड–बॉय–सह–सफाई कर्मचारी कार्यरत होंगे ;

(घ) इस मामले में व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सीय आपातकालीन स्थितियों के लिए उपयुक्त रूप से सज्जित होगे;

3. रोगी वाहन–(1) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाएँ चलाने वाले प्रत्येक कारखाने में परिशिष्ट "ग" के अनुसार उपयुक्त तौर पर निर्मित तथा सज्जित रोगी वाहन प्रदत्त होगा और अच्छी हालत में रखा जाएगा और एक पूर्णकालिक चालक–सह–मैकेनिक और एक सहायक उस पर नियुक्त होंगे और जो दुर्घटना अथवा बीमारी के गंभीर प्रकरणों में परिवहन के प्रयोजन के लिए प्राथमिक सहायता प्रयुक्त करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, जब तक कि वह सुविधा समीपस्थ अस्पताल या अन्य स्थान से आपातकालीन स्थिति के दौरान ऊल्प सूचना पर उपलब्ध हो जाने की व्यवस्था न की गई हो । रोगी वाहन का यहां विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होगा और वह व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप सदैव उपलब्ध रहेगा।

(2) उपरोक्त उप–परिच्छेद (1) में उपबन्धित समीप से ही एम्बुलेन्स प्राप्त करने संबंधी शैथिल्य उन कारखानों पर लागू नहीं होगा, जहाँ कारखाने में 500 से अधिक कामगार नियोजित हो।

4.चिकित्सीय परीक्षण–(1) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित कामगार का कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा

(क) नियोजन पूर्व एक बार ताकि विशिष्ट कार्य हेतु व्यक्ति की शारीरिक उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) हर छः माह की कालावधि में एक बार, ताकि कामगार के स्वास्थ्य का स्तर निर्धारित किया जा सके; और

(ग) उपरोक्त नियोजन पूर्व और नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण ब्यौरे निहित प्ररूप में अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी का कोई ऐसा निष्कर्ष जिससे प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होती है तो वह चिकित्सा पदाधिकारी को तत्काल उसकी सूचना देगा, जो संबंधित कामगार की जाँच करेगा और 30 दिनों के अन्दर अपने निष्कर्षों की सूचना देगा । यदि चिकित्सा पदाधिकारी की इस प्रकार परीक्षण किए गए व्यक्ति के बारे में यह राय हो कि उसके स्वास्थ्य रक्षा हेतु उसका प्रक्रिया से निलम्बन अपेक्षित है तो वह तदनुसार अधिभोगी को निर्देशित करेगा, जो उल्लिखित कामगार को उसी प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा। प्रक्रिया से इस प्रकार निलम्बित व्यक्ति को किसी तरह की वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो चुका हो और उस स्थिति में प्रभावित कामगार को भली–प्रकार से पुनर्वासित किया जाएगा ;

परन्तु यह कि चिकित्सा पदाधिकारी स्वप्रेरणा से किसी भी अन्य कामगार की, जिसका वह परिशिष्ट "क" में उल्लेखित प्रक्रिया में नियोजित वास्ते उसके उपयुक्तता सुनिश्चितता करने के लिए या अन्य कामगार के स्वास्थ्य स्तर निर्धारित हेतु परीक्षण करना आवश्यक समझता है, परीक्षण कर सकेगा और उसका निष्कर्ष अंतिम होगा ।

(3) कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र के बैगर किसी व्यक्ति को नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी । यदि कारखाना चिकित्सा पदाधिकारी किसी व्यक्ति को परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु अनुपयुक्त घोषित करता है तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मुख अपील करने का अधिकार होगा और उसका इस संबंध में निष्कर्ष अंतिम होगा ।

(4) उप–परिच्छेद (2) में दी हुई परिस्थितियों के कारण प्रक्रिया से निलम्बित कामगार को, केवल चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वस्थता प्रमाण पत्र दिए जाने पर प्रभाव को प्रविष्टि स्वास्थ्य रजिस्टर में करने के बाद दोबारा ही उसी प्रक्रिया में नियोजित किया जाएगा ।

(5) इस अनुसूची की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार की चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्रारूप 28 में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(6) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की यह राय हो कि उक्त प्रक्रियाओं के कामगार और नियोजित करने के लिए इस आधार पर योग्य नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों का उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में नियोजन से निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त तौर पर पुनर्वास किया जाएगा ।

(7) उल्लिखित काम के लिए अयोग्य पाए गए व्यक्ति को पुनः नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनः योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(8) परीक्षणों के अभिलेख प्रपत्र 28 और 29 में निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किए जाएँगे।

भाग–7

अतिरिक्त कल्याण सुविधाएँ

1. धुलाई सुविधाएँ– (1) हर एक कारखाने में सभी कामगारों के उपयोग के लिए प्रति 15 कामगारों के लिए एक टोंटी की दर से धुलाई हेतु टोटियां प्रदत्त एवं अनुरक्षित होंगी । साथ में द्रवित साबुन जो एक झुकाए जा सकने वाले पात्र में होगा और नाखून साफ करने के ब्रुश या प्रभावी सफाई हेतु अन्य उपयुक्त साधन होंगे । ऐसी सुविधाएं सुविधाजनक रूप से पहुँचगम्य होंगी और साफ तथा स्वास्थ्यकारी दशा में रखी जाएंगी।

(2) यदि उपरोक्त अपेक्षित धुलाई सुविधाएँ महिलाओं के लिए प्रदत्त हों तो वे उनके लिए पृथक होंगी तथा पर्याप्त रूप से एकांत स्थिति में इन सुविधाओं की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

2. भोजन कक्ष सुविधाएँ–(1) परिशिष्ट "क" में उल्लेखित प्रक्रियाओं को चलाने वाले सभी कारखानों के अधिभोगी जिनके यहाँ 50 या अधिक कामगार नियोजित हों, वहाँ प्रति पाली में काम करने वाले कामगारों के लिए ऐसे भोजन कक्ष की सुविधा प्रदत्त करेगा, जिनमें

भली प्रकार संवातन हो और बैठने की सुविधा हेतु वह टेबलों से युक्त होगा, साथ ही वहाँ ठण्डे और स्वास्थ्यकारी पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

(2) ऐसी सुविधाओं में सफाई व धुलाई की उपयुक्त व्यवस्था सम्मिलित होगी और जो साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में अनुरक्षित की जाएगी ।

3. अमानती सामान कक्ष सुविधाएँ– (1) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित किसी प्रक्रिया को चलाने वाले हर एक कारखाने का अधिभोगी प्रक्रिया में नियोजित कामगारों को अमानती सामान कक्ष सुविधाएँ प्रदत्त करेगा। हर एक कामगार को दो लॉकर दिए जाएंगे। एक काम के कपड़ों के लिए दूसरा अलग से निजी कपड़े रखने के लिए होगा और लॉकर इस प्रकार के होंगे कि उसमें कपडे लटकाकर रखे जा सकें ।

(2) उप–परिच्छेद (1) के अनुसरण में इस तरह से प्रदत्त अमानती सामान कक्ष सुविधाएँ, जहाँ तक संभव हो, परिच्छेद (1) के अनुसरण में प्रदत्त सुविधाओं के समीप होंगी, यदि धुलाई सुविधा को अमानती सामान कक्ष सुविधा के पास स्थापित करना संभव न हो तो अमानती सामान कक्ष सुविधाओं में ही सफाई एवं धुलाई की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था होगी।

4. विशेष स्नानागार सुविधाएँ– (1) परिशिष्ट "ख" के अधीन प्रक्रिया चलाने वाले किसी कारखाने के अधिभोगी द्वारा नियोजित सभी कामगारों के लिए विशेष स्नानागार सुविधाएँ प्रदत्त होंगी और ऐसी सुविधाएँ प्रति 25 कामगार या उसके भाग के लिए एक स्नानागार की दर से होगी और उन्हें साफ एवं स्वास्थ्यकारी दशा में बनाए रखा जाएगा ।

(2) अधिभोगी परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगारों से आग्रह करेगा कि दिन या पाली का काम पूरा होने के बाद वह इस प्रकार स्नानागार सुविधाओं का उपयोग करे और वह स्नानागार सुविधा के अलावा किसी अन्यत्र स्थान पर स्नान करने वाले कामगारों पर प्रभावी रूप से रोक लगाएगा ।

(3) उपरोक्त उप–परिच्छेद (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता किसी अन्य प्रक्रिया चलाने वाले किसी कारखाने में जहाँ उसकी राय में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागार सुविधा आवश्यक हो, उसके अधिभोगी से लेखी में विशेष स्नानागार सुविधा प्रदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

भाग–8

श्रमिकों के कर्त्तव्य–

(1) परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उल्लेखित प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कामगार किसी सुरक्षा युक्ति या किसी साधित्र या घेरा या जाली की व्यवस्था को अक्रियाशील या दोषपूर्ण नहीं करेगा और उपरोक्त व्यवस्था की दोषपूर्ण होने की जानकारी होते ही शीघ्रता से उनकी सूचना देगा।

(2) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगार अपने कार्य स्थान, साथ ही साथ में प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीने उपकरण या साधित्र की जाँच करेंगे और किसी विकृत चालन या त्रुटि की सूचना तत्काल पर्यवेक्षक या प्रबंधक के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देंगे।

(3) सभी कामगार किसी कार्य को करने में या इस अनुसूची के अनुसरण में उन्हें किसी दायित्व को पूरा करने में प्रबंधक को सभी प्रकार के सहयोग देंगे और उन्हें दिए गए सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का हमेशा सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे।

(4) परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगार प्रक्रिया प्रक्षेत्र या भण्डारण प्रक्षेत्र में धूआँपान नहीं करेंगे । प्रबन्धक द्वारा यदि विशेष सुविधाए प्रदत्त की जाती है, उन सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा ।

(5) परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगार अनधिकृत स्थान में नहीं रहेंगे, न ही अनधिकृत कार्य या किसी व्यवस्था को सुधारने या शार्टकट पद्धति से करने या इस अनुसूची के अनुसारण में प्रदत्त सुविधा का दुरुपयोग करने का कार्य इस तरह नहीं करेंगे, जिससे उन्हें स्वयं तथा साथ ही अन्य नियोजित के लिए जोखिम पैदा हो ।

(6) कामगार इन नियमावली में अपेक्षित चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार नहीं करेंगे ।

भाग–9

18 वर्ष से कम उम्र के युवा व्यक्तियों और गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं के नियोजन पर प्रतिबंध ।

(1) कारखाने का मुख्य निरीक्षक इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं और 18 वर्ष से कम आयु के युवा महिलाओं और किशोरों के नियोजन को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध/प्रतिबंधित कर सकेगा ।

(2) उपरोक्त उप–परिच्छेद (1) के अनुसरण में जारी किए गए आदेश के कारण प्रक्रिया में कार्य करने से प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध किए व्यक्तियों को ऐसा वैकल्पिक कार्य प्रदत्त किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए हानिकारक न हो।

भाग–10

छूट

1. छूट प्रदान करने की शक्ति– राज्य शासन या शासन नियंत्रणाधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को चलाने वाले किसी कारखाने को इस अनुसूची की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन करने से पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान कर सकेगा। यदि अधिगोगी द्वारा स्पष्ट और समाधानप्रद रूप से यह स्थापित कर दिया जाए कि नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची की किन्ही अपेक्षा के स्थान पर प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होने से ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट "क"

कोई कार्य या उसका कोई भाग जिसमें–

(क) निम्नलिखित में से किसी का विनिर्माण कार्य साधन या पुनरोत्पादन किया जाता है–

(i) सोडियम, पोटेशियम, लोहा, एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, एन्टीमनी, क्रोमियम, जस्ता, सेलेनियम, मेग्नेशियम, केडमियम, मरकरी (पारा), बेरिलियम और उनके कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण, एलाय, आक्साइड तथा हाइड्रो आक्साइडय

(ii) अमोनिया, अमोनियम, हायड्रोआक्साइड और अमोनियम लवणय

(iii) सलफ्यूरस, सलफ्यूरिक, नाइट्रिक नायट्रस, हाइड्रोक्लोरिक, हायड्रोफ्लोरिक, हायड्रोआयोजिक, हायड्रोसलफ्यूरिक, हाडयड्रोब्रमोमिक, बोरिक के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक ;

(iv) सायनोजन यौगिक, सायनाइड यौगिक, सायनेट यौगिक ;

(v) फारफोरस और आरगोनोफासफोरस कीटाणु नाशकों के अलावा उसके अन्य यौगिक ;

(vi) क्लोरीन ;

(ख) धात्विक सल्फाइड के विखंडन से पैदा हुई हायड्रोजन सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड का ऐसे सल्फाइड के उत्पादन में उपयोग;

(ग) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण या क्लोर–अल्कली संयंत्र में क्लोरीन गैस का उत्पादन;

(घ) (i) गैस्टार या कोलतार या बिटमन या शैल आइल एस्फाल्ट या ऐसे ही टार का कोई अवशेष का किसी रासायनिक विनिर्माण प्रक्रिया में आसवन या उपयोग किया जाता है;

(ii) टार पर आधारित संश्लेषित रंगाई पदार्थ या उनके मध्यवर्ती उत्पादकों का उत्पादन य

(ड) नाइट्रो यौगिकों के विनिर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग ;

(च) नाइट्रो यौगिकों के उपयोग पर विस्फोटकों का उत्पादन ;

(छ) ऐलीफेटिक या ऐरोमेटिक यौगिकों या उनके धात्विक या अधात्विक उत्पाद या विस्थापित उत्पाद जैसे क्लोरोफार्म, एथिलीन ग्लायकोल, फार्मलडिहायड, बेंजल क्लोराइड, फीनोल, मिथाइल, इथाइल, कीटोन, परिच्छेदेक्साइड, कोबाल्ट, कार्बोनिल, टंग्सटन कार्बाइड आदि विनिर्मित या पुनरोत्पादित किए जाते हों।

परिशिष्ट "ख"

भाग–चार के परिच्छेद 4 के अनुसरण में विशेष स्नानागार स्थान के संबंध में–

1–नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाएँ ।

2–सभी क्रोम प्रक्रियाएँ ।

3–गैस या कोलतार के आसवन की प्रक्रियाएँ या रसायन विनिर्माण की प्रक्रियाएँ जिनमें तार का उपयोग किया जाता है।

4–सायनोजन यौगिकों, सायनोइड यौगिकों, साइनाइट यौगिकों को अन्तर्निहित करने वाली विनिर्माण, कार्य साधन कार्य या पुनरोत्पादन प्रक्रियाएँ ।

5–ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण अन्तर्निहित करने वाली प्रक्रियाएँ या क्लोरोएल्कली संयंत्र में क्लोरिन गैस का उत्पादन ।

6–निकिल और इनके यौगिकों का विनिर्माण, कार्य साधन या पुनरोत्पादन ।

7–एलीफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों या उनके उपरोत्पाद या संश्लेषित उत्पादों का विनिर्माण, कार्य साधन, पुरोत्पादन को सम्मिलित करते हुए सभी प्रक्रियाएँ ।

परिशिष्ट "ग"

एम्बुलेन्स

एम्बुलेन्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे–

सामान्य:

पहियों वाली स्ट्रेचर जिसमें फोल्डिंग तथा एडजस्टिंग युक्त हो तथा स्ट्रेचर का सिरा ऐसा हो जो कि ऊपर को झुकाया जा सके

फिक्स्ड सेक्शन इकाई उपकरणों सहित

फिक्स्ड आक्सीजन इकाई उपकरणों सहित

आवरण युक्त तकिए

चादरें

तौलिए

एमरिसस बैग

बैड पैन

यूरिनल

ग्लास

सुरक्षा उपकरण

30 मिनट जीवनावधि का फ्लेअर 'मशाल'

फ्लड लाइट

फ्लेश लाइट

ड्राय पाउडर किस्म का अग्निशामक

पृथकरित लोहे का दास्ताना

आपातकालीन उपचार उपकरण–

रिसकसिटएशन "पुनःज्जीवन उपकरण"

पोर्टेबल सेक्शन इकाई

पोर्टेबल आक्सीजन इकाई

बैग वाल्व, माहक, हाथों द्वारा चालित संवातन इकाई

एयरवेज

माउथ गेज

ट्रेकोस्टामी एडॉप्टर्स

शार्ट स्पाइन बोर्ड

आई.वी द्रव और प्रशासन इकाई

ब्लडप्रेशर मापी

कम

स्टेथोस्कोप

निश्चलता (इमोबिलाइजेशन)

लम्बे व छोटे गद्दीदार बोर्ड

वायर–लेडर स्प्रिंटस

तिकोनी पट्टियाँ

लॉग एण्ड शार्ट स्पाइन बोर्ड

ड्रेसिंग–

पट्टियाँ 4" x 4"

यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10' x 36" एल्यूमीनियम झिल्ली का रोल

राफ्ट रोलर पट्टियाँ 6" x 5" गज

3" के रोल में एडेसिव टेप

सेफ्टी पिनें

बेन्डेज शीट

बर्न शीट

जहर के प्रकरणों के लिए (पायजनिंग)

इपीकाक सीरप (खुश्क के अनुसार पूर्व से पके)

क्रियाशील चारकोल

स्नैक बाइटकिट

पीने का पानी

आपातकालीन दवाएँ

चिकित्सा पदाधिकारी की सलाह के अधीन (जैसी भी अपेक्षित हो)

उप–अनुसूची–12

मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ–

(क) "मिट्टी के बर्तनों" में मिट्टी के बर्तन (अदर्न वेयर), पत्थर के बर्तन, पोसलन, चीनी, मिट्टी, टाइल्स, चिकनी मिट्टी से अथवा किसी मिश्रण से जिनमें चिकनी मिट्टी तथा अन्य पदार्थ उसे क्वार्टज, पिलट फलड्स पर तथा जिप्सन हों, बनी हुई वस्तुएँ सम्मिलित हैं ।

(ख) "कार्यसाधक वायु निष्कासन" से अभिप्रेत धूल या धुएँ को निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संचालन से है, जिससे उसे किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु न मिल जाने से रोका जा सके । किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धूल या धुएँ को, जहाँ पर ऐसे धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो प्रभावी रूप से न हटा सकता हो ।

(ग) "फैटलिंग" (टीपटाप करने) में स्केलोपिंग (कामदार कोर काढ़ना), टोइंग, सेण्डपेपरिंग (रगमाल कागज से पालिश करना), सेण्डस्टिकिंग, ब्रशिंग (बरुश करना) या मिट्टी के बर्तनों को जिनमें धूल निकलती हो, कोई अन्य प्रक्रिया सम्मिलित है।

(घ) "लेडलेस" (सीसारहित चमक) से अभिप्रेत ऐसी चमक से है, जिसमें उसके शुष्क भार के एक प्रतिशत से अधिक लेडमोनोक्सआइड के रूप में माने जाने वाला सीसे का मिश्रण अन्तर्विष्ट न हो

(ङ) "लो साल्यूविलीटीग्लज" से अभिप्रेत ऐसी चमक से है, जो नीचे वर्णित की गई रीति में निरूपित किए जाने पर लेडमोनोक्साइड के रूप में माने जाने वाले घुलनशील सीसे के यौगिक को उसके शुष्कभार के पाँच प्रतिशत से अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट न कर सकती हो–

द्रव्य की तुली हुई मात्रा, जो कि 100 से.ग्रे. तापक्रम पर सुखा ली गई हो और पूर्णतया मिश्रित कर ली गई हो, अपने भार के 1000 गुना भार के बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें 0.25 प्रतिशत भार हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, समान तापक्रम पर एक घण्टे तक लगातार हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक ऐसे ही रखा रहने दिया जाएगा और तब छाना जाएगा । छने हुए घोले में होने वाले

लेडसाल्ट या सल्फ डाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लैंड सल्फेट के रूप में तोला जाएगा ।

(ब) "पिसे हुए चूर्ण किए हुए पिलट या क्वार्टज" में प्राकृतिक बालू सम्मिलित नहीं है ।

(छ) "पार्टस शॉप" में वे समस्त स्थान जहाँ प्लेसिंग (रखने) या बिस्टिक फायर (भट्ठी मे बढाने) के पूर्व मिट्टी के बर्तनो का शॉपिंग (आकृति दी जाना), फेटलिंग (टीप–टाप की जाना) या अन्य उपचार किया जाता हो, सम्मिलित है ।

2. कार्यसाधक वायु निष्कासन– कार्यसाधक वायु निष्कासन के उपयोग के बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएगी ।

(1) संक्रिया

(2) स्थिति

(i) सूखे तथा अनआर्द्रवित सीसे के यौगिक के अभिसाधन अथवा उपयोग के अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ आर्द्रवण के लिए घोल तैयार करना।

(ii) किसी भी प्रकार के फैटलिंग संक्रियाएँ, चाहे वे कच्ची मिट्टी के बर्तनो पर हों या मिट्टी के सादा बर्तनों पर हों, परन्तु यह आर्द्रफेटलिंग तथा यांत्रिक शक्ति की सहायता के बिना मिट्टी की वस्तुओं के यदा कदा सुसज्जित करने को लागू नहीं होगी वाको (या फेटलिंग मशीन) पर सुसज्जित करना, हाथ से सुसज्जित करना, पाईप को चमकाने, मोडने तक पॉलिश करने के पूर्व धूल उडाना । मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना, चमकाने से पूर्व घिसना

(iii) दबाव द्वारा घपरेल या अन्य वस्तुओ बनाने के लिए चिकनी मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ को छानना, उन दशाओ को छोडकर जहाँ कील के सांचे तथा खपरेल के सांचे के लिए बाडी बनाना ।

(क) यह काम एसी मशीन मे किया जाता हो, जो इस प्रकार समावृत हो, जिससे धूल के बाहर निकलने को प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके, या

(ख) छाने जाने वाला पदार्थ इतना नम हो जिससे धूल न निकल सकती हो

(iv) चिकनी मिट्टी से खपरैलें बनाना, प्रत्येक सांचे से एक निष्कासक छिद्र संलग्न रहेगा । यह खण्ड खपरैलों को छोडकर चिकनी मिट्टी से वुस्तुओं के प्रेसिंग को भी लागू

होगा, जब तक कि पदार्थ इतना नम न हो कि जिससे धूल न निकलती हो खपरैल का सांचा, कील का सांचा या डाई का सांचा ।

(v) चिकनी मिट्टी से बनी हुई खपरैलों की फेटलिंग दबाव द्वारा करना, उस स्थिति के सिवाय जहाँ फेटलिंग, पूर्व रूपेण नम पदार्थ पर या से की जाती हो, यह खण्ड जब कि पदार्थ इतना न हो कि जिससे धूल न निकलती हो, चिकनी मिट्टी से बनाई गई अन्य वस्तुओं के फेटलिंग को भी लागू होगा । हाथ द्वारा सुसज्जित करना ।

(vi) आवाओं के उस स्थिति में भरने तथा खाली करने की प्रक्रिया, जहाँ कि पिसे हुए तथा चूर्ण फ्लिंट, क्वार्टज, एल्युमीनियम या अन्य द्रव अन्तर्वलित हो। आवाओं के भरने, आवाओं कके डबलिंग खाली करने।

(vii) मिट्टी के सादा बर्तन को ब्रुसिंग, जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे कक्ष में न की जाती हो, जिसमें ऐसे कार्यसाधक सामान्य यांत्रिक संवातन या अन्य संवातन की व्यवस्था हो, जो मामले की समस्त परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कारखाने के निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा पर्याप्त प्रमाणित की जाए। हाथ से सुसज्जित करना, मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।

(viii) मिट्टी के उन सादा बर्तनों का फेटलिंग, जिन्हें चूर्ण, फ्लिंट या क्वार्टज में तपाया गया हो, उस दशा के सिवाय जहाँ कि यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में किया जाए, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभाव पूर्ण रूप से रोका जा सके। मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना।

(xi) बर्तनों को डुबाने या अन्य प्रक्रिया द्वारा चमकाने की क्रिया के पश्चात् साफ करना। चमकाना तथा धूल साफ करना।

(x) पॉटर बाईज तथा आवाओं के लिए पदार्थों को कुचला जाना तथा उनकी शुष्क पिसाई, जब तक यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में न किया जाता हो, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके या वह इतना तरह हो जिससे धूल न निकल सकती हो। क्वार्टज फेल्टस्पर आदि का जॉक्रशिंग एज रनर ग्राप पैबिल मिल ग्राईडिंग, खपरैल के सांचों के लिए पिसाई, ग्रोग डिसाईटीग्रेटर।

(xi) चूर्ण फिलटरू क्वार्टज् विकरी मिट्टी, ग्रोन या इन द्रव्यों के मिश्रण का छानना या अभिसाध, जब तक कि वह इतना तर न हो जिससे धूल न निकल सकती हो। फायर क्ले (अग्निमुक्तिका) वियेजक, ग्रोन तथा फायर क्ले को हाथ से छानना। आवाओं के लिए बोरों में मिक्स भरना।

(xii) शक्ति चालित चाक पर खपरैलों का पीसा जाना, जब तक कि चाकों पर कार्यसाधक रूप से पानी के छिड़काव का उपयोग न किया जाए। टंकियों को भरना तथा द्रव्यों को मिलाना।

(1) (2)

(xiii) उत्तोलक तथा वादक द्वारा द्रव्यों का ऊपर उठाना तथा ढोना, जब तक कि प्रभावपूर्ण रूप से समावृत न हों, तथा इस प्रकार व्यवस्थित न किए गए हों, जिससे किसी ऐसे स्थान में या उसके समीप जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हो, के वायुमण्डल से धूल के बाहर निकलने से रोका जा सके। क्वार्ट्ज फेल्ड्सपर आदि का जॉक्रशिंग, एज रनर या पैबल मिल ग्रइडिंग, खपरैल की बाडी के लिए ग्राइंडिंग।

नोट– उत्तोलक, क्रशर तथा ग्रइन्डर के समीप थे।

(xiv) बहने वाले द्रव्य को तैयार करना अथवा तौल कर अलग करना, सूखे रगों का लानिंग, कलर ब्लीचिंग। स्प्रे ग्लेजिंग, ग्लेजिंग तथा डस्टिंग।

(xv) सांचा बनाने में, जब तक कि प्लास्टर आफ पैरिस रखने के लिए उपयोग मे लाए गए पीपों या समान पात्रों के लिए उपयुक्त सामानों की व्यवस्था न हो। सांचा बनाना।

(xvi) जलाकर चूना बनाए गए द्रव्य का अभिसाधन जब तक कि द्रव्य इतना तर न बनाया गया हो तथा इतना तर न रहे कि जिससे धूल न निकल सके। जिप्सम को जलाकर चूना बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को छानना।

(xvii) सुरक्षात्मक उपकरण। कच्चे मालों को तौलना, धूलजर भरना, वॉल मिल भरना, आवाओं के लिए बोरों में मिक्स भरना। टंकियाँ भरना तथा द्रव्यों को मिलाना।

3. निम्नलिखित प्रक्रियाओं मे से प्रत्येक प्रक्रिया ऐसी रीति मे तथा ऐसी शर्तों के अधीन की जाएगी, जिससे की एक का दूसरे से तथा अन्य आर्द् प्रक्रियाओं से प्रभावी पृथक्करण किया जा सके–

(क) द्रव्यों का क्रशिंग (कुचलना) तथा ड्रई ग्राईडिंग (शुष्क पिसाई) या छानना, फेटलिंग खपरैलों का प्रेरिंग, चिकनी मिट्टी तथा कच्ची मिट्टी के बर्तन सुखाना, आवाओं को भरना तथा खाली करना।

(ख) शुष्क सीसे के यौगिक के उपयोग को अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ।

4. किसी भी ऐसे ग्लेज का, जो सीसा रहित ग्लेज या लो साल्यूविलीटी ग्लेज न हो, किसी भी ऐसे कारखाने मे प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन विनियमित किए जाते हों।

5. खण्ड 3 में उल्लिखित किसी भी संक्रिया में या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, किसी भी स्त्री या युवक को नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. कुम्हार के चाक (जाली तथा जिगर) के लिए आड़ की व्यवस्था की जाएगी या वह उस प्रकार बनाया जाएगा, जिससे कि चिकनी मिट्टी की छीलन के चाक से परे गिरने से रोका जा सके।

7. (1) फर्शों को साफ करते समय उठने वाली धूल को नम करने या अन्यथा रोकने के लिए समस्त व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे।

(2) सफाई की प्रक्रिया के समय, जो कि कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् की जाएगी। हवा में उठने वाली धूल को रोकने में आर्द्र पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए लकड़ी के गीले बुरादे का या अन्य उपयुक्त पदार्थ का उपयोग किया जाएगा।

8. पॉटर की दुकानों, रिलप हाउस, सिलिंग हाउस तथा वेयर क्लीनिंग रूम के फर्श कठोर चिकने तथा अभेद्य होंगे तथा किसी वयस्क पुरूष द्वारा आर्द्र पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिदिन साफ किए जाएंगे।

9. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण– (1) प्रत्येक कारखाने, जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण किया जाता है, का अधिभोगी–

(क) उसमें नियोजित कामगारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा।

(ख) खण्ड (क) मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को रागी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख रखे जाएंगे, जो निरीक्षक– सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध कराए जाएँगे।

(3) परिच्छेद 3 के अधीन उल्लिखित किसी प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के अन्दर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में परिच्छेद (2) की मद एक से चार तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित कामगारों के मूत्र और खून में सीसे की मात्रा, मूल में ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन की मात्रा, स्टिपलिंग आफ सेल्स की जांच और पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स–रे तथा अन्य कामगारों की केवल पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन बाद कार्य करने की अनुमति नही होगी, जब तक की चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उसे ऐसे नियोजन के लिए योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) मद (i) से (iv) तक के अधीन आने वाली किसी प्रक्रिया में नियोजित रागी कामगारों का हर तीन कैलेण्डर माह मे एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अन्य प्रक्रिया में नियोजितों की बारह केलेण्डर माह में एक बार जॉच होगी। सभी कामगारों के परीक्षण के संबंध में ऐसी जांच में उप–परिच्छेद (1) में विविनिर्दिष्ट सभी जांच होगी सिवाए एक्स–रे तीन वर्ष में एक बार होगा ।

(5) पॉटरी प्रक्रिया पर नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा। वह प्रारूप 28 मे स्वस्थता का प्रमाण–पत्र जारी करेगा ।

(6) यदि चिकित्सा पदाधिकारी की किसी समय यह राय है कि कोई कामगार उक्त प्रक्रिया में अब और नियोजन हेतु योग्य नहीं है और उसमें नियोजित बने रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों को उक्त प्रमाण–पत्र तथा स्वास्थ्य, रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टि में यह भी सम्मिलित होगा कि वह कितनी कालावधि के लिए वह उसे उस प्रक्रिया में कार्य करने हेतु अयोग्य मानता है। इस तरह से उक्त प्रक्रिया के लिए अयोग्य होने के कारण निलंबित

व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा प्रदात कि जायेगी, जब तक की वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो। उक्त दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(7) उपरोक्त परिच्छेद (6) मे अयोग्य पाये गये व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजित या कार्य करने की अनुमति नही होगी, जब तक की चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और परीक्षण के उपरान्त उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।

(8) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किये जाएँगे।

10 सुरक्षात्मक उपकरण – (1) अधिभोगी खण्ड (2) के अधीन सम्मिलित प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियो के लिए उपयुक्त संपूर्ण तथा शीर्ष छादकों की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हे बनाए रखा जाएगा।

(2) अधिभोगी डुबकी लगाने वालों, सहायकों, फेंकने वाले, जॉली कामगार, ढलाई करने वालो साँचा बनाने वाले तथा फिल्टर प्रेस एवं पग मिल कामगारों के उपयोग के लिए जल सिध्द या सामान पदार्थ के उपयुक्त एप्रनो की, जिन्हें प्रतिदिन स्पंज से पोछा जा सके, व्यवस्था जी जाएगी तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(3) खण्ड 11 (2) के अनुसरण मे दिए गए एप्रनों की पहनने वाली व्यक्तियों द्वारा स्पंज से पोछ कर या अन्य आर्द्र प्रक्रिया द्वारा प्रतिदिन पूर्णतया सफाई की जाएगी ।

(4) किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त तथा कार्यसाधक डस्ट रेसपिरेटर पहने बिना धूल वाले वस्तुओं के बोरों को खाली करने, तौलने तथा धूल वाले पदार्थों को मिलाने और बाल मिल्स एवं ब्लंजर्स को भरने का कार्य करने के लिए अनुमति नही किया जाएगा ।

11. धुलाई की सुविधाएँ –(1) अधिभोगी खण्ड (2) में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक आच्छादित धुलाई स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा, जिसमें या तो–

(i) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा, जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच

व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियाँ या फव्वारों से, जो 60 सेंटीमीटर से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत प्रदाय होता हो, या

(ii) किसी एक समय मे नियोजित ऐसे प्रत्येक पांच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक टोटी या खडा नल होगा और एसी टोटी या खडा नल एक दूसरे के कम से कम 1.2 मीटर के अंतर पर लगा हुआ होगा, जिसमे नल का सतत् प्रदाय होता हो, और

(2) नाखून साफ करने के ब्रशों तथा साबुन के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जायेगी, पर्याप्त प्रदाय होगा।

12. धुलाई के लिए अनुगत समय– प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्ति के प्रत्येक व्यक्ति को, जो खण्ड दो में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया में नियोजित किया गया हो, नियमित रूप से दिए जो वाले भोजन के समय के अतिरिक्त कम से कम दस मिनट धुलाई के हेतु दिए जाएंगे।

13. भोजन कक्ष – (1) विश्राम के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए 1 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था होगी तथा जो निम्नलिखित से सुसज्जित होगा–

(i) पर्याप्त संख्या में पीठ टिकाने वाली मेजों, कुर्सियों या बैंचों से

(ii) धुलाई के लिए बर्तनों की व्यवस्था से

(iii) भोजन गर्म करने के लिए पर्याप्त साधनों से

(iv) पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा से

(2) स्वच्छ वायु के परिवालन द्वारा कक्ष को पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा तथा किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

14. कार्य कक्ष में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेधित होना– कार्य के किसी भी कक्ष में, जिसमें खण्ड 2 में वर्णित कोई भी प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कामगार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय पान या सुपारी या तम्बाकू लाई जाएगी तथा न ही उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन अथवा विश्राम के अन्तराल के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी कक्ष में नहीं रहेगा।

15. अमानती सामान कक्ष – खण्ड 2 में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित व्यक्त की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क) कार्य अवधि के दौरान उतार कर रखे गए वस्त्रों को रखने के लिए एक अमानती सामान कक्ष की और ऐसा आवास, भोजन के किसी भी कक्ष से पृथक होगा

(ख) खण्ड 11 के अधीन प्रदान किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबन्ध होगा ।

16 ये विनियम किसी भी ऐसे कारखाने को लागू नहीं होंगे, जिसमें अन्य किसी पाटरी को छोड़कर निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई वस्तु बनाई जाती हो–

(क) बिना पालिश की हुई या साल्ट ईंटें तथा खपरैलें, और

(ख) प्लास्टिक क्ले से तथा या तो बिना पालिश की हुई या केवल सीसा रहित पालिश से पालिश की हुई मिट्टी से बनाई गई वस्तु विद्या संबंधी पकाई हुई मिट्टी (टैरा कोटा)।

17. छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध ऐसे कारखाने में नियोजित किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे कारखाने को ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे, छूट दे सकेगा, ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कोई कारण बताए बिना ही किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

उप–अनुसूची –13

जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतविच्छेद) द्वारा उत्पन्न आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न

(1) वह कमरा, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र अधिष्ठापित किया जाए, आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का संग्रहण तथा सम्पीड़न करने वाले संयंत्र के कक्ष से पृथक् होगा।

(2) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा घण्टे–घण्टे भर के अन्तराल के निम्नलिखित बिन्दुओं पर आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा

(i) इलेक्ट्रोलाइजर कक्ष में

(ii) गैस होल्डर इनलैट पर तथा

(iii) सम्पीड़क के चूषण छोर पर।

शुद्धता के अंक ऐसे परीक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे :

परन्तु कुछ भी हो, यदि इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र अलार्म लाइट्स (संकट प्रकाश) सहित आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता से स्वचालित रिकार्डर से युक्त हों तो यह पर्याप्त होगा। यदि गैसों की शुद्धता का केवल सम्पीड़क के सक्शन–एण्ड पर ही घण्टे–घण्टे के अन्तराल से परीक्षण कर लिया जाए।

(3) आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें उस दशा में सम्पीड़ित नहीं की जाएंगी। यदि खण्ड 2 के अधीन तथा अवधारित उनकी शुद्धता किसी भी समय 98 प्रतिशत से नीचे गिर जाए।

(4) प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए कम से कम दो गैस धारक होंगे और उसी गैस के लिए गैस धारक उनके निकास स्थानों के संधि स्थान पर इंटरलाक्ड वाल्व या लीवरों तथा थ्री वे–काक से इस प्रकार युक्त होंगे कि कोई भी गैस–धारक किसी सम्पीड़क तथा इलेक्ट्रोलाइजर से एक ही समय पर संयोजित न हो तथा किसी एक समय पर केवल एक ही गैस–धारक सपीड़क लाइन से संयोजित हो।

(5) किसी भी गैस–धारक के खाली होने की दशा में उसकी बेल को उसकी निम्नतम स्थिति के 30 सेन्टीमीटर (12 इन्च) के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा और यह दर्शाने के लिए कि वह सीमा पहुँच चुकी है। गैस धारक एक दिखने वाले तथा श्रव्य चेतावनी संकेत अन्वायोजित किया जाएगा।

(6) घोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया जल तथा कास्टिक सोडा औषध निर्माण संबंधी सीमाओं के भीतर रासायनिक रूप से शुद्ध होगा।

(7) इलेक्ट्रोलाइजर सेल्स तथा जेनरेटर टरमिनल्स पर विद्युत संयोजन इस प्रकार लगाए जाएंगे, जिससे ऐसे गलत कनेक्शनों की संभावनाओं को, जिससे ध्रुवता का परिवर्तन हो जाए, रोका जा सके।

(8) आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस पाइप अन्तर प्रकट करने वाले रंगों से रंगे जाएंगे तथा हाइड्रोजन गैस पाइप के जोड़ों पर रिसाव होने की स्थिति में पाइप को पुनः जोड़ने के

पश्चात् उसमें हाइड्रोजन का संग्रह करने करने के पूर्व उसकी समस्त हवा निकाल दी जाएगी।

(9) इलेक्ट्रोलाइजर कक्ष में समस्त विद्युत तार तथा साधित्र ज्वालारोधी निर्मित के होंगे या ज्वालारोधी अन्वायुक्तियों से आवृत्त होंगे और कोई भी अनावृत्त ज्योति या ज्वाला या तो किसी इलेक्ट्रोलाइजर कक्ष में या वहाँ जहाँ कि गैसों के सम्पीड़न तथा भरे जाने का कार्य किया जाता हो, नहीं ले जाई जाएगी और ऐसी चेतावनी की सूचनाएँ प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की जाएंगी।

(10) इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र तथा गैस धारकों तथा कम्प्रेसर के किसी भी भाग का वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या कटिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस भाग से किसी भी विस्फोटक पदार्थ को हटाने के लिए और ऐसी संक्रियाओं के लिए उस भाग को सुरक्षित करने के लिए उपाय न किए जा चुके हों तथा ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किसी भी विस्फोटक पदार्थ को उस भाग में ले जाए जाने के लिए तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि विस्फोटक के खतरे को रोकने के लिए धातु को पर्याप्त रूप से ठण्डा न कर लिया गया हो।

(11) संक्रिया, मरम्मत या बनाए रखने का कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति, जो अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा विस्फोट के खतरे के विरुद्ध सावधानियों का ज्ञान होने से ऐसे कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

12. चिकित्सीय परीक्षण–(1) चिकित्सा पदाधिकारी जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतविच्छेद) द्वारा उत्पन्न आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर योग्यता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार वाती पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए

अयोग्य है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक नौकरी पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किए जाएँगे।

उप–अनुसूची –14

कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना, खरखरा आदि करना

(स्फोटन (ब्लास्टिंग) के विनियम

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

"स्फोटन (ब्लास्टिंग)–से अभिप्रेत कंकरी, धातुकरण, रेतकण या अन्य किसी ऐसी वस्तु से दबी हुई वायु या वाष्प की शक्ति से चलित कोई भी वस्तु के पृष्ठ भाग (सरफेस) को साफ, सुथरा, चिकना, खरखरा करने या निकाल डालने से है।

"स्फोटन घेरा (ब्लास्टिंग एनक्लोजर)" से अभिप्रेत स्फोटन के लिए बनाया गया कोष्ठ (चेम्बर) बेरल, पेटी (केबिनेट) या अन्य किसी घेरे से है।

"स्फोटन (ब्लास्टिंग) कोष्ठ (चेम्बर) से अभिप्रेत ब्लास्टिंग के ऐसे घेरे से है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी कार्य के संबंध से या अन्यथा उसमें प्रवेश कर सके।

"ढली हुई वस्तुओं की साफाई "से अभिप्रेत उस स्थिति में जहाँ पर वह कार्य धातु की ढली हुई वस्तुएँ बनाने से संबंधित आनुषंगिक (इंसीडेंटल) या अनुपूरक (सप्लीमेंटल) प्रक्रिया के रूप में किया जाता हो, ऐसी ढली हुई वस्तुओं से चिपके हुए रेत या अन्य पदार्थ से मुक्त

करने से है और उसमें ढली हुई वस्तुओं की सामान्य सफाई तथा कोर निकलना सम्मिलित है, किन्तु इसमें मुक्त उपचार संबंधी अन्य क्रिया सम्मिलित नहीं है।

2. रेत के स्फोटन (ब्लास्टिंग) का प्रतिबंध–रेत या अन्य कोई पदार्थ, जिनमें मुक्त सिलिका अन्तर्विष्ट हो, ब्लास्टिंग उपकरण में रगड़ने वाली वस्तु के रूप में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और स्फोटन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह खण्ड इस अनुसूची के प्रवर्तन में आने के दो वर्ष पश्चात् प्रवर्त होगा :

परन्तु यह और भी कि रेत स्फोटन की किसी प्रक्रिया में किसी भी महिला या किशोर को नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. स्फोटन प्रक्रिया के संबंध में पूर्वावधानियाँ– (1) स्फोटन घेरे में ही किया जाएगा, स्फोटन घेरे के सिवाय स्फोटन और कहीं नहीं किया जाएगा तथा स्फोटन और उसमें ठीक आनुषंगिक कोई कार्य तथा घेरे को खाली करने और इसमें स्थित संयंत्र (प्लांट) तथा उपकरणों सहित घेरे की मरम्मत करने को छोड़कर कार्य अन्य कार्य स्फोटन घेरे में नहीं किया जाएगा। स्फोटन घेरे का प्रत्येक द्वार, झरोखा (अपेरचर) तथा जोड़ (ज्वाइंट) जबकि उसमें स्फोटन क्रिया चल रही हो, बन्द तथा वायुरुद्ध (एयर टाइट) रखा जाएगा।

(2) स्फोटन घेरे का अनुरक्षण– स्फोटन घेरा सदैव अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे घेरे में या उससे संबंधित उपकरणों से धूल का निष्कासन और उसके किसी कक्ष की हवा में मिलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

(3) पृथक्कारी उपकरण का उपबंध– प्रत्येक स्फोटन घेरे के लिए तथा उसके संबंध में कार्यक्षम उपकरण व्यवहार्य (प्रेक्टिकेबल) अपघर्षक (अबरेसिव) को, जो स्फोटन के लिए उपयोग में लाया जा चुका हो और जो पुनः अपघर्षक (अबरेसिव) के रूप में लाया जाना हो, स्फोटन से मिली धूल या अन्य पदार्थ के कणों को पृथक करने के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा बनाए रखा जाएगा और किसी भी ऐसा अपघर्षक (अबरेसिव) जब तक कि इस प्रकार अलग नहीं किया गया हो, तब तक किसी भी स्फोटन उपकरण में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा और न ही स्फोटन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

परन्तु यह खण्ड स्फोटन कोष्ठ (चेम्बर) के सिवाय इस अनुसूची के प्रवृत्त होने के पूर्व स्फोटन के लिए निर्मित या प्रतिष्ठापित घेरे के लिए यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

की यह राय हो कि ऐसे पृथक्करण उपकरणों की व्यवस्था करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो, लागू नहीं होगा।

4. संवातायन संयंत्र (व्हेंटिलेटिंग प्लांट) का उपबंध– घेरे में निर्मित धूल, यांत्रिक साधन द्वारा लगी निकास (एक्जास्ट ड्राट) से निकालने के लिए प्रत्येक स्फोटन घेरे के लिए एक कार्यक्षम संवातायन संयंत्र (प्लांट) का एक उपबंध किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा, निकाली गई तथा हटाई गई धूल ऐसे तरीके से तथा ऐसी रीति में व्यनित की जाएगी कि वह किसी कक्ष की हवा में न फैल सके और कक्ष में जिसमें कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जो ऐसे बैग या अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाईस) के कार्य में लगे हुए हों, अन्य व्यक्ति नियोजित किए गए हों, स्थित प्रत्येक अन्य छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग डिवाइस (युक्ति) को खुली हवा में संवातित घेरे में कक्ष की सामान्य हवा से पूर्णतरू पृथक् रखा जाएगा।

5. संवातायन संयंत्र (प्लांट) की क्रिया– उप कण्डिका (4) के प्रयोजन के लिए उपबंधित संवातायन संयंत्र (प्लांट) में, जब भी स्फोटन घेरा उपयोग में हो, चाहे उसमें स्फोटन वास्तविक रूप में किया जा रहा हो या नहीं, लगातार चालू रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में जब स्फोटन कक्ष में यदि कोई व्यक्ति कक्ष के भीतर सफाई करने के प्रयोजन के लिए हो तो भी वह चालू रखा जाएगा।

6. निरीक्षण तथा परीक्षण– (1) प्रत्येक स्फोटन घेरे का जब वह स्फोटन के लिए उपयोग में लाया गया हो, सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष रूप से निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक स्फोटन घेरा, उससे संबंधित उपकरण और संवातायन संयंत्र (प्लांट) का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा और संवातायन संयंत्र की दशा में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच के परिमाण के ब्यौरे एक रजिस्टर में तत्काल प्रविष्ट किए जाएंगे, जो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखा जाएगा और कारखाने में या स्फोटन के संबंध में नियोजित किसी भी कामगार को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे किसी निरीक्षण, परीक्षण या जाँच में पाई गई कोई भी त्रुटि की ऐसे निरीक्षण, परीक्षण या जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा कारखाने के अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य समुचित व्यक्ति को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी और इस अनुसूची की पूर्वगामी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिहार्य विलंब किए बिना दूर की जाएगी।

7. सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (हेलमेट्स), लोहे के दस्तानों (गाँटलेट) तथा संपूर्ण (ओव्हरआल्स) का उपबंध– (1) ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो स्फोटन कक्ष में या उससे संबद्ध किसी कार्य में या उस कक्ष को साफ करने में नियोजित हो, मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित प्रकार के संरक्षक शिरस्त्राण (हेलमेट्स) का उपबंध किया जाएगा तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस उपयोग के लिए उपबंधित शिरस्त्राण (हेलमेट्स) को जबकि वह कक्ष में हो, पहनेगा और उसे तब तक नहीं उतारेगा, जब तक कि वह कक्ष के बाहर न हो।

(2) प्रत्येक सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (हेलमेट्स) पर उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो, दर्शाने वाला एक पहचान चिन्ह रहेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा शिरस्त्राण (हेलमेट) जिस पर उसका चिन्ह न हो या ऐसा शिरस्त्राण (हेलमेट) जो अन्य व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, जब तक कि वह रोगाणुनाशित न कर दिया गया हो, पहनने के लिए अनुमति या अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सुरक्षात्मक शिरस्त्राण (हेलमेट) जब वह उपयोग में हो, के साथ कम से कम छः घन फुट प्रति मिनट की मात्रा में स्वच्छ और समुचित ठंडी हवा का प्रदाय किया जाएगा।

(4) समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जबकि वे स्फोटन का कार्य कर रहे हों या स्फोटन करने में सहायता कर रहे हों, उपयुक्त लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा संपूर्ण का उपबंध किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जबकि वह ऐसे कार्य में लगा हुआ हो, उसे दिए गए लोहे के दस्ताने (गांलांटलेट) तथा संपूर्ण (ओव्हरआल्स) पहनेगा।

8. सफाई तथा अन्य कार्य के संबंध में पूर्वावधानियाँ – (1) जहाँ कोई व्यक्ति स्फोटन उपकरण या स्फोटन घेरे या उससे संबंधित किसी अन्य कार्य स्फोटन घेरे या उससे संबंधित किसी उपकरण या संवातायन संयंत्र (प्लांट) की सफाई में लगाया गया हो, जिससे वह धूल के जो कि स्फोटन से उत्पन्न हुई हो, निश्वसन की जोखिम से सुरक्षित न हो तो ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे।

(2) खण्ड (5) में विविनिर्दिष्ट किसी सफाई प्रक्रिया के संबंध में और छानने (फिल्टरिंग) या सेटलिंग युक्ति (डिवाइस) से धूल हटाने के संबंध में धूल का व्ययन (डिसपोजल) ऐसी रीति से करने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, जिससे वह धूल किसी कक्ष की हवा में प्रविष्ट न हो सके। निर्यात मार्जक (वैक्युम क्लीनर्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसी सफाई प्रक्रियाओं में, जब भी व्यवहार्य हो, उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा।

9. सुरक्षात्मक कपड़ों (प्रोटेक्टीव्ह वीयर) के संग्रहण के लिए स्थान– शिरस्त्राणों (हेलमेट) लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स) तथा संपूर्ण के संग्रहण के लिए पर्याप्त तथा समुचित स्थान प्रत्येक स्फोटन घेरे के बाहर तथा सुविधानुसार उसके पास ही होगा और ऐसा स्थान स्वच्छ रखा जाएगा। शिरस्त्राण (हेलमेट) लोहे के दास्ताने (गान्टलेट्स) एवं संपूर्ण (ओव्हरआल्स) जबकि वे वास्तविक उपयोग में न हों, इसे स्थान में रखे जाएंगे।

10. संरक्षक कपड़ों का रखरखाव तथा सफाई– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए उपबंधित तथा पहने गए समस्त शिरस्त्राण (हेलमेट) लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) संपूर्ण तथा अन्य संरक्षक युक्तियाँ अच्छी दशा में रखे जाएंगे और जहाँ तक युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य हो, प्रत्येक सप्ताह में किसी एक दिन, जबकि उन्हें उपयोग में लाया गया हो, साफ किए जाएंगे, जहाँ ऐसे संरक्षक कपड़ों या युक्तियों (डिवाइसेस) की सफाई करने से निकलने वाली धूल से निश्वसन होना संभव हो, वहाँ ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, ऐसे कपड़ों से धूल हटाने के लिए जहाँ व्यवहार्य हो, वहाँ निर्वात मार्जन (वैक्युम क्लीनर्स) उपयोग में लाए जाएंगे और ऐसे कपड़ों से धूल निकालने के लिए दबाव की हवा (कम्प्रेशर एयर) का उपयोग नहीं किया जाएगा।

11. निर्वात सफाई संयंत्र (वैक्युम क्लिनिंग प्लांट) का रखरखाव– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए निर्वात सफाई संयंत्र (व्हेक्युम क्लीनिंग प्लांट) को उचित रूप से बनाए रखा जाएगा।

12. अल्पवय व्यक्ति के नियोजन करने में प्रतिषेध (रेस्ट्रीक्शन)–(1) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, स्फोटन करने में या स्फोटन में सहायता करने या किसी स्फोटन कक्ष (ब्लास्टिंग चेंबर) में या किसी स्फोटन कक्ष उपकरण या किसी स्फोटन घेरे या किसी उपकरण या उससे संबंधित किसी संवातायन संयंत्र को साफ करने में नियोजित नहीं किया जाएगा या ऐसे उपकरणों, घेरा या संयंत्र को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी स्फोटन घेरे के बीस फुट के भीतर नियमित रूप से कार्य करने के लिए तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा घेरा कोई कक्ष में हो और वह व्यक्ति उस कक्ष के बाहर हो, वहाँ वह घेरे से आने वाली किसी धातु से प्रभावी रूप से पृथक् हो।

13. छूट देने या शिथिल करने की शक्ति– (1) यदि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाए कि किसी कारखाने या कारखाने के किसी वर्ग में किसी विशिष्ट निर्माण या प्रक्रिया (धातु ढालने की अनुषंगिक या अनुपूरक प्रक्रिया को छोड़कर) स्फोटन में रेत या अपघर्षक (अब्रेसिव) के रूप में (फ्री)/सिलिका के साथ अन्य पदार्थ का उपयोग आवश्यक है और निर्माण या प्रक्रिया ऐसे अपघर्षक अब्रेसिव के उपयोग के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है या कार्य की विशेष शर्तों या विशेष तरीके के कारण या अन्यथा इस अनुसूची की किसी आवश्यकता को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निलंबित या किसी ऐसी आवश्यकता को लागू करना किसी कारण से अव्यवहार्य या अनुपयुक्त है तो वह राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से लिखित में आदेश द्वारा इस अनुसूची के ऐसे उपबंधों के उक्त कारखानों के वर्ग को किसी ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी कालावधि के लिए जो कि उक्त आदेश में विविनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ उपखण्ड (1) के अधीन छूट मंजूर की जा चुकी हो, वहाँ उस आदेश की एक प्रति कारखाने के मुख्य प्रवेश स्थान के सूचना फलक पर उस स्थान पर भी जहाँ स्फोटन किया जाता हो, प्रदर्शित की जाएगी।

14. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण– (1) हर एक कारखाने का, जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, अधिभोगी–

(क) उसमें नियोजित सभी कामगारों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति करेगा और उसकी नियुक्ति मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के अनुमोदनाधीन होगीय और

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सक को आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षणों और उपयुक्त जाँच के अभिलेख, निरीक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध और रखे जाएँगे।

(3) चिकित्सा पदाधिकारी कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना, खरखरा आदि प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार इन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(6) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किये जाएंगे।

उप–अनुसूची –15

एस्बेस्टस का कार्य और प्रक्रिया, एसबेस्टस की किसी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की अन्य कोई प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें एस्बेस्टस का किसी रूप में उपयोग हो

1. लागू होना– यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों को लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हों–

(क) एस्बेस्टस को तोड़ना, क्रश करना, छिन्न–भिन्न करना, खोलना, घिसाई करना, समिश्रित करना या छानना और उसके अनुषंगिक अन्य प्रक्रियाएं जिनमें एस्बेस्टस का काम और कार्य साधन शामिल हो

(ख) एस्बेस्टस कपड़ा विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएँ, जिनमें तैयारी और परिष्करण प्रक्रिया भी शामिल है;

(ग) एस्बेस्टस से या उसे मिलाकर सुलेशन स्लैब या रोक्शन बनाना और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(घ) एस्बेस्टस से या उसे मिलाकर इन्सुलेटिंग चटाई बनाना या उनकी मरम्मत करना और उनसे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

(ङ) एस्बेस्टस कार्ड–बोर्ड और कागज का विनिर्माण;

(च) एस्बेस्टस सीमेंट की वस्तुओं का विनिर्माण;

(छ) फुहारे विधि से एस्बेस्टस की प्रयुक्ति;

(ज) एस्बेस्टस से या उसे मिलाकर बनी वस्तुओं को सूखी अवस्था में घिसन, पिसाई, टर्निंग, एम्ब्रेडिंग और पालिश करना;

(झ) एस्बेस्टस धूल को एकत्र करने के किसी कक्ष, पात्र, चैम्बर, फिक्सचर या साधित्र की सफाई का कार्यय और

(ञ) कोई अन्य प्रक्रियाएँ, जिसमें एस्बेस्टस धूल कार्य के वातावरण में छोड़ी जाती हो।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए

(क) "एस्बेस्टस" से अभिप्रेत कोई रेशेदार सिलिकेट खनिज और उनका एक्टिनोलाइट, एमोसाइट, एन्थोफाइलाइट, ड्राइसोलाइट, क्रोसिडोलाइट, ट्रमोलाइड या उनका कोई मिश्रण चाहे वह कच्ची अवस्था में कूटकर या अलग–अलग कर दिया गया हो

(ख) "एस्बेस्टस कपड़े से अभिप्रेत एस्बेस्टस या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित एस्बेस्टस से बने धागे या कपड़े से है

(ग) "अनुमोदित" से अभिप्रेत मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित में अनुमोदित से है;

(घ) "बांस–उपकरण" से अभिप्रेत आवश्यक संयोजन युक्त हेलमेट या फेस पीस जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल मुक्त श्वांस ले सके या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण से है;

(ङ) "सक्षम वायु निष्कासन" से अभिप्रेत धूल निकास के यांत्रिक साधनों द्वारा निर्मित सीमित संवातन से है, जिसके द्वारा धूल को किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ कार्य हो रहा हो कि हवा से विसर्जित होने से रोका जा सके। किसी निष्कासक को सक्षम नहीं माना जाएगा। यदि वह धूल पैदा होने वाले बिन्दु पर धूल नियंत्रण करने में असफल हो जाता है;

(च) "तैयारी" (प्रिपेरिंग) से अभिप्रेत एस्बेस्टस के ओपनिंग के लिए कूटना, टुकड़े करना और अन्य प्रक्रिया करना या उससे अनुषंगिक क्रियाओं से है;

(छ) "सुरक्षात्मक के कपड़े" से अभिप्रेत संपूर्ण और सिर ढकने के कपड़े से है, जो (किसी भी दशा में) एस्बेस्टस धूल को बाहर ही रोक दें।

3. औजार और उपकरण– उन प्रक्रियाओं में, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, उपयोग किए जाने वाले कोई औजार या उपकरण इस प्रकार से होंगे कि वे निर्धारित सीमा से अधिक धूल पैदा नहीं करेंगे या वे सक्षम वायु निष्कासक से सज्जित होंगे।

4. वायु निष्कासक– (1) निम्नलिखित प्रक्रियाओं और मशीनों से धूल नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक प्रदत्त होंगे और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(i) विनिर्माण और वहन (कन्वेथिंग) मशीनें अर्थात्–

(ii) पूर्व प्रक्रिया पिसाई या शुष्क मिश्रण की मशीनें

(iii) कार्डिंग, कार्ड वेस्ट और रिंग रिपनिंग मशीनें और लूम

(iv) मशीनें या अन्य संयंत्र जिनमें एस्बेस्टस फीड किया जाता है और

(v) एस्बेस्टस के पूरे या मिलाकर बनी वस्तुओं की सूखी हालत में साईंग ग्राइंडिंग टर्निंग, डिलिंग, एबेरजिंग या पालिशिंग में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें

(ख) कक्ष, ऑपर या अन्य संरचना जिससे ढीला एस्बेस्टस पहुँचाया या गुजारा जाता है;

(ग) एस्बेस्टस वेस्ट की छटाई या एस्बेस्टस को हाथ से एस्बेस्टस को किसी कार्य साधन हेतु काम आने वाली कार्य बेन्च;

(ध) बोरे या अन्य पोर्टेबल भरने या उन्हें खाली किए जाने की, तोलने की या हाथ से की जाने वाली अन्य अनुषंगिक क्रियाएँ जहाँ की जाती हैं, जो हाथ द्वारा प्रभावित होती है;

(ङ) बोरे सफाई की मशीनें;

(च) हाथों से एस्बेस्टस मिश्रित और ब्लेन्डिंग करनाय और

(छ) अन्य प्रक्रियाएँ करना, जिनमें काम के वातावरण में धूल विसर्जित हो।

(2) उप–परिच्छेद (1) के अनुसार प्रदत्त वायु निष्कासक उपकरण, जब उक्त मशीन साधित्र या अन्य संयंत्र या उपकरण, जिसके संबंध में उसे लगाया गया है, के अनुरक्षण या मरम्मत

का कार्य जब किया जाए, तब उसे भी उपयोग में लाया जाए, ताकि वायु निष्कासन पैदा हो, जो काम के स्थान की वायु में एस्बेस्टस धूल के प्रवेश को रोके।

(3) वायु निष्कासन उपकरण द्वारा निष्कासित एस्बेस्टस धूल को काम के किसी कक्ष में विसर्जित होने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) वायु निष्कासन प्रणाली द्वारा किसी कक्ष से हटाई गई एस्बेस्टस युक्त धूल उपयुक्त पात्र अथवा फिल्टर बैग में, जो काम के सभी क्षेत्रों से पृथक हो, इकट्ठी की जाएगी।

5. संवातन प्रणाली की जाँच तथा परीक्षण– (1) इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित धूल निष्कासन अथवा कम करने के लिए प्रयुक्त सभी संवातन प्रणाली की सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और जाँच की जाएगी। इसकी बारह महीने की अवधि में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह परीक्षण और जाँच की जाएगी। इस तरह परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी त्रुटि को तुरन्त दूर किया जाएगा।

(2) ऐसे परीक्षण और जाँच और संयंत्र की स्थिति और मरम्मत या परिवर्तन के, यदि कोई करना आवश्यक पाया गया हो, विवरण एक रजिस्टर में रखे जाएंगे, जो निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध हों ऐसे रखा जाएगा।

6. कुछ प्रक्रियाओं के मामले में पृथक्करण– एस्बेस्टस का हाथ से मिश्रण करना या ब्लेन्डिंग करना या एस्बेस्टस युक्त या उसके कुछ भाग को मिलाकर बनाई गई अवरोधक चटाई का बनाना या मरम्मत करने का कार्य किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें अन्य कार्य किया जा रहा हो, नहीं किया जाएगा।

7. खुले एस्बेस्टस का भण्डारण और वितरण–(1) खुले हुए सभी एस्बेस्टस जब कि उसका उपयोग न हो, तब उसे उपयुक्त रूप से बंद पात्र में रखा जाएगा, जिससे उसमें से एस्बेस्टस धूल का निकलना रोका जा सके। एस्बेस्टस का कारखाने के अन्दर वितरण नहीं होगा। सिवाय उस दशा के जब कि वह बंद पात्र या पूरी तौर पर बंद वहन प्रणाली द्वारा किया जाए।

8. एस्बेस्टस के थैले–(1) कारखाने के अंदर एस्बेस्टस के परिवहन के प्रयोजन के लिए पात्र की तरह प्रयुक्त सभी थैले अभेद्य पदार्थ से निर्मित हों और वे अच्छी दुरुस्त दशा में रखे जायेंगे।

(2) एस्बेस्टस युक्त थैलों की हाथ से पिटाई कर सफाई नहीं की जाएगी, बल्कि परिच्छेद 3 के अनुपालन में बनी मशीन से थैलों की सफाई की जाएगी।

9. फर्श और कार्य स्थलों का अनुरक्षण–

(1) प्रत्येक कक्ष में, जिनमें इस अनुसूची की अपेक्षाएं लागू होती हों–

(क) फर्श, काम की बैंच, मशीनों और संयंत्र साफ और एस्बेस्टस चूरा रहित दशा में रखे जाएंगे और तत्काल उपयोग के लिए जो एस्बेस्टस अपेक्षित न हो, उसके भण्डारण की उपयुक्त व्यवस्था होगीय और

(ख) किन्हीं पदार्थ कोई यंत्र या अन्य वस्तुओं, जिनकी उस कक्ष में किए जाने वाले कार्य में तत्काल आवश्यकता न हो और जो फर्श को भली प्रकार सफाई में बाधा डाले उनमें फर्श को मुक्त रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित सफाई जहाँ तक व्यवहार्य हो, वायु निर्वात सफाई उपकरण से की जाएगी, जिसका रूपांकन और सन्निर्माण तथा उसका उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि न तो एस्बेस्टस धूल कार्य स्थल की वायु में निकलेगी और न ही विसर्जित होगी।

(3) उप–परिच्छेद (2) में उल्लिखित पद्धति से भिन्न किसी अन्य पद्धति से सफाई की जाती है तो कक्ष में सफाई करने वाले और अन्य नियोजित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और बचाव के कपड़े प्रयुक्त किए जाएंगे।

(4) उप–परिच्छेद (2) के उपबंधों के अनुसार वायु निर्वात सफाई उपकरण का उपयोग किया जाए, तब उसका भली प्रकार से अनुरक्षण किया जाएगा और हर एक बार सफाई के बाद उसकी सतह साफ और एस्बेस्टस कचरे और धूल रहित रखी जाएगी।

(5) काम की पाली पश्चात् फर्श पर या कार्य स्थल की अन्य सतहों पर एस्बेस्टस कचरे को पड़ा रहने की अनुमति नहीं होगी और बगैर देरी किए उसे उपयुक्त पात्र में अन्तरित कर दिया जाएगा। कार्य के दौरान भी किसी समय एस्बेस्टस कचरे के फैल जाने पर बगैर देरी किए उसे इस प्रयोजन हेतु रखे गए पात्रों में अन्तरित किया जाएगा।

10. साँस लेने के उपकरण और सुरक्षात्मक के कपड़े– निम्न कार्यों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकार के साँस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े प्रदाय किए जाएंगे और वे अच्छी दशा में बनाए रखे जाएंगे–

(क) खुले हुए एस्बेस्टसयुक्त चेम्बरों में

(ख) धूल बैठने या छानन के प्रकोष्ठों या उपकरणों की सफाई में

(ग) सिलेण्डरों जिनमें डाफर, सिलेण्डर शामिल हैं या कार्डिंग मशीन के अन्य कोई भाग की, हाथ की मार से किए सफाई कार्य में; और

(घ) अवरोधक चटाई के विनिर्माण या मरम्मत में भरने, ठोंकने या तल बराबर करने में और

(ङ) किसी अन्य प्रक्रिया या स्थिति में, जिनमें तकनीकी साधनों से एरबेस्टस धूल का कार्य के स्थान में, अनुमति दी गई सीमा के भीतर नियंत्रण करने के साधनों का अपनाना व्यवहार्य हो।

(2) इस नियम के अनुसार प्रदत्त साँस लेने के उपकरण व बचाव के कपड़े उपयोग हेतु जहाँ पहने व उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुगम स्थिति में स्थित उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होगी और जब उनका उपयोग न हो, तब ऐसे उपकरणों व कपड़ों के भण्डारण के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

(3) सभी साँस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े जब उपयोग न किए जाएं, तब उपरोक्त उपनियम (2) के अनुसार प्रदत्त स्थान में भण्डारित होंगे।

(4) सभी बचाव के कपड़ों की एक सक्षम वायु निष्कासक के नीचे या वायु निर्वात सफाई उपकरण से धूल झाड़ी जाएगी और उपयुक्त अन्तरालों पर उनकी धुलाई की जाएगी। सफाई का क्रम और प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिससे पहनने वाले का सक्षमता से बचाव सुनिश्चित हो।

(5) सभी साँस लेने के उपकरणों को उपयुक्त अन्तरालों पर साफ और कीटाणु रहित किया जाएगा और माह में एक बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उनकी पूरी तौर पर जाँच की जाएगी।

(6) साँस लेने के उपकरणों की सफाई और अनुरक्षण के अभिलेख उक्त प्रयोजन हेतु रखे गए एक रजिस्टर में रखे जाएंगे और वह निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता उपलब्ध रहेगा।

(7) उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट कार्यों को, जिनके लिए उक्त परिच्छेद के अधीन साँस लेने के उपकरण प्रदत्त करना आवश्यक है, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उन उपकरणों के भली प्रकार उपयोग किए जाने के लिए पूरी तरह से अनुदेश न दिए गए हों।

(8) उप–परिच्छेद (1) के अनुसरण में प्रदत्त कोई साँस लेने वाला उपकरण, जिसे एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा, जब तक कि उसे आखिरी बार पहनने के पश्चात् पूरी तौर साफ और कीटाणु रहित न कर दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति को उस उपकरण के भली प्रकार उपयोग करने के लिए पूरी तौर पर अनुदेशिक न किया जा चुका हो।

11. व्यक्तिगत कपड़ों हेतु पृथक् स्थान उन सभी कार्यों, जिन पर यह अनुसूची लागू होती है, में नियोजित वयक्तियों के लिए सुगमता से पहुँच गम्य स्थिति में व्यक्तिगत कपड़ों को रखने के लिए पृथक् स्थान की व्यवस्था की जाएगी। यह स्थान उप–परिच्छेद (2) के अधीन प्रदत्त स्थान पृथक् होगा, ताकि व्यक्तिगत कपड़ों को संदूषित होने से रोका जा सके।

12. धुलाई और स्नान सुविधाएँ– (1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वा कार्यों में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ व अच्छी मरम्मत की दशा में प्रत्येक 15 नियोजित व्यक्ति के लिए एक स्थान की दर से पर्याप्त धुलाई और स्नान के स्थान होंगे और छायादार स्थान में निरन्तर जलप्रदाय होगा।

(2) धुलाई स्थान में एक मीटर की दूरी से कम न हो, इस अन्तर से स्टैण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) धुलाई स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम न हो, इतनी संख्या में स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलियों के प्रदाय की व्यवस्था होगी।

परन्तु यह कि यदि निरीक्षक–राह–सुविधाप्रदाता के द्वारा आदेशित किया जाए तो ऐसे तौलिए हर एक कामगार को व्यक्तिगत रूप से प्रदाय किए जाएंगे।

(5) साबुन और नाखुन ब्रश की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान किया जाएगा।

13. भोजन कक्ष– (1) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में नियोजित सभी कामगारों के, जो आराम हेतु मध्यान्तर में वहां रह जाते हों, उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन का कमरा होगा, जिसमें–

(क) पर्याप्त मात्रा में पीछे टिकने के बेन्च सहित बेन्च व टेबल होगी।

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन होंगे।

(2) भोजन कक्ष किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार के अधीन होगा और उसे साफ रखा जाएगा।

14. किशोरों के नियोजन का प्रतिषेध– इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं भी प्रक्रियाओं में किशोरों को नियोजित नहीं किया जाएगा।

15. धुआँपान के संबंध में प्रतिषेध– इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाएं, जहाँ चलाई जाती हों, वहां किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति धुआँपान नहीं करेगा। संयंत्र में ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में धुआँपान प्रतिषेध करने हेतु सूचनाएँ चिपकाई जाएंगी।

16. चेतावनी सूचनाएँ– (1) प्रवेश द्वारों पर और एस्बेस्टस प्रक्रिया क्षेत्र की परिमिति पर सभी व्यक्तियों को आगाह करने के लिए निम्नांकित के संबंध में सावधानी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाएंगी–

(क) एस्बेस्टस धूल से स्वास्थ्य के खतरों के बारे में

(ख) उपयुक्त बचाव उपकरण के उपयोग की आवश्यकता के बारे में

(ग) अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति जो बिना बचाव उपकरणों के हो, के प्रवेश पर प्रतिषेध के बारे में

(2) ऐसी सूचनाएँ बहुतायत कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगी।

17. वायु निगरानी– नियंत्रक उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पाली में कम से कम एक बार वायु में एस्बेस्टस रेशों की निगरानी की जाएगी और प्राप्त परिणामों के अभिलेख विशिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे।

18. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सीय परीक्षण –(1) हर एक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

(3) परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसी

जाँच में पल्मोनरी फंक्शन जाँच, थूक में एस्बेस्टस रेशों की उपस्थिति की जांच और सीने का एक्स–रे सम्मिलित होंगे। किसी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगा, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की किसी कामगार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए योग्य नहीं मानता। अयोग्य होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–परिच्छेद (6) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अयोग्य पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु और अनुरक्षित किये जाएँगी तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

20. छूट– यदि किसी कारखाने के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को इस कारण से कि विशिष्ट परिस्थितियों या प्रक्रिया की अल्प आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, संतुष्ट हो जाए कि कारखाने के कामगारों की सुरक्षा हेतु इस अनुसूची के सभी या कुछ

उपबंध आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे कारखाने को ऐसी सभी या उनमें से कुछ उपबन्धों से, ऐसी शर्तों के, यदि कोई है अधीन रहते हुए, जिन्हें वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, छट प्रदान कर सकेगा।

उप–अनुसूची –16

क्षतिकारक (कोरोसिव) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) "क्षतिकारक संक्रिया" से अभिप्रेत किसी कारखाने में क्षतिकारक पदार्थों का उत्पादन संग्रहण हस्तन, उनकी प्रक्रिया, पैकिंग या उनका उपयोग करने की संक्रिया से है;

(ख) "क्षतिकारक पदार्थ" में सम्मिलित हैं सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाईड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कारबोलिक एसिड, फासफोरिक एसिड, द्रव कोलिन द्रव ब्रोमाइन, अमोनिया, सोडियम, हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं उनका मिश्रण और अन्य ऐसे पदार्थ, जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षतिकारक पदार्थ होना विविनिर्दिष्ट करे।

2. फर्श– कारखाने के ऐसे प्रत्येक कार्य कक्ष का, जिसमें क्षतिकारक संक्रिया की जाती है। फर्श, अभेद्य, क्षरण एवं अग्नि का प्रतिकार करने वाली सामग्री से बनाया जाएगा और उसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा, ताकि कोई क्षतिकारक पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित न हो सके। ऐसे फर्श का भूतल सदैव चिकना एवं स्वच्छ होगा और अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा।

3. रक्षात्मक उपकरण–(क) अभिभोगी किसी भी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रक्षात्मक उपाय के रूप में हाथों के दस्ताने और परिच्छेदें के लिए जूते, उपयुक्त एप्रन्स, मुखरक्षक, रसायनों से सुरक्षित चश्मे तथा वायु शुद्ध करने वाले यंत्रों की व्यवस्था करेगा। ऐसे यंत्र अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा साफ और आरोग्य दायक दशा में रखे जाएंगे, जिसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रकारों से परिष्कृत किया जाएगा, ताकि किसी शोधन रसायन के दुष्परिणामों को दूर किया जा सके और उन्हें

कीटाणु रहित भी किया जा सके। अधिभोगी उपयुक्त रक्षात्मक स्निग्ध पदार्थ (क्रीम) तथा अन्य निर्मितियों (प्रपरेशन्स) की भी, जब कभी उनकी आवश्यकता हो, व्यवस्था करेगा।

(ख) उपबन्धित रक्षात्मक यंत्र तथा निर्मितियाँ किसी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी।

4. जल सुविधाएँ– जहाँ क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों, वहां ऐसी संक्रिया के यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर जो 210 से.मी. (7 फुट) से कम ऊँचाई पर न हो। 1.25 से.मी. (1/2 इंच) व्यास के नल द्वारा, जिसमें शीघ्र कार्य करने वाला वाल्व का प्रयोग किया गया हो, स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी कामगार को किसी क्षतिकारक पदार्थ द्वारा क्षति की दशा में क्षतिग्रस्त भाग को पूर्ण रूप से पानी से अच्छी तरह से धोया जा सके, जहाँ कहीं आवश्यक हो, जल सतत प्रदाय के हेतु एक जल संग्राहक (स्टोरेज टैंक) की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ऐसी होगी, जो कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा स्वच्छ जल के स्त्रोत के रूप में अनुमोदित की जाए।

5. चेतावनी सूचना– अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्नलिखित प्ररूप में चेतावनी वाली मुद्रित सूचनाएँ ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी, जहाँ कंडिका 2 में वर्णित क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों और जहाँ उन्हें कामगारों द्वारा सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। यदि कोई कामगार अशिक्षित हो तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित सूचना में अन्तर्विष्ट बातों को सावधानीपूर्वक समझाने का प्रभावी प्रबंध किया जाएगा।

"सावधान करने वाली सूचना खतरा"

क्षतिकारक पदार्थ अतिदाहक होते हैं तथा उनसे बनने वाली भाप अत्यन्त खतरनाक होती है। यदि ऐसे पदार्थ का शरीर के किसी भाग से स्पर्श हो जाए तो भाग को तुरन्त ही विलुप्त जलधारा के नीचे कम से कम 15 मिनट तक रखा जाए।

"चिकित्सीय सुविधा तत्काल प्राप्त करें"

6. परिवहन–

(क) क्षतिकारक पदार्थ धारक पात्रों के सिवाय अन्य किसी भी पात्र में नहीं भरे जाएंगे या उन पात्रों के सिवाय उन्हें हटाया नहीं जाएगा या ले जाया नहीं जाएगा और जब उनका

परिवहन किया जाए, तब उसे मजबूत तथा पर्याप्त क्षमता की क्रेटे (टोकरियों) में रखा जाएगा।

(ख) ऐसा धारक पात्र, जिसका धारिता क्षतिकारक पदार्थ 11.5 लीटर्स ($2^{1/2}$ गैलन) या उससे अधिक की हो किसी बर्तन या क्रेट में रखा जाएगा और तत्पश्चात् एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कक्ष के नीचे की ऊँचाई तक रखते हुए उसे तब ही ले जाया जाएगा, जब कि उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रबर के पहिए वाली गाड़ी प्रयोग में लाई जाए, अन्यथा नहीं।

(ग) क्षतिकारक पदार्थ के धारकों पर सुस्पष्ट लेबिल लगाए जाएंगे।

7. क्षतिकारक पदार्थों के हस्तन के लिए साधन–(क) क्षतिकारक पदार्थों से भरी हुई सुराहियों (जार) बरनियों (कारबायस) तथा अन्य पात्रों के रिक्त करने हेतु उठाने (लिफ्टिंग) या झुकाने (टिल्टिंग) के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) क्षतिकारक पदार्थ हस्त नंगे हाथों से नहीं किया जाएगा, किन्तु उपयुक्त कलछुओं (स्कूप) या अन्य साधनों के जरिए उनका हस्तन किया जाएगा।

8. प्रतिबंधक (वाल्व) को खोलना– क्षतिकारक पदार्थ से भरे हुए धारक के प्रतिबंधक (वाल्व) बड़ी सावधानी से खोले जाएंगे। यदि वे आसानी से काम न करते हों तो उन्हें खोलने के लिए जोर नहीं लगाया जाएगा। वे इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कामगार द्वारा खोले जाएंगे।

9. टंकी, स्टील्स आदि को साफ करना–(क) क्षतिकारक पदार्थों को रखने के लिए उपयोग में लाए गए स्टील या अन्य बड़े कक्षों (चेम्बर्स) में बचे हुए अवशेषों (रेसीड्यू) को हटाने हेतु उपयुक्त लकड़ी या अन्य सामग्री के लिए ऐसे उपयुक्त औजारों उपयोग में लाए जाएंगे, जिससे अरसिनिरीटेड हाइड्रोजन (अरसिन) के बनने को रोका जा सके।

(ख) जब कभी किसी श्रमिक को ऐसे किसी कक्ष (चेम्बर्स), टंकी (टैंक) गड्ढों (पिट) या अन्य किसी निरुद्ध जगह (कनफाइड स्पेस) में, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखा गया हो, सफाई करने या उसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखने हेतु प्रवेश करना आवश्यक हो तो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन श्रमिक की सुरक्षा अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समस्त संभव सावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ग) जब कभी संभव हो किसी उपकरण के किसी ऐसे भाग की मरम्मत या कार्य हाथ में लेने के पूर्व, जिनमें क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपकरण या उसके भाग को लगे हुए अवशेष को उपयुक्त प्रणाली द्वारा मुक्त किया जाएगा।

10. संग्रह–(क) क्षतिकारक पदार्थों की ऐसी जगह संग्रहित नहीं किया जाएगा, जहाँ अन्य रसायन जैसे टरपेंटाईन, कार्बाइड्स मेटेलिक चूर्ण या अन्य ज्वालाग्राही पदार्थ रखे गए हों, जिनका इन क्षतिकारक पदार्थों से घनात्मक अपमिश्रण होने पर उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है या विषैली ज्वालाएँ या गैस बन सकती हैं।

(ख) क्षतिकारक पदार्थों को रखने के लिए बनाई गई ओवर हेड टंकियाँ, पात्र (बेटेग्स) या अन्य संग्रह योग्य पात्र इस प्रकार व्यवस्थित रूप रखे जाएंगे कि उनमें से पंप द्वारा उक्त पदार्थ निकालते समय या उन्हें भरते समय उक्त क्षतिकारक पदार्थ बहने न पाए तथा उससे किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचे।

(ग) प्रत्येक संग्रह पात्र, जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखे जाते हों एवं जिसकी क्षमता 20 लीटर या उससे अधिक हो तथा उससे संबद्ध नल पंक्ति प्रतिरोधक (वाल्व) एवं फिटिंग्स का प्रतिवर्ष सम्पूर्ण रीति से परीक्षण किया जाएगा और उनमें कोई दोष पाए जाने पर उसे तुरंत ही दूर किया जाएगा। इस प्रकार के परीक्षणों का एक रजिस्टर रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसे कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अग्निशामक यंत्र और आग बुझाने के साधन– योग्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने के साधन संग्रहित रसायनों की प्रकृति के आधार पर पर्याप्त संख्या में प्रदान किए जाएंगे। ऐसे अग्निशामक यंत्रों का आग बुझाने के साधन को नियमित रूप से जांच जाएगा एवं उन्हें पुनः भरा जाएगा। इन अग्निशामक यंत्रों या आग बुझाने के साधनों का प्रयोग संबंधी सूचना अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित कराकर ऐसे यंत्र या साधन के पास चिपका दी जाएगी।

12. चिकित्सकीय परीक्षण– (1) चिकित्सा पदाधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार क्षतिकारक (कोरोसिव) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा

तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं मे नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध ओर अनुरक्षित किये जाएंगे।

13. छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में उसके प्रबंधक द्वारा आवेदन करने पर मुख्य कारखाना निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण या कार्य प्रणाली की अनित्यता के कारण या अन्य किसी कारण के फलस्वरूप जो कि अभिलिखित किए जाएंगे, इस अनुसूची के समस्त या किसी भी उपबंध जो उक्त कारखानों में नियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा के हेतु आवश्यक न हो तो वह एक लिखित प्रमाण पत्र द्वारा जिसे वह कभी भी निरस्त कर सकता है, उक्त कारखाने को ऐसे उपबंधों से और उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित किया गया हो, छूट दे सकेगा।

उप–अनुसूची–17

अग्निरोधक पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण दृ अनुप्रयोग

आवेदन : यह अनुसूची निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर लागू होगी:

(1) किसी भी अग्निरोधक पदार्थ को संभालना, स्थानांतरित करना, तोड़ना, कुचलना, पीसना या छनना, जिसमें कुल सिलिका कम से कम 25 प्रतिशत हो, निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य से:

(क) भट्ठियों और धुएँ की नालियों के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएँ;

(ख) क्रूसिबल ; तथा

(ग) उन संरचनाओं या अन्य पदार्थों का निर्माण जो धातुओं को ढालने के लिए साँचे तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं।

(2) अग्निरोधक ईंटों के निर्माण की किसी भी प्रक्रिया पर, जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है।

परंतु यह अनुसूची निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:

(क) प्राकृतिक रेत को संभालना, स्थानांतरित करना, मिलाना या छानना, या

(ख) धातु ढलाई कारखानों में प्रयुक्त साँचे तैयार करने हेतु सड़ी हुई बलुआ का संचालन।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कारखानों के मुख्य निरीक्षक को किसी कारखाने या उसके किसी भाग के संबंध में यह संतोष हो जाए कि कार्य की विशेष परिस्थितियों या अन्य कारणों से इस अनुसूची की किसी भी आवश्यकता को बिना वहाँ कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा पहुँचाए निलंबित या शिथिल किया जा सकता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी निलंबन या शिथिलता प्रदान कर सकता है, जो निर्धारित अवधि और शर्तों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ

(क) 'अग्निरोधक पदार्थ' का अर्थ है ऐसा कोई भी अग्निरोधक पदार्थ जिसमें कुल सिलिका कम से कम 25 प्रतिशत हो।

(ख) 'अग्निरोधक ईंट' का अर्थ है ऐसी कोई भी ईंट या वस्तु जो अग्निरोधक पदार्थ से बनी हो और जिसमें कुल सिलिका कम से कम 25 प्रतिशत हो।

(ग) 'प्रभावी निकास प्रवाह' का अर्थ है यांत्रिक साधनों द्वारा स्थानीयकृत वेंटिलेशन, जिससे धूल को हटाया जा सके और कार्यस्थल की हवा में धूल न फैल पाए। कोई भी प्रवाह प्रभावी नहीं माना जाएगा यदि वह उस स्थान पर उत्पन्न धूल को हटाने में असफल हो जहाँ से धूल उत्पन्न होती है।

3. किसी भी अग्निरोधक पदार्थ को हाथ से टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि यह प्रक्रिया खुले वातावरण में न की जाए।

परंतु, यदि खुले वातावरण में यह प्रक्रिया करना संभव न हो, तो यह प्रक्रिया प्रभावी निकास प्रवाह के अंतर्गत की जाएगी।

4. किसी भी अग्निरोधक पदार्थ को तब तक पत्थर तोड़ने या पीसने की मशीन में नहीं कुचला या पीसा जाएगा जब तक कि वह इतना गीला न हो कि धूल उत्पन्न न हो सके। यदि पदार्थ गीला न हो, तो मशीन में निम्नलिखित में से कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए:

(क) प्रभावी निकास प्रवाह और प्रभावी धूल संग्रहण उपकरण; या

(ख) प्रभावी जल या भाप का छिड़काव।

प्रावधान हर पीसने वाली मशीन जिसमें किसी अग्निरोधक पदार्थ को सूखी अवस्था में पीसा जाता है, उसे पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए और यांत्रिक निकास प्रणाली से जुड़ा होना चाहिए, ताकि मशीन के आवरण से बाहर धूल का प्रभावी रूप से निकलना रोका जा सके। इसके लिए मशीन के आवरण के भीतर वायुमंडलीय दबाव से कम दबाव बनाए रखना आवश्यक होगा।

अतिरिक्त प्रावधान सभी कुचलने और पीसने की प्रक्रियाओं को अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी रूप से अलग-थलग रखा जाएगा।

5. सभी च्यूट्स, कन्वेयर, एलिवेटर, स्क्रीन, छलनियाँ और मिक्सर जो अग्निरोधक पदार्थों को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तब तक ढका हुआ और प्रभावी निकास प्रवाह से युक्त होना चाहिए जब तक कि वह पदार्थ इतना गीला न हो कि धूल उत्पन्न न हो सके।

6. कोई भी अग्निरोधक पदार्थ यदि इतना सूखा हो कि धूल उत्पन्न कर सके, तो उसे :

(क) किसी वैगन या अन्य परिवहन पात्र में तब तक लादा नहीं जाएगा जब तक कि उसे उपयुक्त धूल-रोधी कंटेनर में न रखा गया हो और इतना गीला न किया गया हो कि धूल उत्पन्न न हो सके।

(ख) किसी वैगन या अन्य परिवहन पात्र से तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक कि उसे इतना गीला न किया गया हो कि धूल उत्पन्न न हो सके, या जब तक कार्य प्रभावी निकास प्रवाह के अंतर्गत न किया जाए।

(ग) किसी भी निर्माण प्रक्रिया में हाथ के औजारों द्वारा फावड़ा चलाकर, खुरचकर या अन्य तरीकों से तब तक संचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इतना गीला न किया गया हो कि धूल उत्पन्न न हो सके, या जब तक कार्य प्रभावी निकास प्रवाह के अंतर्गत न किया जाए।

प्रावधान इस नियम के अनुच्छेद (ख) का प्रयोग उन अग्निरोधक पदार्थों पर लागू नहीं होगा जो चट्टान या

7. (क) उन सभी स्थानों के फर्श जहाँ अग्निरोधक ईंटें सुखाई जाती हैं (सिवाय सुरंग भट्टियों या चैम्बर ड्रायरों के फर्श के जिन्हें सामान्यतः कर्मचारी प्रवेश नहीं करते), वहाँ प्रत्येक खेप की ईंटें हटाए जाने के बाद फर्श को सावधानीपूर्वक मलबे से साफ किया जाएगा और जिस भाग की सफाई की जा रही हो उसे सफाई के दौरान गीला रखा जाएगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक स्थान पर पर्याप्त दबाव के साथ निरंतर जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी, जिसमें पर्याप्त कनेक्शन, एक लचीली शाखा पाइप और स्प्रिंकलर होगा ताकि फर्श के प्रत्येक भाग पर सीधे पानी पहुँचाया जा सके।

8. कोई भी सुखाने वाला चूल्हा जिसमें अग्निरोधक ईंटों को भट्टियों में रखने से पहले आग द्वारा पकाया जाता है, उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

9. हर उस फर्श या स्थान की सतह जहाँ से व्यक्ति गुजर सकते हैं, उसे अग्निरोधक पदार्थों के मलबे से प्रत्येक कार्य दिवस की अवधि में कम से कम एक बार, या यदि शिफ्टों में काम होता है तो प्रत्येक शिफ्ट में एक बार साफ किया जाएगा। ऐसा मलबा, जब तक कि उसे तुरंत प्रक्रिया में उपयोग न करना हो, प्रभावी रूप से गीला किया जाएगा और या तो ढके हुए पात्रों में रखा जाएगा या इस प्रकार संग्रहीत किया जाएगा कि धूल कार्यस्थल की हवा में या उसके आसपास न फैल सके।

10. जहाँ प्लेटों का उपयोग किया जाता है, चाहे वे पोर्टेबल हों या फर्श का हिस्सा हों, जिन पर अग्निरोधक ईंटें सुखाई जाती हैं, उन प्लेटों को चिपके हुए पदार्थ से केवल गीली विधि द्वारा या ऐसी अन्य विधि द्वारा मुक्त किया जाएगा जिससे धूल हवा में न फैल सके।

11. अग्निरोधक पदार्थों की धूल या चूर्ण का उपयोग अग्निरोधक ईंट बनाने में साँचे पर छिड़काव के लिए नहीं किया जाएगा:

परंतु, इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा जो साँचे पर छिड़काव के उद्देश्य से प्राकृतिक रेत के उपयोग को रोकता हो।

12. किसी भी श्रमिक को किसी धूलयुक्त प्रक्रिया पर या ऐसे स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ अग्निरोधक पदार्थों की धूल वातावरण में मौजूद हो:

परंतु आपात स्थिति में किसी श्रमिक को ऐसी प्रक्रिया या स्थान पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह उपयुक्त और प्रभावी धूल मास्क या श्वसन उपकरण पहनता हो।

13. चिकित्सीय परीक्षण :

(क) अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक का चिकित्सीय परीक्षण उस प्रकार और उन अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (अधिनियम VIII, 1923) के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम में निर्दिष्ट हो। यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हों, तो प्रत्येक श्रमिक का प्रमाणित शल्य चिकित्सक द्वारा नियुक्ति से पहले और उसके बाद अधिकतम छह माह के अंतराल पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

(ख) उप–अनुच्छेद (क) के अधीन रहते हुए, उप–अनुच्छेद (ग) में उल्लिखित प्रत्येक श्रमिक का छाती का एक्स–रे परीक्षण किया जाएगा

(i) यदि वह इस उप–अनुच्छेद के लागू होने की तिथि पर पहले से कार्यरत है, तो उस तिथि से छह माह के भीतर और उसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर।

(ii) यदि वह उक्त तिथि के बाद नियुक्त होता है, तो नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर और उसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर।

प्रत्येक एक्स–रे परीक्षण का परिणाम परीक्षण के एक माह के भीतर प्रमाणित शल्य चिकित्सक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) यदि प्रमाणित शल्य चिकित्सक किसी श्रमिक के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान किसी छाती रोग की आशंका करता है, तो वह प्रबंधक या अधिभोगी को निर्देश दे सकता है कि श्रमिक का एक्स–रे परीक्षण कराया जाए और निर्दिष्ट समय के भीतर एक्स–रे प्लेट उसे प्रस्तुत की जाए। प्रबंधक या अधिभोगी को ऐसे निर्देश का पालन करना होगा।

(घ) प्रमाणित शल्य चिकित्सक प्रत्येक परीक्षण किए गए श्रमिक को एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें यह निर्दिष्ट होगा कि श्रमिक को उक्त प्रक्रियाओं में कार्य करने योग्य माना गया है या नहीं।

(ङ) प्रबंधक एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक श्रमिक के संबंध में और प्रत्येक चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रमाणित शल्य चिकित्सक की टिप्पणियाँ और अनुशंसाएँ दर्ज होंगी और यह रजिस्टर प्रमाणित शल्य चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(च) जो श्रमिक कार्य करने योग्य घोषित नहीं किया गया है, उसे उक्त प्रक्रियाओं में कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसे केवल ऐसी अन्य प्रक्रिया में नियुक्त किया जाएगा या उसे ऐसी अन्य जाँच या उपचार के अधीन किया जाएगा जैसा कि प्रमाणित शल्य चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया जाए।

(छ) किसी भी श्रमिक से चिकित्सीय परीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस अनुसूची के प्रावधानों का पालन करना अधिभोगी और प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी।

14. यदि किसी मौजूदा संयंत्रया मशीनरी में इस अनुसूची की आवश्यकताओं का पालन करने हेतु परिवर्तन, संशोधन या प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो, या यदि किसी नए संयंत्र की स्थापना आवश्यक हो, तो ऐसा परिवर्तन, संशोधन, प्रतिस्थापन या स्थापना नियम के प्रकाशन की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

परंतु, कारखानों के मुख्य निरीक्षक विशेष और असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखित आदेश द्वारा इस अवधि को अपनी उचित समझ के अनुसार बढ़ा सकता है।

क्या आप चाहेंगे कि मैं अब तक के सभी नियमों (1 से 14 तक) को एक संक्षिप्त हिंदी सारांश में प्रस्तुत कर दूँ, ताकि पूरे प्रावधानों को एक ही जगह पर आसानी से समझा जा सके?

उप–अनुसूची 18

विलायक निस्तारण संयंत्र

विलायक संयंत्र से वनस्पतियों जैविक स्त्रोत से तेल अथवा चिकनाई (योग्य) निकालने की प्रक्रिया–

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "विलायक निस्सारण संयंत्र" से अभिप्रेत है एक ऐसे संयंत्र, जिसमें विलायकों के उपयोग से तेल अथवा चिकनाई (योग्य) वनस्पतियों या जैविक स्त्रोत से निकालने की प्रक्रिया की जाती है

(ख) "विलायक से अभिप्रेत है पेन्टेन, हैक्सेन तथा हेप्टेन जैसे ज्वलनशील द्रव जिसका उपयोग वनस्पति तेल निकालने के लिए किया जाता है

(ग) "ज्वाला छत" यथा प्रयुक्त ज्वाला रोधी घेरे से अभिप्रेत है ऐसे घेरे जो आवरणों या अन्य प्रवेश द्वारों को उचित रूप से सुरक्षित किए जाने पर, ज्वलनशील गैस या वाष्प के घेरे के भीतर प्रवेश करे या जो घेरे के भीतर उत्पन्न हो, आंतरिक विस्फोट को क्षति पहुँचाए बिना सह सके तथा आंतरिक ज्वलन (या विस्फोटक) को बाह्य ज्वलनशील गैस या वाष्प के सम्पर्क में जाने से रोक सके

(घ) इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" कम से कम अभियंत्रण संस्थान (भारत) का सदस्य या उक्त संस्था का सह–सदस्य होगा, जिसे मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित उत्तरदायित्व पूर्ण पद का दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो

परंतु यांत्रिक अभियांत्रिकी अथवा रसायन प्रौद्योगिकी के ऐसे स्नातक को भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा, जिसे तेलों और चर्बियों का विशेषीकृत ज्ञान हो और जिसे किसी विलायक निस्सारण संयंत्र का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो

परंतु यह और भी कि मुख्य निरीक्षक किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके पास उपयुक्त योग्यता तथा अनुभव हो, इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ सक्षम व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

2. अवस्थिति तथा अभिन्यास (ले–आउट)– (क) कोई भी विलायक निस्सारण संयंत्र निकटतम रिहायशी बस्ती से 30 मीटर की दूरी के भीतर निर्मित या विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के चारों ओर संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचाई एक अविछिन्न बाड़ लगाई जाएगी।

(ग) बाड से घिरे हुए क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई माचिस या खुली हुई ज्वाला या आग ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) बायलर गृह या अन्य भवन, जिसमें खुली ज्वाला वाली प्रकियाएं चलाई जाती है, विलायक निस्सारण संयंत्र से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे।

(ङ) यदि गोदाम तथा तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के स्थान विलायक निस्सारकण संयंत्र से 30 मीटर से कम दूरी पर हो तो उनकी दूरी संयंत्र से कम से कम 15 मीटर होगी और विलायक निस्सारण संयंत्र से अदहनशील सामाग्री की 5 मीटर ऊंची एक

अविच्छिन्न रोक दीवाल (बेरियर वाल) इस प्रकार बनी होगी कि वह संयंत्र से प्रज्जवलन के सामान्य स्त्रोतों तक अपने छोर के हर तरफ वाष्प् संचार के कम से कम 30 मीटर तक जाती हो।

3. विद्युत प्रतिष्ठापन– (क) विलायक निस्सारण संयंत्र में अधिष्ठापित या स्थित समस्त विद्युत मोटरों तथा वायरिंग और अन्य विस्तृत उपकरण ज्वालारोधी होंगे।

(ख) संयंत्र तथा भवन, जिसमें ऐसी विभिन्न टंकियाँ तथा धारक (कंटेनर्स) भी सम्मिलित है, जिसमें विलायक संग्रहित किए जाते हो या विद्यमान हो, के समस्त धातु के भाग तथा विद्युत उपकरणों के ऐसे समस्त भाग, जिन्हें ऊर्जित करना अपेक्षित न हो, उचित ढंग से आपस में परिबद्ध कर दिए जाएंगे और उन्हें भूमि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि ऐसे भागों का विद्युत विभव, आकस्मिक रूप से बढ़कर भूमि विभव से अधिक न हो सके।

4. धुआँपान पर प्रतिबंध– विलायक निस्सारण संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर धुआँपान पर सर्वथा रूपसे प्रतिबंध होगा। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र में "धुआँपान वर्जित है" सूचक संकेत स्थाई रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

5. घर्षण के विरूद्ध पूर्वोपाय– (क) ऐसे समस्त औजार तथा उपकरण, जिसमें सीढ़ियों, जंजीरें तथा अन्य उत्थापक साधन (लिफ्टिंग, टेकल) सम्मिलित है, जो विलायक निस्सारण संयंत्र में उपयोग के लिए अपेक्षित होते हैं, अस्फुलिंग (नानस्पार्किंग) प्रकार के होंगे।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र की कोई भी मशीनरी या उपकरण पहले से चलने वाला नहीं होगा, जब तक कि पहले कंडक्टिव पदार्थ का न बना हो।

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो नायलान के कपड़े पहने हुए हो या ऐसे अन्य वस्तुओं के कपड़े पहने हुए हों, जिनसे स्थिर (स्टेटिक) विद्युत चार्ज उत्पन्न होता हो या ऐसे जूते पहने हुए हो, जिनमें घर्षण द्वारा स्फुलिंगों के उत्पन्न होने की संभावना हो, विलायक निस्सारण संयंत्र में प्रवेश करने नही दिया जाएगा।

6. अग्निशमन उपकरण–(क) विलायक निस्सारण संयंत्र में पर्याप्त संख्या में ऐसे वहनीय अग्निशामक साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जो ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगने वाली अग्नि के विरूद्ध उपयोग करने के लिए उपयुक्त हो।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के ऊपर और जिस भवन में ऐसा संयंत्र हो, उस भवन में संग्रहित जल की पर्याप्त पूर्ति से युक्त, स्वचालित जल फुहार छिड़काव पद्धति तथा उपरी जलप्लावन पद्धति की व्यवस्था की जाएगी।

7. विद्युत संचरण बंद होने के प्रति सावधानी – (1) विद्युत संचारण बंद हो जाने की स्थिति में भाप के अपने आप बंद हो जाने की व्यवस्था की जावेगी तथा

(2) आपाती स्थिति में एवं धारित्रों (कंडेनसर) में जो विद्युत संचारण बंद हो जाने पर स्वतरू काम करने लगेंगे, गुरूत्व द्वारा जल भरण के लिए उपरी जल पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

8. चुम्बकीय विलगक (सेपरेटर्स)– निस्सारणधीन सामग्री हापर के जरिए एक वाहक (कन्वयर) द्वारा निस्सारण में भेजी जाएगी और इस अंतरण लोहे के किन्ही भी टुकड़े को अलग करने के लिए चुम्बकीय विलगक की व्यवस्था की जाएगी।

9. निकासन (बेटिंग)–

(क) विलायक भरी हुई टंकियों को आग लग जाने की स्थिति में अत्याधिक आंतरिक दाब से मुक्त करने के लिए आपाती निकास बनाकर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) समस्त आपाती विमोचन विकास भूमि से कम से कम 6 मीटर की ऊँचाई पर समाप्त होंगे और उनकी अवस्थिति इस प्रकार की होगी कि वाष्प् उस भवन में पुन: प्रवेश न कर सके, जिसमें विलायक निस्सारण संयंत्र स्थित हो।

10. बेकार जल – प्रक्रियागत बेकार जल एक वाष्पीकरणकर्ता के जरिए बहाया जाएगा, जिससे कि उसे निर्गत होदी (सम्प) में वर्जित करने के पूर्व उसमें रहा कोई भी विलायक अलग किया जा सके। उक्त होदी बाड़ से घिरे क्षेत्र के अंदर होगी तथा बाड़ से आठ मीटर से कम दूरी पर नहीं होगी।

11. संवातन– विनायक निस्सारण संयंत्र सुसंवातित होगा और यदि संयंत्र किसी भवन में अवस्थित हो तो उस भवन में यांत्रिक संवातन की व्यवस्था होगी, जिसमें प्रति घंटा कम से कम 6 एयर चेंज की व्यवस्था होगी ।

12. संयंत्र भवन व्यवस्था– (क)विलायकों का संग्रहण केवल थोड़ी मात्रा को छोड़, जो कि क्षेत्र अनुमोदित सुरक्षित डिब्बों (कैन) में संग्रहित की जाएगी, विलायक निस्सारण संयंत्र के व्यापि क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।

(ख) तेलीय चिथड़ों और अन्य क्षेप्य सामग्री तथा अवशेषक जो विलायक तथा रंग तेलों को साफ करने के उपयोग में लाए जाते हैं, अनुमोदित आधानों (कंटेनरों) में रखे जाएंगे और उन्हें दिन में कम से कम एक बार परिसर से हटाया जाएगा ।

(ग) विलायक निस्सारण संयंत्र के भीतर तथा संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर के स्थान को किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं से मुक्त रखा जाएगा तथा बिखरे हुए तेल अथवा विलायकों को तुरन्त साफ कर दिया जाएगा ।

13. परीक्षण तथा मरम्मती–

(क) विलायक निस्सारण संयंत्र की कमजोरी या संक्षारण तथा टूट–फूट के अवधारण की दृष्टि से सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका प्रत्येक 12 महीने में एक बार परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को अपनी इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट दी जाएगी की संयंत्र चलने की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में है, अथवा नहीं।

(ख) मशीनरी अथवा संयंत्र की कोई भी मरम्मत केवल सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ग) संयंत्र को सफाई या मरम्मत के लिए खोलने से पहले और मरम्मत के बाद विलायक के प्रवेश कराने से पहले अक्रिय गैस या वाष्प से शुद्ध करने की सुविधाएँ प्रदान होंगी।

14. परिचालन कर्मचारी– विलायक निस्सारण संयंत्र में संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन का प्रभार ऐसे सम्यक् रूप से योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों से रहेगा, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाएं तथा किसी भी व्यक्ति को संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

15. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों का नियोजन– विलायक निस्सारण संयंत्र में किसी भी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को नियोजित नहीं किया जाएगा ।

16. वाष्प अनुरक्षण – एक समुचित प्रकार के ज्वालारोधी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक ज्वलनशील गैस संसूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा तथा मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित विभिन्न अवस्थितियों में वायुमंडल के नेमी नमूना अनुसूची तैयार की जाएगी और उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

17. लॉग बुक– निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में संयंत्र परिचालन की एक लॉग बुक रखी जाएगी ।

18. चिकित्सा परीक्षण– (1) चिकित्सा पदाधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार विलायक निस्तारण संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नही पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक नौकरी पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध और अनुरक्षित किए जाएँगे।

उप–अनुसूची 19

कार्बन डाई सल्फाइड संयंत्र

1. प्रयुक्ति– यह अनुसूची ऐसी सभी विद्युत भट्टियों जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड बनाया जाता है तथा ऐसे अन्य संयंत्र के संबंध में लागू होगी, जहाँ कार्बन डाइ सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित, परिशोधित तथा संग्रहित किया जाता है । ये नियम, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के अतिरिक्त हैं, उनके अल्पीकरण स्वरूप के नहीं ।

2. निर्माण प्रतिष्ठापन तथा परिचालन–

(क) ऐसे भवन, जिनमें विद्युत भट्टियाँ प्रतिष्ठापित की गई हों और कार्बन डाई सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित और परिशोधित किया जाता हो, कारखाने के

अन्य भागों से पृथक् जाएंगे और अधिकतम संवातन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वे खुले प्रकार के होंगे तथा संयंत्र का अभिन्यास ऐसा होगा कि कम से कम संख्या में कामगारों को किसी एक समय में भाग या विस्फोटक का खतरा झेलना पड़े ।

(ख) प्रत्येक विद्युत भट्ठी और प्रत्येक ऐसा संयंत्र, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित और संग्रहित किया जाता हो, अपनी पूरी फिटिंग और संलागों सहित सुनिर्मित तथा ठोस सामग्री का बना होगा और पर्याप्त सुदृढ़ होगा तथा उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा, ताकि भट्ठी या संयंत्र में उत्पन्न आंतरिक दाब को वहन कर सके और उसका विन्यासऐसा होगा कि तरल तथा गैस कार्बन डाई सल्फाइड अपनी सामान्य क्रियाशीलता के दौरान बंद प्रणाली में रहे ।

(ग) विद्युत भट्ठी के आधार कंकरीट में अथवा अन्य प्रभावी साधनों में 2 फीट गहरे मजबूती से गड़े रहेंगे ।

(घ) प्रत्येक विद्युत भट्ठी का प्रतिष्ठापन तथा परिवालन निर्माताओं के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा और ये अनुदेश निर्माण तथा परिवालन के प्रभारी कर्मचारियों को स्पष्टतरू समझा दिए जाएंगे ।

(ङ) भट्ठी के सही ताप, मापन, सल्फर की मात्रा स्वीकार्य विद्युत धारा शक्ति उपभोग तथा कोयला के स्तर की नियतकालिक जाँच संबंधी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा या अनुदेश भट्ठी के समीप से सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

3. इलेक्ट्रोड्स–

(क) जहाँ ऊपरी रिंग वाले इलेक्ट्रान अथवा इस्पात के बने सीधे इलेक्ट्राड्स विद्युत भट्ठी में काम में आते हो, वहाँ वे बिना जुड़े ट्यूब के बने होंगे तथा उनमें इलेक्ट्राडों में बने साइफन के जरिए अथवा पाजीटिव्ह दाब वाले पानी के पंप के जरिए प्रशीतन जल प्रणाली से उन्हें किए जाने की व्यवस्था होगी ।

(ख) खण्ड (क) में विविनिर्दिष्ट जल प्रशीतन की व्यवस्था स्वचालित चेतावनी प्रणाली से जुड़ी रहेगी, जो इलेक्ट्राडों में प्रशीतन जल में दाब पहुँचाने की स्थिति में उसे संचालित करेगी और नियंत्रण कक्ष में दृश्य श्रव्य चेतावनी संकेत देगी और साथ ही साथ भट्ठी परिचालक के लिए विद्युत पूर्ति को तथा आगे जल पूर्ति को रोकेगी । चेतावनी संकेत पद्धति तथा संचालन युक्ति की प्रतिदिन जाँच की जाएगी ।

4. रैपचर डिस्क तथा सेफ्टी सील–(क) प्रत्येक भट्टी पर पर्याप्त आकार वाली कम से कम दो रैपचर डिस्कों की व्यवस्था की जाएगी, जो परिचालन दाब से दुगुने दाब पर वायु विस्सारित करेगी और उन्हें या तो सीधे ही भट्टी के ऊपरी भाग पर लगाया जाएगा अथवा भट्टी के यथासंभव समीप अलग अलग पाइप के जरिए लगाया जाएगा ।

(ख) एक सेफ्टी वाटर सील की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे कोयला (वार कोल) सेपरेटर तथा सल्फर सेपरेटर के मध्य एक बिन्दु पर टेप किया जाएगा ।

5. पायरोमीटर तथा मैनी मीटर– (क) भट्टी में विभिन्न स्थानों पर ताप के सही निर्धारण के लिए प्रत्येक विद्युत भट्टी माप जानने के लिए डायल नियंत्रण कक्ष में लगाए जाएंगे ।

(ख) दाब मशीनें के लिए मैनी मीटर्स या अन्य उपकरण लगाए जाएंगे ।

(i) सल्फर सेपरेटर के पूर्व तथा पश्चात् आफ टेक पाइप में, तथा

(ii) प्राथमिक तथा द्वितीय संघनित्रों में मैनी मीटरों की व्यवस्था की जाएगी ।

6. चेक वाल्व– कार्बन डाई सल्फाइड ले जाने वाली सम्पूर्ण पाइप प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर चेक वाल्व लगाए जाएंगे, ताकि उसके बंद हो जाने की स्थिति में गैस किसी भी भट्टी में उलटी प्रवाहित न हो सके ।

7. विद्युत भट्टी का निरीक्षण तथा अनुरक्षण– (क) सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्युत भट्टी का–

(1) प्रतिष्ठान के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व तथा

(2) पुनर्निर्माण या मरम्मत के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व आंतरिक निरीक्षण किया जाएगा

(3) प्रत्येक भट्टी नियतकालिक रूप से साफ करने या राख निकालने या इलेक्ट्राड बदलने के लिए खोली जाती है, तब उसका आंतरिक निरीक्षण किया जाए ।

(ख) जब कोई विद्युत भट्टी साफ करने या राख निकालने के लिए बन्द की जाती है तो–

(i) निरंतरता की दृष्टि से ईंट अस्तरण की जाँच की जाएगी तथा उसका कोई भाग दोषपूर्ण पाए जाने पर उसे हटा दिया जाएगा ।

(ii) एक में उल्लिखित अस्तरण के लिए किसी भाग को हटाने के बाद शेल की स्थिति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाएगा, तथा

(iii) यदि शेल बनाने वाली कोई भी प्लेट इस सीमा तक संक्षारित (कोरो हेड) पाई जाए कि उससे भट्ठी की सुरक्षा खतरे में हो तो उसे बदल दिया जाएगा ।

8. अभिलेखों में रखरखाव – लॉग बुक में निम्नलिखित घंटेवार अभिलेख रखे जाएंगे

(i) 5 (ख) (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट स्थलों पर मैनीमीटर वाचन ।

(ii) पारोमीटर तथा सल्फर रोपरेटर के पास के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक संघनित्रों द्वारा दर्शाया गया गैस का ताप ।

(iii) जल का ताप तथा इलेक्ट्रोडों में साइफन के जरिए जल का प्रवाह ।

(iv) प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टेज एवं उपभोग की गई ऊर्जा ।

9. विद्युत उपकरणों वायरिंग तथा अन्वायुक्तियाँ – उन समस्त भवनों में, जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, विद्युत उपकरणों, वायरिंग तथा अन्वायुक्तियों की व्यवस्था की जाएगी, जो अग्नि तथा विस्फोट से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगी।

10. धुआँपान के संबंध में निषेध– कोई भी व्यक्ति उन भवनों में, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित या संग्रहित किया जाता हो धुआँपान नहीं करेगा या दियासलाइयाँ अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा और अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरों में धुआँपान करने और दियासलाइयाँ, अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिबंध करते हुए संयंत्र में एक सूचना लगाई जाएगी।

11. बचाव के साधन– आपात स्थिति में व्यक्तियों के यथासंभव शीघ्र बचकर सुरक्षित स्थानों में पहुँचने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनका अनुरक्षण किया जाएगा । कम से कम दो स्वतंत्र सीढ़ियाँ जिनकी चौड़ाई 110 से.मी. से कम न हो और जो 54 अंश से अधिक का क्षितिज कोण न बनाती हो, की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक भवन में दोनों ओर समुचित अन्तराल पर की जाएगी, जहाँ कि भट्टियाँ स्थित हों । इन्हें सभी अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा और उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि आसानी से आना–जाना हो सकें ।

12. आग के मामले में चेतावनी– आग या विस्फोट के मामले में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जो विद्युत से और विद्युत बंद हो जाने की स्थिति में अन्यत्र यांत्रिक साधनों द्वारा परिचालित होंगी ।

13. आग बुझाने के उपकरण–

(क) संग्रहित सामग्री की मात्रा तथा उसके स्वरूप में सन्निहित जोखिम से निबटने के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अथवा आग बुझाने के उपकरण सदैव तैयार रखे जाएंगे।

(ख) अग्निशामक यंत्रों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में स्पष्ट अनुदेश, जो नियोजित अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित होंगे,प्रत्येक अग्निशामक यंत्र या अन्य उपकरण पर लगाए जाएंगे ।

(ग) आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

14. बल्क सल्फर–

(क) बल्क सल्फर के संग्रहण के लिए अनावरित अथवा अर्ध संलग्न स्थल के पास इंजनों आदि से निकलने वाली चिनगारियों के खतरे को समुचित रूप से ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे और इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि ज्वालाएँ, धुआँपान तथा दियासलाइयाँ और प्रज्ज्वलन के अन्य स्त्रोत बल्क सल्फर को रखते–उठाते समय उठने वाले धूल के बादलों के संपर्क में न आयें ।

(ख) बल्क सल्फर के लिए समस्त आहातें अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगे, जिसमें पर्याप्त संचालन व्यवस्था होगी और उनकी डिजाइन इस प्रकार होगी कि उनमें धूल जमा होने का स्थान कम से कम हो ।

(ग) आहातों में बल्क सल्फर इस प्रकार रखा उठाया जाएगा कि धूल बादल कम से कम बने और वहाँ ज्वाला, धुआँपान तथा दियासलाइयाँ या प्रज्ज्वलन के अन्य स्त्रोत ले जाने की अनुमति नहीं होगी और जब कभी सल्फर को उठाया या हटाया जाए, तब चिंगारी रोधी औजारों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) जहाँ बल्क सल्फर संग्रहित किया जाता हो उस आहाते में ऐसी मरम्मत नहीं की जाएगी,। जिसमें उसका ताप पैदा हो या हाथ या शक्ति–चालित औजारों का उपयोग हो ।

15. तरल सल्फर– अनावृत्त ज्वाला बिजली की चिंगारी तथा प्रज्ज्वलन के अन्य स्रोत जिसमें धुआँपान तथा दियासलाइयाँ भी शामिल हैं, पिघले हुए सल्फर के आसपास के स्थान से दूर रखे जाएंगे ।

16. प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षन–

(क) समस्त विद्यत भटियाँ तथा समस्त संयंत्र, जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित, परिशोधित अथवा संग्रहित किया जाता हो, उस स्थिति में सदैव ही पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षणधीन रहेंगे, जबकि भट्टियाँ तथा संयंत्र चालू हों ।

(ख) विद्युत भट्टियों तथा संयंत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण के प्रभारी कामगार समुचित रूप से योग्यता प्राप्त तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे ।

17. धुलाई सुविधायें– अधिभोगी समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में आच्छादित धुलाई स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा, जिसमें कम से कम एक नल (टेप) अथवा स्टेण्ड पाइप हो और जिससे ऐसे हर पाँच व्यक्तियों को सतत् स्वच्छ जल की पूर्ति होती रहे । ये नल स्टेण्ड पाइप 120 से.मी. के अन्तर पर होंगे और साबुन तथा स्वच्छ तौलिए पर्याप्त मात्रा में रहेंगे ।

सल्फर संग्रहण में नियोजित सभी कामगारों को, जो सल्फर उठाने, रखने तथा पिघलाने का कार्य करते हों, नल ब्रश दिया जाएगा ।

18. व्यक्ति सुरक्षात्मक उपकरण–

(क) कर्मियों के उपयोग के लिए–

(1) द्रव आदि का नियंत्रण करने वाले वाल्वों अथवा कार्यों का परिचालन करते समय।

(2) सल्फर पात्रों से पिघला हुआ सल्फर निकालते समय तथा

(3) कोयला या सल्फर को उठाते रखते समय उपयुक्त चश्मों तथा संरक्षी वस्त्रों, जिनमें जेब रहित ऊपरी पोशाकें दस्ताने तथा जूते होंगे, की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) असाधारण परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन संरक्षी उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर संग्रहित किया जाएगा ।

(ग) ऐसे समस्त संरक्षी उपकरणों को उचित तथा सुचारू रूप से साफ करने की व्यवस्था की जाएगी ।

19. अमानती सामान कक्ष – प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए वस्त्रों के रखने के लिए अमानती सामान कक्ष तथा ऊपरी पोशाकों या कार्य के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने के लिए अमानती

सामान कक्ष से पृथक् उपयुक्त यान की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा। इसलिए व्यवस्था किया गया आवंटन एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार होगा तथा उसे स्वच्छ रखा जाएगा।

20. अप्राधिकृत व्यक्ति–(अ) केवल अनुरक्षण तथा मरम्मत करने वाले कर्मचारियों तथा संयंत्र परिचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ही संयंत्र में प्रवेश दिया जाएगा ।

21. चिकीत्सा परीक्षण– (1) चिकित्सा पदाधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का परीक्षण करेगा । वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई कामगार कार्बन डाई राल्फाइड संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहीं निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों और अनुरक्षित किया जाएगा।

उप–अनुसूची 20

मैंगनीज तथा उसके यौगिक का विनिर्माण या उसका प्रहस्तन

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) "मैंगनीज प्रक्रिया" से अभिप्रेत है मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मैंगनीज युक्त किसी मिश्रण के किसी अयस्क का प्रसंस्करण, विनिर्माण या उसका प्रहस्तन

(ख) "प्रथम नियोजन" से अभिप्रेत किसी मैंगनीज प्रक्रिया में प्रथम नियोजन और उसके अन्तर्गत ऐसा पुनर्नियोजन भी आता है, जो किसी मैंगनीज प्रक्रिया में निरन्तर 3 केलेण्डर माह से अधिक कालावधि तक नियोजन में न रहने के बाद का हो

(ग) "प्रहस्तन" से अभिप्रेत है मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मैंगनीज युक्त किसी अयस्क या मिश्रण को मिश्रित करना या सम्मिश्रित करना, भरना, खाली करना, पीसना, छानना, सुखाना, पैक करना, साफ करना, अन्यथा उसका हस्तन करना

(घ) "कार्यक्षय निकास संवातन" से अभिप्रेत है स्थानीय संवातन, जो धूल या धुएं या कुहासे को उसकी उत्पत्ति के स्त्रोत से हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किया गया हो, जिससे कि उसे किसी ऐसे स्थान के वायुमण्डल में निकल जाने से रोका जा सके, जहाँ कि कोई कार्य किया जाता है । कोई भी ऐसा वायु प्रवाह कार्यक्षय नहीं समझा जाएगा, जो धूल या धुएँ या कुहासे को उस स्थान से न हटा सके, जहाँ कि वह उत्पन्न होता है और जो किसी कार्य स्थान में निकल जाने तथा फैल जाने से न रोक सके ।

2. प्रयुक्ति– यह अनुसूची प्रत्येक ऐसे कारखाने को लागू होगी, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई मैंगनीज प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती हो ।

3. छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह संतुष्टि हो जाए कि अपवादिक परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया के कभी कभार होने के कारण से या किसी अन्य कारण से ऐसे कारखाने में नियोजित व्यक्तियों के संरक्षण हेतु इस अनुसूची के समस्त या उनमें से किन्हीं उपबंधों का लागू किया जाना आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में एक आदेश द्वारा, जिसे कि वह अपने स्वविवेक पर प्रतिसंहृत कर सकेगा, ऐसे कारखानों को ऐसी शर्तों या ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, इन समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा ।

4. किसी प्रक्रिया का पृथक्करण– प्रत्येक ऐसी मैंगनीज प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीजयुक्त धूल, वाष्प या कुहासा निर्मित हो सकता है, एक पूर्ण परिवेष्ठित पद्धति से की जाएगी या अन्यथा

उसके ऐसी अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी ढंग से पृथक् रखा जाएगा कि जिसके द्वारा अन्य संयंत्रों तथा प्रक्रियाओं के और कारखानों के किसी अन्य भागों तथा प्रक्रिया के अन्य कार्यों में नियोजित व्यक्ति प्रभावित न हो सके ।

5. प्रक्रिया का संवातन– कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीज युक्त धूल, वाष्प या कुहारा उत्पन्न होता हो, एक ऐसे कार्यक्षय निकास संवातन, जो धूल, वाष्प या कुहासा उत्पन्न होने के यथा व्यवहार्य निकटतम स्थान पर हो, के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

6. चिकित्सा जाँच – (1) हर एक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) वहाँ नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा ।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँचों के अभिलेख एक अलग रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) मैंगनीज की किसी प्रक्रिया में नियोजित कामगार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। ऐसी जाँच में सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फेट, खून और मूत्र में मैंगनीज की खोज हेतु जाँच और श्वसन जाँच अन्य न्यूरोमस्कुलर समन्वय भी शामिल होंगे, किसी भी कामगार को उसके कारखाने में प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की किसी कामगार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा है। वह कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए योग्य नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन

दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए योग्य नहीं मानता। अयोग्य होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–परिच्छेद (6) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अयोग्य पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से ओर अनुरक्षित किया जाएगा।

7. वैयक्तिक रक्षात्मक उपस्कर – (1) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक किसी गैगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए काम करने के समय की उपयुक्त संपूर्ण तथा शिरस्त्राण की व्यवस्था करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और किसी गैगनीज प्रक्रिया में काम करते समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे संपूर्ण तथा शिरस्त्राण पहने जाएगे।

(2) कारखाने का अधिभोगी तथा प्रबंधक उपयुक्त श्वसन संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था धूल, धुएँ तथा कुहासे के प्रश्वसन को रोकने के लिए कामगारों द्वारा आपातकाल में उपयोग करने हेतु करेगा । ऐसे उपस्कर के पूरे सेटों की प्राप्ति संख्या सदैव कार्यस्थल के निकट रखी जाएगी और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखा जाएगा तथा सदैव ऐसी दशा में रखा जाएगा कि जिससे उनका आसानी से उपयोग किया जा सके।

(3) अधिभोगी प्रबंधक समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर के भण्डारकरण हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा और वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की साफ–सफाई करने हेतु तथा उनके अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा ।

8. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोरों से सम्बन्धित प्रतिषेध– किसी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या अल्प वयस्क व्यक्ति को किसी

भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. कार्य कक्षों में भोजन, पेय का प्रतिषेध– किसी भी कामगार को किसी भी ऐसे कार्य कक्ष में, जिसमें कोई मैंगनीज प्रक्रिया की जाती हो, भोजन, पेय, पदार्थ, पान तथा सुपारी या तंबाखू लाने या उनका उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. भोजन कक्ष– किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में मेजों तथा बेंचों और भोजन गर्म करने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी । भोजन कक्ष किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा और उसे स्वच्छ रखा जाएगा ।

11. धुलाई की सुविधाएँ– मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोगों के लिए स्वच्छ और अच्छी स्थिति में एक छप्परदार धुलाई स्थल की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी–

(1) एक चिकनी अभेद्य सतह वाली नांद (ट्रफ) जिसमें डाटरहित कचरा पाइप लगा होगा । नॉद की लंबाई इतनी होगी कि किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. का स्थान रहे और जिसमें अधिक से अधिक 60 से.मी. की दूरी पर लगे नलों या जेट्स से सतत् जलपूर्ति होती हो या किसी भी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन जिसमें एक कचरा पाइप तथा प्लग लगा होगा और जिसमें सतत् जलपूर्ति होती हो, तथा

(2) पर्याप्त मात्रा में साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश तथा साफ तौलिए ।

12. अमानती सामान कक्ष– यदि मुख्य कारखाना निरीक्षक अपेक्षा करे तो मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक अमानती सामान कक्ष की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा, जिसमें कार्य करने के समय के दौरान उतारे गए कपड़े रखे जा सकें और जिसमें कपड़ों को सुखाने की समुचित व्यवस्था हो ।

13. चेतावनी देने वाले फलक तथा अनुदेश– कारखाने के ऐसे प्रमुख स्थानों में निम्नलिखित रूप से तथा नियोजित कामगारों में से अधिकांश काममारों की भाषा में छपी हुई चेतावनी देने वाली सूचनाएँ लगाई जाएंगी, जहाँ से कि उन्हें काममारों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके और प्रबंधक या अधिभोगी द्वारा किसी मैंगनीज प्रक्रिया

में नियोजित समस्त कामगारों को उनके कर्तव्यों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में तथा अपने आपकी सुरक्षा के सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों और तरीकों के बारे में सर्वाधिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । वे सूचनाएं सदैव ही ऐसी स्थिति में रखी जाएगी कि उन्हें पढ़ा जा सके।

चेतावनी सूचना

मैंगनीज तथा मैंगनीज यौगिक

1 – मैंगनीज और उसके यौगिक की धूल, धुआँ तथा कुहासा साँस के अन्दर चले जाने पर या निगल लिए जाने पर विषाक्त हो जाता है ।

2 – फार्म स्थान के निकट भोजन या पानी का उपयोग न करें ।

3 – भोजन करने से पहले अच्छी तरह से नहा लें ।

4 – कार्य क्षेत्र को साफ रखें ।

5 – दिए गए संरक्षा वस्त्रों तथा उपस्करों का उपयोग करें ।

6 – जब ऐसी स्थितियों में कार्य करना अपेक्षित हो, जहाँ कि धूल, धुआँ या कुहासा साँस के साथ अन्दर चला जाना संभव हो तो इस प्रयोजन के लिए दिए गए श्वसन संबंधी संरक्षा उपस्करों का उपयोग करे ।

7 – यदि आप तेज सिरदर्द, दीर्घकालिक अनिद्रा या शरीर में असामान्य संवेदनाओं का अनुभव करें तो उसकी सूचना प्रबंधक को दें, जो आपकी परीक्षा तथा उपचार का इंतजाम करेगा।

उप–अनुसूची 21.

इस अनुसूची का प्रयोग कारखानों में होगा, जिसमें बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थ का निर्माण, नियंत्रण और प्रयोग होता है

1. यह अनुसूची ऐसे कारखानों को लागू होगी, जिनमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना–संभालना या उपयोग होता है ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) "बेन्जीनयुक्त पदार्थ" से अभिप्रेत है वह पदार्थ जिसमें बेन्जीन की मात्रा आयतन में 1 प्रतिशत से अधिक हो

(ख) "प्रतिस्थापक" से अभिप्रेत है, ऐसा रसायन जो अहानिकारक हो या बेन्जीन की अपेक्षाहानिकारक हो और जिसे बेन्जीन के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता हो ।

(ग) "बन्द प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली जो काम करने के कक्ष के वायुमण्डल में बेन्जीन की भाप को विमुक्त नहीं होने देती ।

(घ) "सक्षम निकास प्रवात" से अभिप्रेत है स्थानीकृत संवातन जिसकी व्यवस्था गैसों, भापों तथा धूल या धुएँ को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उन्हें किसी काम करने के कक्ष की वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जाए तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी गैसों, भापों, धुओं या धूल के उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धुएँ को हटाने में असफल रहता है ।

3. प्रतिषेध तथा प्रतिस्थापन–

(क) बेन्जीन और बेन्जीनयुक्त पदार्थों का निम्नलिखित प्रक्रियाओं में उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है–

(i) वार्निश, पेन्ट और थिनर के विनिर्माण मेंय और

(ii) सफाई और डी–ग्रीजिंग कार्यों में ।,

(ख) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग विलायक का तनुकारक के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह प्रक्रिया जिसमें बेन्जीन का उपयोग किया जाता है । बंद प्रणाली में नहीं किया जाए या जब तक कि उसकी प्रक्रिया उस रीति में न की जाए, जो इस प्रकार हो, मानो कि वह प्रक्रिया बंद प्रणाली में की जा रही है ।

(ग) जहाँ उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध हो, वहीं उनका उपयोग बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के स्थान पर किया जाएगा, तथापि यह उपबंध परिशिष्ट "क" में विविनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को लागू नहीं होगा ।

(घ) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता, राज्य सरकार द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए खण्ड 2 (क) में अधिकथित प्रतिशत से तथा उपखंड (ख) के उपबंधों से भी ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे परिसीमित समयों के भीतर, जो कि संबंधित नियोजकों तथा कामगारों से परामर्श करके अवधारित की जाए, अस्थायी रूप से छूट दे सकेगा।

4. अन्तःश्वसन से संरक्षण–

(क) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के उपयोग करने में अन्तर्वलित प्रक्रिया, यथासाध्य, बंद प्रणाली में चलाई जाएगी ।

(ख) जहाँ बन्द प्रणाली में इस प्रक्रिया को चलाना व्यवहार्य न हो, वहाँ कार्य कक्ष को, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग किया जाना है। बेन्जीन की भाप को हटाने के लिए, ताकि काम करने के कक्ष की वायु में उनकी विमुक्ति को निवारित किया जा सके। एक सक्षम निकास प्रवात से या अन्य साधनों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे कि वायु के बेन्जीन की सांद्रता संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग या 80 एम.जी.एम. से अधिक न हो ।

(ग) वायु में बेन्जीन की भाप के सांद्रता का वायु विश्लेषण या भाप उन स्थानों पर जहाँ ऐसी प्रक्रिया, जिनमें बेन्जीन का उपयोग अन्तर्वलित करने वाली प्रक्रिया चलाई जाती हो, प्रत्येक 8 घंटे में या ऐसे मध्यान्तरों में जैसा कि मुख्य निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता निर्देश दे, किया जाएगा तथा ऐसे विश्लेषण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा । यदि वायु विश्लेषण द्वारा माप किए गए अनुसार वायु में बेन्जीन की भाप की सांद्रता की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग में या 80 एम.जी.एम. से अधिक हो जाती है तो प्रबंधक ऐसे सांद्रता की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को ऐसी वृद्धि के कारण अभिलिखित करते हुए तत्काल देगा ।

(घ) ऐसे कामगारों को जिनके कि किन्हीं विशेष कारणों से कार्य कक्ष की वायु में खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकतम बेन्जीन की सांद्रता के संपर्क में आने की संभावना है, श्वासोच्छवास हेतु उचित फेस माहक दिए जाएंगे। ऐसे संपर्क होने की समयावधि जहाँ तक संभव हो, सीमित होगी ।

5. त्वचा संपर्क से बचने के उपाय–

(क) उन कामगारों को, जिनके बेन्जीन द्रव या बेन्जीन युक्त द्रव पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना है, उपयुक्त दास्ताने, एप्रन, जूते और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ बेन्जीन या उसकी भाप से प्रभावित न होने वाली सामग्री से निर्मित भापरोधी रासायनिक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट सुरक्षा परिधान अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ।

6. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं तथा किशोरों के नियोजन सम्बन्धी प्रतिषेध– किसी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोर को काम करने के किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7. लेबल लगाना– प्रत्येक पात्र पर, जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थ हो, शब्द बेन्जीन तथा खतरे के अनुमोदित प्रतीक स्पष्ट दृश्य रूप में अंकित होंगे तथा उस बेन्जीन के मूल तत्व के विषय में जानकारी, उसके विषैलेपन के बारे में चेतावनी तथा इस रसायन की ज्वलनशीलता के बारे में चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी ।

8. बेन्जीन का अनुचित उपयोग–

(क) बेन्जीन या बेन्जीन पदार्थों का उपयोग कामगारों द्वारा उनके हाथ साफ करने के लिए प्रतिबद्ध होगा ।

(ख) ऐसे दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों के प्रति कामगारों को अनुदेश दिए जाएंगे तथा कामगार से, जिसके कि उसके कार्य के समरूप को ध्यान में रखते हुए द्रव बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त द्रव पदार्थों के सम्पर्क में आने की संभावना है, एक लिखित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी कि उसने अनुदेशों का आशय पूर्ण रूप से समझ लिया है।

9. कार्यकक्षों से खाना आदि का उपयोग करने पर निषेध– किसी भी कामगार को उस कार्य कक्ष में, जिनमें बेन्जीन तथा बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना, संभालना या उपयोग किया जाता हो, खाने की या पीने की वस्तु के भंडार करने या उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । काम करने के ऐसे कक्ष में धुआँपान करने या तंबाकू या पान सुपारी खाना पर निषेध होगा ।

10. जोखिम के सम्बन्ध में अनुदेश– प्रत्येक कामगार को उसके प्रथम नियोजन पर बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के मूल तत्व के बारे में, जिसका उसे संव्यवहार करना है तथा उसमें अन्तर्वलित जोखिमों के विषय में पूर्ण रूप से अनुदेश किए जाएंगे, कामगारों को किसी आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे ।

11. चेतावनी सूचनाएँ– चेतावनी सूचनाएँ जो कि परिशिष्ट "ख" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगी तथा बहुसंख्यक कामगारों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी तथा समझी जाने वाली भाषा में

होगी, कार्य कक्षों में उन प्रमुख स्थानों पर जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, संभालना या उपयोग किया जाता है, प्रदर्शित की जाएंगी ।

12. धोने की सुविधाएँ, अमानती समान कक्ष तथा भोजन कक्ष– ऐसे कामगारों में जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, संभालना या उपयोग किया जाता है, अधिभोगी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा तथा उनको स्वच्छ स्थिति में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा ।

(क) धुलाई सम्बन्धी सुविधाएं, जो कि मानक के अनुरूप प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल, जिसमें जल प्रदाय होता हो तथा प्रत्येक कामगार को व्यक्तिगत रूप से साबुन तथा एक स्वच्छ तौलिया दिया जाएगा।

(ख) एक अमानती सामान कक्ष, जिसमें प्रत्येक कामगार के लिए बाहर पहनने के कपड़े तथा काम करते समय पहनने के कपड़े रखने के लिए दो खण्डों वाला एक लॉकर होगा।

(ग) टेबलों तथा बेंचों से सुसज्जित एक भोजन कक्ष, जिसमें भोजन गरम करने का इंतजाम रहेगा, परन्तु जहाँ कामगारों के लिए उनके भोजन लेने हेतु केन्टीन या अन्य उचित इंतजाम विद्यमान हों, वहां भोजन कक्ष की अपेक्षाओं का परित्याग किया जाएगा ।

13. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण – (1) प्रत्येक कारखाने, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा और

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सक को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा ।

(2) उक्त चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा परीक्षण और उपयुक्त जांच के अभिलेख, निरीक्षक को निरीक्षण हेतु सुगमता उपलब्ध अनुरक्षित किए जाएँगे।

(3) परिच्छेद (1) में उल्लिखित प्रक्रियाओं नियोजित प्रत्येक कामगार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में मूत्र में फिनोल का पता लगाने और यूरिनरी सल्फाइडकरण का निर्धारण और सी.एन.एस. और हेमौटोलोजिकल जाँच शामिल होगी। किसी कामगार को उसके प्रथम

नियोजन के 15 दिन के पश्चात् नियोजित नही किया जाएगा। जब तक कि ऐसे नियोजन हेतु उसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चिकित्सा पदाधिकारी की राय हो कि कोई कामगार उक्त प्रक्रिया में और नियोजन हेतु इस आधार पर योग्य नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में की गई उसकी प्रविष्टि में यह भी शामिल होगा कि उक्त प्रक्रिया में वह उक्त व्यक्ति को कितनी अवधि के लिए अयोग्य समझता है । प्रक्रिया से इस प्रकार अयोग्य होने से निलम्बित हुए व्यक्ति को वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उसे पूरी तौर पर असमर्थ घोषित न कर दिया जाए और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6) उप-परिच्छेद (6) मे कथित के अनुसार अयोग्य पाए गए व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजन अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उसे पुनः योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(7) परीक्षण का अभिलेख निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध अनुरक्षित किया जाएगा।

परिशिष्ट-क

खंड 3 (ख),

(1) बेन्जीन का उत्पादन ।

(2) वह प्रक्रिया, जिसमें बेन्जीन का उपयोग रसायन के संश्लेषण हेतु किया जाता है।

(3) मोटर स्प्रीट (जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है) ।

परिशिष्ट-ख

खंड 11,

(क) जोखिम-

(i) बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थ हानिप्रद है ।

(ii) बेन्जीन की भाप को लम्बे समय तक या बारम्बार श्वास के साथ लेने का परिणाम तीव्र, या जीर्ण विमुक्तिकरण होगा ।

(iii) बेन्जीन चमडी के द्वारा भी सोखी जा सकती है, जिससे वर्ग संबंधी तथा अन्य बीमारियाँ हो सकती है।

(ख) किए जाने वाले निवारक उपाय

(i) बेन्जीन भाप को श्वास के साथ जाने से बचाएं ।

(ii) चमड़ी में साथ बेन्जीन का लम्बे समय तक या बारम्बार संस्पर्श से बचें ।

(iii) बेन्जीन सोखे हुए या गीले वस्त्र शीघ्रता से उतार दें ।

(iv) यदि किसी समय आप बेन्जीन की भाप के अत्यधिक संकेन्द्र से उच्छन्न हो जाएं तथा सिर चकराने, श्वास लेने में कठिनाई, अत्यधिक उत्तेजना तथा चेतना विहीन होने जैसे विह तथा लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो अपने कारखाने प्रबन्धक को तुरन्त सूचित करें।

(v) बेन्जीन के सभी पात्रों को बन्द रखें ।

(vi) बेन्जीन तथा बेन्जीन युक्त पदार्थों का उठाना, रखना, उपयोग तथा प्रक्रिया सावधानीपूर्वक करें, ताकि वह फर्श पर गिरकर फैलने न पाए ।

(vii) सामान को व्यवस्थित रूप से रखें ।

(ग) उपयोग किए जाने वाले संरक्षक उपस्कर–

(i) ऐसे स्थान में जहाँ बेंजीन की भाप अत्यधिक संकेन्द्रण में मौजूद हो, श्वसन संरक्षक उपस्कर का उपयोग करें।

(ii) स्वजनित्र ऑक्सीजन माहक या ऑक्सीजन या वायु सिलेण्डर माहक का आपात स्थिति में उपयोग करें ।

(iii) अपनी चमड़ी तथा शरीर के भागों को बेन्जीन के संस्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने, अप्रेन, चश्मे तथा गम बूट पहनें।

(घ) बेन्जीन के तीव्र विषाक्तीकरण की दशा में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के उपाय–

(i) वस्त्रों को यदि वे बेन्जीन से गीले हों तो तुरन्त उतार दें ।

(ii) यदि द्रव बेन्जीन आँखों में चला गया हो तो कम से कम 15 मिनट तक स्वच्छ जल की धारा से आँखों को अच्छी तरह से धोयें और चिकित्सक को तत्काल दिखायें।

(ii) बेन्जीन की भाप से असामान्य रूप से उच्छन्न होने की दशा में किसी चिकित्सक को तुरन्त बुलायें, उनके आने तक निम्नलिखित कार्य करें ।

यदि प्रभावित व्यक्ति होश में हो तो–

(क) उसे खुले स्थान में ताजी हवा में ले जाएं ।

(ख) उसे बिना तकिया के लिटा दे तथा उसे शांत और गर्म रखें ।

यदि प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो तो–

(क) उसका सिर नीचे की ओर रखते हुए बायें करवट से लिटाना अधिक अच्छा होगा।

(ख) कोई नकली दांत, घूसने की मिठाई (च्यींग) तम्बाकू या अन्य बाहरी पदार्थ को जो उसके मुँह में हों, निकाल दें।

(ग) खोखली श्वसन या शरीर पर पड़ने वाले नील (चमड़ी, होंठ, कान, उँगलियों के नाखून की सतह का नीला हो जाना) की दशा में उसे चिकित्सीय ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्साइड का मिश्रण दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वसन दिया जाए ऑक्सीजन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दी जाए ।

उप–अनुसूची 22

स्लेट पेंसिलों का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए–

(क) स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण से अभिप्रेत वर्तुलाकार आरी की सहायता या किसी अन्य साधन से, स्लेट पेन्सिलों के विनिर्माण के लिए पत्थर काटना तथा उसमें उससे आनुषंगिक प्रक्रिया जैसे पत्थर का काटना, धरना तथा उसके टुकड़े करना आरी से काटी गई धारियों पेन्सिलों को अलग करना और पेन्सिलों की गिनाई पैकिंग नोक बनाना तथा छंटाई ।

(ख) 'सक्षम निकास प्रवात' से अभिप्रेत है स्थानीय वृत्त संवातन जिसकी व्यवस्था धूल को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो, ताकि उसे किसी ऐसे स्थान की जहाँ कार्य हो रहा हो, वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जा सके तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी धूल उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धूल को हटाने में असफल रहता है ।

2 (क) आरी की सहायता से पत्थरों को काटने या पत्थर में खांचा बनाने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि काटने वाली या खांचा बनाने वाले उपस्कर से ऐसा एक सक्षम निकास प्रवात जोड़ नहीं दिया जाता, जो धूल उत्पन्न होने के स्थान से धूल को खींच निकालता हो और उसे कार्य के स्थान से बाहर ले जाता हो ।

(ख) जहाँ निकास पंखा तथा काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर अलग–अलग मोटरों से चलाए जाते हों, वहां से मोटर विद्युत से इस प्रकार अन्तर्ग्रन्थित की जाएगी कि जब तक निकास पंखे की मोटर काम न करें, तब तक काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोटर को चालू करना संभव नहीं होगा ।

3. (क) किसी भी महिला या किशोर को पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) पेन्सिलों की पेकिंग पुनः पैकिंग नोक करने तथा छांटने खाँचों को तोड़कर खोलने या वैसे ही अन्य कार्य उसी एक शेड में नहीं किए जाएंगे, जिसमें कि पत्थर काटने या उसमें खाँचा बनाने का कार्य किया जाता हो ।

4. (क) स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में किसी भी कामगार को तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा नहीं ली जाती तथा प्ररूप क्रमांक 43 में उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए ऐसे नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित न कर दिया गया है ।

(ख) तारीख को, जिसको यह अनुसूची प्रवर्तन में आए स्लेट पेंसिल के विनिर्माण में नियोजित कामगार का उक्त तारीख से 3 माह के भीतर किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी ।

(ग) स्लेट पेन्सिल, विनिर्माण में नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपखंड (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित प्रथम परीक्षण के उपरान्त हर एक ऐसे अन्तराल से जो छह माह से अधिक नहीं होगी, चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और हर एक ऐसे अन्तराल से जो चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, रेडियोलोजिकल परीक्षण किया जाएगा ।

(घ) ऐसे कामगार को जो पहले से ही नियोजन में हो तथा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण मे कार्य के लिए तब तक अनुमति नही दी जाएगी, जब तक की उसकी पुनः परीक्षा नहीं की जाती और उसे उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रदान नही दिया जाता ।

(ड.) चिकित्सा पदाधिकारी किसी भी कामगार की विकिरण चिकित्सीय परीक्षा कराने या उसकी नैदानिक, रोग विज्ञान संबंधी अन्यथा परीक्षा आगे और कराई जाने या उसकी विविनिर्दिष्ट चिकित्सा की जाने के लिए निर्देश दे सकेगा तथा अधिभोगी और प्रबन्धक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विविनिर्दिष्ट परीक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था करे और उसके भाग तथा उसे संबंधित समस्त व्यय को वहन करें ।

(च) चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक परीक्षा के पश्चात् प्ररूप क्रमांक 43 मे एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा ।

(छ) प्रबन्धक प्रारूप 28 के समस्त प्रमाण पत्रों की एक उचित सांचिका में बनाए रखेगा तथा समस्त प्रमाण पत्र को निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के समक्ष जब भी मांग की जाए,प्रस्तुत करेगा ।

5. किसी भी कामगार को पत्थर काटने एवं खाँचा बनाने वाली मशीन या किसी अन्य उपस्कर पर जो स्लेट पेंसिल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर से धूल उत्पन्न करती हो, तब तक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह धूल वाष्प (डस्ट माहक) नहीं पहन लेता है ।

उप–अनुसूची–23

खतरनाक कीटनाशकों को कार्य साधन का विनिर्माण

1. प्रयोग – यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भाग को, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों का कार्य साधन या विनिर्माण जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, चलाई जाती हो, के लिए प्रयोग होगी ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) 'खतरनाक कीटनाशक' से अभिप्रेत किसी ऐसे पदार्थ से है, जो किसी कीट के नियंत्रण,नष्ट या विकर्षित करने के लिए या उनकी वृद्धि रोकने या वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तावित हो या जिसका उपयोग किया जाता हो, जिसमें उसके अन्तर्गत उसके फार्मूलेशन, जिन्हें इनसे कीटनाशन अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विषैला माना गया हो और अन्य उत्पाद जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है।

(ख) 'कार्य साधनन' में मिश्रित करना ब्लेंडिंग करना, फार्मलेशन बनाना भरना, खाली करना पैक करना अथवा अन्य प्रकार से कार्य करना सम्मिलित है ।

(ग) 'सक्षम वायु निष्कासक' से अभिप्रेत स्थानीयकृत यांत्रिक संवातन से है, जो धुआँ, गैस, वाष्प, धूल या कोहरे को हटाने के लिए प्रयुक्त हो, ताकि किसी काम के कक्ष, जिसमें कार्य किया जा रहा हो, की हवा में उनका प्रवेश रोका जा सके, किसी वायु निष्कासक को, यदि वह प्रक्रिया के उस बिन्दु पर, जहाँ से ऐसी गैस, धुआँ, धूल, वाष्प या कोहरा उत्पन्न हो, पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहता है तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा । (घ) 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत किसी ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया में, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, प्रथम नियोजन से होगा और उसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगातार तीन कलेण्डर माह से अधिक समय तक नियोजित न रहने के उपरान्त हुआ पुनर्नियोजन भी सम्मिलित होगाय और

(ङ) 'निलम्बन' से अभिप्रेत है किसी प्रक्रिया से, जिसमें कारखाना कीटनाशक का कार्य साधन किया जाता हो, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जो ऐसी प्रक्रियाओं से सभी नियोजित व्यक्तियों को निलंबित करने के लिए सक्षम हो, स्वास्थ्य रजिस्टर में हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र द्वारा नियोजन में से किया गया निलम्बन ।

3. कामगारों को अनुदेश– प्रत्येक काममार को उसके प्रथम नियोजन पर उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में काम लिए जा रहे रसायनों के गुण, जिसमें खतरनाक गुण भी सम्मिलित होंगे तथा उनके अन्तर्निहित खतरों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिए जाएंगे । किसी आपात स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस बारे में भी नियोजितों को अनुदेशित किया जाएगा। ऐसे अनुदेश समयबद्ध रूप से दोहराए जाएंगे ।

4. चेतावनी सूचनाएं और प्लेकार्ड– इस अनुसूची के परिशिष्ट में विविनिर्दिष्ट रूप में और काममारों के बहुमत की भाषा में छापी गई सावधानी सूचनाएँ तथा प्लेकार्ड सभी काम के स्थानों में, जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, प्रदर्शित होंगी, ताकि उन्हें काममारों द्वारा आसानी और सुगमता से पढ़ा जा सके । कारखाने के अधिभोगी और प्रबन्धक द्वारा काममारों को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया से उद्भुत होने वाले स्वास्थ्य के खतरों और बचाव की पद्धति के संबंध में नियतकालिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसी सूचनाओं में काममारों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए नियतकालिक विकिरणीय जाँच की अपेक्षाओं के बारे में अनुदेश सम्मिलित होंगे ।

5. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं और किशोरों के नियोजन से संबंधित निषेध – किसी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को किसी कार्य कक्ष में जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या किसी ऐसे कक्ष में जहाँ खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हो, नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

6. भोजन, पेय और धुआँपान निषेध– (1) किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी काममगार द्वारा कोई खाने का सामान, पेय, तम्बाकू, पान या सुपारी न तो लाई जाएगी न उसका उपयोग किया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे कक्ष में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, धुआँपान प्रतिषिद्ध होगा।

7. बचाव के कपड़े और बचाव उपकरण– (1) लम्बी पतलूनें और कमीजें या लम्बी बाजुओं के संपूर्ण और सिर के आवरण युक्त बचाव के कपड़ों की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी काममारों के लिए की जाएगी।

(2) (क) रबर के दस्ताने, गमबूट, रबर–एप्रन, रसायन सरक्षा चश्मे और स्वशन उपकरण को सम्मिलित करते हुए बचाव उपकरण की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कामगारों के लिए की जाएगी।

(ख) जहाँ कीटनाशक तेलयुक्त हों, वहाँ दस्ताने, बूट, एप्रन संश्लेषित रबर से बने हुए होंगे।

(3) कामगारों को, जिन्हें ऐसे कपड़े व उपकरण प्रदाय किए गए हों, वे इन बचाव के कपड़ों और बचाव उपकरणों को पहनेंगे।

(4) यदि कामगार, निकोटीन या फास्फोरस युक्त कीटनाशक का कार्य करते हों तो कपड़ों व उपकरणों को रोजाना अन्दर और बाहर से धोया जाएगा और यदि अन्य कोई कीटनाशक का प्रबन्धन करते हों तो वे बार–बार धोए जाएंगे ।

(5) बचाव के कपड़े और उपकरणों को अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा ।

8. फर्श और काम की बेन्चें– (1) प्रत्येक कक्ष के, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का कार्य साधन किया जाता हो, फर्श सीमेन्ट या अन्य अभेद्य पदार्थ का चिकनी सतह वाले होंगे।

(2) फर्श अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित और नाली तक जाने वाले पर्याप्त ढलान वाले होंगे और दिन में एक बार होज पाइप से पूरी तरह धोए जाएंगे।

(3) काम की बेंचें, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का कार्य साधन किया जाता हो, चिकनी तथा अशोख पदार्थ प्रमुखतरू स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी और प्रतिदिन कम से कम एक बार साफ की जाएंगी।

9. बिखराव और कचरा– (1) यदि खतरनाक कीटनाशक, उसके कार्य साधन के दौरान काम की बेंच, फर्श या कामगार द्वारा पहने हुए बचाव के कपड़ों पर फैल जाए या बिखर जाए तो ऐसे स्थान या ऐसी वस्तुओं को पूरी तरह अदूषित किए जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक में भीगे या लिपटे हुए कपड़े, चिन्दियाँ, कागज या अन्य पदार्थ उपयुक्त पात्र, जिसमें कसा हुआ ढक्कन हो, में एकत्र किए जाएंगे, संदूषित कचरे को सप्ताह में कम से कम एक बार जलाकर नष्ट किया जाएगा।

(3) जहाँ उपलब्ध हो, उपयुक्त निष्क्रिय कारक अभिकर्ता, जब बिखराव हो तो उसको संभालने के समय उपयोग में लेने हेतु तत्काल पहुंच गम्य स्थान पर रखे जाएंगे ।

(4) संयंत्र से सभी भागों में सफाई, अनुरक्षण और मरम्मत हेतु, पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

10. खतरनाक कीटनाशक के लिए उपयोग किए गए खाली कंटेनर्स– खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में दिए गए कंटेनर समाप्त करने या नष्ट करने से पूर्व उसमें बचे हुए पदार्थ को पूरी तरह साफ और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उपचारित किया जाएगा ।

11. हाथ से कार्य – (1) खतरनाक कीटनाशक का या लम्बे हेंडल वाले स्कूप से किए गए कार्य साधन के अलावा अन्य प्रकार से हाथ से करने की अपेक्षा या अनुमति नहीं होगी।

(2) खतरनाक कीटनाशक के कार्य साधन के दौरान उसके शरीर के किसी भी भाग से सीधे संपर्क से बचा जाएगा ।

12. संवातन–(1) प्रत्येक कार्य कक्ष या क्षेत्र, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का कार्य साधन किया जाता हो, में हर समय ताजी हवा के प्रसार से पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) प्रक्रिया जब तक पूरी तरह से बन्द न हो, खतरनाक कीटनाशक के कार्य साधन के दौरान निम्नलिखित कार्य सक्षम वायु निष्कासक के बिना नहीं किए जाएंगे –

(क) खतरनाक कीटनाशक से भरे पात्र को खाली करना

(ख) खतरनाक कीटनाशक का मिश्रण करना

(ग) खतरनाक कीटनाशक युक्त द्रव या पाउडर तैयार करना और

(घ) खतरनाक कीटनाशक को एक कन्टेनर, टैंक, हॉपर या मशीन या छोटे आकार के कंटेनर में बदलाव या भरना ।

(3) उपरोक्त कार्यों में लगाया हुआ वायु निष्कासन असफल हो जाने पर उक्त कार्यों का किया जाना बन्द कर दिया जाएगा ।

13. धुलाई हेतु अनुगत समय– (1) खतरनामक कीटनाशक के कार्य साधन में लगे हुए हर एक कामगार को भोजन अवकाश और दिन का कार्य समाप्त होन से पहले नियमित विश्राम मध्यान्तर के अतिरिक्त कम से कम 10 मिनट का समय धुलाई हेतु दिया जाएगा।

(2) खतरनाक कीटनाशक के कार्य साधन में लगे हुए हर एक कामगार को कोई भी खाने की वस्तु खाने से पूर्व तथा दिन का कार्य खत्म होने की पूरी तौर से धुलाई करना होगा।

14. धुलाई और स्नान सुविधाएँ– (1) जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, वहाँ सभी कामगारों के उपयोग के लिए साफ हालत और अच्छी मरम्मत से अनुरक्षित पर्याप्त धुलाई और स्नान के स्थान बने होंगे, जिनमें छायादार जगह पर प्रति 5 नियोजित व्यक्तियों के लिए ऐसे स्थान पर उपयोग के लिए निरन्तर जल प्रदाय भी होगा।

(2) धुलाई स्थान पर एक मीटर के अंतर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे ।

(3) धुलाई स्थानों की कुल संख्या के आधे से अधिक में स्नानागार बने होंगे ।

(4) उपर्युक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय किए जाएंगे ।

परन्तु यह कि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि आदेशित किया गया हो तो प्रत्येक कामगार का व्यक्तिगत रूप से ऐसे तौलिए प्रदाय किए जाएंगे ।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखुनों के ब्रश की प्रर्याप्त आपूर्ति की जाएगी ।

15. अमानती सामान कक्ष – कारखाने जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कामगारों के उपयोग के लिए–

(क) काम करने के समय के दौरान कपड़े उतारने के लिए अमानती सामान कक्ष की व्यवस्था, जिसमें यदि कपड़े गीले हों तो कपड़े सुखाने की व्यवस्था होगी, और

(ख) परिच्छेद 7 के अधीन प्रदाय किए गए बचाव के कपड़ों के भण्डारण हेतु उपयुक्त और पृथक व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित किया जाएगा ।

16. भोजन कक्ष– (1) कारखाने जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, में नियोजित सभी कामगारों के, जो विश्राम के मध्यान्तर में वहाँ रुक जाता हों, के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष बनाया व अनुरक्षित किया जाएगा, और जो–

(क) पर्याप्त टेबलों और पीछे टेक सहित बैंच तथा

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन होगा ।

(2) भोजन कक्ष जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखा जाएगा ।

17. कार्य साधन का न किया जाना– किसी कारखाने में कीटनाशक का कार्य साधन या विनिर्माण नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी खतरनाक प्रकृति या अन्यथा होने के संबंध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

18. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण – (1) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार का उसके प्रथम नियोजन के 7 दिन के अन्दर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और किसी कामगार को जब तक कि उसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे

नियोजन हेतु प्रारूप 28 में स्वस्थता प्रमाण–पत्र द्वारा योग्य प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार को 6 कलेण्डर माह में से कम से कम एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(3) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कामगारों के परीक्षण हेतु व्यवस्था के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी से व्यवस्था बाबत सहमति मिलने के उपरान्त संबंधित कामगारों और चिकित्सा पदाधिकारी को उपयुक्त सूचना दी जाएगी ।

(4) प्ररूप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा।

(5) किसी कामगार को नियम्बन पश्चात् स्वास्थ्य रजिस्टर में या उससे संलग्न किए गए चिकित्सा पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना नियोजित नहीं किया जाएगा। काम के लिए अयोग्य होते हुए इस प्रकार प्रक्रिया से नियम्बित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी, जब तक वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6) अधिभोगी कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा जो सप्ताह में एक बार एवं जब भी आवश्यक हो कारखाने के उक्त परिसर में प्रक्रिया पर नियोजित सभी कामगारों का खतरनाक कीटनाशकों के अत्यधिक अवशोषण के प्रभाव के संबंध में परीक्षण एवं चिकित्सा करेगा।

(7) आपात में योग्य चिकित्सक की तत्काल उपलब्धता निश्चित करने के लिए अधिभोगी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(8) अधिभोगी खतरनाक कीटनाशक के अत्यधिक अवशोषण के इलाज के लिए अपेक्षित उपकरणों और प्रति–विष और दवाओं का प्रदात करेगा।

(9) परीक्षण, इलाज और जाँचों के अभिलेख रखे जाएंगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(10) किसी कारखाने में, जहाँ ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, कामगारों के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता विनिर्दिष्ट अन्तराल से उपयुक्त नैदानिक जाँच या जांचों के कराए जाने के लिए आदेशित कर सकेगा, ऐसी जाँच या ऐसी जाँचों के प्रभार अधिभोगी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(11) किसी कारखाने, जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, के प्रत्येक कामगार को निर्धारित परीक्षण, जाँच और इलाज कराना होगा ।

(12) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(13) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की किसी कामगार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा है वह कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए योग्य नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए योग्य नहीं मानता। अयोग्य होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(14) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–परिच्छेद (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अयोग्य पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर देता।

(15) स्वस्थता के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे।

19. छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि उसकी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की न्यून आवृति या किसी अन्य कारण से, जिन्हें वह लिखित में अभिलिखित करे, कारखाने में नियोजित कामगार के बचाव के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे कारखाने को सभी या किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तों

के अधीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, छूट दे सकेगा। ऐसा प्रमाण–पत्र मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा कारणों को अभिलिखित करके किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

परिशिष्ट

चेतावनी सूचना

1. इस संयंत्र से जिन रसायनों का कार्य किया जाता है, वे विषैले हैं ।
2. इस क्षेत्र में धुआँपान, खाने की वस्तु, खाना या पेय पीना, तम्बाखू चबाना प्रतिषिद्ध है। इस क्षेत्र में कोई खाने की वस्तु या पेय नहीं लाया जाएगा ।
3. इन रसायनों में से कुछ रसायन चमड़ी द्वारा सोखे जा सकते हैं और विषैला प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
4. खाना खाने से पहले भली प्रकार धुलाई करें ।
5. पाली समाप्त होने पर अच्छी तरह स्नान करें ।
6. इस क्षेत्र में काम करते हुए प्रदाय किए गए बचाव के कपड़े व उपकरणों का उपयोग करें ।
7. कीटनाशकों के कंटेनर खाने की सामग्री रखने के उपयोग में न लाएं
8. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर या काम की बैंच पर रसायन फैल जाने पर उसे पानी से तत्काल धो दिया जाए ।
9. रसायन फैल जाने से संदूषित कपड़े तत्काल अलग कर दिए जाए ।
10. इस क्षेत्र में सूक्ष्म सफाई रखी जाएगी ।
11. नंगे हाथों से कीटनाशकों का कार्य न करें, हैण्डल वाले स्कूप का उपयोग करें ।
12. जी–मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आने जैसी बीमारी की दशा में प्रबन्धक को सूचना दें, जो इलाज हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगें ।
13. सभी कामगार अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियमित रूप से निर्धारित चिकित्सीय जाँच हेतु रिपोर्ट करें ।

उप–अनुसूची–24

कैंसर जन्य डाय मध्यवर्ती का विनिर्माण या कार्य साधन

1. प्रयोग– यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उसके किसी भाग में प्रयोग होगी, जहाँ कि प्रक्रियाओं में परिच्छेद (3) और (4) में उल्लिखित पदार्थ बनाए, विनिर्मित किए जाते हैं,

उनका कार्य का उपयोग किया जाता है और उन उपदर्शित प्रक्रियाएँ, इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रक्रियाएं' के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ऐसे निर्देश का अभिप्रेत होगा, इस परिच्छेद में वर्णित कोई भी या सभी प्रक्रियाएँ ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) 'नियंत्रित पदार्थ' से अभिप्रेत है इस अनुसूची के परिच्छेद (4) में वर्णित रासायनिक पदार्थ;

(ख) 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत उक्त प्रक्रियाओं में प्रथम नियोजन और ऐसी प्रक्रियाओं में लगातार तीन केलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिए नियोजन समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनर्नियोजन से भी है;

(ग) "सक्षम वायु निष्कासक' से अभिप्रेत किसी स्थान, जहाँ काम किया जाता हो, गैस, वाष्प, धूल या धूएँ के निष्कासन को यांत्रिक साधनों द्वारा प्रभावी स्थानीय कृत्रिम संवातन से है ताकि उस स्थान की वायु के फैलाव को रोका जा सके। वायु निष्कासक को उसी गैस, वाष्प, धूएँ और धूल जहाँ से उत्पन्न हो, वहाँ पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहे तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा; और

(घ) 'प्रतिषिद्ध पदार्थ' से अभिप्रेत इस अनुसूची के परिच्छेद (3) में उल्लिखित रासायनिक पदार्थों से है।

3. प्रतिषिद्ध पदार्थ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 'प्रतिषिद्ध पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत होंगे, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि यह पदार्थ उपस्थित होंगे या रासायनिक प्रतिक्रिया में उपोत्पादक की तरह बनेंगे और उनकी कुल सान्द्रता एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(क) बीटा–नेप्थाइल एमीन और उसके लवण;

(ख) बेन्जेडाइन और उसके लवण;

(ग) 4–अमीनो डाइफिनाइल और उसके लवण;

(घ) 4–नाइट्रोडाइफिनाइल और उसके लवण; तथा

(ङ) इन यौगिकों से युक्त कोई पदार्थ।

4. 'नियंत्रित पदार्थ'– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ 'नियंत्रित पदार्थ' की तरह वर्गीकृत होंगे

(क) अल्फा–नेफ्थाइल एमीन या एक प्रतिशत से अनधिक या बीटानेफ्थाइल एमीन युक्त अल्फानेफ्थाइल एमीन जो कि या तो रासायनिक, प्रतिक्रिया के उप–उत्पादन या अन्य किसी रूप में हो और उसके लवण

(ख) ओथा–टोल्यूडाइन और उसके लवण;

(ग) डाइनिजडाइन और उसके लवण;

(घ) हाई क्लोरो वैन्जिडाइन और उसके लवण;

(ङ) ऑरा माइन और

(च) बुबंक।

5. नियोजन का प्रतिषेध– किसी कारखाने, जिसमें प्रतिषिद्ध पदार्थों को बनाया, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किया जाता हो या उनका कार्य उपयोग किया जाता हो, में किसी कामगार को उक्त प्रक्रियाओं में केवल उसी दशा में के सिवाय जब कि मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ने परिच्छेद (23) के अनुसार छूट प्रदान की गई हो, नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. नियंत्रित पदार्थों के प्रसंस्करण या कार्य करने के लिए अपेक्षाएँ– (1) जहाँ कहीं उपपरिच्छेद (4) में विनिर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ बनाए, विनिर्मित, प्रसंस्कृत किए जाते हों या उनका कार्य या उपयोग किया जाता हो, वहां कामगारों द्वारा जबकि वे उक्त पदार्थ के प्रसंस्करण में और उसके संयंत्र के अन्दर भण्डारण क्षेत्रों के अनुसरण में लगे होने के दौरान उक्त नियंत्रित पदार्थ के श्वासित करने, खाने अथवा शोषित करने से सभी व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे।

(2) जहाँ तक संभव होगा, सभी कार्य पूरी तरह बन्द प्रणाली से किए जाएंगे। जहाँ कहीं ऐसे बन्द आवरण संभव न हों, वहां उस बिन्दु पर, जहाँ से प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित पदार्थ के वायुमंडल में मिलने की संभावना हो, सक्षम वायु निष्कासन प्रयुक्त किया जाएगा ।

(3) नियंत्रित पदार्थ कारखाने में, कस कर बन्द किए गए कंटेनरों में ही प्राप्त किए जाएंगे और केवल जब यह पदार्थ प्रक्रिया या उपभोग में हों, के अलावा वैसे ही रखे जाएंगे। नियंत्रित पदार्थ कारखाने से उपयुक्त प्रकार के कस कर बन्द किए गए कंटेनरों में ही भेजे जाएंगे। सभी कंटेनरों पर उसके अन्तर्गत वस्तु के बारे में बताते हुए स्पष्ट लेबल लगे होंगे।

7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण–(1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कामगार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और वे उन्हें दी जाएंगी–

(क) लम्बे पतलून और पूरी बाह की कमीजें या संपूर्ण और शिरस्त्राण, कमीजें या ओवरोल से गरदन को पूरी तौर से ढंका जाएगा ।

(ख) रबर के गम बूट ।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में जब सामान्य कार्य या आपातकाल के अवसर पर कार्य के दौरान बोट का खतरा हो तो उनमें नियोजित कामगारों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदाय की जाएंगी–

(क) हाथ के रबर के दस्ताने;

(ख) रबर एप्रन; और

(ग) एअर–लाइन–श्वसन उपकरण या अन्य उपयुक्त श्वसन सुरक्षा उपकरण।

(3) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सभी वस्तुओं को साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित करना प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी ।

8. गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं और किशोरों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध– किसी कक्ष में जिसमें उक्त प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, किसी गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं या किशोरों को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी।

9. कार्य कक्ष के फर्श– हर एक कक्ष, जिसमें उक्त प्रक्रिया चलाई जाती हो, के फर्श–

(क) चिकने और जल–अभेद्य होंगे, परन्तु यह कि फर्श निर्माण में एस्फाल्ट या कोलतार का उपयोग नहीं होगा;

(ख) अच्छी मरम्मत की हालत में अनुरक्षित होंगे;

(ग) आसानी से सफाई के लिए उपयुक्त ढलान युक्त और नालीयुक्त होंगे, और

(घ) प्रतिदिन धोए जाएँगे और धुलाई का पानी बन्द नाली में से सीवर में जाएगा ।

10. खाली कन्टेनरों का निर्वतन – नियंत्रित पदार्थों को रखने के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनरों के त्यक्त किए जाने के पूर्व उसकी अन्तर्वस्तुओं की पूरे तौर पर सफाई की जाएगी और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उनका उपचार किया जाएगा ।

11. हाथ से कार्य – नियंत्रित पदार्थों को केवल दस्तेयुक्त करछुल या बेलचे के साधन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से मिश्रित करने, भरने, खाली करने, कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे करछुल को रोजाना पूरी तरह से साफ किया जाएगा ।

12. जोखिम के संबंध में अनुदेश – प्रत्येक कामगार को उक्त प्रक्रिया में प्रथम नियोजन पर उन विषैले पदार्थों, जिनसे कि उसके आरक्षित रहने की संभावना हो, के गुणों, उसमें अंतर्निहित खतरों तथा बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिये जायेंगे। कामगारों को आपात स्थिति से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में भी अनुदेश दिये जायेंगे।

13. चेतावनी – इस अनुसूची से संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्रारूप में और उक्त प्रक्रिया में नियोजित बहुतायत कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपवाकर कारखाने में प्रमुख स्थानों में, जहाँ यह पट्ट असानी से देखे और सुगमता से पढ़े जा सके, पर चेतावनी पट्टे लगाए जायेंगे। ऐसे सभी कामगारों को चेतावनी पट्ट में निहित पूर्वावधानियों के बारे में समय–समय पर अनुदेश देने की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा की जाएगी।

14. कामगारो के कर्तव्य– यह नियोजित कामगारों का कर्तव्य होगा कि वे स्वयं को मूत्र के एक्साफोलिवेटीव साईटोलॉजी की जाँच सहित अन्य परीक्षणों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी अथवा योग्य चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत रखें।

15. धुलाई और स्नान सुविधाएँ – (1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगारों के उपयोग के लिए निम्नलिखित धुलाई और स्थान की सुविधाएँ प्रदाय की जाएंगी और उन्हें साफ हालत और अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखा जाएगा –

(क) ऐसे कामगारों के लिए प्रति 5 कामगारों के लिए कम से कम एक स्टैंड पाईप और निरंतर जल प्रदाय युक्त छायादार धुलाई स्थान उपलब्ध होगा। साथ में ही वहां साफ तौलिए, साबुन, नाखुन साफ करने के ब्रश का प्रदाय होगा।

(ख) खंड (क) कें अधीन प्रदाय स्टैंड पाईपों में से 50 प्रतिशत स्नानगारों में होंगे, जहाँ कारखाने के कार्य अवधि के दौरान और उसके 1 घंटे बाद तक गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) धुलाई और स्नान सुविधाएँ, उक्त प्रक्रियाएँ जहाँ स्थित हो, उस क्षेत्र के समीप ही होंगी।

(घ) हर एक कामगार को व्यक्तिगत तौर पर साफ तौलिए प्रदाय होंगे, और

(ङ) खंड (क) उल्लिखित टोंटियों के अतिरिक्त प्रत्येक तल पर एक स्टैंड होगा, जिसमें गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) कारखाने की वर्दियों और अन्य कार्य कक्ष की प्रत्येक दिन धुलाई किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

16. कार्य कक्ष में खाद्य, पेय आदि का प्रतिषेध – ऐसे किसी भी कक्ष में, जहाँ उक्त प्रक्रिया चलाई जाती है, कोई भी कामगार खाद्य वस्तु, पेय, पान सुपारी या तंबाकू का उपयोग नही करेगा या धुआँपान नही करेगा और कोई भी कामगार खाने या विश्राम के अंतरालों में ऐसे कक्ष में नही रहेगा।

17. अमानती सामान घर – उक्त प्रक्रिया में नियोजित कामगारों के उपयोग के लिए साफ और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित –

(क) अमानती सामान घर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक बाहर के कपड़ों के लिए और दूसरे काम के कपड़ों के लिए, ऐसे दो खानों में लॉकर होंगे; और

(ख) लॉकर रुम और भोजन कक्ष से अलग एक ऐसे स्थान की व्यवस्था होगी, जहाँ प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों का भंडार किया जा सकेगा और ये स्थान किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखे जाएंगे।

18. भोजन कक्ष – उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित कामगारों के, जो भोजन के मध्यावकाश के दौरान कारखाने प्रक्षेत्र में ही रह जाते हो, उपयोग के लिए एक भोजन कक्ष बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा, टेबिलों और बेन्चों से सज्जित तथा भोजन गर्म करने की उपयुक्त साधन युक्त होगा।

19. धुलाई हेतु अनुगत समय – उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार को स्नान के लिए प्रत्येक पाली समाप्त होने से पूर्व 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हर एक भोजनावकाश के पहले धुलाई के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

20. नियोजित व्यक्तियों की आयु पर प्रतिबंध – 40 वर्ष से कम आयु के किसी कामगार को उक्त प्रक्रियाओं में इस अनुसूची के कारखाने को लागू होने के दिनांक के पश्चात् प्रथम बार नियोजित नहीं किया जाएगा।

21. चिकित्सक परीक्षण – (1) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कामगार का, उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन के अन्दर चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

ऐसे परीक्षण में, ऐसी जॉच, जिन्हें चिकित्सा पदाधिकारी उपयुक्त समझे, शामिल होंगी और मूत्र की एक्साफोलिएटिव साइटोलाजी सम्मिलित होंगी, किसी भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन पश्चात् कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक की चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए उसे योग्य प्रमाणित न कर दिया जाए।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कामगार का 6 कलेण्डर माह में कम से कम एक बार चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण मे ऐसी जॉच सम्मिलित होगी, जिन्हें चिकित्सा पदाधिकारी उपयुक्त समझे, लेकिन मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी उसमें अवश्य सम्मिलित होगी।

(3) चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उप–परिच्छेद (1) के अधीन चिकित्सा परीक्षण किए गए व्यक्ति को प्रारुप 28 में स्वस्थता का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा और उप–परिच्छेद (2) के अधीन किए गए पुनः परीक्षण के अभिलेख उसमें अंकित किए जाएंगे, प्रमाण–पत्र कारखाने के प्रबन्धक की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। उप–परिच्छेद (1) और (2) मे विनिर्दिष्ट किए गए एक परीक्षण के अभिलेख, जिसमें जॉच की प्रकृति व परिणाम भी सम्मिलित होंगे, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रारुप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित किए जाएंगे।

(4) स्वस्थता का प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर, निरीक्षक के निरीक्षण हेतु सुगमता से उपलब्ध होंगे, रखे जाएंगे।

(5) प्रत्येक कारखाने का अधिभागी जिसमें उक्त प्रक्रियाएँ चल रही हों ऐसी प्रक्रियसा मे नियोजित कामगारों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक रखेगा। उसकी नियुक्ति मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के अनुमोदन के अधीन होगी। अधिभोगी उप परिवछेद (1) में संदर्भित प्रयोजनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(6) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(7) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति विद्युत अपघटन क्रियाओं में और आगे नियोजन हेतु इस आधार पर योग्य नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसके स्वास्थय को हानि होगी तो वह अपने निष्कर्षों को उक्त प्रमाण–पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों मे उसके निष्कर्षों को प्रविष्टि में उस अवधि का उल्लेख भी शामिल होगा, जिसके लिए वह उस व्यक्ति को

यथास्थिति उक्त प्रक्रिया में या किसी भी कार्य में काम करने के लिए अयोग्य मानता है। कार्य के लिए अयोग्य होने के कारण इस प्रकार निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक स्थापना सुविधा दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(8) किसी व्यक्ति को जिसे उप–परिच्छेद (6) में उल्लेखानुसार अयोग्य पाया गया हो, उसे पुनर्नियोजन अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् नियोजन के लिए पुनः योग्य प्रमाणित न किया गया हो।

(9) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु सुगमता से तथा अनुरक्षित किये जाएँगे।

22. छूट–प्रतिषिद्ध पदार्थ – (1) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र द्वारा (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) किसी प्रक्रिया, जिसके दौरान प्रतिषिद्ध पदार्थ के बनाने, प्रसंस्कृत करने, विनिर्मित करने उसका कार्य या उपयोग किया जाता हो, को परिच्छेद (5) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, छूट दे सकेगा। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रक्रिया पूरे तौर पर बन्द और अवात रूप में बंद प्रणाली से इस प्रकार की जाती है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण हेतु अपेक्षित है या जैसी उत्पाद को किसी भी प्रतिषिद्ध पदार्थ से रहित बनाने के लिए आवश्यक हो, से अनधिक मात्रा में नहीं निकाला जाता।

(2) मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण का या उपयोग की अनुमति दे सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी तरह बन्द प्रणाली से इस प्रकार की जाती हों कि केवल बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड को छोड़कर अन्य कार्य प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा में, जितनी प्रक्रिया के नियंत्रण के प्रयोजन जैसी कि उत्पादन की प्रतिषिद्ध पदार्थ रहित बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, अनधिक नहीं निकाली जाए और बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड जब कि पूर्ण बन्द प्रणाली में न हो, को छोड़कर, को सभी समय दो भाग बेन्जेडाइन हायड्रोक्लोराइड को एक भाग पानी से कम न हो, इस अनुपात में गीला कर रखा जाए ।

23. छूट सामान्य– यदि किसी कारखाने के संबंध में अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में या प्रक्रिया की न्यून आवृत्ति या अन्य किसी कारण से मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कामगारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक लिखित प्रमाण– पत्र (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) ऐसे कारखाने को सभी या ऐसी किसी भी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, छूट प्रदान कर सकेगा।

उप–अनुसूची–25

उच्च शोर स्तर अन्तर्निहित करने वाले कार्य

1. प्रयोग – यह अनुसूची किसी भी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सभी कार्यों, जिसमें उच्च शोर स्तर हो, को लागू होगी।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) 'शोर' से अभिप्रेत अनचाही ध्वनियों से है;

(ख) "उच्च शोर स्तर' से अभिप्रेत ए–वेटेड स्केल पर मापे गए शोर स्तर से है, जो 90 से अधिक हो;

(ग) 'डेसीबेल' से अभिप्रेत बेल के दसवें भाग से है, जो कि विनिर्दिष्ट या वास्तविक संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए लोगरेथिम पैमाने का मूल भाग है, बेल संख्या इस अनुपात के 10 के आधार पर लोगरेथिम को व्यक्त करती है। शोर का स्तर (या ध्वनि के दबाव का स्तर 20 x 10–6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 0.0002 डायन प्रति वर्ग सेन्टीमीटर, जो कि सुनने की दहलीज अर्थात औसतन स्वस्थ सुनने वाले को सुनाई देने के लिये ध्वनि का आवश्यक न्यूनतम स्तर है, के समतुल्य है, डेसीमल का संक्षेप रुप डीबी है;

(घ) 'आवृत्ति' से अभिप्रेत दाब परिवर्तन की दर से है, जो सायकल प्रति सेकेंड या हर्टज में व्यक्त की जाती है;

(ङ) 'डीबीए' डेसीबेल में ध्वनि स्तर को व्यक्त करता है, जो धीमी गति से चलित मीटर प्रतिक्रिया के साथ ए–वेटिंग नेटवर्क पर एक मीटर ऑपरेटिंग ध्वनिस्तर पर मापी गयी हो;

(ब) 'ए' से अभिप्रेत शोर मापने के प्रयोजन के लिए विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि की तीव्रता के लिए किए गए क्रमिक संशोधन से है, ताकि एक यंत्र द्वारा मापी गई ध्वनि के दबाव का स्तर मनुष्य के कान द्वारा वास्तविक रूप से अनुभव की गई ध्वनि के अनुसार ही माप को प्रकट करें ।

3. शोर से बचाव– (1) प्रत्येक कारखाने में उपयुक्त अभियांत्रिकी नियंत्रण या प्रशासकीय उपाय यह सुनिश्चित करने हेतु किए जाएंगे कि जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहारिक हो कोई भी कामगार नीचे तालिका (1) और (2) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय शोर के अनावरण स्तर से अधिक के ध्वनि स्तर से आरक्षित न हो–

तालिका – 1

निरन्तर शोर की स्थिति में अनुज्ञेय अनावरण

अनावरण का कुल समय (निरंतर या लघु अनावरण अवधियों में प्रतिदिन घंटों में	ध्वनि का दबाव स्तर डीबीए में
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115
8	90

नोट – (1) 115 डी.बी.ए. से अधिक किसी भी अनावरण की अनुमति नहीं होगी ।

(2) किसी अंक और उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि तालिका के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाले किन्ही अनावरण अवधि के लिए ध्वनि के अनुज्ञेय दबाव का स्तर अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ) द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

तालिका–2

आवेगपूर्ण या प्रभावशाली शोर के लिए अनुज्ञेय अनावरण स्तर

उच्चतम ध्वनि का दबाव स्तर की डीबी में	अनुज्ञेय झटकों या आघातों की संख्या प्रतिदिन
140	100
135	315
130	1000
125	3160
120	10000

नोट– (1) 140 डी.बी. उच्चतम ध्वनि स्तर से अधिक पर अनावरण की अनुमति नहीं होगी।

(2) किसी अंक और उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि तालिका के कॉलम (1) में इंगित है, के बीच में आने वाली उच्चतम ध्वनि दाब स्तर के लिए अनुज्ञेय प्रति दिवस आघातों की संख्या आनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ से) द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए यदि ध्वनि स्तर में परिवर्तन एक सेकण्ड या कम के अन्तराल में अधिकतम अन्तर्निहित हो तो उक्त शोर को निरन्तर शोर माना जाएगा और तालिका–1 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा । अन्य स्थितियों में शोर को झटके का या आघातजन्य शोर मानते हुए तालिका– 2 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा ।

(3) जब दैनिक शोर अनावरण में विभिन्न स्तरों की शोर अनावरण की दो या अधिक अवधि शामिल हो तो उनके अकेले अलग प्रभाव के बजाए सम्मिलित प्रभाव का आकलन करना होगा। यदि निम्न सूत्र का योग इकाई से अधिक हो तो संयुक्त प्रभाव की सीमा से अधिक माना जाना चाहिए ।

$$\frac{C^1\ C^2\ C^N}{T^1\ T^2\ T^N} \quad \text{exceeds unity,-}$$

यहां सी1, सी2 आदि एक विनिर्दिष्ट शोर के स्तर पर अनावरण के वास्तविक कुल समय को व्यक्त करते हैं और टी1– टी2, आदि उक्त स्तर पर अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण समय को व्यक्त करते हैं । उपरोक्त संगणना में 90 डीबीए से कम स्तर के शोर अनावरण को छोड़ा जा सकता है ।

(4) जहाँ उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट शोर अनावरण स्तर को उपयुक्त व्यवहारिक अभियांत्रिकीय नियंत्रण या प्रशासकीय उपायों द्वारा कम करना संभव न हो, वहां जहाँ तक संभव हो वहां तक ऐसे उपायों द्वारा शोर अनावरण कम किया जाएगा और प्रत्येक अनावृत्त काममार को उपयुक्त कान रक्षक प्रदाय किए जाएँगे, ताकि उसका शोर से अनावरण उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट स्तर तक कम किया जा सके ।

(5) जहाँ उप–परिच्छेद (4) के अनुसार प्रदाय किए गए कान रक्षक, काममार द्वारा उसे पहनने पर भी उसके कानों तक पहुंचने वाले शोर को, जैसा कि डीबीए में उक्त इअर प्रोटेक्टर के संबंध में कम करके नियत किया जाये । तालिका 1 और 2, जैसी भी स्थिति हो के अधीन अनुज्ञेय स्तर तक कम न किया जा सके तो शोर अनावरण अवधि संबंधित उप–परिच्छेद (1) मे विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अनावरण तक उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी ।

4. चिकित्सा परीक्षण – (1) चिकित्सा पदाधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक काममार का परीक्षण करेगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई काममार वाली पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर योग्य नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण–पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अयोग्य है ।

(3) इस प्रकार के अवसरों में घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा पदाधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति अयोग्य पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए योग्य प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(5) परीक्षणों के अभिलेख निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध किए और अनुरक्षित किए जाएँगे ।

उप–अनुसूची–26

विस्कस प्रक्रिया द्वारा रेयन (कृत्रिम रेशम) का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) 'अनुमोदित' से अभिप्रेत मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित में अनुमोदित से है

(ख) 'श्वसन उपकरण' से अभिप्रेत एक शिरस्त्राण या मुखौटा, जिसमें आवश्यक संयोजन हो और जिसकी सहायता से उसका विषैले दम घोंटू अथवा असहनीय वातावरण में उपयोग करने वाला व्यक्ति अदूषित हवा स्वासित कर सके या कोई अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ग) 'चर्न' से अभिप्रेत उस पात्र से है, जिसमें क्षारीय सैल्यूलोज पल्प कार्बन–डाइ–सल्फाइड से उपचारित किया जाए;

(घ) 'डम्पिंग' से अभिप्रेत सूखे चर्न से सैल्यूलोज जैन्थेट जिडाल्वर (घोलक) में स्थानान्तरण से है।

(ङ) 'सक्षम वायु निष्कासक' से अभिप्रेत किसी गैस अथवा वाष्प को हटाने के लिए यांत्रिकीय साधनों द्वारा सीमित संवातन से है, ताकि वह किसी ऐसे स्थान में, जहाँ कामकिया जाता हो, की हवा में उनका निसृत होना रोका जा सके । किसी वायु निष्कासक को यदि वह उस बिन्दु पर, जहाँ ऐसी गैस या धुआँ उत्पन्न होती हो, वहाँ से पैदा हुई गैस या धुआँ को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असफल हो तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा;

(च) 'धुआँ प्रक्रिया' से अभिप्रेत किसी ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड या डायड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या विसर्जन होता है।

(छ) 'लाइफ बैल्ट' से अभिप्रेत है चमड़े या अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने बेल्ट से, जिसे कि शरीर के चारों और सुरक्षापूर्वक कसा जा सके और जिसमें उपयुक्त लंबाई की

रस्सी जुड़ी हुई हो और जिनमें हर एक पर्याप्त रूप से मजबूत हो, ताकि वह मनुष्य का वजन झेल सके।

(ज) 'सुरक्षा उपकरण' से अभिप्रेत उपयुक्त पदार्थ के बने एप्रन, चश्मे, मुखौटे, आवरण (शील्ड) जूते, दास्ताने और संपूर्ण से है।

2. संवातन– (1) सभी कक्षों में, जहाँ धुआँ प्रक्रिया की जाती हो, प्राकृतिक या यांत्रिक साधन से पर्याप्त संवातन होगा, ताकि अन्य नियंत्रणकारी साधनों के साथ–साथ हर एक कार्य के वातावरण को वायु में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता अनुज्ञेय सीमा के अन्दर नियंत्रित की जा सके।

(2) उप–परिच्छेद (1) की अपेक्षाओं के होते हुए भी निम्नलिखित जगहों पर हवा में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक लगाये और अनुरक्षित किए जाएंगे–

(क) सूखे चर्न के डम्पिंग हौपर,

(ख) रिपनिंग मशीनें,

(ग) स्टेपल फायबर रिपनिंग में प्रयुक्त ट्रायो–रोलर और कटर,

(घ) यार्न कैक के लिए हायड्रो एक्सट्रक्टर्स,

(ङ) उपचार के बाद प्रक्रियाएं, और

(च) रिपन बाथ।

(3) स्टेपल फायबर रिपनिंग में प्रयुक्त ट्रायो रोलर्स और कर्ट्स का जहाँ तक संबंध है, उप–परिच्छेद (1) में आवश्यकतानुसार लगाए गए वायु निष्कासक की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें जहाँ तक व्यवहार्य हो पूरी तरह चारों ओर से बन्द कराया जाएगा और विभिन्न हिस्सों उपयुक्त शर्ट्स होंगे, ताकि कार्य के वातावरण में निःसृत कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की मात्रा में बगैर अनावश्यक वृद्धि किए अपेक्षित कार्य किए जाते रहे है।

(4) किसी सूखे चर्न की उसकी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद पहले अवशेष कार्बन–डाय–सल्फाइड की वाष्प को, वाष्प निष्कासन की सक्षम व उपयुक्त व्यवस्था चालू कर निष्कासित किए बगैर नहीं खोला जाएगा और उक्त व्यवस्था जब तक चर्न खुला होगा, जब तक निरन्तर चालू रहेगी ।

(5) जब कभी उप–परिच्छेद(2), (3) और (4) की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए सामान्यतः अपेक्षित संवातन उपकरण अप्रभावी असफल हो जाए या किसी भी प्रयोजन के लिए बन्द किए जायें तो उन कार्य क्षेत्रों में जहाँ उल्लिखित उप–परिच्छेद में विविनिर्दिष्ट उपकरण या प्रक्रियाएँ उपयोग में हो, वहाँ से जितना शीघ्र संभव हो और किसी भी स्थिति में ऐसी घटना होने पर 15 मिनट के अन्दर ही सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे उक्त स्थान छोड़ दें ।

(6) (i) उप–परिच्छेद (2), (3) और (4) में अपेक्षित प्रयोजनों के लिए लगाई गई सभी संवातन प्रणाली का जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार परीक्षण तथा जाँच की जाएगी। सक्षम व्यक्ति द्वारा हर एक 12 महीने की अवधि के दौरान एक बार उनका पूरी तौर पर परीक्षण और जाँच की जायेगी। ऐसे परीक्षण और जाँच में किसी प्रकार के दोष पाने पर उन्हें तत्काल सुधारा जाएगा ।

(ii) ऐसे परीक्षण और जाँच के विवरण और प्रणाली की हालत और आवश्यक पाये गये परिवर्तनों की मरम्मत, (यदि कोई हो,) का विवरणयुक्त एक रजिस्टर रखा जाएगा और जो निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

3. स्पिनिंग मशीनों से अपशिष्ट–स्पिनिंग मशीनों से निकले बेकार सूत को कसे हुए बन्द ढक्कनयुक्त उपयुक्त कन्टेनरों में इकट्ठा किया जाएगा। ऐसे अपशिष्ट को अदूषित करने के बाद जितना शीघ्र संभव होगा खत्म कर दिया जाएगा।

4. सूखे चर्न की परत– सभी सूखे चर्न की अन्दरूनी सतह पर न चिपकने वाले पेंट की परत चढ़ाई जाएगी, ताकि सैल्यूलोज जैन्थेट चर्न की सतह पर न चिपके ऐसी सतह अच्छी दशा में अनुरक्षित की जाएगी ।

5. वायु निगरानी – (1) नियंत्रक साधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार हर एक पाली में वायु में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की निगरानी किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त परिणामों को इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए रजिस्टर में अंकित किया जाएगा ।

(2) उप–परिच्छेद (1) की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए तात्कालिक गैस डिटेक्टर ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाएगा । दस मिनट से कम न होने की अवधि में हवा का सैम्पल इकट्ठा किया जाएगा और अनुमोदित पद्धति से उसका विश्लेषण किया जाएगा । वे

स्थान जहाँ ऐसी निगरानी किया जाना है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा निदेशित किए जाएंगे ।

(3) यदि कार्बन–डाय–सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता वाष्प या गैस के लिए अनुज्ञेय सीमा जैसा नियम निर्धारित है, से अधिक होती है तो हवा में ऐसे प्रदूषण की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाएँगे । ऐसी किसी घटना की सूचना मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को तत्काल दी जाएगी।

6. धुआँ प्रक्रिया के कक्ष में रुकने पर प्रतिषेध – कोई भी व्यक्ति भोजनावकाश या विश्राम के मध्यान्तर के दौरान में किसी कक्ष में, जहाँ धुआँ प्रक्रिया चलती हो, नहीं रुकेगी ।

7. किशोर व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध– किसी धुआँ प्रक्रिया या किसी कक्ष में जहाँ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी किशोर व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

8. सुरक्षा उपकरण– (1) नीचे तालिका में विविनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिभोगी सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी दशा में अनुरक्षित रखेगा ।

तालिका

	प्रक्रिया	बचाव उपकरण
	(1)	(2)
1.	डपिंग	संपूर्ण, मुखोटा, दास्ताने, जूते (सभी उपयुक्त पदार्थ के बने हुए)
2.	रिपनिंग	उपयुक्त एप्रन, दस्ताने और जूते
3.	प्रक्रियाएँ जिनमें विस्कस घोल से संपर्क होता है या संपर्क होने की संभावना है ।	उपयुक्त दस्ताने और जूते
4.	सल्फर उपयुक्त रासायनिक वश्में को संभालना	
5.	कोई अन्य प्रक्रिया, जिसमें खतरनाक से संपर्क शामिल है, निरीक्षक के लिखित आदेश द्वारा सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में निदेर्शित	

(2) कामगारों को प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए विशेष तौर पर पृथक कमरा, कक्ष या लाकर्स होंगे और ऐसे उपकरण इस प्रकार बनाए गए कक्ष या लाकर्स के अलावा अन्य दूसरे स्थान पर भण्डारित नहीं किए जाएंगे ।

9. साँस लेने के उपकरण–(1) हर एक कारखाने में, जहाँ धुआँ प्रक्रियाएं चलती है, पर्याप्त रूप से–

(क) श्वसन उपकरण

(ख) आक्सीजन और उसके इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपकरण और

(ग) लाइफ बैल्ट का प्रदाय किया जाएगा ।

(2) (i) उप–परिच्छेद (1) में विनिर्दिष्ट श्वसन उपकरण और अन्य उपकरण अच्छी दशा में सुरक्षित होंगे और उपयुक्त स्थानों पर रखे जाएँगे, ताकि वे सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

(ii) उप–परिच्छेद (1) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट श्वसन उपकरण और अन्य उपकरण उपयुक्त मध्यांतर से साफ और अदूषित किए जावेंगे और हर एक माह में किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा एक बार उनका पूरी तौर पर निरीक्षण किया जाएगा ।

(iii) उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट श्वसन उपकरण और अन्य उपकरणों की अनुरक्षण और दशा में उल्लेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अंकित किए जावेंगे, जो निरीक्षक–' को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा ।

(3) श्वसन उपकरण का उपयोग करने और कृत्रिम साँस दिए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में कामगारों को प्रशिक्षित और समयबद्ध रूप से पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि इस प्रकार प्रशिक्षित कम से कम दो
व्यक्ति सभी कार्य की अवधि के दौरान हर एक कक्ष में जहाँ धुआँ प्रक्रिया चलती हो, उपलब्ध हों ।

(4) श्वसन उपकरण को उपयुक्त लेबल लगाकर साफ, सूखे और हलके खोल में रखा जाएगा और यदि उसके धुआँ से प्रभावित होने की संभावना हो तो उपयुक्त कन्टेनर में रखकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा ।

(5) उप–परिच्छेद (1) में विविनिर्दिष्ट किसी कार्य, जिसके लिए श्वसन उपकरण उक्त परिच्छेद के अधीन प्रदाय किया जाना आवश्यक हो, करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के पूरी तरह अनुदेश न दे दिए गए हों ।

(6) उप–परिच्छेद (1) के अनुसरण में प्रदाय किया गया कोई श्वसन उपकरण जो एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका है, दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जावेगा, जब तक कि आखिरी पहने जाने के बाद उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न कर दिया गया हो और उस व्यक्ति को उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के बारे में समुचित अनुदेश न दे दिए गए हों।

10. विद्युत फिटिंग– किसी ऐसे कक्ष जसमें कार्बन–डाय–सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या उत्सर्जित या रिपनिंग रूम के अलावा कार्य के वातावरण में उसके उत्सर्जित हो जाने की संभावना हो, में सभी विद्युत फिटिंग फ्लेम प्रूफ संरचना की होगी और सभी विद्युत संवाहक या तो धातु के कन्डयूट या सीसा मढ़े हुए होंगे ।

11. धुआँपान के संबंध में प्रतिषेध आदि–किसी ऐसे कक्ष, जिसमें धुआँ प्रक्रिया चलाई जाती हो, में कोई भी व्यक्ति धुआँपान नहीं करेगा । माचिस, आग या अनावृति रोशनी या चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य साधन नहीं ले जाएगा । बहुतायत कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संयंत्र में धुआँपान करना और माचिस, आग या अनावृत रोशनी अथवा अनावृत रोशनियाँ, चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य कोई साधन ऐसे कमरों में ले जाना, प्रतिषिद्ध करने की सूचना संयंत्र में के मुख्य–मुख्य स्थानों पर चिपकाई जाएँगी :

परन्तु यह कि आग, अनावृत रोशनी या अनावृत्त चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन जब प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों तो वे जिम्मेदार व्यक्ति के निर्देशानुसार ऐसे कमरों में ले जाए जा सकेंगे।

12. धुलाई और स्नान सुविधाएँ– (1) इस अनुसूची के दायरे में आने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कामगारों के उपयोग के लिए पर्याप्त धुलाई और स्नान करने के स्थान, जो हर एक 25 नियोजित व्यक्ति के लिए एक की दर से होंगे, छायादार स्थान में निरन्तर जल प्रदाय युक्त रूप में उपलब्ध होंगे तथा वे साफ हालत और अच्छी दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे

(2) धुलाई स्थान पर एक मीटर से अनधिक दूरी के अन्तराल पर स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) धुलाई स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थानों पर स्नानागार होंगे।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय होंगे ।

परन्तु यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा यदि ऐसा आदेश दिया जाए कि हर एक कामगार को व्यक्तिगत रूप से तौलिए दिए जाएं तो तदनुसार ऐसे तौलिए प्रदान किए जाएंगे ।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश प्रदाय होंगे ।

13. विश्राम गृह– (1) फिलामैंट यार्न स्पिनिंग प्रक्रिया के डम्पिंग कार्यों में लगाए गए कामगारों के लिए विश्राम कक्ष प्रदाय होंगे ।

(2) ऐसे विश्राम कक्ष में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी और स्वच्छ हवा प्रदाय होगी ।

14. सावधानी सूचनाएँ और अनुदेश– (1) निम्नलिखित सूचनाएँ हर एक धुआँ प्रक्रिया के कक्ष में प्रमुख तौर पर प्रदर्शित की जाएंगी ।

सावधानी सूचनाएँ

(1) इस कक्ष में कार्बन–डाय–सल्फाइड (सी–एस–2) और हायड्रोजन सल्फाइड (एच–2–एस) गैस उपस्थित हो सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ।

(2) सुरक्षा अनुदेशों का पालन करें ।

(3) जब अपेक्षित हो सुरक्षा उपकरणों और श्वसन उपकरण का उपयोग करें ।

(4) इस क्षेत्र में धुआँपान पूर्णतः प्रतिषिद्ध है ।

यह सूचना बहुतायत कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी और जहाँ आसानी और सुगमता से पढ़ी जा सके, वहाँ प्रदर्शित होगी । यदि कोई कामगार अनपढ़ हो तो उसे प्रदर्शित सूचनाओं के अन्तर्विष्ट बातों के बारे में सावधानी से स्पष्टीकरण और समझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक कामगार धुआँ प्रक्रिया के कक्ष में नियोजित हो, उसे उनके काम से जुड़े हुए स्वास्थ्य के खतरों और बचाव के उपायों और उनको स्वयं के बचाने की पद्धति के बारे में अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे अनुदेश उसके प्रथम नियोजन पर और नियतकालिक रूप से पुनः दिए जाएंगे ।

(3) सरल और विशेष अनुदेश तैयार किए जाएँगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपातकालीन स्थिति में कार्बन–डाय–सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड बाहर को निकलने पर प्रभावी उपाय करना सुनिश्चित हो । यह अनुदेश संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित

होगे और वहाँ के कामगारों की उसी आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अनुदेश और प्रशिक्षित किया जाएगा।

15. चिकित्सा परीक्षण– (1) प्रत्येक कारखाने या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी–

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा और

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक को निरीक्षण हेतु आसानी से उपलब्ध हों और अनुरक्षित किए जाएँगे।

(3) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की किसी कामगार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा है वह कि कामगार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए योग्य नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य पंजी प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए उस व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए योग्य नहीं मानता। अयोग्य होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक नौकरी की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(5) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–परिच्छेद (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अयोग्य पाया गया हो। उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता।

(6) परीक्षण के अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।

16 छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता का इस बात से संतुष्ट हो कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कारखाने में कामगारों के बचाव के लिए अनावश्यक हैं तो मुख्य निरीक्षक लिखित प्रमाण– पत्र द्वारा जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे कारखाने की सभी या ऐसे किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तें यदि कोई हों और जिन्हें वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा ।

उप–अनुसूची–27

फाउन्ड्री में कार्य

1. प्रयोग– इस अनुसूची के उपबन्ध कारखानों के उन सभी भागों, जहाँ निम्नलिखित में से कोई कार्य या प्रक्रिया चलाई जाती है, को प्रयोग होंगे ।

(क) रेत, मिट्टी, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण के बने साँचों या शैल मोल्डिंग या सेन्टीफ्यूगल ढलाई द्वारा लोहे की कास्टिंग या जैसी की दशा हो, स्टील कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन के अनुषंगिक कोई प्रक्रियाएँ

(ख) रेत, मिट्टी, धातु, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण या शैल मोल्डिंग, डाई कास्टिंग (प्रेशर डाई कास्टिंग को सम्मिलित करते हुए) सेंटीफ्यूगल कास्टिंग या कन्टिन्यूअस कास्टिंग द्वारा अलौह कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन से अनुषंगिक कोई प्रक्रियाएँ और

(ग) इन्गोट, बिलेट, स्लैब या अन्य समरूप उत्पादों के उत्पादन के लिए अलौह धातु का गलाना और ढालना और उनकी रिट्रपिंग करना, किन्तु यह निम्न के संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) सीसे के पिघलाने और विद्युत संचायक और सीसे के विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया

(ख) छपाई कार्यों के प्रयोजन के लिए कोई प्रक्रिया या

(ग) पिघलाने की कोई प्रक्रिया, जिसमें अवकरण क्रिया से धातु प्राप्त हो या ऐसी क्रिया से अनुषंगिक कोई प्रक्रिया या

(घ) स्टील का इन्गोट के रूप में उत्पादन या

(ङ) सोल्डर विनिर्माण के दौरान कोई प्रक्रिया अथवा ऐसे विनिर्माण के संबंध मे कोई आनुषंगिक क्रियाएँ या

(च) इन्गोट, बिलेट, स्लैब या समरूप उत्पादन के विनिर्माण या उसके रिट्रपिंग के लिए शीशे या सीसायुक्त एलॉय का गलाना और ढालना या ऐसे गलाने, ढालने या रिट्रपिंग करने से अनुषंगिक प्रक्रियाएं ।

2. परिभाषाएँ– इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए–

(क) 'स्वीकृत शवासयंत्र' से अभिप्रेत एक प्रकार के श्वास यंत्र से है, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया हो

(ख) 'क्यूपोला या भट्टी' में उनसे जुड़े संग्राहक भी सम्मिलित हैं

(ग) 'ड्रेसिंग या फेटलिंग कार्य' में रिट्रपिंग करना और चिपकी हुई रेत, कार स्नर, राइजर फ्लेश और ढलाई से अन्य अतिरिक्त धातु को हटाना और उपयुक्त रूप से साफ और चिकनी सतह का विनिर्माण सम्मिलित है, लेकिन इसमें (क) ड्रेस और फेटलिंग की हुई कास्टिंग से मशीनिंग या संयोजन के संबंध में आनुषंगिक रूप से धातु का हटाना, या (ख) कोई कार्य जो इस अनुसूची के अर्थ के अन्तर्गत नॉक आउट कार्य हो, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(घ) 'फाउन्ड्री' से अभिप्रेत कारखाने के उन भागों से है, जिसमें लोहे या स्टील या अलौह ढलाई (कच्चे लोहे या इन्गोट के रूप में स्टील के विनिर्माण को छोड़कर) रेत, मिट्टी, ढलाई सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण से बने सांचों में ढालकर या शैल मोल्डिंग या धातु के सांचो मे रेत बिछाकर सेन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जाती हो । इसके साथ ही कारखाने का कोई अन्य भाग, जिसमें ऐसे उत्पादन के दौरान और उसके अनुक्रम में जो आनुषांगिक क्रियाएँ की जाती हैं अर्थात् फाउन्ड्री प्रक्रिया में उपयोग के लिए जाने वाले पदार्थों को बनाना और मिश्रित करना, सांचे और केन्द्रीय भाग का बनाना, नाक–आउट क्रिया और ड्रेसिंग या फेटलिंग क्रियाएँ।

(ङ) 'नाक आउट क्रार्य' से अभिप्रेत सांचे से कास्टिंग हटाने की समस्त पद्धति या और निम्नलिखित क्रार्य जब उसके संबंध में की जाती हैं अर्थात् स्ट्रिपिंग करना, केन्द्रीय भाग निकालना और राइजर्स तथा रनर्स को हटाना

(च) 'गली ढलाई' से अभिप्रेत मुख्य गलियारा को जाने वाली या क्यूपोला या भट्टी से सीधी गली जहाँ साँचो में धातु उंड़ेली जाती हो ।

3. कुछ पदार्थों के विभाजक पदार्थों की तरह उपयोग का प्रतिषेध– (1) यदि कोई पदार्थ सिलिकॉन यौगिक युक्त है और जिसमें सूखे पदार्थ की तुलना में उसके भार से पाँच प्रतिशत से अधिक सिलिका की गणना की गई है, ऐसे पदार्थ का विभाजक पदार्थ की तरह उपयोग नही किया जाएगा।

परन्तु यह प्रतिषेध निम्नलिखित को विभाजक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित नहीं करेगा । यदि उस सामग्री में किसी अन्य सिलिका का सम्मिश्रण न हो–

(क) जिरकोनियम सिलिकेट (जिरकान),

(ख) कैल्साइन्ड चाइनाक्ले,

(ग) कैल्साइन्ड एल्यूमिनियम फायर क्ले,

(घ) सिलिमेनाइट,

(ङ) कैल्साइन्ड या पिघला हुआ एल्यूमिना,

(च) ओलिविन,

(छ) प्राकृतिक रेत।

(2) फेटलिंग या ब्लास्टिंग प्रक्रिया से जमी धूल और अन्य पदार्थ का विभाजक पदार्थ या विभाजक पदार्थ के संगठक की तरह उपयोग नहीं किया जाएगा ।

4. व्यवस्थाएँ और भण्डारण– कार्यकक्ष में सफाई और सुरक्षा को विकसित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा–

(क) मोल्डिंग बाक्स, लोमप्लेट, लेडल, पैटर्न, पैटर्न–प्लेटें, फ्रेम, बोर्ड, बाक्स वेट और अन्य भारी वस्तुएँ इस तरह व्यवस्थित कर रखी जाएँगी कि कार्य अनावश्यक जोखिम के बिना किया जा सके।

(ख) अन्य गियरों और औजारों के भण्डारण के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुगमता से पहुँचगम्य रैक्स बिन्य या अन्य पात्र प्रदाय किए जाएंगे।

(ग) जहाँ कहीं रेत, ईंधन, मेटल स्क्रेप या अन्य पदार्थ या अवशेष का बड़ा भण्डार हो, वहां उपयुक्त बिन्स, बन्कर्स या अन्य पात्र ऐसे भण्डारकरण के प्रयोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे।

5. फर्श का सन्निर्माण– (1) भीतरी कार्यस्थलों के, जिनमें प्रक्रियाएं की जाती हों, सिवाए उन भागों के जो रेत के बने हों, फर्श समतल और कठोर पदार्थ के होंगे ।

(2) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श का कोई भाग, सिवाए उस दशा के जहाँ कि किए जा रहे कार्य के कारण आवश्यक हो, रेत का नहीं होगा ।

(3) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श के वे सभी भाग जो रेत के हों, जहाँ तक व्यवहार्य हो एक रो और मजबूत दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे ।

6. भीतरी कार्यस्थलों की सफाई– (1) प्रत्येक भीतरी कार्यस्थलों, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, की दीवारों के पहुँचगम्य सभी भागों और उन दीवारों पर लगी हुई हर एक वस्तु हर एक 14 माह की अवधि में कम से कम एक बार उपयुक्त विधि से जमीन से 4.02 मीटर अनधिक ऊंचाई तक प्रभावी रूप से साफ की जाएगी । इस परिच्छेद के अनुसरण में की गई ऐसी प्रभावी सफाई के अभिलेख, जिसमें दिनांक भी सम्मिलित हों, रखे जाएँगे, सफाई दिनांक तत्काल पहले की धुलाई, सफाई या अन्य उपचार करने के दिनांक से न तो पाँच महीने से कम पहले या उसके नौ महीने बाद की दिनांक नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक एक भीतरी कार्यस्थल में, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो, उन भागों को जो रेत के हों, को छोड़कर फर्श के पहुँचगम्य सभी भागों की हर एक कार्य दिवस में कम से कम एक बार उपयुक्त पद्धति से प्रभावी सफाई की जाएगी और वे भाग जो रेत के हों, वे अच्छी दशा में रखे जाएंगे ।

7. पिघली हुई धातु को शामिल करते हुए माननवीय प्रचालन– (1) पिघली धातु के कार्यों, जिनमें धातु फैल जाने की संभावना हो, को सम्मिलित करते हुए मानवीय प्रचालनों में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए उक्त प्रक्रिया के लिए कार्यस्थल की व्यवस्था होगी और उसे भली प्रकार से अनुरक्षित किया जाएगा –

(क) जो कार्य के सुरक्षापूर्वक निष्पादन हेतु पर्याप्त हो और

(ख) जो जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखा जा सके,

(2) कोई क्रिया, जिसमें पिघली हुई धातु से भरा कंटेनर हाथों से ले जाना सम्मिलित हो, वहाँ फर्श जहाँ क्रिया की जाती हो और वे भाग, जिसमें क्रिया में संबद्ध व्यक्त चलते–फिरते हों, वे दोनों एक ही तल पर होंगे।

परन्तु यह कि जहाँ अनावश्यक जोखिम के बिना प्रक्रिया के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और फर्श के विभिन्न तलों पर स्थित कार्यस्थलों पर क्रिया में नियोजित हर एक व्यक्ति के फर्श से उस तक पहुँचने के सुरक्षित साधन हों, वहाँ इस परिच्छेद की कोई भी बात कभी–कभी तथा अपवाद स्वरूप ऐसे उपयोग को प्रतिबन्धित नहीं करेगी ।

8. गलियारा और ऐसेले ढालना– (1) यह अनुसूची बनने के बाद सन्निर्मित, पुनर्निमित या उस रूप में उपयोग के लिए संपरिवर्तित हर एक कार्य कक्ष, जिस पर यह परिच्छेद लागू होता है, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित मुख्य गलियारा बनाई और भली प्रकार अनुरक्षित की जाएगी, जो–

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ की होगी और वह विशेषत: रेत की नहीं होगी या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिसमें दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, अवरोध रहित रखी जाएगी;

(ग) यदि पिघली हुई धातु को ले जाने के उपयोग में नहीं ली जाती हो तो कम से कम 920 मिली मीटर चौड़ाई की होगी;

(घ) यदि पिघली धातु ले जाने के उपयोग में ली जाए तो–

(i) जहाँ प्रमुखत: ट्रक लेडल को उपयोग में लाया जाता हो तो लेडल की पूरी चौड़ाई से कम से कम 600 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(ii) जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाते हुए ले जायी जाती हो, वहां कम से कम 920 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(iii) जहाँ दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाते हुए हैण्ड शैंक द्वारा ले जायी जाती हो तो कम से कम 1.2 मीटर चौड़ाई होगी; और

(iv) चौड़ाई में कम से कम 1–8 मीटर हाथ मिलाते हुए दोनों दिशाओं में साथ–साथ यात्रा करने के लिए जहाँ उपयोग किया गया।

(2) इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनःनिर्मित या ऐसे उपयोग के लिए परिवर्तित कक्ष में, जिस पर यह परिच्छेद लागू होता हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित गलियारा इस प्रकार बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा कि उसमें--

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ का होगा और विशेषतः रेत का नहीं होगा या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिससे दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, अवरोध रहित रखा जाएगा;

(ग) यदि पिघली हुई धातु को हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा प्रति लैडल दो व्यक्ति से अनधिक द्वारा ले जाया जाए तो कम से कम 460 मिलीमीटर चौड़ा होगा, लेकिन जहाँ गलियारे के किनारे कार्यमोल्ड गलियारे के फर्श से 510 मिलीमीटर ऊंचा हो तो गलियारा कम से कम 600 मिलीमीटर से कम चौड़ा नहीं होगा;

(घ) यदि पिघली हुई धातु दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा ले जाई जावे तो लैडल कम से कम 769 मिलीमीटर चौड़ा होगा;

(ङ) यदि क्रेन, ट्राली या ट्रक लैडल द्वारा पिघली धातु ले जाई जाए तो कार्य के सुरक्षित रूप से निष्पादन के लिए वह पर्याप्त चौड़ाई का होगा ।

(3) किसी कक्ष या कक्ष के भाग पर, यदि उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के कारण कक्ष का या कक्ष के उस भाग का फर्श रेत का हो तो उप-परिच्छेद (1) और (2) की अपेक्षाएँ लागू नहीं होंगी।

(4) इस परिच्छेद में कार्य कक्ष, जिस पर यह परिच्छेद लागू होता हो, से अभिप्रेत लौह या अलौह फाउन्ड्री के उस भाग से है, जिसमें पिघली धातु परिवहित या उपयोग की जाती हो या इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनः निर्मित या उपयोग के लिए संपरिवर्तित कक्ष, जिस पर यह परिच्छेद लागू होता है, से अभिप्रेत उस कक्ष से है, जिसका सन्निर्माण, पुनर्निर्माण या उपयोग हेतु संपरिवर्तन यह अनुसूची के बनने के बाद प्रारंभ हुआ हो।

9. क्यूपोला और गड्ढियों के समीप कार्य-- क्यूपोला या भट्टी के किसी पनाले जो पिघली धातु के निकास के लिए हों, के निकासी वाले सिरे से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा से 4 मीटर

की दूरी के अंदर या ऐसे पनाले के सिरे पर कोई लैडल जो भरने के लिए लगी हो, के निकटतम भाग से 2.4 मीटर दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, दोनों ही स्थिति में सिवाय उस दशा के जबकि क्यूपोला या भट्टी के उपयुक्त उपयोग या अनुरक्षण के लिए उक्त कार्य उल्लिखित दूरी के भीतर हो, करना आवश्यक हो या उक्त कार्य ऐसे समय और ऐसी दशाओं के अधीन किया जा रहा हो कि कार्य करने वाले व्यक्ति को पिघली हुई धातु, जो क्यूपोला या भट्टी या पनाले के सिरे पर भरने के लिए लगी लैडल में हो, से कोई जोखिम न हो ।

10. धूल और धुआँ– (1) कार्य कक्ष के अंदर लैडल को गर्म करने या सुखाने के लिए कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि धुआँ और अन्य अशुद्धियों को कार्य कक्ष के वातावरण में प्रविष्ट होने या बने रहने से रोकने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपयुक्त साधन न किए गए हों ।

(2) साँचों को सुखाने के लिए केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जो अपरिहार्य हों, कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) मोल्ड स्टोव, कोर–स्टोव और एनीलिंग भट्टी इस प्रकार रूपांकित, सन्निर्मित अनुरक्षित और कार्य में लिए जाएंगे कि जहाँ तक व्यवहार्य हो किसी कार्य कक्ष में, जब व्यक्ति उसमें नियोजित हो, उस अवधि के दौरान घृणात्मक या हानिकारक धुआँ प्रविष्ट न हो सके ।

(4) सभी नाक आउट क्रियाएँ इस प्रकार की जाएँगी कि–

(क) फाउन्ड्री के पृथक् भाग में, जिसमें उपयुक्त तौर पर पार्टीशन किया गया हो, एक कक्ष या उसका भाग, जिसमें जहाँ तक व्यवहार्य हो, स्थानीय वायु निष्कासन संवातन और उच्च स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासन संवातन होगा या जहाँ यह अनुपालन युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो, वहां उच्चतम स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा ।

(5) सभी ड्रेसिंग और फैटलिंग क्रियाएँ क्रिान्वित की जाएँगी–

(क) एक पृथक् कक्ष में या फाउन्ड्री के उपयुक्त तौर पर लगाए गए विभाजक से बने पृथक भाग में या

(ख) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में या जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् किया गया हो, की जाएंगी और जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, उन्हें उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासक संवातन या धूल दबाने के समरूप प्रभाव साधन, जो धूल उत्पन्न होने वाले बिन्दु के जितना समीप संभव हो, क्रियाशील हो, के साथ किया जाएगा।

11. वायु निष्कासन संयंत्र का अनुरक्षण और परीक्षण– (1) धूल और धूम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र भली प्रकार अनुरक्षित होंगे।

(2) धूल और धूम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र का हर एक सप्ताह में एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण और निरीक्षण किया जाएगा। सक्षम व्यक्ति द्वारा 12 महीने की अवधि में कम से कम एक बार उनकी पूरी तौर पर परीक्षण और जॉच की जाएगी और ऐसे परीक्षण और जॉच के परिणामों का विवरण अनुमोदित रजिस्टर में रखा जाएगा, जो निरीक्षक को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। परीक्षण और जॉच करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे परीक्षण और जॉच में पाए गए किसी दोष में कारखाने में अधिभोगी या प्रबंधक को तत्काल सूचना दी जाएगी।

12. सुरक्षा उपकरण– (1) कामगारों के बचाव हेतु विनिर्दिष्ट उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदाय और अनुरक्षित किये जाएंगे–

(क) उपयुक्त दास्ताने या हाथ के बचाव के लिए अन्य सामग्री उन कामगारों के लिए जो किसी गर्म पदार्थ, जिससे कि हाथों के जलने, झुलसने या जख्म के जोखिम की संभावना हो, के कार्य में लगे हो या कच्चे लोहे, रफ कास्टिंग या अन्य वस्तु जिसमें हाथ के कटने या पिघलने की संभावना हो, के कार्य में लगे हो

(ख) अनुमोदित श्वासयंत्र उन कामगारों के लिए जो घनी धूल सान्द्रता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं में कार्य करते है, जिसे वर्तमान संवातन व्यवस्था द्वारा शीघ्रता और प्रभावी रूप से दूर न किया जा सके।

(2) एक व्यक्ति द्वारा खंड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त श्वासयंत्र को पहनने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा नही पहना जाएगा, जब तक कि उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न किया जा चुका हो।

(3) व्यक्ति, जो उनके किसी समय–

(क) क्यूपोला या भट्टी के पनाले पर काम या सेवा ऐसी परिस्थिति में करते हो कि उक्त पदार्थ उनके शरीर के संपर्क में आ सकता हो और उक्त पदार्थ ऐसे तापमान पर हो कि उसके शरीर के संपर्क में आने पर शरीर जल सके या

(ख) पिघली धातु को उड़ेलने के संबंध में या सहायता करने के काम में लगे हुए

या

(ग) पिघली धातु युक्त किसी लैडल या सांचे को शारीरिक शक्ति से चलाने या हाथ से ले जाते हो या

(घ) नॉकिंग आउट क्रियाओं, जिसमें पदार्थ ऐसे तापमान पर हो कि उसका शरीर से संपर्क उसे जला सके, के काम में लगे हों, को उपयुक्त जूते और गैटर प्रदाय होंगे और जो उन्हें, जहाँ तक व्यवहार्य हो, उनके पैर और घुटनों को जलने के जोखिम से बचने के लिए पहनेंगे।

(4) उड़ने वाले पदार्थों (किसी प्रक्रिया के दौरान निक्षेपित छिलकों,चिंगारियों और पिघली धातु के झलकने को सम्मिलित करते हुए) से बचाव के लिए उचित उपयुक्त स्क्रीन प्रदान किए जाएंगे।

(5) इस परिच्छेद के अनुसरण में प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदाय और अनुरक्षित किये जाएँगें और उनकी सफाई और अनुरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(6) उप--परिच्छेद (1) और (4) के अनुसरण में प्रदाय किए गए उपकरणों का हर एक व्यक्ति द्वारा पूरा और उपयुक्त उपयोग किया जाएगा और वह उनके किसी दोष या हानि के बारे में अधिभोगी, प्रबंधक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को बिना देरी किए सूचित करेगा।

13. धुलाई और स्नान सुविधाएं– (1) फाउन्ड्री में नियोजित सभी कामगारों के उपयोग के लिए साफ स्थिति तथा अच्छी दशा में उपलब्ध और अनुरक्षित किया जाएगा–

(क) छाया के नीचे धुलाई स्थान जिसमें या तो–

(एक) अभेद्य सतह का नांद, जिसमें बिना प्लग का वेस्ट पाइप जुड़ा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई हो कि एक बार में 10 व्यक्ति नियोजित करने के लिए ऐसे प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर स्थान हो और जिसमें नाद के ऊपर 60 सेंटीमीटर से अनधिक अंतराल पर स्थित टोंटियों या जैट के द्वारा पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता हो या

(घ) किसी भी इस समय नियोजित हर एक ऐसे 10 व्यक्तियों के एक टोंटी या स्टैण्ड पाइप की दर से, जो 1.2 मीटर के अंतर से लगे हों, टोंटी या स्टेण्ड पाइप होंगे, जिनमें साफ पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता है और

(ख) खंड (क) के अधीन प्रदाय किए गए स्थानों में कम से कम आधे धुलाई स्थान स्नानागार के रूप में होंगें।

(ग) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलिए पर्याप्त रूप से प्रदाय होंगे, जो प्रतिदिन बदले जाएँगे तथा साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे।

(2) उप–परिच्छेद (1) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त सुविधाएँजिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभार में रखी जावेंगी और साफ तथा व्यवस्थित दशा में अनुरक्षित की जाएँगी।

14. धातु के तलछट और मैल का निर्वतन– पिघली धातु से निकाले गए तलछट और मैल को उपयुक्त पात्र में रखा जाएगा।

15. निक्षेप का निर्वतन– शैल मोल्डिंग से सभी निक्षेप पदार्थ (जले रेत निक्षेप को सम्मिलित करते हुए) के निर्वतन के लिए कास्टिंग की नाक आउट क्रिया के बाद जितना व्यवहार्य हो सके उतने शीघ्र उपयुक्त उपाय किये जाएगें।

16. द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण– द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण (जिनमें केवल अस्थायी तौर पर या कभी–कभार छोड़े गए उपकरण भी सम्मिलित है) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा तथा रखा जाएगा, जिससे अनावश्यक जोखिम दूर हो सके। ऐसे सभी पदार्थ और उपकरणों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधन होंगे और जहाँ तक व्यवहार्य हो। ऐसी पहुँच सड़क या पगडंडी से होगी, जो भली प्रकार अनुरक्षित होगी ऐसी सड़क या पगडंडी सपाट और मजबूत सतह की होगी और जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखी जाएगी।

17. चिकित्सा परीक्षण – (1) प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी, जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक योग्य चिकित्सक की व्यवस्था करेगा

(ख) उक्त चिकित्सक को खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कामगार का चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्रपत्र 28 पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) यदि किसी भी समय चिकित्सा पदाधिकारी की किसी कामगार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में उसमें नियोजन के लिए अब योग्य नहीं है कि निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा है कामगार वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य पंजी प्रपत्र 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए योग्य नहीं मानता। अयोग्य होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को, जो उप–कंडिका (5) में उल्लिखित के अनुसार कार्य के लिए अयोग्य पाया गया हो उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि चिकित्सा पदाधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः योग्य प्रमाणित नहीं कर देता।

(5) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए परीक्षणों के अभिलेख अनुरक्षित किए जाएँगे और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु आसानी से उपलब्ध होंगे।

18 छूट– यदि किसी कारखाने के संबंध में मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची से सभी या कोई उपबंध कारखाने के कामगारों के बचाव के लिए अनावश्यक है तो मुख्य निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण–पत्र, जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, के द्वारा ऐसे कारखाने को सभी या ऐसे किसी उपबंध से, ऐसी शर्तों यदि कोई हों और जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा ।

उप–अनुसूची–28

पत्थरों का रूपान्तरण अथवा अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थ मौजूद हो

निम्नलिखित गतिविधियों को पत्थरों या अन्य पदार्थ, जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो, का रूपान्तरण माना जाएगा।

1. स्टोन क्रशर
2. रत्न एवं आभूषण
3. स्लेट पेंसिल निर्माण
4. गोमेद उद्योग
5. सिमेन्ट उद्योग
6. कुम्हारी
7. शीशा विनिर्माण

1. **इस अनुसुची का लागू होना:–** यह अनुसूची सभी कारखानों अथवा कारखानों के भागों में लागू होंगे, जहाँ मुक्त सिलिका का कार्य किया जा रहा हो।

2. **परिभाषाएँ।**– इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ–

(क) "रूपान्तरण" से अभिप्रेत है क्रशिंग, तोड़ना, चिपिंग, ड्रेसिंग, पिसना, छानना, मिश्रित करना, पत्थरों या मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थों का उठाना या वैसी अन्य प्रक्रियाएँ जिसमें उक्त पत्थर या पदार्थ शामिल हों।

(ख) "पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो" से अभिप्रेत है पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका की मात्रा 5: से कम ना

3. **सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपाय।** – किसी कारखाने या कारखाने के किसी भी भाग में किसी प्रकार का रूपान्तरण का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जबतक कि निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपायों को अपना नहीं लिया जाय।

(1) अभियांत्रिक नियंत्रक उपाय –

(i) आद्र पद्धति :–

(क) वायु में मुक्त रूप से उपस्थित सिलिका धूल को जल प्रयोग अथवा सफाई कर कम या दमन किया जाना चाहिए।

(ख) राजगीरी या कंक्रीट के तोडे जाने या छेद करने की प्रक्रिया के दौरान जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ii) **रोशनदान : –**

(क) उद्योग प्रक्रम से सिलिका धूल के निष्कासन के लिए स्थानीय निष्कासन प्रणाली का उपयोग होना चाहिए।

(ख) वृहत क्षेत्र में मुक्त सिलिका धुलकण की सघनता को कम करने हेतु तनुता/संवातन को अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए।

(ग) धूल संग्राहक /HEPA फिल्टर को इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि स्रोत तथा सभी स्थानान्तरित बिन्दु से धूल को हटाया जा सके ताकि कार्यस्थल को दूषित होने से रोका जा सके।

(घ) संवातन प्रणाली को अच्छी तरह से कार्यरत अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(iii) **आईसोलेशन : –**

(क) बालू विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान परिशोधन पद्धति अपनाया जाना चाहिए।

(ख) वाहन या कण्टाई तथा छिद्र करने वाली मशीनों के केबिन जिसमें मुक्त सिलिका की मौजूदगी संभव हो, उसे बन्द एवं सील होना चाहिए।

(iv) **धूल नियंत्रण : –**

(क) कार्यक्षेत्र तथा सभी स्थानान्तरण बिन्दुओं से धूल को हटाने के लिए उच्च क्षमता पदार्थ वायु (HEPA) फिल्टर युक्त निर्वात पद्धति का उपयोग होना चाहिए।

(ख) चूर्ण पदार्थों के वाहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहक पट्टा पूरी तरह ढका होना चाहिए।

परन्तु यह कि उपर्युक्त नियंत्रण उपाय को लागू करना आवश्यक नहीं होगा, यदि प्रक्रिया या संचालन इस प्रकार हो कि धूल निर्माण एवं प्रवलन इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है।

(2) चिकित्सीय नियंत्रक उपाय : – (i) प्रत्येक कारखाना के नियोजक या प्रबंधक, जहां कामगार का नियोजन उप नियम 1 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रम में किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगा कि वहां कार्य करने वाले प्रत्येक कामगार का उसका प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर कारखाना निरीक्षक (भैषज्य)/प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच अवश्य कराया जाना चाहिए। इस स्वास्थ्य जांच में मूत्र एवं रक्त में लेड की मात्रा की जांच शामिल होगी। मूत्र में ALA की मात्रा, हिमोग्लोबीन अवयव, स्टीपलीग ऑफ सेल एवं स्थिरता की जांच शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के उपरांत उस कारखाना में नियोजन की अनुमति प्रदान तबतक नहीं की जाएगी जबतक उसने प्रमाणक शल्य चिकित्सक से इस प्रकार के नियोजन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया है।

(ii) उक्त प्रक्रम में कार्यरत सभी कामगार की प्रत्येक बारह महीनों में कम से कम एक बार शल्य चिकित्सक द्वारा पुनः चिकित्सीय जाँच किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के पुर्नजांच में जहां भी शल्य चिकित्सक उपर्युक्त समझे उपवाक्य खण्ड (1) में वर्णित मापदंड को छोड़कर सभी प्रकार के जाँच कर सकते है। इस X- ray को उसी रेडियोलाजिस्ट द्वारा पढ़ा जाएगा जिसे आई0एल0ओ0 के न्यूमोकनिओसिस पर रेडियोग्राफ को पढ़ने के क्षेत्र में विशेषज्ञता/दक्षता हासिल हो एवं यह प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा।

(iii) प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक, श्रमिक के चिकित्सीय परीक्षण के बाद विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। सभी स्वास्थ्य जांच एवं पुनः जाँच को संबंधित प्रमाण पत्र में अंकित किया जाना चाहिए एवं सभी प्रमाणपत्रों को कारखाना के प्रबंधक की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षणों से संबंधित अभिलेख, जो उप वाक्य खंड (1) तथा (2) जाँच के प्रकृति एवं परिणाम वैसी सभी, की प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रपत्र पंजी के अभिलेखित किया जाना चाहिए।

(iv) यदि किसी भी समय जब प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक की यह राय हो कि श्रमिक इस प्रक्रिया में नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं रह गया है एवं इस प्रक्रिया में कार्य करना उक्त श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा वह श्रमिक उक्त नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं है, तो वैसी सूचनाओं को भी वह स्वास्थ प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ पंजी में अभिलेखित करेगा। वैसी सूचनाओं में यह भी अंकित होना चाहिए कि उक्त श्रमिक किस

कार्य अवधि के लिए कार्य करने में असक्षम है। वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य से हटाया गया है, तबतक उनका वैकल्पिक नियोजन किया जाना चाहिए जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक उन्हें कार्य करने हेतु पूरी तरह से अयोग्य घोषित न करके, वैसे प्रभावित श्रमिक को उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) वैसे व्यक्ति जिनको उप कंडिका (4) में वर्णित स्थितियों में कार्य करने में अक्षम घोषित किया गया हो, वे तबतक उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजित नहीं किये जाएंगे, जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक पुनः जाँच कर उन्हें उस उपक्रम में नियोजन के लिए योग्य घोषित न कर दें।

(vi) वैसे कारखाने जहां उक्त अनुसूचि के प्रावधान लागू होते है, के प्रबंधक/ नियोजक के द्वारा –

(क) नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति करेगा, जिसके नियोजन हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहमति आवश्यक होगी।

(ख) नियुक्त चिकित्सक को कंडिका (क) में वर्णित उद्धेश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी होगी।

(vii) सभी चिकित्सीय परीक्षण तथा उपर्युक्त जांच के पश्चात् चिकित्सक द्वारा जारी सक्षमता तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र को अलग पंजी में अभिलेखित होना चाहिए, जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तथा उपलब्ध होना चाहिए एवं निरीक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने के समय पर सहज उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) प्रत्येक काममार का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन के शुरू होने से 40 वर्ष की अवधि के लिए या नियोजन के समाप्ति के 10 वर्षो के लिए, जो बाद में लागू हो, सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ix) सिलकोसिस से प्रभावित काममारों का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन शुरू होने के कम से कम 40 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृति के 15 वर्षों के पश्चात् जो बाद में लागू हो, सुरक्षित रखी जाएगी एवं काममारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध रखी जाएगी।

(3) प्रशासनिक नियंत्रण उपायः – (i) **कार्यस्थल/पर्यावरण अनुश्रवण** :– प्रबंधक को कार्यस्थल/पर्यावरण अनुश्रवण हेतु प्रभाव की मापांक/अभियांत्रिक नियंत्रण के साधनता

की गणना/सुरक्षित स्वसन की प्रक्रिया/कार्य अभ्यास हेतु चिकित्सीय निगरानी की आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।

(क) प्रभाव/सघनता की गणना काममारों के वास्तविक स्वसन स्थान पर की जाएगी।

(ख) कुल प्रतिदर्श का समय कम से कम 07 घंटे की होगी।

(ग) कार्य स्थल/ पर्यावरण अनुश्रवण प्रत्येक तीन माह पर दुहराया जायेगा।

(घ) धूल प्रतिदर्श की विवरणी दखलकार द्वारा आमजनमानस के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) **प्रशिक्षण/ जागरूकता** :– काममारों को निम्न के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा:–

(क) मुक्त सिलिका धूलकण के प्रभाव का उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव।

(ख) प्रक्रियाएँ एवं पदार्थ जिससे खतरनाक श्रेणी के मुक्त सिलिका उत्पन्न होता है।

(ग) अभियांत्रिक नियंत्रण तथा कार्य अभ्यास जिससे धूल की सघनता को कम किया जा सकता है।

(घ) बेहतर गृह रक्षण एवं सफाई का महत्व।

(ङ) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यथा श्वसन पंप इत्यादि के कारगर उपयोग।

(च) व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास जिससे इसका प्रभाव कम हो।

(iii) **गृह रक्षण फर्श का प्रबंधन** : – (क) सभी फर्श अथवा कार्यस्थल जहां काफी महीन धूलकण के जम जाने की पर्याप्त संभावना हो तथा जहां किसी व्यक्ति को कार्य करना हो या जहाँ से गुजरना हो वह अगम्य पदार्थ का बना होगा तथा इस स्थिति में प्रबंधन किया जायेगा कि उन्हें आर्द्र पद्धति से या अन्य किसी पद्धति से साफ किया जाये जो उन्हें हवा में मौजूद धूलकण से सुरक्षित रख सके एवं इस प्रक्रिया को कम से कम एक बार प्रत्येक पाली के दौरान किया जाना चाहिए।

(ख) इस प्रक्रिया के लिए शुष्क सफाई अथवा संपीडित वायु का प्रयोग धूलकण की सफाई के लिए किया जाये या आद्र प्रक्रिया या भच। पिसजमत से युक्त निर्वात पद्धति का उपयोग किया जायेगा।

(ग) उपकरणों के उपर के धूलकणों को कम्पन, यातायात या हवा बहाव के कारण उड़ने के पूर्व साफ कर दिया जाना चाहिए।

(iv) **वस्त्र बदलने का कक्ष एवं धोने की सुविधा** : –

(क) श्रमिकों के कपडे धोने तथा स्नानागर की सुविधा ऐसे सहज स्थान पर हो कि श्रमिक वहां आसानी से पहुंच सके।

(ख) श्रमिकों को क्लॉक रूम की सुविधा व्यक्तिगत लॉकर के साथ प्रदान हो ताकि अदूषित वस्त्र को रखा जा सके।

(ग) श्रमिक कार्यक्षेत्र छोड़ने से पहले स्नान करेगा एवं कार्य स्थल पर व्यवहार में लाये गये कपडे बदलेगा।

(घ) कार्य में व्यवहार में लाये गये कपडे को झाडकर या हिलाकर साफ नही किया जायेगा।

(ड) भोजन एवं जलपान गृह विस्फोटक स्थान से दूर अवस्थित होगा।

(v) **सूचनापट्ट का प्रदर्शन** : – (क) चेतावनी चिन्ह/पोस्टर का प्रदर्शन सुस्पष्ट रूप से मुख्य स्थानों पर किया जायेगा।

(ख) चेतावनी चिन्ह/पोस्टर में खतरनाक, सावधानियाँ आदि प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) सूचना का प्रदर्शन स्थानीय भाषा तथा वैसी भाषा में भी होगा जो ज्यादातर श्रमिक समझ सके।

(vi) **व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण** : – प्रत्येक प्रतिष्ठानों जहां यह अनुसूची लागू होता हो, के दखलकारों/मालिकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण BIS के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, उपलब्ध कराया जायेगा।

(क) धूल श्वास यंत्र

(ख) एच0ई0पी0ए0 (HEPA) फिल्टर श्वासयंत्र या धूम्र श्वास यंत्र

(ग) पूर्ण मुख ढका एच0ई0पी0ए0 (HEPA) फिल्टर श्वास यंत्र

(घ) सेल्फ कन्टेन्ड ब्रेदिंग अपरेटस (SCBA)

(ड) पूर्ण मुख ढका, हैल्मेट या हुड युक्त हवा आपूर्ति श्वास यंत्र

(च) पूर्ण मुख ढका, SCBAA

(छ) HEPA फिल्टर युक्त यंत्र संचालित हवा शुद्धि श्वास यंत्र

(vii) **युवा व्यक्ति संबंधित निषेध** – जहां रूपान्तरण संबंधी कार्य या इस प्रकार के कार्य किये जाते है। वहां युवा व्यक्ति का न तो नियोजन किया जायेगा और न ही उन्हें अन्य कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(viii) **छूटः** – यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य कारखाना निरीक्षक संतुष्ट होते है कि किसी असाधारण घटना के कारण या प्रक्रमों के आवृति के या किसी अन्य कारण, सभी या कोई प्रावधान जो इस अनुसूची में हो, जो कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आवश्यक नहीं, मुख्य कारखाना निरीक्षक एक लिखित इस प्रकार के कारखानों को सभी छूट या इस प्रकार के प्रावधान जो इस प्रकार के शर्तों से संबंधित हो, यदि कोई जैसा वह इसमें उल्लेख करे, कर सकता है।

(ix) सिलकोसिस अथवा मुक्त सिलिका से होनेवाली पेशागत बीमारियों से संबंधित अधिसूचना को चिकित्सकों /शल्य चिकित्सकों द्वारा सख्ति से लागू किया जायेगा एवं किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सकों/शल्य चिकित्साकों के विरूद्ध संहिता की धारा 12 (3) के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी एवं इसमें प्राप्त की गई जुर्माना राशि को सिलकोसिस राहत कोष में जमा किया जायेगा।

अनुसूची–V- सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र

(नियम 69 देखें)

परिसंकटमय प्रक्रिया को अंजाम देने वाले हर कारखाना के अधिभोगी को कारखाना में निर्माण, परिवहन और भंडारण में उपयोग होने वाले हर परिसंकटमय पदार्थ या सामग्री के संबंध में **सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र** (एस एस डी एस) के रूप में जानकारी प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करनी होगी। कामगार के अनुरोध पर यह संदर्भ के लिए सुलभ होगा।

(क) ऐसी हर सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी :–

(i) लेबल पर प्रयुक्त पहचान;

(ii) पदार्थ के परिसंकटमय तत्व;

(iii) परिसंकटमय पदार्थ की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;

(iv) परिसंकटमय पदार्थ के भौतिक खतरे, जिसमें आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की क्षमता शामिल है;

(v) परिसंकटमय पदार्थ के स्वास्थ्य संबंधी खतरे, जिसमें लक्षण और संसर्ग में आने के लक्षण और कोई भी चिकित्सा स्थितियां होती हैं, जिन्हें आमतौर पर पदार्थ के संपर्क में आने से पहचाना जाता हो

(vi) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग;

(vii) संहिता की धारा 84 के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित संसर्ग की सीमा और उक्त अनुसूची द्वारा अच्छादित नहीं किए गए रसायन के संबंध में, निर्माता, आयातक या अधिभोगी द्वारा अनुशंसित किसी भी संसर्ग सीमा का उपयोग किया जाता हो

(viii) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए आम तौर पर लागू की जाने वाली सावधानियाँ, जो कि ज्ञात हैं, जिनमें उपयुक्त स्वच्छ व्यवहार, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षात्मक उपाय, फैलाव और रिसाव की सफाई के लिए प्रक्रियाएं शामिल हो

(ix) किसी भी सामान्य रूप से लागू नियंत्रण उपाय, जैसे कि उपयुक्त अभियंत्रण नियंत्रण, कार्य व्यवहार, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग;

(x) आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया;

(xi) सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र की तैयारी की तिथि, या इसमें अंतिम परिवर्तन की तिथि;

(xii) सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र तैयार करने या वितरित करने के लिए निर्माता, आयातक, व्यवसायी या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, यदि आवश्यक हो तो पर खतरनाक पदार्थ और उपयुक्त आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।

(ख) किसी खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र प्राप्त करने या विकसित करने के दौरान अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि दर्ज की गई जानकारी खतरनाक निर्धारण करने में उपयोग किए गए वैज्ञानिक सबूतों को सही ढंग से दर्शाती है। यदि वह परिसंकटमय को निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले किसी महत्वपूर्ण सबूत के बारे में जानता है, यदि वह किसी पदार्थ के परिसंकटमय के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाता है, या परिसंकटमय से बचाने के तरीके को जानता है, तो यह नई जानकारी भौतिक सुरक्षा आँकड़ा पत्र में जल्द से जल्द जोड़ दी जाएगी।

ऐसी सामग्री सुरक्षा आंकड़ा पत्र इस नियम के बी लेबल लगाने के लिए अनुसूची में दिया गया है।

लेबल लगाना

(2) – किसी परिसंकटमय पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर को पहचानने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल या चिह्नित किया जाएगा:

(क) पात्र की सामग्री;

(ख) परिसंकटमय पदार्थों के निर्माता या आयातक का नाम और पता;

(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी परिसंकटमय; तथा

(घ) परिसंकटमय पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

सामग्री सुरक्षा आँकड़ा पत्र

खंड I सामग्री पहचान और उपयोग

सामग्री का नाम/पहचानकर्ता	
निर्माता का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम
गली का पता	गली का पता
शहर राज्य	शहर राज्य
डाक कोड	डाक कोड
आपातकालीन टेलीफोन नं	आपातकालीन टेलीफोन नं
रासायनिक नाम/रासायनिक पहचान व्यापार नाम और *समानार्थक शब्द*	
	उत्पाद का उपयोग

खंड II – सामग्री के खतरनाक **अवयव**

खतरनाक अवयव	अनुमानित एकाग्रता%	सी०ए०एस० (CAS) या यूएन (UN) नंबर एलडी 50 (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें और रूट)	एलसी (LC) 50 (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें और रूट)	एलसी (LC) 50 (प्रजाति विनिर्दिष्ट करें और रूट)

खंड III – सामग्री के लिए भौतिक आँकड़ा

शारीरिक अवस्था – गैस – तरल – ठोस	गंध और उपस्थिति	गंध सीमा (पी.पी.एम) (p.p.m.)	विशिष्ट गुरुत्व	
वाष्पीय दबाव	वाष्प का घनत्व (वायु=1)	वाष्पीकरण की दर	क्वथनांक (सी)	हिमांक (सी)
पानी में घुलनशीलता (200सी) पी	पीएच	घनत्व (ग्राम/एमएल)	पानी का गुणांक/तेल विभाग	

खंड IV – आग और विस्फोट से सामग्री का नुकसान

ज्वलनशीलता ..... हाँ ..... नहीं ..... यदि हाँ, तो किन कारणों के तहत विलुप्त होने के साधन विशेष प्रक्रिया		
फ्लैश प्वाइंट (oC)	उच्च विस्फोट	निम्न विस्फोट

और विधि	सीमा (% by Volume)	सीमा (% by Volume)
विरोधी प्रज्वलन	टीडीजी ज्वलनशीलता	खतरनाक दहन
तापमान (oC)	वर्गीकरण	उत्पादों
धमाका आँकड़ा – संवेदनशीलता		स्थिरता के प्रति संवेदनशीलता
रासायनिक प्रभाव		मुक्ति

खंड–V– प्रतिक्रिया डेटा

रासायनिक स्थिरता

..... हाँ ..... नहीं ..... यदि नहीं, तो किन कारणों के तहत

अन्य पदार्थों की असंगति

..... हाँ ..... नहीं। ..... यदि हाँ, तो कौन से प्रतिक्रियाशीलता और किन परिस्थितियों में

खतरनाक अपघटन उत्पाद

सामग्री

नाम/पहचानकर्ता

खंड VI–सामग्री का विषैलों गुण संसाधन

प्रवेश का मार्ग ———— त्वचा संपर्क ———— त्वचा अवशोषण

———— नेत्र संपर्क ———— – साँस लेना तीव्र ————

साँस लेना दीर्घ कालिक ———— अंतर्ग्रहण

सामग्री के लिए तीव्र (एक्यूट) अनावरण का प्रभाव

सामग्री के लिए दीर्घकालिक अनवारण का प्रभाव

एक्सपोजर इरीटेंसी ऑफ

सीमा (ओं) सामग्री

कैंसरजनन्यता, प्रजनन के प्रति संवेदनशीलता सामग्री प्रभाव, विरूपजनक, उत्परिवर्तनीयता

सहक्रियात्मक सामग्री

खंड VII– निरोधक उपाय

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

दस्ताने (विनिर्दिष्ट करें) श्वसन (विनिर्दिष्ट करें) आंखें (विनिर्दिष्ट करें)

जूते (विनिर्दिष्ट करें) वस्त्र (विनिर्दिष्ट करें) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

रिसाव और फैलाव प्रक्रिया

अपशिष्ट निपटान

हैंडलिंग प्रक्रिया और उपकरण

भंडारण आवश्यकताएँ

विशेष शिपिंग जानकारी

खंड VIII – प्राथमिक चिकित्सा उपाय

प्राथमिक चिकित्सा उपाय

स्त्रोत का उपयोग किया

अतिरिक्त जानकारी

खंड IX –एम०एस०डी०एस० की तैयारी तिथि

तैयार किया गया (समूह, विभाग, आदि) (फोन नंबर) तिथि

टिप्पणियाँ :–

1. सी०ए०एस० या यु०एन०नंबर – रासायनिक सार सेवा या संयुक्त राष्ट्र संख्या।

2. एलडी 50 – घातक खुराक – 50% (एलडी 50– प्रजातियाँ और मार्ग विनिर्दिष्ट करें)।

3. नियंत्रण रेखा 50–घातक सांद्रता – 50% (एलसी 50–प्रजातियाँ और मार्ग को विनिर्दिष्ट करें)।

4. टीडीजी ज्वलनशीलता – संयुक्त राष्ट्र द्वारा ज्वलनशीलता वर्गीकरण खतरनाक वस्तुओं का परिवहन ।

प्रपत्र–I

(नियम–3 (1) (i) देखें)

मौजूदा प्रतिष्ठानों/नए प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु/पंजीकरण प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन

(क) प्रतिष्ठान का प्रकार–

(कारखाना/मोटर परिवहन उपकम/समाचार पत्र प्रतिष्ठान/श्रव्य–दृश्य उत्पादन प्रतिष्ठान/भवन और अन्य संनिर्माण प्रतिष्ठान/बगान/ठेका कार्य/श्रमशक्ति आपूर्ति/अन्य

(ख) प्रतिष्ठान के विवरण :–

1. प्रतिष्ठान का नाम –
2. प्रतिष्ठान का स्थान और पता –
3. प्रतिष्ठान के अन्य विवरण –

(क) प्रतिष्ठानों में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –

(ख) कार्यरत ठेका कर्मचारियों की कुल संख्या –

(ग) नियोजित अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगारों की कुल संख्या –

4. लागू भाग भरे –

(क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण	प्लान अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखाना की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होनेवाली कामगारों की अधिकतम संख्या	स्थापित होने वाली अश्व शक्ति की कुल क्षमता एवं प्रकृति
1	2	3	4	5

(ख) मोटर परिवहन कामगार हेतु

मोटर परिवहन सेवाओं (जैसे नगर सेवा, लंबी दूरी की यात्रा सेवा, लंबी दूरी की माल ढुलाई सेवा आदि)	मार्गों की कुल सं0	मार्गों की कुल दूरी	पिछले साल की अंतिम तारीख को कुल परिवहन वाहनों की संख्या
1	2	3	4

(ग) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य हेतु

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	कार्य समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकार के अनुरोध का विवरण
1	2	3	4

(घ) बगानों के लिए

हेक्टेयर में बगान का कुल	कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत निबंधित नहीं होने की स्थिति में बगान मालिक एवं साझेदार का पूरा नाम एवं आवासीय पता	कंपनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत निबंधित होने की स्थिति में निदेशकों का पूरा नाम एवं आवासीय पता	सार्वजनिक क्षेत्र में बगान के मुख्य कार्यपालक अथवा महाप्रबंधक का नाम एवं आवासीय पता
1	2	3	4

5. स्वामित्व प्रकार /क्षेत्र –

6. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधि –

7. वयनित एन आई सी कोड का विवरण –

8. नियोक्ता/प्रतिनिधि/आवेदक का ई–हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर–

(ग) नियोक्ता का विवरण :–

1. नियोक्ता/अधिभोगी/स्वामी/अभिकर्ता/मुख्य कार्यपालक/पत्तन प्राधिकारी आदि का नाम और पता :–

2. पदनाम –

3. नियोक्ता के पिता/पति का नाम –

4. ई–मेल पता, दूरभाष एवं मोबाईल नं0 –

(घ) प्रबंधक/अभिकर्ता का विवरण :–

1. प्रबंधक या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :–

2. प्रबंधक/अभिकर्ता का पता –

3. ई–मेल पता, दूरभाष एवं मोबाईल नं0 –

(ङ) ठेकेदार का विवरण :–

ठेकेदार का नाम और पता	ठेकेदार का ई–मेल पता और मो0 नं0	कार्य का नाम	कार्यरत ठेका कामगारों की अधिकतम सं0	ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कामगारों की अधिकतम सं0	कार्य के आरंभ होने/समाप्ति की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6

(च) अन्य विवरण

दिनांक:–

हस्ताक्षर/ई–हस्ताक्षर/

स्थान :–

नियोक्ता का

डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र– II

(नियम–3(1)(iii) देखें)

प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण – पत्र

पंजीकरण संख्या – दिनांक –

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 (2020 का .....) की धारा 33 की उप धारा (2) 2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों में अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र एतद्वारा .... (प्रतिष्ठान का नाम) को प्रदान किया जाता है।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (कृपया निशान लगाए)

(क) कारखाना (ख) ठेका कार्य

(ग) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य (घ) कोई अन्य कार्य (जो उपर शामिल नहीं किए गए है)

2. प्रतिष्ठान के विवरण :–

(क) प्रतिष्ठानों में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –

(ख) ठेकेदार के माध्यम में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या –

(ग) ठेकेदारों की संख्या और उनके विवरण –

(घ) नियोजित अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगारों की कुल संख्या –

3. प्रतिष्ठान का अतिरिक्त विवरणी –

(क) कारखानों के लिए

विनिर्माण प्रकिया का विवरण	योजना अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति	अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता	किसी भी दिवस नियोजित होनेवाले कामगारों की अधिकतम संख्या	स्थापित या प्रस्तावित स्थापित अश्व शक्ति की प्रकृति एवं कुल क्षमता
1	2	3	4	5

(ख) मोटर परिवहन कामगारों हेतु

मोटर परिवहन सेवाओं (जैसे नगर सेवा, लंबी दूरी की यात्रा सेवा, लंबी दूरी की माल ढुलाई सेवा आदि)	मार्गों की कुल सं0	मार्गों की कुल दूरी	पिछले साल की अंतिम तारीख को कुल परिवहन वाहनों की संख्या
1	2	3	4

(ग) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य हेतु

निर्माण कार्य के प्रकार	कार्य प्रारंभ करने की संभावित अवधि	कार्य समाप्ति की अपेक्षित अवधि	स्थानीय प्राधिकार के अनुरोध का विवरण
1	2	3	4

(घ) बगानों के लिए

हेक्टेयर में बगान का कुल अनुदान	कंपनी एक्ट, 1956 में निबंधित नहीं होने की स्थिति में मालिक एवं साझेदार का पूरा नाम एवं आवासीय पता	कंपनी एक्ट, 1956 में निबंधित होने की स्थिति में निदेशकों के पूरा नाम एवं आवासीय पता	सार्वजनिक क्षेत्र के बगान के मुख्य कार्यपालक अथवा महाप्रबंधक का नाम एवं आवासीय पता
1	2	3	4

5. भुगतान किये गये पंजीकरण शुल्क की राशि –

6. पंजीयन पदाधिकारी की अभियुक्ति –

दिनांक:–

हस्ताक्षर /

स्थान :–

पदनाम सहित पंजीयन पदाधिकारी का

ई–हस्ताक्षर / डीएससी

पंजीकरण की शर्तें –

(1) नियम 4 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :

(क) पंजीकरण प्रमाण–पत्र गैर–हस्तांतरणीय होगा

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और संविदा कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी, और :

(ग) इस नियमावली में उपबंध अनुसार संचित करें, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के अनुदान के लिए भुगतान किए गए की गई शुल्क गैर–प्रतिदेय होगी।

(2) नियोक्ता कामगारों की संख्या या पंजीयन पदाधिकारी के कार्य शर्तों के बदलाव की सूचना को 30 दिनों के भीतर देगा, यदि कोई हो,

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक–सह–सुकारक को जहाँ प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या जैसा भी मामला हो, कार्य किया सकता है, ऐसे कार्य के आरंभ होने या जैसा भी मामला हो समाप्ति की वास्तविक तिथि, इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(4) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है।

प्रपत्र–III

(नियम–3(8) देखें)

प्रतिष्ठान का पंजीकरण

क्र०सं०	कार्य की प्रकृति	पंजीकरण सं० और तारीख	नाम और पता एवं पंजीकृत प्रतिष्ठान की अवस्थिति	नियोक्ता का नाम पता और संपर्क विवरण	कामगारों की कुल संख्या और कुल अश्वशक्ति यदि कोई हो	संविदा कामगारों की कुल संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) कारखाना (ख)पौध रोपण कार्य (ग) मोटर परिवहन उपक्रम (घ)श्रव्य–दृश्य प्रतिष्ठान (ङ) भवन और अन्य सन्निमार्ण कार्य (च)संविदा कार्य (छ)अंतरराज्यीय प्रवासी कार्य (ज)अन्य कोई कार्य (जो ऊपर शामिल नहीं है)						

प्रपत्र–IV

(नियम–3(9) एवं नियम–5 देखें)

क–प्रतिष्ठान के आरंभ/समाप्ति की सूचना

1. निबंधन संख्या:

2. प्रतिष्ठान का नाम और पता:

3. नियोक्ता/पत्तन प्राधिकारी का नाम और पदनाम (जिनका प्रतिष्ठान के मामलों के ऊपर अंतिम नियंत्रण है):

4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार किया जाना है:

5. प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृति:

6. कार्य आरंभ करने हेतु सूचना के मामले में कार्य की अनुमानित अवधि:

7. समाप्ति के मामले में समाप्ति की तारीख मैं/हम एतद्वारा यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीकरण संख्या .....

.....दिनांक.....का... कार्य आरंभ/होने की संभावना है/समाप्ति.....

(दिनांक)/.....(दिनांक) से प्रभावी होने की संभावना है।

कार्य समाप्ति के मामले में

मैं/हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

प्रपत्र–V

(नियम–6 देखें)

निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार किसी योग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परीक्षण संचालित किया जाएगाः

क. जन सांख्यिकीयः

प्रश्न	उत्तर	अभियुक्ति
दिनांक :		
कामगार का नाम :		
आयु :		
सथायी पता :		
लिंग :		
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या :		
परिवार की कुल मासिक आय :		
क्या कर्मचारी ई०एस०आई० (कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत है, यदि हाँ तो, आई०पी० संख्या उपलब्ध करें।	हां / नहीं	
क्या कर्मचारी ई०एस०आई० योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना अंतर्गत है? (यदि हाँ, तो योजना का नाम उपलब्ध करें)	हां / नहीं	

ख. व्यवसायिक

प्रश्न :	उत्तर	अभियुक्ति
वर्त्तमान पदनाम :		
कार्य प्रोफाईल :		
वर्त्तमान कार्य प्रोफाईल में सेवा की अवधि :		
प्रति पाली कार्य घंटे :		
प्रति सप्ताह रात की पाली :		
प्रति सप्ताह रात की पाली :		

ग. चिकित्सा इतिहास की संक्षिप्त समीक्षाः पहले से रोग की पहचान या वर्त्तमान में उपचाराधीन या वर्त्तमान में निम्नलिखित से पीड़ित

प्रश्न	उत्तर (हां / नहीं)	अभियुक्ति
रक्तहीनता		
पीलिया		
दमा		
सी०ओ०पी०डी०		
किसी अन्य फेफड़े के रोग का इतिहास (यदि हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
सर घूमना / चक्कर आना		
मधुमेह संबंधी रोग		
उच्च रक्तचाप		
कोई कर्क रोग (यदि हाँ तो कृपया कर्क रोग का उल्लेख करें)		
पीठ के निचले भाग में दीर्घकालिक दर्द		
जोंथ या कुहनी मे दीर्घकालिक दर्द		
हार्निया		
हाइड्रोसील		
अपस्फीत नस		
बवासीर		
कार्य के दौरान अस्थिभंग / फैक्चर / हड्डी या जोड़ का उखड़		
जाने वाली चोट का इतिहास (यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें)		
त्वचाशोथ (यदि हो, तो जगह का उल्लेख करें)		
श्रवण दोष		
दृष्टि दोष		
पिछले एक वर्ष मे अस्पताल में भर्त्ती होने वाले कोई बडी बीमारी (यदि हाँ तो, रोग का नाम)		
गत एक वर्ष में व्यवसायजनित चोटः यदि हो तो, चोट का स्थान और उसकी बारंबारता को उल्लेख करें		

घ. वर्त्तमान लक्षण–रोग मॉड्यूल

प्रश्न	उत्तर (हां / नहीं)	टिप्पणी
धुआँपान की आदत :		
चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा :		
शराब की लत :		
त्वचा रोग (इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस / एक्जिमा / क्लोरेन / एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस) :		
रासायिनक अभिकर्ता या जैविक अभिकर्ता की प्रतिक्रिया के कारण आंख / नाक / गला की जलन :		
पाली के आरंभ होते ही श्वसन संबंधी कठिनाई / सीने में जकड़न / सूखी खांसी जैसे लक्षण :		
वर्तमान में टीवी में पीड़ित :		
पीलिया या हेपेटाइटिस :		
वर्तमान में पीठ के निचले भाग में दर्द में पीड़ित से पीड़ित :		
वर्तमान में हाँथ या कोहनी के दर्द से पीड़ित :		
वर्तमान में दृष्टिदोष से पीड़ित :		
वर्तमान में श्रवण दोष से पीड़ित :		
कोई मौजूदा चोट (अंग–विच्छेद / अस्थिभंग / हड्डी या जोड़ का उखड़ जाने वाली चोट) :		
किसी भी मौजूदा मांशपेशी संबंधी मोच / खिचाव :		

ड. शारीरिक परीक्षण

परीक्षण की तारीख

किसी भी मौजूदा मांशपेशी संबंधी मोच / खिचाव	उपयुक्त	अभियुक्ति
सामान्य त्वचा की स्थिति (यदि कोई त्वचाशोध है, तो कृपया उसके अवस्थिति का उल्लेख करें) :		

भार (किलोग्राम में) :		
कद (मीटर में) :		
तापमान (0एफ) :		
रक्तचाप :		
नब्ज :		
एसपीओ2 :		
श्वसन दर :		
महिला कर्मचारी की स्तन परीक्षण :		

च. अन्वेषण रिपोर्ट

नियमित रक्त जांच रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न करें

जीवनकाल में एक बार रक्त समूह और आरएच टाइपिंग और एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस

मानदंड	उत्तर (सामान्य / वृद्धि / कमी)	मान
हीमोग्लोबिन %		
कुल डब्ल्यूबीसी गणना और अंतर गणना:		
प्लेटलेट गणना		
ईएसआर		
एफबीएस		
पीपीबीएस		
एचबीए1सी स्तर		
बीयूएन		
क्रिएटिनिन		
कुल प्रोटीन		
एलबुमिन		

क्लोबुलिन			
एसजीओटी			
एसजीपीटी			
बिलरूबिन			
युरिन आरई			
युरिन एमई			
प्रोस्टेट विशिष्ट एन्टिजन (पीएसए)			

छ. छाती का मानक एक्स रे (पीए): रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें

दिनांक

मानदंड	उत्तर (सामान्य / वृद्धि / कमी)	मान(यदि कोई महत्व है)
रिपोर्ट		

ज. स्पाईरोमेट्री: रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें (खदान के कर्मचारी के लिए)

मानदंड	उत्तर(सामान्य / वृद्धि / कमी)	मान
पाया गया :		
पुर्वानुमान :		
एफवीसी :		
पाया गया :		
पूर्वानुमान :		
एफईवी / एफवीसी :		
अंतिम रिपोर्ट: सामान्य / प्रतिरोधी फेफड़े का रोग / प्रतिबंधित फेफड़े का रोग / मिश्रित फेफड़े का रोग		

झ. श्रव्यतामिति (शुद्ध स्वर/बीईआरए): रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करें (खदान कर्मचारी के लिए)

दिनांक

मानदंड	मान/परिणाम/विवेचन
बाहरी कान में वैक्स, संक्रमण आदि जैसे किसी भी असमान्यता के लिए कान का दृश्य निरीक्षण	
दाँए कान में सुनने की सीमा:	
बाँए कान में सुनने की सीमा:	
बीईआरए पर आधारित वांछनीय अंतिम रिपोर्ट	
दायाँ कान:	
बायाँ कान:	

ञ. नेत्र जांच रिपोर्ट की फोटोकॉपी संलग्न करे

दिनांक

मानदंड	मान/परिणाम/विवेचन
कार्नियल अपारदर्शिता/स्कैरिंग आदि जैसे किसी भी असमान्यता के लिए नेत्र का दृश्य निरीक्षण	
दृश्य तीक्ष्णता: दायाँ	
दृश्य तीक्ष्णता: बायाँ	
वर्ण दर्शन	
दृष्टि का क्षेत्र	
दूरबीन	
पार्श्व फोरिया	
उर्ध्वाधर फोरिया	
त्रिविम दृष्टि जाँच गहन अनुभूति जाँच	
फुनड्स (रेटिना) जांच	

ट. 12 लेड ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी अंतिम रिपोर्ट

ठ. ऊंचाई पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा स्वस्थता परीक्षण (जैसा प्रयोज्य हो)

1. विस्तृत मेडिकल इतिहास और गहन सामान्य चिकित्सा परीक्षण जिसमें दृष्टि, श्रवण शक्ति, पेशीय अस्थि–पंजर प्रणाली, श्वसन प्रणाली, हृदय तथा रक्त वाहिका प्रणाली आदि के परीक्षण शामिल है।

सभी कर्मचारियों को यथा अनुप्रयोज्य

2. विशेष जांच

क) हृदय तथा रक्तवाहिका संबंधी अनियंत्रित उच्च रक्तचाप या स्थानिक अरक्तता हृदय रोग में विपरीत संकेत होगा। उच्च रक्तचाप और असामान्य ईसीजी निष्कर्षों की उपस्थिति में कर्मचारी को स्वस्थता के लिए हृदय रोगी विशेषज्ञ को भेजा जाना चाहिए।

ख) लैबिरिंथिन कार्यों के लिए और स्थिति के बोध के लिए नेत्र जाँच द्विविपक्षीय नेत्रगोलक के लिए, रोमबर्ग संकेत। द्विपक्षीय नेत्र गोलक की उपस्थिति और एक सकारात्मक रोम्बर्ग संकेत एक पूर्ण विपरीत संकेत होगा।

ग) स्नायु विज्ञान परीक्षण विषयक दौरा विकार का मूल्यांकन करें: मस्तिष्क का सीटी स्कैन और ई.ई.जी. यदि सूचित किया गया है।

घ) मधुमेह नियंत्रण स्थिति का आकलन
(मधुमेह से पीड़ित कर्मचारियों के मामले में)

ङ) फोबिया (एक्रोफोबिया) और चिंता या अवसाद जैसे किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार का आकलन

च) सिर चकराना और चक्कर आने का मूल्यांकन

औद्योगिक सुरक्षा खंड के प्रयोग हेतु:

एक फुट ऊँची क्षैतिज पट्टी बार पर स्वतंत्र रूप से चलना: उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

सुरक्षा बेल्ट पहनकर रस्सी के गाँठ को बांधना: उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

बेल्ट पहनकर 9 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्षैतिज संरचना पर चलना उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

सामान्य शारीरिक गठन (ठीक/ठीक नहीं): उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

ड. नियोक्ता और योग्य चिकित्सक द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के रूप में कोई अन्य जानकारी/ परीक्षण/जैविक जांच

प्रपत्र–VI

(नियम–8 देखें)

दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता का कोड संख्या, ई.एस.आई.सी. बीमा बीमित व्यक्ति का नाम:

1. नियोक्ता का नाम

2. कार्य/परिसर का पता जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है

3. उद्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन
(प्रतिष्ठान की निबंधन संख्या)

4. शाखा या विभाग और सटीक स्थान जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी,

5. घायल व्यक्ति का नाम और पता:

6. (क) लिंग

(ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर)

(ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय

7. स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जिससे घायल व्यक्ति जुड़ा है।

8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि, पाली, और घंटा:

9. (क) किस घंटे घायल व्यक्ति ने दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन कार्य आरंभ किया था:

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन के लिए उसे पूर्ण या भाग में मजदूरी देय है

10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृति:

(ख) यदि मशीनरी के कारण होता है–

(i) मशीन का नाम और उसके भाग का नाम बताएँ जिससे दुर्घटना या खतरनाक घटना घट रही है:

(ii) उल्लेख करें कि क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय यह यांत्रिक शक्ति द्वारा ले जाया गया था

(ग) सटीक रूप में उल्लेख करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति क्या कर रहा था:

(घ) आपकी राय में, क्या घायल व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय–

(i) किसी भी कानून के प्रावधानों, जो उस पर लागू है, का उल्लंघन कर रहा था,

या

(ii) अपने नियोक्ता की ओर से या उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन कर रहा था, या

(iii) अपने नियोक्ता के अनुदेश के बिना कार्य कर रहा था?

(ङ) (घ) (i) (ii) या (iii) के मामले में उत्तर सकारात्मक है, तो उल्लेख करें कि क्या यह कार्य नियोक्ता के व्यापार या व्यापार के प्रयोजनार्थ और संबंध में था।

11 यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना नियोक्ता के परिवहन में यात्रा करने के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से आना जाना यात्री के रूप में कर रहा था:

(ख) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता के व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा था:

(ग) नियोक्ता द्वारा या उनके पक्ष में किसी और व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है जिसे नियोक्ता के साथ किए गए व्यवस्थाओं के अनुसरण में प्रदान किया जाता है और

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य अवधि में परिचालन किया/नहीं किया जा रहा है।

12. यदि आपातकालीन के दौरान दुर्घटना या खतरनाक घटना घटती है, तो उल्लेख करें–

(क) इसकी प्रकृति; और

(ख) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है उस परिसर में या आस–पास अपने नियोक्ता के व्यापार या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था।

13. संक्षेप में वर्णन करें कि कैसे दुर्घना वा खतरनाक घटना घटी

14. साक्ष्यों का नाम और पता (1)

15. (क) चोट की प्रकृति और विस्तार (जैसे घातक, उंगली खोना, पैर का अस्थिभंग, जलन, खरोंच के बाद सेप्सिस आदि)

(ख) चोट की अवस्थिति (जैसे दायाँ पैर, बायाँ हाँथ, बायीं आँख आदि)

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय के लिए अक्षम (दिव्यांग) था।

(ख) कार्य से वापसी की तिथि और घंटे

17. (क) चिकित्सक, औषधालय या अस्पताल जहाँ से घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है

(ख) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित दवाखाना/पैनल चिकित्सक का नाम

18. (क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई?

(ख) यदि हाँ, मृत्यु की तिथि

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण हर तरह से सही है।

स्वामी/नियोक्ता/प्रबंधक/अभिकर्ता का

हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

प्रतिवेदन को प्रेषित करने की तिथि

स्थान

प्रपत्र– VII

(नियम–26 देंखे)

कार्य अवधि का नोटिस

प्रतिष्ठान का नाम.....

स्थान.....जिला.....

कार्य समूह की अवधि, रिले	पुरूष												महिला												समूह का विवरण कार्य की प्रकृति	अनियुक्ति
	क			ख			ग			घ			ड.			च			छ			ज				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

कार्य दिवसों पर

से..

तक..

से..

तक..

आंशिक कार्य दिवसो पर

से..

तक..

वह दिनांक जब यह सूचना पहले प्रदर्शित की गई है

दिनांक

प्रबंधक या अभिकर्ता का

हस्ताक्षर

प्रपत्र– VIII

(नियम 27 देखें)

कर्मचारी रजिस्टर

(रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अनुरक्षित किया जा सकता है जिस में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होंगे।)

प्रतिष्ठान का नाम		
नियोक्ता / अधिष्ठाता का नाम		
श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) / प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों हेतु अनुरक्षित किया जाए		
1	कर्मचारी कोड	
2	नाम	
3	उपनाम	
4	लिंग	
5	पिता / पति / पत्नी का नाम	
6	जन्म की तारीख	
7	जन्म स्थान	
8	राष्ट्रीयता	
9	शैक्षणिक स्तर	
10	नियुक्ति की तारीख	
11	पदनाम	
12	श्रेणी (अकुश, अर्ध–कुशल, कुशल या अतिकुशल)	
13	कर्मचारियों / कामगार का प्रकार	
14	मोबाईल नंबर	
15	सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)	
16	पैन (पीएएन)	
17	पीपीएफ संख्या	
18	नागिती	

19	इपीएस / एनपीएस
20	परिवार का विवरण
21	तैनाती का विवरण
22	वेतनमान
23	पदोन्नति
24	ईएसआईसी बीमित व्यक्ति संख्या
25	आधार संख्या
26	बैंक खाता संख्या
27	बैंक
28	शाखा (आईएफएससी)
29	वर्तमान पता
30	स्थायी पता
31	सेवा पुस्तिका संख्या
32	निकासी की तिथि
33	निकासी का कारण
34	पहचान–चिह्न
35	फोटो
36	नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
37	टिप्पणियां

प्रपत्र–VIII (क)

(नियम 27 देखें)

उपस्थिति रजिस्टर–सह–मस्टर रोल

(उपस्थिति रजिस्टर–सह–मस्टर रोल का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होंगे)

माह के लिए ....., वर्ष 20...

प्रतिष्ठान का नाम

नियोक्ता / स्वामी का नाम

प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या / श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)

1	क्र०सं०															
2	कर्मचारी कोड															
3	नाम															
4	पदनाम															
5	पाली															
6	कार्य स्थल / अनुभाग / विभाग															
7	प्रवेश और निकास की तिथि और समय															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	कार्य किए गए कुल दिनों की संख्या															
9	कार्य किए गए समयोपरि घंटो की संख्या															
10	कार्य–स्थल के बाहर यात्रा या कार्य, यदि कोई हो तो उसका संक्षेप में ब्यौरा															
11	रजिस्टर–प्रबंधक का हस्ताक्षर															

प्रपत्र–VIII (ख)

(नियम 27 देखें)

वेतन, ओवरटाइम और कटौतियों के लिए रजिस्टर

(रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखा किया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित विवरण शामिल हैं)

प्रतिष्ठान का नामः	
नियोक्ता/स्वामी का नामः	
प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या/श्रम पहचान संख्या (एलआईएन)	
dd/mm/yyyy से dd/mm/yyyy (महीने/फोर्टनी/साप्ताहिक/दैनिक/पीस रेटेड) तक वेतन अवधि	
1	क्रम संख्या
2	कर्मचारी कोड संख्या
3	नाम
4	पदनाम
5	**मजदूरी दर**
	क) मूल वेतन
	ख) डीए
	ग) अन्य भत्ते
	घ) कुल
6	कार्य किए गए दिनों की संख्या
7	समयोपरि काम किए गए घंटे
8	कमाई गई मजदूरी राशि
	क) मूल वेतन
	ख) डीए
	ग) अन्य भत्ते
	घ) समयोपरि भुगतान
	ङ) कुल कमाई गई मजदूरी
9	कुल कटौती
	क) ईपीएफ
	ख) ईएसआईसी
	ग) सोसाइटी
	घ) आय कर
	ङ) बीमा
	च) अन्य भत्ते

	छ) जुर्माने की वसूली	
	ज) नुकसान ठेस की वसूली	
	कुल कटौती	
10	कुल भुगतान	
11	कर्मचारियों द्वारा रसीद / बैंक लेनदेन आईडी	
12	भुगतान की तारीख	
13	नियोक्ता/प्रतिनिधि के प्रारंभिक अक्षर	
14	टिप्पणी	

प्रपत्र–VIII (ग)
वेतन पर्ची
(नियम 27 देखें)

प्रतिष्ठान का नाम ....

पता: अवधि:

1	कर्मचारी का नाम:			
2	पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम:			
3	पद-नाम:			
4	यूएएन:			
5	बैंक खाता संख्या:			
6	वेतन अवधि:			
7	देय वेतन की दर	क) मूल वेतन	ख) महंगाई भत्ता	ग) अन्य भत्ते
8	कुल उपस्थिति / किए गए कार्य की इकाई			
9	समयोपरि वेतन			
10	देय सकल वेतन			
11	कुल कटौती	क) भविष्य निधि	ख) ईएसआई	ग) अन्य
12	भुगतान किया गया निवल वेतन			

प्रपत्र– IX

(नियम–29 देंखे)

वार्षिक विवरणी

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रपत्र.....को समाप्त वर्ष हेतु

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध सहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत ऑन–लाइन भरे जाने हेतु एकल समेकित विवरणी

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

1 इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और जमा किया जाना अपेक्षित है।

2 प्रतिष्ठान शब्द का व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य और दशाऐं संहिता, 2020 के अतर्गत एक ही अर्थ होगा।

3 यह विवरणी ठेकेदार या श्रम शक्ति आपूर्तिकर्ता के मामले में भरा जाना है, जिसने 50 से अधिक कामगारों को प्रासंगिक अवधि में नियोजित किया हो और खदान के मामले मे भले ही संबंधित अवधि में एक कर्मचारी कार्यरत हो।

सभी प्रतिष्ठानों के लिए लागू– भाग–1

क. सामान्य सूचना:

क्र0सं0			कोष्ठक भरे जाने के लिए अनुदेश
1	श्रमिक पहचान संख्या/पंजीकरण संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2	विवरणी की अवधि	से–तक	अवधि केलेंडर वर्ष होना चाहिए
3	प्रतिष्ठान का नाम		
4	ई–मेल आईडी		

5	दूरभाष संख्या	
6	मोबाईल संख्या	
7	परिसर का नाम	
8	उप–मोहल्ला	
9	जिला	
10	राज्य	
11	पिन–कोड	
12	भू–निर्देशांक	
ख(क)	**दिवस में कार्य घंटे**	

ग तैनात श्रम शक्ति का विवरण

विवरण	सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				कुल योग
कौशल श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध–कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध–कुशल	अकुशल	
(i) वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	
(ii) वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	
(iii) उपरोक्त (ii) में से प्रवासी कामगार	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरूष	महिला	उभय लिंगी	कुल	

(iv) कार्यरत नियत अवधि के कर्मचारी की संख्या	पुरुष	महिला	उभय लिंगी	कुल	पुरुष	महिला	उभय लिंगी	कुल

घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण

क्र०सं०	एलआईएन सहित नाम/ ठेकेदारा की पंजीकरण संख्या	कार्यरत संविदा श्रमिक की संख्या

ङ. प्रदान किए गए विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	प्रदान किए गए विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	वैधानिक (विधान विनिर्दिष्ट करें)	भरने हेतु अनुदेश
1	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 (v) के अनुसार)	बॉक्स में हाँ या नहीं पर निशान लगाएं	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ संविदा श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित हैं।
2	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 के अनुसार)	बॉक्स में हाँ या नहीं पर निशान लगाए	उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत है
3	एंबुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हाँ या नहीं पर निशान लगाएँ	खदान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित है
4	सुरक्षा समिति (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(1) के अनुसार)	बॉक्स में हाँ या नहीं पर निशान लगाएँ	500 कामगारों या अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्लयू जिसमें 250 या अधिक कामगार नियोजित हैं

			और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले खदानों के लिए लागू है।
5	सुरक्षा पदाधिकारी (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22(2) के अनुसार)	नियुक्त सुरक्षा पदाधिकारियों की संख्या	खदान के मामले में 100 या अधिक कामगारों और बीओसीडब्ल्यु के मामले में 250 या अधिक कामगार सामान्य रूप से नियोजित।
6	योग्यता चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12(2) के अनुसार)	नियुक्त सुरक्षा चिकित्सकों की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित योग्य चिकित्सकों की न्यूनतम संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर आँकड़े होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता है।

	ध. औद्योगिक संबंध		भर्ती हेतु निदेश
1	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (आईआर संहिता, 2020 की धारा 3)	हाँ / नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत है
(क)	गठन की तारीख		
2	क्या शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया (आईआर संहिता , 2020 की धारा 4)	हाँ / नहीं	20 या अधिक कामगारों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में कामगार नियोजित है
3	प्रतिष्ठानों में संघों की संख्या		
4	क्या कोई वार्ता संघ मौजूद है (आईआर संहिता 2020 की धारा 14)	हाँ / नहीं	

5	क्या किसी भी वार्तापरिषद का गठन किया गया है (आईआर संहिता 2020 की धारा 14)	हाँ / नहीं	

6	वर्ष के दौरान, जिन्हें सेवा मुक्त, बरखास्त, छँटनी ग्रस्त या सेवा समाप्त किया गया, उन कामगारों की संख्या			
सेवा मुक्त	बरखास्त	छंटनी ग्रस्त	सेवा समाप्त या हटाए गए	कुल योग

7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए कार्य दिवस			
क्र०सं०	कारण	अवधि / दिनांक	व्यर्थ गए कार्य दिवसों की संख्या	धन संबंधी हानि
(क)	हड़ताल			
(ख)	तालाबंदी			

8	छँटनी / कामबंदी के विवरण			
क्र०सं०	अवधि के दौरान छँटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छँटनी किए गए कर्मचारियों को किए गए भुगतान का विवरण	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए कार्य दिवसों की संख्या

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित विवरण				
महिलाओं कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाली महिला कर्मचारी की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें विकित्सा बोनस दिया गया	वेतन की कटौती की संख्या, यदि किसी महिला कर्मचारी से किया गया	

ज. बोनस के भुगतान का विवरण

क्र०सं०	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान की गई कुल	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और अधिसूचनीय रोगों का विवरण

क्र०सं०	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके द्वारा घायल व्यक्ति को ओएसएच संहिता 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतक के नाम।	ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ ओएसएच संहिता 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिसूचनीय रोगों के मामलों की कुल संख्या

ञ. दुर्घटनाओं/खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ हुए कार्य दिवस और उत्पादन

क्र०सं०	दुर्घटनाओं/खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रमदिन	खोया हुआ उत्पादन

प्रपत्र– X

(नियम–30 देखें)

दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर

घायल व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो)	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की तारीख	निरीक्षक सह सुकारक को रिपोर्ट की गई तारीख	दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति	घायल व्यक्ति की काम पर वापसी	घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थित होने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र– XI

(नियम–31 (1) देखें)

वेतन सहित अवकाश के लिए रजिस्टर

भाग I दुकान

भाग II कैंटीन

प्रतिष्ठान

जिला

कामगार का नाम

पिता का नाम

क्र० सं०	कामगार के रजिस्टर में क्रम संख्या	सेवा में आने की तारीख	बीमारी और दुर्घटनाएं	अर्जितकृत छुट्टी	तालाबंदी या बंद होने के दौरान	बेरोजगारी	अन्य	से प्रभावी छुट्टियां	क्या अगले 12 महीनों के दौरान छुट्टी इकट्ठा नहीं है	जिस तारीख से कामगार को छुट्टी की स्वीकृति दी गई है।	अवकाश जिसके लिए भुगतान किया गया	मुक्त किया गया कामगार		अभियुक्ति
												मुक्त होने की तारीख	बकाया छुट्टी के बदले भुगतान के लिए गई राशि और तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट:– प्रत्येक कामगार को अलग पृष्ठ आवंटित कराया जाएगा।

प्रपत्र–XII

(नियम– 34 देखें)

सुधार सूचना और निषेध आदेश

भाग–1

निषेध आदेश

प्रतिष्ठान के निरीक्षण पर निरीक्षक–सह–सुकारक को सूचना, उठाव, उपकरण, ढीले गियर तथा अन्य ऐसे गियर, उपकरण, सीढ़ियाँ और मचान। अधिभोगी के लिए निरीक्षक–सह–सुकारक की सूचना, नियोक्ता, मालिक मास्टर, कार्यालय प्रभारी, उठाव उपकरण का सभी ढीले गियर और उठाव उपकरण या व्यक्ति, चबूतरा, जो स्वयं द्वारा उसकी अभिकर्ता या उसके नियोक्ता, जो भी मामला हो।

प्रतिष्ठान का नाम, उठाव उपकरण, उठाने का उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान	प्रतिष्ठान का पता जहाँ स्थित है/उपयोग में हो, अवस्थित	प्रतिष्ठान की निबंधन संख्या	प्रतिष्ठान का LIN संख्या
1	2	3	4

उपर्युक्त नामित स्थापना, उठाव उपकरण, ढीले गियर, उठाव उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढ़ियों और मचान का निरीक्षण दिनांक.....को किया गया था।

प्रतिष्ठान से जुड़ी गतिविधियाँ जो आपके द्वारा की जा रही है/आपके द्वारा/आपके नियंत्रण में होने के कारण जीवन के लिए जोखिम या खतरा है। कर्मचारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य और निम्नलिखित उल्लंघन शामिल है:

उल्लंघन

अतएव, मैं इसके द्वारा निर्देशित करता हूँ कि उक्त गतिविधियों को आपके द्वारा या आपके नियंत्रण में नही किया जाएगा जब तक कि उल्लिखित उल्लंघनों और मामलों का निरीक्षण निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता की संतुष्टि के लिए किया गया हो। यह आदेश बिना किसी पूर्वाग्रह या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए जारी किया जा रहा है। जो इन उल्लंघनों के लिए किया जा सकता है। आपसे सुनवाई पर कि आवश्यकता को प्रतिष्ठान के साथ, उठाव उपकरण, ढीले गियर या समान गियर, परिवहन उपकरण/सीढ़ियों मचान और

कबूतरा को अनुपालन किया गया है, निरीक्षण पूरा होने की दृष्टि से दुबारा दौरा किया जाएगा।

संख्या.....

दिवस – 20.....

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदाता

आवश्यकताएँ

उपरोक्त सभी या किसी उल्लंघन के अनुपालन पर निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदाता को निर्धारित तिथि स्थान पर निर्धारित तरीके से सूचित किया जायेगा, जिस पर प्रतिष्ठान उठाव उपकरण, ढीले गियर, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान के साथ अनुपालन किया गया है, मचान को फिर से निरीक्षण किया जा सकता है।

महाशय,

आपके द्वारा अधिसूचित उल्लंघन को प्रभावी ढंग से सुधार कर लिया गया है। प्रतिष्ठान उठाव उपकरण, ढीले गियर, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान, कबूतरा नीचे नामित तिथि और स्थान पर निरीक्षण के लिए तैयार रहेंगे।

निरीक्षण की तिथि	स्थान
दिनांक दिवस 20	नियोक्ता, अधिभोगी, मालिक प्रबंधक, मास्टर, कार्यालय प्रभारी या अभिकर्ताओं या मशीनरी का मालिक तथा गियर या व्यक्ति, जो स्वयं अपने अभिकर्ताओं या अपने नियोक्ता, प्रतिष्ठान पर जारी रहता है, जो भी मामला हो।

सेवा में,

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता

भाग–II

सुधार सुचना

नियोक्ता, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, कार्यालय प्रभारी या अभिकर्ताओं, उठाव उपकरणों के मालिक, ढीले गियर, उठाव उपकरणों, मचान या व्यक्तियों जो स्वयं द्वारा अपने अभिकर्ताओं या अपने नियोक्ताओं द्वारा जैसा भी मामला हो प्रतिष्ठान पर जारी रहता है।

प्रतिष्ठान का नाम, उठाव उपकरण, ढीले गियर, उठाव उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान	जहाँ स्थित है/ उपयोग में हो, अवस्थित	पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री	जहाज का कार्यालय संख्या (यदि हो तो)

उपर्युक्त नामित प्रतिष्ठान, गोदी, जहाज, उठाव उपकरण, ढीले गियर, उठाव उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान का निरीक्षण दिनांक.....को किया गया था। निम्नलिखित उल्लंघन पाया गया। आपसे उक्त उल्लंघनों के उपचार की अपेक्षा है तथा अनुपालन रिपोर्ट को लिखित में ..... दिनों के अन्दर भेजें।

यह सूचना किसी कानूनी कार्रवाई के लिए बिना पक्षपात के जारी किया जा रहा है, जिसे आपसे सुनवाई पर इन उल्लंघनों के लिए लिया जा सकता है कि प्रतिष्ठान के साथ उठाव उपकरणों/ढीले गियर या सामान्य अन्य गियर/परिवहन उपकरण/सीढी/मचान बबूतरा की आवश्यकता को अनुपालन किया गया है, निरीक्षण पूरा होने की दृष्टि से दुबारा दौरा करेगी

आपसे यह सुनने पर आवश्यकताओं की स्थापना, उठाने का उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाने वाले उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान के साथ अनुपालन किया गया है, मचान को फिर से निरीक्षण पूरा होने की दृष्टि से देखा जायेगा।

उल्लंघन संख्या ..... दिनांक–..... इस ..... दिवस.....20.....

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड 2020 के तहत निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदाता

सभी या किसी भी आवश्यकताओं के अनुपालन पर, निरीक्षक –सह– सुविधा प्रदात्ता को दिनांक और स्थान के निर्धारित तरीके से सूचित किया जाना चाहिए, जिस पर प्रतिष्ठान,

उठाव उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाव उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढ़ी और मचान का फिर से निरीक्षण किया जा सकता है।

आपके द्वारा द्वारा नोट की गई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है। प्रतिष्ठान, उठाव उपकरण, ढीले उपकरण, ढीले गियर, उठाव उपकरण, परिवहन उपकरण, सीढी और मचान, मचान निरीक्षण के लिए निम्नलिखित नामित तिथि और स्थान पर तैयार होंगे।

निरीक्षण की तिथि

दिनांक..... दिवस..... 20..... नियोक्ता, अधिभोगी, मालिक, मास्टर, प्रबंधक, अधिकारी–प्रभारी या अभिकर्ता, मशीनरी और गियर या मालिक या व्यक्ति, जो स्वयं, अपने अभिकर्ताओं या आपने नियोक्ताओं प्रतिष्ठान पर जारी रखा गया।

शेष में,

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत

निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता

प्रपत्र– XIII

(नियम–43 देखें)

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण/अनुज्ञप्ति का संशोधन (सामान्य/एकल अनुज्ञप्ति सहित)

के लिए ऑनलाइन आवेदन

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

प्रतिष्ठान की रूपरेखा:

श्रमिक पहचान संख्या/ पंजीकरण संख्या दिनांक

पावती सं.....आवेदन की तिथि.....

I. प्रतिष्ठान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

1. प्रतिष्ठान का नाम

2. प्रतिष्ठान का पता

(क) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का पता–

(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का पता –

3. दूरभाष संख्या :

4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर गतिविधि : (दी गई सभी लागू गतिविधियों को चुनें)

5. चयनित एनआईसी संहिता का ब्यौरा :

6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति

7 आवेदक का हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

II नियोक्ता का ब्यौरा

1. नियोक्ता का पूरा नाम.....प्रतिष्ठान के साथ संबंध

2. नियोक्ता का पूरा पता

3. नियोक्ता की ईमेल आईडी

4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर

III नियोजित होने वाले/नियोजित संविदा श्रमिकों का विवरण (कार्यवार यदि अनुज्ञप्ति अपेक्षित है)

कार्यस्थलों की अवस्थिति	कार्य का नाम	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर गतिविधि	कार्य आरंभ की तिथि	पूरा होने की तिथि	प्रतिष्ठान का नाम जिसमे संविदा श्रमिक नियोजित है / होने के लिए प्रस्तावित है	स्थल प्रभारी का नाम, पता ईमेल आईडी
1	2		3	4	5	6

5. किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या 24

6. अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि आईएनआर (लेनदेन आईडी :)

7. सुरक्षा जमा राशि : आईएनआर (लेनदेन आईडी :)

IV प्रतिष्ठानों का ब्यौरा जिनके लिए सामान्य अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे है)

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर गतिविधि	कार्य आरंभ होने की तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित तारिख	नियोजित / नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ई–हस्ताक्षर / डीएससी)

नोट : यह श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक

2. एलआईएन और पैन

2. प्रतिष्ठान का नाम और पता

3 पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि

4 क्या नियोक्ता / ठेकेदार का अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त किया गया था

5. जमा किए गए शुल्क का ब्यौरा (ई भुगतान प्राप्ति संलग्न करें) राशि .....भुगतान की तारीख

नियोक्ता / ठेकेदार का
ई हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर

दिनांक

अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन

1. अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक

2. एल आई एन और पैन

3. प्रतिष्ठान का नाम और पता

4. विवरण जिसके लिए संशोधन की मांग की गयी है

(क) वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्या (नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढ़ोतरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त शुल्क सुरक्षा जमा भरने की आवश्यकता होगी)

(ख) ई भुगतान के माध्यम से किए गए भुगतान शुल्क की तारीख का ब्यौरा

(ग) जारी किए गए अनुज्ञप्ति में अपेक्षित संशोधन का अन्य विवरण (अपेक्षित बदलाव के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए)

V प्रतिष्ठान का ब्यौरा जिसके लिए एकल अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे हैं)

राज्यों के नाम जहाँ प्रतिष्ठान स्थित है	प्रत्येक कार्य का नाम	नियोजित किए गए / किए जाएंगे श्रमिकों की अधिकतम संख्या	प्रारंभ तिथि	स्थायी प्रतिष्ठान या पूर्ण होने की संभावित तिथि	नियोजित / नियोजन के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पंजीकरण संख्या, यदि प्राप्त हो तो उसका विवरण
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक

नियोक्ता ठेकेदार का
ई–हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर

आवेदन की तिथि

प्रपत्र–XIV

(नियम–43 (3) देखें)

अनुज्ञप्ति प्रपत्र

अनुज्ञप्ति संख्या ———————————— पंजीकरण

संख्या ———————————— पंजीकरण

की तारीख ———————————— को एतद्वारा अनुज्ञप्ति

दिया जाता है ———————————— परिसर

के लिए जाना जाता है जो

————————————————————में स्थित है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए

————20—— जारीकर्ता

प्राधिकारी

क्रम संख्या	जारी करने की अवधि	के लिए वैध किसी एक दिन पर श्रमिक संविदा कामगार की अधिकतम संख्या	शुल्क	भुगतान की तारीख	विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क	भुगतान की तारीख	जारी कर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर

संशोधन

वर्ष जब संशोधित हुआ	किसी एक दिन में संविदा श्रमिक/ कामगारों की अधिकतम संख्या	संशोधन शुल्क के भुगतान की तारीख	भुगतान की तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–XV

(नियम–52 देखें)

ठेका का अनुभव प्रमाणपत्र

जिससे भी संबंधित हो

1. ठेकेदार/नियोक्ता का नाम

2. ठेकेदार/नियोक्ता का एलआईएन/पैन की संख्या/ पंजीकरण संख्या

3. ठेकेदार/नियोक्ता की ईमेल आईडी

4. ठेकेदार/नियोक्ता की मोबाइल संख्या

5. कार्य की प्रकृति और स्थान

6. मुख्य नियोक्ता का नाम

7. मुख्य नियोक्ता का एलआईएल/पैन संख्या

8. मुख्य नियोक्ता का ईमेल आईडी

9 मुख्य नियोक्ता का मोबाइल संख्या

10 कामगार का नाम

11 यूएएन/ आधार संख्या

12 मोबाइल संख्या

13 क्रम

14 बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम
यदि भवन और अन्य सांनिर्माण कामगार लाभार्थी
के रूप में पंजीकृत है

15 रोजगार की अवधि

16 पद

ठेकेदार की मुहर सहित हस्ताक्षर

जो लागू नहीं हो वह काट दें।

प्रपत्र–XVI

(नियम–57 देखें)

निर्माता और श्रव्य–दृश्य कामगार के मध्य समझौता

प्रथम भाग में मेसर्स के मध्य.....कार्यालय में इस दिन .....माह .....वर्ष (निर्माता के रूप में इसके बाद संदर्भित किया जाता है) समझौता किया जाता है और दूसरें भाग में श्री.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(बाद में 'श्रव्य–दृश्य कामगार' के रूप में संदर्भित) निवास.....मे रहते है। 'निर्माता' और 'श्रव्य–दृश्य कामगार' शब्द उनके उत्तराधिकारी, प्रशासन और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होगे।

अब, इसलिए यह समझौता इस प्रकार है

1. यह दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस करार की अवधि श्रव्य–दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह अवधि अनुगामी महीनों से अधिक नही होगी।

2. यह श्रव्य–दृश्य कामगार स्टूडियों, स्थान या कार्य स्थल मे, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उसके पिछले कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर, उसके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उसकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है।

3. यह श्रव्य–दृश्य सेवाओं के विसंगति के रूप में, पूर्वोक्तर रूप में, निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है इस करार पर हस्ताक्षर करने और श्रव्य–दृश्य कामगार.....रूपये (रूपये.....) की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत है और समान किश्तों में.....रूपये का अग्रिम शेष .....देय है।

4. यह कि श्रव्य–दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होने पर और निर्माता को अगी भी श्रव्य–दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है ताकि श्रव्य–दृश्य उत्पादन को पूरा किया जा सके और निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है तथा श्रव्य–दृश्य कामगार प्रो–राटा के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, जो उत्पादन के पूरा होने तक, उपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा।

5. यदि कि उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित अवधि की तुलना में श्रव्य–दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार को पूर्ण भुगतान करेगा तथा री–रिकॉर्डिंग कार्य / रोंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा।

6. यदि आवश्यक हो तो श्रम–दृश्य कामगार

(क) जैसा मामला हो प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य–स्थान में आना और उस स्थिति में, उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग..... रू. की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ख) यदि वह एक घंटे के विराम के साथ, कार्यदिवस से परे काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता को सुविधाओं के अतिरिक्त घंटो के दौरान काम के लिए उसे .....रूपये की दर से मजदूरी का भुगतान जलपान, और परिवहन सुविधा प्रदान किया जाएगा।

8. यह कि निर्माता और श्रव्य–दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित के अनुसार निर्माता ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए परिवहन और भोजन या यात्रा भत्ते का भुगतान और ड्यूटी पर भोजन भत्ते उपलब्ध करेगा।

9. यह कि निर्माता रात्री यात्रा और आवास खर्चों, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्तों का भुगतान करेगा जब श्रव्य–दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक होती है।

10. इस करार के तहत, निर्माता को श्रव्य–दृश्य कामगार उसके रोजगार/कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

11. जहाँ आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य–दृश्य के उत्पादन बढने से रोका जाता है: –

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान वह इस करार के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के सूचना की सेवा की तारीख तक अपने ऊपर संभव देय का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर,

यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड । में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा।

12. यदि निर्माता इस करार के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य–दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस करार को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य–दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

13. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या करार के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य–दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस करार को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कामगार को भुगतान, श्रव्य–दृश्य कामगार के ऑडियो–विजुअल में कुल काम और करार के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य–दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य–दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य–दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस करार के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य–दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

14. इस करार की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य–दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

15. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपड़े, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य–दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य,–दृश्य कामगार को सुचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

16. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता था जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

17. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च, किराए, भोजन की लागत और ऐसे अन्य मदों जो प्रथागत होते हैं के लिए भी भुगतान करना होगा, जब श्रव्य–दृश्य कामगार को स्थल पर काम करना आवश्यक होता है।

18. इस करार के तहत निर्माता को श्रव्य– दृश्य कामगार उसके रोजगार उसके कार्य की अवधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

19. जहाँ निर्माता को आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से श्रव्य –दृश्य के प्रोडक्शन को आगे बढ़ने रोक सकता है।

(क) उत्पाद निलंबित होने की स्थिति में, उत्पादन के निलंबन की अवधि के दौरान, उसे इस करार के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारिख तक अपने सभी भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन अवधि को छोड़कर खंड। में निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहेगा या

(ख) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में, उत्पादन की समाप्ति से इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य–दृश्य कामगार के सभी राशि, का भुगतान करेगा।

20. यदि निर्माता इस करार के तहत आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य–दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस करार को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान ऐसा करने का हकदार होगा। श्रव्य –दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को न उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य–दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।

21. निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या करार के तहत आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य–दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस करार को समाप्त कर दे, समाप्ति के समय राशि के श्रव्य–दृश्य कामगार भगतान, श्रव्य–दृश्य कामगार के ऑडियो–विजुअल में कुल काम और इस करार के समाप्ति की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई। इस खंड के तहत समाप्ति तबतक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य–दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य–दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य–दृश्य कामगार हो सकता है। मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य–दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस करार के लिए नौकरी हेतु एक अन्य श्रव्य दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

22. इस करार की समय पूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य–दृश्य कामगार के काम को श्रव्य–दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य–दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट शीर्षक पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

23. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य–दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा, उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य–दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो।

24. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य–दृश्य के निदेशक निर्देश देता है और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं।

25. यह कि श्रव्य–दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल के सभी नियमों का जैसा भी मामला हो पालन करेगा।

26. यह कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार की लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को इस करार के लाभ को सौंपेगा या अंतरण नहीं करेगा।

27. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस करार पर लागू होंगे।

28. यह कि निर्माता श्रव्य–दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना, इस करार के तहत श्रव्य–दृश्य कामगार के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य–दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा।

दोनों पक्षों ने एक–दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस करार को स्वीकार किया है।

1. साक्षी — निर्माता

नाम और पता

2. साक्षी — श्रव्य–दृश्य कामगार

नाम और पता

प्रपत्र–XVII

(नियम– 60 देखें)

बीड़ी एवं सिगार स्थापना की अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या नवीकरण के लिए आवेदन

1. ओ. एस. एच. की धारा 3 के अनुसार प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या.....
2. औद्योगिक परिसर का पूरा नाम –
3. (क) औद्योगिक परिसर का पत्राचार का पता और स्थिति
   (ख) पूर्ण पता जिसे औद्योगिक परिसर से संबंधित सूचना भेजा जाना चाहिए
   (ग) आवेदक का पूरा पता
4. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या
5. नियोक्ता का पूरा नाम और आवासीय पता –
6. यदि नियोक्ता एक साझेदारी, कंपनी आदि है, तो अन्य साझेदारों, निदेशकों आदि (नोट–1) का पूरा नाम और आवासीय पता, आदि।
7. नियोक्ता के वित्तीय संसाधन (जैसे चल और अचल सम्पत्तियाँ का विवरण, मूल्य, बैंक संदर्भ, आयकर आकलन आदि)
8. क्या नियोक्ता व्यापार और वाणिज्य वस्तु अधिनियमय, 1958 के तहत पंजीकृत व्यापार चिन्ह मार्क धारक है?
9. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक परिसर में बीड़ी या सिगार या दोनो का मूल्य
10. उद्योग में आवेदक का पिछला अनुभव
11. क्या औद्योगिक परिसर का प्रस्तावित स्थल किसी भी मौजूदा औद्योगिक परिसर के स्थल में परिवर्तन के समान है और यदि हाँ, तो इस परिवर्तन का कारण।
12. क्या आवेदक द्वारा बारह महीने की अवधि के दौरान किसी भी औद्योगिक परिसर को बंद कर दिया गया था, तुरन्त आवेदन की तारीख से पहले, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है
13. तम्बाकू प्राप्त करने का स्त्रोत

14. हालांकि आवेदक द्वारा बीड़ी या सिगार या दोनों स्वयं या स्वामी के माध्यम से या व्यापार एवं वाणिज्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत व्यापार चिह्न के पंजीकृत उपयोगकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा बेचा और विपणन किया जाएगा।

15. क्या परिसर की योजनाएं संलग्न है?

मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रपत्र में दिया गया ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में शुद्ध है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– 1. जहाँ एक औद्योगिक परिसर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या कम्पनी आदि की ओर से या उसके द्वारा एक ठेकेदार द्वारा चलाया जाता है या प्रस्तावित है, उक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्ति या कम्पनी, आदि अधिनियम के तहत है। नियोक्ता और फार्म में नियोक्ता के लिए दर्ज किए जाने वाले विवरण ऐसे व्यक्ति, व्यक्ति या कम्पनी आदि के संबंध में होने चाहिए।

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हालांकि ठेकेदार या नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है।

(2) क्रम 5 के विरूद्ध यदि कोई व्यक्ति हो तो नाबालिग नही होगा।

प्रपत्र–XVIII

(नियम 60 (3) देखें)

अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या पंजीकरण संख्या

अनुज्ञप्ति एतद् द्वारा प्रदान किया जाता है जो केवल उस परिसर के लिए मान्य है जिसका उपयोग औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया है .....

से अधिक नहीं। ..... वर्ष के दौरान किसी एक दिन कर्मचारी .....

.....अनुलग्नक में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन

अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

औद्योगिक परिसर का नाम।

औद्योगिक परिसर की स्थिति।

बिजली चालित मशीनरी की स्थापना के लिए भी अनुमति दी गई है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

नवीकरण

(नियम 63 (5) देखें)

नवीकरण की तिथि	नवीकरण के लिए भुगतान की गई शुल्क की राशि	वैधता समाप्ति की तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

दिनांक

सक्षम प्राधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक

अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(1) अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट औद्योगिक परिसर के उस हिस्से पर ही केवल विनिर्माण प्रक्रिया की जाएगी।

(२) औद्योगिक परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट बिजली चालित मशीनरी के अलावा अन्य मशीनो का उपयोग परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नही किया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमति के अलावा, औद्योगिक परिसर को विस्तारित नहीं किया जाएगा और इस तरह की अनुमति के अलावा ऐसे परिसर में किसी भी इमारत में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा

प्रपत्र–XIX

(नियम–62 देखें)

(औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन)

1. प्रतिष्ठान का पंजीकरण संख्या –

2. अनुज्ञप्ति संख्या –

3. औद्योगिक परिसर का पूरा नाम एवं पता –

4. नियोजक / ठेकेदार का नाम एवं पता –

5. प्रतिष्ठान में पिछले 12 महीने में किसी दिन नियोजित अधिकतम श्रमिकों की संख्या –

6. अधिकतम श्रमिक की संख्या जिसके लिए नियोजक औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना चाहती है –

प्रपत्र–XX

(नियम–62 देखें)

बाह्य काम का रिकॉर्ड

औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने हेतु शासकीय आदेश क्रमांक–

दिनांक–.....

दिनांक–	स्थल जहाँ बाह्य कार्य की अनुमति दी गयी थी	कार्य की प्रकृति	कर्मचारियों का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5

प्रपत्र–XXI

(नियम–63 देखें)

गृह कामगार का लॉग बुक

1. बीड़ी कम्पनी का नाम एवं पता –
2. कम्पनी के स्थानीय नियोजक/प्रबंधक का नाम एवं पता –
3. ठेकेदार/कमीशन एजेंट का नाम एवं पता –
4. केन्द्रिय उत्पादन लाईसेंस संख्या (एल–2) –
5. बिड़ी श्रमिक का नाम एवं पता –
6. गृह का पता जहाँ बिड़ी का विनिर्माण प्रकिया संचालित है –

घर पर काम का हिसाब एवं उसके लिए मजदूरी का भुगतान

दिनांक महीना एवं वर्ष	प्राप्त तम्बाकू एवं पत्ता का वजन		उत्पादित बीड़ी की संख्या	अस्वीकृत बीड़ी की संख्या	उत्पादित बीड़ी के लिए देय मजदूरी	अस्वीकृत बीड़ी के लिए देय मजदूरी	अग्रिम या कटौती का समायोजन यदि कोई हो	मजदूरी भुगतान की शुद्ध राशि	कामगार के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	नियोक्ता/कमीशन एजेंट का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
	तम्बाकू	पत्ता									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–XXII

(नियम–64(2)(ii) देखें)

(कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने उसका विस्तार करने, उपयोग करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन)

1. अधिभोगी का विवरण •

(क) नाम –

(ख) पता (कार्यालय) –

(ग) पता (आवासीय) –

(घ) मोबाईल नं0 –

(ङ) ई–मेल आई.डी. –

2. कारखाना का विवरण •

(क) पूरा नाम –

(ख) पिन कोड के साथ पता –

(ग) जिला –

(घ) अनुमंडल –

(ङ) प्रखंड –

(च) शहर / गाँव

(छ) निकटतम रेलवे स्टेशन –

(ज) निकटतम पुलिस स्टेशन –

(झ) फोन नम्बर –

3. स्थापित होने वाले प्रस्तावित प्लांट एवं उत्पादन प्रक्रिया का ब्यौरा –

4. क्या कारखाना में परिसंकटग्रस्त प्रक्रिया या खतरनाक प्रक्रिया सम्मिलित है – हाँ या नहीं

5. श्रमिकों की अधिकतम संख्या (प्रस्तावित नियोजन) – पुरुष महिला तीसरा लिंग

6. ब्यौरा

(क) कच्ची सामग्री –

(ख) मध्यवर्ती उत्पाद / उप उत्पाद –

(ग) अंतिम उत्पाद –

7. उत्पादन प्रकिया में रसायनों का उपयोग, यदि कोई हो,

क्र.सं0	सी.ए.एस. संख्या	रासायनिक का नाम	किसी भी समय अधिकतम भंडारण
1	2	3	4

नोट :–

(क) "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" का मुहर का उपयोग किसी अभिलेख पर नही होगा।

(ख) प्रपत्र के साथ जमा होनेवाले दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ अधिभोगी द्वारा स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।

स्थान :–

दिनांक :–

अधिभोगी का नाम एवं हस्ताक्षर

मोहर के साथ

जाँच सूची

नोट :– आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होना चाहिए

1. उत्पादन प्रकिया के फ्लोचार्ट के साथ इसके विभिन्न चरणों में प्रकिया की संक्षिप्त विवरणी।
2. भूखण्ड स्वामित्व संबंधित दस्तावेज।
3. अधिभोगी का फोटो आई डी एवं पता का प्रमाण।
4. कारखाने के अधिभोगी संबंधी घोषणा।
5. मुख्य निरीक्षक के रूप में मांगे गये ऐसे अन्य ब्यौरा।

प्रपत्र–XXIII

[नियम–64(4), 64(5) देखें]

(नियम के रूप में विनिर्दिष्ट कारखानों के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु आवेदन)

1. पंजीकरण ब्यौरा

(क) एलआईएन संख्या (यदि कोई हो) –

(ख) पंजीकरण संख्या –

2. सामान्य जानकारी

2. (क) कारखाना का नाम –

2. (ख) कारखाना लाईसेंस सं0 (यदि पूर्व में निर्गत हो) –

3. पता एवं संपर्क की जानकारी

3. (क) कारखाना का पत्राचार का पूरा पता –

(जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गॉव/शहर, थाना, पोस्ट, पिन कोड, मो0 सं0/टेलिफोन सं०, ई–मेल सहित)

(ख) कारखाना का पूरा पता –

(जिला, अनुमंडल, प्रखंड, गॉव/शहर, थाना, पोस्ट, पिन कोड, मो0 सं0/टेलिफोन सं०, ई–मेल सहित पूर्ण पत्राचार) (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो)

4. उत्पादन प्रक्रिया की विवरण

(क) क्या कारखाना में परिसंकटीय प्रक्रिया शामिल है –

(ख) क्या कारखाना में खतरनाक प्रवालन का इस्तेमाल किया जाता है –

(ग) उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि –

(घ) कारखाना में अगले बारह महीनों में किये जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया –

(ङ) उत्पादित होने वाले वस्तुओं का ब्यौरा –

5. नियोजित कामगार

कामगारों का ब्यौरा	पुरूष	महिला	अन्य (ट्रांसजेन्डर / किशोर)	कुल
1	2	3	4	5
5. (क) वर्ष में नियोजित होने वाले अधिकतम कामगारों की प्रस्तावित संख्या				
5. (ख) पिछले 12 महीनों में किसी एक दिन नियोजित होने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या				
5 (ग) कारखाना में सामान्यतः नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या				

6. स्थापित शक्ति

(क) स्थापित अधिकतम शक्ति (एच.पी) (स्थापित लोड एवं प्रथम विद्युत विपत्र की प्रति संलग्न)

(ख) उपयोग होने वाले अधिकतम शक्ति (एच.पी) –

(ग) स्थापित जेनरेटर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(घ) उपयोग होने वाले जेनरेटर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(ड़) स्थापित ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(व) उपयोग होने वाले जेनरेटर की निर्धारित क्षमता (किलोवाट) –

(छ) संचरण केन्द्र की कुल क्षमता (किलोवाट) –

7. कारखाना प्रबंधक का ब्यौरा

कोड के प्रयोजन हेतु कारखाना का जो कारखाना प्रबंधक होगा (यदि नियुक्त हो तो) का नाम एवं पता –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं0 एवं ई–मेल –

8. अधिभोगी का ब्यौरा

(क) अधिभोगी का नाम एवं पता (निजी प्रतिष्ठान के लिए) –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं० –

ई–मेल –

(ख). अधिभोगी का नाम एवं पता

साझेदारों की सूची का पूर्ण ब्यौरा के साथ संलग्न करें (साझेदारी प्रतिष्ठान के मामलो में) –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं०–

ई–मेल –

(ग). निजी/सार्वजनिक लि0 कंपनी के मामलों में निदेशक का नाम एवं पता

निदेशक की सूची ब्यौरा के साथ संलग्न करें –

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं०–

ई–मेल –

(घ). जहाज घाट के मालिक का पूरा नाम एवं आवासीय पता

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं०–

ई–मेल –

(ङ.) प्रबंध अभिकर्ता का पूरा नाम एवं पता इस मामले में जहाँ भारत सरकार/राज्य सरकार/अधिभोगी के रूप में स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रबंध अभिकर्ता नियुक्त हुआ हो

नाम –

आवासीय पता –

मोबाईल नं०–

ई–मेल –

9. भूमि एवं भवन

(क) परिसर एवं भवन (उसके प्रांगण सहित) के मालिक का पूरा नाम एवं पता –

नाम –

पता –

मोबाईल नं०–

ई–मेल –

(ख) राज्य सरकार/मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा पुराना या नया भवन तथा कारखाना के निर्माण या विस्तार स्थल के लिए योजना के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक

दिनांक –

10. कचरे और अपशिष्ट का निपटान

• कचरे और अनुमोदित करने वाले प्राधिकार का नाम–

11. शुल्क ब्यौरा

12. कुल भुगतान किये गये शुल्क की कुल राशि –

नोट :–

(क) उपरोक्त सूचना में यदि कोई बदलाव हो तो, विभाग को लिखित में सूचित किया जाएगा।

(ख) "अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" के मोहर का उपयोग किसी अभिलेख पर नहीं होगा।

स्थान :–

दिनांक :–

प्रबंधक का हस्ताक्षर

अधिभोगी हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नामित अधिभोगी ..... एतद् द्वारा आगे सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दिये गये विषय मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थान

दिनांक

अधिभोगी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–XXIV
(नियम-64(5)(iv) देखें

कारखाना के रूप में कार्य हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या- _____

पंजीकरण संख्या- _____

LIN - _____

कारखाना का नाम – _____

कारखाना का पता- _____

अधिभोगी का नाम- _____

प्रबंधक का नाम- _____

कुल कामगारों की संख्या- _____

विद्युत विवरण – मोटर क्षमता- _____ HP

जेनरेटर क्षमता- _____ KW

ट्रांसफॉर्मर क्षमता - _____ KW

संचरण क्षमता - _____ KW

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर _____

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम _____

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का पदनाम _____

अनुज्ञप्ति की वैधता की तिथि .....

प्रपत्र–XXV

(नियम– 64(7)(i) देखें)

कारखाना के अनुज्ञप्ति का संशोधन

1. LIN (यदि कोई हो)
2. पंजीकरण संख्या
3. अनुज्ञप्ति संख्या
4. अधिभोगी का नाम

जेनरेटर का पूर्व मे संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

ट्रॉसफारमर का पूर्व मे संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

संचरण केन्द्र का पूर्व मे संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

निवर्तमान प्रबंधक का नाम और आवसीय पता

वर्तमान मे कारखाने का नाम

कारखाने का पूर्व पता/स्थिति

वर्तमान मे कारखाने में श्रमिकों की संख्या

वर्तमान में मोटर/इंजन की संस्थापित क्षमता (एच0पी0 में)

वर्तमान में जेनरेटर की संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्तमान में ट्रॉसफॉर्मर की संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्तमान में संचरण केन्द्र की संस्थापित क्षमता (किलोवाट में)

वर्तमान मे प्रबंधक का नाम

वर्तमान प्रबंधक का आवासीय पता

(क) क्या कारखाने में परिसंकटीय उत्पादन प्रकिया शामिल है

(ख) क्या कारखाने में खतरनाक प्रक्रिया शामिल है

(ग) अगले बारह महीने के दौरान विनिर्माण प्रकिया शुरू की जानी है

अधिभोगी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–XXVI

[नियम 64 (8) (i) देखें]

(लाईसेंस स्थानान्तरण हेतु आवेदन)

अनुज्ञप्ति संख्या –

पंजीकरण संख्या –

एल आई एन –

कारखाना का नाम –

कारखाना का पता –

प्रबंधक का नाम –

कामगारों की कुल संख्या –

विद्युत विवरण – मोटर क्षमता ..... हॉर्सपावर

उत्पादन क्षमता – ..... किलोवाट

ट्रांसफॉर्मर क्षमता – ..... किलोवाट

संचरण क्षमता – ..... किलोवाट

निवर्तमान अधिभोगी का नाम –

वर्तमान अधिभोगी का नाम एवं पता –

कारखाना अधिभोगी के स्थानान्तरण का कारण –

प्रबंधक का हस्ताक्षर

वर्तमान अधिभोगी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–XXVII

[नियम 68(iii) देखें]

(स्थल आकलन समिति के लिए आवेदन का प्रारूप)

क्रम सं०	विहित प्रपत्र हेतु बिन्दुवार सूचना	अभियुक्ति
1	आवेदक का नाम और पता	
2	स्थल स्वामित्व आँकड़ा	
2.1	स्थल का राजस्व विवरण जैसे सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट नं आदि।	
2.2	क्या स्थल को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी ली गई है?	
2.3	क्या प्रस्तावित स्थल ई०पी० अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) (अ) के प्रावधानों को आकर्षित करती है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति	
2.4	स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थल स्थित है।	
3	स्थल योजना	
3.1	सीमाओं की स्पष्ट पहचान के साथ स्थल और प्रस्तावित साइट के पास और निम्नलिखित विवरणों को दर्शाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल। (a) आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो। (b) पड़ोसी विनिर्माण इकाइयों और मानव आवासों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रॉल प्रतिष्ठानों, एलपीजी के भंडारण और आसपास के क्षेत्र में अन्य खतरनाक पदार्थों के नाम और प्रस्तावित इकाई से उनकी दूरी। (c) आसपास के क्षेत्र में जल स्रोत (नदी, नाले, नहरें, बांध, जल निस्पंदन संयंत्र, आदि) (d) निकटतम अस्पताल, फायर स्टेशन, नागरिक सुरक्षा स्टेशन और पुलिस स्टेशन तथा उनकी दूरियाँ। (e) उच्च तनाव विद्युत संचरण लाइनें, पानी के लिए पाइपलाइन, तेल गैस या	

	सीवरेज रेलवे लाइन, सड़कें, स्टेशन घाट और अन्य समान प्रतिष्ठान।
3.2	मिट्टी की स्थिति और गहराई का विवरण जिस पर कड़ी स्तर प्राप्त हुआ।
3.3	पास की पहाड़ियों और स्तरों में अंतर दिखाने वाले क्षेत्र का कटूर मानचित्र
3.4	प्लॉट योजना में प्रवेश और निकास बिंदु, सड़कों के भीतर, पानी की नालियों आदि को दिखाया गया है।
4.	**परियोजना रिपोर्ट**
4.1	परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं का सारांश।
4.2	संगठन की स्थिति (सरकार, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि)
4.3	कारखाने में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों के काम करने की संभावना है।
4.4	बिजली और पानी की अधिकतम आवश्यकताएं और उनकी आपूर्ति का स्रोत।
4.5	इमारतों और प्रतिष्ठानों के ब्लॉक आरेख।
4.6	आवास कॉलोनी, अस्पताल, स्कूल और अन्य आधारभूत संरचना सुविधाओं का विवरण प्रस्तावित।
5	**प्रस्तावित निर्माण इकाई / कारखाने की संगठन संरचना**
5.1	संगठन का आरेख – सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम – स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभागों से उनका संपर्क।
5.2	प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति।
5.3	कचरे और अपशिष्ट के उपचार के लिए आवंटित क्षेत्र।
5.4	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर प्रतिशत परिव्यय।
6	**साइट से संबंधित मौसम संबंधी आंकड़ा**
6.1	पिछले दस वर्षों के दौरान औसत, न्यूनतम और अधिकतम तापमान – आर्द्रता – वायु वेग
6.2	हवा की दिशा के मौसमी बदलाव
6.3	अब तक दर्ज किए गए क्षेत्र में बाढ़ के दौरान उच्चतम जल स्तर तक पहुंच।
6.4	क्षेत्र का बिजली और भूकंपीय आँकड़ा
7	**संचार लिंक**
7.1	बाहरी संचार के लिए टेलीफोन/टेलेक्स/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की

	उपलब्धता।
7.2	आंतरिक संचार सुविधाएं प्रस्तावित
8	**विनिर्माण प्रक्रिया की जानकारी**
8.1	प्रक्रिया प्रवाह आरेख
8.2	प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त लेखन
8.3	गंभीर प्रक्रिया मापदंड जैसे दबाव तापमान में वृद्धि और भाग दौड़ की प्रतिक्रियाओं को बताना है।
8.4	सुरक्षा निहितार्थ वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य बाहरी प्रभाव, जैसे कि नमी या पानी का प्रवेश, असंगत पदार्थों के संपर्क, अचानक बिजली की विफलता।
8.5	निर्मित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या पैमाना/निर्माण प्रौद्योगिकी में निहित विशेषताएं।
9	**खतरनाक पदार्थों की जानकारी**
9.1	कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पादों और उत्पादों या उनकी मात्रा (प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डाटा शीट संलग्न करें।)
9.2	कच्चे सामग्री के लिए मुख्य और मध्यवर्ती भंडार प्रस्तावित सामग्री/मध्यवर्ती/उत्पाद/उप–उत्पाद (किसी भी समय संग्रहीत अधिकतम मात्रा)।
9.3	सामग्री के प्रवाह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियाँ, उनकी मात्रा और संगावित मार्गों का पालन किया जाना
9.4	सुरक्षा उपायों के लिए प्रस्तावित: – सामग्री का नियंत्रण – आंतरिक और बाहरी परिवहन और – निपटान (तैयार उत्पादों की पैकिंग और अग्रेषण)
10	**अपशिष्ट और प्रदूषकों के प्रसार / निपटान पर जानकारी**
10.1	प्रमुख प्रदूषक (गैस, तरल, ठोस) उनकी विशेषताएँ और मात्रा (औसत और चरम मार पर)
10.2	उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की विधि
10.3	वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण की प्रत्याशित समस्या और उसी को नियंत्रित करने

	के लिए प्रस्तावित उपाय, जिसमें अपशिष्टों के उपचार और निपटान शामिल है।
11	**खतरों की जानकारी की प्रक्रिया**
11.1	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें
11.2	जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।
11.3	दुर्घटना की स्थिति / व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों या इसी तरह के संयंत्र (देश के अंदर या बाहर) प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्ट, यदि कोई हो,
12	**प्रस्तावित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपायों की जानकारी**
12.1	अग्निशमन सुविधाओं का विवरण और आपात स्थितियों से निपटने के लिए न्यूनतम मात्रा में पानी, CO_2 और या अन्य अग्निशमन उपायों की आवश्यकता
12.2	प्रस्तावित आंतरिक चिकित्सा सुविधाओं का विवरण
13	**आपातकालीन तैयारी पर जानकारी**
13.1	ऑनसाइट आपातकालीन योजना
13.2	पड़ोसी कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायक योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो
14	**कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी**

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय किसी भी महत्व को छुपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर।

प्रपत्र–XXVIII

(नियम–75 (1) (ग) देखें)

स्वास्थ्य पंजी

(परिसंकटीय एवं खतरनाक प्रचालन के लिए घोषित पेशे में नियोजित व्यक्ति के संबंध में।)

चिकित्सा पदाधिकारी का नाम

कारखानों का नाम.....
पंजीकरण संख्या.....
एलआईएन संख्या.....
कारखाना अनुज्ञप्ति संख्या.....

(क) श्री.....
.....वी.....
.....
(ख) श्री.....
.....वी.....
.....
(ग) श्री

क्रम संख्या	कार्ड संख्या	कामगार का नाम	पेशा	आयु (जन्म तिथि)	कर्मचारी कार्ड पर फिटनेस की तिथि	अन्य कार्य के लिए परिवर्तन अथवा स्थानांतरण की तिथि	कार्य परिवेश अथवा स्वास्थ्य का जोखिम का कारक	नौकरी का व्यवसाय की प्रकृति	अंतिम बार का चक्रवर्ती नियंत्रण	चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण की तारीख	यदि कार्य से निलंबित किया गया है तो निलंबन की अवधि एवं विस्तृत कारण	कार्य स्थल पर वापस लौटने की पुनः प्रमाणित होने की तिथि (चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर)	यदि अस्वस्थता प्रमाण पत्र अथवा लिए किसी कामगार को जारी निलंबन प्रमाण पत्र	चिकित्सा पदाधिकारी / योग्य चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

पदाधिकारी / योग्य चिकित्सक– चिकित्सा परीक्षण का परिणाम

प्रपत्र–XXIX

(देखें नियम–75(2))

(आरोग्य (योग्यता) प्रमाण पत्र – खतरनाक प्रकियाओं/परिसंकटीय प्रक्रिया उद्योगों के लिए)

1. क्रम संख्या –
2. परीक्षण किये गये व्यक्ति का नाम –
3. पिता का नाम –
4. लिंग –
5. पता –
6. कारखाने का नाम, जहॉ नियोजित है/नियोजित होना चाहते हैं –
7. विभाग की प्रक्रिया, जहॉ नियोजित है/नियोजित होना चाहते हैं –
8. प्रमाण पत्र स्वीकृत है अथवा नहीं –
9. क्या अयोग्य घोषित एवं प्रमाण पत्र अस्वीकृत किया गया –
10. पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र कह संदर्भ संख्या जिसे निर्गत अथवा अस्वीकृत किया गया –

परीक्षण किये गये व्यक्ति के
बायें हाथ के अंगूठे का निशान

चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर
क्रम संख्या

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने स्वयं श्री ..... पिता का नाम .....
पता..... का परीक्षण किया जो कि .....
कारखाना में..... (विभाग और प्रक्रिया) में नियोजन हेतु इच्छुक है और जहाँ तक परीक्षण से निर्धारित है, उपरोक्त कारखाने में वह नियोजन हेतु योग्य/अयोग्य है।

2. वह नियोजन हेतु योग्य है एवं अन्य गैर परिसंकटीय प्रकिया में नियोजित किया जा सकती है। जैसे कि –

3. एक अवधि के बाद आगे के परीक्षण के लिए वह उपस्थापित किया जा सकता है.....

4. उसे निम्नलिखित अग्रेतर जॉच हेतु सलाह दी जाती है।

5. उसे व्यक्ति को निम्नलिखित उपचार की सलाह दी जाती है।

6. पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की क्रम संख्या है .....

परीक्षण किये गये व्यक्ति के

बायें हाथ के अंगूठे का निशान

चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :– 1. प्रतिपर्ण चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बरकरार बद्ध पुस्तक में संधारण किया जाना चाहिए।

2. जो कंडिका लागू नहीं हो उसे रद्द किया जा सकता है

संचिका संख्या–1/OSHC-01/2021, श्र०सं०– 100 पटना, दिनांक– 30/6/26

(के० सेंथिल कुमार) 30/6/2020
सरकार के अपर मुख्य सचिव

अधिसूचना

एस० ओ०– दिनांक– का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

संचिका संख्या–1/OSHC-01/2021, श्र०सं०– 101 – पटना, दिनांक– 30/6/26

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/6/2020
सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC-01/2021, श्र०सं०– 101 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC-01/2021, श्र०सं०– 101 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/ महानिदेशक, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, चंडीगढ़ का कार्यालय/महानिदेशक, वी०वी० गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन, नोएडा/अवर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC-01/2021, श्र०सं०– 101 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR

LABOUR RESOURCES AND MIGRANT WORKERS WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

CHAPTER – I

PRELIMINARY

In exercise of powers conferred by Sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) read with section 24 of General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and in supersession of the following rules:-

1. The Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Rules, 2005;
2. The Bihar Factories Rules, 1950;
3. The Contract Labour (Regulation and Abolition) State Rules, 1972;
4. The Bihar Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) State Rules, 1980.
5. The Bihar Motor Transport Workers Rule, 1962
6. The Bihar Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Rule, 1968.

the Governer of Bihar pleased to make the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement-

(1) The rules shall be called "The Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar) Rules, 2026.

(2) It extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Artificial humidification"** means the introduction of moisture into the air of a room by any artificial means whatsoever, except the unavoidable escape of steam or water vapour into the atmosphere directly due to a manufacturing process:

Provided that the introduction of air directly from outside through moistened mats or screens placed in openings at times when the temperature of the room is 26.5 degrees centigrade or more, shall not be deemed to be artificial humidification;

(b) **"Belt"** includes any driving strap or rope;

(c) **"Board"** means the Board constituted under section 17 of the Code;

(d) **"Calendar year"** means the period of twelve months beginning with the first day of January in any year;

(e) **"Casual leave"** means leave to cover casual absence of the employees from duty for personal reasons;

(f) **'Code'** means "The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020"

(g) **"Degrees"** (of temperature) means degrees on the centigrade scale;

(h) **"Electronically"** means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(i) **"Fume"** includes gas or vapour;

(j) **"Form"** means a form annexed to these rules;

(k) **"Health Officer"** means the Municipal Health Officer or District Health Officer or such other official as may be appointed by the State Government in that behalf;

(l) **"Hygrometer"** means an accurate wet and dry bulb hygrometer conforming to the prescribed conditions as regards construction and maintenance;

(m) **"Qualified Medical Practitioner"** means a person holding a qualification granted by an authority specified in the schedule to the Indian Medical Degree Act 1916 (7 Of 1916) or in the schedule to Indian Medical Council Act 1956 (102 Of 1956)

(n) **'Registering Officer'** means the registering officer appointed by the State Government for purpose of these rules.

(o) **"Schedule"** means schedule appended to these rules.

(p) **'Section'** means the Section of the Code.

(q) **"Shop"** means any premises where goods are sold, either by retail or wholesale, or where services are rendered to customers, and includes an office, a storeroom, a godown, a warehouse, a workhouse, or a workplace where distribution or packaging or repackaging of finished goods is carried on; but it does not include a shop attached to a factory where persons employed in such shop are allowed the benefits provided under CHAPTER XI, PART VII of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). For the purpose of this code, a shop is also considered an establishment wherever required.

(r) **"Standard Safe Operating Procedures"**- means the practice followed for the safety and health of workers and safe operation of machinery, process and equipment used in such practices and such practices conform to all or any of the following, namely: -

(i) relevant standards approved by Bureau of Indian Standards or International Standards;

(ii) national building code;

(iii) manufacturers instruction on safe use of equipment and machinery;

(iv) Code of practice on safety and health practices published by International Labour Organization and amended from time to time.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined herein, but are defined in the Code or rules made thereunder, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code or Rules.

(3) "Procedure for the Grant of a Certificate of Competency under Clause (l) of Sub-section (1) of Section 2":

(1) The Chief Inspector cum facilitator may recognize any person as a 'competent person' within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations, inspections and certification for such buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Code and the Rules made there under, located in a factory, if such a person possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in the **SCHEDULE- I** annexed to this Rule.

Provided that The Chief Inspector cum facilitator may relax the requirements of qualifications in respect of a 'competent person', if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities at his command.

Provided further that the 'competent person' recognised under this provision shall not be above the age of 62 and shall be physically fit for the purpose of carrying out the tests, examination and inspection.

(2) The Chief Inspector cum facilitator may recognise an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the schedule I annexed to sub-rule (1) for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certification for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined

space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Code and the Rules made there under, as a 'competent person' within such area and for such period as may be specified. The Chief Inspector cum facilitator may recognise an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the schedule I annexed to sub-rule (1) for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certification for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plant, confined space, ventilation system and such other process or plant and equipment as stipulated in the Code and the Rules made there under, as a 'competent person' within such area and for such period as may be specified.

(3) The Chief Inspector cum facilitator on receipt of an application in the prescribed form from a person or an institution intending to be recognise as a 'competent person' for the purposes of this Act and the Rules made there under, shall register such application and within a period of sixty days of the date of receipt of application, either after having satisfied himself as regards competence and facilities available at the disposal of the applicant recognise the applicant as a 'competent person' and issue a certificate of competency in the prescribed form or reject the application specifying the reasons therefore.

(4) The Chief Inspector cum facilitator, if he has reason to believe that 'competent person': -

a. has violated any condition stipulated in the certificate of competency;

b. has carried out a test, examination and inspection or has acted in manner inconsistent with the intent or the purpose of this Code or the Rules made there under, or has omitted to act as required under the Code or Rules made there under;

c. for any other reasons to the recorded in writing; may revoke the

certificate of competency after giving an opportunity to the 'competent person' for being heard.

Explanation: - For the purpose of this Rule, an institution includes an organization.

(5) The Chief Inspector cum facilitator may, for reasons to be recorded in writing, require recertification of lifting machines, lifting tackles, pressure plant or ventilation system, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State.

(6) **Income from the sources under Explanation to clause (x) of sub-section (1) of section 2-** If any dependent for the time being having income more than Rs.9000/- per month, such dependents shall not be included as dependents for the purpose of Sub-clause (ii) and (iii) of clause (x) of sub-section (1) of section 2 of the Code .

(7) **Substance or quantity of substance under clause (zb) of sub-section (1) of section 2-** For the purpose of clause (zb) of sub-section (1) of section 2 of the Code, the hazardous substance and its quantity is specified in **Schedule- II**.

Chapter-II

Registration

3. Manner of submitting application under Section 3 and the form of such application and the particulars to be contained therein and the fees to be accompanied therewith and late fee under the proviso to sub-section (1) of section 3 ;-

(1) (i) The employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in **Form-I** on the Online Portal by giving details about the establishment, and uploading documents related to Registration of the establishment, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form along with the fee prescribed in the Sub-rule (10) of Rule

3. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(ii) The Permanent Account Number (PAN) of the applicant or the establishment allotted under Income Tax Act, 1961 or any other unique number allotted to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.

(iii) The certificate of registration shall be issued in **Form-II** electronically immediately if the application is complete in all respect but not later than Seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto generated. The Registering Officer shall facilitate registration and shall not reject the application merely on superficial matters.

Provided that in exceptional circumstances the State Government may, for such period, by notification, dispense with requirement of electronic registration, in respect of establishment or class of establishment, for part or whole of Bihar, and submission of application in the form so provided, may be allowed.

(iv) The certificate of registration should be non-transferable and a copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at a conspicuous place in hard copy or electronically.

(2) The registering officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other Central Labour Laws for the time being in force shall, update the registration particulars on the Online Portal, within six months from the date on which the Code comes into force.

(4) Any registration obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that establishment has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the Registration Number on all documents prepared or completed by him in connection with the Code or the Rules or the Regulations or the Scheme, as the case may be, and in all correspondence with the office concerned.

(6) Any change in the ownership, management or any particular furnished in Registration Form submitted on the specified portal shall be updated on the portal by the employer within thirty days of such change and amended registration certificate as prescribed in Form II shall be issued by the registering officer within seven days incorporating the said changes and the previously issued registration certificate shall stand cancelled.

(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in process of closure may apply for cancellation of registration on the Online Portal after giving complete details of the dues payable under the Labour Codes:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central Labour Codes and any other Labour law in force in accordance with the law applicable for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.

(8) The registering officer shall maintain a register of establishment electronically in **Form-III** showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(9) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be,

the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment, as the case may be, in **Form-IV** annexed to these rules electronically and the same shall be auto-shared to EPFO and ESIC.

(10) (1) In case of Establishments existing before the commencement of the Code there shall be no fees for registration if the applicant apply for registration within 60 days from the date of applicability of this code, however, for new establishment fee for registration will be paid as specified in table below. Late fees in both cases, to be paid for the purpose of grant of a licence under Sub-section (1) and (2) of Section 3 of an establishment shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	Number of workers/ employees	For the new Establishmment	Late Fees for both new and existing Establishmment		
		Up-to 60 days	From 61-to 90 days	From 91- to 180 days	From 181 or more days
a	10 but does not exceed 49	Rs. 500	Rs. 1000	Rs. 5000	Rs. 10000
b	50 but does not exceed 100	Rs. 1000	Rs. 2000	Rs. 10000	Rs. 20000
c	101 but does not exceed 300	Rs. 2000	Rs. 4000	Rs. 20000	Rs. 40000
d	301 but does not exceed 500	Rs. 3000	Rs. 6000	Rs. 30000	Rs. 50000
e	501 but not exceeding 1000	Rs. 4000	Rs. 8000	Rs. 40000	Rs. 60000
f	1001 but not exceeding 5000	Rs. 5000	Rs. 10000	Rs. 50000	Rs. 70000
g	5001 and above	Rs. 6000	Rs. 12000	Rs. 60000	Rs. 80000

(2) In deciding the late fee, the date of utility connection in the name of establishment owner/ employer/ occupier may be taken into account by Registering Officer.

(3) Notwithstanding anything contained in these Rules, any establishment to which the Code applies and which has already been registered under—

(a) any Central Labour Law; or

(b) any other law as may be notified by the Central Government, applicable to such establishment and in force at the time of commencement of the Code, shall be deemed to have been registered under the provisions of the Code:

Provided that the holder of such registration shall furnish the particulars of the registration to the concerned Registering Officer in Form-I within a period of 60 days from the date of publication of these Rules, in the case of an existing establishment, and within 60 days from the date of registration, in the case of a new establishment.

4. Appeal under Section 4- (i) The employer aggrieved by the order of Registering Officer, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically or by registered post or speed post.

(ii) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer, against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically or by registered post or speed post.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post or speed post.

(v) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order to the applicant electronically or by registered post or speed post.

(vi) Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(vii) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

5. Notice of commencement and cessation of operation under Section 5.- The employer of every establishment being factory or relating to contract labour or building or other construction works to which the provisions of the code applies shall within thirty days of the commencement or cessation of operation, submit to the Registering Officer in **Form-IV**, electronically and the notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Chapter-III

Duties of Employer and Employee.

6. Annual Health Examination of employees under clause (c) of sub-section (1) of Section 6.- Every employer of factory, motor transport undertaking, plantation, building or other construction work or any other establishment as notified by the State Government from time to time, shall arrange to conduct free of cost, medical examination for every worker annually i.e. within 120 days from the commencement of every calendar year who has completed 40 years of age. The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per Performa in the **Form-V.** The Medical Certificate shall be submitted by the qualified medical practitioner to the concerned employer and employee.

7. Letter of appointment to employee under clause (f) of sub-section (1) of Section 6.- (i) No employee shall be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment in the prescribed format as appended to this rule at time of joining.

Provided that, an employee who has not been issued an appointment letter containing the required particulars, shall be issued an appointment letter within three months of coming into force of this rule.

Format

(i) Name of employee:

(ii) Date of Birth :

(iii) Father's name:

(iv) Aadhar number:

(v) Labour Identification Number (LIN) / Registration Number of the establishment:

(vi) Universal Account Number (UAN)

(vii) Insurance Number (ESIC) (if applicable):

(viii) Designation:

(ix) Category of skill (unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled):

(x) Date of joining:

(xi) Wages (in Rs.)

(xii) Other allowances including accommodation whichever is/are applicable:

(xiii) Broad Nature of duties to be performed:

(xiv) Any other information:

(xv) Nature of Employment (Permanent, Temporary, Seasonal, Daily Wage Worker, Fixed Term Employment, Contract Worker, If any other Please specify):

Signature

(Occupier/employer/owner/agent/manager)

(ii) An Identity Card shall be issued to all workers except Daily Wage Worker containing the Registration Number and Name of Establishment, Name of Employee, Date of Birth, Father Name and Address, Nature of Employment and Validity.

The Identity Card shall be duly signed by the Occupier/employer/owner/ agent/manager.

8. Notice of accidents and dangerous occurrences under sub-section (1) Section 10 and Section 11.-

(1) Where at any place in an establishment which is a factory, motor transport undertaking, plantation, newspaper establishment and establishment relating to beedi and cigar and such other establishment to which these rules apply an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith inform by telephone or Mobile Phone to the Inspector cum-facilitator, Chief Inspector cum facilitator and District Magistrate or Sub-divisional Officer and the officer-in-charge of the nearest police station; and the family members/kin of the injured or

deceased person and send a notice thereof in **Form-VI** electronically within 24 hours to the Inspector cum facilitator and the Chief Inspector cum facilitator.

(2) Where at any place in an establishment which is a factory, motor transport undertaking, plantation, newspaper establishment and establishment relating to beedi and cigar and such other establishment to which these rules apply, an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in **Form-VI** within twenty four hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator **and Chief Inspector cum facilitator.**

(3) Wherein any factory, motor transport undertaking, plantation, newspaper establishment and establishment relating to beedi and cigar and to such other establishment to which these rules apply there is any dangerous occurrence as specified in the schedule annexed hereto, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in **Form-VI** shall within twentyfour hours be sent to:

(a) The Inspector-cum-facilitator and Chief Inspector-cum- facilitator;

(b) District Magistrate **and** Sub-divisional Officer;

Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices and reports referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within 24 hours of the death.

Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (2) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later, or occurs in more than one spell, the report referred to shall be sent to the Inspector-cum Facilitator in the

prescribed form within 24 Hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.

SCHEDULE

The following classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:-

(i) Bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(ii) Collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane.

(iii) Explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed;

(iv) Explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas.

(v) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;

(vi) collapse of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission;

(vii) Spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;

(viii) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment;

(ix) fall from height of any excavation, loading or transport machinery;

(x) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (i.e., a 'bump') in working below ground;

(xi) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working;

(xii) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;

(xiii) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations;

(xiv) failure of dump or side in opencast working; a blowout;

(xv) a failure of any structure or installation whereby the safety of persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;

(xvi) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;

Provided that notwithstanding anything contained in the above schedule to remove any ambiguity, any failure and damage of machinery and equipment and damage or collapse of structure leading to death or injury of workers due to explosion of boiler or its accessories and mountings as defined in The Boilers Act,2025 will not be covered under this schedule.

9. Notice of disease under sub-section (1) and (2) of Section 12- (1) A notice in the following format shall be sent forthwith electronically, to the Chief Inspector cum facilitator and to the Inspector-Cum Facilitator, by the employer or occupier or manager of an establishment in which there occurs any disease as notified under the Third Schedule of the Code.

NOTICE OF DISEASE

(1) Name of establishment:

(2) Nature of establishment:

(3) Name & address of Employer or Occupier or Manager

(4) Address of the Establishment

(5) Details of Patient:

(a) Name of Patient:

(b) Works number of Patient:

(c) Address of Patient:

(d) Precise occupation of patient:

(6) Nature of disease from which patient is suffering:

(7) Date of Detection of Disease:

(8) Details of Medical Practitioner:

(9) Has the case been reported to the Medical Officer?

Date: ***Signature of employer or occupier or manager***

(2) If any qualified medical practitioner attends on a person who is or has been employed in an establishment and who is or is believed by the qualified medical practitioner to be suffering from any disease specified in the Third Schedule, the qualified medical practitioner shall without delay send a report in writing to the office of the Chief Inspector-cum-Facilitator stating-

(a) the name and full postal address of the patient,

(b) the disease from which he believes the patient to be suffering, and

(c) the name and address of the establishment in which the patient is or was last employed.

10. Duties of employee under clause (d) and (g) of Section 13.- If an employee comes to know that of any unsafe or unhealthy condition in the establishment, he shall report to the employer, health and safety representative or safety officer or agent or manager as soon as practicable, electronically or by

registered post or speed post or in writing or telephonically and such representative or officer or agent or manager, as the case may be report to the employeer electronically or by registered post or speed post.

11. Rights of Employee under sub-section (3) of Section 14.- On receipt of information from the employee relating to the existence of an imminent danger to their safety and health, the employer shall take immediate remedial action in this regard. The employer, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such actions taken, to the Inspector-cum-Facilitator electronically or by registered post or speed post.

Chapter-IV

Occupational Safety and Health

12. State Occupational Safety and Health Advisory Board under sub-sections (1), (2) and (3) of Section 17.- (1) The State Occupational Safety and Health Advisory Board shall consist of-

a) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Labour Resources and Migrant Labour Welfare Department, Bihar- Chairperson;

b) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Industries Department, Bihar or his representative not below the rank of Director, Industries- **Member** ***-ex-officio***

c) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Mines & Geology Department, Bihar or his representative not below the rank of Joint Secretary - **Member-*ex-officio***

d) Chairmen, State Pollution Control Board, Bihar- **Member-*ex-officio***

e) Labour Commissioner, Bihar - **Member-*ex-officio***

f) Director, Medical Services ESI, Govt. of Bihar- **Member-*ex-officio***

g) Chief Inspector-cum -Facilitator of Factories- **Member-*ex-officio***

h) Chief Inspector of Boiler - **Member-*ex-officio***

i) five representatives of employers- **Member**

j) five representatives of employees- **Member**

k) five eminent persons connected with the field of Occupational Safety and Health, or representatives from reputed research institutions or similar other discipline, out of which one member may be from State Health Society, Bihar— **Member**

l) Joint Labour Commissioner dealing with the OSH Code - **Member Secretary -ex-officio**

(2) The State Advisory Board may meet as often as necessary to discharge the functions as specified in Section 17(1) of the Code, but at least once in a year.

13. Resignation- (1) A member of the State Advisory Board, not being an ex-officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson of the State Advisory Board.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the State Government whichever is earlier.

14. Cessation of membership.-If any member of the State Advisory Board, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the State Advisory Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of such State Advisory Board for such absence, he shall cease to be a member of State Advisory Board:

Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of State Advisory Board.

15. Disqualification for membership- A person shall be disqualified for being a member of the State Advisory Board—

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent authority;

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if he has been convicted for an offence, having a penalty of imprisonment of three months or more;

16. Removal from membership.-The State Government may remove any member of the State Advisory Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such State Advisory Board:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

17. When vacancy occurs in the membership of the Board, the Member-Secretary of the Board shall submit a report to the State Government, and on receipt of such report the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated, shall hold office for remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

18. Travelling Allowance for members- (1) The travelling allowance of an government member of the Board shall be governed by the rules applicable to them for the journey performed on official duties and shall be paid by the authority paying the salary.

(2) Every non-official member of the Board shall be entitled to travelling and halting allowance for attending the meetings of the Board, at the rates and subject to the conditions applicable under the provisions of rule 144(1) of the Bihar Travelling Allowance Rules, 1949, as may be notified by the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department from time to time.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "official member" shall mean regular government officers, officiating as members of the Board in that capacity and "non-official member" shall be who are not "official members".

19. Collection of statistics and portal for inter-State migrant workers under sub-sections (1) of Section 21.- The employer shall submit the details of occupational safety and health statistics electronically on web portal designated for the purpose Sub-Section (1) of Section 21 of the Code.

20. Safety Committee and Safety officers under Section 22.-

(1) In every establishment which is a factory, motor transport undertaking, plantation, newspaper establishment and establishment relating to beedi and cigar and to such other establishment to which these rules apply; there shall be a safety committee :-

(a) Wherein 100 or more workers are ordinarily employed; or

(b) Which carries on any process or operation declared to be dangerous under Section 82 of the Code; or

(c) Which carries on 'hazardous process' as defined under Section 2 (1) (za) of the Code;

(2) The tenure of the safety committee shall be for three years. The safety committee shall meet at least once in every quarter.

(3) The representative of the workers shall be chosen by the registered trade Union. In case where there is no registered trade union the members may be chosen by the workers of the establishment.

Provided that there shall be adequate representation of the women workers in the committee.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

(a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;

(b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees, conducted at such establishments.

(5) The owner, employer, occupier, agent or manager shall, within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendations of the Safety Committee shall take action to implement the recommendations.

21. Composition of Safety Committee.- (1) The representatives of the management on Safety Committee, shall consist of –

(a) A senior official, who by his position in the organisation can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Chairman;

(b) A Safety Officer or a member nominated by the Chairman as the case may be shall be the Secretary of the Committee

(c) A Medical practictioner, wherever available.

(d) A representative each from the production, maintenance and departments.

(e) The safety committee shall consist of equal number of members representing the employer and the worker which shall not exceed thirty.

(2) The workers representatives on the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be chosen by the workers.

(3) The minutes of the meeting of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall be recorded and sent to the Inspector -cum-Facilitator.

(4) Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –

(a) potential safety and health hazards to which the workers may be exposed at workplace;

(b) data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of workers exposed to hazardous substances.

(5) Function and duties of the Safety Committee referred to in sub-rule (1) shall include –

(a) assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the Safety and Health Policy';

(b) dealing with all matters concerning health, safety and environment and to arrive at practicable solutions to problems encountered;

(c) creating safety awareness amongst all workers;

(d) undertaking educational, training and promotional activities;

(e) discussing reports on safety, environmental and occupational health surveys, safety audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the reports;

(f) looking into the matters likely to cause danger to the safety and health of the workers and suggest corrective measures; and

(g) reviewing the implementation of the recommendations made by it.

22. The qualifications, duties and number of safety officers under sub-section (*2*) of section 22 except mines-

(1) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer relating to Factory (including factory carrying on hazardous process) and building or other construction work unless he possesses –

(i) a recognised degree in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years; or

(ii) a recognised degree in physics or chemistry and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years; or

(iii) a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years; **and**

(iv) possesses a degree or diploma in industrial safety recognized by the State or Central Government in this behalf; or has qualified at a written & viva-voca examination conducted by the Chief Inspector cum facilitator,

Provided that such examination shall be conducted only till adequate no. of persons possess degree or diploma in safety recognized by the state or central Govt are not available.;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any person who –

(i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5years in a department of the Central or State Government which deals with the administration of the Factories, Building or other Construction works and or

(ii) possesses a recognized degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years, full time, on training, education, consultancy, or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; shall also be eligible for appointment as a safety officers :

(3). Factory wherein 500 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer(s) shall be appointed on a scale of atleast one up to a total manpower of 500 and additional one for every additional 500 manpower.

(4) Factory carrying on hazardous process and building or other construction work wherein 250 or more persons are ordinarily employed, Safety Officer(s) shall be appointed on a scale of atleast one up to a total manpower of 250 and additional one for every additional 250 manpower.

(5) Duties of Safety Officers - (i) The duties of a Safety Officer shall be to advise and assist in the fulfilment of its obligations, statutory, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment and such duties shall include the following, namely. -

(i) to advise the concerned departments in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries;

(ii) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;

(iii) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(iv) to provide advice on matters related to carrying out plant safety inspections;

(v) to carry out plant **or site** safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to be adopted for removing the unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by workers;

(vi) to render advice on matters related to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;

(vii) to investigate accidents and dangerous occurrences.;

(viii) to investigate the cases of notifiable diseases listed in the Third Schedule to the Code;

(ix) to organise in association with the concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures; and

(x) to design and conduct either independently or in collaboration with the training department, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries.

(xi) The safety officer shall ensure that an appropriate emergency plan as required under these regulations is put in place and the requirements of the same are implemented.

(xii) The safety officer shall maintain in a bound paged book a detailed record of the work performed by him.

(xiii) to assist the manager in any other matter relating to safety.

(2) Except in an emergency, no duties other than those specified above shall be assigned to the Safety officer.

Chapter-V

Working Hours, Weekly Holidays and Compensatory Leave

23. Daily and weekly working hours under clause (b) of sub-section (1) of Section 25-

(1) No employee shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty-eight hours in a week.

(2) Where a worker works in an establishment on daily basis, any work performed beyond eight hours (exclusive of interval of rest) in a day shall be treated as overtime work.

(3) Where an employee or worker works in an establishment for six days in a week, any work performed beyond eight hours (exclusive of interval of rest) in a day or beyond forty-eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(4) Where an employee or worker works in an establishment for five days in a week, any work performed beyond nine and half hours (exclusive of interval of rest) in a day or beyond forty-eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(5) Where an employee or worker works in an establishment for four days in a week, any work performed beyond eleven and a half hours (exclusive of interval of rest) in a day or beyond forty-eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(6) The period of work of the employee shall be arranged so that, inclusive the interval for rest, it does not spread over more than twelve hours in a day.

(7) The flexibility in working hours shall be permitted with the consent of negotiating union/negotiating council or with the consent of employee(s) or worker (s) in the absence of negotiating union/negotiating council.

(8) No employee or worker shall be allowed to work for more than five hours in the case of a six-day working week and six hours in the case of a less than six-day working week continuously before he has had an interval for rest of at least half an hour.

(9) Where an employed person has worked for less than a normal working day, wages proportionate to the hours of work done by him shall be paid to him:

Provided that if such person has worked for more than three quarters of a normal working day, he shall deemed to have worked for the full day.

Provided that where a worker is engaged in an establishment on a monthly basis, and the establishment remains closed due to any national holiday or festive holiday or Labour Day or for reason(s) personal to the employer, the worker shall be paid wages for twenty-six days in the month, except for any day on which the worker is unwilling to work.

24. Weekly day of rest under Section 26.-

(1) For the purpose of section 26, **a notice** shall be posted in a conspicuous place outside the office of every establishment showing the weekly day of rest. Where the weekly day of rest is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the day of rest allowed to each relay, or set of persons or individual.

(2) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case *less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees.*

Provided that in a six day working week or less than six day working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees.

Provided that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of *not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be.*

Provided further that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule,

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,

(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(3) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(4) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(5) An employee shall be granted-

(a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and

(b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

(6) the spread over for the workers shall exceed twelve hours in any one day under the following works and circumstances in factories, and building or other construction, namely;

(a) urgent repairs;

(b) work in the nature of preparatory or complimentary work;

(c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest;

(d) work which for technical reasons must be carried on continuously;

(e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day,

(f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons;

(g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

(h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;

(i) engaged in process on account of the break-down of machinery;

(j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;

(k) exceptional press of work and

(l) engaged in any work, which is notified by the State Government in the Official Gazette as a work of State importance;

Provided that no employee or worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed one hundred and forty-four hours. An employee or worker shall be required to work overtime subject to the written consent of such employee or worker for such work.

(7) Compensatory holidays. -

(1) Except in the case of worker engaged in any work which for technical reasons must be carried on continuously throughout the day, the compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.

(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works specified
under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.

(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.

(8) Wages for overtime under section 27.-

(1) where in an establishment, a worker works for more than normal working hours as prescribed under rule 23, on any day as daily wage, or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.

(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.

(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker, it shall be the daily wages or earnings as the case may be.

25. Circumstances for exemption from restriction on double employment in factory under section 30- No adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory, except in cases as notified by the state government from time to time.

Chapter-VI

Maintenance of Registers, Records and Returns:

26. Notice of periods of work under sub-section (2) of Section 31.-

The notice referred to in sub-section (2) of section 31 shall be displayed at conspicuous places on a notice board or electronic board and maintained in **Form VII** and copy of such notice shall be sent to Inspector-cum-Facilitator electronically or by registered post or speed post.

27. Maintenance and production of reports, registers and other records under Section 33.-

1. Every employer of establishment shall maintain: -

- Register of employees in **FORM VIII**
- Register of attendance-cum-muster roll in **FORM VIII A**
- Register of wages, over time and deduction in **FORM VIII B**.
- Wage slip in **FORM VIII C**.

Registers under this chapter shall be maintained electronically or otherwise. Entries in the registers shall be made in English or Hindi.

Every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector cum facilitator or any person authorized in that behalf of the state Government.

All the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.

2. Every employer shall issue wage slips, electronically or manually to the employees in FORM as prescribed under (Sub-section (3) of Section 50 of the Code on wages, 2019 before one day of payment of wages to the employee.

In respect of establishment which are required to maintain register under the rules framed under the Code on wages 2020, Social Security code, 2020 the following registers and wage slips required to be maintained by the employer of the establishment under those Codes and rules made thereunder shall be deemed to be maintained by the employer under these rules, namely: -

(a) Register of employees

(b) Register of Attendance-cum-Muster Roll

(c) Register of Wages, over time and deductions

(d) Wage slip

3. All registers and other records required to be maintained under the Code and Rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided for, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the work place or at a place within a radius of three kilometres.

4. **Annual Returns** – (a) The employer to which the provisions of this Code applies on or before the 28th or 29th day of February in each year, upload a unified annual return in FORM-IX and IXA prescribed under the Rules made in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (No.37 of 2020) online on the web portal of the State Government , giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year;

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation – For the purposes of this sub-rule, the expression electronic forml shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to which the provisions of this Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance as the case may be, upload online, on the web portal of the state Government , a further unified return in FORM-IX and IXA referred to in clause (a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

(c) in case of manual registers and other records, be legibly entered in ink in English and Hindi or the language understood by a majority of the persons employed;

(d)be preserved in original for a period of five years after the date of the last report or entry;

Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of five years period, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;

(e) be produced, electronically or by registered post or speed post, on demand before the Chiefinspector -cum-facilitator or aninspector -cum-facilitator or any person authorized in that behalf of the State Government by notification.

28. Display of notice board.-Every employer shall cause to display at the conspicuous place of the workplace of the establishment under his control, notice showing the name and address of the establishment, hours of work, wage period, date of payment of such wages, details of accident and dangerous occurrence in the establishment for the last five years, name and address of the

Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers in English **and** Hindi.

29. Return.- Every employer of an establishment shall send annually a return relating to such establishment in **FORM-IX** related to category of employees, health & welfare facilities retrenchment/ layoffs, bonus, maternity benefits etc. to the inspector -cum-facilitator having jurisdiction so as to reach him not later than 1st February following the end of each calendar year with a copy to Director General Labour Bureau electronically.

30. Register of accident and dangerous occurrences.—The registers of accident and dangerous occurrences required by sub-clause (v) of clause (a) of section 33 of the Code shall be maintained in a **Form-X**. Every such Register shall be communicated in electronic form to Inspector - cum - Facilitator once in three months.

31. Register of leave with wages under clause (a) of section 33.-

(1) The owner, agent or manager of every establishment shall maintain in respect of every employee thereof a record of leave with wages electronically or manually in **Form-XI**.

(2) The register mentioned in sub- rule (1) shall be preserved for a period of five years after the last entry in them has been made and shall not be destroyed even after the expiry of that period unless it has been properly transferred to the new register.

Chapter-VII

Inspector-cum-Facilitator and Other Authority

32. The qualification and experience of Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 34-. (1) Qualification and experience of Chief Inspector-cum-Facilitator for the purpose of sub-section (5) of Section 34 shall be notified by State Government.

(2) **Inspection scheme** – the state government by notification shall mandate inspection of all establishments defined under this rule and lay down a web-

based inspection scheme based on risk assessment of the establishment assigning inspecting authorities based on their respective jurisdiction.

33. Power to take samples of any articles or substances under clause (x) of sub-section (1) of section 35.-

(1) An Inspector-cum-facilitator shall take samples or substances in an establishment as per the inspection scheme mandated under the Online Portal or in case of any enquiry after informing the employer of the establishment, taken in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment, such use being–

(a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator in contravention of any of the provisions of this code or the rules made thereunder, or

(b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, or injury to the health of employee in the establishment.

(2) Where the Inspector-cum-facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-section unless such person will fully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark thereto.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-facilitator so requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(4) The Inspector-cum-facilitator shall-

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

(b) forthwith send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or NABL accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

34. Powers and duties of Inspector-cum-facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of Section 35.-

(1) Inspector-cum-Facilitator shall, after every inspection or enquiry as may be deemed necessary, issue prohibition or improvement notice in the **Form-XII** pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations framed thereunder, to the employer or occupier or owner or agent, manager of the establishment.

(2) An Inspector-cum-Facilitator shall, at each inspection, ascertain to what extent any shortcomings notified at a previous inspection have been rectified and the notices previously issued have been complied with. His findings and any shortcomings which may come to light during the inspection, together with any order passed by him under the Code or the regulations made thereunder shall be recorded and maintained.

(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-facilitator so requires, provide the appliance for dividing, sealing and marking the sample taken under this section.

(4) The Inspector-cum-facilitator shall-

(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);

(b) forthwith send the second portion to a Government Analyst or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for analysis and report thereon;

(c) retain the third portion for production to the Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.

(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst or NABL accredited laboratory upon any substance submitted to him for analysis and report under this section, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.

35. The specialised qualification and experience, duties and responsibilities of experts to be empanelled under section 37- The specialised qualification and experience, duties and responsibilities of experts to be empanelled under section 37 **for such start up establishment or class of establishment** shall be notified by the State Government from time to time.

36. The manner of providing alternative employment under sub-clause (*d*) of clause (*A*) of sub-section (*1*) of section 38- If any person whose employment has been affected by an order issued under Sub-Clause (a) of Clause (A) of Sub-Section (1) of Section 38, the Inspector-Cum-Facilitator may give direction to the occupier to provide alternative employment to the person whose employment has been affected in the same capacity and under same service condition to other alternative employment in his factory or other factory which is under the control of that Occupier.

Provided further that the wages of the affected person shall not be reduced due to alternate employment.

37. Appointment of Medical officer under sub-section (1) of Section 42.-

(1) The Medical Officer shall be a medical practitioner who possesses any recognised medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019(30 OF 2019) and who is enrolled on a Indian Medical Register as defined in clause (e) and on a State Medical Register as defined in clause (l) of section 35, section 36,section 37 and section 40 of the said Act. 38

(2) The Medical Officer shall be trained in Occupational Health course including International Labour Organisation (ILO) classification of chest Radiograph duly recognized by the central government.

38. Other establishment engaged in the dangerous occupation or processes under clause (*a*), (b) and (c) of sub-section (*2*) of section 42- For the purpose of clause (a), (b) and (c)of sub-section (2) of section 42, the State Government may notify establishment engaged in dangerous occupations or other such establishments from time to time.

39. Duties of Medical Officer under sub-section (2) of Section 42.-

(1) On receipt of a reference under clause (c) sub section (2) of section 42 of the code, the Medical Officer shall, after giving prior notice regarding date, time and place for medical examination and upon examining the person sent for such examination, prepare the age and fitness certificate and deliver the same to the manager of the establishment concerned after retaining a copy thereof.

(2) The medical officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopaedic surgeon as the case may be, for the purpose of determination of age.

(3) Medical Officer shall carry out such examination and furnish such report as State government may direct:

(a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in First Schedule to the Code;

(b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to hazardous nature of any process carried on or hazardous condition of work;

(c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein;

(d) to undertake occupational health survey for any or class of an establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of diseases as prescribed in Third Schedule of the code.

(e) to assess the age and issue fitness of adolescent for employment in an establishment or class of establishment.

40. Employment of Women in establishment under Section 43.- (1) The following conditions shall be met for employment of women during night or before 6.00 a.m. and beyond 7.00 p.m. in any day, namely:-

(a) the **written** consent of women employ shall be taken;

(b) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Social Security Code, 2020 (36 of 2020);

(c) adequate transportation facilities with CCTV coverage shall be provided to women employee to pick-up and drop such employee at her residence;

(d) the workplace including passage towards conveniences or facilities concerning toilet, washrooms, drinking water, entry and exit of women employee should be well-lit;

(e) the toilet, washroom and drinking facilities should be near the workplace where such women employee are employed; and

(f) Provide safe, secure and healthy working condition such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.

(g) Not less than 2 women employees shall be on duty at any work place at the same time.

(h) The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied with.

(i) Adequate lighting shall be provided at the workplace, as well as CCTV coverage of areas inside and outside the factory where women

workers can access them as needed. CCTV footage shall be preserved for a minimum of 45 days.

(j) If the State Government deems it appropriate, it may issue a notification providing for other protective provisions relating to the employment of women working in night shifts.

41. Adequate Safety of employment of women in dangerous operations under Section 44.-The State government may declare by notification the class of establishments and the scheme, and standards for safeguarding of women in hazardous and dangerous processes

Chapter-VIII

Contract Labour

42. Conditions of License under sub-section (3) of section 47.- (1). The contractor shall ensure that:

(a) the hours of work shall conform to the rules made under Section 25 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(b) the wages shall be paid in accordance with the Code on Wages, 2019 (29 of 2020).

(c) if the contract worker of the contractor is working at the premises of the principal employer then it shall be the responsibility of the principal employer to provide the facilities or amenities such as toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room, first aid box, Canteen and Crèche and all other facilities and entitlements shall be provided by the contractor.

(d) In case, the Contractor is working at a premise other than that of the Principal Employer and the premise has functional amenities and facilities mentioned in clause (c), the contract labour can utilize facilities like toilet, washroom, drinking water, bathing facilities if required, changing room and first aid box. In all other cases all facilities and utilities under the the Code shall have to be provided by Contractor.

43. Form and manner of application for contractor license under of sub-section (1) of Section 48.-

(1) Every application by a contractor for the grant of a license shall be made on-line electronically through Online Portal in **Form-XIII** to the licensing authority.

(2) **Licence for Contractor –**

(1) If a contractor desirous of obtaining licence for:-

(i) supplying or engaging contract labour or

(ii) undertaking or executing the contract works under sub-section (1) or sub-section (2) of section 47, then he shall apply electronically on the online portal in **Form-XIII** to the licensing authority as notified by the State government.

(2) Application for licence shall be submitted electronically to the authority notified in this behalf under subsection (1) of section 119 of this code.

(3) Forms, terms and conditions of license.-

(1) Every license granted shall be in **Form-XIV**.

(2) Every license granted or renewed is subject to the following conditions, namely:—

(i) the license shall be non-transferable;

(ii) the number of workers employed as contract labour by the contractor shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the license;

(iii) save as provided in these rules, the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the license shall be non-refundable;

(iv) the rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 and where the higher rates have been fixed by agreement,

settlement or award, the rates of wages payable shall not be less than the rates so fixed.

44. Procedure for issue of license under sub-section (2) of section 48.-

(1) Before a license is issued under any rule of these rules, security deposit (in form of bank guarantee) of an amount calculated at the rate of Rupees 1000/- for each of the worker to be employed as contract labour, in respect of which the application for license has been made, shall be deposited by the contractor for performance of the conditions of the license and compliance with the provisions of the Code or the rules made thereunder.

(2) The fees to be paid for the grant of a license shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	**Number of Contract Labours**	**Fees**
a	No License is required up to 49 Contract Labours	NIL
b	50 but does not exceed 100 Contract Labours	Rs. 1000
c	101 but does not exceed 300 Contract Labours	Rs. 2000
d	301 but does not exceed 500 Contract Labours	Rs. 3000
e	501 but not exceeding 1000 Contract Labours	Rs. 5000
f	1001 but not exceeding 5000 Contract Labours	Rs. 10,000
g	5001 but not exceeding 10000 Contract Labours	Rs. 20,000
h	10001 but not exceeding 20000 contract labours	Rs 30000
i	20001 and above contract labours	Rs.40000

45. Renewal of license under Sub-Section (3) of Section 48.-(1) Every contractor shall apply electronically on the Online portal to the licensing authority for renewal of the license.

(2) Every such application shall be submitted on the before the expiry of license period but not before 90 days of such expiry of license.

(3) The security deposit and the fee chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant of license under rule 47.

Provided that if the application for renewal of the licence is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of 25 per cent shall be payable for such renewal. Provided that the licence shall not be renewed after one year from the date of expiry of the validity of the licence.

(4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew license within 30 days.

46. Refund of security deposit-(1) On expiry of the period of license the contractor may, if he does not intend to have his license renewed further, make an application electronically to the licensing authority for the refund of the security deposited by him (in form of bank guarantee) along with copy of licence and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded.

(2) If the Licensing authority is satisfied that there is no breach of the conditions of license or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant.

(3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor's security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor.

(4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within 30days of the receipt of the application.

47. Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48.- (1) The rates of wages payable to the workers by the contractor shall not be less than the rates prescribed under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.

(2) In case where the worker employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the worker directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workers of the contractor shall be the same as applicable to the workers directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work. In case of any dispute whether the work is of similar kind, the matter be referred to the Inspector-Cum Facilitator whose decision shall be final.

(3) In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workers of the contractor shall be such as specified under the Code and rules made thereunder.

(4) All contract labour shall be made member of EPFO and ESIC subject to applicability as under respective provisions of the Code on Social Security, 2020.

(5) The contractor shall notify any change in the number of workers or conditions of work to the Licensing Authority, electronically.

48. Intimation of work order and time limit for intimation under Sub-section (1) and the manner of suspending or cancelling the licence under sub-section (2) of section 50.-

(1) Every principal employer and contractor shall within fifteen days of the receipt of a contract work order shall intimate about the contract work order containing the details such as the name of the principal employer, address of the premises where work is being undertaken, date of commencement of the contract work, the number of contract labour employed under that work order, duration of work orders.

(2) the details of work order shall be sent by the contractor or his authorized representative.

(3) the intimation shall be sent electronically on the Online portal.

(4) In case the contractor fail to give intimation under Sub-Section (1) of Section 50, the designated authority may, after giving the holder of the license an opportunity of showing cause, suspend or cancel the license and inform the holder electronically or otherwise.

49. Appeal under sub-section (1) of section 52: The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code **shall be notified by the State Government as per sub-section (6) of section 119.**

50. Responsibility of Payment of wages under sub-section (1) and sub-section (2) of Section 55-

(1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.

(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid before the expiry of seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.

(4) In case where it is not possible to disburse payment in the mode specified in sub- rule (3), the Contractor shall take permission from Deputy Labour Commissioner of respective jurisdiction of the manner in which the payment shall be done.

51. Making payment of wages from the security deposit amount under sub-section (4) of section 55 –

If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, the Labour Commissioner, Bihar or his representative or the competent officer as may be notified shall conduct or cause to conduct, an inquiry and after giving an opportunity to be heard to the contractor shall pass an order to make payment if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit. The contractor shall re-

furnish the security deposit within a period of fifteen days or else his license will be liable to be suspended.

52. Experience Certificate under section 56.- Every concerned contractor shall issue on demand, experience certificate in **Form-XV** to the contract labour giving details of the period, work performed, experience gained in various fields performed by such contract labour.

53. Prohibition of employment of contract labour under clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 57.- (1). If a question arises as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application, to the Labour Commissioner, Bihar **giving reasons along with supporting documents and the State Government shall decide the question accordingly.**

CHAPTER-IX

INTER-STATE MIGRANT WORKER

54. Journey allowance to Inter-State Migrant Worker under Section 61.- The employer shall pay a lump sum amount on account of fare for to & fro journey to inter-state migrant worker by train (not less than II Class Sleeper) or by bus or any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home state in the event of the following, namely: if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment(s) in preceding twelve months;

Provided that the journey allowance shall be given to an inter-state migrant worker once in twelve months. In the event of change of employer by the inter-state migrant worker during the middle of the employment period and has not availed the journey allowance from his previous employer, then on the basis of a certificate to be given by inter-state migrant worker, the employer where the inter-state migrant worker is now working and the such worker has completed one hundred and eighty days in preceding twelve months including

the period spent with the previous employer, then the employer shall give journey allowance.

55. Setting up of a Toll Free helpline number to the inter-state migrant worker under Section 63.-A Toll-Free help-line number shall be provided by the State Government, to address queries and grievances of the inter-state migrant workers. For the purpose of this rule any existing Toll-Free help-line number or new Toll-Free help-line number shall be specified by the State Government through notification.

56. Study of inter-state migrant workers under Section 64.-The State Government may identify the studies to be carried out to promote safety, health and welfare of inter-state migrant workers. Wherever required the State Government may also consult the Central Government or expert organizations involved in the safety, health and welfare of inter-state migrant workers. For this purpose, the state government can take the help of Dashrath Manjhi Institute of Labour and Employment Studies or any other reputed institute of the state which is working in the field of labour.

CHAPTER-X

AUDIO- VISUAL WORKER

57. Agreement for audio-visual worker under clause (a) of sub-section (2) of section 66.- (1) The Form of agreement for the audio-visual workers with the producer is given in **Form-XVI**.

(2) The agreement shall be registered with the competent authority as may be notified by the State Government.

58. Authority to whom a copy of the agreement shall be forwarded by the producer under sub-section (3) of section 66- Copy of the agreement shall be forwarded by the producer to the authority as may be notified by the State Government.

59. Procedure for reference of disputes to a Conciliation Officer or a Tribunal for the purpose of clause (*vii*) of sub-section (*4*) of section 66.-The procedure for reference of dispute to a conciliation officer or a tribunal shall be in conformity with the Industrial Relation, Code 2020 and Rules framed there under.

CHAPTER XI

BEEDI AND CIGAR WORKERS

60. The form of application, the payment of fees, manner of preparing the plan of section 74-(1) Every application for a licence to use or allow to be used any place or premises used for manufacturing of Beedi or Cigar or both as an industrial premises shall be in **Form XVII** electronically.

(2) The application shall be accompanied by the following documents, namely:

(a) plans uploaded electronically showing-

(i) the site of such place or premises, the areas therein to be used for manufacturing processes and the immediate surroundings of such place or premises, including adjacent buildings, structures, roads, drains and the like; and

(ii) the plan, elevation and necessary cross-sections the details relating to natural lighting, ventilation, means of escape in case of fire, position of the plant and machinery, if any, used, aisles and passage-ways in or relation to, the various buildings which are intended to be used for manufacturing processes;

(3) Before granting a licence in **Form- XVIII**, the competent authority shall also take into consideration whether the site of any industrial premises is proposed to be altered, or whether any industrial premises has been closed, by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application with a view to causing prejudice to the interests of the labour.

(4) The application for the purpose of Sub-Section (2) of Section 74 shall be made at least thirty days before the proposed date of opening of the establishment.

(5) The fees to be paid for the grant or renewal of a licence shall be as specified in the table below, namely;

Sl.	**Number of employees proposed to be employed on any day for the period for which the license is granted or renewed-**	**Fees**
a	No License is required up to 10 employees	NIL
b	10 but does not exceed 50 employees	Rs. 100
c	51 but does not exceed 100 employees	Rs. 250
d	101 but does not exceed 250 employees	Rs. 500
e	251 but not exceeding 500 employees	Rs. 750
j	501 and above employees	Rs. 1000

(6) The Authority granting the license shall take into account the conditions mentioned under clause (b) to (e) of sub-section (4) of section 74 before granting the license.

61. Time of filing appeal and fees under section 75- (i) The employer aggrieved by the order of authority under Sub-Section (1) of Section 119, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within **Ninety** days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) The appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the authority, against whose order the appeal has been

preferred and the authority shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) The Appellate Officer shall decide the appeal in not more than 60 days from the date of filing of appeal ,by a reasoned order.

(vi) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

(vii) There shall be no Fees for appeal.

62. Form of application by the employee and conditions under sub-section (*1*) of section 76- The employer on the behalf of such employee to who want to work outside the industrial premises used for manufacturing of Beedi or Cigar or both shall apply for permission to the concerned authority in **Form XIX** electronically and keep records in **Form XX**.

63. Form of maintaining the record of the work under sub-section (*2*) of section 76- Every employer shall provide free of cost to each home-worker two books in **Form XXI** (hereinafter referred to as the 'home-workers' log-books) and the home-worker shall keep a record of the daily work done by him, the number of beedis and cigars manufactured by him and the wages received by him in the said book and the supply of books shall be so arranged that one book remains with the home-workers at all times during the period between two successive supplies of raw materials by the employer.

Chapter-XII

Factory

64. Rules in respect of factory or class or description of factories under sub-section (1) of section 79-

(1) **Submission of plans-** The State Government or **Chief Inspector-Cum-Facilitator shall** require, for the purposes of the **Code**, submission of plans of any factory which was either in existence on the date of commencement of the **Code** or which has not been constructed or extended since then. Such plans shall be drawn to the scale showing –

(a) the site of the factory together with lattitute and longitute off all corner and immediate surroundings including adjacent buildings and other structure, roads, drains, etc.;

(b) the plan, elevation and necessary cross sections of the factory buildings indicating all relevant details relating to natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire, and the position of the plant and machinery, aisles and passageways; and

(c) such other particulars as the State Government or the Chief Inspector-Cum -Facilitator, as the case may be, may require.

(2) Approval of plans. –

(i) No site shall be used for the location of a factory or no building in a factory be constructed, reconstructed, extended or taken into use as a factory or part of a factory, or any other extension of plant or machinery carried out in a factory unless previous permission is obtained from the State Government or the **Chief Inspector-Cum-Facilitator of Factories.**

(ii) Application for such permission shall be made in **Form XXII** and shall be accompanied electronically along with documents mentioned in the Form.

(iii) If the Chief Inspector-Cum-Facilitator is satisfied that the plans are in consonance with the requirements of the Code he shall, subject to such conditions as he may specify, approve them electronically; or he may call for such other particulars as he may require to enable such approval to be given electronically.

(iv) If the Chief Inspector-Cum -Facilitator is of the opinion that the plans uploaded under sub-rule (ii) are not in accordance with the requirements of the Code, or if he finds it fit or expedient to specify any conditions of approval, including conditions relating to cancellation or modifications of prior approvals, he shall, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, send to the applicant a speaking order through online either approving the plans subject to such conditions as may be specified therein or refuse the permission applied for.

(v) If no order is communicated to the applicant within thirty days from the date on which the application has been uploaded through online, the permission applied for shall be deemed to have been granted and certificate of deemed approval shall be automatically sent to the applicant electronically.

(3) Certificate of Stability.- No manufacturing process shall be carried on in any building of a factory constructed, reconstructed or extended, or in any building which has been taken into use as a factory or part of a factory until a certificate of stability issued by a Competent person as defined in Section 2(l) of the Code and the same been accepted by chief inspector cum Facilitator.

(4) **Applications for grant of licence.-** The occupier of every factory shall submit to the inspector -cum-facilitator of the area concerned under whose jurisdiction the factory is situated an application electronically in **Form XXIII** for grant of a license.

Provided that the occupier of premises in use as a factory on the date of the commencement of these rules shall submit such application within six months from the date of commencement of these rules.

(5) **Grant of licence-**

(i) The Occupier of every factory, shall at least fifteen days before commencing any manufacturing process in any factory upload through online an application for grant of the licence in the prescribed **Form XXIII** along with online payment of licence fee as per **SCHEDULE III**.

(ii) The Occupier of every factory, shall at least fifteen days before commencing any manufacturing process in any factory shall apply for grant of licence to work a factory in **Form XXIII** along with online payment of licence fee as per SCHEDULE III and such application shall be submitted to the Inspector cum facilitator of Factories of the area concerned under whose jurisdiction the factory is situated who after making such enquiries as he may deem fit , about the correctness of the particulars and on payment of fees specified in the specified Schedule grant a licence for the factory in **Form XXIV** on such terms and conditions as may be specified with the approval of the Chief Inspector cum facilitator of Factories.

(iii) The Inspector-cum-facilatator on notice any defect in the license application or violation of any provision may be a speaking order and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, refuse to grant a licence electronically:

Provided that if no order is communicated to the occupier within a period of 30 days from the date on which the occupier has sent intimation under sub rule (ii) (a), the license shall be deemed to have been granted and thereupon the license shall be issued forthwith.

(iv) If the grant of license has not been refused in accordance with sub-rule (iii), the Inspector shall grant the license in **Form No. XXIV** and send the license to the applicant electronically.

(v) Every Licence granted shall cease to remain valid after the closure of manufacturing process or any other change in the current issued licence or it has been duly cancelled and shall be valid up to a maximum of 10 years.

(6) **Renewal of licence-**

(i) Initially the licence shall be issued for the period of 10 years and it shall be auto-renewed thereafter for the number of years applied for, subject to maximum of ten years at one time and on payment of prescribed fee as per the Schedule II. Provided the Factory meets the safety guidelines.

(ii) An application for renewal of licence shall also be in **Form XXIII** along with self decleration that no specification change has occurred, and shall be submitted electronically to the Inspector–cum-Facilitator of the area concerned not later than the date on which the licence expires..

(iii) If the application for renewal of license is not done within 30 days of the expiration of licence the prescribed late fee for Renewal shall be 50% of prescribed fee and after 90 days of the expiration of licence, the prescribed late fee for Renewal shall be 100% of the prescribed fee.

(iv) If the licence is not renewed within 02 years from the expiration of licence, the licence shall be cancelled.

(7) **Amendment of licence-**

(i) The occupier of a factory shall, within fifteen days of occurrence of any change in the name or in particulars of the maximum power installed or maximum number of persons employed, or any other change in the existing licence, apply through online for amendment of the licence stating the nature of amendment to be made and the reasons there for together with online payment of prescribed fee to inspector -cum-facilitator of the area concerned in **Form XXV.**

(ii) When there is any increase in the number of workers employed or in the rated capacity of the machinery and plants installed in terms of H.P. or K.W. installed, resulting in an increase in the amounts of fee payable for the license as compared to the fee already paid or when there is any other change requiring amendment in the license already granted or renewed, the occupier of the factory shall, within 15 days of the increase or change as the case may be,

submit an application in **Form XXV** to the Inspector cum facilitator of factories for amendment of the license, stating therein the nature of amendment required and the reasons therefor.

(iii) The fee for the amendment of license shall be five hundred rupees.

Provided that when there is any increase in the number of workers employed or in the rated capacity of the machinery and plants installed in terms of H.P or. K.W. installed, resulting in an increase in the amounts of fee payable for the license as compared to the fee already paid, fee for amendment of license shall be five hundred rupees plus the amount by which the fee that would have been payable if the license had originally been issued in the amended form exceeds the fee originally paid for the license

(iv) The license already granted shall cease to remain valid after the change or increase in the number of the workers or in the installed capacity or any other change as aforesaid unless the occupier has filed an application and paid the required fee as laid down in these rules within fifteen days from the said date of change or increase.

(v) Provided further that no such amendment of a license will be made by the Inspector cum facilitator without obtaining prior approval of the Chief Inspector cum facilitator.

(8) **Transfer of licence-** (i) When there is any change of the occupier of factory before the expiry of the licence the new occupier shall within 30 days of the transfer, apply to the Inspector cum facilitator cum facilitaor of Factories of the area concerned for transfer of licence electronically application in **Form XXVI** through online along with requisite documentary evidence which may prove that the occupation of the factory has been transferred to the applicant. mentioned therein by remitting the transfer fee

(ii) The prescribed fee for transfer of license shall be one thousand rupees.

(iii) Procedure on death or disability of licensee.- If a licensee dies or becomes insolvent, the person succeeding or taking over the factory and functioning as

the occupier shall apply for transfer of the license for the remaining period within a period of 01 month after the death or insolvency of previous occupier of such licensee shall not be liable to any penalty under the Code for exercising the powers granted to the licensee by the licence during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the transfer of the licence under rule 64(8) (1) or for amendment of licence under rule 64 (7) as the case may be, in his own name for the unexpired portion of the original licence.

(iv) Provided further that no such transfer of a licence will be made by the Inspector cum facilitator without obtaining prior approval of the Chief Inspector cum facilitator.

(9) **Payment of fees;** (i) Every application under these rules shall be accompanied with appropriate fees deposited thorough online mode.

(ii) If an application under this rule is rejected, the fee paid shall be non-refundable to the applicant.

(10) **Prohibition of use of premises as factory without a valid licence.-** An occupier shall not use any premises as a factory or carry on any manufacturing process in a factory unless a licence has been issued in respect of such premises.

65. Mode of submission of application under sub-section (2) of section 79; An application for permission shall be accompanied with plans and specifications required by the rules shall be sent to the State Government or Chief Inspector-cum-Facilitator in the electronic mode and if no order is communicated to the applicant within such period not exceeding thirty days, the permission applied for in the said application shall be deemed to have been granted.

66. Common facilities and services for joint liability of owner of premises and occupiers of the factories under section 80;- (i) Common facilities in joint liability of owner of premises and occupiers of the factories shall include safety, fire prevention and protection, access, hygiene, occupational health,

ventilation, temperature, emergency preparedness and response, canteens, shelter, rest rooms and crèches.

(ii) Other services provided by **owner of premises and occupiers of the factories** in joint liability may be notified by the State Government from time to time.

67. Rules under section 82 for Dangerous manufacturing processes or operations.- (i) The following manufacturing processes or operations when carried on in any factory are declared to be dangerous manufacturing processes or operations under section 82: -

(I) Manufacture of aerated water and processes incidental thereto.

(II) Electrolytic plating or Oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing chromic acid of other chromium compounds.

(III) Manufacture and repair of electric accumulators.

(IV) Glass manufacture.

(V) Grinding or glazing of metals.

(VI) Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead.

(VII) Generating Petrol gas from petrol.

(VIII) Highly flammable liquids and flammable compressed gases.

(IX) Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto.

(X) Lead Process carried in Printing Press and Types Foundries.

(XI) Chemical Works.

(XII) Manufacture of Pottery.

(XIII) Compression of Oxygen and Hydrogen by the Electrolysis of Water.

(XIV) Cleaning or smoothing roughening, etc. of articles by a jet of sand, metal shots, or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.

(XV) Handling and processing of Asbestos, Manufacture of any article of asbestos and any other process of manufacture or otherwise, in which asbestos is used in any form.

(XVI) Handling and manipulation of corrosive substances.

(XVII) Manufacture of articles from refractory materials.

(XVIII) Solvent Extractions Plants.

(XIX) Carbon Di-sulphide plants.

(XX) Manufacture or Manipulation of Manganese and its compounds.

(XXI) Applicable to factories in which Benzene or substances containing Benzene are manufactured, handled or used.

(XXII) Manufacture of Slate Pencils.

(XXIII) Manufacture or manipulation of dangerous pesticides.

(XXIV) Manufacture or manipulation of carcinogenic dye intermediates.

(XXV) Operations involving high noise levels.

(XXVI) Manufacture Rayon by viscose process.

(XXVII) Operations in Foundries.

(XXVIII) Transformation of stone or any other material containing free silica.

(ii) The provisions specified in the **Schedule IV** shall apply to any class or description of factories wherein dangerous manufacturing processes or operations specified in each schedule are carried on.

(iii) (a) For the medical examination of workers to be carried out by the **Qualified Medical Practitioner** as required by the **Schedule IV** annexed to this rule and fees for medical examination shall be paid by the occupier.

(b) Before employment of a person in dangerous operation a person shall be medically examined and thereafter he shall be examined by a qualified medical practitioner from time-to-time but not letter than six months.

(iv) Notwithstanding the provision specified in the **Schedule IV** annexed to this Rule, the Inspector may by issues of order in writing to the manager or occupier or both, direct them to carry out such measures, and within such time, as may be specified in such order with a view to removing conditions dangerous to the health of the workers, or to suspend any process, where such process

constitutes, in the opinion of the Inspector, imminent danger of poisoning or toxicity.

(V) Any register or record of medical examinations and tests connected therewith required to be carried out under the **Schedule IV** annexed hereto in respect of any worker shall be kept readily available to the Inspector-Cum-Facilitator and shall be preserved till the expiry of one year after the worker ceases to be in employment of the factory.

68. Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83.

(i) Constitution:

(a) The State Government may by notification constitute a Site Appraisal Committee and reconstitute the Committee as and when necessary, as follows:

Chief Inspector-Cum-facilitator – Chairman

A representative of the Fire Service Organisation of the State Government

A representative of the State Department of Industries

A representative of the Director General of Factory Advice Service and Labour Institutes, Bombay or Regional Labour Institute, Calcutta

A representative of Department of Forest, Environment and Climate Change

A representative of Bihar State Pollution Control Board

Inspector-Cum-Facilitator of Concerned area – Member

Inspector-Cum-Facilitator with qualification in Chemical Engineering to be the Secretary of the Committee

(b) The committee may co-opt a representative of District Administration during the site visit.

(ii) No member, unless required to do so by a Court of Law, shall disclose otherwise than in connection with the purpose of the Act, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a Member on this Committee.

(iii) Applications for appraisal of sites:

(a) Applications in **Form XXVII** for appraisal of sites in respect of the factories covered under Section 2(za) of the Code shall be submitted electronically to the Labour Resource and Migrant Workers Welfare Department, Government of Bihar, which shall forward it immediately to the Site Appraisal Committee.

(iv) Functions of the Committee:

(a) The Secretary shall arrange to register the applications received for appraisal of site in a separate register and acknowledge the same within a period of 7 days.

(b) The Secretary shall fix up meeting in such a manner that all the applications received and registered are referred to the Committee within a period of one month from the date of their receipt.

(c) The Committee may adopt a procedure for its working keeping in view the need for expeditious disposal of applications.

(d) The Committee shall examine the application for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restrictions of the location of industry and the carrying on of processes and operations in different areas as per the provisions of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 framed under the Environment Protection Act, 1986.

(e) The Committee may call for documents, examine experts, inspect the site if necessary and take other steps for formulating its view in regard to the suitability of the site.

(f) Wherever the proposed site requires a clearance by the Ministry of Industry or the Ministry of Environment and Forests, the application for Site Appraisal will be considered by the Site Appraisal Committee only after such clearance has been received.

69. Manner of disclosing information by occupier of a factory under sub-section (1) of section 84;

(A) DISCLOSURE OF INFORMATION TO WORKERS (1) The occupier of a factory carrying on a 'hazardous process' shall supply to all workers the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other processes:

(a) Requirements of Sections 84(1) of the Code;

(b) A list of 'hazardous processes' carried on in the factory

(c) Location and availability of all Material Safety s as per **Schedule V;**

(d) Physical and health hazards arising from the exposure to or handling of substances;

(e) Measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards;

(f) Measures taken by the workers to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances;

(g) Personal Protective Equipment required to be used by workers employed in 'hazardous process';

(h) Meaning of various labels and markings used on the containers of hazardous substances as provided under **Schedule V;**

(i) Signs and symptoms likely to be manifested on exposure to hazardous substances and to whom to report;

(j) Measures to be taken by the workers in case of any spillage or leakage of a hazardous substance

(k) Role of workers vis-à-vis the emergency plan of the factory, in particular the evacuation procedures;

(l) Any other information considered necessary by the occupier to ensure safety and health of workers.

(2) The information required by sub-rule (1) shall be compiled and made known to workers individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the work places.

(3) The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the workers and also explained to them.

(4) The Chief Inspector may direct the occupier to supply further information to the workers as deemed necessary.

(B) DISCLOSURE OF INFORMATION TO GENERAL PUBLIC

(1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall in consultation with the District Disaster Management Authority designated by the State Government, take appropriate steps to inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident. Such information shall include:

(a) Name of the factory and address where situated;

(b) Identification, by name and position, of the person giving the information;

(c) Confirmation that the factory has approval from the Factories Inspectorate and Pollution Control Board;

(d) An explanation in simple terms of the hazardous process (es) carried on in the premise;

(e) The common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics;

(f) Brief description of the measures to be taken to minimise the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes;

(g) Salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory;

(h) Details of the factory's emergency warning system for the General Public;

(i) General advice on the action members of the public should take on hearing the warning;

(j) Brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimise their effects; and

(k) Details of where further information can be obtained.

(2) The occupier shall also supply any further information – (a) to general public as directed by the District Disaster Management Authority from time to time; (b) to the elected representatives of the general public on request.

(3) The occupier shall endeavour to enter an agreement with the District Disaster Management Authority for the area, within whose jurisdiction the factory is situated, for the District Disaster Management Authority to take appropriate steps to inform the general public outside the factory who are likely to be affected by an accident as required in sub-rule (1).

(4) The information prescribed in sub-rule (1) shall be in Hindi and English and shall also be displayed in big hoarding at conspicuous places around the outside boundary of the factory as well as in the habitation likely to be affected by it.

(C) DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE LOCAL AUTHORITY

The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall furnish the following information in writing to the local authority having jurisdiction over the area in which the factory is situated –

(a) the information furnished to general public as prescribed in the Rule 73B;

(b) a statement of the names and quantities generally stored or in process of hazardous substances included in the list of chemicals prescribed under clauses (vi) and vii) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

(D) DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE CHIEF INSPECTOR-CUM-FACILITATOR (1) The occupier of every factory carrying on 'hazardous process' shall furnish, in writing, to the Chief Inspector a copy of all the information furnished to the workers, local authority and general public.

(2) A copy of compilation of Material Safety Data Sheets as per **SCHEDULE V** in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall be furnished to the Chief Inspector, and the local Inspector.

(3) The occupier shall also furnish any other information asked for by the Chief Inspector-cum-Facilitator from time to time.

(E) Disclosure of information to District Emergency Authority: -

The occupier of a factory carrying on a hazardous process, shall intimate the District Emergency Authority designated by the State Government, all information having a bearing on preparation of an off- site emergency plan and a disaster control and management plan in respect of the factory.

Without prejudice to the generality of this clause, the occupier shall furnish to the district Emergency Authority the following:

(a) a report on status relating to risk assessment and environmental impact assessment and the measures taken for prevention of accidents;

(b) completion of Material Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory;

(c) a statement on all possible sources of accidents involving fire, explosion, release or leakage of toxic substances and the plan of the premises where such an accident may occur;

(d) a statement on resources and facilities available for dealing with an emergency including any agreement entered into with a neighbouring factory for aid and assistance in the event of an emergency;

(e) a map of the area showing the approach to the factory, location of emergency facilities such as hospitals, police, fire service;

(f) the organisation of the management and the responsibility for safety indicating therein the persons responsible for on-site Emergency action;

(g) details relating to alert system;

(h) information on availability of antidotes for poisoning resulting from an accident;

(i) any other information as may be considered relevant by the occupier or asked for by the District Emergency Authority.

(F) Emergency Plan

(1) The Occupier of a factory carrying on a hazardous process shall prepare a draft onsite emergency plan and submit it to the Chief Inspector cum facilitator of factories . The Chief Inspector cum facilitator may make such modifications in the plan as necessary in consultation with the occupier and approve the same.

(2) The Occupier will submit a copy of the approved plan to the District Emergency Authority.

(3) The occupier will intimate the workers the provisions of the emergency plan and held rehearsals of the plan periodically. He shall review the plan from time to time and make necessary changes therein under information to the Chief Inspector cum facilitator of factories and the District Emergency Authority.

(4) The Chief Inspector cum facilitator of factories may issue guidelines relating to formulation of emergency plans. He may also direct modifications of the emergency plan in respect of any factory as may be necessary, from time to time.

(G) Disaster Control and Management Plan

(1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process, shall prepare a draft disaster control and management plan in respect of his factory and submit the same to the Chief Inspector cum facilitator of factories and the District Emergency Authority.

(2) The District Emergency Authority on receipt of the plan shall hold consultation with the occupier, representatives of the Chief Inspector cum

facilitator, Local Authority as well as police, health, fire brigade and other authorities concerned and finalise the plan.

(3) The District Emergency Authority shall forward a copy of the final plan to the occupier and all authorities concerned. The occupier shall intimate the workers the contents of the plan.

(4) The occupier in consultation with the district emergency Authority will arrange rehearsals of the plan at least once a year.

(5) The Chief Inspector cum facilitator may issue guidelines for formulation of disaster control and management plans. The Chief Inspector cum facilitator as well as the District Emergency Authority in consultation with the Chief Inspector cum facilitator may also direct modifications of the disaster control and management plan in respect of a factory as may be necessary from time to time.

(H) Confidentiality of information

The occupier of a factory carrying on hazardous process shall disclose all information needed for protecting safety and health of the workers and the general public in the neighbourhood to:

(a) his workers;

(b) the Chief Inspector cum facilitator of factories , and

(c) District Emergency Authority.

As required under this rule, If the occupier is of the opinion that the disclosure of details regarding the process and formation, while adversely affect his business interests, he may make a representation to the Chief Inspector cum facilitator stating the reasons for withholding such information. The Chief Inspector cum facilitator shall give an opportunity to the occupier of being heard and pass an order on the representation.

An occupier aggrieved by an order of Chief Inspector cum facilitator, may prefer an appeal before the State Government within a period of 30 days. The

State Government shall give an opportunity to the occupier of being heard and pass an order. The order of the State Government shall be final

70. Interval of informing Chief Inspector-cum-Facilitator and the local authority about the policy with respect to the health and safety of the workers under sub-section (2) of section 84- (1) The occupier of every factory, except as provided for in sub-rule (2), shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of workers at work.

(2) All factories – (a) covered under Section 2(w) (i) but employing less than 50 workers; (b) covered under Section 2(w)(ii) but employing less than 100 workers; are exempted from requirements of sub-rule(1): Provided that they are not covered under the First Schedule under Section 2(za) or carrying out processes of operations declared to be dangerous under Section 82 of the Code.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule(2) the Chief Inspector-cum-Facilitator may required the occupiers of any of the factories or class or description of factories to comply with the requirements of sub-rule(1) if, in his opinion, it is expedient to do so.

(4) The Health and Safety Policy should contain or deal with: (a) declared intention and commitment of the top management to health, safety and environment and compliance with all the relevant statutory requirements; (b) organisational set-up to carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels; and (c) arrangements for making the policy effective.

(5) In particular, the Policy should specify the following:

(a) arrangements for involving the workers; (b) intention of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement; (c) fixing the responsibility of the contractors, sub-contractors, transporters and other agencies entering the premises; (d) providing a resume of health and safety performance of the factory in its Annual Report; (e) relevant techniques and methods, such as

safety audits and risk assessment for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all the remedial measures; (f) stating its intentions to integrate health and safety, in all decisions including those dealing with purchase of plant, equipment, machinery and material as well as selection and placement of personnel; (g) arrangements for informing, educating and training and retraining its own employees at different levels and the public, wherever required.

(6) A copy of the declared Health and Safety Policy signed by the occupier shall be made available to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction over the factory and to the Chief Inspector-cum-Facilitator and local authority anually;

(7) **The Policy shall be made widely known by –**

(a) making copies available to all workers including contract workers, apprentices, transport workers suppliers, etc.

(b) displaying copies of the policy at conspicuous places; and

(c) any other means of communication; in a language understood by majority of workers.

(8) The occupier shall revise the Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances: -

(a) whenever any expansion or modification having implications on safety and health of persons at work is made; or

(b) whenever new substance(s) or articles are introduced in the manufacturing process having implications on health and safety of persons exposed to such substances.

71. Compulsory disclosure of information for a Factory starting hazardous process to Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 84; (i) The Information desired under this Rule shall be furnished electronically. (ii) In the event of any change in the process or operations or methods of work or when any new substance is introduced in the process or in the event of a serious accident taking place, the information so furnished shall be reviewed and modified to the extent necessary.

72. Manner of publicising among the workers and the general public living in the vicinity of the factory the measures and disposal laid down under sub-section (7) of section 84- For the purpose of Sub-section (7) of Section 84, the occupier of a factory shall publicize measure for the handling, usage, transportation and storage of hazardous substances inside the factory premises and the disposal of such substances outside the factory premises to workers and the general public living in vicinity by print and electronic media, hoarding or any other mode of communication which is suitable for this purpose and a record thereof.

73. Conditions for accessibility to the record by the workers under clause (a) of section 85;

(1) The occupier of every factory carrying out 'hazardous process' shall make accessible the health records including the record of workers' exposure to hazardous process or as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions:-

(a) One in every six months or immediately after the medical examination whichever is earlier.

(b) If the Medical Officer/Civil Surgeon is of the opinion that the worker has manifested signs and symptoms of any notifiable disease as specified in the Third Schedule of the Act;

(c) If the worker leaves the employment;

(d) If any of the following authorities so direct;

- the Chief Inspector-Cum-Facilitator;
- the Health Authority of the Central or State Government;
- Competent authority of Employees Compensation under the Social Security Code, 2020;
- The Director General, Employees State Insurance Corporation;
- The Director Employees State Insurance Corporation (Medical Benefits); and
- The Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

(2) A copy of the up-to-date health records including the record of worker's exposure to hazardous process or, as the case may be, the medical records shall be supplied to the worker on receipt of an application from him, X-Ray plates and other medical diagnostic reports may also be made available for reference to his medical practitioner.

74. Qualification and experience of persons handling hazardous substance and manner of providing necessary facilities for protecting the workers under clause (b) of section 85;

(1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualification and experience:

(a) (i) A degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with 5 years experience; or

(ii) A Master's Degree in Chemistry or a Degree in Chemical Engineering or Technology with 5 years, experience.

The experience stipulated above shall be process operation and maintenance in the Chemical Industry.

(b) The Chief Inspector may require the Supervisor to undergo training in Health and Safety.

(2) The Syllabus and duration of the above training and the organisations conducting the training shall be approved by the Director General, Factory

Advice Service and Labour Institutes or the State Government in accordance with the guidelines issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.

75. Manner of providing for medical examination of a worker under sub-clause (ii) of clause (c) of section 85;

(1) Workers employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner in the following manner:-

(1) Workers employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner in the following manner: -

(a) Once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do the particular job;

(b) Once in a period of 6 months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed; and in cases where in the opinion of the Medical Officer it is necessary to do so at a shorter interval in respect of any worker;

(c) The details of pre employment and periodical medical examination carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register in **Form XXVIII.**

(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of Fitness in **Form XXIX** granted by the Medical Officer. If the Medical Officer declares a person that for being employed in any process covered under sub-rule (1), such a person shall have the right to appeal to the inspector -cum-facilitator who shall refer the matter to the Civil Surgeon of that area whose opinion shall be final in this regard.

(3) Any findings of the Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the chief Inspector cum facilitator and Civil Surgeon of that area and who shall in turn, examine the concerned worker and communicate his

findings to the occupier within 30 days, If the Civil Surgeon is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away be provided with alternate placement unless he is fully incapacitated, in the opinion of the Civil Surgeon, in which case the worker affected shall be suitably rehabilitated:

(4) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the fitness certificate from the Civil Surgeon of that area and after making entry to that effect in the Health Register.

(5) An inspector -cum-facilitator may, if he deems it necessary to do so refer worker to the Civil Surgeon of that area or medical officer for medical examination as required under sub-rule (1) and the opinion of the Civil Surgeon or medical officer in such a case shall be final. The fee required for this medical examination shall be paid by the occupier.

(6) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on behalf of the Central or the State Government shall not undergo such medical examination.

(7) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the medical officer and after making entries to that effect in the Health Register.

76. Value of the maximum permissible limit of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing process in any factory under section 88- The Permissible Levels of exposure of Chemical Substances in manufacturing process in a factory for the purpose of Section 88 shall be as per the **Schedule I.**

77. Appellate authority for appeal against the order of Inspector-cum-Facilitator of factory and the manner of appeal under section 90; (1) An

appeal presented under section 90 shall lie to the Chief Inspector-cum-Facilitator, or in cases where the order appealed against is an order passed by that officer, to the State Government or to such authority as the State Government may appoint in this behalf and shall be in the form of a memorandum setting forth concisely the grounds of objection to the order and bearing court fees stamp in accordance with Article 11 of Schedule II to the Court Fees Act, 1870, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(2) Appointment of assessors.-On receipt of the memorandum of appeal the appellate authority shall, if it thinks fit or if the appellant has requested that the appeal should be heard with the aid of assessors, call upon the body declared under sub-rule (3) to be representatives of the industry concerned, to appoint an assessor within a period of 14 days. If an assessor is nominated by such body, the appellate authority shall appoint a second assessor itself. It shall then fix a date for the hearing of the appeal and shall give due notice of such date to the appellant and to the Inspectors whose order is appealed against, and shall call upon the two assessors to appear upon such date to assist in the hearing of the appeal.

(3) The appellant shall state in the memorandum presented under sub-rule (1) whether he is a member of one or more of the following bodies-

(1) The Bihar Chamber of Commerce.

(2) The Bihar Sugar Mills Association.

(3) The Bihar Industries Association.

(4) The Engineering Association of India.

The body empowered to appoint the assessor shall-

(a) if the appellant is a member of one of such bodies, be that body;

(b) if he is a member of two such bodies, be the body which the appellant desires should appoint such assessor; and

(c) if the appellant is not a member of the aforesaid bodies, or if he does not state in the memorandum which of such bodies he desires should appoint the assessor, be the body which the appellate body considers as the best fitted to represent the industry concerned.

(4) Remuneration of assessors.-An assessor appointed in accordance with the provisions of sub-rules (2) and (3) shall receive for the hearing of the appeal, also to be fixed by the State Government. He shall also receive the actual travelling expenses. The fees and travelling expenses shall be paid to the assessor by Government; but where assessors have been appointed at the request of the appellant and the appeal has been decided wholly or partly against him, the State Government may direct that the fees and travelling expenses of the assessor shall be paid in whole or in part by the appellant.

78. Rules under section 91; (1) **Persons defined to hold positions of supervision or management and confidential positions-** The State Government may make rule under Section 91 (1) (a) or (b) an exempt by an order in writing any or all of the adult worker or any establishment or class of establishment for such condition as it may deemed expedient. Such order shall become effective after the publication in gazette.

Chapter-XIII

Plantation

79. Facilities for workers in plantation under sub-section (1) of section 92; Facilities to workers-

(A) Housing accommodation for workers.-

(1) Every employer shall provide for workers and his family residing in a plantation, housing accommodation as near as possible to the place of work.

(2) All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provision shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained

sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide at least a floor area of 10 square meters excluding area of kitchen and toilet for each person making use of the room. The accommodations shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.

(3) ***Sites for housing accommodation.-***

(i) The housing accommodation shall be provided on dry well-drained land which has supplies of potable drinking water.

(ii) Adequate lighting arrangements shall be provided in and around the area in which housing accommodation is provided.

(iii) The employer shall maintain in good condition the approach roads and paths to the area where houses are located as also the sewers and drains in that area.

(iv) The employer shall keep houses hygienic and also provide for drainage and sewage.

(4) ***Maintenance of houses:-*** The houses shall be kept in good condition.

(B) Creches facilities -Every employer of the plantation wherein fifty or more workers(including workers employed by any contractor) are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, shall provide crèches facilities.

(C) Educational facilities for worker's children :- Every employer shall if the number of worker's children between the ages of six to **fourteen** in his plantation exceeds 25, provide and maintain a Primary School or Schools for imparting Primary education to the children or facilitate admission in Government school.

(D) Health Facilities- (i) The employer shall give basic health facilities to its worker and covered them in Employee State Insurance Scheme.

(ii) State Government may notify additional facilities through a Gazette notification.

80. Prohibiting or, restricting employment of women or adolescents under sub-section (2) of section 93- No adolescent worker shall be permitted to be engaged in handling or storage or transport of insecticide, pesticide, hazardous chemicals and other toxic substances.

81. Qualifications under sub-section (3) of section 93; The use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances shall be supervised by a competent person who should possess the following qualifications—

(1) He shall be a graduate in Agriculture or in Chemistry or he shall possess a Certificate Course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the recognized institutes.

(2) He should also possess a valid certificate from a recognized institute for giving first aid treatment to workers.

82. Training of Workers under sub-section (4) of section 93; - (1) The workers involved in handling insecticides, chemicals, arid toxic substances shall be arranged for suitable training by the supervisor mentioned in Section 93(3) or any other person having similar qualification.

83. Manner of periodical medical examination of worker under sub-section (5) of section 93; (1) Every worker who is engaged in the work of handling, dealing, or spraying or mixing insecticides, chemical and toxic substances shall be medically examined initially at the time of employment and thereafter once in six months.

(2) The medical examination and tests shall be recorded as per the **Form XXVIII.**

(3) Every employer shall maintain a health record of every worker such as annual medical examination or any other examination when required shall be kept in plantation and every such worker shall have access to such record.

84. Manner of providing facilities, clothing and equipment under sub-section (7) of section 93; -

(1)Every employer shall provide washing, bathing and cloak room facilities to the workmen, who are employed in handling insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances.

(2) Protective clothing and equipment.—

(a) Persons handling insecticides, chemicals and toxic substances during its operation, distribution, mixing, spraying shall be adequately protected with appropriate clothing.

(b) The protective clothing shall be made of materials which prevent or resist the penetration of any form of insecticide, chemical and toxic formulations. The materials shall also be washable so that the toxic elements may be removed after each use.

(c) A complete suit of protective clothing shall consist of the following dresses, namely.—

- Protective outer garment with hat.
- Rubber gloves or such other protective gloves extend way up to the fore arm made of materials impermeable to liquids.
- Dust proof goggles.
- Boots.
- Reusable cloth masks.

85. Precautionary notices under sub-section (9) of section 93; Every employer in the plantations shall display the following precautionary notices at or near the place where the insecticides, chemicals and toxic substances are handled.—

(i) Use protective clothing like overalls, gloves, rubber gum-boots and wide brimmed hats.

(ii) Do not wear clothes contaminated with insecticides and pesticides.

(iii) Clean the protective clothing by washing with soap and water.

(iv) Do not allow children, sick persons and pregnant women and nursing mothers to handle insecticides and pesticides.

(v) Do not eat, drink, smoke or chew while handling insecticides and pesticides.

(vi) Never blowout clogged nozzles with your mouth.

(vii)Do not use leaking sprayers. Avoid contamination of the skin, mouth and eyes.

(viii) Do not inhale the insecticides unattended in the fields.

(ix) Never spray insecticides and pesticides against the wind.

(x) Do not leave insecticides and pesticides unattended in the fields.

(xi) Do not allow humans and livestock to enter the insecticides and pesticides sprayed fields for a period of time, suggested by the manufacturers.

(xii) Do not wash insecticides and pesticides containers near a well or running stream.

(xiii) Keep clean water, soaps and towels ready for use.

(xiv) Wash hands and exposed skin thoroughly with soap and water before eating, drinking, smoking or, chewing and after work.

(xv) Keep the insecticides and pesticides locked in the store room and out of reach of children and other unauthorized persons.

(xvi) Do not enter the sprayed field. Follow the re-entry periods for all insecticides and pesticides including herbicides, suggested by the manufacturers.

(xvii) Keep insecticides and pesticides in their original, labeled containers.

(xviii) Do not decant insecticides and pesticides into unlabeled containers except for immediate use.

(xix) Dispose the containers safely after thoroughly emptying and washing. They may be buried in a place away from a water source.

(xx) Never reuse the container for any other purposes if it is impossible to remove the traces of insecticides and pesticides from the containers.

Chapter-XIV

OFFENCES AND PENALTIES

86. Manner of compounding under sub-section (1) of section 114; Manner of compounding of offences by the authorized officer specified under sub-section (1) of section 114.-

(1) (1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a notice for compounding of offences for the offences compoundable under sub-section (1) of section 114 of the Code.

(2) The person so noticed may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount after one month of serving the notice for compounding amount, the prosecution shall be proceeded henceforth before the competent Court.

(5) No prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under Section 114.

Chapter-XV

MISCELLANEOUS

87. Other sources of fund under sub-section (2) of section 115; In addition to source of fund mentioned in Clause (i) sub-section (2) of Section 115, the amount received from the following sources shall be credited to the Fund:-

(i) Amount given by the State Government for the establishment of the fund.

(ii) The amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies.

(iii) Amount received for registration/renewal of beneficiaries and their contribution.

(iv) Amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India.

(v) Amount received for implementation of the scheme notified by the State Government.

(vi) Contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social responsibility (CSR) Fund as determined by the State Government by general or special order.

(vii) Any other source which is approved by State Government time-to-time through notification.

88. Manner of administering and expending the Fund under sub-section (3) of section 115; The manner of administering and expending the Fund shall be notified by State Government.

89. Form of application, manner of filing the application and the fee to be accompanied therewith including the information relating to the employment of inter-State migrant workers under sub-section (2) of section 119;

(i) Any person seeking common licence or single licence for the purpose **sub-section (2) of section 119** shall apply electronically in **Form-XIII** on the Online Portal by giving details about the establishment(s), and uploading relevant documents related to that licence, proof of Identity and address of the employer(s) as specified in the Form along with the fee prescribed in sub rule 2 of rule 44 for contract workers, sub rule 5 of rule 60 for beedi and cigar establishments and sub rule 5 of rule 64 for factories. The Form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all information submitted in the application.

(ii)Where the authority is satisfied that the common licence may be issued respect of a factory, industrial premises for beedi and cigar work and for engaging contract workers or any combination thereof or single licence for any one of them under this Code, such authority shall issue a licence in Form-XIV electronically within **30 days** of the receipt of application failing which the licence shall be deemed to be issued and shall be auto generated and the responsibility of such failure shall be on such authority.

(iii) The licence shall be non-transferable.

(iv) The licence for engaging contract labours, contain the number of inter-State migrant workers employed.

(2) Any licence obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that person has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the licence should not be cancelled.

90. Actions, manner of taking actions and inquiry under sub-section (3) of section 119 - Actions, manner of taking actions and inquiry under sub-section (3) of section 119 as may be notified by State Government.

91. Form of appeal, the fee to be accompanied therewith and the appellate authority under sub-section (6) of section 119; Form of appeal, the fee to be accompanied therewith and the appellate authority under sub-section (6) of section 119- (i) The person aggrieved by the order of authority under Sub section (1) of Section 119, may appeal against such order before the appellate officer appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically.

(ii) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the register of appeals.

(iii) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer, against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.

(iv) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.

(v) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order to the applicant electronically.

(vi)Where an appeal has been dismissed, the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.

(vii) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or by registered post to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.

92. Manner of survey under sub-section (2) of section 121- The Chief Inspector- cum- Facilitator, officer or the committee so appointed by state government to undertake survey in accordance with provisions of section 121(2) of the code, may, at any time during the normal working hours of an establishment , or at any other time as is found by him or the committee to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or any other person who for the time being purports to be in charge of the establishment, undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside.

(1) Employer or manager or other person shall afford all facilities for such survey, including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.

(2) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in near vicinity, if so required by the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.

(3) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.

93. **Amendment in Fees-** Any fees prescribed under these rules may be amended by the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department through gazette notification.

SCHEDULE – I

Form of Application for grant of Certificate of Competency to a person under clause-1 of sub-rule (3) of Rule 2

1. Name
2. Date of Birth
3. Name of the Organization (if not self-employed)
4. Designation
5. Educational qualification (copies of testimonials to be attached)
6. Details of professional experience (in chronological order)

Name of the Organization	Period of Service	Designation	Area of Responsibility

7. Membership, if any, of professional bodies
8. (i) Details of facilities (examination, testing, etc.) at his disposal.

   (ii) Arrangements for calibrating and maintaining the accuracy of these facilities.

9. Purpose for which Competency Certificate is sought (section or sections of the code should be stated).
10. Whether the applicant has been declared as a competent person under any statute (if so, the details)
11. Any other relevant information as demanded by the authority.

Declaration by the applicant: -

I,....., hereby declare that the information furnished above is true.

I undertake

(a) that in the event of any change in the facilities at my disposal (either addition or deletion) or my leaving the aforesaid Organization, I will promptly

inform The Chief Inspector cum facilitator of Factories ;

(b) to maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manuurer's instructions or as per National Standards; and

(c) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by The Chief Inspector cum facilitator of factories from time to time.

Place & Date

Signature of the applicant:

Declaration by the Institution (if employed)

I, ..., certify that Shri ..... whose details are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organization for the purposes of being declared as a competent person under the code . I also undertake that I will.

(a) notify The Chief Inspector cum facilitator of factories in case the competent person leaves our employment;

(b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;

(c) notify The Chief Inspector cum facilitator of factories any change in the facilities (either addition or deletion)

Signature

Designation

Telephone No

Date:

Official Seal

Form of Application for grant of Certificate of Competency to an Institution under Sub Rule 3 of Rule-2.

1. Name and full address of the Organization

2. Organization's status (specify whether Government, Autonomous, Co-operative, Corporate or Private)

3. Purpose for which Competency Certificate is sought (specify Section(s) of the code)

4. Whether the Organization has been declared as a competent person under this or any other statute. If so, give details.

5. Particulars of persons employed and possessing qualification and experience as set out in Schedule annexed to sub-rule (3) of Rule 2.

S.No.	Name and Designation	Qualifications	Experience	Section(s) and the Rules under which Competency is sought for
1				
2				

6. Details of facilities (relevant to item 3 above) and arrangements made for their maintenance and arrangements made for their maintenance and periodic calibration.

7. Any other relevant information.

I, ... hereby, on behalf of .....Certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to -

---

(i) maintain the facilities in good working order, calibrated periodically as per manufacturer's instructions or as per National Standards; and

(ii) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by The Chief Inspector cum facilitator of factories from time to time.

Signature of Head of the Institution or
of the persons authorized to sign on his behalf.
Designation
Place & Date

Form of Certificate of Competency issued to a person or an institution in pursuance to sub rule-3 of Rule-2

I,....., in exercise of the powers conferred on me under Section 2(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 and the Rules made there under, hereby recognize (Name of the Institution) or Shri ..... (Name of the person) employed in ..... (Name of the Institution) to be a competent person for the purpose of carrying out tests, examinations, inspections and certification for such buildings, dangerous machinery, lifts and hoists, lifting machines and lifting tackles, pressure plants, confined space, ventilation system and process or plant and equipment as the case may be, used in a factory located in ..... under Section and the Rules made there under.

Strike out the words not applicable.

This certificate is valid from .....to .....

This certificate is issued subject to the conditions stipulated hereunder: -

(i) Tests, examinations and inspections shall be carried out in accordance with the provisions of the code and the Rules made there under;

(ii) Tests, examination and inspections shall be carried out under direct supervision of the competent person or by a person so authorized by an institution recognised to be a competent person.

(iii) The certificate of competency issued in favour of a person shall stand cancelled if the person leaves the Organization mentioned in his application;

(iv) The institution recognised as a competent person shall keep The Chief Inspector cum facilitator of factories informed of the names, designations and qualifications of the persons authorized by it to carry out tests, examinations and inspections.

(v) .....

(vi) .....

Station Official Seal Signature of The Chief Inspector cum facilitator Date

---

SCHEDULE

S. No.	Section or Rules under which competency is recognised	Qualification required	Experience for the purpose	Facilities at his command
1.	Certificate of stability for buildings - Rules 62 (3) made under Section 133(2)(zzq)	Degree in Civil or Structural Engineering; or Equivalent	i) A minimum of 10 years' experience in the design of construction or testing or repairs of structures; ii) Knowledge of non-destructive testing, various codes of practices that are current and the effect of the vibrations and natural forces on the stability of the building; and iii) Ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of the structure or the building.	Facilities to carry NDT's (Non Destructive Tests)
2.	"Dangerous Machines -Under Section 133(2) (zzq)	Degree in Electrical, Mechanical, or equivalent.	(i) a minimum of 7 years' experience in- a) design or operation or maintenance; or b) testing, examination and inspection of relevant machinery, their guards, safety devices and appliances. (ii) he shall – a) be conversant with safety devices and their proper functioning; b) be able to identify defects and any other cause loading to failure; and c) have ability to arrive at a reliable conclusion with regard to the proper functioning of safety device and appliance and machine guard.	Gauges for measurement; instruments for measurement of speed and any other equipment or device to determine the safety in the use of the dangerous machines.
3.	Lifts and Hoists Under Section 133(2) (zzq)	A degree in Electrical and /or Mechanical Engineering or the equivalent	(i) A minimum experience of 7 years in- (a) design or erection or maintenance; or (b) inspection and test procedures of lifts and hoists; (ii) He shall be – (a) Conversant with relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) Conversant with other statutory	Facilities for load testing, tensile testing, gauges equipment/ gadgets for measurement and any other equipment required for determining the safe working conditions of Hoists and Lifts.

			requirements conversing the safety of the Hoists and Lifts; (c) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of Hoists and Lifts.	
4.	Lifting Machinery and Lifting Tackles - Under Section 133(2) (zzq)	Degree in Mechanical or Electrical or Metallurgical Engineering or its equivalent	A minimum experience of 7 years in- (a) design or erection or maintenance; or (b) testing, examination and inspection, of lifting machinery, chains, ropes and lifting tackles. He shall be – (a) Conversant with the relevant codes of practices and test procedures that are current; (b) Conversant with fracture mechanics and metallurgy of the material of construction; (c) Conversant with heat treatment/stress relieving techniques as applicable to stress bearing components and parts of lifting machinery and lifting tackles; (d) capable of identifying defects and arriving at a reliable conclusion with regard to the safety of lifting machinery, chains, ropes, and lifting tackles.	Facilities for load testing, tensile testing, heat treatment equipment/gadget for measurement, gauges and such other equipment to determine the safe working conditions of the lifting machinery tackle.
5	Pressure Plant'- Rule 68 (schedule III) (sub-sechedule 33) made under Section 133(2) (zzq) '	Degree in Chemical or Electrical or Metallurgical or Mechanical Engineering or its equivalent.	A minimum experience of 10 years in (a) design or erection or maintenance, or (b) testing, examination and inspection of pressure plants. He shall be – (a) Conversant with the relevant codes of practices and test procedures relating to pressure vessels; (b) Conversant with statutory requirements concerning the safety of unfired pressure vessels and equipment operating under pressure; (c) Conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels;	Facilities for carrying out hydraulic test, non-destructive test, gauges equipment/ gadgets for measurement and any other equipment or gauges to determine the safety in use of pressure vessels.

			(d) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of pressure plants.	
6	Precautions against dangerous fumes,- Rule 18 made under section 82 and Section 133(2) (zzq)	Master's degree in Chemistry, or a degree in Chemical Engineering.	(i) a minimum of 7 years in collection and analysis of environmental samples and calibration of monitoring equipment; He shall – (a) be conversant with the hazardous properties of chemicals and their permissible limit values; (b) be conversant with the current techniques of sampling and analysis of the environmental contaminants; and (c) be able to arrive at a reliable conclusion as regards the safety in respect of entering and carrying out hotwork.	Meters, instruments and devices duly calibrated and certified for carrying out the tests and certification of safety in working in confined spaces.
7	Ventilation systems- and Rule 18 made under section 82 and Section 133(2) (zzq)	Degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent.	(i) A minimum of 7 years in the design, fabrication, installation, testing of ventilation system and systems used for extraction and collection of dusts, fumes and vapours and other ancillary equipment. (ii) He shall be conversant with relevant codes of practice and tests procedures that are current in respect of ventilation and a traction system for fumes, and shall be able to arrive at a reliable conclusion with regard to effectiveness of the system.	Facilities for testing the ventilation system, instruments and gauges for testing the effectiveness of the extraction systems for dusts, vapours and fumes, and any other equipment needed for determining the efficiency and adequacy of these systems. He shall have the assistance of a suitable qualified technical person who can come to a reasonable conclusion as to the adequacy of the system.

SCHEDULE-II

[see rule 2(7)]

Sub Schedule-1

List of Hazardous Chemicals

Sl.	Name of the Chemical
1.	Acetone
2.	Acetone Cyanohydrine
3.	Acetylene Chloride
4.	Acetlone (Ethyne)
5.	Arcolein (2-Propenal)
6.	Acrylontirle
7.	Aldicarb
8.	Sldrine
9.	Alkyl Phthaiate
10.	Allyl Alcohol Acid and Salts.
11.	Allyiamine
12.	AiphaNaphthylThiourea (Antu)
13.	4-Aminodiphenyl Asbestos
14.	2-Aminophenol
15.	Amiton
16.	Ammonia
17.	Ammonium Nitrate
18.	Ammonium Nitrate in Fertilizers
19.	Ammonium Sulfamate
20.	Anabasine
21.	Aniline

22.	P-Anisidine
23.	Antimony & Compounds
24.	Antimony Hydride (Stibine)
25.	Arsenic Hydrice (Arisine)
26.	Arsenic Pentoxide, Arsenic (v)
27.	Arsenic Trioxide, Arsenious (III)
28.	Acid and Salts.
29.	Azinphos-Ethyl
30.	Azinphos-Methyl
31.	Barium Azide
32.	Benzene
33.	Benzidine
34.	Benzidine Salts
35.	Benzoquinone
36.	Benzoyl Chloride
37.	Benzoyl Peroxide
38.	Benzyle Chloride
39.	Benzyl Canide
40.	Beryllium (Powders, Compounds)
41.	Biphenyl
42.	Bis (2-Chloromethyl) Ketone
43.	Bis (2, 4, 6-Trinitrophenyl) Amine
44.	Bis (2-Chloroethyl) Sulphide
45.	Bis (Chloromethyl) Ether

46.	2, 2-Bis (Tert-Butyiperoxy) Butane
47.	1, 1 -Bis (Tert-Butypeeohy) Cyclonexane
48.	Bis-1,2 (Tribromophenoxy) Ethane
49.	Bisphenol
50.	Boron and Compounds
51.	Bromine
52.	Bromine Pentafluoride
53.	Bromoform
54.	1, 3-Butadiene
55.	Butane
56.	N-Butanethiol
57.	2-Butanone
58.	Butoxy Ethanol
59.	Butyl Glycidal Ether
60.	Tert-ButyiPeroxacetate
61.	Tert-Butyl Petroxyisobutyrate
62.	Tert-Butyl Peroxyisopropyl Carbonate
63.	Tert-Butyl Peroxymalte
64.	Tert-Butyl Peroxypivalate
65.	Butyl Vinyl Ether Acids and Salts.
66.	Butyamine
67.	C9-Aromatic Hydrocarbon Fraction
68.	Cadmium and Compounds
69.	Cadmium Oxide (Fumes)

70.	Calcium Cyanide
71.	Captan
72.	Captofol
73.	Carbaryl (Sevin)
74.	Cabofuran
75.	Carbon Disulphide
76.	Carbon Monoxide
77.	Carbon Tetrachloride
78.	Carbophenothion
79.	Cellulose (use in explsovies)
80.	Chlorates (use in explosives)
81.	Chlordane
82.	Chlorfenvinphos
83.	Chlorinated Benzenes
84.	Chlorine
85.	Chlorine Dioxide
86.	Chlorine Oxide
87.	Chlorine Trifluoride
88.	Chlormequate Chloride
89.	Chloroacetal Chloride
90.	Chloroacetaldehyde
91.	2-Chloroaniline
92.	4-Chloroaniline
93.	Chlorobenzene

94.	Chlorodiphenyl
95.	Chloroepoxypropane
96.	Chloroethanol
97.	ChloroethylChloroformate
98.	Chlorofluorocarbons
99.	Chloroform
100.	4-(Chloroformy) Morpholine
101.	Chloromethane
102.	Chloromethyl Ether
103.	ChloronitTobenzene
104.	Chloroprene
105.	Chlorosulphuric Acid
106.	Chloroprinitroobenzene
107.	Chloroxuron
108.	Chromium and Compounds
109.	Coboit and Compounds
110.	Copper and Compounds
111.	Coumafuryl
112.	Coumaphos
113.	Coumatetralyl
114.	Crimidine
115.	Crimidine
116.	Cumene
117.	Cyanophos

118.	Cyanotheate
119.	Cyanuric Fluoride
120.	Cyclehexane
121.	Cyclohexanol
122.	Cyclohexanone
123.	Cyclphexamide
124.	Cyclopentadiene
125.	Cyclopentane
126.	CyclotetranethylentErranitramine
127.	Cyclototimethylenetrinitra
128.	DDT
129.	Decabromodiphenyl Oxide
130.	Demeton
131.	Di-Isobutyryl Peroxide
132.	Di-n-Propyl Peroxydicarbonate
133.	Di-sec-Butyl Peroxydicarbonate
134.	Dialifos
135.	Diazedinitrophenol
136.	Diazomethane
137.	DibenzylPeroxydicarbonate
138.	Dichloroacetylene
139.	O-Dichlorobenzene
140.	P-Dichlorobenzene
141.	Dichloroethane

142.	Dischloroethyl Ether
143.	2, 4-Dichlorophenol
144.	DiprophyleneGlycolmethylether
145.	2, 4 Dichlorophenoxy Acetic Acid(2,4-D)
146.	1, 2-Dichlorosalicylic Acid
147.	3, 5-Dichlorosalicylic Acid
148.	Dichlorovos (DDVP)
149.	Dicrotophos
150.	Dieldrin
151.	Diepoxybutane
152.	Diethyl Peroxydicarbonate
153.	Diethylene Glycol Dinitrate
154.	DiethyleneTriamine
155.	Diethyleneglycol Butyl 1 Ether/ Diethyleneglycol Butyl Acetate
156.	Diethylenetrlamine (Deta)
157.	Diglycidyl Ether
158.	2, 2-Dihydroperoxypropone
159.	Disobutryl Peroxide
160.	Dimefox
161.	Dimethoate
162.	Dimethyl Phosphoramidosyanidic Acid
163.	Dimethyl Phthaiate
164.	Dimethylcarbomoyl Chloride
165.	Dimethylinitrosomine

166.	Dinitrophenol Salts
167.	Dinitrotoluene
168.	Diitro-o-Cresol
169.	Dioxane
170.	Dioxathion
171.	Dioxolane
172.	Diphacinone
173.	DiphosphoramieOctamethyl
174.	Formaldehyde
175.	Disulfoton
176.	Endosulfan
177.	Endrin
178.	Epichlorophydrine
179.	EPN
180.	1, 2-Epoxypropane
181.	Ethion
182.	Ethyl Carbamate
183.	Ethyl Either
184.	Ethyl Haxanol
185.	Ethyl Mercaptan
186.	Ethyl Methacrylate
187.	Ethyl Nitrate
188.	Ethylene
189.	Ethylene Chlorophydrine

190.	Ethylene Diamine
191.	Ethylene Dibromide
192.	Ethylene Cichloride
193.	Ethylene Glycol Dinitrate
194.	Ethylene Oxide
195.	Ethylene Limine
196.	Fluenetil
197.	Pensulphothion
198.	Flenetil
199.	4-Fluoro, 2-Hodroxybutyric Acid and Salts, Esters, Amides,
200.	Fluoroacetic Acid and Salts, Esters, Amides
201.	Fluorobutyric Acid and Salts, Esters, Amides
202.	4 Fluorochrotonic Acid and Salts, Esters, Amides
203.	Glyconitrile (Hydroxyacetonitrile)
204.	1, Guanyl-4 Nitrosamiaoguanyl 1-Tetrazene
205.	Heptachlor
206.	HexachloroCyclopentadiene
207.	HexachlorocyClohexane
208.	HexachlorecyClomethane
209.	1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachloroda-benzyo Dioxine.
210.	Hexafluopropene
211.	Hexamethylphosphoramide
212.	3, 3, 6, 6, 7, 8, Hexamethyl 1, 2, 4, 5, Tetroxacy, Clononane
213.	Hexamethylenediamine

214.	Hexane
215.	2, 2, 4, 4, 6, 6-Hexanitrostilbene
216.	Hexavalent Chromium
217.	Hydrazine
218.	Hydrizine Nitrate
219.	Hydrochloric Acid
220.	Hydrogen
221.	Hydrogen Bromide (Hydrobromic Acid)
222.	Hydrogen Chloride (Liquefied gas)
223.	Hydrogen Cyanide
224.	Hydrogen Fluoride
225.	Hydrogen Scienide
226.	Hydrogen Sulphide
227.	Hydroquinone
228.	Iodine
229.	Isobenzan
230.	Isodrin
231.	IsophoroneDisocyanate
232	Isopropyl Eather
233.	Juglone (5-Hydroxynaphthalene 1,4-Dione)
234.	Lead (Inorganic fumes and dusts)
235.	Lead 2, 4, 6-Trinitroreso-crinoxide (Lead Styphnate)
236.	Lead Azide
237.	Leptophos

238.	Lindand
239.	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
240.	Maleic Anhydride
241.	Manganese and Compounds
242.	MercaptoBenzothiazole
243.	Mercury Alkyl
244.	Mercury Fuslminate
245.	Mercury Methyl
246.	Methacrylic Anhydride
247.	Methacrylonitrile
248.	Methacryloyl Chloride
249.	Methacryloyl Chloride
250.	MethanesuphonylFluride
251.	Methanethiol
252.	Methoxy Ethanol (2-Methyl Cellosolve)
253.	MethoxyEthylmercuric Acetate
254.	Methyl Acrylate
255.	Methyl Alcohol
256.	Methyl Alcohol
257.	Methyl Bromide (Bromomethane)
258.	Methyl Chloride
259.	Methyl Chloroform
260.	Nitrogen Trifluoride
261	Methyl Cyclohexene

262.	Methyl Ethyl Ketone Peroxide
263.	Methyl Hydrazine
264.	Methyl Isobutyl Ketone
265.	Methyl Isobutyl Ketone Peroxide
266.	Methyl Isocyanate
267.	Methyl Isothiocyanate
268.	Methyl Marcaptan
269.	Methyl Methacryiate
270.	Methyl Parathion
271.	Methyl Phosphoric Dichloride
272.	N-Methyl, 2, 4, 6-Tetranitroaniline
273.	Methylene Chloride
274.	4,4-Methylenebis (2 Chloroaniline)
275.	Methyltrihlorosilane
276.	Mevinphos
277.	Moiybdenum and compounds
278.	N-Methyl-N, 2, 4, 6-N-Tetranitro-aniline
279.	Nephtha (Coal Tar)
280.	2-Naphthylamine
281.	Nickel and Compounds
282.	Nickel Tetracarbonyl
283.	O-Nitroaniline
284.	P-Nitroaniline
285.	Nitrobenzene

286.	P-Nitrochlorobenzene
287.	Nitrocyclohexane
288.	Nitroethane
289.	Nitrogen Dioxide
290	Pentachloroethane
291.	Nitroglycerine
292.	P-Nitrophenol
293.	1-Nitropropate
294.	2-Nitropropate
295.	Nitrosodi, ethyliamine
296.	Nitrololune
297.	Octabromophenyl Oxide
298.	Oleum
299.	Oleylamine
300.	oo-Diethyl S-Ethylsulphinyi methyl Phosphorothioate
301.	oo-Diethyl S-EthylsulphonylmethylPhosphorothioate
302.	oo-Diethyl S-EthylthiomethylPhosphorothioate
303.	oo-Diethyl S-IsopropylthiomethylPhosphordithioate
304.	oo-Diethyl S-PropylthiomethylPhosphorodithioate
305.	Oxyamyl

306.	Oxy-lisulfoton
307.	Oxygen (Liquid)
308.	Oxygen Difluoride
309.	Ozone
310.	Paraoxon (Diethyl 4-Nitrophenyl Phosphate)
311.	Paraquat
312.	Parathion Methyl
313.	Paris Green (BisAceto Hex-a metraarsenitoterta Copper)
314.	Pentaborane
315.	Pentabromodiphenyl Oxide
316.	Pentabromophenol
317	Pentachlorophenol
318	PentacrythrifolTetranitrate
319	Pentane
320.	Peracetic Acid
321.	Perchloroethylene
322.	PerchloromethylMercaptan
323.	2-Pentanone, 4-Methyl
324.	Penol
325.	Phenyl Glycidal Ether
326.	Phenylene P-Diamine
327.	Phenylmercury Acetate
328.	Phorate

329.	Phosacetim
330.	Phosacetim
331.	Phosfolan
332.	Phosgene (Carbonyl Chloride)
333.	Phosmet
334.	Phosphamiden
335.	Phosphine (Hydrogen Phosphide)
336.	Phosphoric Acid and Esters
337.	Phosphoric Acid, BromoethylBromo (2, 2-Dimethyl Propyl) Bromoethyl Ester
338.	Phosphoric Acid, BromoethylBromo (2, 2-Dimethylpropyl) Chloroethyl Ester
339.	Phosphoric Acid, ChloroethyiBromo (2, 2-Dimethoxycpropyl) Chloroethyl Ester
340.	Phosphorous and Compounds
341.	Phostalan
342	Picric Acid (2, 4, 6-Trinitro-Phenol)
343.	Pentachoro Naphthalene
344	Potassium Arsenite
345	Potassium Chlorate
346	Promurit (3, 4-Dichlorophenyl 3- Triazenethiocarboxamide)
347.	1, 3-Propanesultone
348.	1 Propen-2-Omoro 1, 3-Diol-diacetate
349.	Propylene Dichloride
350.	Propylene Oxide

351.	Propyleneclimine
352.	Pyrazoxon
353.	Selenium Nexmuoride
354.	SemicarbazideHydrochlorde
355.	Sodium Arseun
356.	Sodium Azice
357.	Sodium Chlorate
358.	Sodium Cyanide
359.	Sodium Picramate
360.	Sodium Selenite
361.	Styrene, 11, 2, 2-Terachloroethane
362.	Sulfotep
363.	Sulphur Dichloride
364.	Sulphur Dioxide
365.	Sulphur Trioxide
366.	Sulphuric Acid .
367.	Sulphoxide, 3-Chloropropyioctyl
368.	Tellurium
369.	Tellurium Hexafluoride
370.	TEPP
371.	Terbufos
372.	Alpha-Terabromobisphenol
373.	2, 2, 5, 6-Tetrachloro-2, 5-Cyclohexadiene-1, 4-Dione
374.	2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibezo-p Diosin (CDD)

375	Tetrafluoroethane
376	TetramethyleneDiulphotetramine.
377	Tetramethyl Lead
378.	Tetranitromethane
380.	Thallium and Compounds
381.	Thionazin
382.	Thionyl Chloride
383.	Tirpate
384.	Toluene
385.	Tolune-2-4-Diisocyanate
386.	0-Toluidine
387.	Toluene 2, 6-Diisocyanate
388.	Trans-1, 4 Chlorobutene
389.	1-TRI, (Cyclohexyl) StannyMH 1, 2, 4 Triazole
390.	1, 2, 4 Triazole
391.	2, 5 Triamino 2, 4, 5, Trinitrobenzene.
392.	2, 4, 6-Tribromophenol
393.	Trichloro Acetyl Chloride
394.	Trichloro Ethane
395.	TrichloroNapethalene
396.	TrichloroChloromethylsilane
397.	TrichloroDichlorophenylsilane
398.	1, 1-Trichloroethane
399.	TrichloroethylSillane

400.	Trichloroethylene
401	Trichloromethanesulphenyl
402	2, 4, 5-Trichlorophenol
403	Triethylamine
404	Triethylenemelamine
405	Trimethylchlorosilane
406	TrimethylopropanePhosphite
407	Trinitroaniline
408.	2, 4, 6 Trinitroanisole
409.	Trinitrobenzene
410.	Trinitrobenzoic Acid
411.	2, 4, 6-Trinitroresorcinol (Styphnic Acid)
412.	Trinitrotoluene
413.	Trierthocresyl Phosphate
414.	Triphenylin Chloride
415.	Terpentine
416.	Uranium and Compounds
417.	Venadium and Compunds
418.	Vinyl Chloride
419.	Vinyl Fluoride Chloride
420.	Warfarin
421.	Xylene
422.	Xylidine
423.	Zinc and Compounds
424.	Zironium and Compounds.

Sub-Schedule-2

Isolated storage of Installation

(a) The quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the occupier where the distance between installations is not sufficient to avoid in foreseeable circumstances, any aggravation of major accident hazards. These quantities apply in any case to each of the installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the quantity of a hazardous chemical at an isolated storage, account shall also be taken of any hazardous chemical which is:-

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site which is within 500 metres of that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it.

But no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft for transporting it.

Serial no.	Chemical or group of chemicals	Quantity (tonnes)
1	2	3
1.	Acrylonitrile	5,000
2.	Ammonia	601
3.	Ammonium nitra (a)	2,500*
4.	Ammonium nitrate fertilizers (b)	10,000
5.	Chlorine	25

6.	Flammable gases as defined in Schedule 1 paragraph (b) (i)	300
7.	Highly flammable liquids as defined in Schedule 1, paragraph (b) (ii)	1,00,000
8.	Liquid oxygen	2,000
9.	Sodium chlorate	250
10.	Sulphur dioxide	50
11.	Sulphur trioxide	100

* Where this chemical is in a state which gives it properties capable of creating a major accident hazard.

(a) This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 percent by weight and to adequous solutions of ammonium nitrate where the concentration of ammonium nitrate is greater than 90 percent by weight.

(b) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 percent by weight (a compound fertilizer contains ammonium nitrate together with phosphate and/or potash).

Sub-Schedule -3

(a) The quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installation is not sufficient to avoid inforeseeable circumstances, any aggravation of major accident hazards. These quantities apply in any case to each group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the quantity of a hazardous chemical in an industrial installation, account shall also be taken of any hazardous chemical which is :-

(i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres of that site and connected to it;

(ii) at any other site under the control of the same occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and

(iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 meters of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft used for transporting it.

Part-I

Named Chemicals

Serial no.	Chemical	Quantity		CAS number
1	2	3		4
Group-I Toxic Chemicals		**kg-**		
1.	Aldicarb	100	...	116-06-3
2.	4-Aminodipheny	1	...	92-67-1
3.	Amiton	1	...	78-53-5
4.	Anabasine	100	...	494-52-0
5.	Arsenic pentoxide, Arsenic (V) acid and salts	500	...	...
6.	Arsenic trioxide, Arsenious (III) acid and salts	100	...	...
7.	Arsine (Arsenic hydride)	10	...	778442-1
8.	Azinphos-ethyl	100	...	2642-71-9
9.	Azinphos-methyl	100	...	86-50-0
10.	Benzidine	1	...	92-87-5
11.	Benzidino salts	1	...	...
12.	Beryllium (powders, compounds)	10	...	...
13.	Bis (2-chloroethyl) sulphide	1	...	505-60-2
14.	Bis (chloromethyl) ether	1	...	542-88-1
15.	Carbofuran	160	...	1563-66-2
16.	Carbophenothion	160	...	786-19-6
17.	Chlorofenvinphos	100	...	470-90-6
18.	4-(Chloroformy) morpholire	1	...	15159-10-7
19.	Chloromethyl methyl ether	1	...	107-30-2
20.	Cobit metal, oxide, Carbonates sulphides, as powders	1t	...	...
21.	Crimidme	100	...	535-89-7

22.	Cyanthoate	100	...	3734-95-0
23.	Cycloheximide	100	...	66-81-9
24.	Demeton	100	...	8065-48-3
25.	Dialifos	100	...	10311-84-9
26.	Co-Diethyl S-enthlsulphinyl methyl phoshorothiate	100	...	2588-06-8
27.	oc-Diethyl S-ethylsulphonyl, Methyl	100	...	2588-06-9
28.	Phosphorothioate Diethyl	100	...	2600-69-3
29.	S-othylthiomelhyl, phosphorothioateoc-Diethyl S-isoprophithio-methyl	100	...	78-52-4
30.	phosphorodihioateoc-Diethyl	100	...	3309-68-0
31.	S-prophlthiomethylphosphorothioateDimefox	100	...	115-26-4
32.	Dimethylcarbamoyl chloride	1	...	70-44-7
33.	Dimethylcarbamoyl	1	...	62-75-9
34.	Dimethylphosphoramidocyanidic acid	1	...	63917-41-9
35.	Diphacinone	100	...	82-66-6
36.	Disulfoton	100	...	298-04-4
37.	EPN	100	...	2104-64-5
38.	Ethion	100	...	563-12-2
39.	Fensulfothion	100	...	115-90-2
40.	Flueretil	100	...	4301-50-2
41.	Fluoroacetic acid	100	...	144-94-0
42.	Fluoroacetic acid esters	1	...	...
43.	Ditto	1	...	...
44.	Fluoroacetic acid amides	1	...	...
45.	4-Fluorobutyric acid	1	...	462.23-7
46.	4-Fluorobutyric acid salts	1	...	...
47.	4-Fluorobutyric esters	1	...	...
48.	4-Fluorobutyric acid amides	1	...	...
49.	Fluorocrotonic acid	1	...	37759.72-1
50.	Ditto	1	...	...
51.	Ditto	1	...	...
52.	4.4 Fluorocrotnic acid, amides	1	...	...
53.	Fluoro-2-bydroxy butyric acid	1	...	...
54.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid, salts	1	...	...
55.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid esters.	1	...	...
56.	4-Fluoro-2-hydroxy butyric acid, amides.	1	...	...
57.	Glycolonitrile (hydroxyacetonitrile.)	100	...	107-16-4
58.	1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachlorodibonzo p-dioxin.	100	...	19408-74-3
59.	Hexamethylpho-sphoramide	11	...	680-31-9
60.	Hydrogesselexide	10	...	7783-07-5

61.	Isodrin	100	...	297-78-9
62.	Isodrin	100	...	465-73-6
63.	Juglone (5-Hydroxynaphthalene-1, 4-dione.)	100	...	481-39-0
64.	4,4-Methylenebis (2-chloroaniline).	1	...	101.14.0
65.	Methyl isocyanate	150	150 kg.	624-83-9
66.	Mevinphos	100	...	7786-34-3
67.	2-Naphthyl lamine	1	...	91-59-3
68.	Nickel metal, oxides, carbonates sulphide, as powders.	1t	...	...
69.	Nickel tetracarbonyl	10	...	13463-39-3
70.	Oxydiiulfolton	100	...	13463-39-3
71.	Oxygen diffueride	10	...	7783-41-7
72.	Paraoxon (diethyl 4-nitrophenyl phosphate)	100	...	311-45.5
73.	Parathion	100	...	56-38-2
74.	Parathion-methyl	100	...	298.000.0
75.	Pentaborane	100	...	19624.22-7
76.	Phoratel	100	...	298.02-2
77.	Parathion	100	...	56-38-2
78.	Phosgene (carbonyl chloride)	750	75 ½ kg	75-44.5
79.	Phosphamidon	100	...	13171-21.6
80.	Phosphine (Hydrogen phosphide)	100	...	7803-51.2
81.	Promurit (1 -(3, 4-Dichlorophenyl)-3-triazenethio carboxamide).	100	...	5836-73-7
82.	1, 3 Propanesultone	1	...	1120-71-4
83.	1 -Propen-2-chloro-1, 3-diol disecetate)	10	...	10118-72-6
84.	Pyrazoxon	100	...	108-34.9
85.	Selenium hexafluoride	10	...	7783-79-1
86.	Sodium selenite.	100	...	10102-18.8
87.	Stibine (Antimony hydride)	100	...	7803-52-3
88.	Sulfotop	100	...	3689-24.5
89.	Sulphur dichloride	1t	...	10545-99.0
90.	Telurium hexafluoride	100	...	7783-80-4
91.	TEPP	100	...	107-49.3
92.	2, 3, 7, 8 Tetrachlorodibenze-P-dioxin (TCDD)	1	...	1746-01.6
93.	Tetramethylendiscul-phetetramine	1	...	80-12.6
94.	Thionazin	100	...	297-97-2
95.	Tripate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithio-lane-2-carboxaldchyde 0- methyl-carbemeylexime).	100	...	26419-73-8
96.	Trichlcremethanesulphenyl chloride.	100	...	194-42-3
97.	1-Tri (cyclehexyl) stannyl 1-1 -H 1, 2, 4-	100	...	41083-11-8

	triazele.			
98.	Triethylenemelamine	10	...	51-18.3
99.	Warfarin	100	...	81-81-2
Group 2 Toxic Chemicals (Quantity-1 tonne)				
100.	Acetone cyanehydrin	200t	...	75-86-5
101.	Acrelein (8-Propenal)	20t	...	107-02-8
102.	Acrylonitrile	20t	200t	107-13-1
103.	Alyalcohal (2-propen-1-01)	200t	...	107-13-1
104.	Allylamine	200t	...	107-11-9
105.	Ammonia	50t	500t	7664-41-7
106.	Bromine	40t	...	7726-95-6
107.	Carbon disulphide	20t	200t	75-15-0
108.	Chlorine	10t	25t	7782-50-5
109.	Diphyenl methane di-isocya-nate (MDI)	20t	...	101-68-8
110.	Ethylene dibremide (1, 2-Dibromo-methane).	5t	...	106-93 4
111.	Ethyleneimine	50t	...	151-56-4
112.	Formaldehyde (concentration 9%)	5t	...	50.00.0
113.	Hydrogen cyanide (liquefied gas)	25t	250t	7647-01.0
114.	Hydrogen cyanide	5t	20t	74-91.8
115.	Hydrogen flouride	5t	50t	7664-39.3
116.	Hydrogen flouride	5t	50t	7783-06.4
117.	Methyl bromide (Bromomethane)	20t		74-83.9
118.	Nitrogenoxides	50t	...	11104-93-1
119.	Prophleneimine	50t	...	75-55-8
120.	Sulphur dioxide	20t	250t	7446-09-5
121.	Sulphur trioxide	15t	75t	746-11-9
122.	Tetramethyl lead	5t	...	75-74-1
123.	Tetraethyl lead	5t	...	75-74-1
124.	Toluene di-isocyanate (TDI)	10t	...	584-84-9
Group 3- Highly reactive chemicals				
125.	Acetylene (ethyne)	5t	...	74-86-2
126.	Ammonium nitrate (1)	350t	250t	6484-52-2
127.	1,2Bis (tert-butyl-peroxycycloh-exane) cyclohexane (concentration-80%)	5t	...	3006-86-8
128.	1, 1 -Bis (tert-butyl-peroxy) cyclohexane (concentration-80%)	5t	...	3006-86-8
129.	Tert-Butyl peroxyacetate (concentration-70%)	5t	...	107-71-1
130.	Tert-Butyl peroxyisobyrate (concentration-80%)	5t	...	109-13-7
131.	Tert-Butyl peroxy-isoprophyl carbonate	5t	...	2372.21-6

	(concentration-80%)			
132.	Tert-Butyl peroxy-maleate (concentration-80%)	5t	...	1931-62.0
133.	Tert-Butyl peroxypivalate (concentration-77%)	50t	...	927-07.1
134.	Dibenzylperodicarbonate (concentration-90%)	5t	...	2144-45.8
135.	Di-sec-butyl peroxydicarbonate (concentration-80%)	5t	...	19910-65.7
136.	Diethyl peroxydicarbonate (concentration-30%)	50t	...	14666-78-5
137.	2, 2-Dihydreperoxyprepane (concentration-30%)	5t	...	2614-76.8
138.	Di-isobutrylparoxide (concentration-50%)	50t	...	3437-84-1
139.	Di-n-propyl perpoxydicarbonate (concentration-80%)	5t	...	16066-38-9
140.	Ethylene oxide	5t	50t	75-21-8
141.	Ethyl nitrate	50t	...	625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-Hexamethyl-1, 2, 4, 5-tetroxacy clonance (concentration-75%)	50t	...	22397-33-7
143.	Hydrogen	2t	50t	1333-74-0
144.	Liquid oxygen	200t	...	7782-44-7
145.	Methylethyl ketone peroxide (concentration-60%)	5t	...	1338-23.4
146.	Methylisobutyl ketone peroxide (concentration-60%)	50t	...	37206-20.5
147.	Peracetic acid (concentration-60%)	50	...	79-213
148.	Propylene oxide	5t	...	75-56-9
149.	Sodium chlorate	251	...	7775-09-9
Group 4-Explosive Chemicals				
150.	Barium azide	50t	...	18810-58-7
151.	Bis (2, 4, 6-trinito phenyl) amine	50	...	131-73-7
152.	Chloetetrinitrobenzene	50t	...	28260-61-9
153.	Cellulose nitrate (Containing 12.9% nitrogen)	50t	...	9004-70-0
154.	Cycletetramethyieneteranitramine	50t	...	2691-41-0
155.	Cyclotrimethylenetrinitroamine	50t	...	121-82-4
156.	Diazodinitrophenel	10t	...	7008-81-3
157.	Diethyleneglyceldinitrate	10t	...	693-21-0
158.	Dinitrophenel, salts	50t	...	
159.	Ethylene glyceldinitrate	10t	...	628-96-6
160.	1 -Guanyl-4-nitrosamineoguanyl 1 -tetrazene	10t	...	109-27-3

161.	2, 2, 14, 4, 6, 6-Hexanitrostilbeneo	50	...	20062-22-0
162.	Hydrazine nitrate	50t	...	13464-97-6
163.	Lead azide	50t	...	13424-46-9
164.	Lead styphnate (lead 2, 4, 6-trinitro-resorcinexide).	50t	...	15245-44-0
165.	Mercury Fulminate	10t	...	628-86-4
166.	N-Methyl-N, 2, 6-tetranitroaniline	50t	...	479.45-8
167.	Nitrogylcerine	10t	10t	55-63-0
168.	Pentacrylhritoltetranitrate	50t	...	78-11-5
169.	Picric acid (2, 4, 6-Trinitrophenol)	50t	...	81-89-1
170.	Sodium kpicramate	50t	...	831-52-7
171.	Styphnic acid (2, 4, 6-Trinitroreser-cinol).	50t	...	82-71-3
172.	1, 3, 5-Triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene	50t	...	3058-38-6
173.	Trinitroaniline	50t	...	26952-42-1
174.	2, 4, 6-Trinitroanisole	50t	...	606-35-9
175.	Trinitrobenzene	50t	...	25377-32-6
176.	Trinitrobenzoic acid	50t	...	35860-50-5
177.	Trinitrocresol	50t	...	28905-71-7
178.	2, 4, 6, Trinitrophenetole	50t	...	4732-14-3
179.	2, 4, 6 Trinitrotoulene	50t	50t	118-96-7

Schedule-III
Schedule-A
Fee
(See Rules 64(5))

(a) Fee payable for original licence and for Renewal of licence for Factories defined under code.
Other than Electricity Generating, Transforming or Transmitting Section / Factory.

Sr. No.		Maximum number of persons proposed to be employed on any one day during the year for which license is to be taken											
Total rated Capacity (Power) of the machineries and plants Installed expressed in HORSE POWER		19	50	100	250	500	750	1000	2000	5000	10000	25000	Over 25000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nil	-	600	2340	2700	3300	4500	6000	9000	10500	12000	13500	14700	18000
2	H.P. Not Exceeding	10	1350	2400	3300	4500	6900	12000	15000	18000	27000	57000	60000	150000
3	"	50	2700	3900	4500	6300	99000	12900	18600	21000	30000	60000	72000	180000
4	"	100	3900	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	75000	90000	186000
5	"	250	6000	9000	12900	15000	24000	27000	33000	39000	48000	94500	151500	225000
6	"	500	21600	27000	28500	30000	33000	42180	49740	56250	101250	126630	197340	292500
7	"	1000	27000	28500	30000	36900	42750	50040	56250	70290	110040	135000	216540	304200
8	"	2000	28500	30000	36900	50100	56250	71250	75300	81300	118140	143790	226800	315000
9	"	5000	36900	50100	54000	57300	60000	75300	81300	84450	135000	154650	246000	332100
10	"	10000	54000	57000	60000	75300	81300	84450	135000	154650	183000	246000	273900	363000
11	"	25000	81360	84460	135000	154650	183000	246000	273900	303300	330000	363000	480000	51000
12	" Over	25000	84450	154650	183000	246000	273900	303300	330000	393000	480000	507000	510000	540000

Schedule-B

Fee payable for original licence and for Renewal of licence for Electricity Generating, Transforming Section / Factory.

	Total installed Generating Capacity in K.W.	Generating Station	Transforming (Including Conversion Station)
	KW	Rs.	Rs.
Not more than	50	1500	900
-do-	100	2700	1500
-do-	150	3900	2700
-do-	300	4500	4200
-do-	500	6000	4500
-do-	750	9000	6750
-do-	1000	12000	9000
-do-	2500	21000	12900
-do-	5000	27000	15000
-do-	10000	33000	18000
-do-	25000	45000	27000
-do-	50000	72000	36000
-do-	75000	91200	45000
-do-	100000	117000	54000
-do-	150000	144000	72000
-do-	200000	180000	108000
-do-	300000	234000	144000
-do-	300000	288000	180000

(b) All Transmitting Centre (Factory)- 32,500/-

Explanations. -

1. Total rated Capacity(power) of machinery of plants means:-

(a) In case of machinery of plants which generates or provides power, the rated generating or producing capacity (power) expressed in Horse Power.

(b) In case of any prime-mover the raised capacity expressed in Horse Power.

(c) In case of any other plant or machinery the power expressed in Horse Power required K.W. to operate the machine at its normal rated capacities.

(d) In case of electric furnaces, ovens or like plants, the consumption thereof for its rated or a normal operation converted in terms of Horse Power.

(e) In case of furnaces, ovens, and like plants fired by coal, oil, gas or any other fuel the equivalent electric power converted into Horse Power.

(f) In case of Steam Boilers and Steam Generators, the rated capacity of the Boiler expressed in terms of Horse Power.

For the Boiler used for supply of process steam evaporation capacity of 34.5 lbs. of water per hour would be taken as equivalent to Horse Power.

2. Where a factory has its own electric power generating plants to the amount of fees payable for the whole factory shall be the amount obtained by adding the amount payable for the factory excluding the power generating plant calculated as per Schedule "A" and that payable for the power generating unit as per Schedule "B" respectively.

Where a factory has its own transforming station the amount of fees payable shall be calculated in a like manner.

Where a factory has its own generating station as well as transforming station for drawing additional power from an external source, the fee payable shall be the amount obtained by adding the fees which would have been payable for the Generating Station, Transforming Station and the rest of the factory, respectively as if they were separate factories.

3. In a steam power station, the capacities of the Generating units only would be taken in to account and not of the Boilers.

But if any such power station contains any boiler for supply of process steam, such boiler or part of boiler shall be separately counted for calculating the installed Horse Power.

4. In the calculation of Installed capacity all spare stand by and emergency machines and plants shall be taken into account, and shall be deemed to be working units and they shall not be excluded merely on the ground that they were only stand by, spare or emergency units, which are to be operated only on special occasions and in emergencies.

5. Where any machine is driven by an electric motor or any other prime-mover the rated capacity in Horse Power of the said motor shall be deemed to be the rated capacity of the machine, and the capacity of the motor or the prime-mover and that of the driven machine shall not be counted separately.

6. Where an electricity generating factory includes a transmitting of converting station or plant meant for recovering transforming,converting or transmitting of electric power supplied from a source outside the Generating Station and which is not meant for transforming, converting or transmitting power generated in the Generating Station itself the fees payable shall be the total of the fees payable by the Generating and Transforming (including converting) Station, calculated separately in accordance with the rate of fees prescribed under sub-head (a) and by the Transmitting Station under-sub-head (b),

SCHEDULE-IV

Sub-Schedule-1

Manufacture of Aerated Waters and Processes incidental thereto

1. Fencing of machines. - All machines for filling bottles or siphons shall be so constructed, placed or fenced as to prevent, as far as may be practicable, a fragment of a bursting bottle or siphon from striking any person employed in the factory.

2. Face-guards and gauntlets. - (1) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in filling bottles or safeness-

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the whole hand arms :

Provided that-

(i) paragraph 2 (1) shall not apply where bottles are filled by means of an automatic machine so constructed that no fragment of a bursting bottle can escape, and

(ii) where a machine is so constructed that only one arm of the bottler at work upon it is exposed to danger, a gauntlet need not be provided for the arm which is not exposed to danger.

(2) The occupier shall provide and maintain in good condition for the use of all persons engaged in corking, crowing, screwing, wiring, foiling, capsulin, sighting or labeling bottles or siphon-

(a) suitable face-guards to protect the face, neck and throat, and

(b) suitable gauntlets for both arms to protect the arm and at least half of the palm and the space between the thumb and forefinger.

3. Wearing of face-guards and gauntlets. - All persons engaged in any of the processes specified in paragraph 2 shall, while at work in such processes wear the face-guards and gauntlets provided under the provisions of the said paragraph.

4. Medical Examination by the medical officer - (1) Every worker employed in the processes this schedule applies to, shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Aerated Waters processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) Fitness and health register shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

Sub-Schedule-2

Electrolytic plating or oxidation of metal articles by use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium,zinc, copper, silver, gold, etc.

1. Definition. - For the purposes of this Schedule,-

(a) *"electrolytic process"* means the electrolytic plating or oxidation of metal articles by the use of an electrolyte containing acids, bases or salts of metals such as chromium, nickel, cadmium, zinc, copper, silver, gold, etc.;

(b) *"bath"* means any vessel used for an electrolytic process or for any subsequent process;

(c) *"employed"* means employed in any process involving contact with liquid from a bath.

2. Exhaust draught. - An efficient exhaust draught shall be applied to every vessel in which an electrolytic process is carried on. Such draught shall be provided by mechanical means and shall operate on the vapour or spray given off in the process as near as may be at the point of origin. The exhaust draught appliance shall be so constructed, arranged and maintained to prevent the vapour or spray entering into any room or place in which work is carried on.

3. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolescent. - No pregnant women and lactating mothers or adolescent shall be employed or permitted to work at a bath.

4. Floor of work-rooms. - The floor of every work room containing a bath shall be impervious to water. The floor shall be maintained in good and level condition and shall be washed down at least once a day.

5. Protective devices. - (1) The occupier shall provide and maintain in good and clean condition the following articles of protective devices for the use of all persons employed on any process at which they are liable to come in contact with liquid from a bath and such devices shall be worn by the persons concerned:-

(a) water-proof aprons and bibs; and

(b) for persons actually working at a bath, loose fitting rubber gloves and rubber boots or other waterproof footwear and chemical goggles.

(2) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and drying of protective devices.

6. Water facilities. - (1) It shall be provided and maintained in good repairs for the use of all persons employed in electrolytic process and processes incidental to it-

(a) a wash place under cover, with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, and of sufficient length to allow at least 60 cm. for every 5 persons employed at any

one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 cms.; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and having a constant supply of water laid on.

(b) a sufficient supply of clean towels renewed daily, and soap or other suitable cleaning material.

(2) In addition to the facility in sub-paragraph (1) an approved type of emergency shower with eye fountain shall be provided and maintained in good working order. Wherever necessary, in order to ensure continuous water supply storage tank of 1500 liters capacity shall be provided as a source of clean water for emergency use.

7. Cautionary placard. - A cautionary placard in the form specified below and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in a prominent place in the factory where it can be easily and conveniently read by the workers.

Cautionary Notice

Electrolytic Plating

1. Chemicals handled in this plant are corrosive, and poisonous.
2. Smoking, chewing, tobacco, eating food or drinking, in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.
3. Some of these chemicals may be absorbed through the skin and may cause poisoning.
4. A good wash shall be taken before meals.
5. Protective devices supplied shall be used while working in this area.
6. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor shall be immediately washed away with water.
7. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.
8. Medical facilities and examination by the medical officer - (1) The occupier

of every factory in which electrolytic processes are carried on shall-

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a); and

(c) maintain a sufficient supply of suitable barrier cream, ointment and impermeable water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers and used solely for the purpose of keeping substances. In case cyanides are used in the bath, the box shall also contain an emergency cyanide kit.

(2)The Every worker employed in the electrolytic processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

Sub-Schedule-3

Manufacture and repair of electric accumulators

1. Savings. - This Schedule shall not apply to the manufacture or repair of electric accumulators or parts thereof not containing lead or any compound of lead; or to the repair on the premises, of any accumulator forming part of a stationary battery.

2. Definition. - For the purposes of this Schedule-

(a) *"Lead process"* means the melting of lead or any material containing lead, casting, pasting, lead burning, or any other work, including trimming or any other abrading or cutting of pasted plates involving the use, movement of manipulation of, or contact with any oxide of lead;

(b) *"Manipulation of raw oxide of lead"* means any lead process involving any manipulation or movement of raw oxides of lead other than its conveyance in a receptacle or by means of an implement from one operation to another;

3. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolescents - No pregnant women and lactating mothers or adolescents shall be employed or permitted to work in any lead process or in any room in which the manipulation of raw oxide or lead or pasting is carried on.

4. Separation of certain processes. - Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another, and from any other process:-

(a) Manipulation of raw oxide of lead;

(b) Pasting;

(c) Drying of pasted plates;

(d) Formation with lead burning ("tacking") necessarily carried on in connection therewith;

(e) Melting down of pasted plates.

5. Air space. - In every room in which a lead process is carried on, there shall be at least fourteen cubic meter of air space for each person employed therein,

and in computing this air space no height over three meters shall be taken into account.

6. Ventilation. - Every work-room shall be provided with inlets and outlets of adequate size as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room.

7. Distance between workers in pasting room. - In every pasting-room the distance between the centre of the working position of any paster and that of the paster working nearest to him shall not be less than five feet.

8. Floor of work-rooms. - (1) The floor of every room in which a lead process is carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition;

(c) kept free from materials, plant, or other obstruction not required for, or produced in the process carried on in the room.

(2) In all such rooms other than grid casting shops the floor shall be- (a) cleansed daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

(3) In gird casting shops, the floor shall be cleansed daily.

(4) Without prejudice to the requirements of sub-paragraphs (1), (2) and (3), where manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on, the floor shall also be-

(a) kept constantly moist while work is being done;

(b) provided with suitable and adequate arrangements for drainage;

(c) thoroughly washed daily by means of a hose pipe.

9. Work-benches. - The work-benches at which any lead process is carried on shall-

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition;

(b) be kept free from all materials or plant not required for, or produced in, the process carried on thereat; and, all such work-benches other than those in grid casting shops shall-

(c) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is being carried on thereat; and, all such work-benches in grid casting shops, shall-

(d) be cleansed daily; and, every work-bench used for pasting, shall-

(e) be covered throughout with sheet lead or other impervious material;

(f) be provided with raised edges;

(g) be kept constantly moist while pasting is being carried on.

10. Exhaust draught. - The following processes, shall not be carried on without the use of an efficient exhaust draught-

(a) Melting of lead or materials containing lead;

(b) Manipulation of raw oxide of lead, unless done in an enclosed apparatus so as to prevent the escape of dust into the work-room;

(c) Pasting;

(d) Trimming, brushing, filing or any other abrading or cutting of pasted plates giving rise to dust;

(e) Lead burning, other than-

(i) "tacking" in the formation-room;

(ii) chemical burning for the making of lead linings for cell cases necessarily carried on in such a manner that the application of efficient exhaust is impracticable. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means, and shall operate on the dust or fume given off as nearly as may be at its point of origin, so as to prevent it entering the air of any room in which person work.

11. Fumes and gases from melting post. - The products of combustion produced in the heading of any melting pot shall not be allowed to escape into a room in which person work.

12. Container for dross. - A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting pot. Such receptacle shall be kept covered while in the work-room, except when dross is being deposited therein.

13. Container for lead waste. - A suitable receptacle shall be provided in every work-room in which old plates and waste material which may give rise to dust shall be deposited.

14. Racks and shelves in drying-room. - The racks or shelves provided in any drying-room shall not be more than 8 feet from the floor nor more than 2 feet in width:

provided that as regards racks or shelves set or drawn from both sides the total width shall not exceed 4 feet. Such racks or shelves shall be cleaned only after being thoroughly damped unless an efficient suction cleaning apparatus is used for this purpose.

15. Medical facilities and examination by the medical officer - (1) The occupier of every factory in which manufacture and repair of electric accumulators is carried on shall-

(a) make arrangement of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein, and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(2) Every worker employed in lead processes shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine haemoglobin content, stippling of cells and steadiness tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

Every worker employed in the said process shall be re-examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall,

wherever the medical officer considers appropriate, include tests specified in sub-paragraph (1).

(3) Every worker employed in the manufacture and repair of electric accumulators shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The Health Certificate and Health Register shall be maintained in such a manner as to be immediately available for inspection to the Inspector-cum-Facilitator and the Medical Inspector-cum-Facilitator.

16. Protective clothing. - Protective clothing shall be provided and maintained in good repair for all persons employed in-

(a) manipulation of raw oxide of lead;

(b) pasting;

(c) the formation-room;

and such clothing shall be worn by the persons concerned. The protective clothing shall consist of waterproof apron and waterproof footwear, and also, as regards persons employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, head coverings. The head coverings shall be washed daily.

17. Mess-room. – It shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals a suitable mess-room which shall be furnished with (a) sufficient tables and benches, and (b) adequate means for warming food. The means-room shall be placed under the charge of a responsible person, and shall be kept clean.

18. Cloak-room. - It shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process-

(a) a cloak-room for clothing put during working hours with adequate arrangements for drying the clothing if wet. Such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing provided under paragraph 16.

19. Washing facilities. - It shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process-

(a) A wash-place under cover, with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow of at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water laid on;

(iii) a sufficient supply of clean towels made of suitable materials renewed daily, which supply, in the case of pasters and persons employed in the manipulation of raw oxide of lead, shall include a separate marked towel for each such worker; and

(iv) a sufficient supply of soap or other suitable be cleansing material and of main brushes.

(b) There shall in addition be provided means of washing in close proximity to the rooms in which manipulation of raw oxide of lead or pasting is carried on if required by notice in writing from the Chief Inspector cum facilitator .

20. Time to be allowed for washing. - Before each meal and before the end of the day's work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person who has been employed in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting:

Provided that if there is one basin or 60 centimeter of trough for each such person, this rule shall not apply.

21. Facilities for bathing. - Sufficient bath accommodation to the satisfaction of the Chief Inspector cum facilitator shall be provided for all persons engaged in the manipulation of raw oxide of lead or in pasting, and a sufficient supply of soap and clean towels.

22. Foods, drinks, etc, prohibited in work-rooms. - No food, drink, pan and supari or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work-room in which any lead process is carried on.

Sub-Schedule-4

Glass Manufacture

1. Exemption. - If the Chief Inspector cum facilitator is satisfied in respect of any factory or any class of process that, owing to the special methods of work or the special condition in a factory or otherwise, any of the requirements of this Schedule can be suspended or relaxed without danger to the persons employed therein, or that the application of this schedule or any part thereof is for any reason impracticable, he may by certificate in writing authorise such suspension or relaxation as may be indicated in the certificate for such period and on such conditions as he may think fit.

2. Definitions. - For the purpose of this Schedule-

(a) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to

prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume, or dust, originate;

(b) *"Lead compound"* means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yield to an aqueous solution of hydrochloric acid a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. The method of treatment shall be as follows :-

A weight quantity of the material which has been dried at 190°C. and thoroughly mixed shall be continuously, shaken for one hour, at the common temperature with1,000 times its weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight or hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

3. Exhaust draught. - The following processes shall be carried on except under an efficient exhaust draught or under such other conditions as may be approved by the Chief Inspector cum facilitator :-

(a) The mixing of raw materials to form a "batch".

(b) The dry grinding, glazing and polishing of glass or any article of glass.

(c) All processes in which hydrofluoric acid fumes or, ammonia vapours are given off.

(d) All processes in the making of furnace moulds or "pots" including the grinding or crushing of used "pots".

(e) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. Prohibition relating to woman and adolescent. - No woman or adolescent shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in Paragraph 3 or at any place where such operations are carried on.

5. Floor and work-benches. - The floor and work-benches of every room in which a dry compound of lead in manipulated or in which any process is carried on giving off silica dust shall be kept moist, and shall comply with the following requirements:-

The floors shall be-

(a) of cement of similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) cleaned daily after being thoroughly sprayed with water at a time when no other work is being carried on in the room.

The work-benches shall-

(a) have a smooth surface and be maintained in sound condition, and

(b) be cleansed daily either after being thoroughly damped or by means of a suction cleaning apparatus at a time when no other work is carried on thereat.

6. Use of hydrofluoric acid. - The following provisions shall apply to rooms in which glass is treated with hydrofluoric acid :-

(a) There shall be inlets and outlets of adequate size so as to secure and maintain efficient ventilation in all parts of the room;

(b) The floor shall be covered with guttaparcha and be tight, and shall slope gently down to a converted drain;

(c) The work-places shall be so enclosed in projecting hoods that openings required for bringing in the objects to be treated shall be as small as practicable; and

(d) The efficient exhaust draught shall be so contrived that the gases are exhausted downwards.

7. Storage and transport of hydrofluoric acid. - Hydroflouric acid shall not be stored or transported except in cylinders or receptacles made of lead or rubber.

8. Blow-pipes. - Every glass-blower shall be provided with a separate blow pipe bearing the distinguishing mark of the person to whom it is issued and suitable

facilities shall be readily available to every glass-blower for sterilising blow pipe.

9. Food drinks, etc., prohibited in work rooms. - No food, drink pan and supari and tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any room or work place wherein any process specified in paragraph 3 is carried on.

10. Protective clothing. - The occupier shall provide, maintain in good repair and keep in a clean condition of the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3 suitable protective clothing, footwear and goggles according to the nature of the work, and such clothing footwear, etc. shall be worn by the persons concerned.

11. Washing facilities. - There shall be provided and maintained in a cleanly state in good repairs for the use of all persons employed in the processes specified in paragraph 3-

(a) a wash place with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug and of sufficient length to allow of at least two feet every five such person employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet; or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted, with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and of nail brushes; and

(b) a sufficient number of stand pipes with taps, the number and location of such stand pipes shall be to the satisfaction of the Chief Inspector cum facilitator .

12. Medical facilities and examination by the medical officer –(1)The occupier of every factory in which glass manufacturing processes are carried on shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the Glass Manufacture shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

Sub-Schedule-5

Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto

1. Definitions. - For the purposes of this Schedule-

(a) *"grindstone"* means a grindstone composed of natural or manufactured sandstone but does not include a metal wheel or cylinder into which blocks of natural or manufactured sandstone are fitted;

(b) *"abrasive wheel"* means a wheel manufactured of bonded emery or similar abrasive;

(c) *"grinding"* means the abrasion, by aid of mechanical power, of metal, by means ofa grindstone or abrasive wheel;

(d) *"glazing"* means the abrading, polishing or finishing, by aid of mechanical power of metal, by means of any wheel, buff, mop or similar appliance to which any abrading or polishing substance is attached or applied;

(e) *"racing"* means the turning up, cutting or dressing of a revolving grindstone before it is brought into use for the first time;

(f) *"hacking"* means the chipping of the surface of grindstone by a hack or similar tool;

(g) *"rodding"* means the dressing of the surface of a revolving grind stone by the application of a rod, bar or strip of metal to such surface.

2. Exceptions. - (1) Nothing in this Schedule shall apply to any factory in which only repairs are carried on except any part thereof in which one or more persons are wholly or mainly employed in the grinding or glazing of metals.

(2) Nothing in this Schedule except paragraph 4 shall apply to grinding or glazing of metals carried on intermittently and at which no person is employed for more than 12 hours in any week.

(3) The Chief Inspector cum facilitator may, by certificate in written, subject to such conditions as he may specify therein, relax or suspend any of the provisions of this Schedule in respect of any factory, if, owing to the special methods of work or otherwise, such relaxation or suspension is practicable without danger to the health or safety or the persons employed.

3. Equipment for removal of dust. - No racing, dry grinding or glazing shall be performed without-

(a) a hood or other appliance so constructed, arranged, placed and maintained as substantially to intercept the dust thrown off; and

(b) a duct of adequate size, air tight and so arranged as to be capable of carrying away the dust, which duct shall be kept free from obstruction, and shall be provided with proper means of access for inspection and cleaning, and where practicable, with a connection at the end remote from the fan to enable the Inspector cum facilitator to attach there to any instrument necessary for ascertaining the pressure of air in the said duct; and

(c) a fan or other sufficient means of producing a draught sufficient to extract the dust :

Provided that the Chief Inspector cum facilitator may accept any other appliance that is, in his opinion, as effectual for the interception, removal and disposal of dust thrown off as a hood, duct and fan.

4. Restriction on employment on grinding operations. - Not more than one person shall at any time perform the actual process of grinding or glazing upon a grind stone, abrasive wheel or glazing appliance :

Provided that this paragraph shall not prohibit the employment of persons to assist in the manipulation of heavy or bulky article at any such grindstone, abrasive wheel or glazing appliance.

5. Glazing. - Glazing or other process, except processes incidental to wet grinding upon a grindstone shall not be carried on in any room in which wet grinding upon a grindstone is done.

6. Hacking and rodding. - Hacking or rodding shall not be done unless during the process either-(a) an adequate supply of water of laid on at the upper surface of the grindstone, or (b) adequate appliances for the interception of dust are provided in accordance with the requirements of paragraph 3.

7. Examination of dust equipment. - (a) All equipment for the extraction or suppression of dust shall at least once in every six months be examined and

tested by a competent person, and any defect disclosed by such examination and test shall be rectified as soon as practicable.

(b) A register containing particulars of such examination and test shall be kept in a form No 30.

9. Medical facilities and examination by the medical officer - (1)The occupier of every factory in which glazing of metal and processes are carried on shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2)Every worker employed in the Grinding or Glazing of Metal and Processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28 .

(3) If at any time, the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the Grinding or Glazing processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

Sub-Schedule-6

Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of Lead

1. Exemptions. - Where the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed, he may, by certificate in writing exempt any factory from all or any of such provisions, subject to such conditions as he may specify therein.

2. Definitions. - For the purposes of this Schedule-

(a) *"lead compound"* means any compound of lead other than galena which, when treated in the manner described below, yields to an aqueous solution of hydrochloric acid, a quantity of soluble lead compound exceeding, when calculated as lead monoxide, five per cent of the dry weight of the portion taken for analysis. In the case of paints and similar products and other mixtures containing oil or fat the "dry weight" means the dry weight of the material remaining after the substance has been thoroughly mixed and treated with suitable solvents to remove oil, fats, varnish or other media;

The Method of treatment shall be as follows :-

A weight quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with 1000times its weight of an aqueous solution of hydrofloric acid containing 0.25 percent by weight to hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour, and then filtered. The lead salt contained in clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighed as lead sulphate.

(b) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation affected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them (as far as practicable under the atmospheric conditions usually prevailing) from escaping into the air of any place in work is carried on. No

draught shall be deemed efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fumes or dust originate.

3. Application. - The Schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following operations are carried on:-

(a) Work at a furnace where the reduction or treatment of zinc or lead ores is carried on.

(b) The manipulation, treatment or reduction of ashes containing lead, the desilverising of lead or the melting of scrap lead or zinc.

(c) The manufacture of solder or alloys containing more than ten per cent or lead.

(d) The manufacture of any oxide, carbonate, sulphate, chromate, acetate nitrate or silicate of lead-ethyl.

(e) Handling or mixing of lead tetra-ethyl.

(f) Any other operation involving the use of a lead compound.

(g) The cleaning of work-rooms where any of the operations aforesaid are carried on.

4. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolescents. - No pregnant women and lactating mothers or young person shall be employed or permitted to work in any of the operations specified in paragraph 3.

5. Requirements to be observed. - No person shall be employed or permitted to work in any process involving the use of lead compounds if the process is such that dust or fume from a lead compound is produced therein or the persons employed therein are liable to be splashed with any lead compound in the course of their employment unless the provisions of paragraphs 6 to 14 are complied with.

6. Exhaust draught. - Where dust, fume, gas or vapour is produced in the process provision shall be made for removing them by means of an efficient

exhaust so draught so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour as closely aspossible to the point of origin.

7. Medical facilities and examination by the medical officer - (1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the processes referred to in paragraph -1 shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests of lead in blood and urine. ALA in urine haemoglobin contents, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3) Every worker employed in the said process shall be re-examined by a medical officer at least once in every three calendar months. Such re-examination shall, wherever the medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1).

(4) Every worker employed in the Manufacture and Treatment of Lead and certain compounds of lead processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the lead processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he

is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (5) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and

kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

8. Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms. - No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work-room in which the process in carried on, and no person shall remain in any such room during intervals of meals or rest.

9. Protecting clothing. - Suitable protective overalls and head coverings shall be provided, maintained and kept clean by the factory occupier and such overalls and head coverings shall be worn on by the persons employed.

10. Cleanliness of work-rooms, tools, etc. - The rooms in which the persons are employed and all tools and apparatus used by them shall be kept in a clean state.

11. Washing facilities. - (1) The occupier shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable washing facilities consisting of-

(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or

(b) at least one wash basin for every ten persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of clean water; together with in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material and clean towels.

(2) The facilities so provided shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

12. Mess-room or canteen. - The occupier shall provide and maintain for the use of the persons employed suitable and adequate arrangements for taking their meals. The arrangements shall consist of the use of a room separate from any work-room which shall be furnished with sufficient tables and benches, and unless a canteen serving hot meals is provided adequate means of warming food shall be provided. The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air, shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

13. Cloak-room. - The occupier shall provide and maintain for the use of persons employed suitable accommodation for clothing not worn during working hours, and for the drying of wet-clothing.

Sub-Schedule-7

Generating petrol gas from petrol

1. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolescents. - No pregnant women and lactating mothers or adolescent shall be employed or permitted to work in or shall be allowed to enter any building in which the generating of petrol gas from petrol is carried on.

2. Flame traps. - The plant for generating petrol gas from petrol and associated piping and fittings shall be fitted with at least two efficient flame traps so designed and maintained as to prevent a flash back from any burner to the plant. One of these traps shall be fitted as close to the plant as possible. The plant and all pipes and valves shall be installed and maintained free from leaks.

3. Generating building or room. - All plants for generating petrol gas from petrol erected after the coming into force of the provisions specified in this schedule, shall be erected outside the factory building proper in a separate well ventilated building(hereinafter referred to as the "generating building"). In the

case of such plant erected before the coming into force of the provisions specified in this schedule there shall be on direct communication between the room where such plants are erected(hereinafter referred to as "the generating-room"); and the remainder of the factory building. So far as practicable, all such generating rooms shall be constructed of fire resisting materials.

4. Fire-extinguishers. - A efficient means of extinguishing petrol fires shall be maintained in an easily accessible position near the plant for generating petrol gas from petrol.

5. Plant to be approved by Chief Inspector cum facilitator . - Petrol gas shall not be manufactured except in a plant for generation petrol gas the design and construction of which has been approved by the Chief Inspector cum facilitator.

6. Escape of Petrol. - Effective steps shall be taken to prevent petrol from escaping into any drain or sewer.

7. Prohibition relating to smoking, etc. - No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in the generating room or building or in the vicinity thereof and a warning notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted in the factory prohibiting smoking and the carrying of matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark into such room or building.

8. Access to petrol or container. - No unauthorised person shall be access to any petrol or to a vessel containing or having actually contained petrol.

9. Electric fittings. - All electric fittings shall be of flame- proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in mental conduits or be lead-sheathed.

10. Construction of doors. - All doors in the generating room or building shall be constructed to open outwards or to side and no door shall be locked or obstructed or fastened in such a manner that it cannot be easily and immediately

opened from the inside while gas is being generated and any person is working in the generating-room or building.

11. Repair of containers. - No vessel that has contained petrol shall be repaired in a generating-room or building and no repairs to any such vessel shall be undertaken unless live steam has been blown into the vessel and until the interior in thoroughly steamed out or other equally effective steps have been taken to ensure that it has been rendered free from petrol or inflammable vapour.

12. Medical examination by the medical officer - (1) Every worker employed in generating petrol gas from petrol processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes, unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

13. In these Rules Petrol means dangerous petroleum as defined in the Petroleum Act, 1937.

Sub-Schedule-8

High Flammable Liquids and Flammable Compressed Gases

1. Application. - This schedule shall apply to all factories where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used.

2. Definition. - For the purpose of this Schedule-

(a) *"highly flammable liquid"* means the liquid including its solution, a emulsion or suspension which when tested in a manner specified by Sections 14 and 15 of the Petroleum Act, 1934 gives off flammable vapour at a temperature less than 32 degree celsius;

(b) *"Flammable compressed gas"* means flammable compressed gas defined in Rule2 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 framed under the Explosives Act, 1948 (No. IV of 1948).

3. Storage. - (1) Every flammable liquid or flammable compressed gas used in every factory shall be stored in suitable fixed storage tank, or in suitable closed vessel located in a safe position under the ground, in the open or in a store room of adequate fire resistant construction.

(2) Except as necessary for use, operation or maintenance every vessel or tank which contains or had contained a highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be always kept closed and all reasonably practicable steps shall be taken to contain or immediately drain off to a suitable container any spill or leak that may occur.

(3) Every container, vessel, tank, cylinder or store room used for storing highly flammable liquid or flammable compressed gas shall be clearly and in bold letters marked "Danger-Highly Flammable Liquid" or "Danger-Flammable Compressed Gas."

4. Enclosed systems for Conveying Highly Flammable Liquids. - Where it is reasonably practicable, highly flammable liquids shall be conveyed within a factory in totally enclosed systems consisting of pipe lines, pumps and similar

appliances from the storage tank or vessels to the point of use. Such enclosed systems shall be so designed installed, operated and maintained as to avoid leakage or the risk of spilling.

5. Preventing Formation of Flammable Mixture with Air. - Where there is possibility for leakage or spill of highly flammable liquid or flammable compressed gas from an equipment, pine line, valve joint or other part of a system, all practicable measures shall be taken to contain, drain off or dilute such spills or leakage as to prevent formation of flammable mixture with air.

6. Prevention of Ignition. - (1) In every room work place or other location where highly flammable liquid or flammable combustible is stored, conveyed, handled or used or where there is danger or fire of explosion from a accumulation of highly flammable liquid or flammable compressed gas in air all practicable measure shall be taken to exclude the sources of ignition. Such precautions shall include the following :-

(a) all electrical apparatus shall either be excluded from the area of risk or they shall be of such construction and so installed and maintained as to prevent the danger of their being a source of ignition;

(b) effective measures shall be adopted for prevention of accumulation of static charge to a dangerous extent;

(c) no person shall wear or be allowed to wear any foot wear having iron or steel nails or any other exposed ferrous materials which is likely to cause sparks by friction;

(d) smoking, lighting or carrying of matches, lighters or smoking materials shall beprohibited;

(e) transmission belts with iron fasteners shall not be used;

(f) all other precautions, as are reasonably practicable, shall be taken to prevent initiation of ignition from all other possible sources such as open flames, frictional sparks, overheated surfaces of machinery or plant, chemical or physical-chemical reaction and radiant, heat.

7. Prohibition of smoking. - No person shall smoke in any place where highly flammable liquid or flammable compressed gas is present in circumstances that smoking would give rise to a risk of fire. The occupier shall take all practicable measures to ensure compliance with this requirements including display of a bold notice indicating prohibition of smoking at every place where this requirement applies.

8. Fire Fighting. - In every factory where highly flammable liquid or flammable compressed gas is manufactured, stored, handled or used an appropriate and adequate means of fighting a fire shall be provided. The adequate and suitability of such means which expression includes the fixed and portable fire extinguishing systems, extinguishing materials, procedures and the process of fire fighting shall be to the standards and levels prescribed in the rules.

9.Medical examination by the medical officer - (1) Every worker employed in processes where high flammable liquids or flammable compressed gases are manufactured, stored, handled or used shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(1) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(2) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the

medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(3) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

10. Exemptions. - If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

Sub-Schedule-9

Liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto

1. Cautionary notices. - (1) Cautionary notices as to anthrax, in the form specified by the Chief Inspector cum facilitator shall be affixed in prominent positions in the factory where they may be easily and conveniently read by the persons employed.

(2) A copy of a warning notice as to anthrax in the form specified by the Chief Inspector cum facilitator shall be given to each person employed when he is engaged, not subsequently it still employed, on the first of each calendar year.

(3) Cautionary notices as to the effects of chrome on the skin shall be affixed in prominent positions in every factory in which chrome solutions are used, as such notices shall be so placed as to be easily and conveniently read by the persons employed.

(4) Notices shall be affixed in prominent places in the factory stating the position of the "First aid" has or cupboard and the name of the person in charge of such box or cupboard.

(5) If any person employed in the factory is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to such illiterate person the contents of the notices specified in paragraphs 1, 2 and 4, and if chrome solutions are used in the factory, the contents of the notice specified in paragraph 3.

2. Protective Clothing. - The occupier shall provide and maintain in good conditions the following articles of protective clothing :-

(a) Waterproof footwear, leg coverings, aprons and gloves for persons employed in processes involving contact and chrome solutions, including the preparation of such solutions;

(b) Gloves and boots for persons employed in lime yard; and

(c) Protective footwear, aprons and gives of persons employed in processes involving the handling of hides or skins, other than in process specified in clauses (a) and (b):

Provided that-

(i) the gloves, aprons, leg coverings, or boots, may be of rubber or leather, but the gloves and boots to be provided under sub-clauses (a) and (b) shall be of rubber;

(ii) the gloves may not be provided to persons flushing by hand or employed in processes in which there is no risk of contact with lime, sodium sulphide or other caustic liquor.

3. Washing facilities, mess-room and cloak-room. - There shall be provided and maintained in a clearly state and in good repairs for the use of all persons employed-

(a) a trough with a smooth, impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least 600mm for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 600mm; or

(b) at least one wash basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe, and plug and having a constant supply to water;

together within, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleaning material, and clean towels;

(c) a suitable mess-room adequate of the number remaining on the premises during the meal intervals which shall be furnished with (1) sufficient tables and benches, and

(2) adequate means for warming good and for boiling water.

The mess-room shall-(1) be separate from any room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated, (2) be separate from the cloak-room, and (3)placed under the charge of a responsible person;

(d) The occupier shall provide and maintain, for the use of all persons employed, suitable accommodation for clothing put off during working hours and another accommodation of protective clothing and shall also make adequate arrangements for drying up the clothing in both the case, if wet. The accommodation so provided shall be kept clean at all time and place in the charge of a responsible person.

4. Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms. - No food, drink, pan and supari or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work room or shed in which hides or skins are stored, treated or manipulated.

5. Medical Examination -(1) The occupier of every factory to which this schedule applies; shall-

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a);and

(c) arrange for inspection of the hands of all the persons keeping in contact with chromium substances to be made twice a week; and

(d) provide and maintain and supply suitable ointment and plaster in a box readily accessible to the workers and solely used for the purpose of keeping the

ointment and the plaster.

(2) Every worker employed in liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental thereto shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the liming and tanning of raw hides and skins and processes incidental there to processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-10

Lead processes carried in Printing Presses and Type Foundries

1. Exemption. - Where the Chief Inspector cum facilitator in satisfied that all or any of the provisions of his schedule are not necessary of the protection of persons employed he may, by certificate in writing, exempt any factory from all or any such provisions subject to such, conditions as he specifies therein. Such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector cum facilitator .

2. Definitions. - For the purpose of this schedule, 'Lead Material' means material containing not less than five per cent of lead.

'Lead Process' means-

(a) the melting of lead or any lead material for casting and mechanical composing;

(b) the recharging of machines with used lead material;

(c) any other work including removal of dross from melting pot cleaning of plungers; and

(d) manipulation, movement or other treatment of lead material;

"Efficient exhaust draught" means localised ventilation effected by heat or mechanical means, for the removal of gas, vapour, dust or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove gas, vapour, fume or dust at the point where they originate.

3. Exhaust draught. - None of the following processes shall be carried on except with an efficient exhaust draught :-

(a) melting lead material or slugs;

(b) heating lead material so that vapour containing lead in given off; or unless carried on in such a manner as to prevent free escape of gas, vapour, fumes or dust into any place in which work is carried on or unless carried on in electrically heated and thermostatically controlled melting post. Such exhaust draught shall be effected by mechanical means and so contrived as to operate on the dust, fume, gas or vapour given off as closely as may be at its point of origin.

4. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolescents. - No pregnant women and lactating mothers or young person shall be employed or permitted to work in any lead process.

5. Separation of certain process. - Each of the following processes shall be carried on in such a manner and under such conditions as to secure effectual separation from one another and from any other material :-

(a) melting of lead or any lead material;

(b) casting go lead ingots;

(c) mechanical composing.

6. Container for dross. - A suitable receptacle with tightly fitting cover shall be provided and used for dross as it is removed from every melting. Such receptacle shall be kept covered while in the workroom near the machine except when the dross is being deposited therein.

7. Floor of workroom. - The floor of every workroom where lead process is carried on shall be-

(a) of cement or similar material so as to be smooth and impervious to water;

(b) maintained in sound condition; and

(c) shall be cleaned throughout daily after being thoroughly damped with water at a time when no other work is being carried on at the place.

8. Mess-room. - It shall be provided and maintained for the use of all persons employed in a lead process and remaining on the premises during the meal intervals, a suitable mass room which shall be furnished with sufficient tables and benches.

9. Washing facilities. - It shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in a lead process-

(a) wash place with either-

(i) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 2 feet(600 mm); or

(ii) at least one wash basin for every five such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having an adequate supply of water laid on or always readily available; and

(b) a sufficient supply of clean towels made of suitable material renewed daily with a sufficient supply of soap or other suitable cleaning material.

10 Medical facilities and Examination -(1) The occupier of every factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangement a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in a lead process shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests of lead in urine and blood. ALA in urine haemoglobin, stippling of cells and steadiness tests. No workers shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(3) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Medical officer at least once in every six calendar months. Such re-examination shall, wherever the Medical officer considers appropriate, include tests as specified in sub-paragraph (1)

.(4) Every worker employed in lead processes carried in Printing Presses and type Foundries processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground,that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations form 28 and 29, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

11. Food, drinks, etc., prohibited in work-room. - No food, drink, pan and "Supari" or tobacco shall be consumed or brought by any worker into any work-room in which any lead process in carried on.

Sub-Schedule-11

Part I-Chemical Works

1. Application. - This schedule shall apply to all manufacture and processes incidental thereto carried on in chemical works.

2. Definitions. - For the purpose of this schedule-

(a) *"Chemical works"* means any factory or such part of any factory as are listed, in Appendix 'A' to this schedule;

(b) *"efficient exhaust draught"* means Localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of gas, vapour, fume or dust to prevent it from escaping into the air of any place in which work is carried on;

(c) "bleaching powder" means the bleaching powder commonly called chloride of lime;

(d) *"chlorate"* means chlorate or perchlorate;

(e) *"caustic"* means hydroxide of potassium or sodium;

(f) *"chrome process"* means the manufacture of chromate or bichromate of potassium or sodium or the manipulation, movement or other treatment of these substances;

(g) *"nitro or amino process"* means the manufacture of nitro or amino derivatives of phenol and of benzene or its homologuos, and the making of explosives with the use of any of these substances;

(h) *"the term 'permit to work' system"* means the compliance with the procedures laid down under para 20 of Part II;

(i) *"toxic substances"* means all those substances which when they enter into the human body, through inhalation or ingestion or absorption through skin, in sufficient quantities cause fatality or exert serious affliction of health or chronic harmful effects on the health of persons exposed to it due to its inherent chemical or biological effects. In respect of substances whose TLV exceeding the concentration specified therein in the rules would make the substance toxic;

(j) *"emergency"* means a situation or condition leading to a circumstance or set of circumstances in which there is danger to the life or health of persons or which could result in big fire or explosion or pollution to the work and outside environment, affecting the workers or neighbourhood in a serious manner, demanding immediate action;

(k) *"dangerous chemical reactions"* means high speed reactions, runaway reactions, delayed reactions, etc. and are characterized by evolution of large quantities of heat, intense release of toxic or flammable gases or vapours, sudden pressure build-up etc.

(l) *"manipulation"* means mixing, blending, filling, emptying, grinding sieving, drying, packing, sweeping, handling, using etc.

(m) *"approved personal protective equipment"* means items of personal protective equipment conforming to the relevant ISI specifications or in the absence of it, personal protective equipment approved by the Chief Inspector cum facilitator ;

(n) *"appropriate personal protective equipment"* means that when the protective equipment is used by the worker, he shall have no risk to his life or health or body;and

(o) *"confined space"* means any space by reason of its construction as well as in relation to the nature of the work carried therein and hazards to the persons entering into or working inside exist or are likely to develop during working.

Part II-General requirements applying to all the works in Appendix 'A'

1. Housekeeping. - (1) Any spillage of materials shall be cleaned up before further processing.

(2) Floors, platforms, stairway, passages and gangways shall be kept free of any obstructions.

(3) There shall be provided easy means of access to all parts of the plant to facilitate cleaning.

2. Improper use of chemicals. - No chemicals or solvents or empty containers containing chemicals or solvents shall be permitted to be used by workers for any purposes other than in the processes for which they are supplied.

3. Prohibition of the use of food, etc. - No food, drink, tobacco, pan or any edible item shall be stored or heated or consumed on or near any part of the plant or equipment.

4. Cautionary Notice and Instructions. - (1) Cautionary notices in a language understood by the majority of workers shall be prominently displayed in all hazardous are as drawing the attention of all workers about the hazards to health, hazards involving fire and explosion and any other hazard such as consequences of testing of material or substances used in the process or using any contaminated container for drinking or eating, to which the workers attention should be drawn for ensuring their safety and health.

(2) In addition to the above cautionary notice, arrangement shall be made to instruct and educate all the process including the specific hazards to which they may be exposed to, in the normal course of their work. Such instructions and education should also dealt with the hazards involved in unauthorized and unsafe practices including the properties of substances used in the process under normal conditions as well as abnormal conditions and the precautions to be observed against each and every hazard. Further an undertaking from the workers shall be obtained within one month of their employment and for old workers employed, within one month of coming into operation of the rules, to

the effect that they have read the contents of the cautionary notices and instructions, understood them and would abide by them. The training and instructions to all workers and all supervisory personnel shall include the significance of different types of symbols and colours used on the labels stuck or painted on the various types of containers and pipe lines.

5. Evaluation and provision of safeguards before the commencement of process. - (1) Before commencing any process or any experimental work, or any new manufacture covered under Appendix 'A', the occupier shall take all possible steps to ascertain definitely all the hazards involved both from the actual operations and the chemical reactions including the dangerous chemical reactions. The properties of the raw materials, used the final products to be made, and any by-products derived during manufacturing, shall be carefully studied and provisions shall be made for dealing with any hazards including effects on workers, which may occur during manufacture.

(2) Information in writing giving details of the process, its hazards and the steps taken or proposed to be taken from the design stage to disposal stage for ensuring the safety as in sub-para (1) above should be sent to the Chief Inspector cum facilitator and the Industrial Hygiene laboratory of State Government at the earliest, but in no case less than 15 days before commencing manufacture, handling, or storage of any of item covered under Appendix 'A', whether on experimental basis, or as pilot plant or as trial production, or as large scale manufacture.

(3) The design, construction installation, operation, maintenance and disposal of the buildings, plant and facilities shall take into consideration effective safeguards against all the safety and health hazards so evaluated.

(4) The requirements under the sub-para (1) to (3) shall not act in lieu of or in derogation to, any other provisions contained in any Act governing the work.

6. Authorised entry. - Authorised persons only shall be permitted to enter any section of the factory or plant where any dangerous operations or processes are

being carried on or where dangerous chemical reactions are taking place or where hazardous chemicals are stored.

7. Examination of instruments and safety devices. - (1) All instruments and safety devices used in the process shall be tested before taking into use and after carrying out any repair to them examined once in a month by a competent person. Records of such tests and examinations shall be maintained in a register.

(2) All instruments and safety devices used in the process shall be operated daily or as often as it is necessary, to ensure its effective and efficient working at all times.

8. Electrical installations. - All electrical installations used in the process covered in Appendix 'A' shall be of an appropriate type to ensure safety against the hazard prevalent in that area such as suitability against dust, dampness, corossion, flammability and explosivity etc. and shall confirm to the relevant ISI specifications governing their construction and use for that area.

9. Handling and storage of chemicals. - (1) The containers for handling and storage of chemicals shall be adequate strength taking into consideration the hazardous nature of the contents. They shall also be provided with adequate labelling and colour coding arrangements to enable identification of the containers and their contents indicating to the respective ISI standards. The instructions given in the label shall be strictly adhered to. Damaged containers shall be handled only under supervision of acknowledgeable

and responsible person and spillage shall be rendered innocuous in safe manner using appropriate means.

(2) The arrangements for the storage of chemicals including charging of chemicals in reactions vessels and containers shall be such as to prevent any risk of fire or explosion or formation of toxic concentration of substances above the limits specific in Rule.

(3) Without prejudice to the generality of the requirements in sub-para (2) above, the arrangements shall have suitable ventilation facilities and shall

enable the maintenance of safe levels in vessels and containers. Such arrangements shall also be taken into consideration, the type of flooring and the capacity of flooring and the compatibility requirements of substances with other chemicals stored nearby.

(4) (a) Storage of chemicals and intermediate product which are highly unstable or reactive or explosive shall be limited to the quantities required for two months use.

(b) Where the quantities laid down in the above clause (a) are to be exceeded, the permission of the Chief Inspector cum facilitator shall be obtained.

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) above, the Chief Inspector cum facilitator may direct any factory carrying out processes covered in Appendix 'A' to further limit the storage of hazardous substances to quantities less than two months on consideration of safety.

(5) Standby arrangements equal to the biggest container shall always be available to transfer the toxic substances quickly into the stand by storage facility if any defect develops in any of the container resulting in the release of toxic substances.

(6) Any storage facility constructed using non-metallic material such as Fibre glass Reinforced Plastics (FRP) all glass vessels etc., shall have adequate strength to withstand and stress, if any, exerted by the contents and shall be properly anchored, working platforms, access ladders, pipe-lines etc. used in such storage facility shall not have any support on the structure of the storage facility and shall be independently supported.

10. Facility for isolation. - The plant and equipment shall be so constructed and maintained as to enable quick isolation of plant or part of plant or equipment, with appropriate indication. One copy of the layout plan indicating the isolation facilities shall always be available with the security personnel, the maintenance and the health and safety personnel and these isolating facilities shall be checked for its effectiveness once in a month.

11. Personal protective equipment. - (1) All workers exposed to the hazards in the processes covered by this Schedule shall be provided with appropriate and approved type of personal protective equipment. Such equipment shall be in a clean, and hygienic condition before issue.

(2) The occupier shall arrange to inform, educate and supervise all the workers in the use of personal protective equipment while carrying out the job.

(3) As regards any doubt regarding the appropriateness of any personal protective equipment, the decision of the Chief Inspector cum facilitator will be final.

12. Alarm systems. - (1) Suitable and effective alarm systems giving audible and visible indications, shall be installed at the control room as well as in all strategic locations where process control arrangements are available so as to enable corrective action to be taken before the operational parameters exceed the predetermined safe levels or lead to conditions conductive for an outbreak of fire or explosion to occur. Such alarm systems shall be checked daily and tested every month at least once to ensure its performance efficiency at all times.

(2) The Chief Inspector cum facilitator may direct such system to be installed in case of plants or processes where toxic materials are being used and spillage or leakage of which may cause wide spread poisoning in or around the plant.

13. Control of escape of substances into the work atmosphere. - (1) Effective arrangements such as, enclosure, or by pass, or efficient exhaust draught, maintenance of negative pressure etc., shall be provided in all plants, containers, vessels, sewers, drains, flues, ducts, culverts, and spread of substances which are likely to give rise to fire or explosion or toxic hazards during normal working and in the event of accident or emergency.

(2) In the event of the failure of the arrangements for control resulting in the escape of substances in the work atmosphere immediate steps shall be taken to control the process in such a manner, that further escape is brought down to the safe level.

(3) The substances that would have escaped into the work atmosphere before taking immediate steps as required in sub-para (2), shall be rendered innocuous by diluting with air or water or any other suitable agent or by suitable treating the substances.

14. Control of dangerous chemical reactions. - Suitable provisions, such as automatic and/or remote control arrangement shall be made for controlling the effects of dangerous chemical reactions. In the event of failure of control arrangement shall come into operation.

15. Testing, examination and repair of plant and equipments. - (1) All parts of plant, equipment and machinery used in the process which in the likely event of their failure may give rise to an emergent situation shall be tested by a competent person before commencing process and retested at an interval of two years or after carrying out repairs to it. The competent person shall identify the parts of the plant, equipment and machinery required to be tested as aforesaid and evolve a suitable testing procedures. In carrying out the test as mentioned above in respect of pressure vessels or reaction vessels the following precautions shall be observed, namely :-

(a) before the test is carried out, each vessel shall be thoroughly cleaned and examined externally, and as far as practicable, internally also for surface defects, corrossion and foreign matter. During the process of cleaning and removal of sludge, if any, all due precautions shall be taken against fire or explosion, if such sludge is of pyropheric nature or contains spontaneously combustible chemicals;

(b) as soon as the test is completed, the vessel shall be thoroughly dried internally and shall be clearly stamped with the marks and figures indicting the person by whom testing has been done and the date of test; and

(c) any vessel which fails to pass the test of which for any other reason is found to be unsafe for use shall be destroyed or rendered unusable under intimation to the Chief Inspector cum facilitator .

(2) All parts of plant, equipment, machinery which in the likely event of failure may give rise to an emergent situation shall be examined once in a month by the competent person.

(3) Records of testing and examination referred to in paragraphs (1) and (2) shall be maintained as long as that part of the plant, equipment and machinery are in use.

(4) All repair work including alteration, modification and addition to be carried out to the plant, equipment and machinery shall be done under the supervision of a responsible person who shall evolve a procedure to ensure safety and health of person doing the work. When repairs or modification is done on pipelines, and joints are required to be welded but welding of joints are required to be welded, the responsible person shall regulate the aforesaid work through a 'permit to work system'.

16. Staging. - (1) All staging that is erected for the purpose of maintenance work or repair work or for work connected with entry into confined spaces and used in the processes included in Appendix 'A' shall be stable, rigid and constructed out of substantial material of adequate strength. Such staging shall confirm to the respective Indian Standard specifications.

(2) Staging shall not be erected over any closed or open vessel unless the vessel is so constructed and ventilated to prevent exposure or persons working on the stages.

(3) All the staging constructed for the purpose of this work shall have appropriate access which are safe and shall be fitted with proper hand rails to a height of one metre and toe-board.

17. Seating arrangements. - The seating arrangements provided for the operating personnel working in processes covered in Appendix 'A' shall be located in a safe manner as to prevent the risk of exposure to toxic, flammable and explosive substances evolved in the work environment in the course of manufacture or repair of maintenance, either due to failure of plant and

equipment or due to the substances which are under pressure, escaping into the atmosphere.

18. Entry into or work in confined spaces. - (1) The occupier of every factory to which the provisions of this schedule apply, shall ensure the observance of the following precautions before permitting any person to enter or work inside the confined spaces :-

(a) identify all confined spaces and the nature of hazards that are encountered in such spaces, normally, or abnormally, and arrange to develop the most appropriate safeguards for ensuring the safety and health of persons entering into or working inside, the confined spaces;

(b) regulate the entry or work inside the confined spaces through a 'permit to work system' which should include the safeguards so developed as required under sub-clause (a) above;

(c) before testing the confined space for entry into or work, the place shall be rendered safer by washing or cleaning with neutralizing agents or purging with steam or inert gases and making adequate forced ventilation arrangements or such measure which will render the confined space safe;

(d) shall arrange to carry out such tests as are necessary for the purposes by a competent person and ensure that the confined space is safe for the person to enter or work. Such testing shall be carried out as often as is necessary during the course of work to ensure its continued safety;

(e) shall arrange to educate and train the personnel who would be required to work in confined spaces about the hazards involved in the work. He shall also keep in readiness the appropriate and approved personal protective equipment including arrangements for rescue, resuscitation and first aid, and shall arrange supervision of the work at all times by a responsible and knowledgeable person.

(2) The manager shall maintain a log of all entry into a work-in, confined spaces and such record shall contain the details of persons assigned for the work, the location of the work and such other details that would have a bearing on the

safety and health of the persons assigned for this work. The log book so maintained shall be retained as long as the concerned workers are in service and produced to the Inspector cum facilitator when demanded.

19. Maintenance work etc. - (1) All the work connected with the maintenance of plants and equipment including cleaning of empty containers which have held hazardous substances used in the processes covered in this Schedule, shall be carried out under 'permit to work system' employment trained personnel and under the supervision of responsible person having knowledge of the hazards and precautions required to deal with them.

(2) Maintenance work shall be carried out in such a manner that there is no risk to persons in the vicinity or to persons who pass by. If necessary, the place of such work shall be condoned off or the presence of unconnected persons effectively controlled.

20. Permit to work system. - The permit to work system shall *inter alia* include the observance of the following precautions while carrying out an specified work to be subjected to the permit to work system :-

(a) all work subject to the permit to work system shall be carried out under the supervision of a knowledgeable and responsible person;

(b) all sorts of plant or machinery or equipment on which permit to work system is carried out, shall remain isolated from other parts throughout the period of permit to work and the place of work including the parts of plant, machinery shall be rendered safe by cleaning, purging, washing, etc.;

(c) all work subject to the permit to work system shall have predetermined work procedures which integrate safety with the work. Such procedures shall be reviewed whenever any change occurs in material or equipment so that continued safe/safety isensured;

(d) persons who are assigned to carry out the permit to work system shall be physically fit in all respects taking into consideration the demands and nature, of the work before entering into the confined space. Such person shall be

adequately informed about the correct work procedures as well as the precautions to be observed while carrying out the permit to work system;

(e) adequate rescue arrangements wherever considered necessary and adequate first aid, rescue and resuscitation arrangements shall be available in good working condition near the place of work while carrying out the permit to work system, for use in emergency;

(f) appropriate and approval personal protective equipment shall be used carrying out the 'permit to work system';

(g) after completion of work subject to the 'permit to work system' the person responsible shall remove all the equipment and tools and restore to the original condition so as to prevent any danger while carrying out regular process.

21. Safety sampling personnel. - The occupier shall ensure the safety for persons assigned for collecting sample by instructing them on the safe procedure. Such personnel shall be provided with proper and approval personnel protection equipment, if required.

22. Ventilation. - Adequate ventilation arrangements shall be provided and maintained at all times in the process area where dangerous or toxic or flammable or explosive substances could be evolved. These arrangements shall ensure that concentrations, which are either harmful could result in explosion, are not permitted to be build up in the work environment.

23. Procedures for meeting emergencies. - (1) The occupier of every factory carrying out the works covered in Appendix 'A', shall arrange to identify all types of possible emergencies that could occur in the processes during the course of work or while carrying out maintenance work or repair work. The emergencies so identified shall be reviewed every year.

(2) The occupier shall formulate a detailed plant to meet all such identified emergencies including arrangements for summoning outside help for rescue and firefighting and arrangements for making available urgent medical facilities.

(3) The occupier shall send the list of emergencies and the details of procedures and plans formulated to meet the emergencies, to the Chief Inspector cum facilitator

(4) The occupier shall arrange to install distinctive and recognizable warning arrangements to caution all persons inside plant as well as the neighboring community, if necessary, to enable evacuation of persons and to enable the observance of emergency procedures by the persons who are assigned emergency duties. All concerned must be well informed about the warning arrangements and their meaning. The arrangements must be checked for its effectiveness every month.

(5) Alternate power supply arrangements shall be made and interlocked with the normal power supply system so as to ensure constant supply of power to the facilities and equipment meant for compliance with requirements of paragraphs 10, 11, 12, 13,14, 18, 22 and this paragraph of Part II, Part III, Part IV and Part V of this Schedule.

(6) The occupier shall arrange to suspend the further process work in a place where emergency is established and shall forthwith evacuate all persons in that area except workers who have been assigned emergency duties.

(7) All the employees of the factory shall be trained about the action to be taken by them including evacuation procedures during emergencies.

(8) All emergency procedures must be rehearsed every three months and deficiencies, if any, in the achievement of the objectives shall suitably be corrected.

(9) The occupier shall arrange to have ten per cent of the workers trained in the use of first aid fire fighting appliances and in rendering of specific first aid measure taking into consideration the special hazards of the particular process.

(10) The occupier shall furnish immediately on request the specific chemical identity of the hazardous substance to the treating physician when the

information is needed to administer proper emergency or first-aid treatment to exposed.

24. Danger due to effluents. - (1) Adequate precautions shall be taken to prevent the mixing of effluents from different processes and operations which may cause dangerous or poisonous gases to be evolved.

(2) Effluents which contain or give rise in the presence of other effluents to poisonous gases shall be provided with independent drainage system to ensure that they may be trapped and rendered safe.

Part III-Fire and Explosions Risks

1. Sources of ignition including lighting installation. - (1) No internal combustion engine and no electric motor or other electrical equipment, and fittings and fixtures capable of generating sparks of otherwise causing combustion or any other source of ignition or any naked light shall be installed or permitted to be used in the process area where there could be fire and explosion hazards.

(2) All hot exhaust pipe shall be installed outside a building and other hot pipes or hot surface or surfaces likely to become hot shall be suitably protected.

(3) The classification of work areas in terms of its hazard potential and the selection of electrical equipment or other equipment that could constitute a source of ignition shall be in accordance with the respective Indian Standard.

(4) Where a flammable atmosphere may be prevalent or could occur, the soles of footwear worn by workers shall have no metal on them, and the wheels of trucks or conveyors shall be conductive type.

(5) All tools and appliances used for work in this area shall be of non-sparking type.

(6) Smoking in process areas where there are risks of fire and explosion shall be prohibited and warning notices in the language understood by majority of workers shall be posted in the factory prohibiting smoking into specified areas.

2. Static electricity. - (1) All machinery and plant, particularly, pipe lines and belt drives, on which static charge is likely to accumulate, shall be effectively earthed. Receptacles for flammable liquids shall have metallic connections to the earthed supply tanks to prevent static sparking. Where necessary, humidity shall be regulated.

(2) Mobile tanker wagons shall be earthed during filling and discharge, and precautions shall be taken to ensure that earthling is effective before such filling or discharge takes place.

3. Lightening protection. - Lightening protection arrangement shall be fitted where necessary, and shall be maintained.

4. Process heating. - The method of providing heat for a process likely to result in fire and explosion shall he as safe as possible and where the use of naked flame is necessary, the plant shall be so constructed as to prevent any escaping flammable gas, vapor or dust coming into contact with the flame, or exhaust gases, or other sources likely to cause ignition. Wherever possible the heating arrangement shall be automatically controlled at a predetermined temperature below the danger temperature.

5. Leakage of flammable liquids. - (1) Provision shall be made to confine by means of bund walls, dykes, sumps etc. possible leakages from storage vessels containing flammable liquids.

(2) Waste material in contact with flammable substances shall be disposed off suitably under the supervision of knowledgeable and responsible person.

(3) Adequate and suitable fire-fighting appliances shall be installed in the vicinity of such vessels.

6. Safety valves. - Every still and every closed vessel in which gas is evolved or into which gas is passed, and in which the pressure is liable to rise above the atmospheric pressure, shall have attached to it a pressure gauge, and a proper safety valve or other equally efficient means to relieve the pressure. These appliances shall be maintained in good condition.

7. Installation of pipe line etc. - All pipe lines carrying flammable or explosive substances shall be protected from mechanical damage and shall be examined by a responsible person once in a week to detect any deterioration or defects, or accumulation or flammable or explosive substances, and record kept of any defects found and repairs made.

8. Fire fighting systems. - (1) Every factory employing 500 or more persons andcarrying out processes listed in Appendix 'A' shall provide:-

(a) Trained and responsible fire fighting squad so as to effectively handle the firefighting and life saving equipment in the event of fire or other emergency. Number of persons in this squad will necessarily depend upon the size or risk involved, but in no case shall be less than 8 such trained persons to be available at any time. The squad shall consist of watch and ward personnel, fire pump man and departmental supervisors and operators trained in the operation of fire and emergency services.

(b) Squad leaders shall preferably be trained in a recognized government institution and their usefulness enhanced by providing residence on the premises.

(c) Squad personnel shall be provided with clothing and equipment including helmets, boots and belts.

(2) A muster roll showing the duties allocated to each member of the squad shall be prepared and copies supplied to each leader as well as displayed in prominent places so as to be easily available for reference in case of emergency.

(3) The pump man shall be thoroughly conversant with the location of all appliances. He shall be responsible for maintaining all fire fighting equipment in proper working order. Any defect coming to his notice shall be immediately be brought to the notice ofsquad leader.

(4) As far as is practicable, the fire pump room and the main gate(s) of the factory be connected to all manufacturing or storing areas through telephone interlinked and placed in a convenient location near such areas.

Part IV-Risk of Toxic Substances

1. Leakage. - (1) All plants shall be so designed and constructed as to prevent the escape of toxic substances. Where necessary, separate buildings, rooms, or protective structures shall be used for the dangerous stages of the process and the buildings shall be so designed as to localise any escape of toxic substances.

(2) Catch pits, bund walls, dykes, or other suitable safeguards shall be provided to restrict the serious effects of such leakages. Catch pits shall be placed below joints in pipelines where there is danger involved to maintenance and other workers from such leakage.

2. Drainage. - Adequate drainage shall be provided and shall lead to collection tanks specifically provided for this purpose wherein deleterious material shall be neutralized treated or otherwise rendered safe before it is discharged into public drains or sewers.

3. Covering of vessels. - (1) Every fixed vessel or structure containing any toxic substance and not so covered as to eliminate all reasonable risk of accidental contract of any portion of the body of a worker, shall be so constructed as to avoid physical contact.

(2) Such vessel shall, unless its edge is at least 90 centimeters above the adjoining ground or platform, be securely fenced to a height of at least 90 centimeters above such adjoining ground or platform.

(3) Where such vessels adjoin and the space between them, clear of any surrounding brick or other work is either less than 45 centimeters in width or is 45 or more centimeters in width, but is not securely fenced on both sides to a height of at least 90 centimeters, secure barriers shall be so placed as to prevent passage between them :

Provided that sub-paragraph (2) of this paragraph shall not apply to-

(a) Saturators used in the manufacture of sulphate of ammonia; and

(b) that part of the sides of brine evaporating pans which require raking, drawing or filling.

4. Continuous exhaust arrangement. - (1) Any process evolving toxic vapour, gas, fume and substance shall have efficient continuous exhaust draught. Such arrangement shall be interlocked in the process control wherever possible.

(2) In the event of failure of continuous exhaust arrangement means shall be provided to automatically stop the process.

5. Work bench. - All the work benches used in processes involving the manipulation of toxic substances, shall be graded properly and shall be made of smooth impervious surface which shall be washed daily after the completion of work.

6. Waste disposal. - (1) There shall be provided a suitable receptacle made of non-absorbable material with a tightly fitting cover for depositing waste material soiled with toxic substances, and the contents or such receptacle shall he destroyed by burning of using other suitable methods under the supervision of a responsible person.

(2) During the course of manufacture, whenever any batch or intermediate products having toxicity is rejected on consideration of quality, sufficient precautions shall be taken to render them innocuous or otherwise treat them or inactive them, before disposal.

(3) The empty containers of toxic substances shall be cleaned thoroughly before disposal under the supervision a responsible person.

Part V-Special Provisions

1. Special precautions for Nitro or Amino Processes. - (1) Unless the crystallized nitro or amino substances or any of its liquor is broken or agitated in a completely enclosed process so as not to give rise to dust or fume, such process shall be carried on under an efficient exhaust drought or by adopting any other suitable means in sucha manner as to prevent the escape of dust or fume in the working atmosphere.

(2) No part of the plant or equipment or implements which was in contact with nitro or amino compounds shall be repaired, or handled unless they have been emptied and thoroughly cleaned and decontaminated.

(3) Filling of containers with nitro or amino compounds shall be done only by using a suitable scoop to avoid physical contact and the drying of the containers in the stove shall be done in such a manner that the hot and contaminated air from the stove is not drawn into the work-room.

(4) Processes involving the steaming into or around any vessel containing nitro or amino compounds or its raw materials shall be carried out in such a manner that the steam or vapor is effectively prevented to be blown back into the working atmosphere.

(5) Suitable antidotes such as methylene blue injections shall always be available at designated places of work for use during emergency involving the poisoning with nitro or amino compounds.

2. Special precautions for 'chrome processes'. - (1) Grinding and sieving of raw materials in chrome processes shall be carried on in such a manner and under such condition as to secure effective separation from any other processes and under an efficient exhaust draught.

(2) There shall be washing facilities located very near to places where wet chrome processes such as leaching, acidification, sulphate settling evaporation, crystallisation, centrifugation or packing are carried out, to enable quick washing of affected parts of body with running water.

(3) Weekly inspection of hand and feet of all persons employed in chrome process shall be done by a qualified nurse and record of such inspections shall be maintained in a form approved by the Chief Inspector cum facilitator .

(4) There shall be always available at designated places of work suitable ointment such as glycerine, vaceline, etc. and water proof plaster in a separate box readily accessible to the workers so as to protect against perforation of nasal septum.

3. Special precautions for processes carried out in all glass vessels. - (1)Processes and chemical reactions such as manufacture of vinyl chloride, benzyl chloride etc. which are required to be carried out in all glass vessels shall have suitable means like substantial wiremesh covering to protect persons working nearby in the event of breakage of glass vessel.

(2) The personal protective equipment like overall, etc. provided for the chlorate workers shall not be taken from the place of work and they shall be thoroughly cleaned daily.

(3) Adequate quantity of water shall be available near the place of chlorate process for use during fire emergency.

(4) Wooden vessel shall not be used for the crystalisation of chlorate or to contain crystalised ground chlorate.

(5) Special precautions in the use of plant and equipment made from reinforced plastics-

(1) All plants and equipments shall conform to appropriate Indian or any other National Standard.

(2) Care shall be taken during storage, transport, handling and installation of plant and equipments to avoid accidental damage.

(3) All plants and equipments shall be installed in such a way as to ensure that loads are distributed as intended in design or as per the recommendation of the manufacturers.

(4) All pipe work shall be supported so that total loads local to the branches on the vessel or tank do not exceed their design values.

(5) After erection all plants and equipments shall be subjected to a pressure test followed by a thorough examination by a competent person. The test and examination shall be as per relevant standard. A certificate of test and examination by competent person shall he obtained and kept available at site.

(6) All plants and equipments shall be subjected to periodical test and examination and record maintained as per paragraph 15 in Part II of this Schedule.

(7) Plant and equipments during their use shall not be subjected to over filling or overloading beyond rated capacity.

Part VI-Medical Requirements

1. Decontamination facilities. - In all places where toxic substances are used in processes listed in Appendix 'A' the following provisions shall be made to meet an emergency :-

(a) fully equipped first aid box;

(b) readily accessible means of drenching with water persons, parts of body of persons, and clothing of persons who have been contaminated with such toxic and corrosive substances and such means shall be as shown in the table below :-

Table

No. of persons employed at any time	No. of means of drenching with water
Upto 50 persons	2
Between 51 to 100	3
Between 101 to 200	3+1 per 50 person above 100 person
every 50 persons thereafter Between 201 to 400	5 + 1 per 100 person above 200 person
Between 401 and above	7 + 1 per 200 person above 400 person

(c) a sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently situated and clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.

2. (1) For factories employing upto 50 workers. - (a) The services of a qualified medical practitioner hereinafter known as Medical Officer/practitioner

, available on a retainership basis, in his notified clinic near factory for seeking medical help during emergency. He will also carry out the pre-employment and periodical medical examinations as stipulated in paragraph 4 of this Part.

(b) A minimum of five persons trained in first aid procedures, amongst whom at least one shall always be available during the working period.

(c) A fully equipped first aid box.

(2) For factories employing 51 to 200 workers. - (a) The occupational health centre shall have a room having a minimum floors area of 15 sq. mtr, with floor and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(b) A part time Factory Medical Officer will be in over all charge of the Centre who shall visit the factory minimum twice in a week and whose services shall be readily available during emergencies.

(c) There shall be one qualified and trained dresser-cum-compounder on duty throughout the working period.

(d) A fully equipped first aid box.

(3) For factories employing above 200 workers. - (a) There shall be one full time Medical Officer/practitioner for factories employing up to 500 workers and one more medical officer for every 1000 workers or part thereof.

(b) The occupational health centre in this case shall have a minimum of 2 rooms each having a minimum floor area of 15 sq. m. with floors and walls made of smooth, hard and impervious surface and shall be adequately illuminated, ventilated and equipped.

(c) There shall be one trained nurse, one dresser-cum-compounder and one sweeper-cum-ward boy throughout the working period.

(d) The Occupational Health Centre in this case shall be suitably equipped to manage medical emergencies.

3. Ambulance van. - (1) In every factory carrying out processes covered in Appendix'A' there shall be provided and maintained in good condition a suitably

constructed and fully equipped ambulance van as per Appendix 'C' manned by a full-time driver-cum-mechanic and helper trained in the first aid for the purposes of transportation of serious cases of accidents or sickness unless arrangements for procuring such facility at short notice during emergencies have been made with the nearby hospital or other places. The ambulance van shall not be used for any purpose other than the purpose stipulated herein and will always be available near the Occupational Health Centre.

(2) The relaxation to procure Ambulance Van from nearby places provided for in sub-para (1) above will not be applicable to factories employing more than 500 workers.

4. **Medical examination .**(1) Workers employed in processes covered in Appendix 'A' shall be medically examined by a Factory Medical Officer in the following manner:-

(a) once before employment, to ascertain physical suitability of the person to do the particular job;

(b) once in a period of 6 months, to ascertain the health status of the worker; and

(c) the details of pre-employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the prescribed form.

(2) Any finding of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall immediately be reported to the Inspector cum facilitator who shall in turn, examine the concerned workers and communicate his findings within 30 days. If the Medical officer is of the opinion that the person so examined is required to be suspended from the process for health protection he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the Medical officer in which case the person affected shall be suitably rehabilitated:

Provided that the Medical officer on his own may examine any other worker whom he feels necessary to be examined for ascertaining the suitability of his employment in the process covered in Appendix 'A' or for ascertaining the health status of any other worker and his opinion shall be final.

(3) No person shall be newly appointed without the Certificate of Fitness granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person, unfit for being appointed to work in the process covered in Appendix 'A', such person shall have a right of appeal to the medical officer/civil surgeon , whose opinion shall be final in this regard.

(4) The worker suspended from the process owing to the circumstances covered in sub-para (2) shall be employed again is the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the medical officer and after making entries to that effect in the health register.

(5) Every worker employed in the processes of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person in unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations form 28 and 29, shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Part VII-Additional Welfare Amenities

1. Washing facilities. - (1) There shall be provided and maintained in every factoryfor the use of all the workers taps for washing, at the rate of one tap for every 15 persons including liquid soap in a container with tilting arrangement and nail brushes or other suitable means for effective cleaning. Such facilities shall be conveniently accessible and shall be kept in clean and hygienic condition.

(2) If washing facilities as required above are provided for women, such facilities shall be separate for them and adequate privacy at all times shall be ensured in such facilities.

2. Mess room facilities. - (1) The occupier of all the factories carrying out processes covered in Appendix 'A' and employing 50 workers or more, shall provide for all the workers working in a shift mess room facilities which are well ventilated and provided with tables and sitting facilities along with the provisions of cold and hygienic drinking water facilities.

(2) Such facilities include suitable arrangement for cleaning and washing and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

3. Cloak room facilities. - (1) The occupier of every factory carrying out any process covered in Appendix 'A' shall provide for all the workers employed in the process cloak room facilities with lockers. Each worker shall be provided with two lockers, one for work clothing and another separately for personal clothing and the lockers should be such as to enable the keeping of the clothing in a hanging position.

(2) The cloak room facilities so provided in pursuance of sub-para (1) shall be located as far as possible near to the facilities provided for washing in pursuance of para 1 (1).If it is not possible to locate the washing facilities the cloak room

facilities shall have adequate and suitable arrangements for cleaning and washing.

4. Special bathing facilities. - (1) The occupier of any factory carrying out the process covered under Appendix 'B' shall be provided special bathing facilities for all the workers employed and such facilities shall be provided at the rate of 1 for 25workers and part thereof, and shall be maintained in a clean and hygienic condition.

(2) The occupier shall insist all the workers employed in the processes covered in Appendix 'B' to take bath after the completion of the day's or shift work using the bathing facilities so provided and shall also effectively prevent such if those workers taking bath in any place other than the bathing facilities.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-para (1) above, the Chief Inspector cum facilitator may require in writing the occupier of any factory carrying out any other process for which in his opinion bathing facilities are essential from the health point of view, to provide special bathing facilities.

Part VIII

1. Duties of workers. - (1) Every worker employed in the processes covered inAppendix 'A' and Appendix 'B' not make any safety device or appliance or any guarding or fencing arrangement, in operative or defective and shall report the defective condition of the aforesaid arrangement as soon as he is aware of any such defect.

(2) Before commencing any work, all workers employed in processes covered in Appendix 'A' shall check their work place as well as the machinery, equipment or appliance used in the processes and report any mal-function or defect immediately to the supervisor or any responsible person of the management.

(3) All workers shall co-operate in all respects with the management while carrying out any work or any emergency duty assigned to them in pursuance of

this schedule and shall always use all the personal protective equipments issued to them in a careful manner.

(4) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' or Appendix 'B'shall not smoke in the process area or storage area. If special facilities are provided by the management only such facilities should be used.

(5) All workers employed in the processes covered in Appendix 'A' shall not remain in unauthorized place or carry out unauthorized work or improvise any arrangement or adopt short cut method or misuse any of the facilities provided in pursuance of the Schedule, in such a manner as to cause risk to themselves as well as or to others employed.

(6) The workers shall not refuse undergoing medical examination as required under these rules.

Part IX

Restriction on the employment of adolscents under 18 years of age and pregnant women and lactating mothers.

(1) The Chief Inspector cum facilitator of factories may by an order in writing, restrict or prohibit the employment of pregnant women and lactating mothers and adolscents under the age of 18, in any of the processes covered in Appendix 'A' of the Schedule on consideration of health and safety of women and adolescents.

(2) Such persons who are restricted or prohibited from working in the process due to the order issued in pursuance of sub-para (1) above shall be provided with alternate work which is not detrimental to their health or safety.

Part X-Exemptions

1. Power of exemption. - The State Government or subject to the control of the State Government, the Chief Inspector cum facilitator may exempt from the compliance with any of the requirements of this Schedule partly or fully, any

factory carrying out processes covered in Appendix 'A' if it is clearly and satisfactorily established by the occupier that the compliance with any of the requirement is not necessary to ensure the safety and health of persons employed as suitable and effective alternate arrangements are available to any of the requirements covered in this schedule.

Appendix 'A'

Any works or that part of works in which - (a) The manufacture, manipulation or recovery of any of the following is carried on :-

(i) sodium, potassium, iron, aluminium, cobalt, nickel, copper, arsenic, antimony, chromium, zinc, selenium, magnesium, cadmium, mercury, beryllium and the irorganic and inorganic salts, alloys, oxides and hydroxides;

(ii) ammonia, ammonium hydroxide and salts of ammonium;

(iii) the organic or inorganic compounds or sulphurous, sulphuric, nitric, nitrous, hydrochloric, hydroflouric, hydroiodic, hydrosulphuric, hydrobromil boric;

(iv) cyanogen compounds, cyanide compounds, cyanate compounds;

(v) phosphorous and its compounds other than organo-phosphorous insecticides;

(vi) chlorine.

(b) hydrogen sulphide is evolved by the decomposition or metallic sulphides, orhydrogen sulphide is used in the production of such sulphides;

(c) bleaching powder is manufactured or chlorine gas is produced in chloralkali plants;

(d) (i) gas tar or coal tar or bitumen or shale oil asphalt of any residue of such tar is distilled or is used in any process of chemical manufacture;

(ii) tar based synthetic colouring matters or their intermediates are produced;

(e) nitric acid is used in the manufacture of nitro compounds;

(f) explosives are produced with the use of nitro compounds;

(g) aliphatic or aromatic compounds or their metallic and non-metallic derivatives or substituted derivatives, such as chloroform, ethylene glycol, formaldehyde, benzylechloride, phenol, methyl ethyl ketone peroxide, cobalt, carbonyl, tungsten carbide etc. are manufactured or recovered.

Appendix 'B'

Concerning Special Bathing Accommodation in pursuance of para 4 of Part IV-

(1) Nitro or amino processes.

(2) All chrome processes.

(3) Processes of distilling gas or coal tar or processes of chemical manufacture in which tar is used.

(4) Processes involving manufacture, manipulation, handling or recovery of cyanogens compound, cyanide compound, cyanate compounds.

(5) Processes involving manufacture of bleaching powder or production of chlorine gas in chloralkali plants.

(6) Manufacture, manipulation or recovery of nickel and its compounds.

(7) All processes involving the manufacture, manipulation or recovery of aliphatic or aromatic compounds or their derivatives or substituted derivatives.

Appendix 'C'

Ambulance :

Ambulance should have the following equipments :-

General :

An wheeled stretcher with folding and adjusting devices;

Head of the stretcher must be capable of being titled upward;

Fixed oxygen supply with equipments Fixed oxygen supply with equipments;

Pillow with cases;

Sheets;

Blankets;

Towels;

Emosis bag;

Bed pan;

Urinal;

Glass.

Safety equipment :

Flares with life of 30 minutes;

Flood lights;

Flash lights;

Fire extinguisher dry powder type;

Insulated guantlets.

Emergency care equipments :

Resuscitation :

Portable suction unit;

Portable oxygen unit;

Bag-valve-mask, hand operated artificial ventilation unit;

Airways;

Mouth gage;

Tracheostomy adaptors;

Short spine board;

I.V. Fluids with administration unit;

B.P. manometer;

Cugg;

Stetheoscope.

Immobilization :

Long and short padded boards;

Wire ladder splints;

Triangular bandage;

Long and short spine board.

Dressings :

Gauze pads 4" + 4";

Universal dressing 10" X 36";

Roll of aluminium foils;

Soft roller bandages 6" x 5 yards;

Adhesive tape in 3" roll;

Safety pins;

Bandage sheets;

Bandage sheet;

Poisoning :

Syrup of Ipecac;

Activated charcoal; Pre packeted in doses

Snake bite left;

Drinking water.

Emergency Medicines :

As per requirement (under the advice of Medical Officer only)

Sub-Schedule-12

Manufacture of Pottery

1. Definitions. - (a) "Pottery" includes, earthenware, stoneware,, porcelain, china,tiles and any other articles made from clay or from mixture containing clay and other materials such as quartz, flint feldspars and gypsum.

(b) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation effected by mechanical or other means for the removal of dust or fume so as to prevent it from escaping into the air of any place in which work in carried on. No draught shall be deemed efficient which fails to remove effectively dust or fume generated at the point where dust orfume originates.

(c) "Fettling" includes scalloping towing, sand papering, and sticking, brushing or any other process of cleaning of pottery where in which dust is given off.

(d) "Leadless glaze" means a glaze which does not contain more than one percent ofits dry weight of a lead compound calculated as lead monoxide.

(e) "Low solubility glaze" means a glaze which does not yield to dilute hydrochloric acid more than five percent of its dry weight of a soluble lead compound calculated as lead monoxide when determined in the manner described below :-

A weighed quantity of the material which has been dried at 100°C and thoroughly mixed shall be continuously shaken for one hour, at the common temperature with1000 times of weight of an aqueous solution of hydrochloric acid containing 0.25 percent by weight of hydrogen chloride. This solution shall thereafter be allowed to stand for one hour and then filtered. The lead salt contained in the clear filtrate shall then be precipitated as lead sulphide and weighted as lead sulphate.

(f) Ground or ordered faint or quartz does not include natural sands.

(g) "Potter's shop" includes all places where pottery is formed by pressing or by any other process and all places where shaping, fettling or other treatment of pottery articles prior to placing or the biscuit fire is carried on.

2. Efficient exhaust draught. - The following processes shall not be carried onwithout the use of an efficient exhaust draught-

Operations	Locations
(i)All processes involving the manipulation or use of dry and unfitted Lead compound.	Preparing mix for frit.
(ii)The fettling operations of any kind, whether on green ware or Biscuit, provided that this shall not apply to the wet fettling, and to the occasional finishing of pottery articles without the aid of mechanical power.	Finishing on wheels (of fettling machine) Hand finishing, Blowing of dust, before glazing pipe, turning and polishing. Finishing of Biscuits. Rubbing before glazing.

(iii)The shifting of clay dust or any other material for making tiles or other articles by pressure, except where:- (a) This is done in a machine so enclosed as to effectually prevent the escape of dust, or (b) The material to be shifted is so damp that no dust can be given off.	Making body for Toggle press and Tile press.
(iv)The pressing of tiles from clay dust, an exhaust opening being connected with each press, this clause shall also apply to the pressing from clay dust of articles other than tiles, unless the material is so damp that no dust is given off.	Tiles press, Toggle press or Dye-press.
(v) The fettling of tiles made from clay dust by pressure, except where the fettling is done wholly on or with damp material, this clause shall also apply to the fettling of other articles made from clay dust, unless the material is so damp that no dust is given off.	Hand finishing.
(vi) The process of loading and unloading of saggers where handling and manipulation of ground and powdered flint, quartz, alumina, or other materials are involved.	Loading of saggers, doubling unloading of saggers.
(vii)The brushing of earthenware biscuits, unless the process is carried on in a room provided with efficient general mechanical ventilation or other ventilation which is certified by the Inspector cum facilitator as	Hand Finishing of Biscuits.

adequate having regard to all the circumstances of the case.	
(viii)Felling of Biscuits were, which hasbeen fired in powdered flint or quartz except where this is done in machines so enclosed as to effectually prevent the escape of dust.	Finishing Biscuits.
(ix)Ware cleaning after the application of glaze by dipping or other process.	Glazing & Dusting
(x) Crushing and dry grinding of materials for potter bodies, and saggers, unless carried on in machines, so enclosedas to effectually prevent the escape of dust or is so damp that no dust can be given off.	Low crushing of quartz, feldspars etc. Edge runner of pebble mill grinding. Grinding for tile body. Grog disintegrator.
(xi) Sieving or manipulation of powdered flint, quartz, clay grog or mixture of these materials unless it is so damp that no dust can be given off.	Fire clay disintegrator. Hand sieving of grog and Fire Clay. Filling bags with mix for sagger. Charging of tanks and mixing the Materials.
(xii) Grinding of tiles on power driven wheel unless an efficient water spray is used on the wheels.	
(xiii) Lifting and conveying of materials by elevators and conveyers unless they are effectively enclosed and so arranged as to prevent escape of dust into the air in or near to any place in which persons are employed.	Jaw crushing of quartz, feldspar etc. Edge runner or pebble mill grinding. Grinding for tilebody. **Note.**-Elevators were close to the crushers and grinders.
(xiv) The preparation or weighing out of flow	Spary glazing. Glazing and

material, lawning of dry colours, colour dusting and colour blowing.	dusting.
(xv) In mould making unless the bins or similar receptacles used for holding plaster of Paris are provided with suitable covers.	Mould making.
(xvi) The manipulation of calcined material unless the materials have been made and remains so wet that no dust is given off.	Calcining gypsum. Sieving Plaster of Paris.
(xvii) Protective Equipment.	Weighing of raw materials charging the blunder charging the ball mill. Filling bags with mix forsagger. Charging ofthe tanks and mixing the materials

3. Each of the following processes shall be carried on in such manner and under such conditions so as to secure effectual separation from one another and from other processes :-

(a) Crushing and dry grinding or sieving of materials, fettling, pressing of tiles, drying of clay and greenware, loading and unloading of saggers.

(b) All processes involving the use of a dry lead compound.

4. No glaze which is not leadless glaze or a low solubility glaze shall be used in afactory in which pottery is manufactured.

5. No woman or adolscent shall be employed or permitted to work any of the operation specified in clause 2 or at any place where such operations are carried on.

6. The potter's wheel (Jolly and Jigger) shall be provided with screens or so constructed as to prevent clay scappins being thrown off beyond the wheel.

7. (1) All practical measure shall be taken by damping or otherwise to prevent dust arising during cleaning of floors.

(2) Damp saw dust or other suitable material shall be used to render the moist method effective in preventing dust rising into the air during the cleaning process which shall be carried out after work has ceased.

8. The floors of potter shops, slip houses, dipping houses and ware cleaning rooms shall be hard, smooth and impervious and shall be thoroughly cleaned daily by amoist method by an Adult male.

9. Medical facilities and Examination -(1) The occupier of every factory in which a manufacturing of pottery is carried on, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

(3) Every worker employed in any process mentioned under paragraph 3, shall be examined by medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and pulmonary function test and chest X-ray for workers engaged in processes mentioned in items (i) to (iv) of paragraphs 2 and pulmonary function tests and chest X-rays for the others. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical officer.

(4)All persons employed in any of the process included under item (i) to (iv) shall be examined by a medical officer once in every 3 calendar months. Such examinations in respect of all the workers shall include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray which will be once in 3years.

(5) Every worker employed in pottery processes shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(6) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(7) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(8) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

10. Protective equipment. - (1) The occupier shall provide and maintain suitable overalls and head coverings for all persons employed in process included under clause 2.

(2) The occupier shall provide and maintain suitable aprons of a water proof or similar material, which can be sponged daily, for the use of the dippers, assistants, throwers, jolly workers, casters, mound makers and filter press and pug mill workers.

(3) Aprons provided in pursuance of clause 11 (2) shall be thoroughly cleaned daily by the weavers by sponging or other wet process. All overalls and head covering shall be washed, cleaned and mended at least once a week and this washing, cleaning or mending shall be provided for by the occupier.

(4) No person shall be allowed to work in emptying specks of dusty materials, weighing out and mixing of dusty materials and charging of ball mills and blungers without wearing a suitable and efficient dust respirator.

11. Washing Facilities. - (1) The occupier shall provide and maintain, in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in any of the processes specified in clause 2, a wash place under cover, with either-

(i) a trough with smooth impervious surface fitted with a waste pipe, without plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every five such persons employed at any one time, and having constant supply of clean water from taps or jets above the through at intervals of not more than two feet, or

(ii) at least one tap or stand pipe for every five such persons employed at any one time, and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 meters apart; and

(2) A sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brusher and soap.

12. Time allowed for washing. - Before each meal and before the end of the days work, at least ten minutes, in addition to the regular meal times, shall be allowed for washing to each person employed in any of the processes mentioned in clause 2.

13. Mess-room. - (1) There shall be provided and maintained for use of all persons remaining within the premises during the rest intervals, a suitable mess-room, providing accommodation of 10 square feet per head and furnished with-

(i) a sufficient number of tables and chairs or benches with back rest;

(ii) arrangements for washing utensils:

(iii) adequate means for warming food;

(iv) adequate quantity of drinking water.

(2) The room shall be adequately ventilated by the circulation of fresh air and placed under the charge of responsible person and shall be kept clean.

14. Food, drinks, etc., prohibited in work-rooms. - No food, drinks, pan and supari, or tobacco shall be brought into or consumed by any worker in any work-room in which any of the processes mentioned in clause 2 are carried on and no person shall remain in any such room during intervals for meals or rest.

15. Cloak-room etc. - There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in any of the processes mentioned in clause 2 :-

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours and such accommodation shall be separate from any mess room;

(b) seperate and suitable arrangements for the storage of protective equipment provided under clause II.

16. These regulations shall not apply to a factory in which any of the following articles, but no other pottery, are made

(a) unglazed or salt brick and tiles, and

(b) architectural terra cotton made from plastic clay and either unglazed or glazed with a leadless glaze only.

17. Exemptions. - If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed in such factory, he may by a certificate in writing exempt such factory from all or any such provisions, subject to such conditions as he may specify therein, such certificate may at any time be revoked by the Chief Inspector cum facilitator without assigning any reasons.

Sub-Schedule-13

Compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water.

(1) The room in which electrolyser plant is installed shall be separate from the plant for storing and compressing the oxygen and hydrogen.

(2) The purity of oxygen and hydrogen shall be tested by a competent person at hourly intervals at the following points :-

(i) in the electrolyser room;

(ii) at the gas holder inlet; and

(iii) at the section end of the compressor.

The purity figure shall be entered and signed by the person carrying out such tests in the register:

Provided, however, that if the electrolyser plant is fitted with automatic recorder of purity of oxygen and hydrogen with alarm lights, it shall be sufficient if the purity of the gases is tested at hourly intervals at the suction end of the compressor only.

(3) The oxygen and hydrogen gases shall not be compressed, if their purity as determined under clause 2 above falls below 98 per cent at any time.

(4) There shall be at least two gas holders for each kind of gas and the gas holders for same gas shall not be fitted with inter-locked valves or levers and three way cocks at the junction of their outlets in such a way that no gas holder is connected to the compressor and to the electrolyser at the same time, and only one gas holder is connected to the compressor, line at any one time.

(5) The bell of any gas holder shall not be permitted to go within 30 cm. of its lowest position when empty, a visual and an audible warning signal shall be fitted to the gas holder to indicate that this limit is reached.

(6) The water and caustic soda used for making shall be chemically pure within pharmaceutical limits.

(7) Electrical connections at the electrolyser cells and at the generator terminals shall be constructed as to preclude the possibility of wrong connections leading to the reversal of polarity.

(8) Oxygen and hydrogen gas pipes shall be painted with distinguishing colours and in the event of leakage at the joints of the hydrogen gas pipe, the pipe after reconnection shall be purged of all air before drawing in hydrogen gas.

(9) All electrical wiring and apparatus in the electrolyser room shall be of flame-proof construction or enclosed in flame-proof fitting and no naked light or flame shall be taken either in the electrolyser room or where compression and filling of the gases is carried on and such warning notices shall be exhibited in prominent places.

(10) No part of the electrolyser plant and the gas holders and compressor shall be subjected to welding, brazing, soldering or cutting until steps have been taken to remove any explosive substance from that part and render the part safe for such operations and after the completion of such operations no explosive substance shall be allowed to enter that part until the metal has cooled sufficient to prevent risk of explosion.

(11) No work of operation, repair or maintenance shall be undertaken except under the direct supervision of a person who, by his training, experience and knowledge of the necessary precautions against risk of explosion is competent to supervise such work.

12. Medical Examination -(1) Every worker employed in the process of compression of Oxygen and Hydrogen produced by the electrolysis water shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-14

Cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, orgrit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam.

Blasting Regulations

1. Definitions. - For the purposes of this Schedule :-

"Blasting" means cleaning, smoothening, roughening, or removing of any part of the surface of any article by the use as an abrasive of a jet of sand, metal shot or grit or other material, propelled by a blast of compressed air or steam.

"Blasting enclosure" means a chamber, barrel, cabinet or any other enclosure designed for the performance of blasting therein.

"Blasting chamber" means a blasting enclosure in which any person may enter at anytime in connection with any work or otherwise.

"Cleaning of castings" where done as an incidental or supplemental process in connection with the making of metal castings means the freeing of the casting from adherent sand or other substance and includes the removal of cores and the general smoothing of a casting, but does not include the free treatment.

2. Prohibition of Sand Blasting. - Sand or any other substance containing free silica shall not be introduced as an abrasive into any business apparatus and shall not be used for blasting :-

Provided that this clause shall come into force two years after the coming into operation of the Schedule :

Provided further that no woman or adolscent shall be employed or permitted to work at any operation of sand blasting.

3. Precautions in connection with Blasting Operations. - (1) *Blasting to be done in blasting enclosure.* - Blasting shall not be done except in a blasting enclosure and no work other than blasting any work immediately incidental thereto and clearing and repairing of the enclosure including the plants and appliances situated therein, shall be performed in a blasting enclosure. Every

door, aperture and joint of blasting enclosure, shall be kept closed and air tight while blasting is being done therein.

(2) *Maintenance of blasting enclosure.* - Blasting enclosure shall always be maintained in good condition and effective measures shall be taken to prevent dust escaping from such enclosure, and from apparatus connected therewith, into air of any room.

(3) *Provision of separating apparatus.* - There shall be provided and maintained for and in connection with every blasting enclosure, efficient apparatus for separating, so far as practicable abrasive which has been used for blasting and which is to be used again as an abrasive from dust or particles of other materials arising from blasting; and no such abrasive shall be introduced into any blasting apparatus and used for blasting until it has been so separated :

Provided that this clause shall not apply, except in the case of blasting chambers, to blasting enclosures constructed or installed before the coming into force of this Schedule, if the Chief Inspector cum facilitator is of opinion that it is not reasonable practicable to provided such separating apparatus.

(4) *Provision of ventilating plant.* - There shall be provided and maintained in connection with every blasting enclosure efficient ventilating plant to extract by exhaust drought effected by mechanical means, dust produced in the enclosure. The dust extracted and removed shall be disposed of by such method and in such manner that it shall not escape into the air of any room; and every other filtering or settling device situated in a room in which persons are employed, other than persons attending to such bag or other filtering or settling device, shall be completely separated from the general air of that room in an enclosure ventilated to the open air.

(5) *Operation of ventilating plant.* - The ventilating plant provided for the purpose of sub-paragraph (4) shall be kept in continuous operation whenever the blasting enclosure is in use whether nor not blasting is actually taking place

therein, and in the case of blasting chamber, it shall be in operation even when any person is inside the chamber for the purpose of cleaning.

4. Inspection and Examination. - (1) Every blasting enclosure shall be specially inspected by a competent person at least once in every week in which it is used for blasting. Every blasting enclosure, the apparatus connected therewith and the ventilating plant, shall be thoroughly examined and in the case of ventilating plant, tested by a competent person at least once in every month.

(2) Particulars of the result of every such inspection, examination and test shall forthwith be entered in a register, which shall be kept in a form approved by the Chief Inspector cum facilitator and shall be available for inspection by any workman employed in or in connection with blasting in the factory. Any defect found on any such inspection, examination or test shall be immediately reported by the person carrying out the inspection, examination or test to the Occupier, Manager or other appropriate person and without prejudice to the foregoing requirements of this Schedule, shall be removed without avoidable delay.

5. Provision of protective helmets, gauntlets and overalls. - (1) There shall be provided and maintained for the use of all persons who are employed in a blasting chamber, whether in blasting or in any work connected therewith or in cleaning such a chamber, protective helmets of a type approved by a certificate of the Chief Inspector cum facilitator and every such person shall wear the helmet provided for this use whilst he is in the chamber and shall not remove it until he is outside the chamber.

(2) Each protective helmet shall carry a distinguishing mark indicating the person by whom it is intended to be used and no person shall be allowed or required to wear a helmet not carrying his mark or a helmet which has been worn by another person and has not since been thoroughly disinfected.

(3) Each protective helmet when in use shall be supplied with clean and not unreasonably cold air at a rate of not less than six cubic feet per minute.

(4) Suitable gauntlets and overalls shall be provided for the use of all persons while performing blasting or assisting at blasting, and every such person shall while so engaged wear the gauntlet and overall provided.

6. Precautions in connection with cleaning and other work. - (1) Where any person is engaged upon cleaning of any blasting apparatus or blasting enclosure or of any apparatus or ventilating plant connected therewith or the surroundings thereof or upon any other work in connection with any blasting apparatus or blasting enclosure or with any apparatus or ventilating plant connected therewith so that he is exposed to the risk of inhaling dust which has arisen from blasting. All practicable measures shall be taken to prevent such inhalation.

(2) In connection with any cleaning operation referred to in clause 5, and with the removal of dust from filtering or settling devices all practicable measures shall be taken to dispose of the dust in such a manner that it does not enter the air of any room. Vacuum cleaners shall be provided and used where practicable for such cleaning operations.

7. Storage accommodation for protective wear. - Adequate and suitable storage accommodation for the helmets, gauntlets and overalls required to be provided by clause 5 shall be provided outside and conveniently near to every blasting enclosure and such accommodation shall be kept clean. Helmets, gauntlets and overalls when not in a actual use shall be kept in this accommodation.

8. Maintenance and cleaning of protective wear. - All helmets, gauntlets, overalls and other protective devices or clothings provided and worn for the purposes of this Schedule, shall be kept in good condition and so far as is reasonably practicable shall be cleaned on every week day in which they are used, Where dust arising from the cleaning of such protective clothing or devices is likely to be inhaled; all practicable measures shall be taken to prevent such inhalation. Vacuum cleaners shall wherever practicable, be used for

removing dust from such clothing and compressed air shall not be used for removing dust from any clothing.

9. Maintenance of vacuum cleaning plant. - Vacuum cleaning plant used for the purpose of this Schedule shall be properly maintained.

10. Restrictions in employment of adolscents. - (1) No person under 18 years of age shall be employed in blasting or assisting at blasting or in any blasting chamber or in the cleaning of any blasting apparatus or any blasting enclosure or any apparatus or ventilating plant connected therewith or be employed on maintenance or repair work at such apparatus, enclosure or plant.

(2) No person under 18 years of age shall be employed to work regularly within 8 meters of any blasting enclosure unless the enclosure is in a room and he is outside that room where he is effectively separated from any dust coming from the enclosure.

11. Power to exempt or relax. - (1) If the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that in any factory or any class of factory, the use of sand or other substance containing free silica as an abrasive in blasting in necessary for a particular manufacture or process(other than the process incidental or supplemental to making of metal castings) and that the manufacture or process cannot be carried on without the use of such abrasive or, that owing to the special conditions, or special method of work or otherwise any requirement of this schedule can be suspended either temporarily or permanently or can be related without endangering the health of the persons employed or that application of any of such requirements is for any reason impracticable or inappropriate, he may, with the previous sanction of the State Government, by an order in writing exempt the said factory or class of factory from such provisions of this Schedule, to such an extent and subject to such conditions and for such period as may be specified in the said order.

(2) Where an exemption has been granted under sub-clause (1), a copy of the order shall be displayed at a notice board at a prominent place at the main

entrance or entrances to the factory and also at the place where the blasting is carried on.

12. Medical facilities and Examination -(1) The occupier of every factory to which schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

(3) Every worker employed in the process of cleaning or smoothening, roughening, etc., of articles by a jet of sand, metal short, or grit, or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-15

Handling and Processing of Asbestos, Manufacture of any Article of Asbestosand any other Process of Manufacture or otherwise in which Asbestos is used in any Form

1. Application. - This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which any of the following processes in carried on :-

(a) breaking, crushing, disintegrating, opening, grinding, mixing or seiving of asbestos and any other processes involving handling and manipulation of asbestos incidental thereto;

(b) all processes in the manufacture of asbestos textiles including preparatory and finishing processes;

(c) making of insulation slabs or sections, composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(d) making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos, and processes incidental thereto;

(e) manufacture of asbestos cardboard and paper;

(f) manufacture of asbestos cement goods;

(g) application of asbestos by sprays methods;

(h) sawing, grinding, turning, abrading and polishing in dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(i) cleaning of any room vessel, chamber, fixture of appliance for the collection of asbestos dust; and

(j) any other processes in which asbestos dust is given off into the work environment.

2. Definitions. - For the purpose of this schedule-

(a) *"asbestos"* means any fibrous silicate mineral and any admixture containing actionlite, amosite anthophylite, chrysolite crocidolite, tremolite or any mixture thereof, whether crude, crushed or opened;

(b) *"asbestos textiles"* means yarn or cloth composed of asbestos or asbestos mixed with any other material;

(c) *"approved"* means approved for the time being in writing by the Chief Inspector cum facilitator ;

(d) *"breathing apparatus"* means a helmet or face piece with necessary connection by means of which a person using it breathes air free from dust or any other approved apparatus;

(e) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation by mechanical means for the removal of dust so as to prevent dust from escaping into air of any place in which work is carried on, draught shall be deemed to be efficient which fails to control dust produced at the point where such dust originates.

(f) *"preparing"* means crushing, disintegrating, and any other processes in orincidental to the opening of asbestos;

(g) *"protective clothing"* means overalls and head covering, which (in either case) will when exclude asbestos dust.

3. Tools and Equipment. - Any tools or equipment used in processes to which this schedule applied shall be such that they do not create asbestos dust above the permissible limit or are equipped with efficient exhaust draught.

4. Exhaust draught. - (1) An efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control dust from the following processes and machines :-

(a) manufacture and conveying machinery namely :-

(i) preparing grinding or dry mixing machines;

(ii) carding, card waste and ring spinning machines, and looms;

(iii) machines or other plant fed with asbestos; and

(iv) machines used for the sawing, grinding, turning, drilling, abrading or polishing; inthe dry state of articles composed wholly or partly of asbestos;

(b) cleaning, and grinding of the cylinders or other parts of a carding machines;

(c) chambers, hoppers or other structures into which loose asbestos is delivered orpasses;

(d) work-benches for asbestos waste sorting or for other manipulation of asbestos by hand;

(e) workplaces at which filling or emptying of sacks, skips or other portable containers,weighing or other process incidental thereto which is effected by hand, is carried on;

(f) sack cleaning machines;

(g) mixing and blending of asbestos by hand; and

(h) any other process in which dust is given off into the work environment.

(2) Exhaust ventilation equipment provided in accordance with sub-paragraph (1) shall, while any work of maintenance or repair to the machinery, apparatus or other plant or equipment in connection with which it is provided is being carried on, be kept in use so as to produce an exhaust draught which prevents the entry of asbestos dust into the air of any work place.

(3) Arrangements shall be made to prevent asbestos dust discharged from exhaust apparatus being drawn into the air of any workroom.

(4) The asbestos bearing dust removed from any workroom by the exhaust system shall be collected in suitable receptacles or filter bag as which shall be isolated from all work areas.

5. Testing and examination of ventilating systems. - (1) All ventilating systems used for the purpose of extracting or suppressing dust as required by this schedule shall be examined and inspected once in every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(2) A register containing particulars of such examination and tests and the state of the plant and the repairs or alternations (if any) found to be necessary shall be kept and shall be available for inspection by an Inspector cum facilitator .

6. Segregation in case of certain process. - Mixing of blending by the hand of asbestos, or making or repairing of insulating mattresses composed wholly or partly of asbestos shall not be carried on in any room in which any other work is done.

7. Storage and distribution of loose asbestos. - (1) All loose asbestos shall while not in use, be kept in suitable closed receptacles which prevent the escape of asbestos dust there from such asbestos shall not be distributed within a factory except in such receptacles or in a totally enclosed system of conveyance.

8. Asbestos sacks. - (1) All sack used as receptacle for the purpose of transport of asbestos within the factory shall be constructed of impermeable materials and shall be kept in good repair.

(2) A sack which has contained asbestos shall not be cleaned by hand beating but bya machine, complying with paragraph 3.

9. Maintenance of floors and workplaces. - (1) In every room in which any of the requirements of this schedule apply-

(a) the floors, work-benches, machinery and plant shall be kept in a clean state and free from asbestos debris and suitable arrangements shall be made for the storage of asbestos not immediately required for use; and

(b) the floors shall be kept free from any materials, plant or other articles not immediately required for the work carried on in the room, which would obstruct the proper cleaning of the floor.

(2) The cleaning as mentioned in sub-rule (1) shall so far as is practicable, as carried out by means of vacuum cleaning equipment so designed and constructed and soused that asbestos dust neither escape nor is discharged into the air of any workplace.

(3) When the clearing is done by any method other than that mentioned in sub-paragraph (2), the persons doing cleaning work and any other person employed in that room shall be provided with respiratory protective equipment and protective clothing.

(4) The vacuum cleaning equipment used in accordance with provisions of sub-paragraph (2) shall be properly maintained and after each cleaning operation, its surfaces kept in a clean state and free from asbestos waste and dust.

(5) Asbestos waste shall not be permitted to remain on the floors or other surfaces at the work place at the end of the working shift and shall be transferred without delay to suitable receptacles. Any spillage of asbestos waste occurring during the course of the work at any time shall be removed and transferred to the receptacles maintained for the purpose without delay.

10. Breathing apparatus and protective Clothing. - (1) An approved breathing apparatus and protective clothing shall be provided and maintained in good conditions for use for every person employed-

(a) in chambers containing loose, asbestos;

(b) in cleaning, dust settling or filtering chambers or apparatus;

(c) in cleaning the cylinders, including the doffer cylinders, or other parts of a carding machine by means of hand-strickers; and

(d) in filling, beating or leveling in the manufacture or repair of insulating mattresses; and

(e) in any other operation of circumstances in which it is impracticable to adopt technical means to control asbestos dust in the work environment within the permissible limit.

(2) Suitable accommodation in conveniently accessible position shall be provided for the use of persons when putting on or taking off breathing apparatus and protective clothing provided in accordance with this rule and for the storage of such apparatus and clothing when not in use.

(3) All breathing apparatus and protective clothing when not in use shall be stored in the accommodation provided in accordance with sub-rule (2) above.

(4) All protective clothing in use shall be deducted under an efficient exhaust draught or by vacuum cleaning and shall be washed at suitable intervals. The cleaning schedule and procedure should be such as to ensure the efficiency in protecting the weaver.

(5) All breathing apparatus shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible person.

(6) A record of the cleaning and maintenance and of the condition of the breathing apparatus shall be maintained in a register provided for that purpose which shall be readily available for inspection by an Inspector cum facilitator .

(7) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under that sub-paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of that equipment.

(8) So breathing apparatus provided in persuance of sub- paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

11. Separate accommodation for personal clothing. - A separate accommodation shall be provided in a conveniently accessible position for all persons employed in operations to which this schedule applied for storing of personal clothing. This should be separated from the accommodation provided under sub-paragraph (2) to prevent contamination of personal clothing.

12. Washing and bathing facilities. - (1) There shall be provided and maintained in a clean stage and in good repair for the use of all workers employed in the processes covered by the schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 15 personsemployed.

(2) The washing places shall have standpipes placed at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathroom.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so order by the Inspector cum facilitator .

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Mess-room. - (1) There shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory covered by this schedule, remaining on the premises during the rest intervals, a suitable mess-room which shall be furnished with

(a) sufficient tables and benches with back rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess-room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

14. Prohibition of employment of adolscents. - No adolscent shall be employed in any of the process covered by this schedule.

15. Prohibition relating to smoking. - No person shall smoke in any area where processes covered by this schedule are carried on. A notice in the language understood by majority of the workers shall be posted in the plant prohibiting smoking at such areas.

16. Cautionary Notices. - (1) Cautionary notices shall be displayed at the approaches and along the perimeter of every asbestos processing area to warn all persons regarding-

(a) hazards to health from asbestos dust;

(b) need to use appropriate protective equipment;

(c) prohibition of entry to unauthorised person, or authorised persons but without protective equipment.

(2) Such notices shall be in the language understood by the majority of the workers.

17. Air Monitoring. - To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of asbestos fibre in air shall be carried out once at least in every shift and the record of the results so obtained shall be entered in a register specially maintained for the purpose.

18. Medical facilities and examination. (1) The occupier of every factory or part of the factory to which the schedule applies shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator cum facilitate to.

(3)Every worker employed in the processes specified in paragraph 1 shall be examined by a medical officer within 15 days of his first employment. Such examination shall include pulmonary function tests, tests for detecting asbestos fibres in sputum and chest X-ray. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Medical officer .

(4) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his

findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator

20. Exemptions. - If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify therein.

Sub-Schedule-16

Handing and manipulation of Corrosive substances

1. Definitions. - For the purpose of this Schedule-

(a) *"Corrosive operation"* means an operation of manufacturing, storing handing,processing, packing, or using any corrosive substance in a factory

(b) *"Corrosive substance"* includes sulphuric acid, nitric acid hydrochloric acid, hydrofluoric acid, carbolic acid, phosphoric acid, liquid chlorine, liquid bromine, ammonia, sodium hydroxide and potassium hydroxide and a mixture thereof and anyother substance which the State Government by notification in the *Official Gazette*specify to be a corrosive substance.

2. Flooring. - The floor of every work-room of a factory in which corrosive operation iscarried on shall be made of impervious, corrosion and fire resistant material and shall be so constructed as to prevent collection of any corrosive substance. The surface ofsuch flooring shall be smooth and cleaned as to often as neccssary and maintained in sound condition.

3. Protective equipment. - (a) The Occupier shall provide for the use of all persons employed in any corrosive operation suitable protective wear for hands and feet, suitable aprons, face shields, chemical safety goggles, and respirators. The equipments shall be maintained in good order and shall be kept in clean and hygienic condition by suitable treating to get rid of the ill effects of any absorbed chemicals and by disinfecting. The Occupier shall also provide suitable protective creams and other preparations wherever necessary.

(b) The protective equipment and preparations provided shall be used by the person employed in any corrosive operation.

4. Water facilities. - Where any corrosive operation is carried on, there shall be provided as the close to the place of such operation as possible, a source of cleanwater at a height of 2.1 meters. from a pipe of 1.25 cm. diameter and fitted with a quick acting valve so that in case of injury to the worker by any corrosive substance, the injured part can be thoroughly flooded with water, Wherever neccssary, in order to ensure continuous water supply, a storage tank having a minimum length, breadth and height of 210 cm., 120 cm. and 60 cm. respectively or such dimensions as are approved by the Chief Inspector cum facilitator of Factories, shall be provided as the source of clean water.

5. Cautionary Notice. - A cautionary notice in the following form and printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be displayed prominently close to the place where any of the operations mentioned in paragraph 2 above is carried out and where it can be easily and conveniently read by the workers. If any worker is illiterate effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice so displayed.

Cautionary Notice

Danger

Corrosive substances cause severe burns and vapors thereof may be extremely, hazardous. In case of contact, immediately flood the part effected with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention quickly.

6. Transport. - (a) Corrosive substances shall not be filled moved, or carried except in containers and when they are to be transported, they shall be included in crates of sound construction and sufficient strength.

(b) A container with a capacity of (11.5 litres) (2½ gallons) or more of a corrosive substances shall be placed in a receptacles or crate and then carried by more than one person, at a height below the waist line unless a suitable rubber wheeled truck is used for the purpose.

(c) Containers for corrosive substances shall be plainly labeled.

7. Devices for handling Corrosives. - (a) Suitable tiling or lifting device shall be used for emptying jars, carboys and other containers of corrosives.

(b) Corrosive substance shall not be handled by hands but by means of a suitable scoop or other devices.

8. Opening valves. - Valves fitted to containers holding a corrosive substance shall be opened with great care. If they do not work freely, they shall not be forced open.They shall be opened by a worker suitably trained for the purpose.

9. Cleaning tanks, stills, etc. - (a) In cleaning out or removing residues from stills or other large chamber used for holding any corrosive substance, suitable implements, made of wood or other material shall be used to prevent production of arseniuretted hydrogen (Arsine).

(b) Whenever it is necessary for the purpose of cleaning or other maintenance work for any worker to enter chamber tank, vat, pit or other confined space where a corrosive substance had been stored, all possible precautions shall be taken to ensure the workers' safety.

(c) Wherever possible, before repairs are undertaken to any part of equipment in which a corrosive substance was handled, such equipment or part thereof shall befreed of any adhering corrosive substance by adopting suitable methods.

10. Storage. - (a) Corrosive substances shall not be stored in the same room with other chemicals, such as turpentine, carbides, metallic powders and combustible materials the accidental mixing with which may cause a reaction which is either violent or gives rise to toxic fumes and gases.

(b) Pumping or filling overhead tanks, receptacles, vats or other containers storing corrosive substances shall be so arranged that there is no possibility of any corrosive substance over flowing and causing injury to any person.

(c) Every container having capacity of twenty liters or more and every pipe line, valves and fitting used for storing or carrying corrosive substances shall be thoroughly examined every year for finding out any defects, and defects shall be removed forthwith. A register shall be maintained of every such examination made and shall be produced before the Inspector cum facilitator whenever required.

11. Fire extinguishers and fire fighting equipment. - An adequate number of suitable type of fire extinguishers or other fire fighting equipment, depending on the nature of chemicals stored, shall be provided. Such extinguishers or other equipment shall be regularly tested and refilled. Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which majority of the workers employed understand, shall be affixed near each extinguisher or other equipment.

12. Medical Examination-(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground,that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record

of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

13. Exemption. - If in respect of any factory on an application made by the manager, the Chief Inspector cum facilitator , is satisfied that owing to the exceptional circumstances, or thein frequency of the process or for any other reason to be recorded by him in writing, all or any of the provisions of this Schedule are not necessary for the protection of the persons employed therein, he may by a certificate in writing, which he may at any time revoke, exempt the factory from such of the provisions and subject to such conditions as he may specify therein.

Sub-Schedule-17

Manufacture of Articles from Refractory Materials

Application: This Schedule shall apply to the following processes:

(1) handling, moving, breaking, crushing, grinding or sieving of any refractory materials, containing not less than 25 percent total silica for the purpose of manufacture.

(a) of articles used in the construction of furnaces and flues:

(b) of crucibles: and

(c) of compositions or other materials used in the preparation of moulds in which metals are cast: or

(2) any process in the manufacture of refractory bricks as hereinafter defined:

Provided that nothing in this Schedule shall apply:

(a) to handling, moving, mixing or sieving of natural sand; or

(b) to the manipulation of rotten rock in the preparation of moulds used in metal foundries:

Provided further that if the Chief Inspector of Factories is satisfied in respect of any factory or part thereof that owing to the special conditions of work or otherwise, any of the requirements of this Schedule can be suspended or relaxed without any danger to the health of the persons employed therein, he may by an order in writing grant such suspension or relaxation for such period and on such conditions as he may think fit. Any such order may be revoked at any time.

2. Definitions

(a) "Refractory material" means any refractory material containing not less than 25 per cent total Silica.

(b) "Refractory brick" means any brick or article composed of refractory material and containing not less than 25 per cent total Silica.

(c) "Efficient exhaust draught" means localised ventilation by mechanical means for the removal of dust so as to prevent dust from escaping into the air of any place in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove the dust produced at the point where such dust originates.

3. No refractory material shall be broken in pieces by manual labour unless the process is carried out in the open air:

Provided that where it is not practicable to carry out this process in open air, the process shall be carried out under an efficient exhaust draught.

4. No refractory material unless it is so wet that dust will not be produced, shall be crushed or ground in a stone crushing or a grinding machine unless such machine is provided with:

(a) an efficient exhaust draught and efficient dust collecting appliances; or

(b) an efficient water or steam spray:

Provided that every grinding machine wherein any refractory material is ground in dry state, shall be, totally enclosed and connected to a mechanical exhaust system so as to prevent effectively and escape of dust outside the casting of the machine by maintaining a pressure below the atmospheric pressure within the casting of the machine:

Provided further that all processes of crushing and grinding shall be effectively isolated from other processes.

5. All chutes, conveyors, elevators, screens, sieves and mixers used for manipulating refractory material shall, unless that material is so wet that dust will not be produced, be enclosed and be provided with efficient exhaust draught.

6. No refractory material be so dry as to produce dust shall:

(a) be loaded into any wagon or other receptacle for transport unless it has been placed in a suitable dust-proof container so damped as to preclude dust; or

(b) be unloaded from any wagon or other receptacle for transport unless it has been so damped as to preclude dust or unless the work is done under an efficient exhaust draught:

(c) be shoveled or raked or otherwise manipulated by means of hand tools in any manufacturing process unless it has been so damped as to preclude dust or unless the work is done under an efficient exhaust draught:

Provided that paragraph (b) of this Rule shall not apply to refractory material in the form of rock or pebbles before it is manipulated in any manufacturing process.

7. (a) The floors of all places where refractory bricks are dried, other than the floors of tunnel ovens or chamber driers not normally entered by person employed shall after each lot of refractory bricks has been removed, be carefully cleaned of all debris and the part being cleaned shall be kept damp while the cleaning is being done.

(b) There shall be provided in every such place a constant supply of water laid on under adequate pressure with sufficient connections and a flexible branch pipe and sprinkler to enable water to be supplied directly to every part of the floor.

8. No drying stoves in which refractory bricks are baked by fires before being placed in the kilns shall be used.

9. The surface of every floor or place where persons are liable to pass shall be cleaned of debris of refractory material once at least during each daily period of employment or where shifts are worked, once during each shift. Such debris unless it is immediately required for use in the process shall be effectively damped and either be placed in covered receptacles, or be otherwise stored in such manner as to prevent the escape of dust into the air in or near to any place where any person is employed.

10. Where plates are used, whether portable or forming part of the floor, on which refractory bricks are dried, such plates shall be freed from adherent material only by a wet method or by such other method as will prevent the escape of dust into the air.

11. The dust or powder of refractory materials shall not be used for sprinkling the moulds in refractory brick making:

Provided that nothing in this paragraph shall be deemed to prevent the use of natural sand for the purpose of sprinkling the moulds.

12. No worker shall be allowed to work on any dusty process or at any place where dust of any refractory materials is present in the atmosphere:

Provided that in an emergency, a worker may be allowed to work at such process or place if he wears a suitable and efficient dust mask or breathing apparatus.

13. Medical examination:

(a) Every worker employed on any of the processes specified in sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 1 shall be medically examined in such manner and at such intervals as may be specified by any Rules made under the Workmen's Compensation Act, 1923 (VIII of 1923) or if no such Rules have been framed under the said Act, every such worker shall be medically examined by the Certifying Surgeon before employment on any of the aforesaid processes and at intervals not exceeding six months thereafter.

(b) Subject to sub-paragraph (c), an X'ray examination of the chest of every worker referred to in subparagraph (a) shall be carried out:

(i) if he is already in employment on the date of coming into force of the sub-paragraph, within six months of such date and at an interval of every three years thereafter:

(ii) if he is employed after such date within one month of the date of his employment and at an interval of every three years thereafter;

and the result of every such X'ray examination shall be produced before the Certifying Surgeon within a month of the examination.

(c) If the Certifying Surgeon, during the course of medical examination of any worker under subparagraph (a), has reason to suspect onset of any chest disease, he may direct the manager or the occupier to get an X'ray examination of the worker done and to produce the X'ray plate before him within a specified time and on receipt of such direction the manager or the occupier, as the case may be, shall carry out the direction.

(d) The Certifying Surgeon shall grant to each worker examined a certificate specifying therein whether or not the worker was considered fit to be employed on any of the aforesaid processes.

(e) The manager shall maintain a register in which the findings and recommendations of the Certifying Surgeon in respect of every worker and in respect of every medical examination shall be maintained duly signed by the Certifying Surgeon.

(f) A worker not declared fit shall not be employed on any of the aforesaid processes and he shall be employed on only such other process or he shall be subjected to such other examination or treatment as may be directed by the Certifying Surgeon.

(g) No fees shall be charged from any worker for the medical examination and it shall be the responsibility of the occupier and the manager to comply with the provisions of this Schedule.

14. In case any existing plant or machinery needs alteration, modification or replacement or in case any new plant is required to be installed, to comply with the requirements of this Schedule, such alteration, modification, replacement or installation of the plant or machinery shall be carried on within a period not exceeding one year from the date of publication of this Rule:

Provided that the Chief Inspector of Factories in consideration of special and exceptional circumstances by an order in writing may extend this period for such reasonable length of time as he may think fit.

Sub-Schedule-18

Solvent extraction Plants

Process of Extracting Oils and Fats from vegetable and animal sources in Solvent Extraction Plants

1. Definitions. - In this schedule unless the context otherwise requires :-

(a) *"Solvent Extraction Plant"* means a plant in which the process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources by use of solvents is carried on.

(b) *"Solvent"* means an inflammable liquid such as pentane hexane and heptane used for the extraction of vegetable oils.

(c) *"Flame roof"* enclosure as applied to electrical machinery or apparatus means an enclosure that will withstand, when covers or other access doors are properly secured, an internal explosion of the flammable gas or vapour which may enter, or which maybe originally inside the enclosure without suffering damage and without communicating internal inflammation for explosion to the external flammable gas or vapour.

(d) *"Competent Person"* for the purpose of this schedule shall be at least Member of the Institution of Engineers (India) or an Associate Member of the said instruction with10 years experience in a responsible position as may be approved; by the Chief Inspector cum facilitator :

Provided that a graduate in Mechanical Engineering or Chemical Technology with specialised knowledge of oils and fats and with a minimum experience of 5 years in a solvent extraction plant shall also be considered to be competent person :

Provided further that the Chief Inspector cum facilitator may accept any other person having suitable qualification and experience as a competent person for purposes of this Schedule.

2. Location and Lay-out. - (a) No solvent extraction plant shall be constructed or extended to within a distance of 30 meters from the nearest residential locality.

(b) A 1.5 metre high continuing fencing shall be provided around the solvent extraction plant up to minimum distance of 15 meters from the plant.

(c) No person shall be allowed to carry any matches or an open flame or fire inside the area bound by the fencing.

(d) Boiler house and other building where open flame process are carried on shall be located at least 30 meters away from the solvent extraction plant.

(e) If godowns and preparatory processes are at less than 30 metres distance from the solvent extraction plant, there shall be atleast 15 metres distance from the plant, and a continuous barrier wall of non-combustible material 1.5 metres

high from the solvent extraction plant so that it extends to at least 30 meters of vapour travel around its ends from the Plant to the possible sources of ignition.

3. Electrical Installation. - (a) All electrical motors and wiring and other electrical equipment installed or housed in Solvent Extraction Plant shall be of flame proof construction.

(b) All metal parts of the plant and building including various tanks and containers where solvents are stored or are present and all parts of electrical equipment not required to be energised shall be properly bounded together and connected to the earth so as to avoid accidental rise on the electrical potential of such part above the earth potential.

4. Restriction on Smoking. - Smoking shall be strictly prohibited within 15 metres distance from Solvent Extraction Plant. For this purpose 'No Smoking' signs shall be permanently displayed in the areas.

5. Precaution against friction. - (a) All tolls and equipments including ladders, chains, and other lifting tackle required to be used in Solvent Extraction Plant shall be of non sparking type.

(b) No machinery or equipment in Solvent Extraction Plant shall be belt driven unless the belt is made of conductive material.

(c) No person shall be allowed to enter in the Solvent Extraction Plant if wearing clothes made of Nylon or such other Fibre that can generate static electrical charge,or wearing foot wear which is likely to cause sparks by friction.

6. Fire-fighting apparatus. - (a) Adequate number of portable fire extinguisher suitable for use against flammable liquid fire shall be provided in the Solvent Extraction Plant.

(b) An automatic water sprinker system overhead deluge system with sufficient supply of storage water shall be provided over Solvent Extraction Plant and throughout the building housing such plant.

7. Precaution against power failure. - (a) Provision shall be made for the automatic cutting off of steam in the event of power failure and also.

(b) For emergency over head water supply for feeding water by gravity to condensers which shall come into play automatically with the power failure.

8. Magnetic Separators. - The material under extraction shall be fed to the extractor by a conveyer through a hopper and a magnetic separator shall be provided to remove any piece of iron during its transfer.

9. Venting. - (a) Tanks containing solvents shall be protected with emergency venting to relieve excessive internal pressure in the event of fire.

(b) All emergency relief vents shall be terminated at least 6 metres above the ground and be so located that vapours will not re-enter the building in which solvent extraction plant is located.

10. Waste water. - Process waste water shall be passed through a flash evaporator to remove any solvent before it is discharged into a sump which should be located within the fenced area, but not closer than 8 m. to the fence.

11. Ventilation. - The Solvent Extraction Plant shall be well ventilated and if the Plant is housed in a building the building shall be provided with mechanical ventilation with provision for at least six air changes per hour.

12. House keeping. - (a) Solvent shall be stored in an area covered by Solvent Extraction Plant except in small quantity which shall be stored in approved safety cans.

(b) Waste materials such as oily-rage, other waste and absorbents used to wipe off solvent and paints and oils shall be deposited in approved containers and removed from the premises at least once a day.

(c) Space within the Solvent Extraction Plant and within 15 metres from the Plant shall be kept free from any combustible materials and any spills of oil or solvent, shall be cleared up immediately.

13. Examination and Repairs. - (a) The Solvent Extraction Plant shall be examined by the competent person to determine any weakness or corrosion and

wear, once in every 12 months. Report of such examinations shall be supplied to the Inspector cum facilitator with his observations as to whether or not the Plant is in safe condition to work.

(b) No repairs shall be carried out to the Machinery or Plant except under the direct supervision of the competent person.

(c) Facility shall be provided for purging the plant with inert gas or steam before opening for cleaning or repairs and before introducing solvent after repairs.

14. Operating personnel. - The operation of the plant and machinery in the Solvent Extraction Plant shall be in the charge of such duty qualified and trained persons as are certified by the competent persons to be fit for the purpose and no other person shall be allowed to operate the plant Machinery.

15. Employment of pregnant women and lactating mothers and adolscents. - No pregnant women and lactating mothers or adolscentsshall be employed in the solvent extraction plant.

16. Vapour Detection. - A suitable type of the flame proof and portable combustible gas indicator shall be provided and maintained in good working order and a schedule of routine sampling of atmosphere at various locations as approved by the Chief Inspector cum facilitator shall be drawn out and entered in a register maintained for the purpose.

17. Log Book. - A log book of plant operation shall be maintained in a proforma approved by the Inspector cum facilitator ,

18. Medical Examination-(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which

he considers that the said person is unfit for work in the said process. The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

Sub-Schedule-19

Carbon Disulphide Plants

1. Application. - This Schedule shall apply to all electric furnaces in which carbon-disulphide is generated and all other Plants where carbon disulphide after generation is condensed, refined and stored. These Rules are in addition to and not in derogation of any of the provisions of the Act and Rules made thereunder.

2. Construction, Installation and Operations. - (a) The buildings in which electric furnaces are installed and carbon disulphide after generation is condensed and refined shall be segregated from other parts of the factory and shall be open type to ensure optimum ventilation and the plant layout shall be such that only a minimum number of workers are exposed to the risk of any fire or explosion at any one time:

(b) Every electric furnace and every Plant in which carbon disulphide is condensed, refined and stored with all their fittings and attachments shall be of good construction, sound material and of adequate strength maintained in good order to sustain the internal pressure to which the furnace or the plant may be

subjected and shall be so designed that carbon disulphide liquid and gas are in closed system during their normal working.

(c) The Electric furnace supports shall be firmly grounded about 60 centemeter in concrete orby other effective means.

(d) Every electric furnace shall be installed and operated according to manufacturer's instructions and these instructions shall be clearly imparted to the personnel incharge of construction and operation.

(e) The instructions regarding observations of correct furnace temperature sulphur doze, admissible current/power consumption and periodical checking of charcoal level shall be strictly complied with. These instructions shall be exhibited at conspicuous place near the furnace.

3. Electrodes. - (a) Where upper ring electrode(s) or straight electrodes made of steel are used in the electric furnace, they shall be of steamless tube constructed and shall have arrangement for being connected to cooling water system through a siphon-built in the electrodes or through positive pressure water pump.

(b) The arrangement for cooling water referred to in clause (a) shall be connected with automatic alarm system which will actuated in the event of interruption of cooling water in the electrodes and given visible and audible alarm signals in the control room and simultaneously stop power supply for the furnace operation and to stop the further supply of water. The alarm system and the actuating device shall be checked every day.

4. Rapture Discs and Safety Seal. - (a) At least two rapture discs of adequate size which shall blow off at a pressure twice the maximum operating pressure shall be provided on each furnace and shall either be mounted directly on the top of the furnace or each through an independent pipe as close as possible to the furnace.

(b) A safety water shall be provided and tapped from a point between the charcoal separator and the sulphur separator.

5. Pyrometer and Manometers. - (a) Each electric furnace shall be fitted with adequate number of pyrometers to give an indication of the temperature as correctly as reasonably practicable at various points in the furnace. The dials for reading the temperature shall be located in this control room.

(b) Manometers or any other suitable devices shall be provided for indicating pressure :-

(i) In the off take pipe before and after the sulphur separator; and

(ii) In primary and secondary condensers.

6. Check Valves. - All piping carrying carbon disulphide shall be fitted with check valves at suitable position so as to prevent gas from flowing back into any electric furnace in the event it is shut down.

Inspection and Maintenance of Electric Furnace

7.(a)Every electric furnace shall be inspected internally by a competent person:-

(i) Before being placed in service after installation:

(ii) Before being placed in service after reconstruction or repairs; and

(iii) Periodically every time the furnace is opened for cleaning and de-ashing or for replacing electrodes.

(b) When an electric furnace shut down for cleaning and deashing :-

(i) The brick lining shall be checked for continuity and any part found defective be removed.

(ii) After removal of any part of the lining referred to in (a) the condition of the shell be closely inspected; and

(iii) Any plates forming shell found corroded to the extent that safety of the furnace is endangered shall be replaced.

8. Maintenance of Records. - The following hourly records shall be maintained in a log book :

(i) Manometer reading at the points specified in (5) (b) (i) and (ii).

(ii) Gas temperature indicated by pyrometers and all other vital points near the sulphur separator and primary and second condensers.

(iii) Water temperature and flow of water through the siphon in the electrodes.

(iv) Primary and secondary voltages and energy consumed.

9. Electrical Apparatus-Wiring and Fittings. - All buildings in which carbon disulphide is refined or stored shall be provided with electrical apparatus, wiring and fittings which shall afford adequate protection from fire and explosion.

10. Prohibition relating to Smoking. - No person shall smoke or carry matches fire or naked light of other means of producing a naked light or spark in buildings in which carbon disulphide is refined or stored and a notice in the language understood by a majority of the workers shall be pasted in the Plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or spark into such rooms.

11. Means of Escape. - Adequate means of escape shall be provided and maintained to enable persons to move to a safe place as quickly as possible in case of an emergency. At least two independent staircases of not less than 110 cm. in width and making an angle of not more than 45 from the horizontal shall be provided in every building housing the furnaces at reasonable intervals at opposite ends. These shall always be kept clear of all obstructions and so designed as to afford easy passage.

12. Warning in case of fire. - There shall be adequate arrangements for giving warnings in case of fire or explosion which shall operate on electricity and in case of failure of electricity by some mechanical means.

13. Fire fighting equipments. - (a) Adequate number of suitable fire extinguishers or other fire fighting equipment shall be kept in constant readiness for dealing with risks involved and depending on the amount and nature of material stored.

(b) Clear instructions as to how the extinguishers or other equipment should be used printed in the language which the majority of the workers employed understand shall be affixed to each extinguisher or other equipments.

(c) Adequate number of persons shall be trained in the use of fire fighting equipments.

14. Bulk Sulphur. - (a) Open or semi-enclosed spaces for storage of bulk sulphur shall be sited with due regard to the dangers which may arise from sparks given by locomotives etc. and precautions shall be taken to see that flames, smoking and matches, and other sources of ignition do not come in contact with the clouds of dust arising during handing of bulk sulphur.

(b) All enclosures for bulk sulphur shall be of non-combustible construction, adequately ventilated and so designed as to provide a minimum of ledges on which dust may lodge.

(c) The bulk sulphur in the enclosure shall be handled in such manner as to minimize the formation of dust clouds and no flame, smoking and matches or other sources of ignition shall be allowed and non-sparking tools shall be used whenever sulphur is shoveled.

(d) No repairs involving flames, heat or use of hand or power tools shall be made in the enclosure were bulk sulphur is stored.

15. Liquid Sulphur. - Open flames, electric sparks and other sources of ignition including smoking and matches, shall be excluded from the vicinity of molten sulphur.

16. Training and Supervision. - (1) All electric furnaces and all Plants in which carbon disulphide is condensed, refined or stored shall be under adequate supervision at all times while the furnaces and plants are in operation.

(b) Workers incharge of operation and maintenance of electric furnaces and the plants shall be properly qualified and adequately trained.

17. Washing facilities. - The occupier shall provide and maintain in a clean state and in good repair for the use of all persons employed wash place under cover with atleast one tap or standpipe having a constant supply of clean water for every five such person, the taps or stand-pipes being space not less 120 cm. apart with sufficient supply of soap and clean towels. All the workers employed

in the sulphur storage, handling and melting operations shall be provided with nail brush.

18. Personal Protective Equipment. - (a) Suitable goggled and protective clothing consisting of overalls without pockets, gloves and foot wear shall be provided for the use of operators :-

(i) When operating valves or cooks controlling fluids etc.

(ii) Drawing off of melten sulphur from pots; and

(iii) Handling charcoal or sulphur.

(b) Suitable respiratory protective equipment shall be provided and stored in the appropriate place for use during abnormal conditions or in an emergency.

(c) Arrangements shall be made for the proper and efficient cleaning of all such protective equipment.

19. Cloak-Rooms. - There shall be provided and maintained for the use of all persons employed in the process a suitable cloak-room for clothing put off during work hours and a suitable place separate from the cloak-room of that storage of overalls or working clothes. The accommodation so provided shall be placed in the charge of responsible person and shall be kept clean.

20. Unauthorised Persons. - (a) Only maintenance and repair personnel, person directly connected with plant operating and those accompanied by authorised person shall be admitted into the plant.

21. Medical Examination-(1) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process. The

person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer,after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-20

Manufacture manipulation of "Manganese" and its compound

1. Definitions. - For the purpose of this schedule-

(a) *"Manganese Process"* means processing manufacture of manipulation of manganese or any compound of manganese or any area of any mixture containing manganese.

(b) *"First employment"* means first employment in any manganese process and includes also re-employment in any manganese process following any cessation of employment for a continuous period exceeding 3 calendar months.

(c) *"Manipulation"* means mixing, blending, filling, emptying, grinding, sewing, drying, packing, sweeping or otherwise handling of manganese of a compound ofmanganese, or an ore of mixture containing manganese.

(d) *"Efficient Exhaust Ventilation"* means localized ventilation effected by mechanical means for the removal of dust or fume or mist at its source of origin so as to prevent it from escaping into the atmosphere of any place where any work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient which fails to remove the dust or mist at the point where it is generated and fails to prevent it from escaping into and spreading into the atmosphere of a work place.

2. Application. - This Schedule shall apply to every factory in which or in any part of which any manganese process is carried on.

3. Exemption. - If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to any exceptional circumstances, or infrequency of the process or for any other reason application of all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the persons employed in such factory he may, by an order in writing which he may at his discretion revoke, exempt such factory from all or any of the provisions of such conductions and for such period as he may specify in the said order.

4. Isolation of process. - Every manganese process which may give rise to dust, vapour or mist containing manganese, shall be carried on in a totally enclosed system or otherwise effectively isolated from other processes so that other plants and process and other parts of the factory and persons employed on other work of process may not be affected by the same.

5. Ventilation of process. - No process in which any dust, vapour or mist containing manganese is generated, shall be carried but except under an efficient exhaust ventilation which shall be applied as near to the point of generation as practicable.

6. Medical Examination-(1) The occupier of every factory to which this Schedule applies,shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein; and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained in a separate register

which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

(3) Every worker employed in any manganese processes shall be medically examined by a medical practitioner within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of a serum calcium, serum phosphate and manganese in blood and urine and also include steadiness tests other neuromuscular coordination tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified for such employment by the medical practitioner.

(4) Every worker employed in the processes of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register on form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

7. Personal Protective Equipment. - (1) The Occupier and Manager of the Factory shall provide and maintain in good and clean condition suitable overalls and head coverings for all persons employed in any manganese process and such overalls and head coverings shall be worn by the persons while working on a manganese process.

(2) The occupier and Manager of the factory shall provide suitable respiratory protective equipment for use by workers in emergency to prevent inhalation of dust fumes. Sufficient number of complete sets of such equipment shall always be kept near the work place and the same shall be properly maintained and kept always in a condition to be used readily.

(3) The Occupier and Manager shall provide and maintain for the use of all persons employed suitable accommodation for the storage and make adequate arrangements for cleaning and maintenance of personal protective equipment.

8. Prohibition relating to pregnant women and lactating mothers and adolscents. - No pregnant women and lactating mothers or adolscent shall be employed or permitted to work in any manganese process.

9. Food, drinks prohibited in the work-rooms. - No food, drink, pan and supari or tobacco shall be allowed to be brought into or consumed by any worker in anywork-room in which any manganese process carried on.

10. Mess Room. - There shall be provided and maintained for the use of the persons employed in a manganese process a suitable mess room which shall be furnished with sufficient tables and benches and adequate means for warming of food. The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall bekept clean.

11. Washing Facilities. - There shall be provided and maintained in a clean state and in good condition, for the use of persons employed in manganese process a wash place under cover, with either :-

(1) A trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe without plug.The trough shall be of sufficient length to allow at least to 60 centimeters for every ten such persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than 60 centemetres; or atleast one wash basin for every five such persons at any one time, fitted with a wasted pipe and plug and having a constant supply of water; and

(2) Sufficient supply of soap or other suitable cleaning material and nail brushes and clean towels.

12. Cloak Room. - If the Chief Inspector cum facilitator so requires there shall be provided and maintained for the use of persons employed in manganese process a cloak-room for clothing put off during working hours with adequate arrangement for drying the clothing.

13. Cautionary Playcard and instructions. - Cautionary notice in the following form and printed in the language of the majority of the workers employed shall be affixed in prominent places in the factory where they can be easily and conveniently read by the workers and arrangement shall be made by the manager or occupier to instruct periodically all workers employed in a manganese process regarding the health hazards connected with their duties and the best preventive measure and methods and to protect themselves. The notice shall always be maintained in a legible conditions.

Cautionary Notice

Managanese and Manganese compound

1. Dust fumes and mists of Manganese and compounds are toxic when inhaled or when injected.
2. Do not consume food or drink near the work place.
3. Take a good wash before taking meals.
4. Keep the working area clean.
5. Use the protective clothing and equipments provided.
6. When required to work in situations where dust, fumes or mists are likely to be inhaled, use respiratory protective equipment provided for the purpose.
7. If you get severe headaches, prolonged sleeplessness or abnormal sensations on the body, report to the Manager who would make arrangements for your examination and treatment.

Sub-Schedule-21

This Schedule shall apply to factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used.

2. Definitions. - For the purposes of this Schedule-

(a) *"Substance containing benzene"* means substance wherein benzene content exceeds one percent by volume;

(b) *"Substitute"* means a Chemical which is harmless or less harmful than benzeneand can be used in place of benzene;

(c) *"enclosed system"* means a system which will not allow escape of benzene vapours to the working atmosphere;

(d) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gases, vapours and dusts or fumes so as to prevent them from escaping into the air of any work-room and no draught shall be deemed to be efficient if it fails to remove smoke/generated at the point where such gases, vapours, fumes or dust originates.

3. Prohibition and substitution. - [(a) use of Benzene and substances containing Benzene is prohibited in the following processes :-

(i) Manufacture of Varnishes, paints and thinners; and

(ii) Cleaning and degreasing operations.

(b) Benzene or substances containing benzene shall not be used as a solvent or diluent unless the process in which it is used is carried on in an enclosed system or unless the process is carried on in a manner which is considered equally safe as if it were carried out in an enclosed system.

(c) Where suitable substitutes are available, they shall be used instead of benzene or substances containing benzene. This provision, however, shall not apply to the processes specified in Appendix A.

(d) The Chief Inspector cum facilitator may, subject to confirmation by the State Government, permit, exemptions from the percentage laid down in clause 2(a) and also from the provisions of sub-clause (b) temporarily under conditions

and within limits of time to be determined after consultation with the employers and workers concerned.

4. Protection against inhalation. - (a) The process involving the use of benzene or substances containing benzene shall, as far as practicable be carried out in an enclosed system.

(b) Where, it is not practicable to carry out the process in an enclosed system, the workroom in which benzene or substances containing the benzene are used shall be equipped with an efficient exhaust draught or other means for the removal of benzene vapours to prevent their escape into the air of the workroom so that the concentrationof benzene in the air does not exceed 25 parts per million by volume or 80 mg/m.

(c) Air analysis of or the measurement of concentration of benzene vapours in air shallbe carried out every 8 hours or at such intervals as may be directed by the Chief Inspector cum facilitator at places where process involving use of benzene is carried on and the result of such analysis shall be recorded in a register specially maintained for this purpose. If the concentration of benzene vapours in air and measured by air analysis, exceeds 25 parts per million by volume or 80 mg./m. the Manager shall forthwith report the concentration to the Chief Inspector cum facilitator stating the reasons for such increase.

(d) Workers who for special reasons are likely to be exposed to concentration of benzene in the air of the work-room exceeding the maximum referred to in clause (b)shall be provided with suitable respirators of face mask. The duration of such exposure shall be limited as far as possible.

5. Measures against skin contact. - (a) Workers who are likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene shall be provided with suitable gloves, aprons, boots where necessary vapour tight chemical goggles, made of material not affected by benzene or its vapours.

(b) The protective were referred to in sub-clause (a) shall be maintained in good conditions and inspected regularly.

6. Prohibition relating to employment of pregnant women and lactating mothers and adolescent. - No pregnant women and lactating mothers or adolescent shall be employed or permitted to work in any work-room involving exposure to benzene or substances containing benzene.

7. Labelling. - Every container holding benzene or substances containing benzene shall have the word "Benzene" and approved danger symbols clearly visible on it and shall also display information on benzene content, warning about toxicity and warning about inflamability of the chemical.

8. Improper use of benzene. - (a) The use of benzene or substance containing benzene by workers for cleaning their hands or their work clothing shall be prohibited.

(b) Workers shall be instructed on the possible dangers arising from such misuse, and written acknowledgment from every workers who having regard to nature of his work likely to come in contact with liquid benzene or liquid substances containing benzene, shall be obtained that he has fully understood the import of the instructions.

9. Prohibition of consuming food, etc., in workrooms. - No workers shall be allowed to store or consume food or drink in the workroom in which benzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used. Smoking and chewing tobacco or pan betel nut shall be prohibited in such workrooms.

10. Instructions as regards risks. - Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties of benzene or substances containing benzene which he has to handle and of the dangers involved. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with in an emergency.

11. Cautionary notices. - Cautionary notices in the form specified in Appendix B and presented in the language easily read and understood by the majority of the workers shall be displayed in prominent places in the work-rooms where benzene or substance containing benzene are manufactured, handled or used.

12. Washing facilities, cloak room and mess room. - In factories in which benzene or substances containing benzene are manufactured, handled or used, the occupier shall provide and maintain in clean state and in good repair-

(a) Washing facilities under cover of the standard of at least one tap for every 10 persons having supply of water with soap and a clean towel provided individually to each worker.

(b) A cloak room with lockers for each worker, having two compartments one for street clothing and one for work clothing.

(c) A mess room furnished with tables and benches with arrangement for warming food provided that where a canteen or other proper arrangements exist for the workers to take their meals, the requirements of mess room shall be dispensed with.

13. Medical facilities and Examination-(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examinations and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

(3) Every worker employed in processes mentioned in paragraph 1, shall be examined by a medical practitioner within 15 days of his first employment. Such examination shall include tests for detection of phenol in urine and determination of urinary sulphideration and CNS and hamotological tests. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical practitioner.

(4) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer.

(5) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground, that continuance thereinwould involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(6) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(7) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Appendix A

[Clause 3 (b)]

(1) Production benzene.

(2) Process where ben/ene is used for chemical synthesis.

(3) Motor spirits (used as fuel).

Appendix B

(Clause 11)

(a) The hazards-

(i) Benzene and substances containing benzene are harmful.

(ii) Prolonged of repeated breathing of benzene vapours may result in acute orchronic poisoning.

(iii) Benzene can also be absorbed through skin which may cause skin and otherdiseases.

(b) The preventive measures to be taken-

(i) Avoid breathing of benzene vapours.

(ii) Avoid prolonged or repeated contact of benzene with skin.

(iii) Remove benzene soaked or wet clothing promptly.

(iv) If any time you are exposed to high concentration of benzene vapours and exhibit the sign and symptoms such as dizziness, difficulty in breathing over excitement of consciousness, immediately inform your Factory Manager.

(v) Keep all the containers of benzene closed.

(vi) Handle, use and process benzene and substances containing benzene carefully in order to prevent their spillage on floor.

(vii) Maintain good housekeeping.

(c) The protective equipment to be used-

(i) Use respiratory protective equipment in a place where benzene vapours are present in high concentration.

(ii) In emergency, use self generating oxygen mask or oxygen or air cylinder masks.

(iii) Wear hand gloves, aprons, goggles and gum boots to avoid contact of benzenewith your skin and body parts.

(d) The first-aid measures to be taken in case of acute benzene poisoning-

(i) Remove the clothing immediately if it is wet with benzene.

(ii) If liquid benzene enters eyes, flush roughly for at least 15 minutes with clean running water and immediately secure medical attention.

(iii) In case of unusual exposure to benzene vapour call a physician immediately. Until he arrives do the following :-

If the exposed person is conscious

(A) Move him to fresh air in open.

(B) Lie him down without a pillow and keep him quiet and warm.

If the exposed person is unconscious

(A) Lie him down preferably on the left side with the head low.

(B) Remove any false teeth, chewing gum, tobacco or other foreign objects which may be in his mouth.

(C) Provide him artificial respiration in case difficulty is being experienced in breathing.

(D) In case of hollow breathing or cyanosis (blueness of skin, lips, ears, finger nail-beds), he should be provided with medical oxygen or oxygen carbon di oxide mixture. If needed he should be given artificial respiration. Oxygen should be administered by a trained person only.

Sub-Schedule-22

Manufacture of Slate Pencil

1. Definitions. - For the purposes of this Schedule-

(a) Manufacture of slate pencils means cutting of stone with the aid of circular saw or any other means for the manufacture of slate pencils and includes incidental processes, such as, handling and slicing of stone separating the pencils at the grooves cut by saws and incidental processes, such as, counting, packing, pointing and sorting of pencils.

(b) *"Efficient exhaust draught"* means localised ventilations by mechanical means for the removal of dust so as to prevent the dust from escaping into the air of any place in which work in carried on and no draught shall be deemed to be efficient which fails to remove . the dust produced at the point where such dust originates.

2. (a) No process of cutting the stones or making a groove in the stone with the help of saw shall be carried out unless the cutting or grooving equipment is fitted with such an efficient exhaust draught, which exhausts the dust from the place where the dust or ignites and carries it away from the place of work.

(b) Where the exhaust fan and the cutting or grooving equipment are driven by separate motors, these motors shall be electrically so interlocked that unless the motor of the exhaust fan is working, it shall not be possible to start the motor used for driving the cutting or grooving equipment.

3. (a) No women or adolescents shall be required or allowed to work in the machines used for cutting the stones or making grooves on the stones.

(b) The work such as packing, repacking, pointing or sorting of pencil, breaking open the grooves or similar other operations, shall not be carried out in the same shed in which the operations or cutting of stone or making grooves on them are carried out.

4. (a) No worker shall be employed on the manufacture of slate pencils, unless he has been medically and radiologically examined by a medical practitioner and declared fit for such employment by grant of certificate of fitness in Form No. 43.

(b) Every workers employed on the manufacture of slate pencil on the date on which this Schedule comes in force shall be medically and radiologically examined by a medical officer within 3 months of the said date.

(c) Every worker employed on the manufacture of slate pencil manufacturing shall be medically examined by a medical officer at a interval of not more than six months after the first examination conducted under the said sub-clauses (a) and (b) and shallbe radiologically examined at an interval as may be directed by the medical officer.

(d) Worker already in employment and declared unfit by a medical officer shall not be allowed to work on the manufacture of slate pencils, unless he is examined again and granted a certificate of fitness.

(e) The medical officer may direct that a worker may be got radiologically examined or the may be subjected to further examination, clinical, pathological orotherwise, or that he may undergo specified treatment, and it shall be the responsibility of the occupier and the manager to arrange for the specified

examination and treatment, and to bear all expenses thereof and in connection therewith.

(f) The medical officer shall, after each examination grant a certificate in Form No 43.

(g) The manager shall maintain all certificates on Form 28 in a proper file and shall produce all the certificates before the Inspector cum facilitator whenever demanded.

5. No worker shall be required or allowed to work on cutting, groove making machine or any other equipment generating dust from the stone used for manufacturing slate pencils, unless he is wearing dust mask.

Sub-Schedule-23

Manufacture of manipulation of dangerous pesticides

1. Application. - This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof in which the process of manufacture or manipulation of dangerous pesticide hereinafter referred to as the said manufacturing process is carried on.

2. Definitions. - For the purpose of this Schedule-

(a) *"dangerous pesticides"* means any product proposed or used for controlling, destroying or repelling any pest or for preventing growth or mitigating effects of such growth including any of its formulations which is considered toxic under and is covered by the Insecticides Act, 1968 and the rules made thereunder and otherproduct, as may be notified from time to time by the State Government;

(b) *"manipulation"* includes mixing, blending, formulation, filling, emptying, packing or otherwise handling;

(c) *"efficient exhaust draught"* means localised mechanical ventilation for removal ofsmoke, gas, vapour, dust, fume or mist so as to prevent them from escaping into the air of any work room in which work is carried on. No exhaust draught shall be considered efficient if it fails to remove smoke generated at the point where such gas,fume, dust, vapour, or mist originates from the process;

(d) *"first employment"* shall mean first employment in any manufacturing process to which this schedule applies and shall also include re-employment in the said manufacturing process following any ceasation of employment for a continuous period exceeding three calendar months; and

(e) *"suspension"* means suspension from employment in any process wherein a dangerous pesticide is manipulated, by written certificate the health register signed by the Medical officer who shall be competent to suspend all persons employed in such process.

3. Instruction to workers. - Every worker on his first employment shall be fully instructed on the properties including dangerous properties of the chemicals handled in the said manufacturing process and the hazards involved. The employees shall also be instructed in the measures to be taken to deal with any emergency. Such instructions shall be repeated periodically.

4. Cautionary notice and placards. - Cautionary notices and placards in the form specified in appendix to this schedule and printed in the language of the majority of the workers shall be displayed in all work places in which said manufacturing process is carried on so that they can be easily and conveniently read by the workers. Arrangements shall be made by the occupier and the manager of the factory to periodically instruct the workers regarding the health hazards arising in the said manufacturing process and method of protection. Such notices shall include brief instructions regarding the periodical clinical tests required to be undertaken for protecting health of the workers.

5. Prohibition relating to employment of pregnant women and lactating mothers or adolscents. - No pregnant women and lactating mothers or adolescent shall be employed or permitted to work in any room in which the said manufacturing process is carried on or in any room in which dangerous pesticide isstored.

6. Food, drinks and smoking prohibited. - (1) No food, drink, tobacco, pan or supari shall be brought into or consumed by any worker in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

(2) Smoking shall be prohibited in any workroom in which the said manufacturing process is carried out.

7. Protective clothing and protective equipment. -(1) Protective clothing consisting of long pants and shirt or over all with long sleeves and head covering shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(2) (a) Protective equipment consisting of rubber gloves, gum boots, rubber aprons, chemical safety goggles and respirators shall be provided for all workers employed in the said manufacturing process.

(b) Gloves, boots, aprons shall be made from synthetic rubber where a pesticide contains oil.

(3) Protective clothing and equipment shall be worn by the workers supplied with such clothing and equipment.

(4) Protective clothing and equipment shall be washed daily from inside and outside if the workers handle pesticides containing nicotine or phosphorus and shall be washed frequency to handling other pesticides.

(5) Protective clothing and equipment shall be maintained in good repair.

8. Floors and work-benches. - (1) Floors in every workroom where dangerous pesticides are manipulated shall be of cement or other impervious material giving a smooth surface.

(2) Floors shall be maintained in good repair, provides with adequate slope leading to a drain and thoroughly washed once a day with hose pipe.

(3) Work-benches where dangerous pesticides are manipulated shall be made of smooth, non-absorbing material preferably stainless steel and shall be cleaned atleast once daily.

9. Spillage and waste. - (1) If a dangerous pesticide during its manipulation splashes or spills on the work-bench, floor or on the protective clothing worn by a worker, immediate action shall be taken for thorough decontamination of such areas or articles.

(2) Cloth, rags, paper or other material soaked or soiled with a dangerous pesticide shall be deposited in a suitable receptacle with tight fitting cover. Contaminated waste shall be destroyed by burning at least once a week.

(3) Suitable deactivating, where available, shall be kept in a readily accessible place for use while attending to a spillage.

(4) Easy means for access shall be provided to all parts of the plant for cleaning, maintenance and repairs.

10. Empty containers used for dangerous pesticides. - Containers used for dangerous pesticides shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discarded or destroyed.

11. Manual handling. - (1) A dangerous pesticide shall not be required or allowed to be manipulated by hand except by means of a long handled scoop.

(2) Direct contact of any part of the body with a dangerous pesticide during its manipulation shall be avoided.

12. Ventilation. - (1) In every workroom or area where a dangerous pesticide is manipulated, adequate ventilation shall be provided at all times by the circulation of fresh air.

(2) Unless process is completely enclosed, the following operations during manipulation of a dangerous pesticide shall not be undertaken without an efficient exhaust draught :-

(a) emptying container holding a dangerous pesticide;

(b) blending a dangerous pesticide;

(c) preparing a liquid or powder formulation containing a dangerous pesticide; and

(d) changing or filling a dangerous pesticide into a container, tank hopper or machine or small sized containers.

(3) In the event of a failure of the exhaust draught provided on the above operation, the said operations shall be stopped forthwith.

13. Time allowed for washing. - (1) Before each meal and before the end of the day's work atleast ten minutes in addition to the regular rest interval shall be allowed for washing to each worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide.

(2) Every worker engaged in the manipulation of dangerous pesticide shall have a through wash before consuming any food and also at the end of the day's work.

14. Washing and bathing facilities. - (1) It shall be provided and maintained in a dean state and in good repair for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 5 persons employed.

(2) The washing place shall have stand pipes placed at intervals of not less than one metre.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator .

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

15. Cloak-room. - It shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory where the said manufacturing process is carried on-

(a) a cloak-room for clothing put off during working hours with adequate arrangements for drying clothing, if wet; and

(b) separate and suitable arrangements for the storage of protective clothing providedunder paragraph 7.

16. Messroom. - (1) It shall be provided and maintained for the use of all workers employed in the factory in which the said manufacturing process is carried on and remaining on the premises, during the rest intervals, a suitable messroom which shall be furnished with-

(a) sufficient tables and benches with back-rest; and

(b) adequate means for warming food.

(2) The mess room shall be placed under the charge of a responsible person and shall be kept clean.

17. Manipulation not to be undertaken. - Manufacture or manipulation of a pesticides shall not be undertaken in any factory unless a certificate regarding its dangerous nature or otherwise is obtained from the Chief Inspector cum facilitator .

18. Medical facilities and Examination-(1) Every worker employed in the said manufacturing process shall be examined by the medical practitioner within seven days of the first employment and no worker shall be allowed to work unless certified fit by a certificate of fitness in Form 28 for such employment by the medical officer.

(2) Every worker employed in the said manufacturing process shall be re-examined by a medical officer at least once in 6 calendar months.

(3) Due notice shall be given to the medical practitioner and the concerned workers regarding the arrangements for examination of workers employed in the said manufacturing process after obtaining the consent regarding the arrangement from the medical officer.

(4) Health register in Form 29 shall be maintained.

(5) No worker after suspension shall be employed without written sanction from the medical officer entered in or attached to the health register. The person so suspended from the process being unfit for work in that process shall be

provided with alternate placement facilities by factory management unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitates.

(6) The occupier shall engage a qualified medical practitioner approved by the Chief Inspector cum facilitator who shall examine and when necessary treat on the premises of the factory, all workers who are employed in the said manufacturing process, for effect of excessive absorption of the dangerous pesticide atleast once a week.

(7) The occupier shall make necessary arrangements to ensure quick availability of qualified medical practitioner in emergency.

(8) The occupier shall provide medicines and antidotes and other equipment required for treatment of excessive absorption of dangerous pesticides.

(9) Records of such examinations and treatments and tests shall be maintained and shall be made available to Inspector cum facilitator .

(10) The Chief Inspector cum facilitator may order suitable clinical test or tests to be carried out at specified intervals in respect of workers in any factory where such manufacturing process is carried on. Charges for such test or tests shall be borne by the occupier.

(11) Every worker in any factory where the said manufacturing process is carried on, shall undergo the prescribed examinations, tests and treatments.

(12) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(13) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility

unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(14) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(15) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

19. Exemption. - If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or the infrequency of the said manufacturing process or for any other reason which he shall record in writing all or any of the provision of this schedule are not necessary for the protection of the workers employed in the factory, he may by a certificate in writing exempt such factory, from all or any of the provisions on such condition as he may specify therein. Such certificate may, at any time, be revoked by the Chief Inspector cum facilitator after recording his reasons therefore.

Appendix

Cautionary Notice

1. Chemicals handled in this plant are poisonous substances.
2. Smoking, eating food or drinking, chewing tobacco in this area is prohibited. No food stuff or drink shall be brought in this area.
3. Some of these chemicals may be absorbed through skin and may cause poisoning.
4. A good wash shall be taken before meals.
5. A good bath shall be taken at the end of the shift.
6. Protective clothing and equipment supplied shall be used while, working in this area.
7. Containers of pesticides shall not be used for keeping food stuffs.

8. Spillage of the chemicals on any part of the body or on the floor or work-bench shall be immediately washed away with water.

9. Clothing contaminated due to splashing shall be removed immediately.

10. Scrupulous cleanliness shall be maintained in this area.

11. Do not handle pesticides with bare hands, use scoops provided with handle.

12. In case of sickness like nausea, vomitting, giddingness, the manager should be informed who will make necessary arrangements for

13. All workers shall report for the prescribed medical tests regularly to protect their own health.

Sub-Schedule-24

Manufacture or manipulation of Carcinogenic dye intermediates

1. Application. - This schedule shall apply in respect of all factories or any part thereof where processes in which the substances mentioned in paragraphs 3 and 4formed, manufactured, handled, or used and the processes incidental thereto in the course of which these substances are formed, are carried on. The processes indicated in this paragraph shall be referred to hereinafter as "the said processes",and such a reference shall mean any or all the processes described in this paragraph.

2. Definitions. - For the purpose of this schedule-

(a) *"controlled substances"* means chemical substances mentioned in paragraph 4 of this schedule;

(b) *"first employment"* means first employment in the said processes and also oremployment in such processes following any cessation of employment for acontinuous period exceeding three calendar months;

(c) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation effected by mechanical means for the removal of gas, vapour, dust or fume so as to prevent them from escaping into the air of any place in which work is carried on. No

draught shall be deemed to be efficient which fails to remove smoke generated at the point where such gas, vapour, fume or dust originates; and

(d) *"prohibited substances"* means chemical substances mentioned in paragraph 3 of this schedule.

3. Prohibited substances. - For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "prohibited substances" except when these substances are present or are formed as a by-product of a chemical reaction in total concentration and exceeding one per cent :

(a) beta-naphthylamine and its salts;

(b) benzidine and its salts;

(c) 4-amino diphenyl and its salts;

(d) 4-nitro diphenyl and its salts; and

(e) any substances containing any of these compounds.

4. Controlled substances. - For the purpose of this schedule, the following chemical substances shall be classified as "controlled substances.

(a) Alpha-naphthylamine oralpha-naphthylamine containing not more than one percent of betanaphthylamine either as a by-product if chemical reaction or otherwise and its salts;

(b) ortha-tolidine and its salts;

(c) dianisidine and its salts;

(d) dichlorobenzidine and its salts;

(e) auramine; and

(f) magnets.

5. Prohibition of employment. - No person shall be employed in the said processes in any factory in which any prohibited substance is formed, manufactured, processed, handled, or used except as exempted by the Chief Inspector cum facilitator as stipulated in paragraph 23.

6. Requirements for processing or handling controlled substance. (1)Wherever any of the controlled substances referred to in paragraph 4 are

formed, manufactured, processed, handled, or used, all practical steps shall be taken to prevent inhalation, ingestion or absorption of the said controlled substance by the workers while engaged in processing that substance, and its storage or transport within the plant, or in cleaning or maintenance of the concerned equipment, plant, machinery and storage areas.

(2) As far as possible all operations shall be carried out in a totally closed system. Wherever such enclosure is not possible, efficient, exhaust draught shall be applied at the point where the controlled substances are likely to escape into the atmosphere during the process.

(3) The controlled substances shall be received in the factory in tightly closed containers and shall be kept so except when these substances are in process or in use. The controlled substance shall leave the factory only in tightly closed containers of appropriate type. All the containers shall be plainly labeled to indicate the contents.

7. Personal protective equipment. - (1) The following item to personal protective equipment shall be provided and issued to every worker employed in the said processes :-

(a) long trousers and shirts or overall with full sleaves and head cover in the shirt or overall shall cover the neck completely; and

(b) rubber gum-boots.

(2) The following item of personal protective equipment shall be provided in sufficient numbers for use by workers employed in the said processes when there is danger or injury during the performance of normal duties or in the event of emergency :-

(a) rubber hand gloves;

(b) rubber aprons; and

(c) Airline respirators or other suitable respiratory protective equipment.

(3) It shall be the responsibilities of the manager to maintain all item of personal protective equipment in a clean and hygenic conditions and in good repair.

8. Prohibition relating to employment of pregnant women and lactating mothers and adolscent. - No pregnant women and lactating mothers or adolscent shall be employed or permitted to work in any room in which the said processes are carried on.

9. Floors of work-room. - The floor of every work-room in which the said processes are carried on shall be-

(a) smooth and impervious to water provided that asphalt or tar shall not be used in the composition of the floor;

(b) maintained in a state of good repair;

(c) with suitable slope for easy cleaning and provided with gutters; and

(d) thoroughly washed daily with the drain water being led into a sewer through aclosed channel.

10. Disposal of empty containers. - Empty containers used for holding controlled substances shall be thoroughly cleaned of their contents and treated with an inactivating agent before being discharged.

11. Manual handling. - Controlled substances shall not be allowed to be mixed, filled,emptied or handled except by means of a scoop with a handle. Such scoop shall be thoroughly cleaned daily.

12. Instructions regarding risk. - Every worker on his first employment in the said processes shall be fully instructed or the properties of the toxic chemicals to which he is likely to be exposed to of the dangers involved and the precautions to be taken. Workers shall also be instructed on the measures to be taken to deal with an emergency.

13. Cautionary placards. - Cautionary placards in the form specified in appendix attached to this schedule and printed in the language of the majority of the workers employed in the said processes shall be affixed in prominent places in the factory, where the placards can be easily and conveniently read. Arrangements shall be made by the manager to instruct periodically all such workers regarding the precautions contained in the cautionary placards.

14. Obligations of the workers. - It shall be the duty of the persons employed in the said processes to present themselves for the medical examination including exfoliative cytology of urine by the Medical officer or the qualified medical practitioner as provided for under these rules.

15. Washing and bathing facilities. - (1) The following washing and bathing facilities shall be provided and maintained in a clean state and in good repairs for the use of all workers employed in the said processes :-

(a) a wash place under cover having constant supply of water and provided with clean towels, soap and nail brushes and with atleast one stand pipe, for every five such workers;

(b) 50 per cent of the stand pipes provided under clause (a) shall be located in bath-rooms where both hot and cool water shall be made available during the working hours of the factory and for one hour thereafter.

(c) the washing and bathing facilities shall be in closed proximity of the area housing the said processes;

(d) clean towels shall be provided individually to each worker; and

(e) in addition to the taps mentioned under clause (a), one stand pipe, in which warm water is made available, shall be provided on each floor.

(2) Arrangement shall be made to wash factory uniforms and other work clothes every day.

16. Food, drinks, etc. prohibited in workroom. - No worker shall consume food,drink, pan, supari or tobacco or shall smoke in any workroom in which the said processes or carried on and no worker shall remain in any such room during intervalsfor meals or rest.

17. Cloak-room. - There shall be provided and maintained in clean state and in good repair for the use of the workers employed in the said processes-(a) a cloak-room with lockers having two compartments one for street clothes and the other for work clothes, and (b) a place separate from the locker room and the

mess room, for the storage of protective equipment provided shall be under the care of a responsible person and shall be kept clean.

18. Messroom. - There shall be provided and maintained for the use of the workers employed in the said processes who remain on the premises during the meal intervals, a messroom which shall be furnished with tables and benches and provided with suitable means for warming food.

19. Time allowed for washing. - Before the end of each shift 30 minutes shall be allowed for bathing for each worker who is employed in the said processes. Further, atleast 10 minutes shall be allowed for washing before each meal in addition to the regular time allowed for meals.

20. Restriction on age of persons employed. - No worker under the age of 40 years shall be engaged in the factory in the said processes for the first time after the date on which the schedule comes into force.

21. Medical Examination-(1) Every worker employed in the said processes shall be examined by a medical practitioner within 14 days of his first employment. Such examination shall include tests which the medical practitioner may consider appropriate and shall include ex-foliative cytology of the urine. No worker shall be allowed to work after 14 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the medical practitioner .

(2)Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a medical officer at least once in every six calendar months. Such examination shall include tests which the medical officer may consider appropriate but shall include ex-foliative cytology of the urine.

(3)A person medically examined under sub-paragraph (1) shall be granted by the medical officer a certificate of fitness in Form 28.The record of each examination carried out as referred to in sub-paragraphs (1) and (2)including the nature and the results of the tests shall be entered by the medical officer in a health register in Form 29.

(4) The certificate of the fitness and the health register shall be kept readily available for inspection by any Inspector cum facilitator .

(5) The occupier of every factory in which the said processes are carried on shall engage a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed in such processes. His appointment shall be subject to approval of the Chief Inspector cum facilitator . The occupier shall provide to him all the necessary facilities for the purposes referred to in sub-paragraph (1).

(6) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(7) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(8) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(9) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

22. Exemptions-Prohibited substances.- (1) The Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing (which he may at his discretion revoke at any time), subject to such conditions, if any, as may be specified therein, exempt any process in the course of which any of the prohibited substances is formed, processed, manufactured, handled, or used, from the provisions of

paragraph 5 if he is satisfied that the process is carried out in a totally enclosed and hermetically sealed system in such a manner that the prohibited substance is not removed from the system except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the process or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from any of the prohibited substances.

(2) The Chief Inspector cum facilitator may allow the manufacture, handling or use of benzidinehydro chlorine provided that all the processes in connection with it are carried out in a totally enclosed system in such a manner that no prohibited substance other than benzidine hydrochloride is removed there from except in quantities no greater than that required for the purpose of control of the processes or such purposes as is necessary to ensure that the product is free from prohibited substances and that adequate steps are taken to ensure that benzidine hydrochloride is except while not less than one part of water to two parts of benzidine hydrochloride at all times.

23. Exemptions general. - If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for the protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing (which he may in his discretion revoke at any time), exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any as he may specify herein.

Sub-Schedule-25

Operations Involving High Noise Levels

1. Application. - This schedule shall apply to all operations in any manufacturing process having high noise level.

2. Definitions. - For the purpose of this Schedule-

(a) *"Noise"* means any unwanted sound;

(b) *"High noise level"* means any noise level measured on the A-weighted scale is 90dB above;

(c) *"Decibel"* means one-tenth of hich is the fundamental division, of a logarithmic scale used to express of two specific or implied quantities, the number of "Bels" denoting su being the logarithm to the base of 10 of this ratio. The noise level o und pressure level corresponds to a reference pressure of 20 x 10-6 r per square metre or 0.0002 dynes per square centimetre which is the t of hearing, this is, the lowest sound pressure level necessary to produ ensation of hearing in average healthy listener. The decibel in abbreviatec in dB;

(d) *"Frequency"* means the rate o ssure variations expressed in cycles per secondor hertz;

(e) *"dBA"* refers to sound level in decibels as measured on a sound level metreoperating on the A-weighting net work with slow metre response.

(f) *"A-weighting"* means making graded adjustments in the intensities of sound of various frequencies for the purpose of noise measurements, so that the sound pressure level measured by an instrument reflects the actual response of the humanear to the sound measured.

3. Protection against noise. - (1) In every factory suitable engineering control or administrative measure shall be taken to ensure, so far as reasonably practicable that no worker is exposed to sound levels exceeding the maximum permissible noise exposure levels specified in Tables 1 and 2 below :-

Table 1

Permissible Exposure in Case of continuous Noise	
Total time of exposure (continuous or number of short term exposures)	
Duration per day, in hours	Sound pressure level in dBA.
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
¾	107
½	110
¼	115

Note. - (1) No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.

(2) For any period of exposure falling in between any figure and the next high or lower figure as indicated in column 1 the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis

Table 2

Permissible Exposure levels for Impulsive or Impact Noise	
Peak sound pressure level in dB	Permitted number of impulses or impact per day
140	100
135	315
130	1000
125	3160
120	10000

Note. - (1) No exposure in excess of 140 dB peak sound pressure level is permitted.

(2) For any peak sound pressure level falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column1, the permitted number of impulses or impact per day is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

(2) For the purpose of this schedule, if the variations in the noise level involve maximum at intervals of one second or less, the noise is to be considered as a continuous one and the criteria; given in Table 1 would apply. In other cases, the noise is to be considered as impulsive or impact noise and the criteria given in Table 2 would apply.

(3) When the daily noise-exposure is composed of two or more periods of noise exposure at different levels their combined effect should be considered, rather than the individual effect of each. The mixed exposure should be considered to exceed the limit value if the sum of fractions

$$\frac{C^1\ C^2\ C^N}{T^1\ T^2\ T^N}$$ exceeds unity,-

Where the C1, C2, etc. indicate the total time of actual exposure at a specified noise level and T1, T2, etc. denote the time of exposure permissible at that level. Noise exposure of less than 90 dBA may be ignored in the above calculation.

(4) Where it is not possible to reduce the noise exposure to the levels specified in sub-paragraph (1) by reasonably practicable engineering control or administrative measures, the noise exposure shall be reduced to the greatest extent feasible by such control measures, and each worker so exposed shall be provided with suitable ear protectors so as to reduce the exposure to noise to the levels specified insub-paragraph (1).

(5) Where the ear protectors provided in accordance with sub-paragraph (4), and worn by a worker cannot still attenuate the noise reaching near his ear, as determined by subtracting the attenuation value in dBA of the ear protectors concerned from the measured should pressure level, to a level permissible under Table 1 or Table 2 as the case.

4. Medical Examination-(1) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(2) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the these processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers

that the said person is unfit for work in the said process.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(3) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(4) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

Sub-Schedule-26

Manufacture of Rayon by Viscose Process

1. Definitions. - For the purpose of this Schedule,-

(a) *"approved"* means approved for the time being in writing by the Chief Inspector cum facilitator ;

(b) *"breathing apparatus"* means a helmet or face piece with necessary connections by means of which the person using it in a poisonous, as phyxisting or irritant atmosphere breathes unpolluted air, or any other approved apparatus;

(c) *"churn"* means the vessel in which alkali cellulose pulp is treated with carbon-di-sulphide;

(d) *"dumping"* means transfer of cellulose xanthate from a dry churn to a dissolver;

(c) *"efficient exhaust draught"* means localised ventilation by mechanical means for the removal of any gas or vapour, so as to prevent if from escaping into the air of anyplace in which work is carried on. No draught shall be deemed to be efficient if it fails to control effectively any gas or vapour generated at the point where such gas or fume or iginates;

(f) *"fume process"* means any process in which carbon disulphide or hydrogen sulphide is produced, used or given off;

(g) *"life belt"* means belt made of leather or other suitable material which can be securely fastened round the body with a suitable length of rope attached to it, each of which is sufficiently strong to sustain the weight of man;

(h) *"protective equipment"* means apron, goggles, face shields, foot wear, gloves and overalls made of suitable materials.

2. Ventilation. - (1) In all workrooms where a fume process is carried on, adequate ventilation by natural or mechanical means shall be provided so as to control in association with other control measures, the concentration of Carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in the air of every work environment within the permissible limits.

(2) Notwithstanding the requirements in sub-paragraph (1) an efficient exhaust draught shall be provided and maintained to control the concentration of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in the air at the following location:-

(a) dumping hoppers of dry churns;

(b) spinning machines;

(c) trio rollers and cutters used in staple fibre spinning;

(d) hydro-extractors for yarn cakes;

(c) after treatment processes, and

(f) spin baths.

(3) In so far as the spinning machines and trio rollers and cutters used in staple fibre spinning are concerned, they shall be, for the purpose of ensuring the effectiveness of the exhaust draft to be provided as required in sub-paragraph (I), enclosed as fully as practicable and provided with suitable shutters in sections to enable the required operations to be carried out without giving rise to undue quantities of Carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide escaping to the work environment.

(4) No dry churn shall be opened after completion of reaction without initially exhausting the residual vapours of carbon-di-sulphide by operation of suitable and efficient arrangement for exhausting the vapours which shall be continued to be operated as long as the churn is kept opened.

(5) Whenever any ventilation apparatus normally required for the purpose of meeting the requirements in sub-paragraphs (2), (3) and (4) is ineffective, fails,

or is stopped for any purpose whatsoever, all persons shall be required to leave the work areas where the equipment or processes specified in the above said sub-paragraphs are inuse, as soon as possible, and in any case not later than 15 minutes after such an occurrence.

(6) (i) All ventilating system provided for the purposes as required in sub-paragraphs(2), (3) and (4) shall be examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person once in every period of 12 months. Any defects found by such examinations or test shall be rectified forthwith.

(ii) A register containing particulars of such examination and tests, and the state of the systems and the repairs of alterations (if any) found to be necessary shall be kept andshall be available for inspection by an Inspector cum facilitator.

3. Waste from spinning machines. - Waste yarn from the spinning machines shall be deposited in suitable containers provided with close fitting covers. Such waste shall be disposed off as quickly as possible after decontamination.

4. Lining of Dry Churns. - The inside surface of all dry churns shall be coated with anon-stickly paint so that cellulose xanthate will not stick to the surface of the churn. Such coating shall be maintained in good condition.

5. Air monitoring. - (1) To ensure the effectiveness of the control measures, monitoring of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide in air shall be carried outonce atleast in every shift and the record of the results so obtained shall be entered ina register specially maintained for the purposes.

(2) For the purpose of the requirement in sub-paragraph (1), instantaneous gas detector tubes shall not be used. Samples shall be collected over a duration of not less than 10 minutes and analysed by an approved method. The locations where such monitoring is to be done shall be as directed by the Inspector cum facilitator .

(3) If the concentration of either carbon-di-sulphide or hydrogen sulphide exceeds the permissible limits for such vapour or gas as laid down in these

rules, suitable steps shall be taken for controlling the concentrations in air of such contamination. A report of such occurrence shall be sent to the Chief Inspector cum facilitator forthwith.

6. Prohibition to remain in fume process room. - No person during his intervals for meal, or rest shall remain in any room wherein fume process is carried on.

7. Prohibition relating to employment of adolscents. - No adolescent shallbe employed or permitted to work in any fume process or in any room in which any such process is carried on.

8. Protective equipment. - (1) To occupier shall provide and maintained in good condition protective equipment as specified in the table for use of persons employed in the processes referred to therein.

Table

Process Protective Equipment

(1) (2)

1. Dumping Overalls, face-shields, gloves and footwear all made of suitable materials.

2. Spinning Suitable aprons, gloves and footwear.

3. Process involving or likely to involve contact with viscose solution. Suitable gloves and footwear.

4. Handling of sulphur Suitable chemical goggles.

5. Any other process involving contact with

hazardous chemicals,Protective equipment asmay be directed by the inspector cum facilitator by an order in writing.

(2) A suitable room, rooms or lockers shall be provided exclusively for the storage of all the protective equipment supplied to workers and no such equipment shall be stored at any place other than the room, rooms or lockers so provided.

9. Breathing apparatus. - (1) There shall be provided in every factory where fumeprocess is carried on, sufficient supply of-

(a) breathing apparatus;

(b) oxygen and a suitable appliances for it administration; and

(c) life belts.

(2) (i) The breathing apparatus and other appliances referred to in sub-paragraph (1) shall be maintained in good condition and kept in appropriate locations so as to bereadily available.

(ii) The breathing apparatus and other appliances referred to in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be cleaned and disinfected at suitable intervals and thoroughly inspected once every month by a responsible persons.

(iii) A record of the maintenance or the condition of the breathing apparatus and other appliances referred to in sub-clause (1) shall be entered in a register provided for that purposes which shall be readily available for inspection by an Inspector cum facilitator.

(3) Sufficient number of workers shall be trained and periodically retrained in the use of breathing apparatus and administering artificial respiration so that atleast 2 such trained persons would be available during all the working hours in each room in which fume process is carried on.

(4) Breathing apparatus shall be kept properly labeled in clean, dry, light-proof cabinets and if liable to be affected by fumes, shall be protected by placing them insuitable containers.

(5) No person shall be employed to perform any work specified in sub-paragraph (1)for which breathing apparatus is necessary to be provided under the sub-paragraph unless he has been fully instructed in the proper use of the equipment.

(6) No breathing apparatus provided in pursuance of sub-paragraph (1) which has been worn by a person shall be worn by another person unless it has been

thoroughly cleaned and disinfected since last being worn and the person has been fully instructed in the proper use of that equipment.

10. Electric fitting. - All electric fitting in any room in which carbon-di-sulphide is produced, used or given off or is likely to be given off into the work environment, other than a spinning room, shall be of flame proof construction and all electric conductors shall either be enclosed in metal conduits or be lead-sheathed.

11. Prohibition relating to smoking, etc. - No person shall smoke or carry matches, fire or naked light or other means of producing a naked light or spark in a room in which fume process is carried on. A notice in the language understood by the majority of the workers shall be posted prominent locations in the plant prohibiting smoking and carrying of matches, fire or naked light or other means of producing naked light or spark into such rooms :

Provided that fire, naked light or other means of producing a naked light of spark maybc carried on in such room only when required for the purposes of the process itself under the direction of responsible person.

12. Washing and bathing facilities. - (1) There shall be provided and maintained in aclean state and in good repair for the use of all workers employed in the process covered by the schedule, adequate washing and bathing places having a constant supply of water under cover at the rate of one such place for every 25 persons employed.

(2) The washing places shall have standpipes places at intervals of not less than one meter.

(3) Not less than one half of the total number of washing places shall be provided with bathrooms.

(4) Sufficient supply of clean towels made of suitable material shall be provided:

Provided that such towels shall be supplied individually for each worker if so ordered by the Inspector cum facilitator .

(5) Sufficient supply of soap and nail brushes shall be provided.

13. Rest room. - (1) A rest room shall be provided for the workers engaged in doffing operations of filament yarn spinning process.

(2) Such rest room shall be provided with fresh air supply and adequate seating arrangement.

14. Cautionary notice and instructions. - (1) The following cautionary notice shall be prominently displayed in each fume process rooms.

"Cautionary Notice :

1. Carbon-di-sulphide (CS2) and Hydrogen Sulphide (H2S) which may be present in this room are hazardous to health.
2. Follow safety instructions.
3. Use protective equipment and breathing apparatus as and when required.
4. Smoking is strictly prohibited in this area."

This notice shall be in a language understood by the majority of the workers and displayed where it can be easily and conveniently read. If any worker is illiterate, effective steps shall be taken to explain carefully to him the contents of the notice sodisplayed.

(2) Arrangements shall be made to instruct each workers employed in any room in which a fume process is carried on regarding the health hazards, connected with their work and the preventive measures and method to protect themselves. Such instructions shall be given on his first employment and repeated periodically.

(3) Simply and special instructions shall be framed to ensure that effective measures will be carried out in case of emergency involving escape of carbon-di-sulphide and hydrogen sulphide. Those instructions shall be displayed in the concerned areas and workers shall be instructed and trained in the actions to be taken in such emergencies.

15. Medical Examination-(1) The occupier of each factory to which this schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause(a).

(2) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner shall be maintained which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator .

(3) Every worker employed in the process of this shedule shall be examined by a medical officer. He shall issue fitness on form 28.

(4) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the processes on the ground,that continuance involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated inthe opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(5) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall bere-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(6) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

16. Exemptions. - If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or infrequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions

of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing, which he may at his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such conditions, if any he may specify therein.

Sub-Schedule-27

Operations in Foundries

1. Application. - Provisions of this schedule shall apply to all parts of factories where any of the following operations or processes are carried on :-

(a) the production of iron castings or, as the case may be, steel castings by casting in mould, made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shall moulding, or by centrifugal casting and any process incidental to such production;

(b) the production of non-ferrous castings by casting metal in moulds made of sand, loam, metal, moulding composition or other material or mixture of materials, or byshell mouldings, die-casting (including pressure diecasting), centrifugal casting or continuous casting and any process incidental to such production; and

(c) the melting and casting of non-ferrous metal for the production of ingots, billets, slabs or other similar products, and the stripping thereof; but shall not apply with respect to-

(a) any process with respect to the smelting and manufacture of lead and the Electric Accumulators;

(b) any process for the purposes of a printing worker; or

(c) any melting process in which metal is obtained by a reducing operation or any process incidental to such operation; or

(d) the production of steel in the form of ingots; or

(e) any process in the course of the manufacture of solder or any process incidental to such manufacture; or

(f) the melting and casting of lead or any lead based alloy for the production of ingots, billets, slabs or other similar products or the stripping thereof, or any process incidental to such melting, casting or stripping.

2. Definitions. - For the purpose of this schedule-

(a) *"approved respirator"* means a respirator of a type approved by the Chief Inspector cum facilitator ;

(b) *"cupola or furnace"* includes a receiver associated therewith;

(c) *"dressing or fettling operations"* includes stripping and other removal of adherentsand cores, runners, risers, flash and other surplus metal from a casting and the production of reasonably clean and smooth surface, but does not include-(a) the removal of metal from a casting when performed incidentally in connection with the machining or assembling of castings after they have been dressed or fettled, or (b)any operation which is a knock-out operation within the meaning of this schedule;

(d) *"foundry"* means those parts of a factory in which the production of iron or steel or non-ferrous castings (not being the production of pig iron or the production of steel inthe form of ingots) is carried on by casting in moulds made of sand, loam, moulding composition or other mixture of materials, or by shell moulding or by centrifugal casting in metal moulds lined with sand, or die casting including pressure die castings, together with any part of the factory in which any of the following processes are carried on as incidental processes in connection with and in the course of, such production, namely, the preparation and mixing of materials used in foundry process,the preparation of moulds and cores knock out operations and dressing or fetting operations;

(e) *"knock-out operations"* means all methods of removing castings from moulds and the following operations, when done in connection therewith, namely, stripping,coring-out and the removal of runners and risers;

(f) *"pouring aisle"* means an aisle leading from a main gangway or directly from a cupola or furnace to where metal is poured into moulds.

3. Prohibition of use of certain materials as parting materials. - (1) A material shall not be used as a parting material if it is a material containing compounds of silicon calculated as silica to the extent more than 5 per cent by weight of the dry materials :

Provided that this prohibition shall not prevent the following being used as a part ingmaterial if the material does not contain an admixture of any other silica:-

(a) Zirconium silicate (Zirocon)

(b) Calcined china clay

(c) Calcined aluminous fireclay

(d) Sillimanite

(e) Calcined or fused alumina

(f) Olivine

(g) Natural sand.

(2) Dust or other matter deposited from a fettling or blasting process shall not be used as a parting materials or as a constituent in a parting material.

4. Arrangement and storage. - For the purposes of prompting safety and cleanliness in workrooms the following requirements shall be observed :-

(a) moulding boxes, loam plates, ladles, patterns, pattern plates, frames, boards, box weights, and other heavy articles shall be so arranged and placed as to enable work to be carried on without unnecessary risk;

(b) suitable and conveniently accessible racks, bins, or other receptacles shall be provided and used for the storage of other gear and tools;

(c) where there is bulk storage of sand, fuel, metal scrap or other materials or residues, suitable bins bunkers or other receptacles shall be provided for the purposes of such storage.

5. Construction of floors. - (1) Floors of indoor work places in which the processes are carried on, other than parts which are of sand shall have an even surface of hard material.

(2) No part of the floor of any such indoor workplace shall be of sand except where this is necessary by reason of the work-done.

(3) All parts of the surface of the floor of any such indoor workplace which are of sand shall, so far as practicable, be maintained in an even and firm condition.

6. Cleanliness of indoor workplaces. - (1) All accessible parts of the walls of every indoor workplace in which the processes are carried on and of everything affixed to those walls shall be effectively cleaned by a suitable method to a height of not less than 4.2 metres from the floor atleast once in every period of fourteen months. A record of the carrying out of every such effective cleaning in pursuance of this paragraph including the date (which shall be not less than five months nor more than nine months after the last immediately proceeding washing, cleaning or other treatment).

(2) Effective cleaning by a suitable method shall be carried out atleast once every working day of all accessible parts of the floor of every indoor workplace in which the processes are carried on, other than parts which are of sand, and the parts which are of sand shall be kept in good order.

7. Manual operations involving molten metal. - There shall be provided and properly maintained for all persons employed on manual operations, involving molten metal with which they are liable to be splashed, a working space for that operation :-

(a) which is adequate for the safe performance of the work; and

(b) which, so far as reasonably practicable, is kept free from obstruction.

(2) Any operation involving the carrying by hand of a container holding molten metal shall be performed on a floor and parts of which where any person walks, while engaged in the operations shall be on the same level:

Provided that, where necessary to enable the operation to be performed without undue risk, nothing in this paragraph shall prevent the occasional or exceptional use of a working space on a different level from the floor, being a space provided with a safe means of access from the floor for any person while engaged in the operation.

8. Gangways and pouring aisels. - (1) In every workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this Schedule and, so far as reasonably practicable, in every other workroom to which this paragraph applies, sufficient and clearly defined main gangways shall be provided and properly maintained which-

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept, so far as reasonably practicable, free from obstruction;

(c) if not used for carrying molten metal, shall be atleast 920 millimetres in width;

(d) if used for carrying molten metal shall be-

(i) where truck ladles are used exclusively, atleast 600 millimetres wider than the overall width of the ladle;

(ii) where hand shanks are carried by not more than two men, atleast 920 millimetres in width;

(iii) where hand shanks are carried by more than two men, atleast 1.2 metres in width;and

(iv) where used for simultaneous travel in both directions by mean carrying hand shanks, atleast 1.8 metres in width.

(2) In workroom to which this paragraph applies constructed, reconstructed orconverted for use as such after the making of this Schedule, sufficient and clearly defined pouring aisles shall be provided and properly maintained which-

(a) shall have an even surface of hard material and shall, in particular, not be of sand or have on them more sand than is necessary to avoid risk of flying metal from accidental spillage;

(b) shall be kept so far as reasonable practicable free from obstruction;

(c) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by not more than two men per ladles, shall be atleast 460 millimetres wide, but where any moulds alongside the aisleare more than 510 millimetres above the floor of the aisle, the aisle shall be not less than 600 millimetres wide;

(d) if molten metal is carried in hand ladles or bull ladles by more than two men perladle, shall be at least 769 millimetres wide;

(e) if molten metal is carried in crane, trolley or truck ladles, shall be of a width adequate for the safe performance of the work.

(3) Requirements of sub-paragraphs (1) and (2) shall not apply to any workroom or part of a workroom if, by reason of the nature of the work done therein, the floor of that workroom or, as the case may be, that part of a workroom has to be of sand.

(4) In this paragraph "workroom to which this paragraph applies" means a part of a ferrous or non-ferrous foundry in which molten metal is transported or used, and a workroom to which this paragraph applies shall be deemed, for the purposes of this paragraph to have been constructed, reconstructed or converted for use as such after the making of this schedule if the construction, reconstruction, or conversion thereof was begun after the making of this schedule.

9. Work near cupolas and furnaces. - No person shall carry out any work within adistance of 4 metres from a vertical line passing through the delivery and of any spoutof a cupola or furnace, being a spout used for delivering molten metal, or within adistance of 2.4 metres from a vertical line passing through the nearest part of any ladle which is in position at the end of such a spout, except, in either case, where it is necessary for the proper use of maintenance of a

cupola or furnace that work should be carried out with in that distance of that work is being carried out at such a time and under such conditions that there is no danger to the person carrying it out from molten metal which is being obtained from the cupola or furnace or is in a ladle in position at the end of the spout.

10. Dust and fumes. - (1) Open coal, coke or wood fires shall not be used for heating or drying ladles inside a workroom unless adequate measures are taken to prevent, so far as practicable, fumes or other impurities from entering into or remaining in the atmosphere of the workroom.

(2) No open coal, coke or wood fires shall be used for dying moulds except in circumstances in which the use of such fires is unavoidable.

(3) Mould stoves, core stoves and annealing furnaces shall be so designed constructed, maintained and worked as to prevent, so far as practicable, offensive or injurious fumes from entering into any workroom during any period when a person is employed therein.

(4) All knock out operations shall be carried out-

(a) in a separate part of the foundry suitably partitioned off, being a room or part in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation and a high standard of general ventilation are provided; or

(b) in an area of the foundry in which, so far as reasonably practicable, effective and suitable local exhaust ventilation is provided, or where compliance with this requirement is not reasonably practicable, a high standard of general ventilation is provided.

(5) All dressing or fettling operations shall be carried out-

(a) in a separate room or in a separate part of the foundry suitably-partitioned off; or

(b) in an area of the foundry set apart for the purpose; and shall, so far as reasonably practicable, be carried out with effective and suitable local exhaust

ventilation or other equally effective means of suppressing dust, operating as near as possible to the point of origin of the dust.

11. Maintenance and examination of exhaust plant. - (1) All ventilation plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall be properly maintained.

(2) All ventilating plant used for the purpose of extracting, suppressing or controlling dust or fumes shall examined and inspected once every week by a responsible person. It shall be thoroughly examined and tested by a competent person atleast once in every period of twelve months; and particulars of the results of every such examination and test shall be entered in an approved register which shall be available for inspection by an Inspector cum facilitator . Any defect found on any such examination and test shall be immediately reported in writing by the person carrying out the examination and test of the occupier or manager of the factory.

12. Protective equipment. - (1) The occupier shall provide and maintain suitable portable equipment specified for the protection of workers-

(a) suitable gloves or other protection for the hands for workers engaged in handling any hot material likely to cause damage to the hands by burn, scald or scar, or in handling pig iron, rough castings, or other articles likely to cause damage to the hands by cut or abrasion;

(b) approved respirators for workers carrying out any operations creating a heavy dust concentration which cannot be dispelled quickly and effectively by the existing ventilation arrangements.

(2) No respirator provided for the purposes of clause (1) has been worn by a person shall be worn by another person if it has not since been thoroughly cleaned and disinfected.

(3) Persons who for any of their time :-

(a) work at a spout of or attend to, a cupola or furnace in such circumstances that material there from may come into contact with the body being material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn; or

(b) are engaged in, or in assisting with, the pouring of molten metal; or

(c) carry by hand or move by manual power any ladle or mould containing molten that; or

(d) are engaged in knocking out operations involving material at such a temperature that its contact with the body would cause a burn; shall be provided with suitable footwear and gaiters which worn by them prevent, so far as reasonably practicable, risk of burns to his feet and ankles.

(4) Where appropriate, suitable screens shall be provided for protection against flying (including splashes of molten metal and sparks and chips thrown off in the course of any process).

(5) The occupier, shall provide and maintain suitable accommodation for the storage and make adequate arrangement for cleaning maintaining of the protective equipment supplied in pursuance of this paragraph.

(6) Every person shall make full and proper use of the equipment provided for his protection in pursuance of sub-paragraphs (1) and (4) and shall without delay report to the occupier, manager of other appropriate person any defect in, or loss of, the same.

13. Washing and bathing facilities. - (1) There shall be provided and maintained in clean state and good repair for the use of all workers employed in the foundry-

(a) a wash place under cover with either-

(i) a trough with impervious surface fitted with a waste pipe without plug, and of sufficient length to allow atleast 60 centimetres for every 10 such persons employed at any one time and having a constant supply of clean water from taps or jets abovethe trough at intervals of not more than 60 centimetres; or

(ii) atleast one tap or stand pipe for every 10 such persons employed at any one time,and having a constant supply of clean water, the tap or stand pipe being spaced not less than 1.2 metres apart; and

(b) not less than one half of the total number of washing places provided under clause(a) shall be in the form of bath rooms.

(c) a sufficient supply of clean towels made of suitable material changed daily, with sufficient supply of nail brushes and soap.

(2) The facilities provided for the purposes of sub-paragraph (1) shall be placed incharge of a responsible person or persons and maintained in a clean and orderly condition.

14. Disposal of dross and skimmings. - Dross and skimmings removed from molten metal or taken from a furnace shall be placed forthwith in suitable receptacles.

15. Disposal of waste. - Appropriate measures shall be taken for the disposal of all waste products from shell moulding (including waste burnt sand) as soon as reasonably practicable after the castings have been knocked-out.

16. Material and equipment left out of doors. - All material and equipment left out of doors (including material) and equipment so left only temporarily or occasionally shall be so arranged and placed as to avoid unnecessary risk. There shall be safe means of access to all such material and equipment and, so far as reasonably practicable, such access shall be by roadways or pathways which shall have a firm and even surface and shall, so far as reasonably practicable be kept free from obstruction.

17. Medical Examination-(1) The occupier of every factory to which the Schedule applies, shall-

(a) make arrangements of a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein;and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the

purpose referred to in clause(a).

(2) Every worker employed in the process of this schedule shall be examined by a medical officer. He shall issue Fitness on form 28.

(3) If at any time the medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the electrolytic processes on the ground, that continuance therein would involve danger to the health of the worker, he shall make a record of his findings in the said certificate and the health register form 29. The entry of his findings in those documents shall also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes.The person declared unfit in such circumstances shall be provided with alternate placement facility unless he is fully incapacitated in the opinion of the medical officer, in that case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(4) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (6) shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer,after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(5) The record of the examinations shall be maintained and kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator.

18. Exemptions. - If in respect of any factory the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may by a certificate in writing, exempt such factory from all or any of such provisions subject to such condition, if any, he may specify therein.

Sub- Schedule-28

Transformation of stone or any other material containing free silica.

The following manufacturing activities shall be considered as transformation of stone or other material containing free silica:-

1. Stone Crushers
2. Gem and Jewellery
3. Slate Pencil Making
4. Agate Industry
5. Cement Industry
6. Pottery
7. Glass Manufacturing

1. Application of this schedule-This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which the above said manufacturing activities containing free silica is carried on.

2. Definitions- For the purpose of this schedule -

(a) "Transformation" means crushing, breaking, chipping, dressing, grinding, sieving, mixing, grading or handling of stone or any other material containing free silica or any other operation involving such stone or material.

(b) "stone or any other material containing free silica" means a stone or any other solid material containing not less than 5% by weight of free silica.

3. Protective and Controlling Measures- No Transformation shall be carried out in a factory or part of a factory unless one or more of the following protective and controlling measures are adopted:-

(1) Engineering Control Measures-

(i) Wet Methods:-

(a) Airborne Silica Dust should be minimized or suppressed by applying water to the process or clean up;

(b) Water should be provided to drilling or sawing of concrete or masonry.

(ii) Ventilation-

(a) Local exhaust systems should be used to remove silica dust from industrial processes.

(b) Dilution / Ventilation may be used to reduce free silica dust concentration to below the permissible limits in large areas.

(c) Dust collectors / HEPA filter should be set up so that dust shall be removed from the source and all transfer points to prevent contamination work areas.

(d) Ventilation systems should be kept in good working conditions.

(iii) Isolation-

(a) Containment methods should be used while carrying out sand blasting.

(b) Cabins of vehicles or machinery cutting & drilling that might contain free silica should be enclosed and sealed.

(iv) Dust Control-

(a) Vacuum system with High Efficiency Particle Air (HEPA) filter shall be used to remove dust from work areas and at all transfer points.

(b) The belt conveyors transferring crushed material shall be totally enclosed throughout its length.

Provided that such control measures as above said are not necessary if the process or operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible limit of Exposure specified in the Second Schedule of the code.

(2) Medical Control Measures- (i) The occupier of every factory in which a worker employed in the processes specified in Sub Rule 1, shall ensure that every worker employed be examined by a Medical parctitioner within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Medical parctitioner .

(ii) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Medical officer at least once in every twelve month. Such re-examination shall, wherever the Medical officer considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray shall be read by a radiologist specialized/trained in the field of reading ILO Radiographs on Pneumoconiosis and which will at least once in 3 Years.

(iii) The Medical officer after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in the prescribed Form. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the manager of factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall be entered by the Medical officer in a health register Form.

(iv) If at any time Medical officer is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said Certificate and the health register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the Medical officer , in which case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(v) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (4) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Medical officer , after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(vi) The occupier of every factory to which the schedule applies, shall-

(a) employ a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein whose employment shall be subject to the approval of the Chief Inspector cum facilitator of factories and

(b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(vii) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner certificate of fitness and health shall be maintained in separate register approved by the Chief Inspector cum facilitator of Factories, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector cum facilitator and produce on demand.

(viii) The Health Records of each workman shall be kept for a period of 40 years from the date of beginning of the employment or 10 years after the cessation of the employment, whichever is later.

(ix) The Health Records of the workers exposed to silcosis, shall be kept up to a minimum period of 40 years from the beginning of the employment of 15 years after retirement or cessation of the employment, whichever is later and shall be accessible to workers concerned or their representatives.

(3) Administrative Control Measures- (i) Work place/ Environment Monitoring: The occupier to ensure work place/ environment monitoring to be performed to determine magnitude of exposure/concentration to evaluate engineering controls, selecting respiratory protection, work practices and the need for medical surveillance.

(a) Exposure / concentration measurements should be made in the employee's actual breathing zone.

(b) Total sampling time shall be at least 7 hours.

(c) Work place/Environment Monitoring shall be repeated quarterly.

(d) The report of dust sampling by occupier shall be madeavailable to the public.

(ii) Training / Awareness- Workers shall be trained in the following:-

(a) Health effects of free silica dust exposure.

(b) Operations and material that produce free silica dust hazards.

(c) Engineering controls and work practice controls that reduce dust concentration.

(d) The importance of good house keeping and cleanliness.

(e) Proper use of personal protective equipment such as respirators etc.

(f) Personal hygiene practices to reduce exposure.

(iii) Housekeeping: Maintenance of floors- (a) All floors or place where fine dust is likely to settle on and whereon any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning once at least during each shift.

(b) For this purpose dry sweeping or compressed air shall be used for cleanup of dust or wet methods or vacuum system with a HEPA filter shall be used.

(c) Dust on over head ledges and equipment should be removed before it becomes airborne due to vibration, traffic and random air current.

(iv) Change room and washing facilities-

(a) Washing and bathing facilities shall be conveniently located at a place easily accessible to the workers.

(b) Cloak room with individual lockers shall be provided for employees to store uncontaminated clothing.

(c) Workers shall take bath and change the work clothes before they leave the work site.

(d) Work clothes shall not be cleaned by blowing or shaking.

(e) Eating / lunch areas shall be located away from exposed areas.

(v) Display of Notices- (a) Warning signs/Posters shall be displayed conspicuously in a prominent place.

(b) The warning signs / posters shall contain the Hazards precautions.

(c) The display of notice shall be in the local language and also in the language understood by the majority of the workers.

(vi) Personal Protective Equipment- The occupier of the every factory to which this schedule apply shall provide the following PPEs as per relevant BIS Standards and as applicable to a given work place.

(a) Dust respirator.
(b) HEPA filter respirator or fume respirator.
(c) HEPA filter respirator with full face piece.
(d) Self contained breathing apparatus (SCBA).
(e) Supplied air respirator with a full face piece, helmet or hood.
(f) SCBA with full face piece.
(g) Powered air purifying respirator with a HEPA filter.

(vii) Prohibition relating young person's- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried out.

(viii) Exemptions- If in respect of any factory, the Chief Inspector cum facilitator is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector cum facilitator may be a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provision subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

(ix) The notification of silicosis and free silica related occupational diseases by Medical Practitioner / Medical officer should be strictly enforced and in case of any violation, the Medical Practitioner/Medical officer shall be liable to be punished under sec 12 (3) of the code. The fine so collected shall be deposited in the silicosis relief fund.

Schedule-V-Material Safety data sheet

(See rule 69)

The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall arrange to obtain or develop information in the form of **Material Safety Data Sheet** (MSDS) in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible upon request to a worker for reference.

(a) Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information: -

(i) The identity used on the label;

(ii) Hazardous ingredients of the substance;

(iii) Physical and chemical characteristics of the hazardous substance;

(iv) The physical hazards of the hazardous substance, including the potential for fire, explosion and reactivity;

(v) The health hazards of the hazardous substance, including signs and symptoms of exposure and any medical conditions which are generally recognised as being aggravated by exposure to the substance;

(vi) The primary route(s) of entry;

(vii) The permissible limits of exposure prescribed in the Second Schedule under Section 84 of the Code, and in respect of a Chemical not covered by the said Schedule, any exposure limit used for recommended by the manufacturer, importer or occupier;

(viii) Any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for clean-up of spills and leaks;

(ix) Any generally applicable control measures, such as appropriate engineering controls, work practices, or use of personal protective equipment;

(x) Emergency and first aid procedures;

(xi) The date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change to it;

(xii) The name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data Sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures, if necessary.

(b) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data Sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information recorded accurately reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant information regarding the hazards of a substance, or ways to protect against the hazards, this new information shall be added to the Material Safety Data Sheet as soon as practicable.

(c) An example of such Material Safety Data Sheet is given in the Schedule to this Rule.b Labelling

(2) – Every container of a hazardous substance shall be clearly labelled or marked to identify:

(a) the contents of the container;

(b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substances;

(c) the physical and health hazards; and

(d) the recommended personal protective equipment needed to work safely with the hazardous substance.

Material Safety Data Sheet	
SECTION I – MATERIAL IDENTIFICATION AND USE	
Material Name/Identifier	
Manufacturer's Name	Supplier's Name
Street Address	Street Address
City State	City State
Postal Code Emergency Telephone No.	Postal Code Emergency Telephone No.
Chemical Name | Chemical Identity Trade Name and *Synonyms*	*Product Use*

SECTION II – HAZARDOUS INGREDIENTS OF MATERIAL

Hazardous Ingredients	Approximate Concentration %	C.A.S. or UN Numbers LD 50 (Specify Species and Route)	LC 50 (Specify Species and Route)	LC 50 (Specify Species and Route)

SECTION III – PHYSICAL DATA FOR MATERIAL

Physical State --Gas -- Liquid -- Solid	Odour and Apperance	Odour Threshold (p.p.m)	Specific Gravity	
Vapour Pressure	Vapour density (Air=1)	Evaporation Rate	Boiling point (oC)	Freezing (oC)
Solubility in water (200C) p	pH	Density (g/ml)	Coefficient of water / oil distribution	

SECTION IV – FIRE AND EXPLOSION HAZARD OF MATERIAL

Flammability ..... Yes ..... No. ..... If yes, under what conditions		
Means of Extinction		
Special Procedures		
Flash Point (oC) and Method	Upper Explosion Limit (% by Volume)	Lower Explosion Limit (% by Volume)
Anti-ignition	TDG Flammability	Hazardous Combustion

Temperature (oC)	Classification	Products
Explosion Data-Sensitivity Chemical Impact		Sensitivity to Static Discharge

SECTION V - REACTIVITY DATA

Chemical Stability ..... Yes ..... No. ..... If no, under what conditions
Incompatibility to other substances ..... Yes ..... No. .... If yes, which ones
Reactivity and under what conditions
Hazardous Decomposition Products
Material Name / Identifier

SECTION VI – TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF MATERIAL

Route of Entry ----------Skin contact ---------- Skin Absorption ----------Eye Contact ----------Inhalation Acute ----------Inhalation Chronic ---------- Ingestion
Effects of Acute Exposure to Material
Effects of Chronic Exposure to Material Exposure Limit(s) Irritancy of Material

Sensitization to Carcinogenicity, Reproductive Material Effects, Teratogenicity, Mutagenicity
Synergistic Materials

SECTION VII – PREVENTIVE MEASURES

Personal Protective Equipment
Gloves (specify) Respiratory (specify) Eyes (specify)
Footwear (specify) Clothing (specify) Other (specify)
Footwear (specify) Clothing (specify) Other (specify)
Leak and Spill Procedures
Waste Disposal
Handling Procedures and Equipment

Storage Requirements
Special Shipping Information

SECTION VIII – FIRST AID MEASURE

First Aid Measure
Sources used
Additional information

SECTION IX – PREPARATION DATE OF M.S.D.S

Prepared by (Group, Department, etc.) (Phone No.) Date

NOTES:

1. CAS or UN Number – Chemical Abstract Service or United Nations (UN) Number.
2. LD 50 – Lethal Dose – 50% (LD50 – Specify species and route).
3. LC 50 – Lethal Concentration – 50% (LC50 – Specify species and route).
4. **TDG Flammability – Transport of Dangerous Goods**
   Flammability Classification by United Nations.

FORM-I

[See Rule-3 (1) (i)]

Application for Registration for existing establishments/ New Establishment/Amendment to certificate of Registration

A. Type of Establishment -

(Factory/Motor Transport undertaking/Newspaper Establishment/Audio-Visual Production Establishment / Building and Other Construction Establishment /Plantation / Contract Work/ Manpower Supply/Other)

B. Establishment Details.

1. Name of Establishment:
2. Location and Address of the Establishment:
3. Others details of Establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the contract employees engaged:

c. Total Number of Inter-State Migrant workers employed:

4. Fill applicable part-

(a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Nature & Total amount of H.P. installs or propos & installed.
1	2	3	4	5

(b) **For Motor Transport Workers-**

Nature of motor transport services (e.g. City Services, Long distance freight etc)	Total number of route	Total route mileage	Total number of transport vehicle on the last date of preceding year
1	2	3	4

(c) **For building and other construction work:**

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

(d) **For Plantation-**

Total grant of plantation in hectare	Full name(s) and residential address(es) of the Propreitor's and Partner's of the plantation in case it is not registered under the Companies Act, 1956	Full name and residential adress(es) of the Directors in the case of a Company registered under the Companies Act, 1956.	Full name and address(es) of the Chief Executives or General Manager of the Plantation in the Public Sector
1	2	3	4

5. Ownership Type/Sector;

6. Activity as per National Industrial Classification;

7. Details of Selected NIC Code:

8. e-sign/ digital sign of employer/ representative/applicant :

B. Details of Employer:-

1. Name & Address of Employer / Occupier / Owner/Agent/ Chief Executive/ port authority etc :

2. Designation :

3. Father's/ Husband's Name of the Employer :

4. Email Address, Telephone& Mobile No :

C. Manager/ Agent Details

1. Full name & Address of Manager/ Agent or person responsible for supervision and control of the

Establishment

2. Address of Manager/ Agent:

3. Email Address, Telephone& Mobile No. :

D. Contractor Details

Name and Address Contractor	Email address& Mobile of Contractor	Name of Work	Maximum No. of Contract labour engaged	Maximum no. of migrant worker employed by contractor	Date of Commencement / Probable date of Completion of work
1	2	3	4		5

E. Others Details:-

Signature/ E-sign/digital sign of employer

Dated:-

Place;-

FORM-II

[See Rule-3(1)(iii)]

Certificate of Registration of Establishment

Registration No.

Date

A Certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under sub section (2) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (....of 2020)
to..... (Name of the establishment)

1. Nature of work carried on in the establishment (Please tick mark)

(a) Factory (b) Contract Work

(c) Building and Other Construction Works (d) any other work (not covered above)

2. Details of the establishment:

a. Total Number of employees engaged directly in the establishment:

b. Total Number of the employees engaged through contractor .....

c. Total Number of Contractors and their details:

c. Number of inter-state migrant workers engaged:

3 Extra Details of establishment-

(a) For factories:

Details of the manufacturing process	Full postal address and situation of the factory along with plan approval details	Name and address of the occupier and manager	Maximum number of workers to be employed on any day	Nature & Total amount of H.P. installs or propos & installed.
1	2	3	4	5

(b) For Motor Transport Workers-

Nature of motor transport services (e.g. City Services, Long distance freight etc)	Total number of route	Total route mileage	Total number of transport vehicle on the last date of preceding year
1	2	3	4

(c) For building and other construction work:

Type of Construction work	Probable period of commencement of work	Expected period for completion of work	Details of approval of the local authority
1	2	3	4

(d) **For Plantation-**

Total grant of plantation in hectare	Full name(s) and residential address(es) of the Propreitor's and Partner's of the plantation in case it is not registered under the Companies Act, 1956	Full name and residential adress(es) of the Directors in the case of a Company registered under the Companies Act, 1956.	Full name and address(es) of the Chief Executives or General Manager of the Plantation in the Public Sector
1	2	3	4

4. Amount of registration fee paid.....

5. Remarks of registering officers

/Signature E -Sign/DSC of Registering Officer

along with designation

Place:

Date:

Conditions of Registration

(1). Every certificate of registration issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:

(a). the certificate of registration shall be non-transferable;

(b) the number of workers employed in an establishment directly and contract employees shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and

(c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers or the conditions of work to the registering officer within 30 days

(3) The employer shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Inspector -cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of establishment such work in **Form IV** annexed to these rules electronically.

(4) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places at the premises where the work is being carried on.

FORM-III

[See Rule-3(8)]

Register of Establishment

Sl. No	Nature of work	Registration No. and date	Name and Address, location of the establishment registered	Name, Address and Contact Details of Employer	Total number of Workers and Total Horse Power (if any)	Total number of contract Workers	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
	(a) Factories (b) Plantation Work (c) Motor Transport Undertaking (d) Audio-Visual Establishment (e) Building and other Construction work (f) Contract work (g) Interstate Migrant Work (h) Any other work (not covered above)						

FORM-IV

(See Rule-3(9) and Rule-5)

A- Notice of Commencement / cessation of Establishment:

1. Registration No:
2. Name and Address of Establishment:-
3. Name & Designation of employer (who has ultimate control over the affairs of the establishment :-
4. Full address to which communication relating to the establishment to be sent :-
5. Nature of work of the establishment :-
6. In case of the notice is for commencement of work the approximate duration of work:-
7. in case of cessation, the date of cessation:

I/We hereby intimate that the work of establishment having registration No. .....dated ..... is likely to commence/cessation is likely to be completed with effect from ..... (Date)/ On ..... (Date)

In case of cessation of work:

I/we hereby certify that the payment of all dues to the workers employed in the establishment have been made and the premises are kept free from storage of hazardous chemicals and substances.

Signature of the Employer

To,

The Inspector -cum-Facilitator

FORM-V

(See Rule -6)

The medical examination shall be conducted by a qualified medical practitioner as per following proforma:

A. Demographics:

Question	Answer	Remarks
Date: Name of the Worker:		
Age:		
Permanent Address:		
Gender:		
Total Number of family Members:		
Total monthly family Income:		
Is the employee under ESI (Employees' State Insurance) Scheme? If yes, provide IP Number	Yes/No	
Is the employee under any other health scheme apart from ESI-Scheme? (If yes, provide the name of the scheme)	Yes/No	

B. **Occupational**

Question	Answer	Remarks
Present Designation:		
Work Profile:		
Duration of service in the present work profile:		
Working Hours per shift:		
Night Shift Per Week:		
Night Shift per Month:		

C. Brief Review of Medical History: Diagnosed previously or currently under treatment or Currently suffering from

Question	Answer	Remarks
Anaemia		
Jaundice		
Asthma		
COPD		
History of Any other Lung Disease: (If Yes, Please Specify)		
Vertigo/Dizziness		
Diabetes Mellitus		
Hypertension		
Any Cancer (If Yes, Please Specify the		

Cancer)		
Chronic Low Back Pain		
Chronic Pain in hand or Elbow		
Hernia		
Hydrocele		
Varicose Vein		
Haemorrhoids		
History of amputation/ fracture/dislocation injury during work (If Yes, please specify)		
Dermatitis (If Yes, specify Site)		
Hearing Impairment		
Visual Impairment		
Any Major Illness requiring hospitalization in last 1 year (If Yes, Name of the Disease)		
Occupational Injury in Last 1 year: if yes Specify the Location of injury and frequency		

D. Current Symptoms-Diseases Module

Question	Answer	Remarks
Smoking habit		
Chewing Tobacco or Pan Masala or Gutkha:		
Alcohol Addiction		
Dermatosis (Irritant Contact Dermatitis/Eczema/Chloracne/Allergic Contact Dermatitis):		
Mucosal Irritation of eyes/Nose/Throat with response to chemical agent or biological agent:		
Symptoms like Respiratory Difficulty/ Chest Tightness/Dry Cough at beginning of shift:		
Currently suffering from TB:		
Jaundice or Hepatitis:		
Currently suffering from Low Back Pain		
Currently suffering from Pain in hand or Elbow:		
Currently suffering from Visual Problems		
Currently suffering from Hearing Problems		
Any current injury (amputation/ fracture/ dislocation)		
Any current musculoskeletal sprains/ strains		

E. Physical Examination

Date of Examination:

Question	Answer	Remarks
General Skin Condition: (If Any Dermatitis, please mention its location)		
Weight (in Kg):		
Height (in Meter)		
Temperature (^{0}F):		
BP:		
Pulse:		
SpO2:		
Respiratory Rate:		
Examination of Breast of female-employee		

F. Investigation Report

□□**Routine Blood Investigation: Attach the photocopy of the report**

□□**Blood Grouping & Rh Typing and HB Electrophoresis Once in a lifetime**

Parameter	**Answer (Normal/Increase/Decrease)**	**Value**
Hb%:		
Total WBC Count and Differential Count:		
Platelet Count:		
ESR:		

FBS:		
PPBS:		
HBA1C level		
BUN:		
Creatinine:		
Total Protein		
Albumin		
Globulin		
SGOT		
SGPT		
Bilirubin		
Urine RE		
Urine ME		
Prostate Specific Antigen (PSA)		

G. Standard Chest X Ray (PA) View: attach the photocopy of the report

Date:

Parameter	Answer (Normal/Abnormal)	Value (if any importance)
Report		

Report

H. Spirometry: attach the photocopy of the report (For mine employee)

Date:

Parameter	Answer (Normal/Increase/Decrease)	Value
Report		
Observed:		
Predicted:		
FVC:		
Observed:		
Predicted:		
FEV1/FVC:		
Final Report: Normal / Obstructive Lung Disease/Restrictive Lung Disease/ Mixed Lung Diseases		

I. Audiometry (Pure Tone / BERA): attach the photocopy of the report (For Mine Employee)

Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like wax in external ear, infection etc	
Right Ear Hearing Threshold:	
Left Ear Hearing Threshold:	

Final Report preferable based on BERA:	
Right Ear:	
Left Ear:	

J. Eye Examination: attach the photocopy of the report

Date:

Parameter	Value/Result/Interpretation
Visual inspection of Eye for any abnormality like corneal opacity/scaring, cataract etc.	
Visual Acuity: Right	
Visual Acuity: Left	
Colour Vision	
Field of Vision	
Binocularity	
Lateral Phoria	
Vertical Phoria	
Stereoscopic Vision and Depth Perception Testing	
Fundus (Retina) examination	

K. 12 lead ECG and Echocardiography:

Final Report:

L.* MEDICAL FITNESS TESTS FOR PERSONS WORKING AT HEIGHT *(as may be applicable):

1. Detailed Medical History and in-Depth General Medical Examination including tests for Vision, Hearing, Musculoskeletal System, Respiratory System, Cardiovascular System etc.

As applicable to all employees

2. Special Examination

a) Cardiovascular

Uncontrolled hypertension or ischemic heart disease will be a contraindication. In the presence of hypertension and abnormal ECG findings, the employee should be referred to a Cardiologist for fitness.

b) Tests for Labyrinthine functions and for sense of position Eye Examination for Bilateral Nystagmus, Romberg sign.

The presence of bilateral nystagmus and a positive Romberg sign will be an absolute contra-indication.

c) Neurological examination Evaluate seizure disorders: CT Scan of Brain and E.E.G if indicated

d) Assessment of Diabetic Control Status:

(in case of employees suffering from Diabetes Mellitus)

e) Assessment of Phobia (Acrophobia) and any other Mental Health Disorder like Anxiety or Depression

d) Evaluation for Vertigo and Dizziness

For use of Industrial Safety Section:

Walking freely over a horizontal bar at 1 ft. height: PASS / FAIL

Wearing a safety belt and tying the rope knot: PASS/ FAIL

Walking over a horizontal structure at 9 ft. height wearing a belt: PASS/ FAIL

General physique (O.K./NOT O.K): PASS/ FAIL

M. Any other information/examination/biological investigation/test as mutually agreed by the employer and qualified medical practitioner.

FORM-VI

(See Rule-8)

NOTICE OF ACCIDENT OR DANGEROUS OCCURRENCE

E.S.I.C. Employer's Code number :

E.S.I.C. Insurance

Number of the injured person :

1. Name of employer :

2. Address of works / premises
where the accident or dangerous
occurrence took place :

3. Nature of industry and LIN of the establishment/
(Registration number of establishment:

4. Branch or department and exact
place where the accident or dangerous
occurrence took place :

5. Name and address of the injured person :

6. (a) Sex :

(b) Age (at the last birthday) :

(c) Occupation of the injured person :

7. Local E.S.I.C. Office to which the
injured person is attached :

8. Date, shift and hour of accident
or dangerous occurrence :

9. (a) Hour at which the injured person
started work on the day of accident or dangerous occurrence :

(b) whether wages in full or part are payable to him for the day of the accident or dangerous occurrence :

10. (a) Cause or nature of accident or dangerous occurrence :

(b) If caused by machinery-

(i) Give the name of machine and the part causing the accident or dangerous occurrence :

(ii) state whether it was moved by mechanical power at the time of accident or dangerous occurrence :

(c) State exactly what the injured person was doing at the time of accident or dangerous occurrence :

(d) In your opinion, was the injured person at the time of accident or dangerous occurrence -

(i) acting in contravention of provisions of any law applicable to him; or

(ii) acting in contravention of any orders given by or on behalf of his employer; or

(iii) acting without instructions from his employer?

(e) In case reply to (d) (i), (ii) or (iii) is in the affirmative , state whether the act was done for the purpose of and in connection with the employer's trade or business. :

11. In case the accident or dangerous occurrence took place while travelling in the employer's transport, state whether -

(a) the injured person was travelling as a passenger to or from his place of of works; :

(b) the injured person was travelling with the express or implied permission of his employer; :

(c) the transport is being operated by or on behalf of the employer or some other person by whom it is provided in pursuance of arrangements made with the employer; and :

(d) the vehicle is being/not being operated in the ordinary course of public transport service :

12. In case the accident or dangerous occurrence took place while meeting emergency, state- (a) its nature ; and

(b) whether the injured person at the time of accident or dangerous occurrence was employed for the purpose of his employer's trade or business in or about the premises at which the accident or dangerous occurrence took place. :

13. Describe briefly how the accident or dangerous occurrence took place :

14. Names and addresses of witnesses : (1)

(2)

15. (a) Nature and extent of injury (e.g. fatal, loss of finger, fracture of leg, scald, scratch followed by sepsis, etc.) :

(b) Location of injury (e.g. right leg, left hand, left eye, etc.)

16. (a) If the accident or dangerous occurrence was not fatal, state whether the injured person was disabled for more than 48 hours :

(b) date and hour of return of work :

17. (a) Physician, dispensary or hospital from whom or which the injured person received or is receiving treatment :

(b) Name of dispensary/panel doctor elected by the injured person :

18. (a) Has the injured person died ? :

(b) If so, date of death :

I certify that to the best of my knowledge and belief the above particulars are correct in every respect.

Signature and Name and Designation of owner/ employer /manager/agent

Date of dispatch of report :

Place:

FORM-VII

[See Rule-26]

NOTICE OF PERIODS OF WORK

Name of the Establishment.....Place.....

District.....

Periods of work Groups, Relays	Men												Women												Description of Groups, Nature of work	Remarks
	Total no. of men employed												Total no. of women employed													
	A			B			C			D			E			F			G			H				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		

On working days

From ..

To ..

From ..

To ..

From ..

To ..

On partial

Working days

From ..

To ..

From ..

To ..

Date on which this notice is first exhibited : Signature

of manager or agent :

Date :

FORM-VIII

(See Rule-27)

EMPLOYEE REGISTER

(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment		
Name of the Employer/owner		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
To be maintained for all employees of the establishments		
1	Employee Code	
2	Name	
3	Surname	
4	Gender	
5	Father's/Spouse's Name	
6	Date of Birth	
7	Place of Birth	
8	Nationality	
9	Education level	
10	Date of Joining	
11	Designation	
12	Category (unskilled, semi-skilled, skilled or highly skilled)	
13	Type of employees / worker	
14	Mobile Number	
15	Universal Account Number (UAN)	
16	PAN	
17	PPF No.	
18	Nominee	
19	EPS/NPS	
20	Details of Family	
21	Details of Posting	

22	Scale of Pay	
23	Promotion	
24	ESIC IP Insurance No	
25	Aadhaar number	
26	Bank A/c No.	
27	Bank	
28	Branch(IFSC)	
29	Present address	
30	Permanent address	
31	Service Book No.	
32	Date of Exit	
33	Reason for Exit	
34	Mark of Identification	
35	Photo	
36	Specimen Signature/Thumb Impression	
37	Remarks	

FORM-VIII (A)
[(See rule 27)]

ATTENDANCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL

(The attendance register-cum-muster roll can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="15">For the Month of ....., year 20.....</td></tr>
<tr><td colspan="2">Name of Establishment:</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Name of the Employer/owner:</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Serial Number</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Employee Code</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Designation</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Shift or relay</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Place of work/department/section</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date and timings of In and Out</td><td colspan="15"></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="7">Total number of days worked</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="7">Total number of extra hours worked</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="7">In case of tour or assignments outside the work place suitable entries may be made</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="7">Signature of Register keeper</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

FORM-VIII (B)

[(See rule 27)]

REGISTER FOR WAGES, OVERTIME AND DEDUCTIONS

(The register can also be maintained in electronically capturing, inter-alia the following details)

Name of Establishment:		
Name of the Employer/owner:		
Labour Identification Number (LIN)/Registration Number of Establishment		
Wage Period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy (Monthly/Fortnightly/Weekly/Daily/Piece Rated)		
1	Serial Number	
2	Employee Code Number	
3	Name	
4	Designation	
5	**Rate of Wage**	
	a)Basic	
	b)DA	
	c)Other allowance	
	d)Total	
6	No. of days worked	
7	Overtime hours worked	
8	Amount of Wages Earned	
	a)Basic	
	b)DA	
	c)Other allowance	
	d)Payment of overtime	
	e)Total wages earned	
9	**Deductions**	
	a)EPF	
	b)ESIC	

	c)Society	
	d)Income Tax	
	e)Insurance	
	f)Others	
	g)Recovery of Fine	
	h)Recovery of Damaged/Losses	
	Total Deductions	
10	Net Payment	
11	Receipt by Employees/Bank Transaction ID	
12	Date of Payment	
13	Initials of Employer/Representative	
14	Remarks	

FORM-VIII (C)
[(See rule 27)]
Wage slip

Name of the Establishment				
Address:.....			Period:.....	
1	Name of the Employee:			
2	Father's/Spouse's Name:			
3	Designation:			
4	UAN:			
5	Bank Account Number:			
6	Wage period:			
7	Rate of wages payable	a) Basic	b) D.A.	c) other
8	Total attendance/unit of work done:			
9	Overtime wages			
10	Gross wages payable			
11	Total deductions	a) PF	b) ESI	c) Others
12	Net wages paid			

FORM-IX

(See Rule-29)

ANNUAL RETURN

UNIFIED ANNUAL RETURN FORM

FOR THE YEAR ENDING……..

Single Integrated Return to be filed On-line under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, the Code on Industrial Relations, 2020, the Code on Social Security , 2020, and the Code on Wages, 2019
Instructions to fill up the Annual Return (1) This return is to be filled-up and furnished on or before 28th or 29th February every year. (2) The terms Establishment shall have the same meaning as under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. (3) This return is to be filled-up in case of Contractor or manpower supplier who have engaged more than 50 workers employed in the relevant period.
Applicable to All Establishments - Part-I
A. General Information:

Sl. No.			**Instructions for filling the column**
1	Labour Identification Number/Registration No.		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3	Name of the Establishment		
4	Email ID		
5	Telephone No.		

6	Mobile number		
7	Premise name		
8	Sub-locality		
9	District		
10	State		
11	Pin code		
12	Geo Co-ordinates		
B(a).	**Hours of Work in a day**		
B(b).	**Number of Shifts**		

C. Details of Manpower Deployed

Details	**Directly employed**				**Employed through Contractor**				**Grand Total**
Skill Category	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	**Highly Skilled**	**Skilled**	**Semi-Skilled**	**Un-Skilled**	
(i) Maximum No. of employees employed in the	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	

establishment in any day during the year									
(ii) Average No. of employees employed in the establishment during the year	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iii) Migrant Worker out of (ii) above	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	
(iv)Number of fixed term employee engaged	Male	Female	Transgender	Total	Male	Female	Transgender	Total	

D. Details of contractors engaged in the Establishment:

Sl. No.	Name with LIN/Registration Number of the Contractor	No. of Contract Labour Engaged

E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)	Instructions for filling
1	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where in hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed

	Code, 2020)		
2	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and Section 24 of the OSH Code 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed
3	Ambulance Room (as per section 24(2)(i) of OSH Code, 2020)	Tick yes or no in the box	Applicable to mine, building and other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4	Safety Committee (as per Section 22(1) of OSH Code, 2020.	Tick yes or no in the box	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BoCW employing 250 workers or more, and mines employing 100 or more workers
5	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers and in case of BoCW 250 or more workers are ordinarily employed.
6	Qualified Medical Practitioner (as per Section 12 (2) of OSH Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:			**Instructions for filling**
1	Is the Works Committee has been functioning. (section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed
(a)	Date of its constitution.		
2	Whether the Grievance Redressal Committee constituted (section 4 of IR	Yes/No	Industrial establishment employing 20 or more workers are employed

	Code, 2020)		
3	Number of Unions in the establishments.		
4	Whether any negotiation union exist (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No	
5	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No	
6	Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:		

Discharged	**Dismissed**	**Retrenched**	**Terminated or Removed**	**Grand Total**	

7	**Man-days lost during the year on account of**				
Sl. No.	Reasons	Period / Date	No. of man-days lost	Loss in term of money	
(a)	Strike				
(b)	Lockout				

8.	**Details of retrenchment / lay off**				
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of female employees	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Mandays and Production Lost due to accidents / dangerous occurrence			
Sl. No.	**Accident/Dangerous Occurrence**	**Mandays lost**	**Production Lost**

FORM-X

(See Rule-30)

REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of Injured person (if any)	Date of Accident or dangerous occurrence	Date of report to inspector-cum-Facilitator	Nature of accident or dangerous occurrence	Date of return of injured Person to work	Number of days the injured Person was absent from work
1	2	3	4	5	6

FORM-XI

[See Rule-31(1)]

REGISTER FOR LEAVE WITH WAGES

Part I - Adults

Part II - Adolescents

Establishment:

Name of worker :

Department :

Father's Name:

Sl. No	Sl. no. in the register of workers	Date of entry into service						Leave due with effect from	Whether leave not desired during the next 12 months	Date from which the worker is allowed leave	Wages for Leave Paid in	Discharged worker		Remarks
			Sickness and accidents	Authorized Leave	Lock Out or Legal Strike	Involuntary unemployment	Others					Date of Discharge	Date & amount of payment made in lieu of leave due	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note:- Separate page shall be allotted to each worker

FORM –XII

(See Rule-34)

IMPROVEMENT NOTICE AND PROHIBITION ORDER

PART I

PROHIBITION ORDER

Inspector-cum-facilitators Notice on Inspection of Establishment, Lifting Appliance, Loose Gears and other such

gears, Equipment, Ladders and Staging. Inspector-cum-Facilitator's notice to the occupier, employer, owner, master, Officer-in-charge, Owner of lifting appliances, loose gears and lifting devices or the person, scaffold who, by himself, his agents, or his employers as the case may be.

Name of the establishment, lifting appliance, lifting device, transport equipment, ladders and staging	Where situated lying/ used/ location	Registration no. of the establishment	LIN No. of the establishment
1	2	3	4

An inspection of the above named establishment, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and staging was made on _____.

The activities connected with establishment which are being carried on by you/about to be carried on by you/under your control involve a risk or danger to the life. Safety and health of employee and involve the following contraventions :

CONTRAVENTIONS

Therefore. I hereby direct that the said activities shall not be carried on by you or under your control unless the said contraventions and matters mentioned have been remedied to the satisfaction of the Inspector-cum-Facilitator. This order is being issued without prejudice or any legal action which may be taken for these contraventions. On hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance, loose gear or similar gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold shall again be visited with a view to the inspection being completed.

No. _____

Dated at _____ this _____ day of 20 _____

Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

REQUIREMENTS

On compliance with all or any of the above contraventions, the Inspector-cum-Facilitator shall be informed in the manner prescribed overleaf, of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date

Sir,

The contravention notified by you have been effectively attended to. The establishment, lifting appliance, loose gears or similar gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold shall be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____ this day of _____ 20_____	Employer, Occupier, Owner, Manager, Master, Officerin- charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

PART - II

Improvement Notice

Inspector-cum-Facilitator's notice to the employer, Owner, Master, Manager, Officer-in-Charge or Agents, Owner of lifting appliances, loose gears lifting devices, scaffold or the person, who, by himself, his agents or his employers, carries on the establishment, as the case may be.....

Name of the establishment, lifting appliances, loose gear,	Where situated/lying used/location	Port of Registry	Official no.(if any) of the ship

lifting device, transport, equipment, ladders and stagings, scaffold;			

An inspection of the above-named establishment, dock, ship, lifting appliances, loose gears, lifting devices, transport equipment, ladders and stagings, scaffold was made on .....

The following contraventions were observed. You are required to remedy the said contraventions and send the

compliance report in writing within..... days.

This notice is being issued without prejudice to any legal action which may be taken for these contraventions on

hearing from you that the requirements have been complied with the establishment, lifting appliance/loose gear or similar other gear/transport equipment/ladders/ staging, scaffold will again be visited with a view to the inspection being completed.

Contraventions No. _____Dated _____ this _____ day of _____

20_____ Inspector-cum-Facilitator under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

Requirements. On compliance with all or any of the requirements, the Inspector-cum-Facilitator should be informed in the manner prescribed overleaf of the date and place at which the establishment, lifting appliance, loose gear, transport equipment, ladders and staging, scaffold can be re-inspected.

The requirements noted by you have been effectively fulfilled. The establishment, lifting appliance, loose gear, lifting devices, transport equipment, ladders and staging, scaffold will be ready for inspection on the date and place named below:

Date of Inspection	Place
Dated at _____this day of _____ 20_____	Employer, occupier, Owner, Master, Manager, Officer-in-charge or Agents, owner of machinery and gear or the person, who, by himself, his agents or his employers, carried on the establishment.

To

The Inspector-cum-Facilitator under the Occupation Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

FORM-XIII

(See Rule-43)

APPLICATION FOR LICENSE

On Line Application for License/ Renewal of License/Amendment of License (including Common/single license)
Labour Resource and Migrant Workers Welfare Department Government of Bihar
ESTABLISHMENT PROFILE:
Labour Identification Number /Registration No.- Date .....
Acknowledgement Number: ..... Date of Application: .....
I. Particulars of Establishment for which licence required:
1. Name of Establishment:
2. Address of establishment
(a) Head Office address along with email Id :
(b) Corporate office address along with email Id:
3. Telephone Number :
4. Activity as per National Industrial Classification : (Select all applicable activities given)
5. Details of selected NIC Code:
6. Nature of work carried on in main establishment :
7. Esign/digital sign of applicant :
II. Details of Employer:
1. Full Name of Employer: .....relationship with establishment.
2. Full Address of Employer:
3. Email Id of employer:
4. Mobile No. of employer:
III. Particulars of the Contract Labour to be employed / is employed (If licence is required work wise)

Locations of worksites	Name of works	Activity as per national industrial classification	Date of commencement	Date of completion	Name of Establishments in which contract labour is/proposed to be employed	Name Address, email id of the Site Incharge
1	2	3	4	5	6	7

5. Maximum number of workmen proposed to be employed on the Establishment on any date: **24**

6. Amount of Licence Fee: **INR** **(Transaction Id :)**

7. Amount of Security Deposit: **INR** **(Transaction Id :)**

IV. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH COMMON LICENCE REQUIRED, (IF APPLYING FOR)

Type of Establishments	Name & Address of establishment	(i)Nature of work carried out in the establishment (ii) Activity as per National Ind'l classification	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed
1	2	3	4	5	6	7

V. DETAILS OF ESTABLISHMENTS FOR WHICH SINGLE LICENCE IS REQUIRED (IF APPLYING FOR)

Name of States in which the establishments are situated	Name of each work	Maximum number of labour will be/is employed	Date of commencement	Permanent establishment or probable date of completion	Maximum number of employees employed/ proposed to be employed	Registration number, if obtained, then details thereof
1	2	3	4	5	6	7

Signature of Contractor

(eSign/DSC)

Note: This is an online application summary applied on Shram Suvidha Portal.

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENCE

1. Licence No. Date :

2. LIN & PAN

3. Name and address of the establishment:

4. Date of expiry of previous licence :

5. Whether the licence of the employer/contractor was suspended or revoked:

6. Details of Fees paid : (Enclose e-payment receipt): Amount …. date of payment :
E-sign /digital sign of the employer/contractor date:
APPLICATION FOR AMENDMENT OF LICENCE :
1. Licence No Date:
2. LIN & PAN
3. Name and address of the establishment:
4.Details for which amendment is sought :
(a). Maximum number of worker presently employed : (If there is increase in the maximum number of workers to be employed, then additional fees/security deposit as per law needs to be deposited:
(b). Details of fees paid through e payment date on which made :
(c). Other details requiring amendment in the licence issued (Necessary documents may be uploaded in support of change required)

E-sign /digital sign of the employer/contractor

date of application

FORM-XIV

[Under Rule-43 (3)]

PROFORMA OF LICENSE

Licence No. ---------- Reg. No. ---------- Date of Reg. ----------

Licence is hereby granted to ----------

---

for the premises known as ----------

---

situated at ----------

for use as a establishment within the limits stated herein after, subject to provisions of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and the rules made there under.

The ---------- 20.. Issuing Authority

Sl.No.	Period of issue	Valid For Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Fee	Date of Payment	Excess fee for late payment	Date of payment	Signature of the Issuing Authority

AMENDMENTS:

Year when Amended	Maximum number of Contract labour /workers on any one day	Date of payment of amendment fee	Date of Payment	Signature of the Issuing Authority

FORM-XV

(Under Rule-52)

EXPERIENCE CERTIFICATE OF CONTRACT EMPLOYEE

To whom so ever concerned
1. Name of contractor/employer*:
2. LIN/PAN No. of the contractor/employer/Registration No. *:
3. Email Id of the contractor /employer *:
4. Mobile No. of the contractor/employer *:
5. Nature and location of work:
6. Name of Principal Employer*:
7. LIN/PAN No. of the Principal Employer :*
8. Email Id of the Principal Employer : *
9. Mobile No. of the Principal Employer :*
10. Name of the worker*:
11. UAN / Aadhaar No.:
12. Mobile No. :
13. Serial
14. Registration number, date and name of the Board if the building and other construction worker is registered as a beneficiary:
15. Period of Employment:
16. Designation:
Seal and Signature of Contractor
*Please strike off whichever is not applicable.

FORM-XVI

(Under Rule-57)

Agreement between Producer and Audio-visual worker

This agreement is made on this day ..... month .....year..... between Messers..... having office at ..... (hereinafter referred to as the —Producer‖) on the first part and Shri/Smt/Kum .....son/daughter/wife of Shri ..... residing at ..... (hereinafter referred to as the —audio-visual worker‖) on the second part. The terms _Producer' and _audio-visual worker' shall include their heirs, successors, administrators and legal representatives:

Now, therefore this agreement is made as follows:

1. That both the parties agree that the duration of this agreement shall be from the date hereof till the completion of the audio-visual and this period shall not exceed consecutive months.

2. That the audio-visual worker agrees to attend studio, location or work place, as the case may be, subject to the requirement of his previous engagement and on his confirmation, to his respective job punctually as and when he shall be required by a written intimation by the Producer or the person duly authorised by him in writing.

3. That inconsideration of the audio-visual worker services, as aforesaid, the Producer agrees to pay and the audiovisual worker agrees to receive a sum of Rs. .....(Rupees .....) payable as advance on signing of this agreement and the balance of Rs. .....payable in ..... . equal installments.

4. That in the event of the audio-visual production being not complete within the stipulated period and the Producer still needing the services of the audio-visual worker to complete the audio-visual production, the producer agrees to pay and the audio-visual worker agrees to receive additional remuneration on

pro-rata basis, payable in the same manner as stated in Clause 3 above, till the completion of the production.

5. That in case the assignment of the audio-visual worker is completed earlier than the period stipulated in Clauses 1 and 4 above, the producer shall settle the account of the audio-visual worker and pay the remaining balance of the agreement amount in full before the commencement of re-recording work/censor of the production, whichever is earlier.

6. That the audio-visual worker shall, if so required,

(a) attend the studios, location or work-place, as the case may be, earlier than the a scheduled time of the shift, for preparatory work, and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs. .....per hour or part thereof for such early attendance.

(b) continue to work beyond the working day, with one hour break and in that case, he/she shall be paid by the Producer extra wages at the rate of Rs..... for the work during the extended hours and refreshments, and transport facilities.

7. That the Producer shall provide transport and food or pay traveling allowances to and fro to report to duty and food allowance while on duty as are customary or fixed by bilateral arrangements between the Producer's and audio-visual worker's representative organizations.

8. That the Producer shall also pay for all travelling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

9. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

10. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audio-visual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension therefrom ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as from the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

11. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement, the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall be titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

12. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall

not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are proved before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favour of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

13. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audiovisual worker whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

14. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

15. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

16. That the Producer shall also pay for all traveling and accommodation expenses, fares, cost of food and such other allowances as are customary when the audio-visual worker is required to work on location outdoors.

17. That the Producer shall get the audio-visual worker insured for any injury or damage to his/her person including death caused by accident arising out of or in

the course of his/her employment and/or during the period of his/her assignment under this agreement.

18. That where the Producer is prevented from proceeding with the production of the audio-visual by reason of fire, riot, natural calamity, order of the public authority or any other reason beyond his control :-

(a) he shall be entitled to suspend the operation of this agreement during the period of suspension of production in case the production is suspended. The producer shall serve notice in writing of such suspension on the audiovisual worker and shall pay all his/her dues up to the date of service of such notice. Upon resumption of work on the film, this agreement shall revive and shall remain valid for the period stipulated in Clause I excluding the period of suspension there from ; or

(b) he shall be entitled to terminate this agreement as form the cessation of production, in case the production ceases completely. The producer shall serve a notice in writing of such cessation on the audio-visual worker and make payment of all the amount due to the audio-visual worker at the time of termination.

19. That in case if the Producer desires to terminate this agreement before the expiry of its term for reasons other than misconduct in relation to performance of the audio-visual worker's duties or of his/her unwillingness to perform the services required under this agreement the producer shall be entitled to do so only upon payment of the balance of the stipulated amount of the agreement. Only after such payment to the audio-visual worker, the Producer shall been titled to employ another audio-visual worker in his/her place.

20. That the Producer shall have the right to terminate this agreement on ground of misconduct on the part of the audio-visual worker in relation to performance of his/her duties or his/her unwillingness to perform the service required under the agreement, upon payment to the audio-visual worker of the amount due at the time of termination, calculated taking into consideration the audio-visual

worker's total work in the audio-visual and the work he/she has completed till the date of termination of this agreement. Termination under this clause shall not be made unless the charges of the Producer against the audio-visual worker are provide before a forum comprising equal number of representatives of the Producers' Organisation and the audio-visual worker's Organisation to which the Producer and the audio-visual worker respectively may belong. The decision of the forum shall be binding on both the parties. The producer can engage another audio-visual worker for the job towards this agreement only after the forum has given a decision in favor of such termination and the audio-visual worker has been paid all his dues.

21. That in case of premature termination of this agreement, it shall be the option of the Producer whether or not to retain the work of the audio-visual worker in the audio-visual and at the same time, it shall be option of the audiovisual workers whether or not to allow his/her name to go on the credit titles of the film.

22. That the Producer shall have the right to decide the manner of representing the audio-visual worker's personality on the screen, his/her clothes, make-up and hair-style and the audio-visual worker shall fully and willingly comply with the direction of the Producer in this regard, provided that the requirements of the Producer in this respect have been notified to the audio-visual worker and accepted by him/her.

23. That the audio-visual worker agrees that he/she shall render his/her services to the best of his/her ability in such manner as the Producer or, at his instance, the Director of the audio-visual may direct and shall comply with all reasonable instructions that he may give for the production of the film.

24. That the audio-visual worker shall comply with all the regulations of the studio, location or work place as the case may be.

25. That the Producer shall not without the consent in writing of the audio-visual worker, assign or transfer the benefit of this agreement to any other person.

26. That the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 shall be applicable to this agreement.

27. That the Producer shall not utilise the work of the audio-visual worker in any film, other than the audio-visual under this agreement, without prior permission of the audio-visual worker.

The parties have put their hands to this agreement on the date, month and year said above in the presence of each other and in the presence of the witnesses.

1. Witness — Producer

Name Address

2. Witness — audio-visual worker

Name Address

Form XVII

[*See* Rules 60]

Application for grant or renewal of licence for Bidi & Cigar Establishment

1. Registration No. of Establishment as per Section 3 of OSH code .....
2. Full name of the industrial premises-
3. (i) Full postal address and situation of the industrial premises.

(ii) Full address to which communication relating to the industrial premises should be sent.

(iii) Full address of the applicant.

4. Maximum number of employees proposed to be employed on any one day during the financial year.
5. Full name and residential address of employer -
6. If the employer is a partnership, company, etc. full name and residential address of other partners or directors, etc. (* Note 1).
7. Financial resources of the employer (e.g., particulars and value of movable and immovable properties, bank reference, income-tax assessment, etc.).
8. Whether the employer is a trade mark-holder registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
9. Value of beedis or cigar or both manufactured at the industrial premises during the preceding financial year.
10. Previous experience of the applicant* in the industry.
11. Whether the proposed site of the industrial premises amounts to the alteration of the site of any existing industrial premises and, if so, the reasons for such alteration.

12. Whether any industrial premises was closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application, and if so, the reasons therefor.

13. Source of obtaining tobacco.

14. Whether the beedis or cigars or both manufactured by the applicant* will be sold and marketed by himself or through a proprietor or a registered user of a trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, or any other person.*

15. Whether the plans of the premises are enclosed.

I hereby declare that the particulars furnished by me in the form are to the best of my knowledge and belief accurate.

Signature of applicant.

Note 1. - Where an industrial premises is run or proposed to be run by a contractor for or on behalf of another person or persons or company, etc., the said other person or persons or company, etc., is under the Act the employer and particulars to be entered for "employer" in the Form should be in regard to such person, persons or company, etc.

*The application for licence may however be made either by the contractor or the employer.

(2) If any person named against item 5 shall not be minor.

Form XVIII

[*See* Rule 60 (3)]

Licence

Licence No. Registration No.

Licence is hereby granted as to.....valid only for the premises described below for use as industrial premises employing not more than ..... employees on any one day during the year.....subject to the conditions specified in Annexure

The licence shall remain in force till 5 years from the date of issue.

Name of industrial premises.

Situation of the industrial premises.

Permission is also granted for the installation of power-driven machinery.

Signature and seal of the competent authority

Renewal

[*See* Rule 63 (5)]

Date of renewal	Fees paid for renewal	Date of expiry.
1. 2. 3. 4.		

Date

Signature and seal of the competent authority

Annexure

The licence is subject to the following conditions :

(1) The manufacturing process shall be carried on only in that part of the industrial premises specified for the purpose in the licence.

(2) The maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any day exceed the number specified in the licence.

(3) Power-driven machinery not specified in the licence shall not be used in the manufacturing process in the premises.

(4) Except with the prior permission in writing of the competent authority, the industrial premises shall not be extended and except with the like permission no structural alterations shall be made in any building on such premises.

(5) The licence shall not be transferable

Form XIX

(See Rule No.-62)

(Application for Permission to work outside the Industrial Premises)

1. Registration no of Establishment-
2. Licence number -
3. Full name & address of Industrial Premises -
4. Name & address of Employer/Contractor -
5. Maximum number of worker employed any day in Establishment in last 12 Month. -
6. Maximum number of workers for which employer's wants permission for work outside the industrial premises.

Signature of Applicant

Form XX

(*See* Rule 62)

Record of Outside Work

Number and date of Government's order permitting work outside industrial premises.....

Date	Place or places where outside work was permitted	Nature of work	Name of employees	Remarks

Form XXI

(*See* Rule-63)

Home Workers Log Book

1. Name and address of the Beedi Company
2. Name and address of the local employer/ Manager of the Company
3. Name and address of the Contractor/ Commission Agent
4. Central Excise Licence Number (L-2)
5. Name and address of the Beedi Worker
6. Address of the house where Beedis are manufactured

Account of work done at home and wages paid therefor

Date month and year	Weight of tobacco and leaves received		No. of Beedis manufactured	No. of rejected Beedis	Wages payable for manufactured Beedis
	Tobacco	Leaves			
1	2	3	4	5	6
Wages payable for rejected Beedis	Adjustment of advance or deduction, if any	Net amount of wages actually paid and received	Signature or left thumb-impression of Home worker	Signature of Employer/ Commission Agent	Remarks
7	8	9	10	11	12

FORM XXII

(See rule-64(2)(ii)

Application for permission to construct, extend or take into use any building or premises as a factory

1. **Details of Occupier***

(a) Name: _____

(b) Address (office): _____

(c) Address (residential): _____

(d) Mobile number

(e) Email id : _____

2. **Details of factory***

(a) Full name: _____

(b) Address with pin code:

(c) District: _____

(d) Subdivision _____

(e) Block _____

(f) Town / village _____

(g) Nearest railway Station _____

(h) Nearest Police Station _____

(i) Phone number _____

_____

_____

3. **Particulars of plant proposed to be Installed & details of manufacturing process**_____

4. **Whether the factory involves hazardous processes or dangerous operations – yes or no**

5. **Maximum number of Workers**

Male	Female	Third Gender

(Proposed To be employed)

6. **Details of**

(a) Raw material

(b) Intermediate product/by product

(c) Final Product

7. **Use of Chemicals in the manufacturing process, if any**

S. No.	CAS no :	Chemical name:	Maximum storage at any time:

8. **NOTE**

a. Seal bearing " authorized signatory " shall not be used on any document

b. Every page of the Documents submitted along with the Form should be self attested by the

Occupier along with date.

Place:_____ Date:_____

Signature of occupier with seal: ___

(Name)

CHECKLIST

NOTE: This application shall be accompanied by the following documents:-

1. A flow chart of the manufacturing process supplemented by a brief description of the process in its various stages.
2. Documents related to the ownership of the land:
3. Photo ID and address proof of the Occupier.
4. Declaration regarding occupier of the factory
5. Such other particulars as the Chief Inspector may require.

FORM XXIII

[See Rule-64(4) & 64(5)]

Application for grant of licence for factory as specified in rule

1. **Registration details:**
   a) LIN (if any)
   b) Registration number

2. **General Information:**
   a) Full name of the factory
   b) Factory licence number (if licence issued earlier)

3. **Address and contact information:**
   a) Full postal address the factory including-district, subdivision, block, village/town, police station, post, pincode mobile number/ telephone number, email id

   b) Full address of factory along district, subdivision, block, village/town, police station, post, pincode mobile number/telephone number email id (if different from above)

4. **Details of manufacturing processes:**
   a) Whether factory involves hazardous process
   b) Whether factory involves dangerous operations
   c) Date of commencement of manufacturing process
   d) Manufacturing process to be carried on in the factory during the next twelve months
   e) Details of product(s) to be manufactured

5. **Workers employed:**

Details of workers	Male	Female	Others (transgender/adolescents)	Total
1	2	3	4	5
Maximum number of workers proposed to be employed during the year				
Maximum number of workers employed during the last twelve months on any day				
Number of workers ordinarily employed in thefactory				

6. **Power installed:**

a) Maximum amount of Power (H.P) (installed)
(attach sanction load and first electricity bill)
b) Maximum amount of Power (H.P) to be used
c) Total rated capacity (kilowatt) of generator installed
d) Total rated capacity (kilowatt) of generator to be used
e) Total rated capacity (kilowatt) of transformer insalled
f) Total rated capacity (kilowatt) of transformer insalled
g) Total capacity of transmission station (kilowatt)

7. **Particulars of Factory Manager:**

Name and address of the person who shall be the Factory Manager (if appointed) of the factory for the purposes of the code

Name
Residential address
Mobile No. & Email id

8. **Particulars of Occupier:**

a) Name and address of the occupier *(in case of a private firm.)*

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

b) Name and address of the occupiers
Attach list of partners with complete details,
(in case of partnership firm)

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

c) In case of Private/Public Limited Company, the name and address of the Director should be enclosed along with the list of Directors.

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

d) Full name and residential address of the owner of dock

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

e) Full name and residential address of the Managing Agent in case where a managing agent is appointed by the Central Government/ State Government/ Local authority as Occupier

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

9. Land & Building:

a) Full name and address of the owner of the premises or building (including the precincts thereof)

Name
Residential address
Mobile No.
Email id

b) Reference number and date of approval of the plans for site, whether for old or new building and for construction or extension of factory by the State Government / Chief Inspector

Date

10. Disposal of wastes and effluents:

* Name of the waste and approving authority

11. Fees Details:

12. Total amount of fees paid

NOTE :-

a) In case of any change in the above information, Department shall be informed in writing.

b) Seal bearing "authorized signatory" shall not be used on any document.

Place:-

Date:-

Signature of Factory Manager:
Signature of occupier:

I the above named Occupier do hereby further solemnly affirm that the contents given above are true to the best of my knowledge.

Place: _____

Date: _____

Signature of Occupier

~~~~~~
~~~~~~

Form XXIV
(See rule-64(5)(iv)

सत्यमेव जयते

LICENCE TO WORK AS A FACTORY

Licence number- _____

Registration number- _____

LIN - _____

Name of factory – _____

Address of factory- _____

Name of occupier- _____

Name of manger- _____

Total number of workers-_____

Power details – Motor capacity- _____ HP

Generation capacity- _____ KW

Transformer capacity- _____ KW

Transmitting capacity - _____ KW

Signature of licencing authority_____

Name of licencing authority_____

Designation of licencing authority _____

This licence is valid till the date .....

FORM XXV

(See Rule-64(7)(i)

AMENDMENT OF FACTORY LICENCE

1.	LIN (if any)	
2	Registration number	
3	Licence number	
NAME OF OCCUPIER		
Previous installed capacity of Generator in K.W.		
Previous installed capacity of Transformer in K.W.		
Previous installed capacity of transmitting station in K.W.		
Name and residential address of outgoing manager		
Current name of the factory		
Previous address / situation of the factory		
Current number of workers in the factory		
Current installed capacity of Motor / Engine in H.P		
Current installed capacity of Generator in K.W.		
Current installed capacity of Transformer in K.W.		
Current installed capacity of transmitting station in K.W.		
Name of current manager		
Residential address of current manager		
A.	Whether factory involves hazardous process	
B.	Whether factory involves dangerous operations	
C.	Manufacturing process to be carried on in the factory during the next twelve months	

Signature of occupier : _____

FORM XXVI

[See rules 64 (8)(i)]

APPLICATION FOR TRANSFER OF LICENCE

Licence number- _____

Registration number- _____

LIN - _____

Name of factory – _____

Address of factory- _____

Name of manger- _____

Total number of workers-_____

Power details – Motor capacity- _____ HP

Generation capacity- _____ KW

Transformer capacity- _____ KW

Transmitting capacity - _____ KW

Name of outgoing occupier _____
Name and address of current occupier _____
Reason for transfer of factory occupier _____

Signature of manager _____

Signature of current occupier_____

Form XXVII

[(See Rule-68(iii)]

FORMAT OF APPLICATION TO THE SITE APPRAISAL COMMITTEE

1. Name and address of the applicant

2. Site Ownership Data

2.1 Revenue details of site such as Survey No. Plot No. etc.

2.2 Whether the site is classified as forest and if so, whether approval of the Central Government under Section 5 of the Indian Forests Act, 1927 has been taken.

2.3 Whether the proposed site attracts the provisions of Section 3(2) (v) of the E.P.Act, 1986, if so, the nature of the restrictions.

2.4 Local authority under whose jurisdiction the site is located.

3. Site Plan

3.1 Site Plan with clear identification of boundaries and total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site.

(a) Historical monument, if any, in the vicinity.

(b) Names of neighboring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of LPG and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed unit.

(c) Water sources (rivers, streams, canals, dams, water filtration plants, etc.) in the vicinity. (d) Nearest hospitals, fire stations, civil defence stations and police stations and their distances.

(e) High tension electrical transmlssion lines, pipelines for water, oil gas or sewerage; railway lines, roads, stations; jetties and other similar installations.

3.2 Details of soil conditions and depth at which hard strata obtained.

3.3 Contour map of the area showing nearby hillocks and difference in levels.

3.4 Plot Plan of the factory showing the entry and exit points, roads within, water drains, etc.

4. Project Report

4.1 A summary of the salient features of the Projects.

4.2 Status of the organisation (Government, Semi Government, Public or Private etc.)

4.3 Maximum number of persons likely to be working in the factory.

4.4 Maximum amount of power and water requirements and source of their supply.

4.5 Block diagram of the buildings and installations, in the proposed supply.

4.6 Details of housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities proposed.

5. Organisation structure of the proposed manufacturing unit/factory

5.1 Organisation diagrams of – - Proposed enterprise in general - Health; Safety and Environment protection departments and their linkage to operation and technical departments.

5.2 Proposed Health and Safety Policy.

5.3 Area allocated for treatment of wastes and effluent.

5.4 Percentage outlay on safety, health and environment protection measures.

6. Meteorological data relating to the site

6.1 Average, minimum and maximum of - Temperature - Humidity - Wind velocities during the previous ten years

6.2 Seasonal variations of wind direction

6.3 Highest water level reached during the floods in the area recorded so far.

6.4 Lightning and seismic data of the area.

7. Communication Links

7.1 Availability of telephone/telex/wireless and other communication facilities for outside communication.

7.2 Internal communication facilities proposed

8. Manufacturing Process Information

8.1 Process flow diagram

8.2 Brief write-up on process and technology

8.3 Critical process parameters such as pressure buildup temperature rise and run- away reactions

8.4 Other external effects critical to the process having safety implications, such as ingress of moisture or water, contact with incompatible substances, sudden power failure.

8.5 Highlights of the built-in safety/pollution control devices or measures/incorporated in the manufacturing technology.

9. Information of Hazardous Materials

9.1 Raw materials, intermediates, products and by-products and their quantities (Enclose Material Safety Data Sheet in respect of each hazardous substance)

9.2 Main and intermediate storages proposed for raw materials/intermediates/products/by-products (maximum quantities to be stored at any time).

9.3 Transportation methods to be used for materials inflow and outflow, their quantities and likely routes to be followed

9.4 Safety measures proposed for: - handling of materials; - internal and external transportation; and - disposal (packing and forwarding of finished products)

10. Information on Dispersal/Disposal of Wastes and Pollutants

10.1 Major Pollutants (gas, liquid, solid) their characteristics and quantities (average and at peak loads)

10.2 Quality and quantity of solid wastes generated, method of their treatment and disposal 10.3 Air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same, including treatment and disposal of effluents.

11. Process Hazards Information

11.1 Enclose a copy of the report on environmental impact assessment

11.2 Enclose a copy of the report on Risk Assessment study.

11.3 Published (open or classified) reports, if any, on accident situations/occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country)

12. Information of proposed Safety and Occupational Health Measures

12.1 Details of fire fighting facilities and minimum quantity of water, CO2 and or other fire fighting measures needed to meet the emergencies

12.2 Details of in-house medical facilities proposed

13. Information on Emergency Preparedness

13.1 Onsite emergency plan

13.2 Proposed arrangements, if any, for mutual aid scheme with the group of neighboring factories

14. Any other relevant information

I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.

Name and Signature of the Applicant.

Form XXVIII

[(See Rule-75(1)(c)]

Health Register

(In respect of persons employed in occupations declared to be dangerous operations and hazardous).

Name of medical officer	
Name of factory---- Registration number_____ LIN no. _____ Factory licence	(a) Mr..... From.....To..... (b) Mr..... From.....To..... (c) Mr..... From.....To.....

Serial No.	Works No.	Name of worker	Sex	Age (last birthday)	Date of employment on present work	Date of leaving or transfer to other work	Reason for leaving, transfer or discharge	Nature of job or occupation	Raw material or by product handled	Date of Medical Examination by medical officer/qualified medical practitioner Result of Medical Examination	If suspended from work, state period of suspension with detailed reasons	Re-certified to resume duty on (with signature of medical officer)	If certificate of unfitness or suspension issued to worker	Signature, with date of medical officer /qualified medical practitioner
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

For transfer or discharge should be stated Unfit/Suspended.

FORM XXIX

[(See Rule No.-75(2)]

Certificate of Fitness for Dangerous Operation/hazardous process industries

1. Serial Number–

2. Name of person examined–

3. Father's name –

4. Sex –

5. Address–

6. Name of the factory in which employed/in which wishes to be employed–

7. Process of department in which employed/wishes to be employed–

8. Whether certificate granted–

9. Whether declared unfit and certificate refused–

10. Reference number of previous certificate granted or refused–

L.T.I of person examined.

Signature of medical officer

Serial Number.....

I certify that I have personally examined.....(Name) son of.....(Father's name) residing at.....(address) who is desirous of being employed as..... (name of factory) in..... (Deptt. & Process), that as nearly as can be ascertained from by examination, he is fit/unfit for employment at the above noted factory.

2. He is fit to be employed and may be employed on some other non-hazardous operation such as-

3. He may be produced for further examination after a period of-

4. He is advised following further examination -

5. He is advised following treatment -

6. The serial number of the previous certificate is-

L.T.I of person examined. Signature of medical officer

.

Note :- 1. The counterfoil should be retained by the medical officer and maintained in a bound book or in a file.

2. The Para which does not apply may be cancelled.

संचिका संख्या–1/OSHC -01/2021, श्र०सं०– 101 पटना, दिनांक– 30/6/26

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/6/2026

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC -01/2021, श्र०सं०– 101 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC -01/2021, श्र०सं०– 161 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/ महानिदेशक, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, चंडीगढ़ का कार्यालय/महानिदेशक, वी०वी० गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन, नोएडा/अवर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव

संचिका संख्या–1/OSHC -01/2021, श्र०सं०– 161 पटना, दिनांक– 30/6/26

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/6/2026

सरकार के अपर मुख्य सचिव